

جامع سنن ترمذی

تالیف : الامام الحافظ ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی رحمۃ اللہ علیہ

جامع سنن ترمذی

مبشر شہر

تالیف

امام حافظ ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی
رحمۃ اللہ علیہ

تہذیب

امام ابو نعیم ابراہیم بن علی (رحمۃ اللہ علیہ)

تخریج

مفتی محمد رفیع صاحب صاحبزادہ مفتی محمد رفیع صاحبزادہ

ترجمہ

مفتی محمد رفیع صاحب صاحبزادہ مفتی محمد رفیع صاحبزادہ

جلد نمبر

2

جلد نمبر 965 سے 2035

सर्वाधिकार प्रकाशनाधीन सुरक्षित है

इस किताब के प्रकाशन सबंधी सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित है। कोई व्यक्ति/संस्था/प्रकाशन आदि इस किताब को मुद्रित/प्रकाशित नहीं कर सकता। इस चेतावनी का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाही की जाएगी, जिसके समस्त हर्ज खर्च के वे स्वयं उत्तरदायी होंगे। सभी विवादों का न्यायक्षेत्र जोधपुर (राजस्थान) होगा।

नाम किताब	जमिअ सुनुन तिमिजी (जिल्द - 2)		
तालीफ़	इमामुल हफ़िज़ अबू ईसा मुहम्मद बिन ईसा अतिमिजी		
उर्दू तर्जुमा	मौलाना अली मुर्तज़ा ताहिर (हफ़िज़हुल्लाह)		
हिन्दी तर्जुमा	दारुत-तर्जुमा, शोबा नस्रो इशाअत जमीअत अहले हदीस, जोधपुर (रज.)		
तहकीक	मौलाना मुहम्मद नासिरुद्दीन अल्बानी (رحمته)		
तख़रीज	हफ़िज़ अबू सुफ़यान मीर मुहम्मदी		
तस्हीह व नज़रे सानी	मौलाना जमशेद आलम सल्फ़ी (97857-69878)		
लेज़र टाइपसेटिंग	मोहम्मद शकील, (9351998441)		
मेनेजिंग डायरेक्टर	अली हम्ज़ा, (82338-55857)		
प्रिण्टिंग	आदर्श आफ़सेट, स्टेडियम शॉपिंग सेन्टर, जोधपुर 92144-85741		
बाइंडिंग	कमाल बाइण्डिंग हाउस मो. शाहिद भाई 93516-68223 0291-2551615		
तादाद पेज	688	तादाद कॉपी	500 (पांच सौ)
प्रकाशन (प्रथम संस्करण)	नवम्बर 2020	कीमत	800/- (आठ सौ रुपये)

प्रकाशक

मर्कज़ी अन्जुमन खुदामुल कुरआन वल हदीस, जोधपुर

ज़ेरे निगरानी

शहरी व सूबाई जमीअत अहले हदीस, जोधपुर-राजस्थान

फरमाने रसूले अकरम (ﷺ)

مُرَاطَاةً عَنِّي
فَقَدْ اطاعَ اللهُ
وَمَنْ عَصَانِي
فَقَدْ عَصَى اللهَ

जिसने मेरी इताअत की तो बिलाशुबा उसने
अल्लाह तआला की इताअत की
और जिसने मेरी नाफरमानी की तो बिलाशुबा
उसने अल्लाह तआला की नाफरमानी की।

[सहीह मुस्लिम (1835) 4739]

मिलने के पते

मकतबा तर्जुमान, 4116 उर्दू बाजार, नई दिल्ली
फोन: 011-23273407

इकरा बुक डिपो, 2/3978, ग्राउण्ड फ्लोर, फारूकी
मंजिल सरगरामपुरा, सूरत, गुजरात 84608-53200

अल हिंरा पब्लिकेशन, 423 उर्दू बाजार, मटिया महल
जामा मस्जिद, दिल्ली 090153-82970

मदरसा दारूल उलूम सलफिया,
मोहल्ला सब्जी फरोश, रतलाम, (एम.पी.)

मोहम्मद अब्बास, 903, बडे ओम्ती,
जबलपुर, (एम.पी.) 89595-13602

हाफिज़ मोहम्मद राशिद,
विज्ञान नगर, कोटा (राज.) 70146-75559

तौहीद किताब सेन्टर, 08039-72503 सीकर (राज.)
कलीम बुक डिपो, सीकर (राज.) 70148-98515

नईम कुरैशी, 2 सी.एच.ए. 18 हाउसिंग बोर्ड,
शास्त्री नगर, भट्टा बास, पुलिस स्टेशन के पास, जयपुर
(राज.) 82091-64214

अल कौसर ट्रेडर्स, जोधपुर 94141-920119

अमरीन बुक एक्झेन्सी:
जमालपुर, अहमदाबाद। फोन: 84010-10786

साद सिद्दीकी:
राजा बाजार चौक, लखनऊ। फोन: 78608-22244

मकतबा दारुस्सलाम, मऊ: इस्लामिया सीनियर धोबिया
इमली रोड मऊनाथ भंजन, मऊ, (यूपी) 275101

मकतबा अस्सूनह,
मुम्बई 08097-44448

उमरी बुक डिपो, मदरसा तालीमुल कुरआन,
अशोक नगर, हिल नं. 3 कुर्ला, मुम्बई 82918-33897

दारूल इल्म,
नागपाड़ा, मुम्बई 022-23088989, 23082231

मो. इस्हाक, अल हुदा रिफाई फाउण्डेशन,
खजराना, इन्दौर 95846-51411

सैफुल्लाह खालिद,
माणक बाग, इन्दौर 98273-97772

अबू रेहान मुहम्मदी मदनी,
जुलैखा चिल्ड्रन हॉस्पिटल केसर कॉलोनी,
औरंगाबाद 88307-46536, 95452-45056

शैख सुहेल सल्फ़ी,
मकतबा सलफिया, वारणासी 094519-15874

आई.आई.सी. नूरी होटल के पास, डाण्डा बाजार, भुज,
कच्छ (गुजरात) 094291-17111

मकतबा अलफहीम,
मऊनाथ, भंजन (यूपी) 0547-2222013

उम्मेद अली: इस्लामिया सीनियर सैकण्डरी स्कूल, वार्ड
नं. 10, सीकर। फोन: 7742457343

सल्फ़ी बुक सेन्टर,
मटिया महल, दिल्ली। फोन: 91365-05582

**GUIDANCE PUBLISHERES &
DISTRIBUTORS**

D-105, Shop No. 2, Abul Fazl Enclaves,
Jamia nagar, Okhla, New Delhi-110025,
9899693655, 9958923032

**ALL INDIA DISTRIBUTOR
AL KITAB INTERNATIONAL**

JAMIA NAGAR, NEW DELHI-25
PH: 26986973 M. 9312508762

**SOLE DISTRIBUTOR
POPULAR BOOK STORE**

OUT SIDE MERTI GATE, JODHPUR [RAJ.]
9460768990, 9664159557

फेहरिस्ते मजामीन

मजमून नम्बर 8	27	बाब 15 मय्यत को गुस्ल देने का बयान	41
रसूलुल्लाह (ﷺ) से मर्वा जनाजा के अहकाम व मसाल	27	बाब 16 मय्यत के लिए कस्तूरी का इस्तेमाल	43
बाब 1 बीमारी का सवाब	27	बाब 17 मय्यत को गुस्ल देने की वजह से गुस्ल करना	43
बाब 2 मरीज़ की बीमारपुसी करना	28	बाब 18 कौनसा कफ़न मुस्तहब है?	44
बाब 3 मौत की ख्वाहिश करना मना है	30	बाब 19 मोमिन को हुक्म है कि अपने भाई को अच्छा कफ़न दे	45
बाब 4 मरीज़ के लिए पनाह मांगना	31	बाब 20 नबी (ﷺ) को कितने कपड़ों में कफ़न दिया गया था?	45
बाब 5 वसीयत करने की तर्गीब	32	बाब 21 मय्यत के घर वालों के लिए खाना बनाया जाए	46
बाब 6 तिहाई और चौथे हिस्से की वसीयत हो सकती है	33	बाब 22 मुसीबत के वक़्त रूख़सार पीटना और गिरेबान चाक करना मना है	47
बाब 7 मौत के वक़्त मरीज़ को तलक़ीन करना और उसके पास उसके लिए दुआ करना	34	बाब 23 नौहा करने की मनाही	47
बाब 8 मौत की सख़्ती का बयान	35	बाब 24 मय्यत पर रोना मना है	49
बाब 9 दिन और रात को नेकियाँ करने की फज़ीलत	37	बाब 25 मय्यत पर रोने की इजाज़त	50
बाब 10 मोमिन की मौत के वक़्त उसकी पेशानी पर पसीना आ जाना	37	बाब 26 जनाजा के आगे चलने का बयान	52
बाब 11 मौत के वक़्त अल्लाह से उसकी रहमत की उम्मीद रखना और गुनाहों की वजह से डरना	38	बाब 27 जनाजा के पीछे चलना	54
बाब 12 किसी की मौत की ख़बर देना मना है	38	बाब 28 जनाजा के पीछे सवार होना मकरूह है	54
बाब 13 सब्र वही है जब मुसीबत के शुरू में किया जाए	40	बाब 29 उसकी रुख़सत का बयान	55
बाब 14 मय्यत को बोसा देना	41	बाब 30 जनाजा में जल्दी करना	56
		बाब 31 उहुद के शोहदा और हमज़ा (رضی اللہ عنہم) का तज़क़िरा	56

बाब 32 मरीज की इयादत करना और जनाज़ा में शरीक होना सुन्नत है	57	बाब 49 नमाज़े जनाज़ा पढ़ने की फजीलत	72
बाब 33 नबियों को कहाँ दफ़न किया जाता है?	58	बाब 50 जनाज़ा के पीछे किस क्रम चलना या उसे उठाना काफ़ी होता है?	73
बाब 34 मुर्दों की अच्छी बातें ज़िक्र करने और उनकी बुरी बातों के तज़क़िरे से बाज़ रहने का हुक्म	59	बाब 51 जनाज़ा देख कर खड़े हो जाना	73
बाब 35 जनाज़ा रखे जाने से पहले बैठना	59	बाब 52 जनाज़ा के लिए खड़े न होने की सख़्त	74
बाब 36 मुसीबत आने पर सवाब की उम्मीद से सब्र करने की फ़जीलत	60	बाब 53 नबी (ﷺ) का फ़रमान कि लहद हमारे लिए और शत्रु दूसरे लोगों के लिए	75
बाब 37 जनाज़ा पर तकबीरात कहना	61	बाब 54 जब मय्यत को क़ब्र में दाख़िल किया जाए तो क्या कहना चाहिए?	76
बाब 38 मय्यत पर नमाज़े जनाज़ा में क्या दुआ पढ़े?	62	बाब 55 क़ब्र में मय्यत के नीचे कपड़ा रखना	77
बाब 39 नमाज़े जनाज़ा में सूरह फातिहा की किरअत करना	63	बाब 56 क़ब्र को (ज़मीन के) बराबर करना	78
बाब 40 नमाज़े जनाज़ा का तरीक़ा और मय्यत के लिए शफ़ाअत करना	64	बाब 57 क़ब्रों पर चलना, बैठना और उसकी तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ना मना है	78
बाब 41 सूरज निकलते और गुरुब होते वक़्त नमाज़े जनाज़ा पढ़नी मना है	66	बाब 58 क़ब्रों को पक्का करना और उन पर लिखना मना है	79
बाब 42 बच्चों की नमाज़े जनाज़ा	67	बाब 59 क़ब्रिस्तान में दाख़िल होने की दुआ	80
बाब 43 जब तक बच्चा रोये न उसकी नमाज़े जनाज़ा न पढ़ने का जवाज़	67	बाब 60 क़ब्रों की ज़ियारत करने की सख़्त	81
बाब 44 मस्जिद में नमाज़े जनाज़ा पढ़ना	68	बाब 61 औरतों का क़ब्रों की ज़ियारत करना	81
बाब 45 मर्द और औरत के जनाज़े में इमाम कहाँ खड़ा हो?	68	बाब 62 औरतों को क़ब्रों की ज़ियारत की कराहत का बयान	82
बाब 46 शहीद की नमाज़े जनाज़ा न पढ़ना	69	बाब 63 रात के वक़्त दफ़न करना	83
बाब 47 क़ब्र पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ने का बयान	70	बाब 64 मय्यत की अच्छी तारीफ़ करना	83
बाब 48 नबी (ﷺ) का नजाशी की नमाज़े जनाज़ा पढ़ना	71	बाब 65 जिसका बेटा फ़ौत हो जाए उसका सवाब	84
		बाब 66 शोहदा कौन-कौन से लोग हैं?	87
		बाब 67 ताऊन (के डर) से भागना मना है	88
		बाब 68 जो शख्स अल्लाह से मिलना चाहता है अल्लाह भी उसकी मुलाक़ात को पसंद करता है	88

बाब 69 खुद कुशी करने वाले की नमाज़े जनाज़ा न पढ़ी जाए	90	बाब 7 दूल्हे को क्या दुआ दी जाए?	105
बाब 70 मकरूज़ की नमाज़े जनाज़ा	90	बाब 8 बीवी के साथ सोहबत करते वक़्त की दुआ	106
बाब 71 अज़ाबे क़र्र का बयान	91	बाब 9 किन औक़ात में निकाह करना मुस्तहब है?	106
बाब 72 मुसीबत ज़दा को तसल्ली देने वाले का सवाब	93	बाब 10 वलीमा का बयान	107
बाब 73 जो शरूख़ जुमा के दिन फ़ौत हो जाए	94	बाब 11 दावत देने वाले की दावत कुबूल करना	108
बाब 74 जनाज़ा में जल्दी करना	94	बाब 12 जो शरूख़ बग़ैर दावत वलीमा खाने आ जाए	109
बाब 75 ताज़ियत की फ़ज़ीलत में एक और बयान	95	बाब 13 कुंवारी लड़कियों से शादी करना	110
बाब 76 नमाज़े जनाज़ा में दोनों हाथों को उठाना (रफ़उल य़देन करना)	95	बाब 14 वली के बग़ैर निकाह नहीं होता	110
बाब 77 मोमिन की जान कर्ज़ की वजह से लटक रही है यहाँ तक कि उसकी तरफ़ से अदायगी हो जाए	96	बाब 15 निकाह गवाहों के साथ ही मुन्अकिद होता है	113
मज़मूअ नम्बर-9	98	बाब 17 खुत्ब-ए-निकाह का बयान	113
रसूलुल्लाह(ﷺ) से मर्वी निकाह के अहक़ाम व मसाइल	98	बाब 18 कुंवारी और बेवा से (निकाह करने की) इजाज़त लेना	116
बाब 1 शादी करने की फ़ज़ीलत और उसकी तर्गीब	98	बाब 19 यतीम लड़की पर निकाह के लिए ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती	118
बाब 2 निकाह न करने की मुमानअत (मनाही)	100	बाब 20 अगर किसी लड़की के दो वली निकाह कर दें	119
बाब 3 जिसके धीनदार होने को तुम पसंद करते हो उस से अपनी बेटी की शादी कर दो	101	बाब 21 गुलाम का अपने मालिक की इजाज़त के बग़ैर निकाह करना	119
बाब 4 लोग तीन चीज़ों की बिना पर किसी से निकाह करते हैं	102	बाब 22 औरतों के हक्के महर का बयान	120
बाब 5 जिस औरत को निकाह का पैग़ाम भेजा है उसे देखना	103	बाब 23 इसी मसले के मुताल्लिक़ बयान	121
बाब 6 निकाह का ऐलान करना	103	बाब 24 जो आदमी लौंडी को आज़ाद करके उसके साथ निकाह करता है	123
		बाब 25 उस काम की फ़ज़ीलत	123
		बाब 26 जो शरूख़ किसी औरत से शादी करके सोहबत से पहले उसे तलाक़ दे दे तो क्या वह उस औरत की बेटी से शादी कर सकता है या नहीं?	124

बाब 27 दुखूल (हमबिस्तरी) से पहले तलाक़ दे दे तो	125	बाब 43 मुश्रिक मियाँ बीवी में अगर एक मुसलमान हो जाए	142
बाब 28 हलाला करने वाला और जिसके लिए हलाला किया जाए	126	बाब 44 आदमी की किसी औरत से निकाह करने के बाद हक्के महर मुकर्रर करने से पहले फौत हो जाए तो	144
बाब 29	127	मज़बून नब्बह 10	146
बाब 30 निकाहे शिगार की मुमानअत (मनाही)	129	रसूलुल्लाह (ﷺ) से गर्वी दूध पिलाने के मसाइल व अहकाम	146
बाब 31 फूफी या खाला के होते हुए भतीजी या भांजी से निकाह जायज़ नहीं:	130	बाब 1 रज़ाअत से वही रिश्ते हराम होते हैं जो नसब (खून) की वजह से हराम हैं	146
बाब 32 अकदे निकाह के वक़्त की शराइत	131	बाब 2 दूध की निस्बत मर्द की तरफ़ होती है	147
बाब 33 जिस आदमी के पास इस्लाम कुबूल करते वक़्त दस बीवियाँ हों	132	बाब 3 एक या दो बार दूध पीने से हुर्मत साबित नहीं होती	148
बाब 34 कुबूले इस्लाम के वक़्त जिसकी निकाह में दो बहनें हों	133	बाब 4 रज़ाअत में एक औरत की गवाही काफी है	150
बाब 35 अगर कोई आदमी किसी हामिला लौंडी को खरीद ले	134	बाब 5 रज़ाअत बचपन में दो साल से कम उम्र में ही हुर्मत साबित करती है	151
बाब 36 अगर आदमी किसी औरत को लौंडी बना ले और उसका खाविंद भी हो तो क्या उस से सोहबत करना जायज़ है	135	बाब 6 रज़ाअत के हक़ को किया चीज़ ख़त्म कर सकती है?	152
बाब 37 जानिया औरत को उज़रत देना मना है	135	बाब 7 लौंडी आज़ाद हो जाए और उसका (जो गुलाम है) खाविंद भी हो	153
बाब 38 कोई शख्स अपने मुसलमान भाई के पैगाम पर (किसी औरत को) अपना पैगामे निकाह न भेजे	136	बाब 8 बच्चा साहिबे बिस्तर का है	154
बाब 39 अज़ल का बयान	138	बाब 9 उस आदमी का बयान जो किसी औरत को देखे तो वह उसे अच्छी लगे	155
बाब 40 अज़ल करने की कराहत का बयान	139	बाब 10 शौहर का बीवी पर क्या हक़ है?	155
बाब 41 कुंवारी और बेवा या मुतल्लका के लिए दिनों की तक्रसीम	140	बाब 11 बीवी के खाविंद के ज़िम्मे हुकूक	157
बाब 42 बीवियों के दर्मियान इन्साफ़ करना	141	बाब 12 औरतों की दुबुर में ख्वाहिश पूरी करना मना है	158

बाब 13 औरतों का बनाव सिंगार करके बाहर निकलना मना है	160	बाब 9 तलाक़ में संजीदगी और मज़ाक़ दोनों क़ाबिले एतबार हैं	175
बाब 14 गैरत का बयान	160	बाब 10 खुला का बयान	175
बाब 15 औरत का अकेले सफ़र करना मकरूह है	161	बाब 11 खुला लेने वाली औरतें	176
बाब 16 अकेली औरतों के पास जाना मना है	162	बाब 12 औरतों की खातिर मुदारात करने का बयान	177
बाब 17 इस काम से इसलिए डराया गया है कि शैतान इंसान की रगों में खून की तरह दौड़ता है	163	बाब 13 अगर किसी आदमी से उसका बाप अपनी बीवी को तलाक़ देने का मुतालबा करे	178
बाब 18 जब औरत घर से बाहर निकलती है तो शैतान उसे झांकता है	164	बाब 14 औरत अपनी बहन (सौतन) की तलाक़ का मुतालबा न करे	178
बाब 19 औरत के लिए अपने शौहर को तकलीफ़ देने पर वईद	164	बाब 15 पागल शख्स की तलाक़	179
मज़मून नम्बर 11	166	बाब 16 अतलाक़ मरतानि का शाने नुजूल	179
रसूलुल्लाह(ﷺ) से मर्ती तलाक़ और लिआन के अहकाम व मसाइल	166	बाब 17 हामिला बेवा जब बच्चा जन्म दे	180
बाब 1 तलाक़ देने का सहीह तरीक़ा	166	बाब 18 बेवा की इद्त का बयान	182
बाब 2 जो शख्स अपनी बीवी को तलाक़े बत्ता का लफज़ बोल कर तलाक़ दे दे	167	बाब 19 ज़िहार करने वाला अगर कफ़ारा अदा करने से पहले बीवी से सोहबत कर ले	185
बाब 3 बीवी को कह देना की तुम्हारा मामला तुम्हारे हाथ में है	169	बाब 20 ज़िहार का कफ़ारा	186
बाब 4 इच्छि ग़यार का बयान	170	बाब 21 ईला का बयान	187
बाब 5 जिस औरत को तीसरी तलाक़ दे दी जाए उसके लिए रिहाइश और खर्च नहीं होगा	171	बाब 22 लिआन का बयान	188
बाब 6 निकाह से पहले तलाक़ नहीं है	172	बाब 23 जिस औरत का खाविंद फौत हो जाए, वह इद्त कहाँ गुज़ारे?	190
बाब 7 लौंडी की तलाकों की तादाद दो है	173	मज़मून नम्बर 12	193
बाब 8 जिस शख्स के दिल में बीवी को तलाक़ देने का ख़याल आए	174	रसूलुल्लाह(ﷺ) से मर्ती तिजारात के अहकाम व मसाइल	193
		बाब 1 शुब्हा वाली चीज़ों को छोड़ देने का बयान	193
		बाब 2 सूद खाना	194
		बाब 3 झूठ बोलने और झूठी गवाही देने पर वईद	195

बाब 4 ताजिरो का तजकिरा, नीज उनका यह नाम नबी (ﷺ) ने रखा है	195	बाब 23 गंदुम के एवज़ गंदुम बराबर लेना जायज़ है, बढ़ा कर लेन देन करना मना है	215
बाब 5 जो शाख्स सौदा बेचने के लिए झूठी कसम उठाता है	197	बाब 24 करंसी की खरीदो फ़रोख्त	216
बाब 6 तिजारत के लिए सुबह सवेरे जाना	198	बाब 25 पेवन्दकारी के बाद खजूरो के दरख्त खरीदना और मालदार गुलाम खरीदना	218
बाब 7 किसी चीज़ को मुअय्यन मुदत तक उधार खरीदना	199	बाब 26 खरीदो फ़रोख्त करने वाले दोनों आदमी जुदा होने तक बै को तोड़ने का इख्तियार रखते हैं	220
बाब 8 शर्तों को लिखना	201	बाब 27 बेचने और खरीदने वाले के इख्तियार का बयान	222
बाब 9 माप और तौल का बयान	201	बाब 28 तिजारत में जिसके साथ धोका होता हो	222
बाब 10 नीलामी का बयान	202	बाब 29 जिस जानवर का दूध रोका गया हो	223
बाब 11 मुदब्बर गुलाम की फ़रोख्त	203	बाब 30 जानवर फ़रोख्त करते वक़्त सवारी करने की शर्त लगाना	224
बाब 12 तिजारत वाले काफ़िलों को बाहर जा कर मिलना मना है	203	बाब 31 गिरवी रखी हुई से फ़ायदा उठा लेना	225
बाब 13 कोई शहरी किसी देहाती की कोई चीज़ फ़रोख्त न करे	204	बाब 32 अगर कोई ऐसा हार खरीदे जिस में सोना और जवाहिरात हों	225
बाब 14 मुहाक़ला और मुज़ाबना की मनाही	205	बाब 33 वला की मिल्कियत की शर्त लगाने पर डांट	226
बाब 15 फलों को पकने से पहले उनको बेचना मना है	207	बाब 34 वक्फ़ शुदा माल की खरीदो फ़रोख्त	227
बाब 16 हब्लुल हबला की बै (सौदा)	208	बाब 35 मुकातब गुलाम के पास अगर अदायगी जितना माल हो	228
बाब 17 धोके वाली बै (सौदा) मना है	209	बाब 36 जब किसी का कर्ज़दार दीवालिया हो जाए और कर्ज़ख्वाह अपना सामान उसके पास पा ले तो	230
बाब 18 एक बै (सौदे) में दो की शर्त लगाना मना है	209	बाब 37 मुसलमान का ज़िम्मी को शराब बेचने के लिए देना मना है	231
बाब 19 जो चीज़ पास नहीं है उसकी फ़रोख्त मना है	210	बाब 38 जो शाख्स आप को अमानत दे उसकी अमानत वापस करो	231
बाब 20 वला को बेचना और हिबा करना मना है	212		
बाब 21 जानवर को जानवर के एवज़ बतौर कर्ज़ बेचना मना है	213		
बाब 22 एक गुलाम को दो गुलामों के एवज़ खरीदना	214		

बाब 39 इस्तेमाल के लिए वक़्ती तौर पर ली गई चीज़ को वापस किया जाए	232	बाब 55 बै (सौदे) में किसी चीज़ की इस्तिस्ना करना मना है	246
बाब 40 जखीरा अन्दोज़ी करना	233	बाब 56 गल्ले को कब्जे में लेने से पहले आगे फ़रोख्त करना मना है	247
बाब 41 दूध रोके जानवर को बेचना या ख़रीदना	234	बाब 57 अपने भाई के लगाये हुए भाव पर किसी चीज़ का भाव लगाना मना है	248
बाब 42 झूठी क़सम के ज़रिए किसी मुसलमान का माल ग़सब करना	234	बाब 58 शराब की ख़रीदो फ़रोख्त की मुमानअत (मनाही)	251
बाब 43 जब ख़रीदने और बेचने वाले में इख़्तिलाफ़ हो जाए	235	बाब 59 शराब को सिका बनाना मना है	249
बाब 44 ज़ायद पानी को फ़रोख्त करना	236	बाब 60 मालिकों की इजाज़त के बग़ैर मवेशियों का दूध दुहना मना है	250
बाब 45 नर जानवर को मादा जानवर पर छोड़ने की उज़्रत लेना मकरूह है	237	बाब 61 मुर्दार की खाल और बुतों को बेचना	250
बाब 46 कुत्ते की कीमत	238	बाब 62 कोई चीज़ हिबा कर के वापस लेना मना है	251
बाब 47 सींगी लगाने वाले की कमाई	239	बाब 63 बै अराया (अराया के सौदे) की तारीफ़ और उसकी इजाज़त	253
बाब 48 सींगी लगाने वाले को उज़्रत लेने की इजाज़त है	240	बाब 64 इसी मसूअला से मुताल्लिक़ बाब	255
बाब 49 कुत्ते और बिल्ले की कीमत लेना और इस्तेमाल करना मना है	241	बाब 65 ख़रीदो फ़रोख्त में बोली बढ़ाना मना है	255
बाब 50 शिकारी कुत्ते की कीमत लेने की रूख़सत	242	बाब 66 तौलते वक़्त तराजू को झुकता रखना	256
बाब 51 गाने वाली लौंडियों की ख़रीदो फ़रोख्त मना है	242	बाब 67 तंगदस्त मकरूज़ को मोहलत देना और उसके साथ नरमी करना	256
बाब 52 गुलामों को फ़रोख्त करते वक़्त दो भाइयों या मां और औलाद को जुदा करना मना है	243	बाब 68 मालदार का (क़र्ज़ की वापसी में) टाल मटोल करना जुल्म है	257
बाब 53 एक शख्स गुलाम ख़रीद कर उसकी कमाई भी इस्तेमाल करे फिर उसमें कोई ऐब नज़र आ जाए	244	बाब 69 मुनाबज़ा और मुलामसा की बै (सौदा)	259
बाब 54 राह चलते आदमी को रास्ते में किसी बाग़ से फल खाने की इजाज़त है	245	बाब 70 अनाज और फलों में बै सलफ़ करना	259
		बाब 71 मुश्तरिक ज़मीन में से अगर कोई अपना हिस्सा फ़रोख्त करना चाहे	260
		बाब 72 बै-ए-मुखाबरा और मुआवमा	261

बाब 73 कीमते मुकरर करना	262	बाब 13 अगर गवाह एक हो तो साथ एक कसम उठाए	280
बाब 74 खरीदो फ़रोख्त में धोका और मिलावट मना है	262	बाब 14 दो आदमियों के दर्मियान मुशतरक गुलाम से अगर एक शख्स अपना हिस्सा आज़ाद कर दे	281
बाब 75 ऊँट या कोई और जानवर बतौर कर्ज़ लेना	263	बाब 15 उम्रा का बयान	283
बाब 76 खरीदो फ़रोख्त और अदायगी में नरमी बरतना	265	बाब 16 रुक्बा का बयान	285
बाब 77 मस्जिद में खरीदो फ़रोख्त मना है	266	बाब 17 लोगों के दर्मियान सुलह करवाने के बारे में रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़रमान	285
मज़बून नक़्श 13	268	बाब 18 हमसाये की दीवार पर लकड़ी रखना	286
रसूलुल्लाह (ﷺ) से मर्ती फैसलों के अहकाम व मसाइल	268	बाब 19 क़सम दिलाने वाले की तस्दीक़ पर क़सम का एतबार होता है	287
बाब 1 काज़ी के बारे में रसूलुल्लाह (ﷺ) के फ़रामीन	268	बाब 20 अगर रास्ते के बारे में इख़्तिलाफ़ हो तो कितना रखा जाए?	287
बाब 2 काज़ी अगर दुरुस्त या ग़लत फैसला करे	271	बाब 21 जब वालिदैन जुदा हों तो बच्चे को इख़्तियार देना	288
बाब 3 काज़ी फैसला कैसे करे?	271	बाब 22 बाप अपने बेटे का माल ले सकता है	289
बाब 4 इन्साफ़ करने वाला हाकिम	272	बाब 23 अगर किसी की कोई चीज़ टूट जाए तो तोड़ने वाले के माल से अदा की जाएगी	289
बाब 5 काज़ी दोनों फ़रीकों की बात सुने बग़ैर फैसला न करे	273	बाब 24 मर्द और औरत के जवान होने की उम्र	290
बाब 6 रिआया का हाकिम	274	बाब 25 जो शख्स अपने बाप की बीवी से निकाह कर ले	291
बाब 7 काज़ी गुस्से की हालत में फैसला न करे	275	बाब 26 दो आदमियों में से अगर एक आदमी का खेत पानी लगाने में दूर हो	292
बाब 8 हाकिमों को तोहफ़े देना	275	बाब 27 जो शख्स अपनी मौत के वक़्त अपने गुलामों को आज़ाद कर दे और उसके पास उनके अलावा कोई माल भी न हो	293
बाब 9 फैसले में रिश्तत देने और लेने वाला	276		
बाब 10 तोहफ़ा और दावत कुबूल करना	277		
बाब 11 अगर ग़ैर मुस्तहिक़ के लिए कोई फैसला हो जाए तो वह किसी दूसरे का हक़ न ले	278		
बाब 12 गवाह मुहई (दावेदार) और क़सम मुहआ अलैह (जिस पर दावा किया गया हो) के जिम्मा है।	278		

बाब 28 जो शख्स अपने किसी रिश्तेदार का मालिक बन जाए	294	बाब 3 ऐसा जख्म जिससे हड्डी नज़र आने लगे	313
बाब 29 जो शख्स किसी की ज़मीन में उनकी इजाज़त के बग़ैर कोई चीज़ काश्त करे	295	बाब 4 अँगलियों की दियत	314
बाब 30 तोहफ़ा वग़ैरह देने में औलाद के दर्मियान बराबरी की जाए	296	बाब 5 मुजरिम को माफ़ कर देना	315
बाब 31 शुफ़आ का बयान	296	बाब 6 जिसका सर पत्थर से कुचल दिया गया हो	316
बाब 32 ग़ैर मौजूद के लिए भी हक्के शुफ़आ है	297	बाब 7 मोमिन को क़त्ल करने का गुनाह	317
बाब 33 जब हदें मुक़रर हो जाएँ और हिस्से अलाहिदा (अलग) हो जाएँ तो शुफ़आ नहीं हो सकता	298	बाब 8 क़त्ल का फ़ैसला	317
बाब 34 हिस्सेदार शुफ़आ का हक़ रखता है।	299	बाब 9 अगर कोई शख्स अपने बेटे को क़त्ल कर दे तो क्या उससे क़िसास लिया जाएगा?	318
बाब 35 गिरी पड़ी चीज़ और गुमशुदा कूँट और बकरी का बयान	300	बाब 10 तीन सूरतों के अलावा मुसलमान को क़त्ल करना हलाल नहीं है	320
बाब 36 वक्फ़ का बयान	303	बाब 11 जो शख्स किसी ज़िम्मी को क़त्ल करता है	320
बाब 37 जानवर अगर ज़ख्मी कर दे तो उसका क़िसास या दियत नहीं है	304	बाब 12 इसी के मुताल्लिक़ा	321
बाब 38 बंजर ज़मीन को आबाद करना	305	बाब 13 क़िसास या माफ़ी में मक़तूल के वारिस का फ़ैसला तस्लीम होगा	321
बाब 39 जागीर देना	306	बाब 14 मुस्ता करना मना है	323
बाब 40 शजर कारी की फ़ज़ीलत	308	बाब 15 हमल की दियत	325
बाब 41 काश्तकारी का बयान	308	बाब 16 मुसलमान को काफ़िर के बदले क़त्ल नहीं किया जा सकता	326
बाब 42 खेती बाड़ी से मुताल्लिक़ा एक और बयान	309	बाब काफ़िरों की दियत	327
मज़मूज बन्बट 14	311	बाब 17 अगर कोई शख्स अपने गुलाम को क़त्ल कर दे	327
अल्लाह के रसूल(ﷺ) से मर्वी दियत के अहक़ाम व मसाइल	311	बाब 18 क्या औरत अपने खाविंद की दियत की वारिस बनेगी?	328
बाब 1 दियत में कितने कूँट हैं?	311	बाब 19 क़िसास का बयान	329
बाब 2 दरिहमों में कितनी दियत दी जाएगी?	313	बाब 20 मुल्जम (जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया हो) को क़ैद करना	329

बाब 21 जो शख्स अपने माल की हिफाज़त करता हुआ क़त्ल हो जाए वह शहीद है	330
बाब 22 कसामत का बयान	332
मज़मून नम्बर 15	335
रसूलुल्लाह(ﷺ) से मर्गी हुदूद के अहकाम व मसाइल	335
बाब 1 किन लोगों पर हद वाजिब नहीं है	335
बाब 2 हुदूद को साकित करना	336
बाब 3 मुसलमान के ऐब छिपाना	337
बाब 4 हद नाफ़िज़ करने से पहले (1) तल्कीन करना	338
बाब 5 गुनाह का एतराफ़ करने वाला अपनी बात से फिर जाए तो हद ख़त्म हो जाती है	339
बाब 6 अल्लाह की हदों में सिफ़ारिश करना मना है	341
बाब 7 रज़्म करना साबित है	342
बाब 8 रज़्म शादी शुदा पर है	343
बाब 9 हामिला को रज़्म करने से पहले बच्चा जन्म देने का इन्तिज़ार किया जाए	346
बाब 10 अहले किताब को रज़्म करना	347
बाब 11 जला वतन करना	348
बाब 12 जिस को हद लग जाए वह हद उस के लिए गुनाह का कफ़ारा है	349
बाब 13 लौंडियों पर हद क़ायम करना	350
बाब 14 नशा करने वाले की हद	351

बाब 15 शराबी को कोड़े मारो अगर चौथी मर्तबा पिए तो उसे क़त्ल कर दो	352
बाब 16 कितने माल की चोरी में हाथ काटा जाए?	353
बाब 17 चोर का हाथ काट कर उसके गले में लटकाना	354
बाब 18 ख़यानत करने वाले, छीनने वाले और डाकू का बयान	355
बाब 19 फल और खुजूरों के शगूफ़ों को तोड़ने पर हाथ नहीं काटा जाएगा	356
बाब 20 जिहाद में हाथ न काटे जाएँ	356
बाब 21 जो आदमी अपनी बीवी की लौंडी से ज़िना कर ले	357
बाब 22 जिस औरत के साथ ज़बरदस्ती ज़िना किया जाए	358
बाब 23 जो शख्स जानवर से बदकारी करे	360
बाब 24 लवातत करने वाले की सज़ा	361
बाब 25 दीने इस्लाम से फिर जाने वाला	362
बाब 26 जो शख्स हथियार की नुमाइश करे	363
बाब 27 जादूगर की हद	363
बाब 28 माले गनीमत से चोरी करने वाले के साथ क्या किया जाए?	364
बाब 29 जो शख्स किसी दूसरे को हिजड़ा कहकर पुकारे	365
बाब 30 ताज़ीर का बयान	365

मजमून नम्बर 16	367	बाब 18 बांस वौरह से जबह करना	383
रसूलुल्लाह (ﷺ) से मर्वा शिकार के अहकाम व मसाइल	367	बाब 19 ऊँट, गाय, बकरी जब वहशी जानवर की तरह भाग जाएँ तो उन्हें तीर मारा जा सकता है या नहीं?	384
बाब 1 कुत्ते का किया हुआ कौन सा शिकार खाया जाए और कौन सा नहीं?	367	मजमून नम्बर 17	386
बाब 2 मजूसी के शिकारी कुत्ते के शिकार का बयान	369	रसूलुल्लाह (ﷺ) से मर्वा कुर्बानियों के अहकाम व मसाइल	386
बाब 3 बाज़ के शिकार का बयान	369	बाब 1 कुर्बानी की फज़ीलत	386
बाब 4 आदमी शिकार करे फिर शिकार किया हुआ जानवर गायब हो जाए	370	बाब 2 दो मेंढों की कुर्बानी करना	387
बाब 5 जो शख्स शिकार की तरफ़ तीर फेंके फिर उसे मुर्दा हालत में पानी के अन्दर देखे	371	बाब 3 फौत शुदा की तरफ़ से कुर्बानी करना	387
बाब 6 कुत्ता अगर शिकार में से कुछ खा ले	371	बाब 4 जिन जानवरों की कुर्बानी मुस्तहब है	388
बाब 7 मेराज़ का बयान	372	बाब 5 किन जानवरों की कुर्बानी जायज़ नहीं है?	389
बाब 8 पत्थर से जबह करना	373	बाब 6 कौन से जानवरों की कुर्बानी मकरूह है?	389
बाब 9 बंधे हुए जानवर को तीर वौरह से मार कर खाना मना है	373	बाब 7 कुर्बानी में भेड़ की नस्ल से जज़अ करना	390
बाब 10 जानवर के पेट के बच्चे का ज़बीहा	375	बाब 8 कुर्बानी के जानवरों में शरीक होना	392
बाब 11 हर नुकीले दांतों वाला और पंजे वाला जानवर मकरूह है	376	बाब 9 सींग टूटे और कान कटे जानवर का बयान	392
बाब 12 ज़िंदा जानवर का जो हिस्सा काटा जाए वह मुर्दार के हुक्म में है	377	बाब 10 एक घराने की तरफ़ से एक बकरी की कुर्बानी जायज़ है	393
बाब 13 हलक़ और लब्बा में जबह करना चाहिए	378	बाब 11 इस बात की दलील कि कुर्बानी सुन्नत है	394
बाब 14 छिपकली को मारना	378	बाब 12 नमाज़े ईद के बाद जानवर जबह किया जाए	395
बाब 15 सांप मारना	379	बाब 13 तीन दिन से ज़्यादा कुर्बानी के गोश्त खाने की मुमानिअत (मनाही)	396
बाब 16 कुत्तों को मारना	380	बाब 14 तीन दिन के बाद खाने की रुख़सत	397
बाब 17 कुत्ता रखने वाले का कितना अज़्र कम होता है?	381	बाब 15 फ़रा और अतीरा का बयान	398
		बाब 16 अक्कीक़ा का बयान	398
		बाब बच्चे के कान में अज़ान देना	399
		बाब 17 मेंढा कुर्बानी के लिए बेहतरीन जानवर है	400

बाब 18 हर साल कुर्बानी करना	401
बाब 19 अक्कीका में एक बकरी करना	401
बाब दो मेंढे की कुर्बानी करना	402
बाब 20 ज़बह की दुआ	402
बाब 21 अक्कीका के मुताह्लिक	403
बाब 22 जो शाख्स कुर्बानी करना चाहता है वह बाल न उतारे	403
मज़मून नम्बर 18	405
रसूलुल्लाह(ﷺ) से मर्वी नज़्रों और क़समों के अहकामो-मसाइल	405
बाब 1 रसूलुल्लाह(ﷺ) का फ़रमान है कि (अल्लाह और रसूल) की नाफ़रमानी में नज़्र मानना जायज़ नहीं है	405
बाब 2 जो शाख्स अल्लाह की इताअत की नज़्र माने वह उसकी इताअत करे	407
बाब 3 इब्ने आदम जिस चीज़ का मालिक ही नहीं है उसमें नज़्र नहीं होती	407
बाब 4 ग़ैर मुअय्यन नज़्र का क़फ़ारा	408
बाब 5 एक शाख्स किसी काम की क़सम उठाए, फिर कोई और काम बेहतर समझे	408
बाब 6 क़सम तोड़ने से पहले क़फ़ारा अदा करना	409
बाब 7 क़सम में इंशा अल्लाह कहना	410
बाब 8 ग़ैरुल्लाह के नाम की क़सम उठाना मना है	411
बाब 9 जिस ने ग़ैरुल्लाह के नाम की क़सम उठाई उसने शिर्क किया	412
बाब 10 अगर कोई शाख्स पैदल चलने की क़सम उठा ले लेकिन उसकी ताक़त न हो	413

बाब 11 नज़्र मानने की कराहत	414
बाब 12 नज़्र को पूरा किया जाए	414
बाब 13 नबी(ﷺ) की क़सम कैसी होती थी?	415
बाब 14 गुलाम आज़ाद करने वाले का अज़्र	415
बाब 15 जो शाख्स अपने खादिम को तमाचा मारे	416
बाब 16 दीने इस्लाम के अलावा किसी और मज़हब की क़सम खाना मना है	417
बाब 17 जो शाख्स पैदल हज़्र करने की नज़्र माने	417
बाब 18 अगर कोई शाख्स लात व उज्जा की क़सम उठा ले तो उसे ख़तम कर दे	418
बाब 19 मय्यत की तरफ़ से नज़्र को पूरा करना	418
बाब 20 गुलाम आज़ाद करने वाले की फ़ज़ीलत	419
मज़मून नम्बर 19	421
रसूलुल्लाह(ﷺ) से मर्वी जंग कटने के उम्ूलो- ज़वाबित	421
बाब 1 लड़ाई से पहले इस्लाम की दावत दी जाए	421
बाब 2 मस्जिद देखकर या अज़ान सुनकर हमला करना मना है	423
बाब 3 शब खून मारना और हमला करना	423
बाब 4 काफ़िरों के मालों को जलाना और घरों को तबाह करना	425
बाब 5 ग़ानीमत का बयान	425
बाब 6 घोड़े का हिस्सा,	426
बाब 7 लश्करो का बयान	427
बाब 8 ग़ानीमत का माल किसे दिया जाए?	427
बाब 9 क्या गुलाम का हिस्सा निकाला जाएगा?	428

बाब 10 अगर ज़िम्मी लोग मुसलमानों के साथ मिलकर जंग करे तो क्या उन्हें हिस्सा दिया जाएगा?	429	बाब 29 किसी के फ़ैसले पर उतरना	444
बाब 11 मुश्रिकीन के बर्तनों से फ़ायदा लेना	430	बाब 30 हिल्फ़ का बयान	446
बाब 12 नफल का बयान	431	बाब 31 मजूसियों से जिज्या लेना	446
बाब 13 जो मुजाहिद किसी काफ़िर को क़त्ल करे उसका सामान उसे ही मिलेगा	432	बाब 32 ज़िम्मियों के माल में से जो चीज़ हलाल है	447
बाब 14 तन्नसीम से पहले माले ग़नीमत को बेचना मना है	433	बाब 33 हिजरत का बयान	448
बाब 15 कैद में आने वाली हामिला औरतों से मुबाशिरत करना मना है	434	बाब 34 नबी(ﷺ) की बैअत का बयान	449
बाब 16 मुश्रिकों के खाने के बारे में	434	बाब 35 बैअत को तोड़ना	450
बाब 17 कैदियों के दर्मियान जुदाई डालना मना है	435	बाब 36 गुलाम की बैअत	451
बाब 18 कैदियों को क़त्ल करने और फिदूया लेकर छोड़ने का बयान	435	बाब 37 औरतों से बैअत करना	451
बाब 19 दुश्मन की औरतों और बच्चों को क़त्ल करना मना है	437	बाब 38 बद्र वालों की तादाद	452
बाब 20 दुश्मन को आग से जलाना मना है	438	बाब 39 माले ग़नीमत का पांचवां हिस्सा (बैतूल माल के लिए है)	452
बाब 21 माले ग़नीमत से ख़यानत करना	439	बाब 40 लूट मार करना मना है	453
बाब 22 औरतों का जंग में जाना	440	बाब 41 अहले किताब को सलाम कहना	454
बाब 23 मुश्रिकों के तोहफ़े कुबूल करना	440	बाब 42 मुश्रिकों के बीच रहना मकरूह है	455
बाब 24 मुश्रिकीन के तोहफ़े की कराहत	441	बाब 43 यहूदियों और ईसाइयों को जज़ीर-ए-अरब से निकाल देने का बयान	456
बाब 25 सज़्द-ए-शुक्र का बयान	441	बाब 44 रसूलुल्लाह(ﷺ) के तरका का बयान	457
बाब 26 औरत और गुलाम अगर किसी को अमान दे दें	442	बाब 45 नबी(ﷺ) ने फतहे मक्का के दिन फ़रमाया था कि आज के बाद इस शहर में जिहाद नहीं किया जाएगा	459
बाब 27 अहद शिकनी का बयान	443	बाब 46 वह घड़ी जिसमें किताल करना मुस्तहब है	460
बाब 28 क़यामत के दिन हर अहद शिकन का झंडा होगा	443	बाब 47 नुहूसत और फाल का बयान	461
		बाब 48 किताल के बारे में नबी(ﷺ) की वसीयत	462

मज़बून नम्बर 20	466	बाब 19 अल्लाह से शहादत का सवाल करने वाला	486
रसूलुल्लाह (ﷺ) से मर्ती जिहाद के फ़ज़ाइल	466	बाब 20 मुजाहिद निकाह करने वाले और	
बाब 1 जिहाद की फ़ज़ीलत	466	मुकातब गुलाम की अल्लाह तआला	487
बाब 2 जिहाद करते हुए मरने वाले की फ़ज़ीलत	467	मदद करता है	
बाब 3 जिहाद के दौरान रोज़ा रखने की फ़ज़ीलत	468	बाब 21 अल्लाह के रास्ते में ज़ख्मी होने वाला	487
बाब 4 अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की फ़ज़ीलत	469	बाब 22 कौन सा अमल ज़्यादा फ़ज़ीलत वाला है?	488
बाब 5 अल्लाह के रास्ते में ख़िदमत करने की	470	बाब 23 जन्नत के दरवाज़े तलवारों के साए तले हैं	489
फ़ज़ीलत		बाब 24 कौनसा आदमी अफ़ज़ल है?	489
बाब 6 जो शख्स किसी मुजाहिद को तैयार करता है	471	बाब 25 शहीद का सवाब	490
बाब 7 जिसके पाँव को अल्लाह के रास्ते में गर्दों	472	बाब 26 जिहाद के लिए तैयारी रखने वाले की	491
गुबार लगे उसकी फ़ज़ीलत		फ़ज़ीलत	
बाब 8 अल्लाह के रास्ते में गर्द की फ़ज़ीलत	473	मज़बून नम्बर 21	496
बाब 9 जो शख्स अल्लाह के रास्ते में बूढ़ा हो जाए	473	रसूलुल्लाह (ﷺ) से मर्ती जिहाद के फ़ज़ाइल	496
उसकी फ़ज़ीलत		बाब 1 माज़ूर अफ़राद को जिहाद करने की	496
बाब 10 जो शख्स अल्लाह के रास्ते में घोड़ा बांधे	474	रुख़सत है	
बाब 11 अल्लाह के रास्ते में तीर अंदाजी करने की	475	बाब 2 जो शख्स अपने मां बाप को छोड़ कर	497
फ़ज़ीलत		जिहाद पर निकल जाए	
बाब 12 अल्लाह के रास्ते में पहरेदारी करने की	476	बाब 3 एक आदमी को अकेले लश्कर पर अमीर	497
फ़ज़ीलत		बना कर भेजना	
बाब 13 शोहदा का सवाब	477	बाब 4 आदमी के अकेले सफ़र करने की कराहत	498
बाब 14 अल्लाह के यहाँ शोहदा की फ़ज़ीलत	479	बाब 5 जंग में झूट बोलने और धोका देने की	499
बाब 15 समुंद्री जहाज़ का बयान	480	इजाज़त है	
बाब 16 जो शख्स दिखलावे और दुनिया के लिए	482	बाब 6 नबी (ﷺ) के ग़ज़वात और आप ने कितने	500
लड़ाई (जिहाद) करता है		ग़ज़वात किए?	
बाब 17 जिहाद में सुबह और शाम चलने की	483	बाब 7 लड़ाई के वक़्त सफ़बंदी और लश्कर की	500
फ़ज़ीलत		तर्तीब	
बाब 18 कौन लोग बेहतर हैं?	485	बाब 8 लड़ाई के वक़्त दुआ करना	501

बाब 9 लश्कर के छोटे झंडों का बयान	501	बाब 31 आदमी के बालिश होने की उम्र और	518
बाब 10 बड़े झंडों का बयान	502	उसका वजीफा कब मुकर्रर किया जाए?	
बाब 11 शिअर का बयान	503	बाब 32 जो शहीद हो जाए और उस पर कर्ज़ हो	519
बाब 12 रसूलुल्लाह(ﷺ) की तलवार कैसी थी?	503	बाब 33 शोहदा की तद्फ़ीन का बयान	520
बाब 13 लड़ाई के वक़्त रोज़ा इफ़्तार करना	504	बाब 34 मुशावरत का बयान	521
बाब 14 घबराहट के वक़्त बाहर निकलना	504	बाब 35 काफ़िर की लाश का फिद्या न लिया जाए	521
बाब 15 लड़ाई के वक़्त साबित क़दम रहना	506	बाब 36 मैदाने जंग से भागना	522
बाब 16 तलवार में जेवरात का इस्तेमाल करना	507	बाब 37 शहीद को मैदाने जिहाद में ही दफ़न	522
बाब 17 ज़िरह का बयान	508	किया जाए	
बाब 18 खूद (लोहे की टोपी) का बयान	508	बाब 38 आने वाले का इस्तिकबाल	523
बाब 19 जंगी घोड़ों की फ़ज़ीलत	509	बाब 39 माले फ़ै का बयान	523
बाब 20 किन घोड़ों को पसंद किया गया है	509	मजबूज नब्बट 22	525
बाब 21 नापसंदीदा घोड़ों का बयान	511	रसूलुल्लाह(ﷺ) से मर्वी लिबास	525
बाब 22 इनाम मुकर्रर कर के घोड़ों का मुकाबला	511	के अहकामो-मसाइल	
करवाना		बाब 1 रेशम और सोने का इस्तेमाल	525
बाब 23 घोड़ों पर गधों को छोड़ना मकरूह है	512	बाब 2 जंग में रेशम पहनने की इजाज़त है	526
बाब 24 मुफ़्लिस मुसलमानों के साथ फ़तह तलब	513	बाब 4 मर्दों को सुर्ख कपड़े पहनने की इजाज़त है	527
करना		बाब 5 मर्दों को अस्फ़र से रंगे कपड़े पहनना	528
बाब 25 घोड़ों की गर्दनों में घंटियाँ बाँधना मना है	513	मकरूह (नापसंदीदा) है	
बाब 26 जंग में किसे अमीर बनाया जाए?	514	बाब 6 पोस्तीन पहनना	528
बाब 27 हाकिम (इमाम) का बयान	515	बाब 7 मुर्दार की खाल को जब रंग दिया जाए	529
बाब 28 इमाम की इताअत का बयान	516	बाब 8 तहबन्द को टखनों से नीचे लटकाना मना है	531
बाब 29 ख़ालिफ़ की नाफ़रमानी करके मख़लूक	516	बाब 9 औरतों का कपड़ों के दामन को लटकाना	532
की फर्माबदारी नहीं हो सकती		बाब 10 ऊन का लिबास पहनना	533
बाब 30 जानवरों को लड़ाना और उनके चेहरे पर	517	बाब 11 सियाह पगड़ी का बयान	534
मारना और दाग देना मना है		बाब 12 अमामा को दोनों कन्धों के दर्मियान	534
बाब 31 इसी से मुताह्लिक़ बयान	518	लटकाना	

बाब 13 सोने की अंगूठी (मर्दों के लिए) मना है	535	बाब 37 जूता पहनते वक़्त किस पाँव में पहले पहने?	553
बाब 14 चांदी की अंगूठी	536	बाब 38 कपड़े को पेवंद लगाना	554
बाब 15 अंगूठी के लिए कैसा नगीना पसंद किया गया है	536	बाब 39 नबी(ﷺ) का मक्का में दाखिल होना	554
बाब 16 अंगूठी दायें हाथ में पहनी जाए	536	बाब 40 सहाबा (رضي الله عنهم) की टोपियाँ कैसी थीं?	555
बाब 17 अंगूठी के नक्श का बयान	538	बाब 41 तहबन्द कहाँ तक हो?	555
बाब 18 तसावीर का बयान	539	बाब 42 टोपियों पर फगड़ियाँ बाँधना	556
बाब 19 तस्वीर बनाने वाले	540	बाब 43 लोहे की अंगूठी	556
बाब 20 बालों को रंगना	541	बाब 44 दो उँगलियों में अंगूठियाँ पहनना मना है	557
बाब 21 लम्बे बाल रखना	542	बाब 45 रसूलुल्लाह(ﷺ) को कौन से कपड़े ज्यादा पसंद थे?	558
बाब 22 रोजाना कंधी करना मना है	543	मज्जामून नम्बर 23	559
बाब 23 सुरमा लगाना	543	रसूलुल्लाह(ﷺ) से मर्तों खानों के अहकाम व मसाइल	559
बाब 24 इश्तिमाले सम्मा और एक कपड़े में अपने आप को लपेटना मना है	544	बाब 1 नबी(ﷺ) किस चीज़ पर रखकर खाते थे?	559
बाब 25 मस्नूई बाल लगवाने वाली औरत	544	बाब 2 खरगोश खाना	560
बाब 26 जीन पोश का बयान	545	बाब 3 ज़ब्ब(सांडा) खाने का बयान	560
बाब 27 नबी(ﷺ) का बिस्तर	545	बाब 4 लगड़बघ्घा (Hayna) खाने का बयान	561
बाब 28 क़मीसों का बयान	546	बाब 5 घोड़ों का गोश्त खाना	562
बाब 29 कपड़ा पहनने की दुआ	548	बाब 6 पालतू गधों का गोश्त	563
बाब 30 जुब्बा और मोज़े पहनना	548	बाब 7 कुफ़्फ़ार के बर्तनों में खाना खाने का बयान	564
बाब 31 सोने के दांत लगवाना	549	बाब 8 अगर चूहा घी में गिर कर मर जाए	565
बाब 32 दरिदों के चमड़ों का इस्तेमाल	550	बाब 9 बाएं हाथ से खाने पीने की मनाही	566
बाब 33 नबी(ﷺ) के जूते का बयान	551	बाब 10 खाने के बाद उंगलियाँ चाटना	567
बाब 34 एक जूते में चलने की कराहत	551	बाब 11 अगर कोई लुकमा गिर जाए	568
बाब 35 खड़े होकर जूता पहनने की कराहत	552	बाब 12 खाने के दरमियान से खाना मना है	569
बाब 36 एक जूते में चलने की रुख़सत है	553		

बाब 13 लहसुन और प्याज़ (कच्ची हालत में) खाने की कराहत	569	बाब 33 नबी(ﷺ) की तरफ़ से छुरी के साथ गोशत काट कर खाने की रखसत भी है	584
बाब 14 लहसुन को पका कर खाना जायज़ है	570	बाब 34 रसूलुल्लाह(ﷺ) को कौन सा गोशत ज़्यादा पसंद था?	584
बाब 15 सोने के वक्रत बर्तनों को ढांपना नीज़ चिराग़ और आग को बुझा देना	572	बाब 35 सिकें का बयान	585
बाब 16 दो खुजूरें मिला कर खाना मकरूह (नापसंदीदा) है	573	बाब 36 ख़रबूजा और खुजूर इकट्ठे खाना	587
बाब 17 खुजूर का इस्तेहबाब	573	बाब 37 खुजूर के साथ खीरे खाना	588
बाब 18 खाने से फ़ारिग़ हो कर अल्लाह का शुक्र करना	574	बाब 38 ऊंटों का पेशाब पीना	588
बाब 19 कोढ़ ज़दा शख्स के साथ मिलकर खाना	574	बाब 39 खाना खाने से पहले और बाद में वुजू करना	589
बाब 20 मोमिन एक आंत में जबकि काफ़िर सात आँतों में खाता है	575	बाब 40 खाने से पहले वुजू करना	589
बाब 21 एक आदमी का खाना दो आदमियों को पूरा आ जाता है	576	बाब 41 खाने के दौरान बिस्मिल्लाह कहना	590
बाब 22 टिड्डी खाने का बयान	577	बाब 42 कद्दू खाना	591
बाब 23 टिड्डियों पर बहुआ का बयान	578	बाब 43 जैतून का तेल खाना	592
बाब 24 नजासत खोर (गंदगी खाने वाले) जानवरों का गोशत और दूध	578	बाब 44 गुलाम और अहलो अयाल के साथ मिलकर खाना	593
बाब 25 मुर्गी खाने का बयान	579	बाब 45 खाना खिलाने की फ़ज़ीलत	594
बाब 26 हुबारा का गोशत खाना	580	बाब 46 रात के खाने की फ़ज़ीलत	594
बाब 27 भुना हुआ गोशत खाना	580	बाब 47 खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना	595
बाब 28 टेक लगा कर खाने की कराहत	581	बाब 48 चिकनाई की बू हाथ में हो तो रात बसर करना मकरूह है	596
बाब 29 नबी(ﷺ) को मीठी चीज़ और शहद पसंद था	581	मज़मूज नम्बर 24	598
बाब 30 शोरबा ज़्यादा करना	582	रसूलुल्लाह(ﷺ) से मर्वा मशरूबात (पीने की चीज़ों) के अहकाम व मसाइल	598
बाब 31 सरीद की फ़ज़ीलत	583	बाब 1 शराब पीने वाला	598
बाब 32 गोशत को दांतों से नोच कर खाओ	583	बाब 2 हर नशा आवर (नशा लाने वाली) चीज़ हराम है	600

बाब 3 जिस चीज़ की ज़्यादा मित्रदार नशा करे उसकी थोड़ी मित्रदार (मात्रा) भी हराम है	601
बाब 4 घड़ों में नबीज़ बनाना	602
बाब 5 दुब्बा, नक़ीर और हन्तम में नबीज़ बनाना मना है	602
बाब 6 हर किसिम के बर्तनों में नबीज़ बनाने की रुख़सत	604
बाब 7 मश्कीज़ों में नबीज़ बनाना	605
बाब 8 वह दाने जिन से शराब बनाई जाती थीं	606
बाब 9 नीम (आधा) पुख़्ता और पुख़्ता खुजूर मिला कर नबीज़ बनाना	607
बाब 10 सोने और चांदी के बर्तनों में पीना मना है	608
बाब 11 खड़े होकर पानी पीने की मुमानअत	609
बाब 12 खड़े होकर पीने की रुख़सत	609
बाब 13 बर्तन में साँस लेना	610
बाब 14 दो साँसों में पीना	611
बाब 15 मशरूब (खाने-पीने की चीज़ों) में फूँक मारने की कराहत (नापसंदीदगी)	612
बाब 16 बर्तन में साँस लेना मना है	613
बाब 17 मश्कीज़ों का मुंह उलट कर पानी पीना मना है	613
बाब 18 इस चीज़ की इजाज़त	613
बाब 19 दायें जानिब वाले पहले पीने के ज़्यादा हक़दार हैं	614
बाब 20 लोगों को पिलाने वाला आखिर में पिए	615
बाब 21 रसूलुल्लाह(ﷺ) को कौनसा मशरूब (पीने की चीज़) सबसे ज़्यादा पसंद था?	615

रसूलुल्लाह(ﷺ) से गर्वी नेकी और

सिला रहमी के फ़वाइद व मसाइल

बाब 1 वालिदैन के साथ नेकी करना	617
बाब 2 उसी के मुताल्लिक	618
बाब 3 वालिदैन को राजी रखने की फ़ज़ीलत	618
बाब 4 वालिदैन की नाफ़रमानी	620
बाब 5 बाप के दोस्त का एहताराम करना	621
बाब 6 खाला से हुस्ने सुलूक करना	621
बाब 7 वालिदैन की बहुआ का बयान	622
बाब 8 वालिदैन का हक़	622
बाब 9 रिश्तेदारी को तोड़ना	623
बाब 10 रिश्तेदारी को मिलाना	624
बाब 11 बाप की अपने बेटे से मुहब्बत	624
बाब 12 औलाद पर शपक़त करना	625
बाब 13 बेटियों और बहनों पर ख़र्च करना	626
बाब 14 यतीम पर शपक़त और उसकी किफ़ालत करना	628
बाब 15 बच्चों पर शपक़त करना	629
बाब 16 लोगों पर नर्मी व शपक़त करना	630
बाब 17 ख़ैर ख़वाही करना	632
बाब 18 एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर शपक़त करना	632
बाब 19 मुसलमानों के ऐब छिपाना	634
बाब 20 मुसलमान की इज़ज़त का दिफ़ा करना	634
बाब 21 मुसलमान से बोल चाल ख़त्म करना मना है	635

बाब 22 मुसलमान भाई की गम खवारी करना	635	बाब 44 बेवाओं और यतीमों की क़िफालत करना	653
बाब 23 गीबत का बयान	637	बाब 45 खन्दा पेशानी और हश्शाश बश्शाश चेहरे से मिलना	654
बाब 24 हसद का बयान	637	बाब 46 सच और झूठ का बयान	654
बाब 25 एक दूसरे से नफ़रत करना	638	बाब 47 बेहयाई और बद कलामी का बयान	656
बाब 26 झगड़ों में सुलह करवाना	639	बाब 48 लानत का बयान	657
बाब 27 खयानत और धोका	640	बाब 49 नसब सीखना	658
बाब 28 पड़ोसी (हमसायगी) का हक़	640	बाब 50 अपने भाई की रैर मौजूदगी में उसके लिए दुआ करना	658
बाब 29 खादिमों के साथ एहसान का मामला करना	642	बाब 51 गाली का बयान	659
बाब 30 खादिमों को मारना और गाली देना मना है	643	बाब 52 मुसलमान को गाली देना फ़िस्क और इससे लड़ना कुफ़्र है।	660
बाब 31 खादिम को माफ़ करना	644	बाब 53 अच्छी बात कहना	660
बाब 32 खादिम को अदब सिखाना	644	बाब 54 नेक गुलाम की फ़ज़ीलत	661
बाब 33 औलाद को अदब सिखाना	645	बाब 55 लोगों के साथ अच्छे तरीक़े से बर्ताव करना	662
बाब 34 तोहफा कुबूल करना और उसका बदला देना	646	बाब 56 बदगुमानी का बयान	663
बाब 35 जो शरख्स आप के साथ नेकी करे उसका शुक्रिया अदा करना	646	बाब 57 खुश तबई (मिजाज) का बयान	663
बाब 36 नेकी के काम	647	बाब 58 झगड़े का बयान	665
बाब 37 किसी को इस्तेमाल के लिए कोई चीज़ देना	648	बाब 59 हुस्ने सुलूक से पेश आना	666
बाब 38 रास्ते से तकलीफ़देह चीज़ को हटाना	648	बाब 60 मोहब्बत और नफ़रत में म्याना रबी होनी चाहिए	667
बाब 39 मजालिस (की बातें) अमानत हैं	649	बाब 61 तकब्बुर का बयान	667
बाब 40 सबावत का बयान	649	बाब 62 अच्छे अख़्लाक़ का बयान	669
बाब 41 बुख्त (कंजूसी) का बयान	650	बाब 63 एहसान व नेकी और माफ़ करना	671
बाब 42 अहलो अयाल पर ख़र्च करना	651	बाब 64 भाइयों से मुलाकात करना	672
बाब 43 मेहमान नवाजी और मेहमान नवाजी कितनी होनी चाहिए?	652		

बाब 65 हया का बयान	673
बाब 66 तहम्मूल मिजाजी (बुर्दबारी) और जल्दबाजी का बयान	673
बाब 67 नमी का बयान	674
बाब 68 मज़लूम की बहुआ का बयान	675
बाब 69 नबी (ﷺ) का अखलाक	675
बाब 70 किसी के साथ अच्छा वक्त गुज़रना	677
बाब 71 आला अखलाक का बयान	677
बाब 72 लअन तअन करना	678
बाब 73 ज्यादा गुस्से का बयान	678
बाब 74 गुस्से को ज़ब्त करना	679
बाब 75 बड़ों की इज़ज़त करना	679
बाब 76 एक दूसरे से मुलाक़ात करने वाले दो आदमी	680
बाब 77 सन्न का बयान	680
बाब 78 दोगला आदमी	681
बाब 79 चुगल खोरी का बयान	682
बाब 80 सोच समझ कर बात करना	682
बाब 81 कुछ बयान जादू होते हैं	683
बाब 82 आजिज़ी का बयान	683
बाब 83 जुल्म का बयान	684
बाब 84 नेअमत में ऐब न निकाला जाए	684
बाब 85 मोमिन की ताजीम करना	684
बाब 86 तजर्बा का बयान	685
बाब 87 जो चीज़ मिली न हो उसका इज़हार करना	686
बाब 88 नेकी पर दुआ देना	686

मज़मून नम्बर 8

أَبْوَابُ الْجَنَائِزِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رسूलुल्लाह (ﷺ) से मर्गी जनाजा के अहकाम व मसाइल

तआलफ़

- मौत के वक़्त कैसी कैफ़ियत होती है.
- मय्यत के क्या हुक्क हैं?
- तजहीज़ व तक्फ़ीन कैसे की जाए?
- अज़ाबे क़ब्र का इस्बात। (क़ब्र में अज़ाब का होना साबित है)

1 - बीमारी का सवाब.

965 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “ मोमिन को एक कांटे⁽¹⁾ या इस से भी कम तकलीफ़ पहुंचती है तो अल्लाह तआला उसके साथ एक दर्जा बलंद करते हैं और उसकी वजह से एक गुनाह मिटा देते हैं। ”

(965) बुख़ारी:5640.मुस्लिम:2572.

तौज़ीह: (1) काँटा, सख़ती, तकलीफ़, (अल्कामूसुल वहीद :पृ. 899)

वज़ाहत: इस मसले में साद बिन अबी वक्कास, अबू उबैदा बिन ज़र्राह, अबू हुरैरा, अबू उमामा, अबू सईद, अनस, अब्दुल्लाह बिन अम्र, असद बिन कुर्ज़, जाबिर बिन अब्दुल्लाह, अब्दुर्रहमान बिन अज़हर और अबू मूसा (رضي الله عنه) से भी रिवायात मर्गी हैं।

इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: आयशा (رضي الله عنها) की हदीस हसन सहीह है।

1 بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ الْمَرِيضِ

965 - حَدَّثَنَا هَنَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا، إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ.

966 - सय्यदना अबू सईद अल-खुदरी (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “मोमिन को कोई थकावट, ग़म, बीमारी पहुंचे, यहाँ तक कि फ़िक्र भी जो उसे लाहिक़ होती है तो अल्लाह तआला उसकी वजह से उसकी बुराइयों को ख़त्म कर देते हैं।

बुखारी:5642. मुस्लिम:2573.

966 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ شَيْءٍ يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ نَصَبٍ، وَلَا حَزَنٍ، وَلَا وَصَبٍ حَتَّىٰ اللَّهُ يَهْتُمَّهُ إِلَّا يُكَفِّرَ اللَّهُ بِهِ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ.

तौज़ीह: **نصب:** तकलीफ़ और दर्द जिसका तालुक़ बदन में ज़ख़म वगैरह या तकलीफ़ की वजह से होता है। **وَصَب:** थकावट या दायमी बीमारी की वजह से ज़िस्म में गिरानी आ जाना।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: इस बाब में यह हदीस हसन है। जारूद कहते हैं: वकीअ फ़रमाते हैं कि मैंने सिर्फ़ इस हदीस में सुना है कि फ़िक्र भी गुनाहों का कफ़ारा है।

नीज बाज़ रावियों ने यह हदीस अता बिन यसार से बवास्ता अबू हुरैरा (رضي الله عنه) नबी करीम (ﷺ) से रिवायत की है।

2 - मरीज़ की बीमारपुर्सी करना.

967 - सय्यदना सौबान (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “मुसलमान जब तक अपने मुसलमान भाई की तीमारदारी करता है तो वह जन्नत के फल तोड़ने में मसरूफ़ रहता है।

मुस्लिम: 2568. मुसनद अहमद:5/275. इब्ने अबी शैबा:3/233.

2 بَابُ مَا جَاءَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ

967 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحْبِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِي حُرْفَةِ الْجَنَّةِ.

तौज़ीह: **حرفة:** फल तोड़ना, फलों को चुनना, अच्छे अच्छे मेवे उतारना।

वज़ाहत: इस मसले में अली, अबू मूसा, बरा, अबू हुरैरा, अनस और जाबिर (رضي الله عنه) से भी रिवायात मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (रह. फ. क.) फ़रमाते हैं: सौबान (रह. फ. क.) की हदीस हसन सहीह है। अबू गिफ़ार और आसिम अल-अहवल ने यह हदीस अबू किलाबा से उन्होंने अबुल अशअस से बवास्ता अबू अस्मा सौबान (रह. फ. क.) से उन्होंने नबी (रह. फ. क.) इसी तरह रिवायत की है।

अबू ईसा तिर्मिज़ी (रह. फ. क.) फ़रमाते हैं: मैंने मोहम्मद (बिन इस्माईल बुखारी रह. फ. क.) को फ़रमाते हुए सुना जो इस हदीस को अबुल अशअस से बवास्ता अबू अस्मा रिवायत करता है वह ज़्यादा सहीह है।

नीज मुहम्मद फ़रमाते हैं: अबू किलाबा की अहादीस मेरे नज़दीक इस हदीस के अलावा अबू अस्मा से मर्वी हैं। यह मेरे नज़दीक अबुल अशअस के वास्ते के साथ अबू अस्मा से मर्वी है।

968 - अबू अस्मा (रह. फ. क.) बवास्ता सौबान (रह. फ. क.) नबी (रह. फ. क.) से इस तरह ही बयान करते हैं और इसमें यह अल्फ़ाज़ ज़्यादा हैं कि कहा गया: खिफ़तुल जन्ना का क्या मतलब है? उन्होंने फ़रमाया, “उस के फल तोड़ना।”

(968) सहीह; मुस्लिम: 2568.

968 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَزِيرِ الْوَاسِطِيِّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْنَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ، وَزَادَ فِيهِ: قِيلَ: مَا حُرْفَةُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: جَنَاهَا.

बज़ाहत: अबू मूसा कहते हैं: हमें अहमद बिन अब्दा अज़्ज़बी ने (वह कहते हैं) हमें हम्माद बिन ज़ैद ने अय्यूब से (उन्हें) अबू किलाबा ने अबू अस्मा से बवास्ता सौबान (रह. फ. क.) नबी (रह. फ. क.) से ख़ालिद की बयान कर्दा हदीस की तरह हदीस रिवायत की है और इसमें अबुल अशअस का ज़िक्र नहीं है।

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: बाज़ ने यह हदीस हम्माद बिन ज़ैद से रिवायत की है तो उसे मर्फूअ ज़िक्र किया।

969 - सुवैर बिन अबू फ़ाख़िता अपने बाप से रिवायत करते हैं कि अली (रह. फ. क.) ने मेरा हाथ पकड़ कर कहा: हमारे साथ चलो हम हसन की इयादत करें, तो हमने वहाँ अबू मूसा को पाया तो अली (रह. फ. क.) ने कहा: ऐ अबू मूसा! आप बीमारपुसी करने के लिए आए या मिलने के लिए? उन्होंने कहा: बीमारपुसी करने। तो अली (रह. फ. क.) ने फ़रमाया, “मैंने रसूलुल्लाह (रह. फ. क.) को

969 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ ثَوْبَرٍ هُوَ ابْنُ أَبِي فَاخْتَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَخَذَ عَلِيٌّ بِيَدِي، قَالَ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى الْحَسَنِ نَعُوذُ، فَوَجَدْنَا عِنْدَهُ أَبَا مُوسَى، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَعَائِدًا جِئْتَ يَا أَبَا مُوسَى أَمْ زَائِرًا؟ فَقَالَ: لَا

फ़रमाते हुए सुना, "जो शख्स सुबह के वक़्त किसी मुसलमान की इयादत करता है तो शाम तक सत्तर हज़ार फ़रिश्ते उसके लिए दुआएँ रहमत करते हैं और अगर शाम को इयादत करता है तो सुबह तक सत्तर हज़ार फ़रिश्ते उसके लिए रहमत की दुआ करते हैं और उसके लिए (इयादत की वजह से) जन्नत में एक बाग़ होगा।

सहीह: अबू दाऊद: 3098. इब्ने माजा: 1442.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब हसन है। नीज अली (रज़ी) से कई तुरुक (सनदों) के साथ मर्वाँ है कुछ रावी ऐसे भी हैं जिन्होंने मर्फूअ की बजाये मौकूफ़ रिवायत की है। अबू फ़ाख़िता का नाम सईद बिन इलाका है।

بَلْ عَائِدًا، فَقَالَ عَلِيٌّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِمًا غُدْوَةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُسَيِّ، وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ.

3 - मौत की ख्वाहिश करना मना है।

970 - हारिसा बिन मुज़रिब (رضي الله عنه) कहते हैं कि मैं सय्यदना खब्बाब (رضي الله عنه) के पास गया उनके पेट को दागा (1) गया था उन्होंने फ़रमाया, "मैं नबी (ﷺ) के सहाबा में से किसी को नहीं जानता जिसे इस क़दर आजमाइशें आती हों जितनी मुझे आती हैं, यकीनन नबी (ﷺ) के दौर में मेरे पास एक दिरहम भी नहीं होता था और आज मेरे घर के कोने में चालीस हज़ार हैं और अगर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें मौत की आरज़ू करने से मना ना किया होता तो मैं आरज़ू करता।

बुख़ारी: 5672. मुस्लिम: 2671. इब्ने माजा: 4163. निसाई: 1823.

3 بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّعَيُّنِ لِلْمَوْتِ

970 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ خَارِثَةَ بْنِ مُضَرَّبٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى خَبَّابٍ وَقَدْ اِكْتَوَى فِي بَطْنِهِ، فَقَالَ: مَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَقِيتُ، لَقَدْ كُنْتُ وَمَا أُجِدُ دِرْهَمًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي نَاحِيَةٍ مِنْ بَيْتِي أُرْبَعُونَ أَلْفًا، وَلَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَوْ نَهَى أَنْ نَتَمَنَّى الْمَوْتَ لَتَمَنَيْتُ.

तौज़ीह: (1) यह एक क्रिस्म का इलाज है जिसमें बीमारी से प्रभावित जगह को आग से किसी लोहे की चीज़ को गर्म कर के ज़िस्म दागा जाता है।

वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरैरा, अनस और जाबिर (رضي الله عنه) से भी रिवायात मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: खब्बाब (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। नीज अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) से मर्वी है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “किसी आने वाली तकलीफ़ की वजह से कोई शख्स मौत की तमन्ना हरगिज़ ना करे बल्कि यह कहे: ऐ अल्लाह! जब तक मेरे लिये ज़िंदगी बेहतर है मुझे ज़िंदा रख और जब वफ़ात मेरे लिए बेहतर हो तो मुझे फ़ौत करना।”

971 - (अबू ईसा (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: हमें अली बिन हुज़ ने इस्माइल बिन इब्राहीम से बवास्ता अब्दुल अज़ीज़ बिन सुहैब सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) से नबी (ﷺ) की यह (ऊपर बयान की गई) हदीस बयान की।

बुखारी:5671. मुस्लिम:2670. अबू दाऊद: 3108 इब्ने माजा:4265 निसाई:1822, 1820

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

971 - حَدَّثَنَا بِذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ.

4 - मरीज़ के लिए पनाह मांगना.

972 - सय्यदना अबू सईद (رضي الله عنه) से रिवायत है कि जिब्रील (عليه السلام) नबी (ﷺ) के पास आकर कहने लगे: ऐ मुहम्मद! क्या आप बीमार हैं? आप ने फ़रमाया, “हाँ” उन्होंने कहा: ‘अल्लाह के नाम के साथ मैं आपको दम करता हूँ हर उस चीज़ से जो आपको तकलीफ़ देती है, हर हसद करने वाले नफ़्स और आँख के शर से अल्लाह के नाम के साथ आपको दम करता हूँ और अल्लाह आपको शिफा देगा।

मुस्लिम:2186. इब्ने माजा: 3523.

4 بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّعَوُّدِ لِلْمَرِيضِ

972 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الْبَصْرِيُّ الصَّوْفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ جِبْرِيلَ أتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ اشْتَكَيْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ، وَعَيْنٍ حَاسِدَةٍ، بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ وَاللَّهُ يَشْفِيكَ.

973 - अब्दुल अज़ीज़ बिन सुहैब (رضی اللہ عنہ) कहते हैं मैं और साबित बुनानी (رضی اللہ عنہ) सय्यदना अनस बिन मालिक (رضی اللہ عنہ) के पास गए तो साबित ने कहा: ऐ अबू हम्ज़ा मैं बीमार हूँ, तो अनस (رضی اللہ عنہ) ने फ़रमाया, “क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह(ﷺ) के दम के साथ दम न करूँ? उन्होंने कहा: “ऐ अल्लाह लोगों के रब! बीमारी को दूर करने वाले तू शिफा दे तू ही शिफा देने वाला है। नहीं कोई शिफा देने वाला मगर तू ही, ऐसी शिफा दे जो कोई बीमारी ना छोड़े।

5742. अबू दाऊद: 3890 मुसनद अहमद: 3/ 151

वज़ाहत: इस मसले में अनस और आयशा (رضی اللہ عنہ) से भी रिवायात मर्वी हैं, इमाम तिर्मिजी फ़रमाते हैं: अबू सईद (رضی اللہ عنह) की हदीस हसन सहीह है। नीज फ़रमाते हैं: मैंने अबू ज़रआ से इस हदीस के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा: क्या अब्दुल अज़ीज़ की बवास्ता अबू नजरह, अबू सईद (رضی اللہ عنह) से ली गई ज़्यादा सहीह है या अब्दुल अज़ीज़ की अनस (رضی اللہ عنह) से? उन्होंने फ़रमाया, दोनों ही सहीह हैं।

अबू ईसा (رضی اللہ عنह) फ़रमाते हैं: हमें अब्दुस्समद बिन अब्दुल वारिस ने अपने बाप से उन्होंने अब्दुल अज़ीज़ बिन सुहैब से बवास्ता अबू नजरह, सय्यदना अबू सईद (رضی اللہ عنह) से भी और अब्दुल अज़ीज़ बिन सुहैब के वास्ते के साथ अनस (رضی اللہ عنह) से भी हदीस बयान की।

5 - वसीयत करने की तर्गीब.

974 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, “मुसलमान आदमी पर ज़रूरी है कि अगर उसके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसमें वसीयत कर सकता है तो वह दो रातें भी गुज़ारे तो उसकी वसीयत उसके पास लिखी होनी चाहिए।

बुखारी: 2738. मुस्लिम: 1627. अबू दाऊद: 2862. इब्ने माजा: 2699. निसाई: 3615.

973 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَثَابِتٌ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فَقَالَ ثَابِتٌ: يَا أَبَا حَمْرَةَ اشْتَكَيْتُ، فَقَالَ أَنَسٌ: أَفَلَا أُرْقِيكَ بِرُقِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، مُدْهِبِ النَّاسِ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ، شِفَاءً لَا يُعَادِرُ سَقَمًا.

5 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَثِّ عَلَى الْوَصِيَّةِ

974 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) قَالَ: مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بَيْتٍ لِيَلْتِنِي وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अबी औफा (رضی اللہ عنہ) से भी हदीस मर्वी है, इमाम तिर्मिजी फ़रमाते हैं: इब्ने उमर (رضی اللہ عنہ) की हदीस हसन सहीह है।

6-तिहाई और चौथे हिस्से की वसीयत हो सकती है

975 - सय्यदना साद बिन मालिक (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि मैं बीमार था रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मेरी इयादत की तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, "क्या तुमने वसीयत कर दी है? मैंने कहा: "जी हाँ" आप (ﷺ) ने फ़रमाया; "कितने (माल) की? मैंने कहा: "अपने सारे माल को अल्लाह के रास्ते में देने की" आप (ﷺ) ने फ़रमाया, "तुमने अपनी औलाद के लिए क्या छोड़ा है? मैंने कहा: वह माल के साथ गनी हैं। " आप (ﷺ) ने फ़रमाया, "दस्वें हिस्से की वसीयत करो। " रावी कहते हैं: "मैं आप से कमी का कहता रहा, यहाँ तक कि आप ने फ़रमाया, " तिहाई हिस्से की वसीयत करो और तिहाई भी ज़्यादा है। अबू अब्दुरहमान कहते हैं: हम इस बात को मुस्तहब समझते हैं कि तीसरे हिस्से से भी कम हो क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया था: तीसरा भी ज़्यादा है।

बुखारी:1295.मुस्लिम:1628. अबू दाऊद: 2864. इब्ने माजा:2708. निसाई:3626- 3628.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिजी फ़रमाते हैं: सईद (رضی اللہ عنہ) की हदीस हसन सहीह है। और कई तुरुक (सनदों) से मर्वी है। उनसे कबीर का लफ़्ज़ भी रिवायत किया गया है। और कसीर का भी।

नीज अहले इल्म इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि आदमी तिहाई हिस्से से ज़्यादा वसीयत न करे और तिहाई से कम करने को मुस्तहब कहते हैं।

6 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ

975 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ: عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَرِيضٌ، فَقَالَ: أَوْصَيْتَ؟، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: بِكُمْ؟، قُلْتُ: بِمَالِي كُلِّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ: فَمَا تَرَكْتَ لِوَلَدِكَ؟، قُلْتُ: هُمْ أَغْنِيَاءُ بِخَيْرٍ، قَالَ: أَوْصِ بِالْعَشْرِ، فَمَا زِلْتُ أَنْاقِصُهُ حَتَّى قَالَ: أَوْصِ بِالثُّلُثِ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ. قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَنَحْنُ نَسْتَحِبُّ أَنْ يَتَّقَصَّ مِنَ الثُّلُثِ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ.

सुफ़ियान सौरी कहते हैं उलमा वसियत में चौथे से कम पांचवें हिस्से की और तिहाई से कम चौथे हिस्से की वसीयत को मुस्तहब कहते हैं और जिसने तिहाई की वसीयत की उसने (वारिसीन के लिए) कुछ नहीं छोड़ा और तिहाई तक ही वसीयत जायज़ है।

7 - मौत के वक़्त मरीज को तलक़ीन करना और उसके पास उसके लिए दुआ करना.

7 بَابُ مَا جَاءَ فِي تَلْقِينِ الْمَرِيضِ عِنْدَ
الْمَوْتِ، وَالِدُّعَاءِ لَهُ عِنْدَهُ

976 - सय्यदना अबू सईद अल-खुदरी (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “अपने क़रीबुल मर्ग़ लोगों को لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ की तलक़ीन करो।”

मुस्लिम:916. अबू दाऊद: 3117. इब्ने माजा:1445.
निसाई:1826.

976 - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلْفٍ،
قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ
غَزِيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي
سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

वजाहत: तलक़ीन से मुराद यह है कि उसके पास यह कलिमा पढ़ा जाए ताकि वह भी पढ़ ले।

इस मसले में अबू हुरैरा, उम्मे सलमा, आयशा, जाबिर और सादी अल-मुरिय्या (رضي الله عنها) जो सय्यदना तल्हा बिन उबैदुल्लाह की बीवी हैं उन से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिजी फ़रमाते हैं: अबू सईद (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह ग़रीब है।

977 - सय्यदा उम्मे सलमा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हम से फ़रमाया, “जब तुम बीमार या मय्यत के पास जाओ तो भलाई की बात ही कहो, बेशक जो तुम कहते हो फ़रिश्ते उस पर आमीन कहते हैं।” कहती हैं: जब अबू सलमा फ़ौत हुए तो मैंने नबी (ﷺ) के पास जाकर अज़्र किया, ऐ अल्लाह के रसूल! अबू सलमा फ़ौत हो गए आप ने फ़रमाया, “तुम कहो ऐ अल्लाह मुझे और उन्हें बख़्श दे और मुझे उनकी जगह बेहतर

977 - حَدَّثَنَا هَنَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ،
عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ
قَالَتْ: قَالَ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيضَ أَوْ الْمَيِّتَ فَقُولُوا
خَيْرًا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ.
قَالَتْ: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا

शौहर अता कर। ” फ़रमाती हैं, मैंने दुआ की तो अल्लाह तआला ने मुझे उनसे बेहतर रसूलुल्लाह(ﷺ) बतौर शौहर अता कर दिए।

मुस्लिम:918. अबू दाऊद: 3115. इब्ने माजा:1447.निसाई:1825.

سَلَمَةُ مَاتَ، قَالَ: فَقَوْلِي: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلَهُ، وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عَقْبِي حَسَنَةً. قَالَتْ: فَقُلْتُ: فَأَعْقَبَنِي اللَّهُ مِنْهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

वज़ाहत: इमाम तिमिजी (رحمته) फ़रमाते हैं: शकीक अबू सलमा के बेटे हैं: (उन की कुनियत) अबू वाइल अल-असदी है। नीज फ़रमाते हैं: उम्मे सलमा की हदीस हसन सहीह है और मरीज़ को मौत के वक़्त **اللَّهُ إِلَّا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ** की तलक़ीन करना मुस्तहब है। बाज़ उलमा कहते हैं जब कोई एक मर्तबा यह कहे और (मरीज़) बात ना करे तो दोबारा तलक़ीन करना जायज़ नहीं है और ना ही इस मुआमले में बहुत इस्सर किया जाए, इब्ने मुबारक से मर्वी है कि जब उनकी वफ़ात का वक़्त आया तो एक आदमी उन्हें **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** की तलक़ीन करने लगा और बहुत ज़्यादा करने लगा तो अब्दुल्लाह ने उससे कहा जब मैंने एक मर्तबा कह दिया है तो मैं इसी पर कायम हूँ जब तक कोई और बात न करूँ और अब्दुल्लाह की बात का मतलब यह था। कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, “जिसकी आख़िरी बात **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** हुई वह जन्नत में दाख़िल हो गया।”

8 - मौत की सख़्ती का बयान.

978 - सख्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को वफ़ात के वक़्त देखा आपके पास एक प्याला था जिसमें पानी था आप अपना हाथ प्याले में दाख़िल करते फिर अपने चेहरे को पानी लगाते फिर फ़रमाते: “ऐ अल्लाह! मौत की सख़्तियों और बेहोशियों पर मेरी मदद फ़रमा।”

ज़ईफ़: इब्ने माजा:1623. इब्ने अबी शैबा:10/256. मुसनद अहमद:6/64.

8 بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ عِنْدَ الْمَوْتِ

978 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَرْجِسَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْمَوْتِ، وَعِنْدَهُ قَدْحٌ فِيهِ مَاءٌ، وَهُوَ يَدْخُلُ يَدَهُ فِي الْقَدْحِ، ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ أَوْ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ.

वज़ाहत: इमाम तिमिजी (رحمته) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है।

979 - आयशा (رضی اللہ عنہا) فرमाती हैं: मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की मौत की शिद्दत देखने के बाद किसी के लिए आसान मौत की आरजू नहीं करती।

बुखारी: 4446. निसाई: 1830.

979 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَرَّازُ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَشَّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْخَلْبِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا أَغْبَطُ أَحَدًا بِهَوْنِ مَوْتِ بَعْدَ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ شِدَّةِ مَوْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَسَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، وَقُلْتُ لَهُ: مَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْعَلَاءِ؟ فَقَالَ: هُوَ ابْنُ الْعَلَاءِ بْنِ اللَّجْلَاجِ، وَإِنَّمَا أَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته اللہ علیہ) فرमाते हैं: मैंने अबू ज़रआ से इस हदीस की सनद के बारे में पूछा, मैंने कहा, अब्दुरहमान बिन अला कौन है? तो उन्होंने फ़रमाया, "अला बिन लज्जाज का बेटा है और मैं भी सिर्फ इसी सनद से उसे जानता हूँ।

980 - सय्यदना अब्दुल्लाह (رضی اللہ عنہ) कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना: "बेशक मोमिन की जान पसीना बहने के साथ निकलती है और मैं गधे की तरह घरने को पसंद नहीं करता।" कहा गया: गधे की मौत क्या है? आप (ﷺ) ने फ़रमाया, "अचानक मौत।"

ज़ईफ़ जिद्दा: फ़ाज़िल मुहक्किज़ ने इस पर तख़रीज ज़िक्र नहीं की।

980 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَامُ بْنُ الْمِصْكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ إِبرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِنَّ نَفْسَ الْمُؤْمِنِ تَخْرُجُ رَشْحًا، وَلَا أَحَبُّ مَوْتًا كَمَوْتِ الْجِمَارِ. قِيلَ: وَمَا مَوْتُ الْجِمَارِ؟ قَالَ: مَوْتُ الْفَجْأَةِ.

9-दिन और रात को नेकियाँ करने की फजीलत

981 - सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “निगहबानी करने वाले दो फ़रिश्ते जो आमाल अल्लाह की तरफ ले कर जाते हैं, रात या दिन के जो आमाल लेकर जाते हैं तो अल्लाह तआला उसके नाम- ए- आमाल के शुरू और आखिर में भलाई ही पाता है। (फिर) अल्लाह तआला फ़रमाते हैं: ऐ फरिश्तो! मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने इस सहीफा के दोनों जानिब के दर्मियान (लिखे गए गुनाह) को अपने बन्दे के लिए बख़्श दिए हैं।”

ज़ईफ़ जिद्दा: अबू याला:2775.

10 - मोमिन की मौत के वक़्त उसकी पेशानी पर पसीना आ जाना.

982 - अब्दुल्लाह बिन बुरैदा अपने बाप (सय्यदना बुरैदा رضي الله عنه) से रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “मोमिन पेशानी के पसीने के साथ फ़ौत⁽¹⁾ होता है।”

सहीह: इब्ने माजा: 1452. निसाई: 1828. मुसनद अहमद: 5/350.

तौज़ीह: 1. यानी वफ़ात के वक़्त उसकी पेशानी पर पसीना आ जाता है।

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने मसऊद (رضي الله عنه) से भी रिवायत मर्वी है।

इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। बाज़ मुहद्दिसीन कहते हैं कि क़तादा का अब्दुल्लाह बिन बुरैदा से सिमा (सुनना) हमारे इल्म में नहीं है।

9-بَابُ فِي فَضْلِ طَرَفِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

981 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَشَّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَلَبِيُّ، عَنْ تَمَامِ بْنِ نَجِيحٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ حَافِظَيْنِ رَفَعَا إِلَى اللَّهِ مَا حَفِظَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، فَيَجِدُ اللَّهُ فِي أَوَّلِ الصَّحِيفَةِ وَفِي آخِرِ الصَّحِيفَةِ خَيْرًا، إِلَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي مَا بَيْنَ طَرَفَيْ الصَّحِيفَةِ.

10 بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَمُوتُ

بِعَرَقِ الْجَبِينِ

982 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ.

11 - मौत के वक़्त अल्लाह से उसकी रहमत की उम्मीद रखना और गुनाहों की तजह से डरना.

983 - सय्यदना अनस (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) एक नौजवान के पास गए, वह मौत की सख्तियों में था। आप (ﷺ) ने फ़रमाया क्या हाल है? उसने कहा: "ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह की क़सम मैं अल्लाह की (रहमत की) उम्मीद करता हूँ और अपने गुनाहों की सज़ा से डरता हूँ तो अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया, "ऐसे मौके पर यह दो चीज़ें किसी बन्दे के दिल में जमा हो जाएँ तो जिसकी उम्मीद रखता है अल्लाह उसे अता कर देता है और जिससे डरता है अल्लाह उससे महफूज़ कर देता है। "

हसन: इब्ने माज़ा: 4261. अब्द बिन हुमैद: 1370.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। और बाज़ (कुछ) रावियों ने इसको बवास्ता साबित, नबी (ﷺ) से मुसल रिवायत किया है।

12 - किसी की मौत की खबर देना मना है.

984 - सय्यदना अब्दुल्लाह से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, "नआ से बचो क्योंकि नआ जाहिलियत का अमल है। " अब्दुल्लाह फ़रमाते हैं: नआ मय्यत का ऐलान करना है।

ज़ईफ़.

11 - بَابُ الرَّجَاءِ بِاللَّهِ وَالْخَوْفِ

بِالذَّنْبِ عِنْدَ الْمَوْتِ

983 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي زَيْنَادٍ الْكُوفِيُّ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَرَّازُ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا سَيَّارُ هُوَ ابْنُ حَاتِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى شَابٍّ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ، فَقَالَ: كَيْفَ تَجِدُكَ؟ قَالَ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَرْجُو اللَّهَ، وَإِنِّي أَخَافُ ذُنُوبِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا يَرْجُو وَأَمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ.

12 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّعْيِ

984 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَكَّامُ بْنُ سَلَمٍ، وَهَارُونُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَنَسَةَ، عَنْ أَبِي حَمْرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

إِيَّاكُمْ وَالنَّعْيِ، فَإِنَّ النَّعْيَ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ.
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَالنَّعْيُ: أَذَانٌ بِالْمَيِّتِ.

तौज़ीह: नआ: नआ का मतलब है ख़बर देना, ऐलान करना वगैरह यहाँ उस तरीके की मनाही की गई है जो जाहिलियत में राइज था वह तरीका यह था कि जब कोई आदमी मर जाता तो एक शहसवार घोड़े पर सवार हो कर लोगों में फिरता और किसी के मरने की ख़बर देता, इसी तरह आग जला कर भी लोगों को बताया जाता था।

वज़ाहत: इस मसले में हुज़ैफ़ा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

985 - सुफ़ियान सौरी भी अबू हम्ज़ा से और वह इब्राहीम से बवास्ता अल्कमा अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) की हदीस इसी तरह रिवायत करते हैं वह मर्फूअ नहीं है और इस जुम्ला (नआ मय्यत का ऐलान करना है) नहीं है।

जईफ़.

985 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ
أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَرْفَعَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ
وَالنَّعْيُ أَذَانٌ بِالْمَيِّتِ.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस अंबसा की अबू हम्ज़ा से बयान कर्दा हदीस से ज़्यादा सहीह है। नीज अबू हम्ज़ा मैमून अलआवर है। जो मुहद्दिसीन के नज़दीक मजबूत रावी नहीं है।

अबू ईसा फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) की हदीस हसन गरीब है और बाज़ उलमा ने नआ को मकरूह कहा है। उनके नज़दीक नआ यह है कि ऐलान किया जाए फुलां शख्स मर गया है ताकि लोग उसके जनाजा में शरीक हों।

बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि आदमी अपने रिश्तेदारों और भाइयों को बता सकता है। इब्राहीम नखई से उनका कौल मर्वी है कि कराबतदारों को बताने में कोई हर्ज नहीं है।

986 - बिलाल बिन यहया अल-अब्सी (رضي الله عنه) से रिवायत है कि सय्यदना हुज़ैफ़ा बिन यमान (رضي الله عنه) ने फ़रमाया, “जब मैं फ़ौत हो

986 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَبِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْقُدُوسِ بْنُ بَكْرِ بْنِ حُنَيْسٍ، قَالَ:
حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ سُلَيْمٍ الْعَبْسِيُّ، عَنْ بِلَالِ بْنِ

जाऊं तो मेरे बारे में किसी को ना बताना मुझे डर है कि कहीं यह नआ न हो मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को सुना आप नआ से मना करते थे।

हसन इब्ने माजा:1476. मुसनद अहमद: 5/385.
बैहकी:4/74.

वज़ाहत: यह हदीस हसन सहीह है।

13 - सब्र वही है जब मुसीबत के शुरु में किया जाए.

987 - सय्यदना अनस (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, "सब्र वही है जो मुसीबत के शुरु में हो। "

बुखारी:1283. मुस्लिम:926. इब्ने माजा:1596.
निसाई:1869.

सब्र करने का मौक़ा मुसीबत के शुरु में होता है वक़्त गुजरने के साथ साथ तो हर किसी को सब्र आ जाता है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: इस सनद के साथ यह हदीस ग़रीब है।

988 - सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, "सब्र वही है जो मुसीबत की इब्तिदा (शुरुआत) में हो। "

बुखारी: 1252. मुस्लिम:926.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

يَحْيَى الْعَبْسِيُّ، عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ: إِذَا مِتُّ فَلَا تُؤْذِنُوا بِي، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ نَعْيًا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ النَّعْيِ.

13 بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الصَّبْرَ فِي الصَّدْمَةِ الْأُولَى

987 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصَّبْرُ فِي الصَّدْمَةِ الْأُولَى.

988 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى.

14 - मय्यत को बोसा देना.

989 - सय्यदा आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने उस्मान बिन मज़ऊन (ﷺ) को बोसा दिया और वह फ़ौत हो चुके थे, आप (ﷺ) रो रहे थे, या रावी ने यह कहा कि आप की आँखें आंसू बहा रही थीं।

सहीह: अबू दाऊद: 3163. इब्ने माजा:1456. मुसनद अहमद:6/43.

14 بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقْبِيلِ الْمَيِّتِ

989 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَطْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ وَهُوَ يَبْكِي، أَوْ قَالَ: عَيْنَاهُ تَدْرِفَانِ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرٍ، وَعَائِشَةَ، قَالُوا: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَيِّتٌ.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास, जाबिर और आयशा (ﷺ) से भी रिवायात मवीं हैं कि जब नबी (ﷺ) फ़ौत हो चुके थे तो अबू बकर (ﷺ) ने आपको बोसा दिया।

इमाम तिर्मिजी (ﷺ) फ़रमाते हैं: सय्यदा आयशा (ﷺ) की हदीस हसन सहीह है।

15 - मय्यत को गुस्ल देने का बयान.

990 - सय्यदा उम्मे अतिष्या (ﷺ) रिवायत करती हैं कि नबी (ﷺ) की एक बेटी वफ़ात पा गयी तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, "इसे तीन, पांच या ज़्यादा मर्तबा पानी और बेरी के पत्तों से गुस्ल दो और आखिरी बार पानी में कुछ काफूर भी मिला लो, जब तुम फ़ारिग हो जाओ तो मुझे बताना।" फिर जब हम फ़ारिग हुए हमने आप को बताया तो आपने अपनी तहबन्द हमारी तरफ फेंक दी फ़रमाया, "उसको यह लपेट दो।

15 بَابُ مَا جَاءَ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ

990 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، وَمَنْصُورٌ، وَهَشَامٌ، فَأَمَّا خَالِدٌ، وَهَشَامٌ فَقَالَا: عَنْ مُحَمَّدٍ، وَحَفْصَةَ، وَقَالَ مَنْصُورٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: تَوَفَّيْتُ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا وَثْرًا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتَنَ، وَاغْسِلْنَهَا بِمَاءٍ

"हमने गुस्ल के बाद उनके बालों की तीन चोटियाँ गूधीं हुशैम कहते हैं: शायद रावी ने यह कहा कि (उम्मे अतिय्या कहती हैं:) हमने उन्हें पीछे की तरफ डाल दिया। खालिद हफसा और मुहम्मद से रिवायत करते हैं कि उम्मे अतिय्या (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमसे फ़रमाया, "गुस्ल उसकी दायें तरफ से और आज़ाए वुजू (वुजू के अंगों) से शुरू करो।"

बुखारी: 1253. मुस्लिम: 939. अबू दाऊद: 2142.
निसाई: 1881. इब्ने माजा: 1495.

وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ
كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَعْتُنَّ فَأَذِنِّي، فَلَمَّا فَرَعْنَا آذَنَاهُ،
فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ، فَقَالَ: أَشْعَرْنَهَا بِهِ.
قَالَ هُشَيْمٌ: وَفِي حَدِيثٍ غَيْرِ هَؤُلَاءِ، وَلَا أُدْرِي
وَلَعَلَّ هِشَامًا مِنْهُمْ قَالَتْ: وَصَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ
قُرُونٍ. قَالَ هُشَيْمٌ: أَظَنُّهُ قَالَ: فَأَلْقَيْنَاهُ خَلْفَهَا.
قَالَ هُشَيْمٌ، فَحَدَّثَنَا خَالِدٌ مِنْ بَيْنِ الْقَوْمِ، عَنْ
حَفْصَةَ، وَمُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: وَقَالَ لَنَا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَإِذَا نَ
بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ.

वज़ाहत: इस मसले में उम्मे सुलैम (رضي الله عنها) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिमिज़ी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: सय्यदा उम्मे अतिय्या (رضي الله عنها) की हदीस हसन सहीह है और उलमा का इसी पर अमल है।

इब्राहीम नखई फ़रमाते हैं: मय्यत का गुस्ल जनाबत के गुस्ल की तरह है मालिक बिन अनस कहते हैं: हमारे नज़दीक मय्यत के गुस्ल की कोई मुकर्रर हद नहीं है और न ही उसका कोई मुतअय्यन तरीक़ा है। लेकिन मय्यत को पाक किया जाएगा।

इमाम शाफ़ेई (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: मालिक ने मुजमल (अस्पष्ट) बात की है कि उसे गुस्ल दे कर साफ़ किया जाएगा और जब मय्यत बेरी के पत्ते मिले हुए या सादा पानी से साफ़ हो जाए तो गुस्ल पूरा हो जाएगा लेकिन मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि तीन या ज़्यादा मर्तबा गुस्ल दिया जाए तीन मर्तबा से कम न हों क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया था "इसे तीन या पांच मर्तबा गुस्ल दो।"

और अगर तीन से कम दफा में साफ़ कर दें तो काफ़ी होगा और शाफ़ेई ने यह ख़याल नहीं किया कि तीन या पांच मर्तबा का मक़सद अच्छी तरह साफ़ करना है, मुकर्ररह हद नहीं है और फ़ुक़हा भी यही कहते हैं और वह हदीस के मानी को ज़्यादा जानते हैं।

इमाम अहमद और इस्हाक़ (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: गुस्ल पानी और बेरी के पत्तों के साथ होंगे और आखिरी मर्तबा में कुछ काफूर शामिल होगा।

16- मय्यत के लिए कस्तूरी का इस्तेमाल.

991 - सय्यदना अबू सईद अल-खुदरी (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “यह तुम्हारी खुशबुओं में सब से बेहतरीन खुशबू कस्तूरी है।”

मुस्लिम:2252. अबू दारूद: 3158. निसाई:1805.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

992 - सय्यदना अबू सईद अल-खुदरी (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) से कस्तूरी के बारे में पूछा गया तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “यह तुम्हारी खुशबुओं में सबसे बेहतर है।”

मुस्लिम:2252. अबू दारूद: 3158.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और बाज़ उलमा मय्यत के लिए कस्तूरी का इस्तेमाल मकरूह समझते हैं। नीज मुस्तमिर बिन रय्यान ने भी इसी तरह अबू नजर: से बवास्ता अबू सईद (رضي الله عنه), नबी (ﷺ) से रिवायत की है। अली बिन मदीनी कहते हैं: यह्या बिन सईद फ़रमाते हैं कि: मुस्तमिर बिन रय्यान और खुलैद बिन जाफ़र सिक़ह रावी हैं।

17 - मय्यत को गुस्ल देने की वजह से गुस्ल करना.

993 - सय्यदना अबू हरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “मय्यत को गुस्ल देने की वजह से गुस्ल और उठाने की

16 بَابُ فِي مَا جَاءَ فِي الْمِسْكِ لِلْمَيِّتِ

991 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، وَشَبَابَةُ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ، سَمِعَ أَبَا نَضْرَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَطْيَبُ الطِّيبِ الْمِسْكُ.

992 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْمِسْكِ؛ فَقَالَ: هُوَ أَطْيَبُ طِيبِكُمْ.

17 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغُسْلِ مِنَ غُسْلِ الْمَيِّتِ

993 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ

वजह से वुजू ज़रूरी है। ”

सहीह: अबू दाऊद: 3161. इब्ने माजा: 1463. मुसनद
अहमद: 2/272. इब्ने माजा: 1161.

الْمُخْتَارِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ غَسَلَهُ الْغُسْلُ، وَمِنْ
حَمَلِهِ الْوُضُوءُ يَعْنِي: الْمَيْتَ.

वज़ाहत: इस मसले में अली और आयशा (رضي الله عنهما) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन है और अबू हुरैरा से मौकूफ़न भी मर्वी है। मय्यत को गुस्ल देने वाले के बारे में उलमा का इख़ितलाफ़ है नबी (ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं: जब कोई मय्यत को गुस्ल देता है तो उस पर गुस्ल करना वाजिब है। बाज़ कहते हैं: वुजू ज़रूरी है।

इमाम मालिक बिन अनस कहते हैं: मैं मय्यत को गुस्ल देने की वजह से गुस्ल करने को मुस्तहब समझता हूँ वाजिब नहीं। **इमाम शाफ़ेई (رضي الله عنه)** भी इसी तरह कहते हैं।

इमाम अहमद (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: जो शख्स मय्यत को गुस्ल दे मुझे तो यही उम्मीद है कि उस पर गुस्ल वाजिब नहीं होता लेकिन वुजू कम अज कम कहा गया है।

इस्हाक (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: वुजू ज़रूरी है। नीज अब्दुल्लाह बिन मुबारक से मर्वी है कि मय्यत को गुस्ल देने वाला न गुस्ल करे और न ही वुजू।

18 - कौनसा कफ़न मुस्तहब है?

994 - इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “अपने कपड़ों में सफ़ेद रंग (के कपड़े) पहनो, यह तुम्हारे बेहतरीन कपड़े हैं और इसी में अपने मुर्दों को कफ़न दिया करो। ”

सहीह: अबू दाऊद: 3878. इब्ने माजा: 1472.

18 بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْأَكْفَانِ

994 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ
الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ
ثِيَابِكُمْ، وَكَفَّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ.

वज़ाहत: इस मसले में समुरा, इब्ने उमर और आयशा (رضي الله عنهما) से भी अहादीस मर्वी हैं। **इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه)** फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और अहले इल्म इसे ही मुस्तहब

समझते हैं। इब्ने मुबारक (रह) फ़रमाते हैं: मैं तो इस बात को पसंद करता हूँ कि जिन कपड़ों में नमाज़ पढ़ता हूँ उसमें कफ़न दिया जाए। इमाम अहमद और इस्हाक़ (रह) फ़रमाते हैं: हमें यह पसंद है सफ़ेद कपड़ों में कफ़न दिया जाए और अच्छा कफ़न देना मुस्तहब है।

19- मोमिन को हुक्म है कि अपने भाई को अच्छा कफ़न दे

995 - सय्यदना अबू क़तादा (रह) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (रह) ने फ़रमाया, “जब तुम में से कोई शाख़्स अपने भाई का वली (वारिस) बने तो उसे चाहिए कि वह उसको अच्छा कफ़न दे।”

सहीह: इब्ने माजा: 1474.

वज़ाहत: इस मसले में सय्यदना जाबिर (रह) से भी हदीस मव्वी है। इमाम तिर्मिजी (रह) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। इब्ने मुबारक (रह) फ़रमाते हैं: नबी (रह) के फ़रमान: “अपने भाई को अच्छा कफ़न दे” के बारे में सलाम बिन अबी मुतीअ कहते हैं: इस से मुराद साफ़ सुथरा कपड़ा है मंहगा नहीं।

20 - नबी (रह) को कितने कपड़ों में कफ़न दिया गया था?

996 - आयशा (रह) फ़रमाती हैं कि नबी (रह) को सफ़ेद रंग के तीन सूती⁽¹⁾ कपड़ों में कफ़न दिया गया उनमें कुर्ता और अमामा न था। रावी कहते हैं: लोगों ने आयशा (रह) से ज़िक्र किया कि लोग कहते हैं: दो कपड़े और एक यमनी चादर थी तो उन्होंने फ़रमाया, चादर लायी गई थी लेकिन उन्होंने वापस कर दी और उसमें कफ़न नहीं दिया।

बुख़ारी: 1664. मुस्लिम: 194. अबू दाऊद: 3151. इब्ने माजा: 1469. निसाई: 1899, 1897.

19 بَابُ أَمْرِ الْمَوْتِمَنِ بِأَحْسَانِ كَفْنِ أَخِيهِ

995 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا وَلِيَ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ.

20 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَفْنِ النَّبِيِّ ﷺ

996 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَفَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بَيْضَ يَمَانِيَةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ، وَلَا عِمَامَةٌ، قَالَ: فَذَكَرُوا لِعَائِشَةَ قَوْلَهُمْ: فِي ثَوْبَيْنِ وَبَرْدِ حَبْرَةٍ، فَقَالَتْ: قَدْ أُبَيِّ بِالْبُرْدِ، وَلَكِنَّهُمْ رَدُّوهُ، وَلَمْ يُكْفُوهُ فِيهِ.

तौज़ीह: (1) यह कपड़े सूती होते थे जो यमन में बनाए जाते थे इसीलिए उनकी यमन की तरफ निस्बत की जाती थी।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (रह) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

997 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रह) रिवायत करते हैं रसूलुल्लाह (रह) ने हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब (रह) को ऊन की एक चादर में सिर्फ एक कपड़े में कफ़न दिया।

हसन.

997 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَّنَ خَمْرَةَ ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فِي نَمِرَةٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ.

वज़ाहत: इस मसले में अली, इब्ने अब्बास, अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़ल और इब्ने उमर (रह) से भी अहादीस मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी (रह) फ़रमाते हैं: आयशा (रह) की हदीस हसन सहीह है। नीज नबी (रह) के कफ़न के बारे में मुख्तलिफ़ अहादीस मर्वी हैं। लेकिन नबी (रह) के कफ़न के बारे में रिवायत की गई आयशा (रह) की हदीस ज़्यादा सहीह है और नबी (रह) के सहाबा और दीगर लोगों में से अक्सर अहले इल्म का इसी पर अमल है।

सुफ़ियान सौरी कहते हैं: मर्द को तीन कपड़ों में कफ़न दिया जाए, अगर चाहें तो एक क़मीस और दो लिहाफ़ बना लें, अगर चाहें तो तीनों लिहाफ़ बना लें। अगर दो कपड़े न मिल सकें तो एक कपड़ा ही काफ़ी है। दो भी जायज़ हैं और इस्तिताअत वालों के लिए तीन हैं और फुक्कहा के नज़दीक मुस्तहब हैं। शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (रह) का भी यही कौल है, वह मज़ीद कहते हैं कि औरत को पांच कपड़ों में कफ़न दिया जाए।

21 - मय्यत के घर वालों के लिए खाना बनाया जाए.

998 - अब्दुल्लाह बिन जाफ़र (रह) से रिवायत है कि जब जाफ़र की शहादत की ख़बर आयी तो नबी (रह) ने फ़रमाया, "जाफ़र के घर वालों के लिए

21 بَابُ مَا جَاءَ فِي الطَّعَامِ يُصْنَعُ لِأَهْلِ الْبَيْتِ

998 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

खाना तैयार करो उनके पास ऐसी खबर आयी है जिसने उन्हें ग़म में मुब्तला कर दिया है।”

हसन: अबू दाऊद: 3132. इब्ने माजा: 1610. मुसनद अहमद: 1/205.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और अहले इल्म इस बात को मुस्तहब समझते हैं कि मय्यत के घर वालों की तरफ उनके ग़म में मुब्तला होने की वजह से (खाने के लिए) कोई चीज़ भेजी जाए, इमाम शाफ़ेई का भी यही कौल है। इमाम अबू ईसा (رحمته الله) कहते हैं: जाफ़र बिन ख़ालिद इब्ने सारा हैं जो कि सिक़ह रावी हैं उनसे इब्ने जुरैज रिवायत करते हैं।

جَعْفَرٍ قَالَ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اصْنَعُوا لِأَهْلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا، فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ.

22 - मुसीबत के वक़्त रूख़सार पीटना और गिरेबान चाक करना मना है।

999 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رحمته الله) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “वह शख़्स हम में से नहीं है जो गिरेबान⁽¹⁾ फाड़े रूख़सार पीटे और जाहिलियत की पुकार पुकारे।”

बुखारी: 1294. मुस्लिम: 103. इब्ने माजा: 1584. निसाई: 1860.

वज़ाहत: (1) جیب इसकी वाहिद جیب आती है, जिसका मतलब है गिरेबान और خُدود की वाहिद خد आती है- रूख़सार, गाल।

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

23 - नौहा करने की मनाही।

1000 - अली बिन रबीआ रिवायत करते हैं कि अंसार का एक आदमी फ़ौत हो गया, जिसका नाम करज़ा बिन काब था, उस पर

22 بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّهْمِي عَنْ ضَرْبِ الْخُدُودِ. وَشَقِّ الْجُيُوبِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

999 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ الْأَيْمِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الْجُيُوبَ، وَضَرَبَ الْخُدُودَ، وَدَعَا بِدَعْوَةِ الْجَاهِلِيَّةِ.

23 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّوْحِ

1000 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَّانُ بْنُ تَمَّامٍ، وَمَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، وَيَزِيدُ بْنُ

नौहा किया गया तो मुगीरह बिन शोबा (رضی اللہ عنہ) तशरीफ लाये, मिम्बर पर खड़े हो कर अल्लाह की हम्दो सना की और फ़रमाया, “इस्लाम में नौहा (1) का क्या काम है? मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना: “जिस पर नौहा किया जाता है (तो) उसे नौहा की वजह से अज़ाब दिया जाता है।”

बुखारी:1291. मुस्लिम:933.

هَارُونَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الطَّائِي، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ الْأَسَدِيِّ، قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: قَرظَةُ بْنُ كَعْبٍ، فَنَبِيحَ عَلَيْهِ، فَجَاءَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ، فَصَعَدَ الْمُنْبِرَ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَتْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: مَا بَالُ النَّوْحِ فِي الْإِسْلَامِ، أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ نَبِيحَ عَلَيْهِ عُدْبَ بِمَا نَبِيحَ عَلَيْهِ.

तौज़ीह: النّوح : नौहा करना, मय्यत पर गिर्या जारी करना, रोना पीटना और चिल्लाना, (तफ़सील के लिए देखिये: अल्कामूसुल वहीद: प 1722)

वज़ाहत: इस मसले में उमर, अली, अबू मूसा, कैस बिन आसिम, अबू हुरैरा, जुनादा बिन मालिक, अनस, उम्मे अतिय्या, समुरा और अबू मालिक अशअरी (رضی اللہ عنہ) से भी अहादीस मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं: मुगीरह (رضی اللہ عنہ) की हदीस ग़रीब हसन सहीह है।

1001 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, “मेरी उम्मत में जाहिलियत के चार काम ऐसे हैं जिन्हें लोग हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे: नौहा, खानदान (1) में तअन, अदवा (2) (यह अक्कीदा) कि एक ऊँट खारिशज़दा था उसने सौ ऊँटों को खारिशज़दा कर दिया (लेकिन) पहले ऊँट को खारिश किसने लगायी? और चौथी चीज़) अनवा (3) (यानी यह एतकाद) कि हमें फुलां फुलां सितारे की वजह से बारिश दी गई है।”

हसन: मुसनद अहमद: 2/ 291.

1001 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، وَالْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنَ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَنْ يَدْعَهُنَّ النَّاسُ: النَّيَاحَةُ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَحْسَابِ، وَالْعُدْوَى أَجْرَبَ بَعِيرٍ فَأَجْرَبَ مِائَةَ بَعِيرٍ مَنْ أَجْرَبَ الْبَعِيرِ الْأَوَّلَ، وَالْأَنْوَاءُ مُطْرِنًا بِنَوْءٍ كَذَا وَكَذَا.

तौज़ीह: 1) किसी के खानदान को छोटा, अछूत और अपने से कमतर व हकीर जानना। (2) बीमारी के

मुतअद्दी होने का अक्रीदा यानी बीमारी एक से दुसरे को मुन्तकिल हो जाती है इसकी वजाहत हदीस के अन्दर ही मौजूद है। (3) सितारों की गर्दिश की वजह से बारिश तलब करना या यह अक्रीदा रखना कि उन सितारों की गर्दिश की वजह से बारिश हुई है।

वजाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है।

24 - मय्यत पर रोना मना है।

1002 - सय्यदना उमर बिन खत्ताब (رحمته الله) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “मय्यत को घर वालों के उस पर रोने की वजह से अज़ाब दिया जाता है।”

बुखारी:1287. मुस्लिम:927. इब्ने माजा: 1593. निसाई:1853.

24 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْبُكَاءِ عَلَى النَّبِيِّ

1002 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَيْتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ.

वजाहत: इस मसले में इब्ने उमर और इमरान बिन हुसैन (رحمته الله) से भी रिवायात मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: उमर बिन खत्ताब (رحمته الله) की हदीस हसन सहीह है। नीज उलमा की एक जमाअत मय्यत पर रोने को मकरूह समझते हुए कहती है कि मय्यत को उसके घर वालों के उस पर रोने की वजह से अज़ाब होता है और उनका मज़हब इस हदीस के मुताबिक़ है।

इब्ने मुबारक फ़रमाते हैं: मुझे उम्पीद है कि अगर वह अपनी ज़िन्दगी में उनको नौहा से मना करता था तो उस पर अज़ाब नहीं होगा।

1003 - मूसा बिन अबी मूसा अशअरी (رحمته الله) अपने बाप से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “जब मरने वाला मरे फिर उसको रोने वाले खड़े हो कर कहें: हाय हमारा पहाड़! हाय हमारा सरदार! या ऐसे जुम्ले कहें तो उस पर दो फ़रिश्ते मुक़रर कर दिए जाते हैं जो दोनों ही उसे घूसे मारते हैं (और

1003 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَيْدُ بْنُ أَبِي أُسَيْدٍ، أَنَّ مُوسَى بْنَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَا مِنْ مَيْتٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ

कहते हैं: क्या तुम ऐसे ही थे।

हसन: इब्ने माजा: 1594. मुसनद अहमद: 4/414.

بأكيه، فيقول: واجتلاءً واستيذاءً أو نحو ذلك.

إلا وكل به ملكان يلهزانه: أهكذا كنت؟

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है।

25 - मय्यत पर रोने की इजाज़त.

1004 - यह्या बिन अब्दुरहमान (رحمته الله) कहते हैं कि सय्यदना इब्ने उमर (रज़ि0) ने रिवायत की कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, "मय्यत को उसके घर वालों के रोने की वजह से अज़ाब होता है तो आयशा (رضي الله عنها) ने फ़रमाया, "अल्लाह उन पर रहम करे उन्होंने झूठ नहीं बोला, बल्कि उनको वहम हुआ है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तो एक यहूदी आदमी के मरने पर फ़रमाया था; "बेशक इस मय्यत को अज़ाब हो रहा है और उसके घर वाले उस पर रो रहे हैं।"

बुखारी:1287. मुस्लिम:927. इब्ने माजा: 1593. निसाई:1853.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास, करज़ा बिन काब, अबू हुरैरा, इब्ने मसऊद और उसामा बिन ज़ैद (رضي الله عنهم) से भी अहादीस मर्वी हैं। इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: आयशा (رضي الله عنها) की हदीस हसन सहीह है और कई तुरूक (सनदों) से आयशा (رضي الله عنها) से मर्वी है। अहले इल्म का भी यही मज़हब है वह भी इस आयत (तर्जुमा) "कोई बोझ उठाने वाली किसी दूसरी जान का बोझ नहीं उठाएगी।" (अल-इस्रा : 15) की तावील करते हैं और इमाम शाफ़ेई भी इसी के कायल हैं।

1005 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन जाबिर (رحمته الله) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने अब्दुरहमान बिन औफ़ (رضي الله عنه) का हाथ पकड़ा और उनको लेकर अपने बेटे इब्राहीम की तरफ गए तो उसे इस हालत में पाया कि वह अपनी

25 باب ما جاء في الرخصة في البكاء على الميت

1004 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ عَبَادٍ الْمُهَلْبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبِكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَرْحُمُهُ اللَّهُ، لَمْ يَكْذِبْ وَلَكِنَّهُ وَهَمٌ، إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ مَاتَ يَهُودِيًّا: إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ، وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ.

1005 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُشْرَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ

जान आफरीन के हवाले कर रहा था, नबी (ﷺ) ने उसे पकड़ कर अपनी गोद में रखा तो आप रो दिए। अब्दुरहमान बिन औफ (رضی اللہ عنہ) ने कहा: आप रो रहे हैं! क्या आपने रोने से मना नहीं किया? आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “नहीं बल्कि मैंने दो अहमक और फाजिर आवाजों से मना किया है।” मुसीबत के वक़्त आवाज़ निकालने, चेहरा नोचने और गिरेबान चाक करने और दूसरा शैतान की तरह आवाज़ निकालने से।” इस हदीस में इस से ज़्यादा भी कलाम है।

हसन: अब्द बिन हुमैद: 1006.

वज़ाहत: इमाम तिमिजी (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है।

1006 - कुतैबा इब्ने मालिक (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि सय्यदा आयशा (رضی اللہ عنہ) से ज़िक्र किया गया कि इब्ने उमर (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं: मय्यत को ज़िंदा के रोने की वजह से अज़ाब दिया जाता है तो आयशा (رضی اللہ عنہ) ने फ़रमाया, “अल्लाह तआला अबू अब्दुरहमान को बख़्शे उन्होंने झूठ नहीं बोला बल्कि वह भूल गए हैं या गलती लग गई है। बेशक रसूलुल्लाह (ﷺ) एक यहूदिया औरत के पास से गुज़रे उस पर रोया जा रहा था तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “यह लोग इस पर रो रहे हैं और इस औरत को उसकी क़ब्र में अज़ाब हो रहा है।”

बुखारी: 1289. मुस्लिम: 931.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَأَنْطَلَقَ بِهِ إِلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ، فَوَجَدَهُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَضَعَهُ فِي حِجْرِهِ فَبَكَى، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَتَبَكَى؟ أَوْلَمْ تَكُنْ نَهَيْتَ عَنِ الْبُكَاءِ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ نَهَيْتَ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجْرَيْنِ: صَوْتِ عِنْدَ مُصِيبَةٍ، خَمْسِ وُجُوهِ، وَشَقِّ جُيُوبٍ، وَرَنَةِ شَيْطَانٍ. وَفِي الْحَدِيثِ كَلَامٌ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا.

1006 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ وَذَكَرَ لَهَا أَنَّ ابْنَ عَمْرٍو، يَقُولُ: إِنْ أَلَمِيَتْ لَيُعَذَّبَ بِبُكَاءِ الْحَيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: غَفَرَ اللَّهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ، وَلَكِنَّهُ نَسِيَ أَوْ أَخْطَأَ، إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى يَهُودِيَةٍ يَبْكِي عَلَيْهَا، فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا، وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

26 - जनाजा के आगे चलने का बयान.

1007- सालिम (رحمته الله) अपने बाप से रिवायत करते हैं कि मैंने नबी (ﷺ) और अबू बकर व उमर (رضي الله عنه) को देखा वह जनाजा⁽¹⁾ के आगे चलते थे।

अबू दाऊद: 3179. इब्ने माजा: 1482. निसाई: 1944.

26 بِأَبِ مَا جَاءَ فِي الشَّيْءِ أَمَامَ الْجَنَازَةِ

1007 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ.

तौज़ीह: मय्यत को जब चार पाई पर रख दिया जाए तो उसे जनाजा कहा जाता है।

1008 - सालिम बिन अब्दुल्लाह (رحمته الله) अपने बाप से रिवायत करते हैं कि मैंने नबी (ﷺ) और अबू बकर व उमर (رضي الله عنه) को देखा वह जनाजा⁽¹⁾ के आगे चलते थे।

सहीह: तयालिसी: 1817. हुमैदी: 607. अबू दाऊद: 3179. इब्ने माजा: 1482.

1008 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ هَمَامٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَبَكْرِ الْكُوفِيِّ، وَزِيَادٍ، وَسُفْيَانَ، كُلُّهُمْ يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ.

1009 - जोहरी रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) और अबू बकर व उमर (رضي الله عنه) जनाजा के आगे चलते थे। जोहरी कहते हैं: मुझे सालिम (رحمته الله) ने बताया कि उनके वालिद भी जनाजा के आगे चलते थे।

सहीह: अब्दुर्रज़ाक: 6259. मोत्ता मालिक: 1024.

1009 - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ.

वज़ाहत: इस मसले में अनस (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर (رضي الله عنه) की हदीस को इसी तरह इब्ने जुरैज, जियाद बिन साद और दीगर रावियों ने जोहरी से बवास्ता

सालिम उनके बाप इब्ने उयय्ना की हदीस की तरह रिवायत किया है। नीज़ मामर, यूनुस बिन यजीद और मालिक जैसे हुफफाज़ ने जोहरी से रिवायत की है कि नबी (ﷺ) जनाज़ा के आगे चला करते थे और मुझे सालिम ने बताया कि उनके वालिद भी जनाज़ा के आगे चलते थे और तमाम मुहद्दीसीन के मुताबिक इस मसले में मुर्सल हदीस सहीह है।

इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) कहते हैं: यह्या बिन मूसा फ़रमाते हैं: मैंने अब्दुरज़ाक से सुना वह कह रहे थे कि इब्ने मुबारक फ़रमाते हैं: इस मसले में जोहरी की मुर्सल रिवायत इब्ने उयय्ना की हदीस से ज़्यादा सहीह है। नीज़ फ़रमाते हैं: मेरे ख़याल में इब्ने जुरैज ने इसे इब्ने उयय्ना से ही लिया है।

अबू ईसा फ़रमाते हैं: हम्माम बिन यह्या ने इस हदीस को ज़ियाद बिन साद, मंसूर और सुफ़ियान से बवास्ता ज़ोहरी सालिम से और उन्होंने अपने बाप से रिवायत किया है और यह सुफ़ियान बिन उयय्ना ही हैं, जिनसे हम्माम ने रिवायत की है।

नीज़ जनाज़ा के आगे चलने के बारे में अहले इल्म का इख़िलाफ़ है: नबी (ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि जनाज़ा के आगे चलना अफ़ज़ल है। इमाम शाफ़ेई और अहमद (رحمته الله) भी इसी के क़ायल हैं। इस मसले में अनस (رحمته الله) से मर्वी हदीस गैर महफूज़ है।

1010 - सय्यदना अनस बिन मालिक (رحمته الله) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जनाज़ा के आगे चला करते थे इसी तरह अबू बकर, उमर और उस्मान (رحمته الله) भी।

सहीह: इब्ने माज़ा: 1483. अबू याला: 3608. शरहुल मआनी. 1/482.

1010 - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَرِيدٍ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: मैंने इस हदीस के बारे में मुहम्मद बिन इस्माईल बुखारी (رحمته الله) से पूछा तो उन्होंने फ़रमाया, "यह हदीस ख़ता है इस में मुहम्मद बिन बकर ने ग़लती की है। यह हदीस तो बवास्ता यूनुस, ज़ोहरी से मर्वी है कि नबी (ﷺ), अबू बकर और उमर (رحمته الله) जनाज़े के आगे चलते थे। ज़ोहरी कहते हैं: मुझे सालिम (رحمته الله) ने बताया कि उनके वालिद (अब्दुल्लाह बिन उमर (رحمته الله) भी जनाज़े के आगे चलते थे। मुहम्मद बुखारी फ़रमाते हैं यह ज़्यादा सहीह है।

27 - जनाजा के पीछे चलना.

1011 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) से रिवायत है कि हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) से जनाजे के पीछे चलने के बारे में पूछा आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “दौड़ने से कम चाल हो, पस अगर वह नेक है तो तुम उसे जल्दी पहुँचाओगे और अगर बुरा है तो जहन्नम वालों को दूर ही किया जाता है, जनाजा के पीछे चला जाता है। वह पीछे नहीं चलता और उसके आगे चलने वालों को इस से कोई गरज नहीं।”

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 3184. इब्ने माजा: 1484.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस सिर्फ इसी सनद से सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) से मर्वी है और मैंने मुहम्मद बिन इस्माइल (बुखारी رحمته الله) को सुना वह अबू माजिद की इस रिवायत को ज़ईफ़ कहते थे। और मुहम्मद फ़रमाते हैं: हुमैदी, इब्ने उययना से नक़ल करते हैं कि यहया से पूछा गया: यह अबू माजिद कौन है? उन्होंने फ़रमाया, “एक उड़ता हुआ परिदा था जिसने हमें हदीस बयान की।

नीज नबी (ﷺ) के सहाबा (رضي الله عنهم) और दीगर लोगों में से बाज़ उलमा का यही मज़हब है कि जनाजा के पीछे चलना अफ़ज़ल है। सुफ़ियान सौरी और इस्हाक भी इसी के कायल हैं और यहया बनी तैमुल्लाह का इमाम था सिक्रह रावी था उसकी कुनियत अबू हारिस थी, उसे यहया अल जाबिर भी कहा जाता था, इसी तरह यहया मुज्बिर भी यह कूफी है इस से शोबा, सुफ़ियान सौरी, अबू अहवस और सुफ़ियान बिन उययना रिवायत लेते हैं।

28-जनाजा के पीछे सवार होना मकरुह है

1012 - सय्यदना सौबान (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि हम नबी (ﷺ) के साथ एक जनाजा में निकले तो आप (ﷺ) ने कुछ सवार लोगों को देखा तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “तुम शर्म

27 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَشْيِ خَلْفَ الْجَنَازَةِ

1011 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَحْيَى إِمَامِ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي مَاجِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْمَشْيِ خَلْفَ الْجَنَازَةِ؟ قَالَ: مَا دُونَ الْخَبَبِ، فَإِنْ كَانَ خَيْرًا عَجَلْتُمُوهُ، وَإِنْ كَانَ شَرًّا فَلَا يَتَعَدَّ إِلَّا أَهْلَ النَّارِ، الْجَنَازَةُ مَتَّبِعَةٌ وَلَا تَتَّبِعُ، وَلَيْسَ مِنْهَا مَنْ تَقَدَّمَهَا.

28 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الرُّكُوبِ خَلْفَ الْجَنَازَةِ

1012 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ:

क्यों नहीं करते अल्लाह तआला के फरिश्ते तो अपने पाँव पर चल रहे हैं और तुम जानवरों की पीठों पर सवार हो। ”

जर्इफ़: इब्ने माजा: 1480. हाकिम: 1/356.
बैहक्की: 4/23.

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةِ فَرَأَى نَاسًا رُكَبَانًا، فَقَالَ: أَلَا تَسْتَخِيُونَ إِنَّ مَلَائِكَةَ اللَّهِ عَلَى أَقْدَامِهِمْ وَأَنْتُمْ عَلَى ظُهُورِ الدَّوَابِّ.

वज़ाहत: इस मसले में मुग़ीरह बिन शोबा और जाबिर बिन समुरा (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं। इमाम तिमिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: सौबान (رضي الله عنه) की हदीस उनसे मौकूफन भी मर्वी है। मुहम्मद बिन इस्माईल बुखारी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: उन से मौकूफ रिवायत ज़्यादा सहीह है।

29 - उसकी रुख़सत का बयान.

1013 - जाबिर बिन समुरा (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: हम नबी (ﷺ) के साथ अबू दहदाह (رضي الله عنه) के जनाज़ा में थे और आप (ﷺ) अपने घोड़े पर सवार थे, वह दौड़ता था हम उसके इर्द गिर्द थे और आप इसे छोटे छोटे कदमों के साथ ले जा रहे थे।

मुस्लिम: 965. अबू दाऊद: 3178. निसाई: 2026.

1014 - सय्यदना जाबिर बिन समुरा से रिवायत है कि नबी (ﷺ) अबू दहदाह के जनाज़े के पीछे पैदल गये और घोड़े पर वापस आए।

सहीह: गुज़िस्ता हदीस में तख़रीज गुज़र चुकी है।

29 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

1013 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةِ ابْنِ الدَّخْدَاحِ وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ يَسْعَى وَنَحْنُ حَوْلَهُ وَهُوَ يَتَوَقَّصُ بِهِ.

1014 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْهَاشِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قَتَيْبَةَ، عَنْ الْجَرَّاحِ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّبَعَ جَنَازَةَ ابْنِ الدَّخْدَاحِ مَا شِئًا، وَرَجَعَ عَلَى فَرَسٍ.

वज़ाहत: इमाम तिमिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

30 - जनाजा में जल्दी करना.

1015 - अबू हरैरा (رضي الله عنه) नबी(ﷺ) से रिवायत करते हैं कि आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "जनाजा को जल्दी करो, पस अगर वह नेक है तो उसे उसकी नेकी की तरफ जल्दी पहुँचाओ और अगर बुरा है तो तुम जल्दी उसे अपनी गर्दनों से उतारो।

बुखारी: 1315. मुस्लिम: 944. अबू दाऊद: 3181. इब्ने माजा: 1477. निसाई: 1910.

वज़ाहत: इस मसले में अबू बकर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: अबू हरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

31 - उहुद के शोहदा और हम्ज़ा (رضي الله عنه) का तजकिला.

1016 - सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) उहुद के दिन हम्ज़ा (رضي الله عنه) की लाश पर आकर खड़े हुए तो देखा उनका मुसला किया हुआ था आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "अगर यह बात ना होती कि सफिय्या (رضي الله عنها) उन पर गम करेंगी तो मैं उन्हें छोड़ देता यहाँ तक की उन्हें जानवर खा जाते। यहाँ तक कि क़यामत के दिन उनको उनके पेटों से जमा किया जाता।" रावी कहते हैं: फिर आप ने एक चादर मंगवाई उसमें उनको कफ़न दिया, जब वह चादर उनके सर पर फैलाई जाती तो उनके पाँव नंगे हो जाते और

30 بَابُ مَا جَاءَ فِي الإسْرَاعِ بِالْجَنَازَةِ

1015 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنْ يَكُنْ خَيْرًا تَقَدَّمُوهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ يَكُنْ شَرًّا تَضَعُوهُ عَنْ رِقَابِكُمْ.

31 بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ أُحُدٍ وَذِكْرِ حَمْرَةَ

1016 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَمْرَةَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَرَأَاهُ قَدْ مَثَلَ بِهِ، فَقَالَ: لَوْلَا أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةَ فِي نَفْسِهَا، لَتَرَكْتُهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الْعَافِيَّةُ، حَتَّى يُحْشَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ بَطُونِهَا. قَالَ: ثُمَّ دَعَا بِنَمْرَةَ، فَكَفَّنَهُ فِيهَا، فَكَانَتْ إِذَا مَدَّتْ

जब उनके पाँव पर बिछाई जाती तो उनका सर नंगा हो जाता। रावी कहते हैं: शोहदा ज़्यादा थे और कपड़े कम तो एक कपड़े में एक, दो और तीन आदमियों को लपेटा जाता फिर एक ही कब्र में दफ़न कर दिया जाता। रावी कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) उनके बारे में पूछते कि इन में से कौन ज़्यादा कुरआन (याद रखने वाला है आप उसे आगे किल्ले की तरफ रखते। रावी कहते हैं: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनको दफ़न कर दिया उनकी नमाज़े जनाज़ा नहीं पढ़ी।

सहीह: अबू दाऊद: 3136. मुसनद अहमद: 3/128. दार कुत्नी: 4/116. हाकिम: 1/365.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: अनस (رضي الله عنه) की हदीस हसन ग़रीब है अनस (رضي الله عنه) से सिर्फ़ इसी सनद से हम इसे पहचानते हैं। (और) नमिरा ऊपर ली जाने वाली पुरानी चादर को कहते हैं। नीज इस हदीस में उसामा बिन ज़ैद की रिवायत में इख़ितलाफ़ किया गया है। लैस बिन साद ने इब्ने शेहाब से बवास्ता अब्दुरहमान बिन काब बिन मालिक, जाबिर बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ैद से रिवायत की है और मामर ने ज़ोहरी से बवास्ता अब्दुल्लाह बिन सालबा, जाबिर (رضي الله عنه) से रिवायत की है और उसामा बिन ज़ैद के अलावा हम किसी रावी को नहीं जानते जिसने ज़ोहरी से बवास्ता अनस (رضي الله عنه) रिवायत की हो। और मैंने मुहम्मद (बिन इस्माइल बुख़ारी رحمه الله) से इस हदीस के बारे में पूछा? तो उन्होंने फ़रमाया, लैस की इब्ने शेहाब से बवास्ता अब्दुरहमान बिन काब बिन मालिक सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) से मर्वी हदीस ज़्यादा सहीह है।

عَلَى رَأْسِهِ بَدَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا مَدَّتْ عَلَى رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ. قَالَ: فَكَثُرَ الْقَتْلَى، وَقَلَّتِ الثِّيَابُ. قَالَ: فَكَفَنَ الرَّجُلَ وَالرَّجُلَانِ وَالثَّلَاثَةَ فِي الثُّوبِ الْوَاحِدِ، ثُمَّ يُدْفَنُونَ فِي قَبْرِ وَاحِدٍ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ عَنْهُمْ: أَيُّهُمْ أَكْثَرُ قُرَاتًا، فَيَقْدُمُهُ إِلَى الْقَبِيلَةِ. قَالَ: فَدَفَنَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلُّ عَلَيْهِمْ.

32 - मरीज़ की इयादत करना और जनाज़ा में शरीक होना सुन्नत है.

1017 - अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मरीज़ की इयादत करते, जनाज़ा में शरीक होते, गधे पर सवार होते और गुलाम की भी दावत कुबूल किया करते थे और बनू कुरैज़ा (के मुहासरे)के दिन

32 بَابُ آخِرٍ فِي سَنَةِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَ شَهَادَةِ الْجَنَازَةِ

1017 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ مُسْلِمِ الْأَعْوَرِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

आप एक गधे पर सवार थे जिसे खजूर के पत्तों की रस्सी की लगाम दी हुई थी (और) उस पर खजूर के पत्तों की ही जीन थी।

ज़ईफ़: इब्ने माजा:4187. तयालिसी:2425. अब्द बिन हुमैद: 1229.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُ الْمَرِيضَ، وَيَشْهَدُ الْجَنَازَةَ، وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ، وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْعَبْدِ، وَكَانَ يَوْمَ بَيْتِي قُرْنَةً عَلَى حِمَارٍ مَخْطُومٍ بِخَبَلٍ مِنْ لَيْفٍ، عَلَيْهِ إِكَافٌ لَيْفٍ.

तौज़ीह: اَلْا كَانِ : गधे वगैरह की पीठ पर बैठने के लिए नीचे रखा जाने वाला पालान या ज़ीन तफ़्सील के लिए देखें अल-क़ामूसुल वहीद प। 129)

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस सिर्फ़ मुस्लिम के तरीक़ (सनदों) से ही अनस (ﷺ) से मिलती है और मुस्लिम अल-आवर ज़ईफ़ है। और मुस्लिम बिन कैसान अल-मलाई भी यही है जिसके बारे में कलाम किया गया है। शोबा और सुफ़ियान ने इस से रिवायत की है।

33 - नबियों को कहाँ दफ़न किया जाता है?

1018 - सय्यदा आयशा (ﷺ) रिवायत करती हैं कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़ौत हुए तो लोगों ने आप की तदफ़िन में इख़ितलाफ़ किया तो अबू बकर (ﷺ) ने फ़रमाया, "मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से एक बात सुनी थी जिसे मैं भूला नहीं हूँ, आप (ﷺ) ने फ़रमाया, "अल्लाह तआला नबी को उस जगह फ़ौत करता है जहाँ उसका दफ़न होना पसन्द करता है।" (इस वजह से सहाबा (ﷺ) ने) आपको आपकी बिस्तर की जगह पर ही दफ़न किया।

सहीह: अबू याला:45. शमाइले तिमिज़ी:398.

33- بَابُ أَيْنَ تَدْفَنُ الْأَنْبِيَاءُ؟

1018 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَلَفُوا فِي دَفْنِهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا مَا نَسِيْتُهُ، قَالَ: مَا قُبِضَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُدْفَنَ فِيهِ، اذْفِنُوهُ فِي مَوْضِعِ فِرَاشِهِ.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है और अब्दुर्रहमान बिन अबी बक्र अल-मुलेकी को उसके हाफ़िज़े की वजह से ज़ईफ़ कहा गया है। लेकिन यह हदीस उसके अलावा भी एक सनद से मर्वी है। इसे इब्ने अब्बास (ﷺ) ने भी अबू बकर सिदीक के वास्ते के साथ नबी (ﷺ) से इसी तरह रिवायत किया है।

34-मुर्दों की अच्छी बातें जिक्र करने और उनकी बुरी बातों के तजकिरे से बाज़ रहने का हुक्म.

1019 - इब्ने उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “अपने फ़ौत शुदा लोगों की अच्छी बातें ज़िक्र करो और उनकी बुरी बातों को (बयान करने) से बाज़ रहो।”

जईफ़: अबू दाऊद: 4900. इब्ने हिब्बान: 3020. बैहकी: 4/75.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है मैंने मुहम्मद (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना कि इमरान बिन अनस अल-मकी मुन्करूल हदीस है। और बाज़ रावियों ने इस हदीस को बवास्ता अता सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत किया है। (अबू ईसा तिरमिज़ी फ़रमाते हैं: इमरान बिन अबी अनस मिखी है और इमरान बिन अनस से अस्बत और बड़ा रावी है।

35 - जनाज़ा रखे जाने से पहले बैठना.

1020 - सय्यदना उबादा बिन सामित (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब जनाज़ा के पीछे जाते तो जब तक कब्र में न रख दिया जाता, आप बैठते नहीं थे तो एक यहूदी आलिम आर के पास आकर कहने लगा: ऐ मुहम्मद (ﷺ) ! हम भी ऐसे ही करते हैं। रावी कहते हैं: फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) बैठ गए और फ़रमाया, “इन यहूदियों की मुखालिफ़त करो।”

हसन: अबू दाऊद: 3176. इब्ने माज़ा: 1545.

34 بَابُ آخِرُ فِي الْأُمْرِ بِذِكْرِ مَحَاسِنِ

الموتى والكف عن مساوئهم

1019 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَنَسِ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ، وَكُفُّوا عَنِ مَسَاوِئِهِمْ.

35 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجُلُوسِ قَبْلَ أَنْ تُوَضَعَ

1020 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَيْسَى، عَنْ بَشْرِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اتَّبَعَ الْجَنَازَةَ لَمْ يَقْعُدْ، حَتَّى تُوَضَعَ فِي اللَّحْدِ، فَعَرَضَ لَهُ حَبْرٌ، فَقَالَ: هَكَذَا تَصْنَعُ يَا مُحَمَّدُ، قَالَ: فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: خَالِفُوهُمْ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है और बिस्व बिन राफे हदीस में क़वी नहीं है।

36 - मुसीबत आने पर सवाब की उम्मीद से सब्र करने की फ़जीलत.

1021 - अबू सिनान (رحمته الله) रिवायत करते हैं कि मैंने अपने बेटे सिनान को दफ़न किया जबकि अबू तल्हा खौलानी (رحمته الله) क़ब्र के किनारे पर बैठे हुए थे जब मैं क़ब्र से निकलने लगा तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ कर फ़रमाया, “ऐ अबू सिनान! क्या मैं आप को ख़ुशख़बरी न दूँ? मैंने कहा क्यों नहीं उन्होंने कहा: मुझे ज़ह्हाक बिन अब्दुरहमान बिन अरज़ब ने सय्यदना अबू मूसा अशअरी (رحمته الله) के हवाले से बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “जब किसी बन्दे का बेटा फ़ौत होता है तो अल्लाह तआला अपने फरिश्तों से कहते हैं, तुमने मेरे बन्दे के बेटे की रूह को कब्ज़ किया है? तो वह कहते हैं जी हाँ, अल्लाह तआला फ़रमाते हैं, तुमने उसके दिल का फल छीन लिया है? वह कहते हैं: हाँ, अल्लाह तआला फ़रमाते हैं: मेरे बन्दे ने इस मौक़ा पर क्या कहा था? वह कहते हैं: उसने तेरी हम्द की और إنا لله وانا إليه راجعون पढ़ा तो अल्लाह तआला फ़रमाते हैं: मेरे बन्दे के लिए जन्नत में एक घर बना दो और उसका नाम बैतूल हम्द रख दो।

हसन: मुसनद अहमद: 4/415. तयालिसी: 508. इब्ने हिब्बान: 2948.

तौज़ीह: إنا لله وانا إليه راجعون कहने को इस्तिर्जा कहा जाता है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है।

36 بَابُ فَضْلِ الْمُصِيبَةِ إِذَا احْتَسَبَ

1021 - حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، قَالَ: دَفَنْتُ ابْنِي سِنَانًا، وَأَبُو طَلْحَةَ الْخَوْلَانِيُّ جَالِسٌ عَلَيَّ شَفِيرِ الْقَبْرِ، فَلَمَّا أَرَدْتُ الْخُرُوجَ أَخَذَ بِيَدِي، فَقَالَ: أَلَا أَبَشْرُكَ يَا أَبَا سِنَانٍ؟ قُلْتُ: بَلَى، فَقَالَ: حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَزْرَبٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي، فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ، فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: حَمْدَكَ وَاسْتَرْجَعَ، فَيَقُولُ اللَّهُ: ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ.

37 - जनाजा पर तक्बीरात कहना.

1022 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने नजाशी की नमाजे जनाजा पढी तो चार तक्बीरें कहीं।

बुखारी: 1245. मुस्लिम: 951. अबू दाऊद: 3204. इब्ने माजा: 1534. निसाई: 1971.

तौजीह: नजाशी का नाम अस्मह था। हब्शा के बादशाह थे। इस्लाम कुबूल किया लेकिन नबी (ﷺ) से मुलाकात का शरफ हासिल ना कर सके अल्लाह तआला ने बज़रिये व्हय आप (ﷺ) को उनकी वफ़ात की इत्तला (सूचना) दी तो आप (ﷺ) ने उनकी गायबाना नमाजे जनाजा पढाई। इस हदीस में गायबाना नमाजे जनाजा का वाजेह सबूत मौजूद है।

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास, इब्ने अबी औफ़ा, जाबिर, अनस और यज़ीद बिन साबित (رضي الله عنه) से भी रिवायात मवी हैं।

इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: सय्यदना यज़ीद बिन साबित, सय्यदना ज़ैद बिन साबित (رضي الله عنه) के बड़े भाई हैं। यह बद्र में शरीक थे जब कि ज़ैद (رضي الله عنه) बद्र में शरीक नहीं हुए थे।

अबू ईसा (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की यह हदीस हसन सहीह है और नबी (ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से अक्सर अहले इल्म का इसी पर अमल है कि जनाजा पर चार तक्बीरें होंगी। सुफ़ियान सौरी, मालिक बिन अनस, इब्ने मुबारक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक (رضي الله عنه) भी इसी के कायल हैं।

1023 – अब्दुरहमान बिन अबी लैला कहते हैं कि ज़ैद बिन इक्रिमा (رضي الله عنه) हमारे फ़ौत शुदा लोगों के जनाजों पर चार तक्बीरें कहते थे और उन्होंने एक जनाजा पर पांच तक्बीरें कहीं, हमने उनसे इसके बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया, “रसूलुल्लाह (ﷺ) यह तक्बीरें कहा करते थे।

मुस्लिम: 957. अबू दाऊद: 3197. इब्ने माजा: 1505. निसाई: 1982.

37 بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ

1022 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا.

1023 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ مَرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَازِنَا أَرْبَعًا، وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةِ خُمْسًا، فَسَأَلْتَاهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُهَا.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (रह) फ़रमाते हैं: ज़ैद बिन इक्रिमा (रह) की हदीस हसन सहीह है। नीज नबी (रह) के सहाबा (रह) और दीगर लोगों में से बाज़ उलमा इसी पर मज़हब रखते हुए जनाज़ा पर पांच तकबीरों के कायल हैं।

इमाम अहमद और इस्हाक़ (रह) कहते हैं: जब इमाम जनाजे पर पांच तकबीरें कहे तो (पढ़ने वाला) इमाम की पैरवी करेगा।

38- मय्यत पर नमाजे जनाजा में क्या दुआ पढ़े?

1024 - अबू इब्राहीम अशहली अपने बाप से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (रह) जब भी नमाजे जनाजा पढ़ते तो कहते "ऐ अल्लाह! हमारे ज़िंदा और मुर्दे को, हाज़िर और ग़ायब को, छोटे और बड़े को, मर्द और औरत को बख़्श दे।" यह्या कहते हैं: अबू सलमा बिन अब्दुरहमान ने बवास्ता अबू हरैरा (रह) नबी (रह) से इसी तरह हदीस बयान की और इसमें यह अल्फ़ाज़ ज़्यादा थे "ऐ अल्लाह! हम में से जिसे तु ज़िन्दा रखे तू उसे इस्लाम पर ज़िन्दा रख और हम में से जिसे तु फ़ौत करे उसे इमान पर फ़ौत कर।"

सहीह.

38 بَابُ مَا يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ

1024 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هَقْلُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِبْرَاهِيمَ الْأَشْهَلِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ، قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا. قَالَ يَحْيَى: وَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَزَادَ فِيهِ: اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَخِيهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ.

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुरहमान बिन औफ़, आयशा, अबू क़तादा, जाबिर और औफ़ बिन मालिक (रह) से भी अहादीस मर्वी हैं। इमाम तिमिज़ी (रह) फ़रमाते हैं: अबू इब्राहीम के वालिद की हदीस हसन सहीह है। नीज हिशाम दस्तवाई और अली बिन मुबारक ने इस हदीस को यह्या बिन अबी कसीर से बवास्ता अबू सलमा बिन अब्दुरहमान (रह) नबी (रह) से मुसल रिवायत किया है और इक्रिमा बिन अम्मार ने यह्या बिन अबी कसीर से बवास्ता अबू सलमा सय्यदा आयशा (रह) के ज़रिया

नबी (ﷺ) से रिवायत की है। इकिमा बिन अम्मार की हदीस गैर महफूज़ है (क्योंकि) इकिमा बसा औक्रात यह्या की हदीस में वहम कर जाते थे। और यह्या बिन अबी कसीर से बवास्ता अब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा अन अबीह भी नबी (ﷺ) से मर्वी है।

अबू ईसा फ़रमाते हैं: मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुखारी (ﷺ) को सुना वह फ़रमा रहे थे: इस मसले में सब से सहीह रिवायत यह्या बिन अबी कसीर की बवास्ता अबू इब्राहीम अशहली उनके बाप के ज़रिया नबी (ﷺ) से रिवायत कर्दा है। कहते हैं: मैंने उनसे इब्राहीम अशहली के वालिद का नाम पूछा तो उन्हें पता नहीं था।

1025 - सय्यदना औफ़ बिन मालिक (ﷺ) रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को एक मय्यत पर नमाज़ पढ़ते हुए सुना तो मैंने आपकी दुआ में से यह दुआ सीखी: "ऐ अल्लाह! इसे बख़्श दे, इस पर रहम फ़रमा, इस (के गुनाहों) को (रहमत के) ओलों से धो दे और उसे ऐसे धो दे जैसे कपड़ा धोया जाता है।"

मुस्लिम:963. इब्ने माजा:1500. निसाई:1983.

1025 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى مَيِّتٍ، فَفَهَمْتُ مِنْ صَلَاتِهِ عَلَيْهِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ، وَاعْسِلْهُ بِالْبَرْدِ، وَاعْسِلْهُ كَمَا يُعْسَلُ الثُّوبُ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। मुहम्मद बिन इस्माईल बुखारी (ﷺ) फ़रमाते हैं: इस मसले में सबसे सहीह चीज़ यह हदीस है।

39 - नमाजे जनाजा में सूरह फातिहा की किरअत करना.

1026 - सय्यदना इब्ने अब्बास (ﷺ) से मर्वी है कि नबी (ﷺ) ने जनाजा पर सूरह फातिहा पढ़ी।

सहीह: इब्ने माजा:1498.

39 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الْجَنَائِزِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

1026 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ
عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

वज़ाहत: इस मसले में उम्मे शरीक (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) की हदीस की सनद कवी नहीं है। इब्राहीम बिन उस्मान अबू शैबा वास्ती मुन्करूल हदीस है। और सहीह इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) का कौल है कि जनाजा पर सूरह फातिहा को पढ़ना सुन्नत है।

1027- तल्हा बिन अब्दुल्लाह बिन औफ़ (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) ने नमाज़े जनाजा पढ़ाई तो सूरह फातिहा पढ़ी, मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया, “यह सुन्नत है या (यह कहा कि) इस से सुन्नत पूरी होती है।

सहीह: बुखारी: 1335. अबू दाऊद: 3198. इब्ने जारूद: 263. हाकिम: 358.

1027 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، صَلَّى عَلَيَّ جَنَازَةً، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ، أَوْ مِنْ تَمَامِ السُّنَّةِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज नबी (ﷺ) के सहाबा (رضي الله عنهم) और दीगर लोगों में से बाज़ (कुछ) उलमा पहली तकबीर के बाद सूरह फातिहा पढ़ने को पसन्द करते हैं। इमाम शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक (رضي الله عنه) भी इसी के कायल हैं।

बाज़ उलमा कहते हैं नमाज़े जनाजा में किरअत न करे इसमें तो सिर्फ अल्लाह की तारीफ़ उस के नबी (ﷺ) पर दरूद और मय्यत के लिए दुआ है इस के कायल सुफ़ियान सौरी और दीगर अहले कूफ़ा हैं।

तल्हा बिन अब्दुल्लाह बिन औफ़ सय्यदना अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (रज़ि0) के भतीजे हैं। उन से जोहरी भी रिवायत लेते हैं।

40 - नमाज़े जनाजा का तरीका और मय्यत के लिए शफ़ाअत करना.

1028- मर्सद बिन अब्दुल्लाह यजनी (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं सय्यदना मालिक बिन हुबैरह (رضي الله عنه) जब नमाज़े जनाजा पढ़ाते तो अगर

40 بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ وَالشَّفَاعَةَ لِلْمَيِّتِ

1028 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَيُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ

लोग कम होते तो उन्हें तीन हिस्सों (सफ़ों) में तक्सीम कर लेते, फिर फ़रमाते: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “जिस पर तीन सफ़ों (के लोगों) ने नमाज़े जनाज़ा पढ़ दी उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई।

हसन: अबू दाऊद: 3166. इब्ने माज़ा: 1390. मुसनद अहमद: 4/79. इब्ने अबी शैबा: 3/322.

مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ، قَالَ: كَانَ مَالِكُ بْنُ هُبَيْرَةَ، إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ، فَتَقَالَ النَّاسُ عَلَيْهَا، جَزَاءُهُمْ ثَلَاثَةٌ أَجْزَاءٍ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ فَقَدْ أُوجِبَ.

वज़ाहत: इस मसले में आयशा, उम्मे हबीबा, अबू हुरैरा और नबी (ﷺ) की बीवी मैमूना (رضي الله عنها) से भी अहादीस मवनी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: मालिक बिन हुबैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन है और कई रावियों ने मुहम्मद बिन इस्हाक़ से इसी तरह रिवायत की है। और इब्राहीम बिन साद ने मुहम्मद बिन इस्हाक़ से रिवायत करते वक़्त मर्सद और इमाम मालिक बिन हुबैरा के दर्मियान एक आदमी को दाख़िल किया है और हमारे नज़दीक इन लोगों की रिवायत ज़्यादा सहीह है।

1029 - सच्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “मुसलामानों में जब कोई आदमी फ़ौत हो जाए और उस पर मुसलामानों की एक जमाअत जिनकी तादाद सौ के करीब हो वह नमाज़ पढ़ कर सिफारिश करें तो उनकी सिफारिश कुबूल की जाती है।” अली बिन हुज़र ने अपनी हदीस में: “सौ से ज़्यादा” का ज़िक्र किया है।

मुस्लिम: 947. निसाई: 1991.

1029 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ (ح) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، رَضِيَ عَنْهُ كَانَ لِعَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَمُوتُ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَتُصَلِّيَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، يَثْلَعُونَ أَنْ يَكُونُوا مِائَةً فَيَشْفَعُوا لَهُ إِلَّا شَفَعُوا فِيهِ. وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ فِي حَدِيثِهِ: مِائَةٌ فَمَا فَوْقَهَا.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (रह) फ़रमाते हैं: आयशा (रह) की हदीस हसन है और बाज़ ने इसे मौकूफ़ ज़िक्र किया मफूअ ज़िक्र नहीं किया।

41 - सूरज निकलते और गुरुब होते वक़्त नमाज़े जनाज़ा पढ़नी मना है.

41 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ عَلَى
الْجَنَائِزِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا

1030 - उक़्बा बिन आमिर अल-जुहनी (रह) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (रह) तीन घड़ियों में हमें नमाज़ पढ़ने और मुदों को दफ़नाने से मना करते थे जब सूरज चमकता⁽¹⁾ हुआ निकल रहा हो यहाँ तक कि बुलंद हो जाए, जब दोपहर कायम होती है यहाँ तक कि ढल जाए और जब सूरज गुरुब होने के लिए झुके यहाँ तक कि गुरुब हो जाए।

1030 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ بْنِ رِيَّاحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ غَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ نَقْبِرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَارِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَتَّقُمُ قَائِمُ الظُّهَيْرَةِ حَتَّى تَمِيلَ، وَحِينَ تَضِيئُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ.

तौज़ीह: ⁽¹⁾तुलू के लिए ज़ाहिर हो रहा हो।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (रह) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और नबी (रह) के सहाबा और दौगर लोगों में से बाज़ उलमा इसी पर अमल करते हुए इन औकात में नमाज़े जनाज़ा पढ़ने को मकरूह (नापसंदीदा) कहते हैं।

इब्ने मुबारक (रह) फ़रमाते हैं: मुदें दफ़नाने से मुराद भी नमाज़े जनाज़ा ही है और उन्होंने सूरज तुलू होते, गुरुब होते और दोपहर के वक़्त ढलने तक नमाज़े जनाज़ा को मकरूह कहा है। अहमद और इस्हाक (रह) भी यही कहते हैं।

इमाम शाफ़ेई (रह) फ़रमाते हैं: जिन औकात (वक़्तों) में नमाज़ पढ़ना मना है उनमें नमाज़े जनाज़ा पढ़ने में कोई क़बाहत नहीं है।

42 - बच्चों की नमाजे जनाजा.

1031 - मुगीरह बिन शोबा से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “सवार जनाजे के पीछे रहे, पैदल जहां चाहे चल सकता है और बच्चे की नमाज़ पढ़ी जाएगी।”

अबू दारूद: 3180. इब्ने माजा:1481. निसाई:1942.

42 مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْأَطْفَالِ

1031 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ ابْنُ بَنْتِ أَزْهَرَ السَّمَّانِ البَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الرَّابِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ، وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا، وَالطُّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और इखाईल वगैरह ने सईद बिन अब्दुल्लाह से रिवायत की है। नीज नबी (ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ उलमा इसी पर अमल करते हुए कहते हैं: जब पता चल जाए कि बच्चे में रूह फूँक दी गई है अगरचे वह पैदा होने के बाद चीख ना भी मारे तो भी बच्चे की नमाजे जनाजा अदा की जाए।

43 - जब तक बच्चा रोये न उसकी नमाजे जनाजा न पढ़ने का जवाज़.

1032 - सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “जब तक बच्चा (विलादत (पैदाइश) के बाद) रोये न, उसकी नमाजे जनाजा न पढ़ी जाए न वह ख़ुद वारिस बन सकता है।”

इब्ने माजा: 1508. इब्ने हिब्बान:6032.

43 بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنِينِ حَتَّى يَسْتَهْلَ

1032 - حَدَّثَنَا أَبُو عَمَارٍ الْحُسَيْنِيُّ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمِ الْمَكِّيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الطُّفْلُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَلَا يَرِثُ، وَلَا يُورَثُ حَتَّى يَسْتَهْلَ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: इस हदीस में रावियों ने इज़्तिराब किया है बाज़ ने बवास्ता अबू जुबैर सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) से मफूअ रिवायत की है जबकि अशअस बिन सवार वगैरह ने

बवास्ता अबू जुबैर, जाबिर (رضي الله عنه) से मौकूफ़ रिवायत की है। और मुहम्मद बिन इस्हाक़ ने भी बवास्ता अता बिन अबी रबाह, सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) से मौकूफ़ रिवायत की है। गोया यह (मौकूफ़ हदीस) मर्फूअ हदीस से ज़्यादा सहीह है।

नीज बाज़्र अहले इल्म का यही मज़हब है कि बच्चा जब रोये न, तो उसकी नमाज़े जनाज़ा न पढ़ी जाए। यह कौल सुफ़ियान सौरी और शाफ़ेई का है।

44 - मस्जिद में नमाज़े जनाज़ा पढ़ना.

1033 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सुहैल बिन बैजा की नमाज़े जनाज़ा मस्जिद में पढ़ी।

मुस्लिम:973. अबू दारुद: 3189.इब्ने माजा:1518.
निसाई:1967.

44 بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي

الْمَسْجِدِ

1033 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ حَمْرَةَ، عَنْ عَبَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيَّ سُهَيْلِ ابْنِ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है और बाज़्र अहले इल्म के नज़दीक इसी पर अमल है। इमाम शाफ़ेई (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं कि इमाम मालिक का कहना है मय्यत की नमाज़े जनाज़ा मस्जिद में न पढ़ी जाए जबकि शाफ़ेई (رضي الله عنه) कहते हैं: मस्जिद में नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जा सकती है। और उन्होंने इसी हदीस से दलील ली है।

45 - मर्द और औरत के जनाज़े में इमाम कहाँ खड़ा हो?

1034 - अबू ग़ालिब (رضي الله عنه) कहते हैं कि मैंने अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) के साथ एक आदमी की नमाज़े जनाज़ा पढ़ी तो उसके सिर के बराबर खड़े हुए फिर लोग कुरैशी औरत का जनाज़ा लाये, उन्होंने कहा: ऐ अबू हज़ा!

45 بَابُ مَا جَاءَ أَيُّنَ يَقُومُ الْإِمَامُ مِنَ

الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ

1034 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ هَمَامٍ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَلَيَّ جَنَازَةَ رَجُلٍ، فَقَامَ حَيْثَ رَأْسِهِ، ثُمَّ جَاءُوا بِجَنَازَةِ امْرَأَةٍ مِنْ

इसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ा दें तो वह चारपाई के दर्मियान के बराबर खड़े हुए तो अला बिन जियाद ने कहा क्या आप ने (रसूलुल्लाह (ﷺ)) को देखा था कि वह औरत के जनाज़े में यहाँ और मर्द के जनाज़ा में भी आपकी जगह खड़े होते थे? उन्होंने फ़रमाया, "हाँ, फिर जब फ़ारिग हुए तो कहने लगे: इस बात को याद कर लो।

قَرَشِي، فَقَالُوا: يَا أَبَا حَمْرَةَ صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَامَ حَيْثَ وَسَطِ السَّرِيرِ، فَقَالَ لَهُ الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ: هَكَذَا رَأَيْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْجَنَازَةِ مُقَامَكَ مِنْهَا وَمِنْ الرَّجُلِ مُقَامَكَ مِنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: احْفَظُوا

वज़ाहत: इस मसले में समुरा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: अनस (رضي الله عنه) की हदीस हसन है और कई रावियों ने हम्माम से इस जैसी हदीस रिवायत की है। और वकीअ ने हम्माम से यह हदीस बयान करते वक़्त ग़ालिब बवास्ता अनस कहा है जबकि सहीह नाम अबू ग़ालिब है। नीज अब्दुल वारिस बिन सईद वगैरह ने भी इस हदीस को अबू ग़ालिब के वास्ते के साथ हम्माम की रिवायत की तरह बयान किया है और मुहद्दिसीन ने अबू ग़ालिब के नाम के बारे में इख़ितलाफ़ किया है: बाज़ इसका नाम नाफ़े जबकि बाज़ राफ़े कहते हैं। नीज बाज़ उलमा का इसी (हदीस) पर अमल है इमाम अहमद और इस्हाक़ (رحمته الله) भी इसी के कायल हैं।

1035 - समुरा बिन जुन्दुब (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने एक औरत की नमाज़े जनाज़ा पढ़ाई तो आप उसके दर्मियान खड़े हुए।
बुखारी: 322. मुस्लिम: 964. अबू दाऊद: 3195. इब्ने माजा: 1493. निसाई: 1976.

1035 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَالْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيْدَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ فَقَامَ وَسَطَهَا.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और इसे शोबा ने हुसैन अल मुअल्लिम से रिवायत किया है।

46 - शहीद की नमाज़े जनाज़ा न पढ़ना.

1036 - जाबिर बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) शोहदाए उहुद में से दो आदमियों

46 بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ

1036 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ

को एक कपड़े में जमा करते फिर फ़रमाते: “इन दोनों में से ज़्यादा कुरआन किसे याद था?” जब किसी एक की तरफ इशारा किया जाता आप क़ब्र में उसे आगे रखते और आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “मैं क़यामत के दिन इन लोगों पर गवाह हूंगा और आप ने उनके खून (वाले कपड़ों) में ही उन्हें दफ़न करने का हुक्म दिया, न उनकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ी और न ही उनको गुस्ल दिया गया।

बुखारी: 1343. अबू दाऊद: 3138. इब्ने माजा: 1514. निसाई: 1955.

वज़ाहत: इस मसले में अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: जाबिर (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। नीज यह हदीस ज़ोहरी से बवास्ता अनस (رضي الله عنه) भी नबी (ﷺ) से मर्वी है और ज़ोहरी से बवास्ता अब्दुल्लाह बिन सालबा बिन अबी सईद भी नबी (ﷺ) से रिवायत की गई है और बाज़ ने इसे जाबिर (رضي الله عنه) से भी ज़िक्र किया है। नीज अहले इल्म का शहीद की नमाज़े जनाज़ा के बारे में इख़्तिलाफ़ है: बाज़ कहते हैं: शहीद की नमाज़े जनाज़ा न पढ़ी जाए यह कौल अहले मदीना का है। इमाम शाफ़ेई और अहमद (رحمته الله) भी इसी के क़ायल हैं।

जबकि बाज़ कहते हैं कि शहीद की नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जाये और उनकी दलील नबी (ﷺ) की यह हदीस है कि आप (ﷺ) ने हमज़ा (رضي الله عنه) की नमाज़े जनाज़ा पढ़ी यह कौल सुफ़ियान सौरी और अहले कूफ़ा का है। नीज इस्हाक (رحمته الله) भी इसी के क़ायल हैं।

47 - क़ब्र पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ने का बयान.

1037 - शाबी कहते हैं मुझे उस शख़्स ने बयान किया जिस ने नबी (ﷺ) को देखा कि आप ने (आम क़ब्रों से) दो अकेली क़ब्र देखी तो आप (ﷺ) ने अपने पीछे अपने सहाबा की सफें बनाई और उस पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ी। शाबी से कहा गया: आपको किसने ख़बर दी? तो

47 بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ

1037 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَأَى قَبْرًا مُنْتَبِذًا فَصَفَّ

उन्होंने फ़रमाया, “इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) ने।
 बुखारी:857. मुस्लिम:954. अबू दाऊद: 3196. इब्ने
 माजा: 1530. निसाई:3023.

أَصْحَابُهُ خَلْفَهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَقِيلَ لَهُ: مَنْ
 أَخْبَرَكَ؟ فَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ.

वज़ाहत: इस मसले में अनस, बुरैदा, यज़ीद बिन साबित, अबू हुरैरा, आमिर बिन रबीआ, अबू क़तादा और सहल बिन हुनैफ़ (رضی اللہ عنہ) से भी अहादीस मर्वी हैं। तिर्मिज़ी (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) की हदीस हसन सहीह है। और नबी (ﷺ) के सहाबा (رضی اللہ عنہ) और दीगर लोगों में से जुम्हूर उलमा का इसी पर अमल है नीज इमाम शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رضی اللہ عنہ) भी यही कहते हैं।

जबकि बाज़ उलमा कहते हैं: क़ब्र पर नमाज़े जनाज़ा न पढ़ी जाए, यह कौल मालिक बिन अनस (رضی اللہ عنہ) का है। अब्दुल्लाह बिन मुबारक़ फ़रमाते हैं: अगर नमाज़े जनाज़ा पढ़े बग़ैर मय्यत को दफ़ना दिया जाए तो क़ब्र पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जा सकती है।

इमाम अहमद और इस्हाक़ कहते हैं: क़ब्र पर एक महीने तक नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जा सकती है और वह कहते हैं: हमने इब्ने मुसय्यब की तरफ़ से अक्सर यही सुना है कि नबी (ﷺ) ने साद बिन उबादा (رضی اللہ عنہ) की माँ की क़ब्र पर एक महीने के बाद नमाज़े जनाज़ा पढ़ी थी।

1038 - सईद बिन मुसय्यब (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि सय्यदा उम्मे साद (رضی اللہ عنہ) फ़ौत हो गयीं और नबी (ﷺ) (मदीना में) मौजूद नहीं थे तो जब आप आए आप (ﷺ) ने उनकी क़ब्र पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ी हालांकि इस बात को एक महीना गुज़र चुका था।

ज़ईफ़: बेहकी: 4/48. इब्ने अबी शैबा:3/360.

1038 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا
 يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ،
 عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أُمَّ
 سَعْدٍ مَاتَتْ وَالنَّبِيُّ ﷺ غَائِبٌ، فَلَمَّا قَدِمَ
 صَلَّى عَلَيْهَا وَقَدْ مَضَى لَذَلِكَ شَهْرٌ.

48 - नबी (ﷺ) का नजाशी की नमाज़े जनाज़ा पढ़ना.

1039 - सय्यदना इमरान बिन हुसैन (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हम से फ़रमाया, “बेशक तुम्हारा भाई नजाशी फ़ौत हो गया है सो तुम खड़े हो जाओ और उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ो।” कहते हैं, हम खड़े हुए और ऐसे

48 بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّجَاشِيِّ

1039 - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلْفٍ،
 وَحَمِيدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ
 الْمَقْضَلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ
 مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ

ही सफे बनायीं जिस तरह मय्यत पर सफे बनाई जाती हैं और ऐसे ही नमाज़ पढ़ी जैसे मय्यत पर पढ़ी जाती है।

मुस्लिम: 953. इब्ने माजा: 1535. निसाई: 1975.

عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَحَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ، فَقومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ، قَالَ: فَقَمْنَا، فَصَفَّقْنَا كَمَا يُصَفُّ عَلَى الْمَيِّتِ، وَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ كَمَا يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ.

वज़ाहत: इस मसले में अबू हरैरा, जाबिर बिन अब्दुल्लाह, अबू सईद, हुज़ैफा बिन उसैद और जर्रीर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वा हैं। तिमिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: इस सनद के साथ यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। और अबू किलाबा ने अपने चचा अबू मुहल्लब के वास्ते के साथ इमरान बिन हुसैन (رضي الله عنه) से रिवायत किया है। अबू मुहल्लब का नाम अब्दुरहमान बिन मुरा है उन्हें मुआविया बिन मुरा भी कहा जाता है।

49 - नमाजे जनाजा पढ़ने की फज़ीलत.

1040 - अबू हरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "जिसने नमाजे जनाजा पढ़ी उसके लिए एक कीरात (का सवाब) होता है और जो उसके पीछे चले यहाँ तक कि उसकी तद्फ़ीन मुकम्मल हुई तो उसके लिए दो कीरात हैं। उनमें से एक या छोटा कीरात उहुद की तरह होता है।" अबू सलमा (رضي الله عنه) कहते हैं: मैंने इसका ज़िक्र अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से किया तो उन्होंने आयशा (رضي الله عنها) को पैगाम भेज कर इसके बारे में उन से पूछा तो उन्होंने फ़र्माया: "अबू हरैरा (رضي الله عنه) सच कहते हैं। इब्ने उमर (رضي الله عنه) फ़रमाने लगे: हमने तो बहुत से कीरात (हासिल करने) में सुस्ती कर ली।

बुखारी: 47. मुस्लिम: 945. इब्ने माजा: 1539. निसाई: 1994-1997.

49 بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ

1040 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ جَنَائِزَةً فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى يُقْضَى دَفْنُهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ، أَحَدُهُمَا أَوْ أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ.

वज़ाहत: इस मसले में बरा, अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़फल, अब्दुल्लाह बिन मसरूद, अबू सईद, उबय बिन काब, इब्ने उमर और सौबान (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं। तिमिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और उनसे कई तुरूक से मर्वी है।

50 - जनाज़ा के पीछे किस क़दर चलना या उसे उठाना काफ़ी होता है?

1041 - अबू मुहज्ज़िम (رضي الله عنه) कहते हैं: मैंने दस साल सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) के साथ रहा हूँ मैंने उनको फ़रमाते हुए सुना कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना आप ने फ़रमाया, "जो शख्स जनाज़े के पीछे चला और उसे तीन दफ़ा उठाया तो उसने अपने ज़िम्मे हक़ को अदा कर दिया।

ज़ईफ़; इब्ने अबी शैबा:3/ 283.

वज़ाहत: तिमिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है बाज़ ने इसी सनद के साथ रिवायत की है लेकिन इसे मफूअ बयान नहीं किया और अबू मुहज्ज़िम का नाम यज़ीद बिन सुफ़ियान है। इसे शोबा ने ज़ईफ़ कहा है।

51 - जनाज़ा देख कर खड़े हो जाना.

1042 - सय्यदना आमिर बिन रबीआ (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "जब तुम जनाज़ा को देखो तो उसके लिए खड़े हो जाओ, यहाँ तक कि वह तुम्हें पीछे छोड़ जाए या उसे रख दिया जाए।"

बुखारी: 1307. मुस्लिम: 958. अबू दारूद: 3172. इब्ने माजा: 1542. निसाई: 1915.

50 بَابُ آخِرُ قَدَرِ مَا يُجْزَى مِنْ إِتْبَاعِ الْجَنَازَةِ وَحَمَلِهَا

1041 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنصُورٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمُهَرَّمِ قَالَ: صَحِبْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَشْرَ سِنِينَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً، وَحَمَلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ مِنْ حَقِّهَا.

51 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

1042 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَامِرِ

بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلَّفَكُمْ أَوْ تُوَضَّعَ.

वज़ाहत: इस मसले में अबू सईद, जाबिर, सहल बिन हुनैफ़, कैस बिन साद और अबू हुरैरा (ﷺ) से भी रिवायात मर्वी हैं। तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: सय्यदना आमिर बिन रबीआ (ﷺ) की हदीस हसन सहीह है।

1043 - सय्यदना अबू सईद अल-खुदरी (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, “जब तुम जनाज़े को देखो तो उसके लिए खड़े हो जाओ (और) जो शख्स उसके पीछे जाता है तो जब तक उसे रख ना दिया जाए वह हरगिज़ न बैठे।”

बुखारी:1310 मुस्लिम:959 अबू दाऊद: 3173
निसाई:1914 तोहफतुल अशराफ़ :4420.

1043 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ الْحُلَوَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدَنَّ حَتَّى تُوَضَّعَ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: इस मसले में अबू सईद (ﷺ) की हदीस हसन सहीह है और इमाम अहमद व इस्हाक़ भी यही कहते हैं कि जो शख्स जनाज़े के पीछे जाए तो वह उस वक़्त तक न बैठे जब तक उसे आदमियों के कन्धों से उतार दिया जाए। जबकि नबी (ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ से मर्वी है कि वह जनाज़े के आगे चलते थे और जनाज़ा उन तक पहुँचने से पहले बैठे रहते थे। इमाम शाफ़ेई (ﷺ) भी इसी के क़ायल हैं।

52-जनाज़ा के लिए खड़े न होने की रुख़्सत

1044 - मसऊद बिन हकम (ﷺ) बयान करते हैं कि सय्यदना अली बिन अबी तालिब (ﷺ) के पास जनाज़े रखे जाने तक खड़े रहने का तज़क़िरा किया गया तो अली (ﷺ) ने

52 بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الْقِيَامِ لَهَا

1044 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ وَاقِدٍ وَهُوَ ابْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ

फरमाया, “रसूलुल्लाह(ﷺ) पहले खड़े हुआ करते थे फिर (बाद में) बैठने लग गए थे।

मुस्लिम: 962. अबू दाऊद: 3175. इब्ने माजा: 1544. निसाई: 1999.

مَسْعُودُ بْنُ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ ذَكَرَ الْقِيَامَ فِي الْجَنَائِزِ حَتَّى تُوَضَّعَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ قَعَدَ.

वज़ाहत: इस मसले में हसन बिन अली और इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से भी रिवायात मवों है। इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फरमाते हैं: अली (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और इसकी सनद में चार ताबेई एक दूसरे से रिवायत कर रहे हैं और बाज़ उलमा का इसी पर अमल है।

शाफ़ेई फरमाते हैं: यह इस मसले में सब से सहीह हदीस है। और यह हदीस पहली हदीस जब तुम जनाजा को देखो खड़े हो जाओ की नासिख (हुकम उठाने वाली) है।

इमाम अहमद (رحمته الله) फरमाते हैं: अगर चाहे खड़ा हो जाए, चाहे तो न खड़ा हो और उनकी दलील यह है कि नबी(ﷺ) खड़े होते थे फिर बैठने लगे। इस्हाक बिन इब्राहीम भी इसी तरह कहते हैं।

इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फरमाते हैं: अली (رضي الله عنه) के कौल कि नबी(ﷺ) जनाजा देख कर खड़े हुए थे फिर बैठने लगे का मतलब यह है कि जब नबी(ﷺ) कोई जनाजा देखते तो खड़े हो जाते फिर उसके बाद आप(ﷺ) ने यह काम छोड़ दिया आप जनाजा देख कर खड़े नहीं होते थे।

53 - नबी(ﷺ) का फ़रमान कि लहद हमारे लिए और शत्रु दूसरे लोगों के लिए.

1045 - इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फरमाया, “लहद हमारे लिए और शक दूसरे लोगों के लिए है।

सहीह: अबू दाऊद: 3208. इब्ने माजा: 1554. निसाई: 2009.

53 بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّحْدُ لَنَا، وَالشَّقُّ لِعَيْرِنَا

1045 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَنَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُوفِيُّ، وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ الْبَغْدَادِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا حَكَّامُ بْنُ سَلَمٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اللَّحْدُ لَنَا، وَالشَّقُّ لِعَيْرِنَا.

तौज़ीह: लहद: - बगली कब्र को लहद कहा जाता है, यह इस तरह तैयार होती है कि पहले ऊपर एक चार कोनों वाला गढ़ा खोद कर फिर उसके अन्दर क़िब्ला की जानिब एक और गढ़ा खोदा जाता है।

लहद का मानी होता है एक तरफ होना इसीलिए उसको लहद कहा जाता है और शक्कः - यह है कि ऊपर वाले गढ़े के दरमियान में नीचे दूसरा गढ़ा खोदना।

वज़ाहतः इस मसले में जरौर बिन अब्दुल्लाह, आयशा, इब्ने उमर और जाबिर (رضی اللہ عنہ) से भी अहादीस मर्वी हैं इमाम तिर्मिज़ी (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) की इस सनद से मर्वी हदीस हसन ग़रीब है।

54 - जब मय्यत को क़ब्र में दाख़िल किया जाए तो क्या कहना चाहिए?

54 بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا أُدْخِلَ الْمَيِّتَ الْقَبْرَ

1046 - सय्याना इब्ने उमर (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि जब मय्यत को क़ब्र में दाख़िल किया जाता तो नबी (ﷺ) कहते: (राविए हदीस) अबू ख़ालिद ने एक मर्तबा यह कहा कि मय्यत को जब लहद में रखा जाता तो आप कहते: "अल्लाह के नाम के साथ, उसकी तौफीक़ से और अल्लाह के रसूल (ﷺ) की मिल्लत पर" और एक मर्तबा यह अल्फ़ाज़ ज़िक्र किये हैं: "अल्लाह के नाम से, अल्लाह की तौफीक़ के साथ और अल्लाह के रसूल (ﷺ) की सुन्नत पर।" सहीह: अबू दारूद: 3213. इब्ने माजा: 1550.

1046 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أُدْخِلَ الْمَيِّتَ الْقَبْرَ، وَقَالَ أَبُو خَالِدٍ مَرَّةً: إِذَا وُضِعَ الْمَيِّتُ فِي لَحْدِهِ، قَالَ مَرَّةً: بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، وَقَالَ مَرَّةً: بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

तौज़ीहः एक दफ़ा रावी ने **عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ** , और एक मर्तबा **بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ** के अल्फ़ाज़ बयान किये। आप अंदाजा फ़रमाएं कि मुहद्दिसीन ने किस तरह एहतियात से काम लेते हुए अहादीस को बयान किया है कि अगर रावी ने दो मजलिसों में हदीस बयान की है और दोनों दफ़ा अल्फ़ाज़ बदल कर रिवायत की है तो इसी तरह साहिबे किताब ने बयान कर दिये कि कहीं हदीसे रसूल में झूठ न बन जाए लेकिन आज नाम निहाद उलमा अपनी मज़ी से फ़ज़ाइल की अहादीस गढ़ कर लोगों को गुमराह करते फिर रहे हैं।

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं: इस सनद के साथ यह हदीस हसन ग़रीब है। नीज यह हदीस कई तुरूक़ से सय्यदना इब्ने उमर (رضی اللہ عنہ) से भी मर्वी है और अबू सिद्दीक़ अन्नाजी ने भी इसे बवास्ता इब्ने उमर (رضی اللہ عنہ) नबी (ﷺ) से रिवायत किया है। इसी तरह अबू सिद्दीक़ अन्नाजी इब्ने उमर (رضی اللہ عنہ) से मौक़ूफ़न भी रिवायत करते हैं।

55 - कब्र में सय्यत के नीचे कपड़ा रखना.

1047 - जाफ़र बिन मुहम्मद رضي الله عنه अपने बाप से रिवायत करते हैं कि जिन्होंने रसूलुल्लाह ﷺ की कब्रे मुबारक तैयार की थी वह सय्यदना अबू तल्हा رضي الله عنه थे और जिसने कब्र में रसूलुल्लाह ﷺ के नीचे चादर बिछाई थी वह रसूलुल्लाह ﷺ के आज़ादकर्दा शुक्रान رضي الله عنه थे। जाफ़र कहते हैं: "मुझे उबैदुल्लाह बिन अबू राफे ने बताया कि मैंने शुक्रान رضي الله عنه को फ़रमाते हुए सुना, "अल्लाह की क़सम! मैंने ही रसूलुल्लाह ﷺ के नीचे कब्र में चादर बिछाई थी।"

सहीहुल इस्नाद.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास رضي الله عنه से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिरिमीज़ी رضي الله عنه फ़रमाते हैं: शुक्रान رضي الله عنه की हदीस हसन ग़रीब है और अली बिन मदीनी ने भी उस्मान बिन फ़र्कद से इस हदीस को रिवायत किया है।

1048 - सय्यदना इब्ने अब्बास رضي الله عنه रिवायत करते हैं कि नबी ﷺ की कब्रे मुबारक में सुख़ चादर रखी गई थी।

मुस्लिम: 967. निसाई: 2012.

वज़ाहत: मुहम्मद बिन बशशार दूसरी जगह कहते हैं: हमें मुहम्मद बिन जाफ़र और यह्या ने शोबा से बवास्ता अबू हमज़ा सय्यदना इब्ने अब्बास رضي الله عنه से रिवायत की है और यह ज़्यादा सहीह है।

इमाम तिरिमीज़ी رضي الله عنه फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है नीज शोबा ने इसे अबू हमज़ा क़साब से रिवायत किया है, जिनका नाम इमरान बिन अबी अता है और अबू ज़मरा अज़ज़बई से भी जिनका नाम नसर बिन

55 باب مَا جَاءَ فِي الثُّوبِ الْوَاحِدِ يُلْقَى
تَحْتَ الْمَيِّتِ فِي الْقَبْرِ

1047 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَرْحَمَ الطَّائِيّ
الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ فَرْقَدٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
الَّذِي أَحَدَ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَبُو طَلْحَةَ، وَالَّذِي ألقى الْقَطِيفَةَ تَحْتَهُ
شُقْرَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

قَالَ جَعْفَرٌ: وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ
قَالَ: سَمِعْتُ شُقْرَانَ يَقُولُ: أَنَا وَاللَّهِ طَرَحْتُ
الْقَطِيفَةَ تَحْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْقَبْرِ.

1048 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جُعِلَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ.

इमरान है, मर्वी है और यह दोनों (अबू हम्ज़ा और अबू जमरा) इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) के शागिर्द हैं।

नीज इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से यह भी मर्वी है कि वह कब्र में मय्यत के नीचे कोई चीज़ बिछाने को नापसन्द करते थे। और बाज़ उलमा का भी यही मज़हब है।

56 - कब्र को (जमीन के) बराबर करना.

1049 - अबू वाइल (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि अली (رضي الله عنه) ने अबू हय्याज असदी से कहा, मैं तुम्हें उस काम पर भेज रहा हूँ जिस पर मुझे नबी (ﷺ) ने भेजा था कि किसी बलन्द कब्र को न छोड़ो मगर उसे बराबर कर दो और न किसी मूर्ती को मगर उसे पिटा डालो।

सहीह: अबू दाऊद: 3218. निसाई: 2031. मुसन्द अहमद: 1/89. मुस्लिम: 3/61.

तौज़ीह: जो कब्र एक बालिशत से ज़्यादा ऊंची हो उसे एक बालिशत तक बाक़ी रखा जाए।

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: अली (رضي الله عنه) की हदीस हसन है और बाज़ उलमा इसी पर अमल करते हुए कब्र को ज़मीन से बलन्द करने को मकरूह (नापसंद) कहते हैं।

शाफ़ेई (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: मैं कब्र बलन्द करने को मकरूह समझता हूँ, मगर इतनी जायज़ है जिस से पता चल जाए कि यह कब्र है ताकि उसे रोंदा या उस पर बैठा ना जाए।

57 - कब्रों पर चलना, बैठना और उसकी तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ना मना है.

1050 - सय्यदना अबू मसूद अल-गनवी (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, "न तुम कब्रों पर बैठो और न उसकी तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ो।"

मुस्लिम: 9721 अबू दाऊद: 32291 निसाई: 760

56 بَابُ مَا جَاءَ فِي تَسْوِيَةِ الْقُبُورِ

1049 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ لِأَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ: أَبْعَثْكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي بِهِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ لَا تَدَعُ قَبْرًا مُسْرَفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ، وَلَا تَمْتَلِأَ إِلَّا طَمَسْتَهُ.

57 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ السُّهُبِ عَلَى الْقُبُورِ، وَالْجُلُوسِ عَلَيْهَا، وَالصَّلَاةِ إِلَيْهَا

1050 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْمَعِ، عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ

الْعَنَوِيُّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ، وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، وَشَيْبِرِ بْنِ الْخَصَّاصِيَّةِ.

वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरैरा, अम्र बिन हज्म और बिश्र बिन खसासिया (رضي الله عنه) से भी रिवायात मवीं हैं। इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: हमें मुहम्मद बिन बशार ने (वह कहते हैं:) हमें अब्दुरहमान बिन महदी ने बवास्ता अब्दुल्लाह बिन मुबारक इसी सनद से इसी तरह हदीस बयान की है। □

1051 - वासिला बिन अस्का बवास्ता अबू मर्सद अल-गनवी नबी (ﷺ) से इसी तरह बयान करते हैं और इस सनद में अबू इदरीस का वास्ता नहीं है। और यही सहीह है।

सहीह: तखरीज के लिए पिछली हदीस देखें।

1051 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، وَأَبُو عَمَّارٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْتَعِ، عَنْ أَبِي مَرْثَدِ الْعَنَوِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ وَلَيْسَ فِيهِ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، وَهَذَا الصَّحِيحُ.

वज़ाहत: अबू ईसा (رضي الله عنه) कहते हैं: मुहम्मद (बिन इस्माईल बुखारी رضي الله عنه) कहते हैं: इब्ने मुबारक की हदीस खता है। इसमें इब्ने मुबारक ने गलती की है और इस में अबू इदरीस खौलानी के वास्ते को ज़्यादा किया है। यह तो बुस् बिन अबैदुल्लाह वासिला से बयान करते हैं। इसी तरह कई रावियों ने अब्दुरहमान बिन यज़ीद बिन जाबिर से रिवायत की है। इस में अबू इदरीस खौलानी का ज़िक्र नहीं है और बुस् बिन अबैदुल्लाह ने वासिला बिन अस्का से सिमा (सुनना) किया है।

58 - क़ब्रों को पक्का करना और उन पर लिखना मना है।

1052 - जाबिर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क़ब्रों को पुख्ता बनाने उन पर लिखने, उस पर इमारत बनाने और उन्हें

58 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَّةِ تَجْصِيمِ الْقُبُورِ، وَالْكِتَابَةِ عَلَيْهَا

1052 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ أَبُو عَمْرِو الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

रोंदने से मना किया है।

मुस्लिम: 970. अबू दारूद:3225. इब्ने माजा:1562.

رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُجَصَّصَ الْقُبُورُ، وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا، وَأَنْ يُسْنَى عَلَيْهَا، وَأَنْ تُوَطَّأَ.

तौज़ीह: पुख्ता करना या चूना गच करना।

वज़ाहत: इमाम तिमिजी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और कई सनदों के साथ जाबिर (رضي الله عنه) से मर्वी है। और बाज़ उलमा जिन में हसन बसरी भी शामिल हैं, क़ब्रों की लिपाई की इजाज़त देते हैं, शाफ़ेई (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: क़ब्र की लिपाई में कोई हर्ज नहीं है।

तौज़ीह: शारिहीन ने इस से मुराद यह ली है कि क़ब्र की मिट्टी पर पानी छिड़क लेने में कोई हर्ज नहीं है फिर उसके ऊपर हाथ मार दिया जाए। अल्लाह तआला बेहतर जानता है।

59 - क़ब्रिस्तान में दाख़िल होने की दुआ.

1053 - इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मदीना की क़ब्रों के पास से गुज़रे तो आप (ﷺ) ने अपना चेहरा उनकी तरफ़ किया और कहा: “ऐ क़ब्रिस्तान वालो! तुम्हारे ऊपर सलामती हो, अल्लाह हमें और तुम्हें बख़्शे, तुम हमारे पेशखेमा हो और हम (तुम्हारे) पीछे (आने वाले) हैं।

ज़ईफ़: तबरानी फ़िल क़बीर: 12613.

59 بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ الْمَقَابِرِ

1053 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، عَنْ أَبِي كُدَيْبَةَ، عَنْ قَابُوسِ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبُورِ الْمَدِينَةِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ، يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ، أَنْتُمْ سَلَفُنَا، وَنَحْنُ بِالْآخِرِ.

वज़ाहत: इस मसले में बुरैदा और आयशा (رضي الله عنهما) से भी रिवायत मर्वी है। इमाम तिमिजी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) की हदीस हसन गरीब है। अबू कुदैना का नाम यहया बिन मुहल्लब और अबू ज़िब्यान का नाम हुसैन बिन जुन्दुब है।

60 - कब्रों की ज़ियारत करने की रुख़्सत.

1054 - सुलैमान बिन बुरैदा अपने बाप से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से रोका था। पस तहकीक़ मुहम्मद (ﷺ) को अपनी मां की कब्र की ज़ियारत करने की इजाज़त मिल गई है, सो तुम भी उन कुबूर की ज़ियारत करो, यह आख़िरत की याद दिलाती हैं।”

सहीह: मुस्लिम: 977. अबू दाऊद: 3235. निसाई: 2032.

वज़ाहत: इस मसले में अबू सईद, इब्ने मसऊद, अनस, अबू हुरैरा और उम्मे सलमा (رضي الله عنها) से भी अहादीस मवूँ हैं। तिर्मिज़ी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: बुरैदा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। और उलमा का इसी पर अमल है। वह कब्रों की ज़ियारत में कोई हर्ज नहीं समझते। इब्ने मुबारक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक (رحمته الله عليه) का भी यही कौल है।

61 - औरतों का कब्रों की ज़ियारत करना.

1055- अब्दुल्लाह बिन अबी मुलैका (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि सय्यदना अब्दुर्रहमान बिन अबू बक्र (رضي الله عنه) हुब्शी जगह पर वफ़ात पा गए तो उनकी मय्यत को मक्का लाया गया और वहीं दफ़न किया गया, जब सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) मक्का आयीं (तो) अब्दुर्रहमान बिन अबी बक्र (رضي الله عنه) की कब्र पर आकर (यह अशआर) कहने लगीं: हम दोनों जजीमा के दो हम नशीनों की तरह एक लंबा अर्सा इस तरह इकट्ठा रहे यहाँ तक कि कहा जाने लगा कि यह

60 بَاب مَا جَاءَ فِي الرُّحْصَةِ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ

1054 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بَرِيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَقَدْ أَذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ، فَرُزِرُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ.

61 بَاب مَا جَاءَ فِي كَوَاهِبِهِ زِيَارَةِ الْقُبُورِ لِلنِّسَاءِ

1055 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: ثَوَّفِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ بِحُبْشِيِّ قَالَ: فَحَمِلَ إِلَى مَكَّةَ، فَدَفِنَ فِيهَا، فَلَمَّا قَدِمَتْ عَائِشَةُ أَتَتْ قَبْرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَتْ: وَكُنَّا كَنَدِمَاتِي جَزِيمَةَ حِقْبَةَ ... مِنَ الدَّهْرِ

दोनों कभी जुदा न होंगे, फिर जब हम जुदा हुए तो ऐसे लगता है कि मैं और मालिक इतनी मुद्दत इकट्ठे रहने के बावाजूद एक रात भी इकट्ठे नहीं रहे। फिर कहने लगीं अल्लाह की क़सम! अगर मैं तुम्हारी वफ़ात पर मौजूद होती तो तुम्हें वहीं दफ़न किया जाता जहां वफ़ात हुई थी, और अगर मैं तुम्हारी क़फ़न व दफ़न में शरीक होती तो तुम्हारी (क़ब्र की) ज़ियारत न करती.

ज़ईफ़: अब्दुरज़ाक़: 6535.

तौज़ीह: यह दो साथी थे एक का नाम अकील और दूसरे का नाम मालिक था और इराक के बादशाह जर्जीमा के अहले मजलिस में से थे यह दोनों तकरीबन चालीस साल इकट्ठे रहे फिर मालिक की वफ़ात पर अकील ने यह अशआर कहे थे और सय्यदा आयशा (رضی اللہ عنہا) ने भी अपने भाई अब्दुरहमान की वफ़ात पर इन अशआर के साथ तम्सील (मिसाल) दी है।

62 - औरतों को क़ब्रों की जियारत की क़राहत का बयान.

1056 - सय्यदना अबू हरैरा (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क़ब्रों की बहुत ज़ियारत करने वाली औरतों पर लानत फ़रमाई है।

हसन: इब्ने माजा: 1576. मुसनद अहमद: 2/337. अबू याला: 5907

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास और हस्सान बिन साबित (رضی اللہ عنہ) से भी रिवायात मवई हैं।

इमाम तिरमिज़ी (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) की हदीस हसन सहीह है और बाज़ उलमा के मुताबिक यह हुक्म (नबी (ﷺ) की ज़ियारते कुबूर की इजाज़त देने से पहले था, फिर जब आप (ﷺ) ने रुख़सत दे दी तो आप की रुख़सत में मर्द और औरतें सब दाख़िल हो गये।

बाज़ कहते हैं कि ख़वातीन के लिए क़ब्रों की ज़ियारत की मनाही उनके कम सब्र और ज़्यादा रोने पीटने की वजह से है।

حَتَّى قِيلَ لَنْ يَتَّصِدَعَا

فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا كَأَنِّي وَمَالِكًا ... لِطُولِ اجْتِمَاعِ
لَمْ نَبْتَ لَيْلَةً مَعًا

ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ لَوْ حَضَرْتُكَ مَا دُفِنْتُ إِلَّا
حَيْثُ مَتُّ، وَلَوْ شَهِدْتُكَ مَا زُرْتُكَ.

62 باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ زِيَارَةِ الْقُبُورِ لِلنِّسَاءِ

1056 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو
عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ زَوَارَاتِ الْقُبُورِ.

63 - रात के वक़्त दफ़न करना.

1057 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) रात के वक़्त (मय्यत को दफ़न करने के लिए) कब्र में उतरे तो आपके लिए एक चिराग़ जलाया गया आप (ﷺ) ने उस मय्यत को क़िबले की तरफ से पकड़ा और फ़रमाया, “अल्लाह तआला तुझ पर रहम करे तू अल्लाह के ख़ौफ़ से बहुत ज़्यादा रोने वाला और बहुत ज़्यादा कुरआन की तिलावत करने वाला था।” और आप ने उस पर (नमाज़े जनाज़े में) चार तकबीरें कही थीं।

ज़इफ़: इब्ने माजा: 1520.

वजाहत: इस मसले में जाबिर और ज़ैद बिन साबित के बड़े भाई यज़ीद बिन साबित (رضی اللہ عنہ) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिजी (رحمۃ اللہ علیہ) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) की हदीस हसन सहीह है और बाज़ उलमा का भी यही मज़हब है। और फ़रमाते हैं: मय्यत को क़िबला की तरफ से कब्र में दाख़िल किया जाए। बाज़ कहते हैं कि (सिरहाने या पैटी की तरफ रख कर) खींच लिया जाए नीज बाज़ उलमा ने रात को दफ़न करने की रुख़सत दी है।

64 - मय्यत की अच्छी तारीफ़ करना.

1058 - सय्यदना अनस बिन मालिक (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास से एक जनाज़ा ले जाया गया, लोगों ने उसकी अच्छी तारीफ़ की तो अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया, “(इसके लिए जन्नत) वाजिब हो गई, फिर फ़रमाया, “तुम ज़मीन में अल्लाह के गवाह हो।”

बुख़ारी: 1367. मुस्लिम: 949. इब्ने माजा: 1491. निसाई: 1932.

63 بَابُ مَا جَاءَ فِي الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ

1057 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَأِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ قَبْرًا لَيْلًا، فَأَسْرَجَ لَهُ سِرَاجًا، فَأَخَذَهُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ، وَقَالَ: رَحِمَكَ اللَّهُ، إِنْ كُنْتَ لَأَوْهَا تَلَاءً لِلْقُرْآنِ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا.

64 بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّنْأَةِ الْحَسَنِ عَلَى النَّبِيِّت

1058 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَنَازَةٍ، فَأَثَرُوا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَجِبَتْ، ثُمَّ قَالَ: أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ.

वजाहत: इस मसले में उमर, काब बिन उजरह और अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: अनस (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

1059 - अबू अस्वद दैली कहते हैं: मैं मदीना में आया तो उमर बिन खत्ताब (رضي الله عنه) के पास बैठा लोग एक जनाज़ा ले कर गुज़रे, लोगों ने उसकी तारीफ़ की तो उमर (رضي الله عنه) ने फ़रमाया, “वाजिब हो गई, मैंने उमर (رضي الله عنه) से कहा: “वाजिब हो गई? उन्होंने कहा: मैं वही कहता हूँ जो रसूलुल्लाह ने कहा था, आप (ﷺ) ने फ़रमाया था: जिस मुसलमान के लिए तीन आदमी गवाही दे दें तो उस के लिए जन्नत वाजिब हो जाती है” उमर (رضي الله عنه) कहते हैं: हम ने कहा “दो भी?” कहते हैं: और हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) से इसके बारे में नहीं पूछा।

बुखारी: 1368. निसाई: 1908.

1059 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، وَهَارُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبِرَّازِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيَلِيِّ، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَمَرُّوا بِجَنَازَةٍ، فَاتُّنُوا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ عُمَرُ: وَجِبَتْ، فَقُلْتُ لِعُمَرَ وَمَا وَجِبَتْ؟ قَالَ: أَقُولُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ لَهُ ثَلَاثَةٌ إِلَّا وَجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، قَالَ: قُلْنَا: وَاثْنَانِ؟ قَالَ: وَاثْنَانِ، قَالَ: وَلَمْ نَسْأَلْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوَاحِدِ.

वजाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अबू अस्वद अदैली का नाम ज़ालिम बिन अम्र बिन सुफ़ियान था।

65-जिसका बेटा फ़ौत हो जाए उसका सवाब

1060 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “किसी मुसलमान के तीन बच्चे फ़ौत हो जाए तो जहन्नम की आग उसे सिर्फ़ क़सम को पूरा करने के लिए छुएगी।”

56 باب مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ مَنْ قَدَّمَ وَلَدًا

1060 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ (ح) وَحَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ

बुखारी: 1251. मुस्लिम: 2632. इब्ने माजा: 603.
निसाई: 1875.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا
يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ
فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلَّا تَحَلَّهَ الْقَسَمَ.

यह अल्लाह तआला की कसम जिसका जिक्र कुरआन में भी है। وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما। यानी अल्लाह का फैसला है कि हर एक उस पर वारिद होगा और अल्लाह बेहतर जानता है।

वज़ाहत: इस मसले में उमर, मुआज़, काब बिन मालिक, उत्बा बिन अब्द, उम्मे सुलैम, जाबिर, अनस, अबू ज़र, इब्ने मसऊद, अबू सालबा अश्जई, इब्ने अब्बास, उक्बा बिन आमिर, अबू सईद और कुर्रा बिन इयास अल्मुज़नी (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: अबू सालबा अश्जई की नबी (ﷺ) से सिर्फ एक हदीस है और वह यही हदीस है और यह अबू सालबा अल-खुस्नी नहीं हैं। इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

1061 - सय्यदना इब्ने मसऊद (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "जिसने अपने तीन बच्चे आगे भेजे जो अभी तक बुलूग़त को न पहुंचे हों (तो) वह बच्चे उसके लिए आग से बचाने के लिए एक मज़बूत क़िला बन जायेंगे।" अबू ज़र (رضي الله عنه) ने कहा: "मैंने दो भेजे हैं, आप ने फ़रमाया, "वह भी (क़िला बन जायेंगे)" तो कुर्रा के सरदार उबय बिन काब ने कहा मैंने एक आगे भेजा है, आप (ﷺ) ने फ़रमाया, "एक भी लेकिन यह (क़िला तब बनेंगे) जब मुसीबत आने पर सब किया होगा।"

ज़ईफ़: इब्ने माजा: 1606. मुसनद अहमद: 1/375. अबू याला: 5116.

1061 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشِبٍ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ قَدَّمَ ثَلَاثَةً لَمْ يَبْلُغُوا الْخُلْمَ كَانُوا لَهُ حِصْنًا حَصِينًا مِنَ النَّارِ.

قَالَ أَبُو ذَرٍّ: قَدَّمْتُ اثْنَيْنِ، قَالَ: وَاثْنَيْنِ، فَقَالَ أَبِي بْنُ كَعْبٍ سَيِّدُ الْقُرَاءِ: قَدَّمْتُ وَاحِدًا، قَالَ: وَوَاحِدًا، وَلَكِنْ إِنَّمَا ذَاكَ عِنْدَ الصُّدْمَةِ الْأُولَى.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है और अबू उबैदा ने अपने बाप से सिमा (सुनना) नहीं किया।

1062 - इब्ने अब्बास (رحمته الله) रिवायत करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना "मेरी उम्मत में से जिस शख्स के दो पेशखेमा होंगे अल्लाह तआला उनकी वजह से उसे जन्नत में दाखिल कर देगा। तो आयशा (رضي الله عنها) ने आप से कहा: आप की उम्मत में जिसका पेशखेमा हुआ, आप (ﷺ) ने फ़रमाया, "ऐ नेकी की तौफीक दी गई खातून! जिसका एक पेशखेमा भी हुआ (वह भी दाखिल होगा)" कहने लगीं: आप की उम्मत में से जिसका कोई पेशखेमा न हुआ। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, "तो मैं अपनी उम्मत का मीरे कारवां हूँ, किसी की जुदाई की तकलीफ़ उन्हें मेरी जुदाई की तकलीफ़ से ज्यादा नहीं है।"

ज़र्रफ़: मुसन्द अहमद: 1/334. शमाइले तिर्मिजी: 398.
बैहकी: 4/68.

तौज़ीह: पेश खेमा, मीरे कारवां जो मंजिल पर पहले पहुँच कर दुसरे साथियों का इन्तिज़ार करता है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है हम इसे सिर्फ़ अब्दे रब्बिही बिन बरीक की सनद से ही जानते हैं और उनसे कई अइम्मा ने रिवायत की है।

अबू ईसा (رحمته الله) कहते हैं: हमें अहमद बिन सईद अल-मुराबिती ने (वह कहते हैं:) हमें हिब्बान बिन हिलाल ने अब्दे रब्बिही बिन बरिफ़ से इसी के मुताबिक़ रिवायत की है। सिमाक बिन वलीद हनफ़ी अबू जुमैल हनफ़ी ही है।

1062 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ،
وَأَبُو الْخَطَّابِ زَيْدُ بْنُ يَحْيَى الْبَصْرِيُّ، قَالَا:
حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ بَارِقِ الْحَنْفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ
جَدِّي أَبَا أُمِّي سِمَاكَ بْنَ الْوَلِيدِ الْحَنْفِيَّ
يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ
كَانَ لَهُ فَرَطَانِ مِنْ أُمَّتِي أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهِمَا
الْجَنَّةَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ مِنَ
أُمَّتِكَ؟ قَالَ: وَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ يَا مُوَفَّقَةُ،
قَالَتْ: فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَطٌ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ:
فَأَنَا فَرَطُ أُمَّتِي لَنْ يُصَابُوا بِمِثْلِي.

66 - शोहदा कौन-कौन से लोग हैं?

1063 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया; "शोहदा पांच हैं: ताऊन में मरने वाला, पेट की बीमारी में मरने वाला, डूब कर मरने वाला, दब कर⁽¹⁾ मरने वाला, अल्लाह के रास्ते में शहीद होने वाला।"

बुखारी: 653. मुस्लिम: 1914. इब्ने माजा: 2804.

तौज़ीह: ⁽¹⁾किसी दीवार या इमारत के गिरने से उसके नीचे या कुए में डूब कर मर जाने वाला।

वज़ाहत: इस मसले में अनस, सफ़वान बिन उमय्या, जाबिर बिन अतीक, ख़ालिद बिन उर्फ़ता, सुलैमान बिन सुर्द, अबू मूसा और आयशा (رضي الله عنها) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

1064 - इस्हाक़ अस्सबीई से रिवायत है कि सुलैमान बिन सुर्द ने ख़ालिद बिन उर्फ़ता या ख़ालिद बिन अर्फ़ता ने सुलैमान (رضي الله عنه) से कहा: कि क्या आप ने रसूलुल्लाह (ﷺ) को यह फ़रमाते हुए सुना है कि जिसको उसके पेट की बीमारी ने क़त्ल कर दिया उसे उसकी क़ब्र में अज़ाब नहीं होगा। तो एक ने दूसरे साथी से कहा: हाँ"

सहीह: मुसनद अहमद: 4/ 262. निसाई: 2052.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: यह हदीस इस मसले में हसन ग़रीब है नीज इसके अलावा भी एक सनद से मर्वी है।

66 بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّهَدَاءِ مَنْ هُمْ

1063 - حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الشَّهَدَاءُ خَمْسٌ: الْمَطْعُونُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْغَرِقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

1064 - حَدَّثَنَا عُيَيْدُ بْنُ أُسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سِنَانٍ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبْعِيِّ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ صَرْدٍ لِخَالِدِ بْنِ عَرْفُطَةَ أَوْ خَالِدِ لِسُلَيْمَانَ، أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ قَتَلَهُ بَطْنُهُ لَمْ يُعَذَّبْ فِي قَبْرِهِ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: نَعَمْ.

67 - ताऊन (के डर) से भागना मना है।

1065 - सय्यदना उसामा बिन ज़ैद (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने ताऊन का तज़क़िरा करते हुए फ़रमाया, “यह बनू इस्राईल के एक गिरोह पर भेजे गए अज़ाब⁽¹⁾ का बाकी मांदा हिस्सा है, सो जब यह किसी इलाके में आ जाए और तुम वहाँ पर मुक़ीम (ठहरे हुए) हो तो उस से न निकलो और जब किसी इलाके में आ जाए और तुम वहाँ पर रिहाइश पज़ीर नहीं हो तो वहाँ न जाओ।”

बुख़ारी: 3473. मुस्लिम: 2217.

तौज़ीह: (1) दो लफ़्ज़ इस्तेमाल हुए हैं “रिज़्ज़ और अज़ाब” दोनों एक मानी में आते हैं और कुरआन में इसकी कसरत के साथ मिसालें मौजूद हैं।

वज़ाहत: इस मसले में साद, खुज़ैमा बिन साबित, अब्दुरहमान बिन औफ़, जाबिर और आयशा (رضي الله عنها) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: उसामा बिन ज़ैद (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

68 - जो शरख़ अल्लाह से मिलना चाहता है अल्लाह भी उसकी मुलाक़ात को पसंद करता है।

1066 - उबादा बिन सामित (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “जो शरख़ अल्लाह से मुलाक़ात की मोहब्बत रखता हो (तो) अल्लाह तआला भी उस से मुलाक़ात की मोहब्बत रखता है और जो शरख़ अल्लाह की

67 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَوَاهِيَةِ الْفِرَارِ مِنَ الطَّاعُونَ

1065 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الطَّاعُونَ، فَقَالَ: بَقِيَّةُ رِجْزٍ، أَوْ عَذَابٍ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَلَسْتُمْ بِهَا فَلَا تَهَيِّطُوا عَلَيْهَا.

68 بَابُ مَا جَاءَ فِي مَنَ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ

1066 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِقْدَامٍ أَبُو الْأَشْعَثِ الْعِجْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ

मुलाकात को नापसंद करता है अल्लाह भी उस से मिलना नापसंद करता है।”

बुखारी: 5607. मुस्लिम: 2683. निसाई: 1836.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ
اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ
اللَّهُ لِقَاءَهُ.

वज़ाहत: इस मसले में अबू मूसा, अबू हुरैरा और आयशा (رضي الله عنها) से भी अहादीस मवी हैं। इमाम तिर्मिजी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: उबादा बिन सामित (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

1067 - आयशा (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, जो शख्स अल्लाह से मुलाकात की मोहब्बत रखता हो (तो) अल्लाह तआला भी उस से मुलाकात की मोहब्बत रखता है और जो शख्स अल्लाह की मुलाकात को नापसंद करता है तो अल्लाह भी उससे उसकी मुलाकात को नापसंद करता है” फ़रमाती हैं: मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हम सब ही मौत को नापसन्द करते हैं। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “यह बात ऐसी नहीं है बल्कि मोमिन को जब अल्लाह की रहमत, खुशनुदी और उसकी जन्नत की बशारत दी जाती है तो वह अल्लाह की मुलाकात से मोहब्बत करता है और अल्लाह भी उसकी मुलाकात से मोहब्बत करता है और काफिर को जब अल्लाह के अज़ाब और उसकी नाराजगी का बताया जाता है (तो) वह अल्लाह की मुलाकात को नापसंद करता है (इसलिए) अल्लाह भी उसकी मुलाकात को नापसंद करता है।

मुस्लिम: 2684. इब्ने माजा: 4264. निसाई: 1834.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

1067 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ:
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ
بْنُ أَبِي عَرُوتَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ،
قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
أَبِي عَرُوتَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى،
عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا
ذَكَرَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ،
وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ.

69 - खुद कुशी करने वाले की नमाजे जनाजा न पढ़ी जाए.

1068 - सय्यदना जाबिर बिन समुरा (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि एक आदमी ने अपने आपको कत्ल कर लिया था तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उसकी नमाजे जनाजा नहीं पढ़ाई थी।

मुस्लिम: 978. अबू दाऊद: 3185. इब्ने माजा: 1526. निसाई: 1964.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رحمۃ اللہ علیہ) فرमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अहले इल्म का इस मसले में इख्तिलाफ़ है: बाज़ उलमा कहते हैं कि हर उस शख्स की नमाजे जनाजा पढ़ी जा सकती है जो क़िब्ला की तरफ़ (मुंह करके) नमाज़ पढ़ता है और खुदकुशी करने वाले की भी। यह कौल सुफ़ियान सौरी और इस्हाक़ का है।

इमाम अहमद (رحمۃ اللہ علیہ) فرमाते हैं: इमाम खुदकुशी करने वाले की नमाजे जनाजा न पढ़े दूसरे लोग पढ़ लें।

70 - मक़रज़ की नमाजे जनाजा.

1069 - सय्यदना अबू क़तादा (رضی اللہ عنہ) बयान करते हैं कि नबी(ﷺ) के पास एक आदमी (के जनाजे) को लाया गया ताकि आप उसकी नमाजे जनाजा पढ़ा दें तो नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "तुम अपने साथी की नमाजे जनाजा पढ़ लो उस के ऊपर क़र्ज़ है।" अबू क़तादा ने कहा: "वह (क़र्ज़) मेरे जिम्मे है, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "सारा क़र्ज़?" अर्ज़ किया, सारा क़र्ज़। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उसकी नमाजे जनाजा पढ़ा दी।

सहीह: इब्ने माजा: 2407. निसाई: 1960.

69 بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ

1068 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَيْسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، وَشَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ نَفْسَهُ، فَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

70 بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَدْيُونِ

1069 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا.

वज़ाहत: इस मसले में जाबिर, सलमा बिन अक्का और अस्मा बिनते यज़ीद (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिमिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: सय्यदना अबू क़तादा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

1070 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास कोई फ़ौतशुदा आदमी लाया जाता जिस पर कर्ज़ होता तो आप (ﷺ) फ़रमाते: “क्या उसने अपने कर्ज़ की अदायगी के लिए माल छोड़ा है? अगर बयान किया जाता कि उसने अदायगी कर्ज़ (के माल) को छोड़ा है तो आप नमाज़ पढ़ा देते वना मुसलामानों से कहते: “तुम अपने साथी की नमाज़े जनाज़ा पढ़ लो।” फिर जब अल्लाह तआला ने आपको फुतूहात दी तो आप खड़े हुए और फ़रमाया, “मैं मोमिनों का उनकी जानों से भी ज़्यादा ख़ैरख़्वाह हूँ पस मोमिनों में जो फ़ौत हो जाए और कर्ज़ छोड़े तो उसकी अदायगी मेरे ज़िम्मा है। और जो माल छोड़ कर जाए वह उसके वारिसों के लिए है।”

बुखारी: 2298. मुस्लिम: 1619. अबू दारुद: 2955. इब्ने माज़ा: 2415. निसाई: 1963.

वज़ाहत: इमाम तिमिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है नीज यह्या बिन बुकैर और दोगर रावियों ने भी लैस बिन साद से अब्दुल्लाह बिन सालेह की हदीस की तरह रिवायत की है।

71 - अज़ाबे क़ब्र का बयान.

1071 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “जब मय्यत को क़ब्र में रख दिया जाता है तो उसके पास सियाह रंग की नीली आँखों वाले

1070 - حَدَّثَنِي أَبُو الْفَضْلِ مَكْتُومُ بْنُ الْعَبَّاسِ التَّمِيمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدِّينَ، فَيَقُولُ: هَلْ تَرَكَ لِدِينِهِ مِنْ قَضَاءٍ، فَإِنْ حُدَّتْ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ، قَامَ فَقَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوَفِّيَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَتَرَكَ دِينًا عَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لَوَرَثَتِهِ.

71 بَابُ مَا جَاءَ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ

1071 - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي

दो फ़रिश्ते आते हैं: उन में से एक को मुन्कर और दूसरे को नकीर कहा जाता है। वह दोनों कहते हैं: "तू उस आदमी मुहम्मद(ﷺ) के बारे में क्या कहता है? वह कहता है: "वह अल्लाह के बन्दे और रसूल हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं और मुहम्मद(ﷺ) उसके बन्दे और रसूल हैं।" वह दोनों फ़रिश्ते कहते हैं: "यकीनन हम जानते थे कि तुम यही कहोगे। फिर उसकी क़ब्र को सत्तर हाथ लम्बाई और चौड़ाई में खोल दिया जाता है, फिर उसके लिए उसमें रोशनी कर दी जाती है फिर उस से कहा जाता है सो जा। वह कहता है: "मैं अपने घर वालों की तरफ़ जाकर उनको बता दूँ? वह दोनों कहते हैं: दुल्हन की तरह सो जा, जिसे सिर्फ़ उसका सबसे प्यारा ही जगाता है। यहाँ तक कि अल्लाह तआला उसे उसकी उस जगह से उठाएगा। और अगर मरने वाला पुनाफ़िक़ है तो वह कहता है: मैंने लोगों को सुना था जो वह कहते मैं भी उसी तरह कह देता, मैं नहीं जानता, तो वह दोनों फ़रिश्ते कहते हैं: यकीनन हम जानते थे कि तु यही कहेगा, फिर ज़मीन से कहा जाता है: इस पर मिल जा। वह उस पर मिल जाती है, जिससे उसकी पसलियाँ इधर- उधर हो जाती हैं, उसे इसमें अज़ाब दिया जाता रहेगा यहाँ तक कि अल्लाह उसे उसके ठिकाने से उठाएगा।"

हसन: इब्ने हिब्बान: 3117. अस्सुनह व इब्ने अबी आसिम: 864. अश- शरीया: 365.

तौज़ीह: (1) أُرزق : जिनकी आँखें ख़ूब नीली होंगी, इसी तरह उनके चेहरे खौफ़नाक लगेंगे। (2) सत्तर

سَعِيدِ الْمَقْبَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قُبِرَ الْمَيِّتُ، أَوْ قَالَ: أَحَدُكُمْ، أَنَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أُرْزَقَانِ، يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا: الْمُنْكَرُ، وَاللَّآخِرُ: النَّكِيرُ، فَيَقُولَانِ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: مَا كَانَ يَقُولُ: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولَانِ: قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ هَذَا، ثُمَّ يُفْسَخُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا فِي سَبْعِينَ، ثُمَّ يُتَوَرَّ لَهُ فِيهِ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ، نَمْ، فَيَقُولُ: أَرْجِعْ إِلَى أَهْلِي فَأَخْبِرْهُمْ، فَيَقُولَانِ: نَمْ كَتُمَةِ الْعُرُوسِ الَّذِي لَا يُوقِظُهُ إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ، حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا قَالَ: سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ، فَقُلْتُ مِثْلَهُ، لَا أَدْرِي، فَيَقُولَانِ: قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ ذَلِكَ، فَيَقَالُ لِلْأَرْضِ: التَّيْمِي عَلَيْهِ، فَتَلْتَمِي عَلَيْهِ، فَتَحْتَلِفُ فِيهَا أَضْلَاعُهُ، فَلَا يَزَالُ فِيهَا مُعَدَّبًا حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ.

में सत्तर का मतलब सत्तर जर्ब (70 X 70) यानी मुर्ब्बा की शक्ल में हर तरफ से सत्तर सत्तर हाथ खुल जाणी। (3) पहली रात की दुल्हन उसके खाविंद के अलावा कोई नहीं जगाता, वह खूब बे फ़िक्र हो कर सोती है। इसी तरह यह बन्दा भी अपनी कब्र में सोयेगा उसे अल्लाह तआला क़यामत के दिन ही जगायेंगे।

वज़ाहत: इस मसले में अली, ज़ैद बिन साबित, इब्ने अब्बास, बरा बिन आज़िब, अबू अय्यूब, अनस, जाबिर, आयशा और अबू सईद (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं। यह सब ही अज़ाबे क़ब्र के बारे में नबी(ﷺ) से रिवायत करते हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: अबू हरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन गरीब है।

1072 - इब्ने उमर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जब मरने वाला मर जाता है तो उस पर सुबह व शाम उसका ठिकाना पेश किया जाता है। सो अगर वह जन्नत वालों में से होता तो जन्नत वालों के ठिकानों में से अपनी जगह देख लेता है। और अगर जहन्नमियों में से होता है तो जहन्नम वालों के ठिकानों में से अपनी जगह देख लेता है।) फिर उस से कहा जाता है क़यामत के दिन अल्लाह तआला के तुझे उठाने तक यही तेरी जगह है। "

बुखारी: 1379. मुस्लिम: 2866. इब्ने माजा:4270. निसाई:2070- 2072.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

1072 - حَدَّثَنَا هَنَّادُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُهُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، ثُمَّ يُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

72-मुसीबत ज़दा को तसल्ली देने वाले का सवाब

1073 - सय्यदना अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "जिसने किसी मुसीबत ज़दा को तसल्ली दी तो उसके लिए उसके अज़र की तरह अज़र है। "

ज़ईफ़: इब्ने माजा: 1602. बैहकी: 4/ 59.

72 بَابُ مَا جَاءَ فِي أَجْرِ مَنْ عَزَى مُصَابًا

1073 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَاللَّهُ مُحَمَّدُ بْنُ سُوْقَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ عَزَى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ.

: عَزَى यह लफ्ज़ तेज़ से निकला है। जिसका मानी है ताजियत करना, तसल्ली देना यानी किसी मुसीबत ज़दा को ऐसे कलिमात कहे जिस से उसका गम कम हो जाए। मसलन अल्लाह तुझे इसका बदल अता करे, अल्लाह तुम्हें बड़ा अज़र दे वगैरह वगैरह।

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है हम इसे अली बिन आसिम की सनद से ही मफूअ जानते हैं और बाज़ रावियों ने इस सनद के साथ इसी तरह की एक रिवायत मुहम्मद बिन सूका से भी की है और वह मफूअ नहीं है। कहा जाता है कि अली बिन आसिम पर इसी हदीस की वजह से ज़्यादा आजमाइश आयी, लोगों ने उस पर तअन किया।

73 - जो शख्स जुमा के दिन फ़ौत हो जाए.

1074 - सय्यदना अली बिन अम्र (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “जो शख्स जुमा के दिन या जुमा की रात फ़ौत होता है तो अल्लाह तआला उसे क़ब्र के फित्ने से बचा लेता है।”

हसन: अब्दुरज़ाक: 5596. मुसनद अहमद: 2/ 169.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है और इस हदीस की सनद मुत्तसिल नहीं है। रबीआ बिन सैफ, अबू अब्दुरहमान हुबली के वास्ते के साथ सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) से रिवायत करते हैं और हम रबीआ बिन सैफ के अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) से सिमा (सुनना) को नहीं जानते।

74 - जनाजा में जल्दी करना.

1075 - सय्यदना अली बिन अबी तालिब (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन से फ़रमाया, “ऐ अली! तीन चीज़ों में देर न करना।” नमाज़ का वक़्त जब हो जाए, जनाज़ा

73 بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

1074 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَأَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ سَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ إِلَّا وَقَاهُ اللَّهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ.

74 بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الْجَنَازَةِ

1075 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ،

जब मौजूद हो और बेवा औरत जब तुम्हें उसका हम पल्ला रिश्ता मिल रहा हो।
जईफ़.

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: يَا عَلِيُّ، ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُهَا: الصَّلَاةُ إِذَا أَتَيْتَ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرْتَ، وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْتًا.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है और मेरे मुताबिक इसकी सनद मुत्तसिल नहीं है।

75 - ताजियत की फ़ज़ीलत में एक और बयान.

1076 - मुनिया बिनते उबैद बिन अबू बरजा अपने दादा सय्यदना अबू बर्जा (رضي الله عنه) से रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "जो शख्स फ़ौत होने वाले बच्चे की मां को⁽¹⁾ तसल्ली दे उसे जन्नत में एक चादर पहनाई जाएगी।"

जईफ़.

तौज़ीह: كُفِّي: जिसका बच्चा फ़ौत हो जाए। एक मानी यह भी किया जाता है कि जिसका खाविंद फ़ौत हो जाए। तफ़सील के लिए देखिए; अल-कामूसुल वहीद: पृ. 219)

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है और इसकी सनद भी क़वी नहीं है।

76 - नमाज़े जनाज़ा में दोनों हाथों को उठाना (रफ़उल यदैन करना)

1077 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जनाज़ा पर नमाज़ में तकबीरात कही तो पहली तकबीर में अपने दोनों हाथों को बलंद किया और दायाँ हाथ बाएं हाथ पर रखा।

75 بَابُ آخَرٍ فِي فَضْلِ التَّعْزِيَةِ

1076 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْمُؤَدَّبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُمُّ الْأَسْوَدِ، عَنْ مَيْمَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي بَرزَةَ، عَنْ جَدِّهَا أَبِي بَرزَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ عَزَى ثَكْلِي كُسِي بَرْدًا فِي الْجَنَّةِ.

76 بَابُ مَا جَاءَ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْجَنَازَةِ

1077 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ الْوَرَّاقُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِي فَرَوَةَ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ زَيْدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي أُتَيْسَةَ، عَنْ

हसन अबू याला: 5858. दार कुत्नी: 2/74. बैहकी:
4/38

الرُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ،
وَوَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है हम इसे सिर्फ़ इसी सनद से ही जानते हैं और इस मसले में अहले इल्म का इख़्तिलाफ़ है: नबी (ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से जुम्हूर उलमा के नज़दीक आदमी अपने हाथों को नमाज़े जनाज़ा में हर तकबीर के साथ उठाए। इब्ने मुबारक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक (رحمته الله) भी इसी के कायल हैं। जबकि बाज़ उलमा कहते हैं: अपने हाथों को सिर्फ़ पहली मर्तबा ही उठाए, यह कौल सुफ़ियान सौरी और अहले कूफ़ा का है।

इब्ने मुबारक से मर्वी है कि नमाज़े जनाज़ा में अपना बायाँ हाथ अपने दायें हाथ से ना पकड़े और बाज़ उलमा कहते हैं कि दायें हाथ से बाएं हाथ को पकड़ सकता है जैसा कि नमाज़ में करता है।

इमाम तिरमिज़ी कहते हैं: (दाएं से बाएं को) पकड़ना मेरे नज़दीक ज़्यादा अच्छा है।

77 - मोमिन की जान कर्ज़ की वजह से लटकी रहती है यहाँ तक कि उसकी तरफ़ से अदायगी हो जाए.

1078 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "मोमिन की जान कर्ज़ की वजह से लटकी रहती है यहाँ तक कि उसकी तरफ़ से अदायगी हो जाए।"

सहीह: इब्ने माजा: 2413. मुसनद अहमद: 2/440.
दारमी: 2594

77 بَابُ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ
بِذَيْبِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

1078 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ،
عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِذَيْبِهِ حَتَّى
يُقْضَى عَنْهُ.

1079 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “मोमिन की जान कर्ज़ की वजह से लटकी रहती है यहाँ तक कि उसकी तरफ़ से अदायगी हो जाए।”

सहीह: गुज़िश्ता हदीस में तख़रीज देखें

1079 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है और पहली हदीस से ज़्यादा सहीह है।

खुलासा

- बीमारी से गुनाह ख़त्म हो जाते हैं।
- बीमार की बीमारपुर्सी मुसलमान का हक़ है।
- मौत की आरज़ू (ख़्वाहिश करना) हराम है।
- मौत की सख़्तियाँ बरहक़ हैं।
- मय्यत को तीन मर्तबा या पांच मर्तबा गुस्ल देना मुस्तहब है।
- नौहा करना (चीख़-चीख़ कर रोना) हराम है।
- इसी तरह गिरेबान चाक करना भी जहालत का काम है।
- पैदल आदमी जनाज़े के आगे और पीछे जहां चाहे चल सकता है जबकि सवार आदमी पीछे ही रहे।
- नमाज़े जनाज़ा की चार तकबीरें हैं।
- मस्जिद में नमाज़े जनाज़ा अदा की जा सकती है।
- जनाज़ा में शिर्कत पर एक क़ीरात जबकि तद्फ़ीन में भी शमूलियत पर दो क़ीरात सवाब मिलता है।
- ख़ुदकुशी हराम है।
- क़ब्र को पक्का करना और उस पर लिखना हराम है।
- शोहदा पांच किस्म के हैं।
- मय्यत की तरफ से क़र्ज़ अदा करना ज़रूरी है।

मजमूअ नम्बर-9

أَبْوَابُ النِّكَاحِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

रसूलुल्लाह(ﷺ) से मती निकाह के अहकाम व मसाइल

तआरुफ़

44 अबवाब 66 अहादीस पर मुशतमिल इस उन्वान के तहत आप पढ़ेंगे:

- निकाह की अहमियत व फायदे क्या हैं?
- शादी के लिए कैसी औरत का इंतेखाब (चयन) किया जाए?
- निकाह के लिए क्या शराइत हैं?
- तलाक़ के मसाइल.
- हलाला को इस्लाम किस नज़र से देखता है?

1 - शादी करने की फजीलत और उसकी तर्गीब.

1 بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ التَّرْوِيجِ
وَالْحَثِّ عَلَيْهِ

1080 - सय्यदना अबू अय्यूब (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ)ने फ़रमाया: "चार चीजें अंबिया की सुन्नत में से हैं: हया, खुशबू लगाना, मिस्वाक करना और निकाह।"

ज़ईफ़: अब्दुरज़ाक़: 10390. तबरानी फ़िल कबीर: 4085.

1080 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي الشَّامِلِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسَّوَاكُ، وَالنِّكَاحُ.

तौज़ीह: النكاح: लुगत में इसका मानी औरत से मुबाशिरत करना या गिरह लगाना है। लेकिन दोनों मानी ही सहीह हैं, गिरह (अक़दे निकाह) के साथ औरत हलाल हो जाती है और फिर उस से मुबाशिरत जायज़ होती है।

वज़ाहत: इस मसले में उस्मान, सौबान, इब्ने मसऊद, आयशा, अब्दुल्लाह बिन अम्र, अबू नजीह, जाबिर और एकाफ़ (رضی اللہ عنہ) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिजी (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं: अबू अय्यूब (رضی اللہ عنہ) की हदीस हसन ग़रीब है। अबू ईसा कहते हैं: हमें महमूद बिन खदाश अल-बगदादी ने (वह कहते हैं) हमें अब्बाद बिन अक्वाम ने हज्जाज से उन्होंने मकहूल से बवास्ता अबू शिमाल सय्यदना अबू अय्यूब (رضی اللہ عنہ) से हफ़्स की रिवायतकर्दा हदीस जैसी हदीस बयान की है।

इमाम तिर्मिजी (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं: हुशैम, मुहम्मद बिन यज़ीद अल-वास्ती, अबू मुआविया और दीगर रावियों ने भी इस हदीस को हज्जाज से बवास्ता मकहूल रिवायत किया है। लेकिन इसकी सनद में अबू शिमाल का ज़िक्र नहीं किया। जबकि हफ़्स बिन गयास और अब्बाद बिन अक्वाम की हदीस ज़्यादा सहीह है।

1081 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضی اللہ عنہ) बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ निकले और हम नौजवान थे हमारे पास कुछ नहीं था तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया: "ऐ नौजावानों की जमात! निकाह ज़रूर करो, बेशक वह नज़र को बहुत झुकाने वाला और शर्मगाह को महफूज़ रखने वाला है। जो शहस तुमसे निकाह की ताक़त नहीं रखता तो वह रोज़े रखे, बेशक रोज़ा उसके लिए ख़सी होने का ज़रिया है।"

बुखारी: 5065. मुस्लिम: 1400. अबू दाऊद: 2046.
इब्ने माजा: 1845. निसाई: 2242, 2239.

1081 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الرَّبِيعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَحْنُ شَبَابٌ لَا نَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ، فَإِنَّهُ أَعْظُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ.

तौज़ीह: اللبّاءة : लफ़्ज़ी मानी जगह लेना इस से मुराद शादी और निकाह करना है क्योंकि निकाह के बाद वह अपनी बीवी के साथ रहता है।

2) किसी भी सांड की दो ढेलों (खुस्यतैन) के दर्मियान रगों को छेड़ना या फाड़ देना जिससे उसकी शहवत चली जाए उसे وجّاء कहा जाता है। इसी तरह रोज़ों की वजह से मर्द की शहवत जाती रहेगी।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (रह) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज फ़रमाते हैं: हमें हसन बिन अली अल-खल्लाल ने (वह कहते हैं) हमें अब्दुल्लाह बिन नुमैर ने बवास्ता आमश, उमारा से इसी तरह रिवायत की है।

अबू ईसा (रह) फ़रमाते हैं: कई रावियों ने आमश से (उन्होंने) इब्राहीम से बवास्ता अल्क़मा सय्यदना अब्दुल्लाह (रह) से नबी (रह) की ऐसी ही हदीस रिवायत की है। तिर्मिजी फ़रमाते हैं: दोनों ही सहीह हैं।

2-निकाह न करने की मुमानअत (मनाही)

1082 - सय्यदना समुरा (रह) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (रह) ने निकाह न करने से मना फ़रमाया है।

सहीह: इब्ने माजा: 1849. निसाई: 3214.

तौज़ीह: التَّنْبُلُ: तरके दुनिया की बिना पर शादी न करना (यानी सन्यासी बन जाना) इसी लफ़्ज़ से बतूल निकला है। बतूल ऐसी औरत को कहते हैं: जिसे दुनिया की चाहत न हो, जाहिदा हो, (तफ़सील के लिए देखिये: अल-कामूसुल वहीद: पृ. 147)

वज़ाहत: इस मसले में साद, अनस बिन मालिक, आयशा और इब्ने अब्बास (रह) से भी हदीस मर्वी है।

ईसा (रह) फ़रमाते हैं: ज़ैद बिन अख़ज़म ने अपनी हदीस में यह अल्फ़ाज़ बढाए हैं कि क़तादा ने यह आयत पढ़ी: तर्जुमा: और हमने आप से पहले भी रसूल भेजे और उनकी अज्वाज व औलाद बनाई। ”

इमाम तिर्मिजी (रह) फ़रमाते हैं: समुरा (रह) की हदीस हसन ग़रीब है। नीज अशअस बिन अब्दुल मुत्तलिब ने भी यह हदीस हसन से बवास्ता साद बिन हिशाम के ज़रिया नबी (रह) से इसी तरह रिवायत की है और कहा जाता है कि यह दोनों हदीसों सहीह हैं।

1083 - सय्यदना साद बिन अबी वक्कास (रह) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (रह) ने उस्मान बिन मज़ऊन (रह) की औरतों से अलग रहने की ख़्वाहिश को रद्द कर दिया था

2 بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّنْبُلِ

1082 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامِ الرَّفَاعِيُّ، وَزَيْدُ بْنُ أَحْزَمَ الطَّائِي، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّوْفِي الْبَصْرِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّنْبُلِ.

1083 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

और अगर आप उनको इजाज़त दे देते तो हम खसी हो जाते।

बुखारी: 5074. मुस्लिम: 1402. इब्ने माजा: 1848. निसाई: 3212.

المُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقاصٍ قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ التَّبْتَلِ وَلَوْ أَدِنَ لَهُ لِاخْتِصَانِنَا.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

3 - जिसके दीनदार होने को तुम पसंद करते हो उस से अपनी बेटी की शादी कर दो.

3 بَابُ مَا جَاءَ إِذَا جَاءَكُمْ مِنْ تَرْضُونَ دِينَهُ فَرَّوْجُوهُ

1084 - सय्यदना अबू हरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: "जब कोई ऐसा शख्स तुम्हें निकाह का पैगाम भेजे जिसके दीन और अख़लाक़ को तुम पसंद करते हो तो उस से अपनी बेटी या बहन की शादी कर दो, और अगर तुम यह ना करोगे तो ज़मीन में फितना और बहुत बड़ा फ़साद⁽¹⁾ फैल जाए।"

1084 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ ابْنِ وَثِيئَةَ النَّصْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا خُطِبَ إِلَيْكُمْ مِنْ تَرْضُونَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَّوْجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ.

हसन सहीह: अल- इर्वा. 1868. इब्ने माजा: 1967.

तौज़ीह: ⁽¹⁾अगर दीन वाले को रिश्ता ना दिया और किसी बे दीन के पल्ले बाँध दिया जाए तो इस तरह दीन से ना वाकिफ़ियत की बिना पर घर में ना चाकियाँ और फ़साद जन्म लेते हैं।

वज़ाहत: इस मसला में अबू हातिम मुज़नी और आयशा (رضي الله عنها) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: अबू हरैरा (رضي الله عنه) की हदीस (की सनद) में अब्दुल हमीद बिन सुलैमान पर इख़्तिलाफ़ किया गया है: लैस बिन साद ने इब्ने अजलान के वास्ते के साथ अबू हरैरा (رضي الله عنه) से नबी (ﷺ) की हदीस रिवायत की है। मुहम्मद बिन इस्माईल बुखारी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: लैस की हदीस ज़्यादा मुनासिब है और उन्होंने अब्दुल हमीद की हदीस को महफूज़ करार नहीं दिया।

1085 - सय्यदना अबू हातिम अल-मुज़नी (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: "जब तुम्हारे पास ऐसा शख्स (रिश्ता लेने) आए जिसके दीन और अख़लाक को तुम पसंद करते हो तो (अपनी बेटी या बहन) का उस से निकाह कर दो, अगर तुम यह नहीं करोगे तो ज़मीन में फित्ना और फसाद होगा, सहाबा (رضی اللہ عنہ) ने अर्ज़ की: ऐ अल्लाह के रसूल! अगरचे उसके घर में फ़ाका और तंगदस्ती भी हो? आप (ﷺ) ने फ़रमाया, जब तुम्हारे पास ऐसा शख्स आए जिसके दीन और अख़लाक को तुम पसंद करते हो तो तुम उस से निकाह कर दो।" आप ने तीन मर्तबा यही कहा।

हसन: बेहकी: 7/82.

वज़ाहत: इमाम तिमिजी (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है और अबू हातिम अल-मुज़नी (رضی اللہ عنہ) सहाबी हैं और उनकी नबी (ﷺ) से सिर्फ़ यही एक हदीस हमारे इल्म में है।

4 - लोग तीन चीजों की बिना पर किसी से निकाह करते हैं.

1086 - सय्यदना जाबिर (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: "बेशक औरत उसके दीन, माल और उसकी खूबसूरती की वजह से निकाह किया जाता है। तो तुम दीन वाली को लो, तेरे हाथों को झाक लगे।

मुस्लिम: 1466. निसाई: 3226.

1085 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَأِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُرْمَزٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَسَعِيدٍ، ابْنَيْ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي حَاتِمِ الْمُزْنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ؟ قَالَ: إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

4 بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ

1086 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُونُسَ الْأَزْرَقِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا، وَمَالِهَا، وَجَمَالِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرَبِّثْ يَدَاكَ.

वज़ाहत: इस मसले में औफ़ बिन मालिक, आयशा, अब्दुल्लाह बिन अम्र और अबू सईद (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: जाबिर (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

5 - जिस औरत को निकाह का पैगाम भेजा है उसे देखना.

1087 - सय्यदना मुगीरह बिन शोबा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि उन्होंने एक औरत को निकाह का पैगाम भेजा तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: "उस औरत को देख लो, इससे ज़्यादा उम्मीद है कि तुम दोनों में उल्फ़त पैदा हो जाए।"

सहीह: इब्ने माजा: 1866. निसाई: 3235. मुसनद अहमद: 4/ 244.

वज़ाहत: इस मसले में मुहम्मद बिन मस्लमा, जाबिर, अनस, अबू हुमैद और अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है और बाज़ उलमा इसी हदीस के मुताबिक़ मौक़िफ़ रखते हैं कि आदमी औरत को देख ले, लेकिन जिस जगह का देखना हराम है उसे ना देखे। यह कौल अहमद और इस्हाक़ (رحمته الله) का है।

नीज आप (ﷺ) के फ़रमान: "कि ज़्यादा उम्मीद है कि तुम दोनों में उल्फ़त पैदा हो जाए" का मतलब यह है कि इस से ज़्यादा उम्मीद है कि तुम दोनों में हमेशा मोहब्बत रहे।

6 - निकाह का ऐलान करना.

1088 - सय्यदना मुहम्मद बिन हातिब अल-जुमही (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: "हलाल और

5 بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّظَرِ إِلَى الْمُخْطُوبَةِ

1087 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ سُليْمَانَ هُوَ الْأَحْوَلُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أُخْرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا.

6 بَابُ مَا جَاءَ فِي إِعْلَانِ النِّكَاحِ

1088 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَلْعَجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

हराम के दर्मियान फ़र्क दुफ़ बजाने और आवाज़ सुनाने का है। "

हसन: इब्ने माजा: 1896. निसाई: 3369. मुसनद अहमद: 3/418.

तौज़ीह: बाज़ (कुछ) अहमक लोग इससे शादी ब्याह के मौक़ा पर गाने बजाने की दलील लेते हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ दीन से दूरी और अरबी ज़बान से नावाक़िफ़यत का नतीजा है। आवाज़ से मुराद सिर्फ़ ऐलान और तशबीह है और यह वही चीज़ है जो आज राइज है। हलाल व हराम के दर्मियान फ़र्क करने वाली इसलिए है कि ज़िना (हराम काम) चोरी ख़ुफिया और निकाह जो कि हलाल काम है एलानिया किया जाता है।

वज़ाहत: इस मसले में आयशा, जाबिर और रूबैअ बन्ते मुअव्विज़ (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिरमिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: मुहम्मद बिन हातिब (رضي الله عنه) की हदीस हसन है और अबू बल्ज का नाम यह्या बिन अबी सुलैम या इब्ने सुलैम था। और मुहम्मद बिन हातिब ने जब नबी (ﷺ) को देखा था तब यह बच्चे थे।

1089 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: "इस निकाह का ऐलान करो, इसे मस्जिद में मुन्अकिद करो और इस पर दुफ़ बजाओ। "

यह हदीस ज़ईफ़ है लेकिन इसका पहला हिस्सा सहीह है। इब्ने माजा: 1895. बैहकी: 7/289.

1089 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ، وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَأَضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: इस मसले में यह हदीस हसन ग़रीब है और ईसा बिन मैमून अंसारी को हदीस में ज़ईफ़ कहा गया है। ईसा बिन मैमून जो इब्ने अबी नजीह से तफ़सीर रिवायत करते हैं वह सिक़ह रावी हैं।

1090 - सय्यदा रूबैअ बन्ते मुअव्विज़ (رضي الله عنه) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मेरे घर में उस सुबह तशरीफ़ लाए जिसकी रात मुझ से

1090 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا

ज़फ़ाफ़ किया गया था (यानी सुहागरात की सुबह) और मेरे बिस्तर पर बैठे जैसे तुम बैठे हो और हमारी कुछ बच्चियां दुफ़ बजाती हुईं मेरे आबा (पुर्वज) में बद्र में शहीद होने वाले लोगों की खूबियाँ बयान कर रही थीं, यहाँ तक कि उनमें से एक ने कहा: "हम में एक नबी है जो कल की बात को जानता है।" तो अल्लाह के रसूल ने फ़रमाया: "इस बात से खामोश रहो और जो पहले कह रही थीं वह कहती रहो।"

बुखारी: 1004. अबू दाऊद: 4922. इब्ने माजा: 1897.

خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مَعْوَدٍ قَالَتْ: جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَخَلَ عَلَيَّ غَدَاةَ بَيْتِي، فَجَلَسَ عَلَيَّ فِرَاشِي، كَمَا جَلَسَ مِنِّي، وَجُورِيَّاتٍ لَنَا يَضْرِبْنَ بِدُفُوفِهِنَّ، وَتَدْبُرْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ، إِلَى أَنْ قَالَتْ إِخْدَاهُنَّ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْكُتِي عَنْ هَذِهِ، وَقُولِي الَّتِي كُنْتِ تَقُولِينَ قَبْلَهَا.

वज़ाहत: इमाम तिमिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

7 - दूहे को क्या दुआ दी जाए?

1091 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं, नबी (ﷺ) जब किसी आदमी को शादी की⁽¹⁾ मुबारकबाद देते तो आप कहते: अल्लाह तआला तुम्हारे लिए बरकत रखे और तुम पर बरकत करे और तुम दोनों (मियाँ बीवी) को भलाई में इकट्ठा करे।

मुसनद अहमद: 2/381. दारमी: 2180. अबू दाऊद: 2130.

7 بَابُ مَا جَاءَ فِيهَا يُقَالُ لِلْمُتَزَوِّجِ

1091 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَأَ الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ، قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وَتَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي الْخَيْرِ.

तौज़ीह: (1) इस दुआ में अहले जाहिलियत की मुख़ालिफ़त है। जाहिलियत में लोग शादी की मुबारकबाद देते तो कहा करते थे: بالرفاء والبنين: (तुम दोनों में मिलाप हो और बेटे मिलें) क्योंकि वह बेटियों से नफ़रत करते थे। नबी (ﷺ) ने मुबारकबाद के वक़्त यह दुआ दी जिसमें अल्लाह से बरकत व भलाई का सवाल है।

वज़ाहत: इस मसले में अकील बिन अबी तालिब (رضي الله عنه) से भी रिवायत है। इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

8 - बीवी के साथ सोहबत करते वक़्त की दुआ।

1092 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: "अगर तुम में से कोई शख्स अपनी बीवी के पास जाते वक़्त यह कलिमात कहे: "अल्लाह के नाम के साथ ऐ अल्लाह शैतान को हम से दूर रख और (जो औलाद) तु हमें अता करे उसे भी शैतान को दूर रख, तो अगर अल्लाह तआला ने उनके दर्मियान औलाद का फ़ैसला किया है तो शैतान उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता।"

बुखारी: 141. मुस्लिम: 1434. अबू दारुद: 1261. इब्ने माजा: 1919.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

8 بَاب مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ

1092 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَنْ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنْ قَضَى اللَّهُ بَيْنَهُمَا وَلَدًا لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ.

9-किन औक़ात में निकाह करना मुस्तहब है?

1093 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने शव्वाल में मुझसे निकाह किया और शव्वाल में ही मुझसे सोहबत की। और आयशा(رضي الله عنها) इस बात को पसंद करती थीं कि औरतों से शव्वाल में सोहबत की जाए।

मुस्लिम: 1423. इब्ने माजा: 1990. निसाई: 3236.

तौज़ीह: इस जगह सोहबत से मुराद पहली रात की सोहबत यानी सोहबत की इब्तिदा और रुखसती करना है।

9 بَاب مَا جَاءَ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ فِيهَا النِّكَاحُ

1093 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ.

10 - वलीमा का बयान.

1094 - अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अब्दुरहमान बिन औफ़ (رضي الله عنه) पर ज़र्द निशान देखा तो आप ने फ़रमाया: "यह क्या है?" उन्होंने कहा: मैंने एक औरत से खजूर की गुठली के बराबर सोने के एवज़ शादी की है। आप (ﷺ) ने फ़रमाया: "अल्लाह तुम्हें बरकत दे, वलीमा करो अगरचे एक बकरी ही हो।"

बुखारी: 2094. मुस्लिम: 1427. अबू दाऊद: 2109. निसाई: 3351.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने मसऊद, आयशा, जाबिर और जुहैर बिन उस्मान (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: गुठली बराबर सोने का वज़न तीन दिरहम और एक दिरहम का तीसरा हिस्सा होता है। इस्हाक़ (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: पांच दिरहम और एक दिरहम का तीसरा हिस्सा वज़न बनता है।

1095 - सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने सफिय्या बिनते हुई (رضي الله عنه) के साथ शादी के मौके पर सत्तू और खजूर के साथ वलीमा किया था।

बुखारी: 371. अबू दाऊद: 3744. इब्ने माजा: 1909. निसाई: 3380.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़ारीब है।

1096 - अबू ईसा कहते हैं: हमें मुहम्मद बिन यहया ने वह कहते हैं: हमें हुमैदी ने सुफ़ियान से इसी तरह बयान की है और कई रावियों ने यह हदीस इब्ने उययना से बवास्ता ज़ोहरी सय्यदना अनस (رضي الله عنه) से रिवायत की है। और इस में यह ज़िक्र नहीं है कि वाइल अपने बेटे नौफ़ से रिवायत करते हैं।

सहीह: अबू दाऊद: 3740. इब्ने माजा: 1909.

10 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَلِيْمَةِ

1094 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثْرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ.

1095 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ، عَنْ ابْنِهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلِمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ حَبِيبٍ بِسَوِيْقٍ وَسَمْرٍ.

1096 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَمِيدِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، نَحْوَ هَذَا، وَقَدْ رَوَى غَيْرٌ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنْ وَائِلٍ، عَنْ ابْنِهِ.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: सुफ़ियान बिन उयय्ना इस हदीस में तद्लीस करते हैं बाज़्र दफ़ा वह इसमें यह ज़िक्र नहीं करते कि वाइल ने अपने बेटे से रिवायत की है और बाज़्र दफ़ा ज़िक्र किया है।

1097 - सय्यदना इब्ने मसऊद (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: "पहले दिन का खाना हक़, दुसरे दिन का खाना सुन्नत है और तीसरे दिन का खाना खिलाना (लोगों में) मशहूरी का अमल है और जो मशहूरी (के लिए अमल करेगा) अल्लाह भी उसकी तशहीर करेगा।

ज़ईफ़; अल-कामिल: 3/ 150. बेहकी: 7/ 270.

1097 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَعَامُ أَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّانِي سُنَّةٌ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّلَاثِ سُمْعَةٌ، وَمَنْ سَمِعَ سَمِعَ اللَّهُ بِهِ.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: इब्ने मसऊद (رضي الله عنه) की हदीस सिर्फ़ जियाद बिन अब्दुल्लाह के तरीक (सनद) ही मफूअ है और ज़ियाद बिन अब्दुल्लाह बहुत ज़्यादा अजीब और मुन्कर रिवायात बयान करने वाला था।

नीज फ़रमाते हैं: मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल को मुहम्मद बिन उन्नबा के हवाले से ज़िक्र करते हुए सुना वह कहते हैं कि वकीअ ने कहा: जियाद बिन अब्दुल्लाह अपने शफ़ के बावजूद हदीस में झूठ बोलते थे।

11 - दावत देने वाले की दावत कुबूल करना.

1098 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: "जब तुम्हें दावत दी जाए तो दावत में जाओ। "

बुखारी: 5173. मुस्लिम: 1429. अबू दाऊद: 3736. इब्ने माज़ा: 1914.

11 بَابُ مَا جَاءَ فِي إِجَابَةِ الدَّاعِي

1098 - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِتُّوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ.

वज़ाहत: इस मसले में अली, अबू हुरैरा, बरा, अनस और अबू अय्यूब (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

12 - जो शरख बगैर दावत वलीमा खाने आ जाए.

1099 - सय्यदना अबू मसऊद (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि एक आदमी जिसका नाम अबू शोऐब था अपने गोशत बेचने वाले गुलाम के पास आकर कहने लगा: मेरे लिए खाना तैयार करो जो पांच आदमियों के लिए काफी हो, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के चेहरे में भूक के आसार देखे हैं। रावी कहते हैं: उसने खाना बनाया, फिर नबी (ﷺ) की तरफ पैगाम भेज कर आप (ﷺ) को और आप (ﷺ) के साथ बैठे हुए लोगों को बुलाया, जब नबी (ﷺ) खड़े हुए तो आपके पीछे एक आदमी चला आया जो दावत दिए जाने के वक़्त उनके साथ नहीं था। जब रसूलुल्लाह (ﷺ) दरवाज़े पर पहुंचे आप (ﷺ) ने घर वाले से कहा: "हमारे पीछे एक आदमी आया है जो दावत के वक़्त हमारे साथ नहीं था, अगर तुम इजाज़त दो तो वह भी आ जाए।" उसने कहा 'दाखिल' हमने उसे भी इजाज़त दे दी वह भी आ जाए।

मुसनद अहमद: 3/396. बुखारी: 5/123. मुस्लिम: 6/115.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और इस मसले में इब्ने उमर (رضي الله عنه) से भी मर्वी है।

12 بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ يَجِيءُ إِلَى الْوَلِيْمَةِ مِنْ غَيْرِ دَعْوَةٍ

1099 - حَدَّثَنَا هَنَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَعِيبٍ إِلَى غُلَامٍ لَهُ لَحَامٌ، فَقَالَ: اصْنَعْ لِي طَعَامًا يَكْفِي خَمْسَةً، فَإِنِّي رَأَيْتُ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُوعَ، قَالَ: فَصَنَعَ طَعَامًا، ثُمَّ أُرْسِلَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا، وَجَلَسَاءَهُ الَّذِينَ مَعَهُ، فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّبَعَهُمْ رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ حِينَ دُعُوا، فَلَمَّا انْتَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْبَابِ، قَالَ لِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ: إِنَّهُ اتَّبَعَنَا رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ مَعَنَا حِينَ دَعَوْتَنَا، فَإِنْ أُذِنَتْ لَهُ دَخَلَ، قَالَ: فَقَدْ أُذِنَّا لَهُ فَلْيَدْخُلْ.

13 - कुंवारी लड़कियों से शादी करना.

1100 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैंने एक औरत से शादी की तो नबी (ﷺ) के पास आया, आप (ﷺ) ने फ़रमाया: " ऐ जाबिर क्या तूने शादी कर ली है?" मैंने कहा: जी हाँ" आप (ﷺ) ने फ़रमाया: "कुंवारी से या बेवा से?" मैंने कहा: "बेवा से, आप (ﷺ) ने फ़रमाया: किसी कुंवारी लड़की से क्यों नहीं की तुम उस से खेलते और वह तुमसे खेलती?" मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! बेशक मेरे वालिद अब्दुल्लाह शहीद हो गए हैं और सात या नौ बेटियाँ छोड़ कर गए हैं मैं उस औरत को लाया हूँ जो उनकी परवरिश करे, रावी कहते हैं: फिर आप (ﷺ) ने मेरे लिए दुआ की।

बुखारी: 5079. मुस्लिम: 1466. अबू दारुद: 2048.
इब्ने माजा: 1860. निसाई: 3219.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

14 - वली के बगैर निकाह नहीं होता.

1101 - सय्यदना अबू मूसा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: "वली के बगैर निकाह नहीं।"

सहीह: अबू दारुद: 2085. इब्ने माजा: 1881. मुसनद अहमद: 4/394

13 بَابُ مَا جَاءَ فِي تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ

1100 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَتَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ؟، فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: بِكَرًا، أَمْ ثَيِّبًا؟، فَقُلْتُ: لَا، بَلْ ثَيِّبًا، فَقَالَ: هَلَّا جَارِيَةٌ تَلَاعِبُهَا وَتَلَاعِبُكَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ مَاتَ، وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ أَوْ تِسْعًا، فَجِئْتُ بِمَنْ يَقُومُ عَلَيْهِنَّ. قَالَ: فَدَعَا لِي.

14 بَابُ مَا جَاءَ لِأَنْكَاحِ الْأَبْوَالِي

1101 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ إِسْرَائِيلَ،

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي
زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ يُونُسَ
بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي
بَرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ.

वज़ाहत: इस मसले में आयशा, इब्ने अब्बास, अबू हुरैरा, इमरान बिन हुसैन और अनस (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं।

1102 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: "जो औरत अपने वली (सरपरस्त) की इजाज़त के बगैर निकाह करती है तो उसका निकाह बातिल है, उसका निकाह बातिल है, उसका निकाह बातिल है अगर आदमी उसके साथ हमबिस्तरी कर लेता है तो उसके लिए शर्मगाह को हलाल करने की वजह से हक़ महर होगा, फिर अगर वली के बारे में झगड़ा हो तो जिसका कोई वली न हो हाकिम (या क़ाज़ी) उसका वली है।"

सहीह: अबू दाऊद: 2083. इब्ने माजा: 1879.

1102 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ
عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ
بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا
بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا
الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ
اسْتَجْرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज यह्या बिन सईद अंसारी, यह्या बिन अय्यूब, सुफ़ियान सौरी और दीगर हुफ्फाज़े हदीस ने भी इसे इब्ने जुरैज से ऐसे ही रिवायत की है।

नीज फ़रमाते हैं: अबू मूसा की हदीस में इख़ितलाफ़ है, शरीक बिन अब्दुल्लाह, अबू उययना, जुहैर बिन मुआविया और कैस बिन रबी ने इसे अबू इस्हाक़ से बवास्ता अबू बुर्दा, सय्यदना अबू मूसा (رضي الله عنه) से और उन्होंने नबी (ﷺ) से रिवायत किया है। जबकि अस्बात बिन मुहम्मद और ज़ैद बिन हुबाब, यूनुस बिन अबी इस्हाक़ से बवास्ता अबू बुर्दा, अबू मूसा से और वह नबी (ﷺ) से रिवायत करते हैं। वह इसकी सनद में अबू इस्हाक़ का ज़िक्र नहीं करते।

नीज युनुस बिन अबी इस्हाक़ से बवास्ता अबू इस्हाक़ फिर अबू बुर्दा के जरिये अबू मूसा की नबी(ﷺ) की इसी तरह हदीस मर्वी है।

शोबा व सौरी, अबू इस्हाक़ से बवास्ता अबू मूसा नबी(ﷺ) से रिवायत करते हैं कि “वली के बगैर निकाह नहीं होता।”

सुफ़ियान के बाज़ शागिदों ने सुफ़ियान से बवास्ता अबू इस्हाक़ अबू बुर्दा से और उन्होंने अबू मूसा से रिवायत की है लेकिन वह सहीह नहीं है।

अबू ईसा कहते हैं जिन लोगों ने अबू इस्हाक़ से अबू बुर्दा, अबू मूसा से रिवायत की है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: “ वली के बगैर निकाह नहीं होता। ” उनकी रिवायत मेरे नज़दीक ज़्यादा सहीह है क्योंकि अबू इस्हाक़ से उनका सिमा (सुनना) मुख्तलिफ़ औकात में हुआ है। अगरचे शोबा और सौरी उन तमाम रावियों से बड़े हाफ़िज़ और अस्बत रावी हैं, जिन्होंने अबू इस्हाक़ से इस हदीस को रिवायत किया है। उन लोगों की रिवायत मेरे नज़दीक ज़्यादा उम्दा और सहीह है क्योंकि शोबा और सौरी ने अबू इस्हाक़ से इस हदीस को एक मजलिस में सुना है और इसकी दलील यह रिवायत भी बन जाती है जो हमें महमूद बिन ग़ैलान ने उन्हें अबू दाऊद ने (वह कहते हैं:) हमें शोबा ने बताया कि मैंने सुफ़ियान सौरी को अबू इस्हाक़ से सवाल करते हुए सुना कि क्या आप ने अबू बुर्दा (ﷺ) को बयान करते सुना है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: “ वली के बगैर निकाह नहीं होता?” तो उन्होंने कहा: हाँ। यह हदीस इस बात की दलील है कि शोबा और सौरी ने मकहूल से इस हदीस को एक ही वज़त में सुना है। और इस्त्राइल सिक्कह रावी हैं अबू इस्हाक़ की रिवायात को ख़ूब याद रखने वाले हैं।

मैंने मुहम्मद बिन मुसन्ना को बयान करते हुए सुना कि मैंने अब्दुरहमान बिन महदी से सुना वह फ़रमा रहे थे मुज़से सौरी की अबू इस्हाक़ से बयान कर्दा अहादीस इस लिए रह गयीं कि मैंने इस्त्राइल पर एतमाद किया क्योंकि वह उन रिवायात को मुकम्मल बयान करते थे।

और इस मसले में मर्वी आयशा (ﷺ) की हदीस कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: “वली के बगैर निकाह नहीं होता। ” मेरे नज़दीक हसन है। इसे इब्ने जुरैज ने सुलैमान बिन मूसा से बवास्ता ज़ोहरी, उर्वा से उन्होंने बवास्ता आयशा (ﷺ) नबी(ﷺ) से रिवायत की है।

नीज हज्जाज बिन अर्तात और जाफ़र बिन रबीया ने भी बवास्ता ज़ोहरी उर्वा से उन्होंने आयशा (ﷺ) के जरिए नबी(ﷺ) से रिवायत की है। और हिशाम बिन उर्वा से भी उनके वालिद के वास्ते के साथ आयशा (ﷺ) की नबी(ﷺ) से इसी तरह की हदीस मर्वी है।

बाज़ मुहद्दीसीन ने ज़ोहरी से बवास्ता उर्वा सय्यदा आयशा (ﷺ) से मर्वी नबी(ﷺ) की हदीस

में कलाम किया है। इब्ने जुरैज कहते हैं; मैं जोहरी से मिला और इस हदीस के बारे में पूछा तो उन्होंने इनकार कर दिया, इसीलिए मुहद्दीसीन ने इस हदीस को ज़ईफ़ कहा है। यह्या बिन मईन कहते हैं: इब्ने जुरैज से यह अल्फ़ाज़ सिर्फ़ इस्माईल बिन इब्राहीम ने ज़िक्र किये हैं।

नीज फ़रमाते हैं: इस्माईल बिन इब्राहीम का इब्ने जुरैज से सिमा (सुनना) ज़्यादा वाज़ेह नहीं है। उन्होंने तो इब्ने जुरैज से सुनी हुई हदीसों पर मुशतमिल किताब की तस्हीह अब्दुल मजीद बिन अब्दुल अज़ीज़ बिन अबू दाऊद की किताबों से की थी। और यह्या इस्माईल बिन इब्राहीम की इब्ने जुरैज से ली गई रिवायत को ज़ईफ़ करार देते हैं।

नबी करीम (ﷺ) के उलमा सहाबा, जिनमें उमर बिन खत्ताब, अली बिन अबी तालिब, अब्दुल्लाह बिन अब्बास और अबू हु़रैरा (رضي الله عنه) वग़ैरह भी शामिल हैं, उनका इस मसले में अमल इसी हदीस कि “वली की इजाज़त के बग़ैर निकाह नहीं होता” पर ही है।

बाज़ फ़ुक़हा ताबेईन भी कहते हैं कि वली की इजाज़त के बग़ैर निकाह नहीं होता। इन में सईद बिन मुसय्यब, हसन बसरी, शुरैह, इब्राहीम नखई, और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (رضي الله عنه) वग़ैरह भी शामिल हैं।

नीज सुफ़ियान सौरी, औज़ाई, मालिक, अब्दुल्लाह बिन मुबारक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رضي الله عنه) भी इसी के कायल हैं।

15 - निकाह गवाहों के साथ ही मुनुअकिद होता है.

1103 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: “वह औरतें जिनाकार हैं जो बग़ैर गवाहों के अपना निकाह करती है।”

ज़ईफ़: बैहकी: 7/ 125.

15 بَابُ مَا جَاءَ لِانِكَاحِ الْإِبْتِنَةِ

1103 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَمَادٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَغَايَا اللَّاتِي يَنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بَغَيْرِ بَيِّنَةٍ.

वज़ाहत: यूसुफ़ बिन हम्माद कहते हैं: अबुल आला ने तफ़सीर में इस हदीस को मफूअ और तलाक़ की किताब में इसे मौकूफ़ ज़िक्र किया है, मफूअ नहीं।

1104 - अबू ईसा (رضی اللہ عنہ) कहते हैं: हमें कुतैबा ने वह कहते हैं, हमें गुन्दर मुहम्मद बिन जाफ़र ने, सईद बिन अबी अरूबा से इसी तरह हदीस बयान की है और वह मर्फूअ नहीं है यह ज़्यादा सहीह है।

1104 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، نَحْوَهُ، وَلَمْ يَرْفَعَهُ. وَهَذَا أَصْح.

मुहक्किह ने इसकी तखरोज और हुक्म ज़िक्र नहीं किया।

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं: “यह हदीस ग़ैर महफूज़ है, हमारे इल्म में सिर्फ़ अब्दुल आला ही ने इसे मर्फूअ कहा है। वह सईद से बवास्ता क़तादा मर्फूअ रिवायत करते हैं।

नीज अब्दुल आला ने बवास्ता सईद इस हदीस को मौकूफ़ रिवायत किया है। लेकिन सहीह इब्ने अब्बास का कौल है कि निकाह बग़ैर गवाहों के नहीं होता। कई रावियों ने इसी तरह सईद बिन अबी अरूबा से मौकूफ़ रिवायत की है।

इस मसले में इमरान बिन हुसैन, अनस और अबू हुरैरा (رضی اللہ عنہ) से भी हदीस मर्वी है।

नीज नबी (ﷺ) के सहाबा, ताबेईन और दीगर लोगों में उलमा का इसी पर अमल है वह कहते हैं: निकाह गवाहों के साथ ही मुन्अकिद होगा, हमारे नज़दीक उन लोगों के यहाँ तो इस बारे में कोई इख़्तिलाफ़ नहीं था लेकिन मुताख़िखरीन उलमा ने इस बारे में इख़्तिलाफ़ किया है। अहले इल्म का इख़्तिलाफ़ तो इस बात में था कि जब एक के बाद दूसरा गवाह बनाया जाए (तो उस वक़्त क्या निकाह जायज़ होगा?) कूफ़ा के अक्सर उलमा कहते हैं: निकाह उस वक़्त तक जायज़ नहीं है जब तक अक़दे निकाह में इक़डे दो गवाह ना बनाए जाएँ।

जबकि बाज़ अहले मदीना कहते हैं कि जब एक के बाद दूसरा गवाह बनाया जाए तो अगर उसका ऐलान कर दें तो जायज़ है। मालिक बिन अनस वग़ैरह भी इसी के कायल हैं। इस्हाक़ बिन इब्राहीम अहले मदीना की तरफ़ से बयान करते हैं कि बाज़ उलमा का कहना है कि निकाह में एक मर्द और दो औरतों की गवाही भी जायज़ है। अहमद और इस्हाक़ का भी यही कौल है।

17 - ख़ुतब-ए-निकाह का बयान.

1105 - सय्यदना अब्दुल्लाह (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें नमाज़ का तशहहूद और हाजत के मौक़े पर (पढ़ा जाने

17 بَابُ مَا جَاءَ فِي خُطْبَةِ النِّكَاحِ

1105 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْرُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،

वाला) तशहहद सिखाया। इब्ने मसऊद (رضي الله عنه) ने फ़रमाया: “ नमाज़ का तशहहद यह है: “ मेरी सारी कौली, बदनी और माली इबादत सिर्फ़ अल्लाह के लिए ख़ास है। ऐ नबी! आप पर अल्लाह की रहमत, सलामती और बरकतें हों और हम पर और अल्लाह के (दूसरे) नेक बन्दों पर (भी) सलामती हो, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह के बन्दे और रसूल हैं। ”

सहीह: अबू दाऊद: 2118. इब्ने माजा: 1192.

हाजत का तशहहद (खुल्बा यह है) : बेशक तमाम तारीफें अल्लाह के लिए ख़ास हैं, हम उसी से मदद मांगते हैं और उसी से बख़्शिश चाहते हैं और हम अपने नपसों के शर और अपने बुरे आमाल से अल्लाह की पनाह मांगते हैं, जिसे अल्लाह हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं है और जिसे गुमराह कर दे तो उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं है, और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (सल्लल) उसके बन्दे और रसूल हैं- नीज फ़रमाया: “ तीन आयतें भी पढ़े। अब्सर कहते हैं: सुफ़ियान सौरी ने हमें इसकी तफ़सीर भी करके दी (कि वह आयत यह हैं) { اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا } { اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا } (आले इमरान: 102) { اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا } (अन्निसा: 1) { اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا } (अहज़ाब: 70)

वज़ाहत: इस मसले में अदी बिन हातिम (رضي الله عنه) से भी हदीस मकी है।

عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُدَ فِي الصَّلَاةِ، وَالتَّشَهُدَ فِي الْحَاجَةِ قَالَ: التَّشَهُدُ فِي الصَّلَاةِ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ، وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،

والتَّشَهُدُ فِي الْحَاجَةِ: إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَتَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ.

قَالَ عُبَيْرٌ: فَفَسَّرَهُ لَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: { اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ }، { وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا }، { اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا }.

इमाम तिर्मिजी (रह) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह (रह) की हदीस हसन है। आमश ने इसको अबू इस्हाक़ से रिवायत किया है वह अहवस से बवास्ता अब्दुल्लाह (रह) नबी (रह) से रिवायत करते हैं।

शोबा ने इसको अबू इस्हाक़ से और उन्होंने अबू उबैदा से बवास्ता अब्दुल्लाह (रह) नबी (रह) से रिवायत किया है और दोनों हदीसों ही सहीह हैं क्योंकि इस्बाईल ने इन दोनों (अहवस और अबू उबैदा) को जमा करते हुए कहा है कि अबू इस्हाक़ रिवायत करते हैं अहवस और अबू उबैदा से (वह दोनों) बवास्ता अब्दुल्लाह (रह) नबी (रह) से रिवायत करते हैं।

जबकि बाज़ उलमा का कहना है कि निकाह बग़ैर खुल्बा के भी जायज़ है यह कौल सुफ़ियान सौरी और दीगर उलमा का है।

1106 - सय्यदना अबू हुरैरा (रह) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (रह) ने फ़रमाया: "हर वह खुल्बा जिसमें तशहहूद न हो वह कटे हुए हाथ की तरह है।"

सहीह: अबू दाऊद: 4841. मुसन्द अहमद: 2/302. इब्ने हिब्बान: 2796.

1106 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامِ الرَّفَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كَلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشْهَدُ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (रह) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है।

18 - कुंवारी और बेवा से (निकाह करने की) इजाज़त लेना.

18 بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِئْثَارِ الْبِكْرِ وَالْتَّيِّبِ

1107 - सय्यदना अबू हुरैरा (रह) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (रह) ने फ़रमाया: "बेवा औरत का निकाह उसके फ़ैसले के बग़ैर न किया जाए और कुंवारी लड़की का निकाह भी न किया जाए यहाँ तक कि उस से इजाज़त ले ली जाए और उसकी इजाज़त (उसकी) ख़ामोशी है।"

1107 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُنْكَحُ الْتَّيِّبُ حَتَّى

बुखारी: 5136. मुस्लिम: 1419. अबू दाऊद: 2092.
इब्ने माजा: 1871. निसाई: 3265.

تُسْتَأْمَرُ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ،
وَإِذْنُهَا الصُّوْتُ.

वज़ाहत: इस मसले में उमर, इब्ने अब्बास, आयशा और उर्स बिन उमैरह (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिरमिज़ी फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और उलमा का इसी पर अमल है कि सय्यबा (बेवा या मुतल्लका) औरत का निकाह उसके फ़ैसले के बग़ैर ना किया जाए और अगर बाप उसके फ़ैसले (या मशवरे) के बग़ैर उसकी शादी कर दे और वह उस निकाह को नापसंद करती हो तो आम उलमा के नज़दीक वह निकाह फ़स्ख (ख़त्म) हो जाएगा।

कुंवारी लड़कियों की शादी के बारे में उलमा का इख़्तिलाफ़ है कि जब उनके बाप उनकी शादियां करदें: अहले कूफ़ा और दीगर लोगों में से अक्सर उलमा कहते हैं कि बाप जब कुंवारी बालिगा लड़की का निकाह उसकी इजाज़त के बग़ैर करदे और वह बाप की शादी करने से राजी ना हो तो निकाह फ़स्ख होगा। जबकि बाज़ अहले मदीना कहते हैं कि बाप का कुंवारी लड़की की शादी करना जायज़ है अगरचे वह नापसंद करती हो। यह कौल मालिक बिन अनस, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رضي الله عنه) का है।

1108 - सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: "बेवा औरत अपने नप़स की वली से ज़्यादा हक़दार है और कुंवारी लड़की से उसके नप़स के बारे में इजाज़त ली जाए और उसकी इजाज़त उसका ख़ामोश रहना है।"

मुस्लिम: 1421. अबू दाऊद: 2098. इब्ने माजा: 1870.
निसाई: 3260- 3264.

1108 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْأَيُّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صَوْتُهَا.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ शोबा और सुफ़ियान ने भी इस हदीस को मालिक बिन अनस (رضي الله عنه) से रिवायत किया है।

बाज़ लोगों ने इस हदीस के बग़ैर वली के निकाह के जायज़ होने की दलील ली है। हालांकि इसमें उनकी दलील नहीं है क्योंकि इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से कई सनदों से मर्वी है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: "वली के बग़ैर निकाह नहीं होता" और इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) ने नबी (ﷺ) के बाद फ़तवा देते हुए यही कहा था कि वली के बग़ैर निकाह नहीं होता और अक्सर उलमा के नज़दीक बेवा औरत अपने नप़स की वली से ज़्यादा हक़दार है का मतलब यह है कि वली उसकी रज़ामंदी और उसकी इजाज़त से निकाह करे। अगर

वह (अपनी मर्जी से) निकाह कर देता है तो उसका निकाह मंसूख होगा। क्योंकि खन्सा बन्ते हिजाम की हदीस है कि उसके बाप ने उसका निकाह कर दिया था जब कि वह बेवा थी और उसे नापसंद करती थी तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसके निकाह को मरदूद करार दे दिया था।

19 - यतीम लड़की पर निकाह के लिए जबरदस्ती नहीं की जा सकती.

1109 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: "यतीम लड़की से उसके नफ़्स के बारे में उसकी इजाज़त ले ली जाए, अगर वह खामोश रहे तो वह उसकी इजाज़त है और अगर वह इनकार करदे तो उस पर ज़बरदस्ती जायज़ नहीं है" यानी जब वह बालिगा हो तो उस रिश्ते को रद्द कर दे।
हसन सहोह: अबू दाऊद: 2093. निसाई: 3270.

वज़ाहत: इस मसले में अबू मूसा, इब्ने उमर और आयशा (رضی اللہ عنہا) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضی اللہ عنہ) की हदीस हसन है।

नीज़ अहले इल्म ने यतीम लड़की की शादी के बारे में इख़्तिलाफ़ किया है: बाज़ उलमा कहते हैं कि यतीम लड़की का अगर निकाह कर दिया जाए तो उसके बालिगा होने तक उसका निकाह मौकूफ़ रहेगा जब वह बालिगा हो जाएगी तो उसे निकाह को कायम रखने या फ़सख़ करने का इख़्तियार होगा। यह कौल बाज़ ताबेईन और दीगर लोगों का है।

बाज़ कहते हैं यतीम लड़की का निकाह उसके बालिगा होने तक जायज़ नहीं है और निकाह में इख़्तियार भी जायज़ नहीं होता यह कौल सुफ़ियान सौरी, शाफ़ेई और उनके अलावा दीगर उलमा का है।

अहमद और इस्हाक़ कहते हैं: जब यतीम लड़की की उमर 9 साल हो जाए फिर उसका निकाह किया जाए और वह राजी हो तो निकाह जायज़ है और जवान होने पर उसे इख़्तियार नहीं होगा और उनकी दलील आयशा (رضی اللہ عنہا) की हदीस है कि नबी (ﷺ) ने जब उनसे सोहबत की तो उनकी उमर 9 साल की थी और आयशा (رضی اللہ عنہا) खुद फ़रमाती हैं कि जब लड़की 9 साल की हो जाए तो औरत बन जाती है।

19 بَابُ مَا جَاءَ فِي إِكْرَاهِ الْيَتِيمَةِ عَلَى التَّرْوِيجِ

1109 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ صَمَتَتْ فَهِيَ إِذْنُهَا، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا. يَعْنِي: إِذَا أُدْرِكَتْ فَرُدَّتْ.

20 - अगर किसी लड़की के दो वली निकाह कर दें.

1110 - समुरा बिन जुन्दुब (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: "जिस औरत का निकाह दो वली कर दें तो वह पहले निकाह करने वाले के लिए होगी और जो शरख्स दो आदमियों के हाथ कोई चीज़ बेच दे तो वह पहले खरीदने वाले की होगी।"

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 2088. इब्ने माजा: 2190. निसाई: 4682.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है और उलमा का इसी पर अमल है और हमारे इल्म में उनके दर्मियान इस मसले में इख़िलाफ़ नहीं है कि जब एक वली दूसरे से पहले शादी कर देता है तो पहले कर देने वाले का निकाह करना जायज़ जबकि दूसरे का निकाह फ़रख़ होगा और जब दोनों इकट्ठे ही निकाह कर दें तो दोनों का निकाह फ़रख़ होगा। यह कौल सौरी, अहमद और इस्हाक़ (رضي الله عنه) का है।

21 - गुलाम का अपने मालिक की इजाज़त के बगैर निकाह करना.

1111 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: "जो गुलाम अपने सरदार की इजाज़त के बगैर निकाह करता है तो वह ज़ानी है।"

हसन: अबू दाऊद: 2078. मुसनद अहमद: 3/300. दारमी: 2239. तयालिसी: 1675.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने उमर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

20 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَالِيَيْنِ يُزَوِّجَانِ

1110 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوتَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَانٍ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا.

21 بَابُ مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ

إِذْنِ سَيِّدِهِ

1111 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ.

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) की हदीस हसन है और बाज़ ने इस हदीस को अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन अकील से बवास्ता इब्ने उमर (رضي الله عنه) नबी (ﷺ) से रिवायत किया है लेकिन वह सहीह नहीं है। सहीह अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन अकील से बवास्ता जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) ही है।

नीज नबी (ﷺ) के सहाबा (رضي الله عنهم) और दीगर लोगों में से अहले इल्म का इसी पर अमल है कि गुलाम का निकाह अपने मालिक की इजाज़त के बगैर जायज़ नहीं है और बगैर इख़ितलाफ़ के यह कौल अहमद और इस्हाक़ (رضي الله عنه) का भी है।

1112 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: "जो गुलाम अपने मालिक की इजाज़त के बगैर निकाह करता है तो वह जानी है।"

हसन.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

1112 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْأُمَوِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ.

22 - औरतों के हक्के महर का बयान.

1113 - अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन रबीआ अपने बाप से रिवायत करते हैं कि बनी फ़जारा की एक औरत ने दो जूतों (के हक्क महर) पर निकाह कर लिया तो अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया: "क्या तू अपने दिल और माल से दो जूतों पर राजी है? उसने कहा जी हाँ"

ज़ईफ़: इब्ने माजा: 1888. मुसनद अहमद: 3/445. तयालिसी: 1558. अबू याला: 7194.

22 بَابُ مَا جَاءَ فِي مُهُورِ النِّسَاءِ

1113 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُثَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ زَيْبَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَرَّازَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى ثَغْلَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْضَيْتِ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ بِنِغْلَيْنِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَجَازُهُ.

रावी कहते हैं: आप ने इस निकाह को जायज़ करार दे दिया।

वजाहत: इस मसले में उमर, अबू हुरैरा, सहल बिन साद, अबू सईद, अनस, आयशा, जाबिर अबू हदरद अलअस्लमी (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: आमिर बिन रबीया (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और हक़ महर के बारे में उलमा का इख़्तिलाफ़ है: बाज़ कहते हैं: महर वही होगा जिस पर आपस में राजी हो जाएँ। यह कौल सुफ़ियान सौरी, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رضي الله عنه) का है। मालिक बिन अनस (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं कि महर एक चौथाई दीनार से कम नहीं होना चाहिए और बाज़ कूफी कहते हैं कि दस दिरहम से कम न हो।

23 - इसी मसले के मुताल्लिक़ बयान.

23 بَابُ مِنْهُ

1114 - सय्यदना सहल बिन साद (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास एक औरत आकर कहने लगी: मैंने अपने आप को आप (ﷺ) के लिए हिबा कर दिया, फिर वह काफी देर खड़ी रही तो एक आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो आप इसके साथ मेरी शादी कर दें आप (ﷺ) ने फ़रमाया: "क्या इसके हक्के महर के लिए तुम्हारे पास कुछ है? उसने कहा: मेरे पास सिर्फ़ यह चादर है। अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया; " अगर तुमने अपनी चादर उसे दे दी तो तुम बैठे रहोगे, तुम्हारे पास चादर नहीं होगी सो तुम कोई चीज़ तलाश करो। "उस ने कहा: "अगर लोहे की अंगूठी ही (मिल जाए) रावी कहते हैं: उसने तलाश की लेकिन उसे कुछ ना मिला तो अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया: " क्या तुम्हारे पास कुछ याद किया हुआ कुरआन है? उसने कहा : जी हाँ, फलां

1114 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَيْسَى، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعِ الصَّائِغِ، قَالَا: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ طَوِيلًا، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَوَّجِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا؟ فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِزَارُكَ، إِنْ أُعْطِيَتْهَا جَلَسْتَ، وَلَا إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمِسْ شَيْئًا؟ قَالَ: مَا أَجِدُ، قَالَ: فَالْتَمِسْ، وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ قَالَ: فَالْتَمَسَ، فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

फलां सूत याद है। उसने उन सूतों के नाम लिये तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: जो कुरआन तुम्हें याद है उसके एवज़ मैं तुम्हारी शादी इसके साथ कर देता हूँ।

बुखारी: 2310. मुस्लिम: 1425. अबू दाऊद: 2111.
निसाई: 3200.

वजाहत: इमाम तिरमिजी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और इमाम शाफ़ेई इस हदीस के मुताबिक मज़हब रखते हैं वह कहते हैं कि अगर हक़ महर के लिए कुछ भी न हो वह कुरआन की सूतों के एवज़ निकाह कर सकता है और वह निकाह जायज़ होगा। और उसको कुरआन की सूत सिखाये।

बाज़ उलमा कहते हैं कि निकाह जायज़ होगा लेकिन महरे मिस्ल देना वाजिब होगा यह कौल अहले कूफ़ा, अहमद और इस्हाक़ (ﷺ) का है।

1114 - अबू अजफ़ा सुलमी (ﷺ) बयान करते हैं कि सय्यदना उमर बिन खत्ताब (رضي الله عنه) ने फ़रमाया: "खबरदार औरतों का हक़ महर ना बढ़ाओ, अगर यह (महर) दुनिया में इज्ज़त और अल्लाह के यहाँ तक्वा का बाइस होता तो उसके लिए सब से बेहतर रसूलुल्लाह (ﷺ) थे मैं नहीं जानता कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी किसी बीवी से निकाह किया हो और अपनी किसी बेटी का निकाह 12 उकिया से ज़्यादा (हक़ महर) पर किया हो।

अबू दाऊद: 2106. इब्ने माजा: 1887. निसाई: 3349.

هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، سُورَةٌ كَذَا، وَسُورَةٌ كَذَا، لِسُورٍ سَمَاهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

1114م- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي ثَوْبٍ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَلَا لَا تُغَالُوا صَدَقَةَ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أَنْكَحَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً.

वजाहत: इमाम तिरमिजी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अबू अजफ़ा सुलमी (ﷺ) का नाम हरम है और एक उकिया उलमा के नज़दीक चालीस दिरहम और 12 उकिये (480) दिरहम होते हैं।

24 - जो आदमी लौंडी को आजाद करके उसके साथ निकाह करता है.

1115 - सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने सय्यदा सफिय्या (رضي الله عنها) को आजाद किया और उनकी आजादी को ही उनका महर मुकरर किया।

बुखारी: 371. मुस्लिम: 1427. अबू दारूद: 2054. इब्ने माजा: 1957. निसाई: 3342.

वज़ाहत: इस मसले में सय्यदा सफिय्या (رضي الله عنها) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिरमिज़ी फ़रमाते हैं: अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से भी बाज़ उलमा इसी के कायल हैं। नीज शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رضي الله عنه) का भी यही कौल है।

जबकि बाज़ उलमा उसकी आजादी को हक़ महर ठहराना मकरूह करार देते हैं यहाँ तक कि आजादी के अलावा हक़ महर मुकरर किया जाए लेकिन पहली बात सहीह है।

25 - उस काम की फ़ज़ीलत.

1116 - अबू बुर्दा बिन अबू मूसा अपने बाप से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'तीन आदमियों को उनका अज़ दो मर्तबा दिया जाएगा: एक वह गुलाम जो अपने मालिकों और अल्लाह तआला का हक़ अदा करता है। उसे उसका अज़ दो मर्तबा दिया जाएगा। और दूसरा वह आदमी जिसके पास कोई ख़ूबसूरत लौंडी हो तो वह उसे अच्छा अदब सिखाये, उसे आजाद करे फिर उस से

24 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ الْأُمَّةَ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

1115 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا.

25 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفَضْلِ فِي ذَلِكَ

1116 - حَدَّثَنَا هَنَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي بَرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ: عَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوْلِيهِ، فَذَلِكَ يُؤْتَى أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ جَارِيَةٌ وَصِيَّتُهُ فَأَدَّبَهَا.

शादी कर ले और इस काम के साथ सिर्फ अल्लाह की रज़ा मंदी चाहता हो तो उस आदमी को भी उसका अज्ञ दो मर्तबा दिया जाएगा। और तीसरा वह आदमी जो पहली किताब पर ईमान लाया फिर उसके बाद दूसरी किताब आ गई तो वह उस पर भी ईमान ले आया। उसे भी इसका अज्ञ दो मर्तबा दिया जाएगा।

बुखारी: 97, मुस्लिम: 154. अबू दाऊद: 2053. इब्ने माजा: 1956. निसाई: 3344.

वजाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें इब्ने अबी उमर ने (वह कहते हैं:) हमें सुफ़ियान ने सालेह बिन सालेह से बवास्ता शाबी अबू बुर्दा से उन्होंने अबू मूसा (رضي الله عنه) के जरिए नबी (ﷺ) से इसी तरह रिवायत की है।

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: अबू मूसा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और अबू बुर्दा बिन अबी मूसा का नाम आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन कैस है। नीज शोबा और सुफ़ियान सौरी ने भी सालेह बिन सालेह बिन हुई से इस हदीस को रिवायत किया है और सालेह बिन सालेह बिन हुई, हसन बिन सालेह बिन हुई के वालिद हैं।

26 - जो शख्स किसी औरत से शादी करके सोहबत से पहले उसे तलाक़ दे दे तो क्या वह उस औरत की बेटी से शादी कर सकता है या नहीं?

26 بَابُ مَا جَاءَ فِي سَنَنِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ
ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا هَلْ
يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا أَمْ لَا

1117 - अम्र बिन शोएब अपने बाप से और वह अपने दादा (अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) से रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: "जो आदमी किसी औरत से निकाह करे और उससे सोहबत करे तो उसके लिए उस औरत की बेटी से निकाह करना जायज़ नहीं है और अगर वह उस से सोहबत नहीं कर सका तो वह उसकी बेटी से निकाह कर सकता है और जो आदमी

1117 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا، فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا، فَلْيَنْكَحْ ابْنَتَهَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا أَوْ

किसी औरत से निकाह करे ख्वाह उस से सोहबत की हो या नहीं उसके लिए उसकी मां से निकाह करना हलाल नहीं है। ”

لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا.

ज़ईफ़: अब्दुरज़ाक़: 10821. बेहकी: 7/160.

वजाहत: इमाम तिमिज़ी फ़रमाते हैं: सनद के लिहाज़ से यह हदीस सहीह नहीं है। क्योंकि इसे इब्ने लहीया और मुसन्ना बिन सबाह ने अम्र बिन शोऐब से रिवायत किया है। जबकि मुसन्ना बिन सबाह और इब्ने लहीया दोनों हदीस में ज़ईफ़ हैं। नीज अक्सर उलमा इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि जब आदमी किसी औरत से निकाह करे फिर सोहबत से पहले तलाक़ दे दे तो उसे उसकी बेटी के साथ निकाह करना जायज़ है और जब बेटी से निकाह करे और दुखूल से पहले तलाक़ दे दे तो उसकी मां से निकाह हलाल नहीं है क्योंकि अल्लाह तआला का फ़रमान है “और तुम्हारी बीवियों की माँ भी (हराम कर दी गई हैं)” (अन्सिा: 23)

इमाम शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक (رضي الله عنه) का भी यही कौल है।

27 - दुखूल (हमबिस्तरी) से पहले तलाक़ दे दे तो.

1118 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि रिफ़ाआ कुज़ी (رضي الله عنه) की बीवी रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आकर कहने लगी: मैं रिफ़ाआ कुज़ी के पास थी, उसने मुझे तलाके⁽¹⁾ बत्ता दे दी तो मैंने अब्दुरहमान बिन जुबैर से शादी कर ली और उसके साथ तो कपड़े की किनारे की तरह है⁽²⁾ तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया: “क्या तुम रिफ़ाआ के पास जाना चाहती हो? नहीं (जा साकती), यहाँ तक कि तुम उसकी और वह तुम्हारी लज़ज़ते जिमा (हमबिस्तरी की लज़ज़त) ना चख ले। ”

बुखारी: 2639. मुस्लिम: 1433. अबू दाऊद: 2309. इब्ने माजा: 1932. निसाई: 3283.

27 بَابُ مَا جَاءَ فِي مَنْ يَطْلُقُ امْرَأَتَهُ تَلَاكًا فَيَتَزَوَّجُهَا آخَرَ فَيَطْلُقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

1118 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ امْرَأَةً رِفَاعَةَ الْقُرْظِيِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي، فَبَتَّ طَلَاقِي، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الرَّبِيعِ وَمَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَقَالَ: أَمْرِيَيْنِ أَنْ تَرْجِعِي إِلَيَّ رِفَاعَةَ؟ لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتِكَ.

तौज़ीह: (1) तलाक़े बत्ता से मुराद आख़िरी यानी तीसरी तलाक़ है जिसके बाद रुजू का हक़ बाकी नहीं रहता। (2) यानी वह जिमा (हमबिस्तरी) करने पर क़ादिर नहीं है।

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने उमर, अनस, रूमैसा या गुमैसा और अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से भी अहादीस मव्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: आयशा (رضي الله عنها) की हदीस हसन सहीह है। नीज नबी (ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से आम अहले इल्म का इसी पर अमल है कि आदमी जब अपनी बीवी को तीन तलाक़ दे चुके और वह किसी और से निकाह कर ले तो अगर वह खल्वते सहीहा (हमबिस्तरी) से पहले तलाक़ दे दे तो वह पहले ख़ाविंद के लिए हलाल नहीं होगी जब दूसरा ख़ाविंद उस से सोहबत न कर सका हो।

28 - हलाला करने वाला और जिसके लिए हलाला किया जाए.

1119 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह और सय्यदना अली (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हलाला करने वाले और जिसके लिए हलाला⁽¹⁾ किया जाए उस पर लानत की है।

सहीह: अबू दाऊद: 2076. इब्ने माजा: 1935. मुसनद अहमद: 1/83.

तौज़ीह: 1) मुतल्लक़ा औरत को पहले ख़ाविंद के लिए हलाल करने की नीयत से वक़्ती निकाह को हलाला कहा जाता है। बाज़ जाहिल उलमा इस काम को सनदे जवाज़ फ़राहम करते हैं। लेकिन इस्लाम ने इस बेगैरती को हराम ठहराया है।

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने मसऊद, अबू हुरैरा, उत्रबा बिन आमिर और इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से भी अहादीस मव्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: अली और जाबिर की हदीस मालूल है। नीज अशअस बिन अब्दुर्हमान ने मुजालिद से बवास्ता आमिर शाबी हारिस से, उन्होंने बवास्ता आमिर और अली सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) की नबी (ﷺ) से इसी तरह की हदीस रिवायत की है और इस हदीस की सनद भी कायम नहीं है क्योंकि मुजालिद बिन सईद को बाज़ अहले इल्म ने ज़ईफ़ कहा है। जिन में अहमद बिन हंबल भी

28 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُحِلِّ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ

1119 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زُبَيْدِ الْأَيْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَنْ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالًا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

हैं और अब्दुल्लाह बिन नुमैर ने इस हदीस को मुजालिद से उन्होंने आमिर बवास्ता जाबिर बिन अब्दुल्लाह, सय्यदना अली (رضي الله عنه) से रिवायत किया है और इसमें इब्ने नुमैर को वहम हुआ है और पहली हदीस ज्यादा सहीह है उसे मुगीरह और इब्ने अबी खालिद वगैरह ने भी शाबी से बवास्ता हारिस सय्यदना अली (رضي الله عنه) से रिवायत किया है।

1120 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हलाला करने वाले और जिसके लिए किया जा रहा है (दोनों) पर लानत की है।

सहीह: निसाई: 3416. मुसनद अहमद: 1/448.
दारमी: 2236.

1120 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُرَيْثِ بْنِ شُرْحَبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और अबू कैस अहदी का नाम अब्दुरहमान बिन सर्वान है। नीज यह हदीस नबी (ﷺ) से कई सनदों के साथ मर्वी है।

और नबी (ﷺ) के सहाबा जिन में उस्मान बिन अफ़फ़ान और अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) भी शामिल हैं और दीगर लोगों में से अहले इल्म का इसी पर अमल है, ताबेईन फुक़हा का भी यही कौल है नीज सुफ़ियान सौरी, इब्ने मुबारक, शाफ़ेई अहमद और इस्हाक़ भी इसी के क़ायल हैं।

अबू ईसा फ़रमाते हैं: मैंने जारूद बिन मुआज़ को सुना वह बयान कर रहे थे कि वकीअ भी इसी के क़ायल थे। वह मजीद कहते हैं कि इस मसले में अस्हाबे राय की बात फेंकने के लायक़ है। वकीअ फ़रमाते हैं: सुफ़ियान का कौल है कि जब आदमी किसी औरत से हलाला की नीयत से निकाह करता है फिर उसे अपने पास रखना चाहे तो उसे अपने पास रखना उस वक़्त तक हलाल नहीं है जब तक उस से नया निकाह न करे।

29 निकाहे मुत्आ हराम है.

1121 - सय्यदना अली बिन अबी तालिब (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने खैबर के मौक़े पर औरतों से मुत्आ⁽¹⁾ करने और घरेलू (पालतू) गधों के गोशत (खाने) से मना कर दिया था।

29 بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

1121 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ، ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا،

बुखारी: 4216. मुस्लिम: 1407. इब्ने माजा: 1961.
निसाई: 4334.

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، وَعَنْ
لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ.

तौजीह: (1) मुलाहजा फ़रमाएँ: मुत्आ की हुर्मत की रिवायत सय्यदना अली (रज़ि) से मर्वी है। लेकिन आज अली (रज़ि) की मोहब्बत में कुफ़ तक पहुंचे हुए लोग इस ज़िल्लत आमैज़ काम को अपने मज़हब में अहम् फ़रीज़ा समझते हैं।

वज़ाहत: इस मसले में सबुरह अल-जुहनी और अबू हुरैरा (रज़ि) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिजी फ़रमाते हैं: अली (रज़ि) की हदीस हसन सहीह है और नबी (रज़ि) के सहाबा और दीगर लोगों में से अहले इल्म का इसी पर अमल है। जब कि इब्ने अब्बास (रज़ि) से इसकी रुख़सत में कुछ मर्वी है लेकिन जब उनको नबी (रज़ि) से बयान किया गया तो उन्होंने अपनी बात से रूजू कर लिया था।

नीज जुम्हूर उलमा मुत्आ की हुर्मत के कायल हैं, इमाम सौरी, इब्ने मुबारक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (रज़ि) भी यही कहते हैं।

1122 - एक आदमी किसी शहर में जाता जहां उसकी जान पहचान न होती तो वह अपने वहाँ पर ठहरने के मुताबिक़ किसी औरत से शादी कर लेता वह उसके सामान की हिफ़ाज़त करती और उसकी अश्या को दुरुस्त रखती। यहाँ तक कि यह आयत नाजिल हुई: " मगर अपनी बोंबियों पर या उन औरतों पर जिन पर उनके हाथ मालिक हैं। " (अल- मोमिनून: 6) इब्ने अब्बास (रज़ि) फ़रमाते हैं: इन दोनों औरतों के अलावा हर शर्मगाह हाराम है।

मुन्कर: बैहकी: 7/ 205.

1122 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ:
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُقْبَةَ، أَخُو قَيْصَةَ بْنِ عُقْبَةَ،
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ
عُبَيْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ: إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، كَانَ
الرَّجُلُ يَقْدَمُ الْبَلْدَةَ لَيْسَ لَهُ بِهَا مَعْرِفَةٌ فَيَتَزَوَّجُ
الْمَرْأَةَ بِقَدْرِ مَا يَرَى أَنَّهُ يَتَّقِيهِ فَتَحْفَظُ لَهُ
مَتَاعَهُ، وَتُصْلِحُ لَهُ شَيْئَهُ، حَتَّى إِذَا نَزَلَتْ
الْآيَةُ: [إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ]، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَكُلُّ فَرَجٍ سِوَى
هَذَيْنِ فَهُوَ حَرَامٌ.

30 - निकाहे शिगार की मुमानअत (मनाही)

1123 - सय्यदना इमरान बिन हुसैन (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: "इस्लाम में जलबा⁽¹⁾ जनबा⁽²⁾ और शिगार⁽³⁾ का तसव्वुर भी नहीं है। और जिसने डाका वह हम में से नहीं है।"

सहीह: अबू दारुद: 2581. इब्ने माजा: 3937. निसाई: 3335.

30 بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ نِكَاحِ الشِّغَارِ

1123 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ وَهُوَ الطَّوِيلُ، قَالَ: حَدَّثَ الْحَسَنُ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا جَلْبَ، وَلَا جَنْبَ، وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ، وَمَنْ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا.

तौज़ीह: **جَلْبَ** : जलबा ज़कात वसूल करने में होता है, उस की सराहत यह है कि ज़कात वसूल करने वाला आमिल दूर किसी मक़ाम पर बैठ कर मवेशी पालने वालों को पैगाम भेजे कि अपने मवेशियों की ज़कात मुझे पहुँचाओ, इस काम से मना किया गया है बल्कि वह खुद उनके ठिकानों तक जाकर ज़कात का माल वसूल करे।

(2) **جَنْب** यह है कि घुड़दौड़ में कोई शख्स अपने साथ एक इजाफी घोड़ा ले कर चले जबकि एक थक जाएगा तो दूसरे पर सवार हो जाएगा।

(3) **شِغَار** : तबादला की शादी इस तौर पर कि अपनी बहन या बेटी इस शर्त पर किसी के निकाह में देना कि वह भी अपनी बहन या बेटी को बगैर महर उसके निकाह में देगा। (अल-मोजमुल वसीत:574)

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और इस मसले में अनस, अबू रैहाना, इब्ने उमर, जाबिर, मुआविया, अबू हरैरा और वाइल बिन हुज़्र (رضی اللہ عنہ) से भी अहादीस मर्वी हैं।

1124 - सय्यदना इब्ने उमर (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने तबादले के निकाह से मना फ़रमाया है।

1124 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا

बुखारी: 5112. मुस्लिम: 1415. अबू दाऊद: 2084.
इब्ने माजा: 1883. निसाई: 3334.

مَالِكُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشُّغَارِ.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और आम उलमा इसी पर अमल करते हुए निकाहे शिगार को सहीह नहीं समझते और शिगार यह होता है कि आदमी अपनी बेटी का निकाह इस शर्त पर करे कि दूसरा शाख्स अपनी बेटी या बहन का निकाह उसके साथ करे और उन दोनों के दर्मियान महर न हो। बाज़ उलमा कहते हैं कि शिगार के निकाह को फ़सख़ कर दिया जाएगा और अगर उन दोनों का हक़ महर मुकर्रर भी कर दिया जाए तो भी हलाल न होगा। यह कौल इमाम शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمته الله) का है।

अता बिन अबी रबाह (رحمته الله) कहते हैं कि उनका निकाह बरकरार रख कर और उनके लिए महेरे मिस्ल मुकर्रर किया जाएगा, अहले कूफ़ा भी यही कहते हैं।

31 - फूफी या खाला के होते हुए भतीजी या भांजी से निकाह जायज नहीं:

31 بَابُ مَا جَاءَ لِاتُّنَكِّحَ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتَيْهَا وَلَا عَلَى خَالَتَيْهَا

1125 - सय्यदना इब्ने अब्बास रज़ि0) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने किसी औरत के साथ उसकी फूफी या खाला के होते हुए निकाह करने से मना फ़रमाया है।

सहीह: अबू दाऊद: 2067. मुसनद अहमद: 1/217. इब्ने हिब्बान: 4116.

1125 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبِي حَرِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تَزُوجَ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتَيْهَا، أَوْ عَلَى خَالَتَيْهَا.

वज़ाहत: अबू हरीज का नाम अब्दुल्लाह बिन हुसैन है।

(अबू ईसा कहते हैं:) हमें नख़ बिन अली ने (वह कहते हैं:) अब्दुल आला ने हिशाम बिन हस्सान से (उन्होंने) इब्ने सीरीन से बवास्ता अबू हरैरा (رحمته الله) नबी (ﷺ) से इसी तरह रिवायत की है नीज इस मसले में अली, इब्ने उमर, अब्दुल्लाह बिन अम्र, अबू सईद, अबू उमामा, जाबिर, आयशा, अबू मूसा और समुरा बिन जुन्दुब (رحمته الله) से भी अहादीस मर्वी हैं।

1126 - सख्यदना अबू हरैरा (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इस काम से मना फ़रमाया कि किसी औरत से उसकी फूफी के होते हुए या फूफी से भतीजी के होते हुए या भांजी से खाला के होते हुए या खाला से भांजी के होते हुए निकाह किया जाए। और बड़ी बहन के होते हुए छोटी से और छोटी बहन के होते हुए बड़ी बहन से निकाह न किया जाए।⁽¹⁾

सहीह: अबू दाऊद: 2065. निसाई: 3296.

1126 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَانَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَامِرٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُتَكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ الْعَمَّةُ عَلَى ابْنَتِهِ أُخْيَهَا، أَوْ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، أَوْ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، وَلَا تُتَكَحَ الصَّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى، وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصَّغْرَى.

तौज़ीह: (1) यानी एक वक़्त में इन रिश्तों को अपने निकाह में जमा करना हराम है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं: इन्हे अब्बास और अबू हरैरा (رضی اللہ عنہ) की हदीस हसन सहीह है और सब उलमा के नज़दीक इसी पर अमल होगा। हमारे इल्म के मुताबिक उनके दर्मियान इखितलाफ़ नहीं है कि किसी आदमी के लिए हलाल नहीं कि वह भतीजी और फूफी या भांजी और खाला को एक वक़्त में जमा करे, अगर वह फूफी की मौजूदगी में भतीजी से या खाला की मौजूदगी में भांजी से इसी तरह भांजी की मौजूदगी में फूफी से निकाह करता है तो दूसरी का निकाह फ़सख़ होगा। सब उलमा यही कहते हैं।

इमाम तिर्मिजी फ़रमाते हैं शाबी ने अबू हरैरा को पाया है और मैंने इस बारे में मुहम्मद बिन इस्माईल बुखारी से पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: यह बात सहीह है। नीज फ़रमाते हैं: शाबी ने एक आदमी के वास्ते के साथ अबू हरैरा (رضی اللہ عنہ) से रिवायत की है।

32 - अकदे निकाह के वक़्त की शराइत (शर्तें)

1127 - उक़बा बिन आमिर अल-जुहनी (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: "बेशक सब से ज़्यादा पूरी करने के लायक वह शराइत हैं जिनके साथ तुम शर्मगाहों को हलाल करते हो।"

32 بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّرْطِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ

1127 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَيْسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَيْرُزِيِّ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ

बुखारी: 2721. मुस्लिम: 1418. अबू दारूद: 2139.
इब्ने माजा: 1954. निसाई: 3281-3282.

عَامِرُ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى
بِهَا مَا اسْتَحَلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ.

वज़ाहत: अबू ईसा फ़रमाते हैं: हमें अबू मूसा मुहम्मद बिन मुसन्ना ने भी बवास्ता यह्या बिन सर्ईद, अब्दुल हमीद बिन जाफ़र से इसी तरह रिवायत की है।

इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और नबी (ﷺ) के बाज़ अहले इल्म सहाबा, जिनमें उमर बिन खत्ताब (رضي الله عنه) भी हैं, इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि जब आदमी किसी औरत से इस शर्त पर निकाह करे कि उसे उसके मुल्क या शहर से बाहर नहीं ले जाएगा तो उसके लिए बाहर ले जाना जायज़ नहीं है। बाज़ अहले इल्म भी यही कहते हैं और इमाम शाफ़ेई अहमद और इस्हाक (رحمته الله) भी इसी के कायल हैं। अली बिन अबी तालिब (رضي الله عنه) से मर्वी है की अल्लाह की शर्त (हुक्म) औरत की शर्त पर मुक़द्दम है गोया उनके मुताबिक अगरचे औरत ने बाहर न ले जाने की शर्त लगाई भी हो तो भी ख़ाविंद उसे बाहर ले जा सकता है। बाज़ उलमा भी इसी तरफ़ गए हैं। नीज सुफ़ियान सौरी और बाज़ अहले कूफ़ा का भी यही कौल है।

33 - जिस आदमी के पास इस्लाम कुबूल करते वक़्त दस बीवियां हों।

1128 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि गैलान बिन सलमा सक्फ़ी मुसलमान हुआ और जाहिलियत में उसकी दस बीवियां थीं तो वह भी उसके साथ मुसलमान हो गयीं, नबी (ﷺ) ने उसे हुक्म दिया कि उन में से चार को पसंद कर ले।

सहीह: इब्ने माजा: 1953. मुसनाद अहमद: 2/13.
इब्ने हिब्बान: 4156.

33 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُسَلِّمُ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ

1128 - حَدَّثَنَا هَنَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُهُ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ
الرُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ
عُمَرَ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ
عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ،
فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ
أَرْبَعًا مِنْهُنَّ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: मामर ने जोहरी से बवास्ता सालिम उनके बाप से इसी तरह रिवायत की है और मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल (बुखारी رحمته الله) को फ़रमाते हुए सुना कि यह हदीस महफूज़ नहीं है और सहीह वह है जिसे शोएब बिन अबी हम्ज़ा और दीगर रावियों ने जोहरी और हम्ज़ा से रिवायत किया है। कहते हैं मुझे मुहम्मद बिन सुवैद सक्फ़ी की तरफ़ से बयान किया गया कि गैलान बिन सलमा मुसलमान हुआ तो उसकी दस बीवियां थीं। मुहम्मद (अल बुखारी رحمته الله) फ़रमाते हैं, जोहरी को सालिम से बयानकर्दा उनके वालिद की हदीस ये है कि सकीफ़ क़बीले के एक आदमी ने अपनी बीवियों को तलाक़ दे दी तो उमर (رضي الله عنه) ने फ़रमाया: तुम ज़रूर अपनी बीवियों से रज़ू करोगे वना मैं तुम्हारी क़ब्र को ऐसे ही रजम करूंगा जिस तरह अबू रिगाल की क़ब्र को पत्थर मारे गए थे।

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं : हमारे अस्हाब का गैलान बिन सलमा की हदीस पर ही अमल है। जिनमें इमाम शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक (رحمته الله) भी हैं।

34 - कुबूले इस्लाम के व़तत जिसकी निकाह में दो बहनें हों.

1129 - फ़ैरूज़ दैलमी (رحمته الله) से रिवायत है कि मैंने नबी (صلى الله عليه وسلم) के पास आकर अज़ा किया, '‘ऐ अल्लाह के रसूल! मैं मुसलमान हो चुका हूँ और मेरे निकाह में दो बहनें हैं।’’ तो अल्लाह के रसूल (صلى الله عليه وسلم) ने फ़रमाया: " उन दोनों में से जिसे चाहो इख़्तियार कर लो। "

हसन: अबू दाऊद: 2243. इब्ने माजा: 1950.

1130 - सय्यदना फ़ैरूज़ दैलमी (رحمته الله) रिवायत करते हैं कि ऐ अल्लाह के रसूल (صلى الله عليه وسلم)! मैं मुसलमान हो चुका हूँ और मेरे निकाह में दो बहनें हैं, तो अल्लाह के

34 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُسَلِّمُ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ

1129 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ، عَنْ أَبِي وَهَبِ الْجَيْشَانِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ فَيْرُوزَ الدِّيَلَمِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَسَلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخْتَرِ أَيُّهُمَا شِئْتَ.

1130 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ، يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ

रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया: "उन दोनों में से जिसे चाहो इख्तियार कर लो।"

हसन: तोहफतुल अशराफ़: 11061.

بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي وَهَبِ الْجَيْشَانِيِّ،
عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ الدِّيَلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ،
قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَسَلَّمْتُ وَتَحْتِي
أُحْتَانٍ، قَالَ: اخْتَرِ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ.

वज़ाहत: यह हदीस हसन ग़रीब है और अबू वहब जैशानी का नाम दैलम बिन होशअ है।

35 - अगर कोई आदमी किसी हामिला लौंडी को खरीद ले.

**35 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي
الْجَارِيَةَ وَهِيَ حَامِلٌ**

1131 - सव्यदना रुवैफे बिन साबित (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: "जो शरख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है वह अपना पानी किसी दूसरे की औलाद को ना पिलाए।" (1)

हसन: अबू दाऊद: 2158. दारमी: 2480. मुसनद अहमद: 4/ 108.

131 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ الشَّيْبَانِيُّ
الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ،
قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ
سُلَيْمٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ
ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقُ
مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ.

तौज़ीह: (1) यानी जो शरख्स किसी हामिला लौंडी को खरीदे तो जब तक वह बच्चे को जन्म न दे उस वक़्त तक उस से सोहबत न करे।

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है और रुवैफे बिन साबित (رضي الله عنه) से कई इस्नाद के साथ मर्वी है।

नीज अहले इल्म इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि आदमी जब किसी हामिला लौंडी को खरीदे तो बच्चा जन्म देने तक उस से सोहबत न करे। इस मसले में इब्ने अब्बास, अबू दर्दा, इर्बाज़ बिन सारिया और अबू सईद (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं।

36 - अगर आदमी किसी औरत को लौंडी बना ले और उसका खाविंद भी हो तो क्या उस से मोहबत करना जायज है.

36 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَسْبِي الْأُمَّةَ
وَلَهَا زَوْجٌ هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَّأَهَا

1132 - सय्यदना अबू सईद अल-खुदरी (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि औतास⁽¹⁾ के दिन हमने कुछ औरतों को कैदी बनाया और उनकी कौम में उनके खाविंद भी थे, सहाबा ने यह बात रसूलुल्लाह (ﷺ) से जिक्र की तो यह आयत नाजिल हुई: "और शादी शुदा औरतें भी (तुम पर हगम है) मगर जिन को तुम लौंडी बना लो।" (अन्सिा: 24)

1132 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ النَّبِيِّ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ أُوطَاسٍ وَلَهُنَّ أَزْوَاجٌ فِي قَوْمِهِنَّ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَزَلَّتْ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}.

मुस्लिम: 1456. अबू दाऊद: 2155. निसाई: 3333.

तौज़ीह: (1) औतास हवाज़िन के इलाके में एक वादी का नाम है। यहाँ पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हुनैन की ग़नीमतों को सहाबा में तकसीम किया था और उन्हीं ग़नीमतों में यह औरतें भी थीं।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है और सौरी ने भी इसी तरह ही उस्मान अल बत्ती से बवास्ता अबू खलील सय्यदना अबू सईद खुदरी (رضي الله عنه) से रिवायत की है। अबू खलील का नाम सालेह बिन अबू मरियम है। जब कि हम्मान ने इस हदीस को क़तादा से उन्हीं सालेह बिन अबी खलील से बवास्ता अल्कमा हाशिमी, अबू सईद (رضي الله عنه) से उन्हीं नबी (ﷺ) से रिवायत किया है। (अबू ईसा कहते हैं:) हमें यही हदीस उमर बिन हुमैद ने उन्हें हिब्बान बिन हिलाल ने वह कहते हैं: हमें हम्माम ने रिवायत की है।

37 - जानिया औरत को उज़्रत देना मना है

37 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ مَهْرِ الْبَغْيِ

1133 - सय्यदना अबू मसऊद अंसारी (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कुत्ते की कीमत (लेने), जानिया को उज़्रत⁽¹⁾ देने

1133 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ

और काहिन की मिठाई⁽²⁾ से मना किया है।

الرَّحْمَنُ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ:

बुखारी: 2237. मुस्लिम: 1567. अबू दाऊद: 3428.
इब्ने माजा: 2157. निसाई: 4292.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ.

तौज़ीह: (1) शादी के मौक़ा पर आदमी जो कुछ अपनी बीवी को देता है उसे महर कहा जाता है उस के साथ उस औरत का वजूद मर्द के लिए हलाल हो जाता है। यहाँ मजाज़ी तौर पर महर का लफ़्ज़ जानिया को दी जाने वाली उज्रत पर बोला गया क्योंकि यह भी पैसे लेकर अपने जिस्म को उस के सुपर्द कर देती है। (2) काहिन को मिठाई देने का मतलब है कि नुजूमी से आइन्दा की ख़बरों के बारे में पूछ कर उसे नज़राना के तौर पर कुछ पेश करना।

वज़ाहत: इस मसले में राफे बिन ख़दीज, अबू जुहैफा, अबू हरैरा और इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से भी अहादीस मवों हैं। इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: अबू मसऊद (رضي الله عنه) की हदीस हसन है।

38 - कोई शख्स अपने मुसलमान भाई के पैगाम पर (किसी औरत को) अपना पैगामे निकाह न भेजे.

38 بَابُ مَا جَاءَ أَنْ لَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ
عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

1134 - सय्यदना अबू हरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: "कोई आदमी अपने भाई की ख़रीदो फरोख्त पर बै (सौदा) न करे और न ही अपने भाई की पैगामे निकाह पर निकाह का पैगाम भेजे।"

बुखारी: 2140. मुस्लिम: 1413. अबू दाऊद: 2080.
इब्ने माजा: 1867. निसाई: 3239.

1134 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَقَتَيْبَةُ،
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الرَّهْرِيِّ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَتَيْبَةُ: يَتْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
وَقَالَ أَحْمَدُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا
يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: अबू हरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। इमाम मालिक बिन अनस (رحمته الله) फ़रमाते हैं: पैगामे निकाह पर निकाह का पैगाम भेजने की कराहत (मनाही) का मतलब यह है कि जब कोई आदमी किसी औरत को निकाह का पैगाम भेजे और वह औरत उस पर राजी

हो जाए तो किसी आदमी के लिए जायज़ नहीं है कि अपने भाई के पैगाम पर पैगाम दे।

इमाम शाफ़ेई (रह. फ़रमाते हैं: इस हदीस कि “कोई शख्स किसी के पैगामे निकाह पर पैगाम न भेजे” का मतलब यह है कि जब कोई शख्स किसी औरत को निकाह करने का पैगाम दे वह उस पर खुश हो और उसकी तरफ़ माइल भी हो तो किसी शख्स को उसके पैगाम पर पैगाम भेजना जायज़ नहीं है। उस औरत की रज़ामंदी या माइल होने के इल्म से पहले उसको पैगाम भेजने में कोई हर्ज नहीं है। उसकी दलील सय्यदा फातिमा बिनते कैस (रह.) की हदीस है कि जब वह नबी करीम (सल्ल.) के पास आकर ज़िक्र करने लगीं कि अबू जहम बिन हुज़ैफा और मुआविया बिन अबी सुफ़ियान दोनों ने उसको निकाह का पैगाम दिया है तो आप (सल्ल.) ने फ़रमाया: “अबू जहम तो ऐसा आदमी है जो अपनी लाठी औरतों से उठाता नहीं है और मुआविया फकीर आदमी है उसके पास माल नहीं है लेकिन तुम उसामा से निकाह कर लो।” हमारे नज़दीक तो इस हदीस का यही मतलब है और अल्लाह तआला ज़्यादा जानने वाला है कि फातिमा (रह.) ने इन में से किसी के साथ रज़ामंदी का इज़हार नहीं किया था और अगर वह आप को बता देती तो नबी करीम (सल्ल.) उन्हें किसी दूसरे की तरफ़ इशारा न देते जिसका उन्होंने ज़िक्र नहीं किया था।

1135- अबू बकर बिन जहम (रह.) कहते हैं कि मैं और अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान सय्यदा फातिमा बिनते कैस (रह.) के पास गए तो उन्होंने हमें बयान किया कि उनके खाविंद ने उन्हें तीन तलाक़ें दे दी और उसके लिए रिहाइश और खर्च भी मुकर्रर न किया, कहती हैं: उसने अपने चचा के बेटे के पास मेरे लिए दस क़फीज़⁽¹⁾ रखे पांच क़फीज़ जौ के और पांच गंदुम के, मैंने रसूलुल्लाह (सल्ल.) के पास आकर इसका तज़क़िरा किया तो आप (सल्ल.) ने फ़रमाया: “उसने सही काम किया” फिर रसूलुल्लाह (सल्ल.) ने मुझे हुक्म दिया कि मैं उम्मे शरीक के घर इहत के दिन गुज़ारूँ, फिर अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने मुझसे फ़रमाया: “उम्मे शरीक के घर में मुहाजिरीन आते जाते हैं। तुम इब्ने उम्मे मक्त्तूम के घर में इहत गुज़ार लो ताकि तुम अपने

1135 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي الْجَهْمِ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَحَدَّثْتَنَا، أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً، قَالَتْ: وَوَضَعَ لِي عَشْرَةَ أَقْفُزَةٍ عِنْدَ ابْنِ عَمِّ لَه، خُمْسَةَ شَعِيرًا، وَخُمْسَةَ بَرًّا، قَالَتْ: فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، قَالَتْ: فَقَالَ: صَدَقَ، قَالَتْ: فَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكِ، ثُمَّ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ

कपड़े भी उतार दो तो वह तुम्हें न देख सके जब तुम्हारी इहत खत्म हो जाए फिर कोई शख्स तुम्हें पैगामे निकाह दे तो तुम मेरे पास आना। "जब मेरी इहत खत्म हुई तो मुझे अबू जहम और मुआविया ने निकाह का पैगाम दिया, कहती हैं: मैं अल्लाह के रसूल (ﷺ) के पास आयी आप (ﷺ) से इसका ज़िक्र किया तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया: "मुआविया ऐसा आदमी है जिसके पास माल नहीं है और अबू जहम औरतों पर सख्ती करने वाला आदमी है।" कहती हैं: फिर मुझे उसामा बिन ज़ैद ने निकाह का पैगाम दिया फिर मुझ से शादी कर ली तो अल्लाह तआला ने उसामा में मेरे लिए बरकत डाल दी। "

मुस्लिम: 1480. अबू दारूद: 2248. इब्ने माजा: 1869. निसाई: 3222.

तौज़ीह: القفيز : क़दीम ज़माना का एक पैमाना है जिसकी मित्रदार मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ थी, मिस्री पैमाने के मुताबिक़ वह तक्ररीबन सत्तरह (17) किलो ग्राम था। (मोज़मुल वसीत : 906)

वज़ाहत: यह हदीस सहीह है और सुफ़ियान सौरी ने भी अबू बकर बिन अबू जहम से इसी तरह की हदीस रिवायत की है। और इसमें यह अल्फ़ाज़ ज़्यादा हैं कि नबी (ﷺ) ने मुझ से फ़रमाया: "तुम उसामा से निकाह कर लो। " (अबू ईसा कहते हैं:) महमूद बिन गैलान ने हमें वकीअ से वह सुफ़ियान से बवास्ता अबू बकर बिन जहम भी यही बयान करते हैं।

39 - अज़ल का बयान.

1136 - सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि हमने कहा: "ऐ अल्लाह के रसूल! हम अज़ल⁽¹⁾ करते हैं तो यहूदियों का ख़याल है कि

بَيْتٌ أُمَّ شَرِيكِ بَيْتٌ يَعْنَاهُ الْمُهَاجِرُونَ، وَلَكِنْ اعْتَدَى فِي بَيْتِ ابْنِ أُمَّ مَكْتُومٍ، فَعَسَى أَنْ تُلْقِيَ ثِيَابَكَ وَلَا يَرَاكَ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكَ فَجَاءَ أَحَدٌ يَخْطُبُكَ فَأَذِنِّي، فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتِي خَطَبَنِي أَبُو جَهْمٍ، وَمُعَاوِيَةُ، قَالَتْ: فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: أَمَا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ لَا مَالَ لَهُ، وَأَمَا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ شَدِيدٌ عَلَى النِّسَاءِ. قَالَتْ: فَخَطَبَنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَتَرَوَجَنِي، فَبَارَكَ اللَّهُ لِي فِي أَسَامَةَ.

39 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَرْلِ

1136 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ:

यह लड़कियों को जिंदा दफन करने का छोटा तरीका है तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया: "यहूदी झूठ कहते हैं। बेशक अल्लाह तआला जब किसी को पैदा करना चाहता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता।"

सहीह: अबू दाऊद: 2173. मुसनद अहमद: 3/309.

حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا نَعْرَلُ، فَرَعَمَتِ الْيَهُودُ أَنَّهَا الْمَوْءُودَةُ الصُّغْرَى، فَقَالَ: كَذَبَتِ الْيَهُودُ، إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَهُ فَلَمْ يَمْنَعَهُ.

(1) अज़ल का लुगवी मानी है: अलग होना, इस्तिलाह में इस का मतलब है कि आदमी जब अपनी बीवी से सोहबत करे तो इन्जाल के वक़्त अपनी शर्मगाह को बाहर निकाल कर बाहर ही इन्जाल करे ताकि उस नुत्फ़े से बच्चा पैदा ना हो।"

वज़ाहत: इस मसले में उमर, बरा, अबू हुरैरा, अबू सईद (رضي الله عنه) से भी रिवायात मवई हैं।

1137 - सख्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह फ़रमाते हैं कि हम अज़ल किया करते थे जब कि कुरआन भी नाज़िल होता था।

बुखारी: 5207. मुस्लिम: 1440. इब्ने माजा: 1927.

1137 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا نَعْرَلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: जाबिर (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और उनसे कई तुरूक के साथ मवई है नीज नबी करीम (ﷺ) के सहाबा (رضي الله عنهم) और दीगर लोगों में से अहले इल्म ने अज़ल की रुखसत दी है।

इमाम मालिक बिन अनस (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: आज़ाद औरत से अज़ल की इजाज़त ले ली जाए और लौंडी से इजाज़त न ली जाए।

40 - अज़ल करने की कराहत का बयान.

1138 - सख्यदना अबू सईद (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास अज़ल का तजक़िरा हुआ तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया: "तुम

40 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْعَرَلِ

1138 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَقُتَيْبَةُ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ،

में से कोई शरूखस यह काम क्यों करता है।”

बुखारी: 2229. मुस्लिम: 1438. अबू दाऊद: 2170.
इब्ने माजा: 1926. निसाई: 3327.

عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ قَرَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ:
ذَكَرَ الْعَزْلُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لِمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ:

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: इब्ने अबी उमर ने अपनी हदीस में यह जुम्ला नहीं कहा कि तुम में से कोई शरूखस यह काम क्यों करता है? दोनों (यानी इब्ने उमर और कुतैबा) अपनी हदीस में कहते हैं कि (नबी करीम (ﷺ)) ने फ़रमाया: “कोई पैदा होने वाली जान नहीं है मगर अल्लाह उसे पैदा करेगा।”

इस मसले में जाबिर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। अबू ईसा फ़रमाते हैं: अबू सईद (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और उनसे कई तुरूक से मर्वी है। नीज अहले इल्म के एक गिरोह ने अज़ल को नापसंद किया है।

41 - कुंवारी और बेवा या मुतल्लका के लिए दिनों की तक्सीम.

1139 - सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: अगर तुम चाहो तो मैं कह देता हूँ कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: “लेकिन आप (ﷺ) ने फ़रमाया: “सुन्नत यह है कि जब आदमी अपनी बीवी के होते हुए कुंवारी लड़की से निकाह करे तो उसके पास सात दिन ठहरे और जब बीवी के होते हुए बेवा या मुतल्लका से शादी करे तो उसके पास तीन दिन ठहरे।

बुखारी: 5213. मुस्लिम: 1461. अबू दाऊद: 2124.
इब्ने माजा: 1916.

41 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِسْمَةِ لِلْبِكْرِ وَالْتَيْبِ

1139 - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنَّهُ قَالَ: السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الْتَيْبَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا.

वज़ाहत: इस मसले में उम्मे सलमा (رضي الله عنها) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: अनस (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और मुहम्मद बिन इस्हाक़ ने अय्यूब से बवास्ता अबू किलाबा सय्यदना अनस (رضي الله عنه) से मर्फूअ रिवायत की है। और बाज़ ने मर्फूअ रिवायत नहीं की।

नीज बाज़ अहले इल्म का इसी पर अमल है कि आदमी जब अपने बीवी के होते हुए कुंवारी लड़की से शादी करे तो उसके पास सात दिन और रात ठहरे, फिर उन दोनों के दर्मियान अदल के साथ तक्सीम करे और जब पहली बीवी की मौजूदगी में मुतल्लक़ा या बेवा से निकाह करे तो उसके पास तीन दिन क़याम करे। यह कौल मालिक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رضي الله عنه) का है।

जबकि ताबेईन में से बाज़ उलमा कहते हैं कि जब बीवी की मौजूदगी में कुंवारी लड़की से शादी करे तो उसके पास तीन दिन ठहरे और जब मुतल्लक़ा या बेवा से निकाह करे तो उसके पास दो रातें ठहरे लेकिन पहला कौल सहीह है।

42 - बीवियों के दर्मियान इन्साफ़ करना.

42 بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ

الضَّرَائِرِ

1140 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि नबी (ﷺ) अपनी बीवियों के दर्मियान तक्सीम करते तो इन्साफ़ करते थे और आप कहते: “ऐ अल्लाह! यह मेरी तक्सीम है, जिसमें मैं मालिक हूँ, तु मुझे उस काम में मलामत ना करना जिसका तू मालिक है मैं नहीं हूँ।”

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 2134. इब्ने माजा: 1981. निसाई: 3943

1140 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَيَعْدِلُ، وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ هَذِهِ قِسْمَتِي فِيمَا أُمَّلِكُ، فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أُمَّلِكُ.

वज़ाहत: इमाम त्तिर्मिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: हदीसे आयशा को बहुत से रावियों ने इसी तरह ही हम्माद बिन सलमा से उन्होंने अय्यूब से उन्होंने अबू किलाबा से बवास्ता अब्दुल्लाह बिन यज़ीद सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत किया है कि नबी (ﷺ) तक्सीम करते थे। और हम्माद बिन ज़ैद वग़ैरह ने बवास्ता अय्यूब, अबू किलाबा से मुर्सल रिवायत भी की है कि नबी करीम (ﷺ) तक्सीम करते थे और यह हम्माद बिन सलमा की (पहली) हदीस से ज़्यादा सहीह है और मुझे उस चीज़ में मलामत ना करना जिसका तू मालिक है मैं नहीं।” का अक्सर उलमा के नज़दीक यह मतलब है कि इस से आप (ﷺ) की मुराद मोहब्बत और प्यार है।

1141 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: "जब किसी आदमी के पास दो बीवियां हों और वह उनके दर्मियान इन्साफ़ न करे तो क़यामत के दिन आयेगा तो उसका पहलू मफ़ूज (फालिज ज़दा) होगा।"

सहीह: अबू दाऊद: 2133. इब्ने माजा: 1969. निसाई: 3942.

1141 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهْيَكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ.

वज़ाहत: इमाम तिमिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: इस हदीस को सिर्फ़ हम्माम बिन यहया ने ही क़तादा से मुसन्द बयान किया है और हिशाम दस्तवाई इसे क़तादा से बयान करते वक़्त कहते हैं कि "कहा जाता है" और हम इस हदीस को सिर्फ़ हम्माम की सनद से ही मफूअ जानते हैं और हम्माम सिक्कह और हाफ़िज़ रावी है।

43 - मुश्रिक गियाँ बीवी में अगर एक मुसलमान हो जाए.

1142 - अम्र बिन शोऐब अपने बाप से वह (अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه)) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी बेटी ज़ैनब को नए महर और नए निकाह के साथ अबू आस बिन रबी पर लौटाया था।

ज़ईफ़: इब्ने माजा: 2010. सईद बिन मंसूर: 2109.

43 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّوَايَاتِ الْمَشْرُكِينَ يُسَلِّمُ أَحَدَهُمَا

1142 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَهَبَاءُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ.

वज़ाहत: इमाम तिमिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: इस हदीस की सनद में गुप्तगू की गई है और अगली हदीस में भी मकाल है। नीज उलमा का इसी हदीस पर अमल है कि औरत जब अपने खाविंद से पहले

मुसलमान हो जाए फिर दौराने इहत ही उसका खाविंद भी मुसलमान हो जाए तो खाविंद उसका ज़्यादा हकदार है जब तक वह इहत में है। यह कौल मालिक बिन अनस, औज़ाई, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक (र.ल.) का है।

1143- सय्यदना इब्ने अब्बास (र.ल.) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) अपनी बेटी ज़ैनब को छः साल बाद पहले निकाह के साथ अबू आस बिन रबीअ के साथ भेज दिया था और निकाह दोबारा नहीं किया था।

सहीह: अबू दाऊद: 2240. इब्ने माजा: 2009.

1143 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحَصِينِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ، وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا.

هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بِأَسْ، وَلَكِنْ لَا نَعْرِفُ وَجْهَ هَذَا الْحَدِيثِ، وَلَعَلَّهُ قَدْ جَاءَ هَذَا مِنْ قِبَلِ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (र.ल.) फ़रमाते हैं: इस हदीस की सनद में कोई खराबी नहीं है लेकिन हम इस हदीस को तौजीह नहीं जानते, शायद यह दाऊद बिन हुसैन के हाफ़िज़े की वजह से है।

1144- सय्यदना इब्ने अब्बास (र.ल.) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) के दौर में एक आदमी मुसलमान हो कर आया फिर उसकी बीवी भी मुसलमान हो कर आ गई तो उस आदमी ने कहा: "ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! यह मेरे साथ मुसलमान हो गई थी आप इसे मेरी तरफ़ लौटा दें तो आप (ﷺ) ने उस औरत को उस मर्द की तरफ़ लौटा दिया।

सहीह: अबू दाऊद: 2238. इब्ने माजा: 2008.

1144 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَيْسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ مُسْلِمًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ جَاءَتْ امْرَأَتُهُ مُسْلِمَةً، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا كَانَتْ أَسْلَمَتْ مَعِيَ فَرَدَّهَا عَلَيَّ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ.

वज़ाहत: यह हदीस सहीह है और मैं अब्द बिन हुमैद को बयान करते हुए सुना कि मैंने सुना यज़ीद बिन हारून बयान कर रहे थे कि मुहम्मद बिन इस्हाक़ इस हदीस को बयान कर रहे थे।

और हज्जाज की अम्र बिन शोएब से उनके बाप और उनके दादा से बयान कर्दा रिवायत नबी करीम (ﷺ) ने अपनी बेटी जैनब को नए महर और नए निकाह के साथ लौटा दिया था। यज्जीद बिन हारून कहते हैं कि इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) की हदीस की सनद बहुत उम्दा है लेकिन अमल अम्र बिन शोएब की हदीस पर है। (जर्इफ़)

44 - आदमी की किसी औरत से निकाह करने के बाद हक्के महर मुकरर करने से पहले फौत हो जाए तो.

44 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرُضَ لَهَا

1145 - सय्यदना इब्ने मसऊद (رضي الله عنه) से ऐसे आदमी के बारे में पूछा गया जो किसी औरत से शादी करता है लेकिन उसने औरत के लिए महर मुकरर नहीं किया और सोहबत भी नहीं की कि फौत हो गया तो इब्ने मसऊद (رضي الله عنه) ने फ़रमाया: उस औरत के लिए उसके खानदान की औरतों के मुवाफिक़ हक़ महर होगा, न कमी न ज़्यादती और उस पर इहत और मीरास भी साबित होगी। तो माकिल बिन सिनान अशज़ई खड़े हो कर कहने लगे: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमारी एक औरत बिर्वा बिन्ते वाशिक के बारे में ऐसा ही फ़ैसला किया जैसा आप ने किया है तो इब्ने मसऊद (رضي الله عنه) इस बात पर खुश हो गए।

सहीह: अबू दाऊद: 2114. इब्ने माजा: 1891. निसाई: 3355.

वज़ाहत: अबू ईसा (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: हमें हसन बिन अली अल-खल्लाल ने उन्हें यज्जीद बिन हारून और अब्दुरज़्ज़ाक दोनों ने बवास्ता सुफ़ियान, मंसूर से इसी तरह रिवायत की है।

इमाम तिर्मिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: इब्ने मसऊद (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और इनसे कई सनदों के साथ मर्वी है। नीज नबी करीम (ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ उलमा का इसी पर अमल है। सौरी, अहमद और इस्हाक (رضي الله عنه) भी यही कहते हैं।

1145 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرُضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا، لَا وَكَسْ، وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانِ الْأَشْجَعِيِّ، فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرُوعَ بِنْتِ وَاشِقِ امْرَأَةٍ مِنَّا مِثْلَ الَّذِي قَضَيْتَ، فَفَرَحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ.

नबी करीम (ﷺ) के सहाबा में से कुछ उलमा; जिन में अली बिन अबी तालिब, जैद बिन साबित, इब्ने अब्बास और इब्ने उमर (رضي الله عنه) भी है। कहते हैं कि जब आदमी किसी औरत से निकाह करे और दुखूल (हम बिस्तरी) नहीं किया और न ही हक्के महर मुकरर किया और मर गया तो उसकी बीवी को मोरास तो मिलेगी लेकिन हक्के महर नहीं मिलेगा और उस पर इद्दत भी होगी। शाफेई भी इसी के कायल हैं। वह मज्जीद कहते हैं कि अगर बिर्वा बिनते वाशिक की हदीस साबित हो जाए तो दलील नबी करीम (ﷺ) की हदीस ही होगी और शाफेई से यह भी मर्वी है कि उन्होंने बाद में मिख के अन्दर इस कौल से रुजू कर लिया था और बिर्वा बिनते वाशिक की हदीस के कायल हो गए थे। नीज इस मसले में जर्हाह (رضي الله عنه) से भी मर्वी है।

खुलासा.

- निकाह पैगम्बरों की सुन्नत है और जो शख्स ताकत रखता हो उसके लिए ज़रूरी है।
- कुंवारा रहना मना है।
- बीवी के इन्तिखाब के वक़्त दीन को तरजीह दी जाए।
- निकाह को एलानिया मुन्अकिद किया जाए।
- शादी के बाद वलीमा सुन्नत है।
- वली की इजाज़त के बग़ैर निकाह नहीं होता और ऐसा करने वाली औरत जानिया है।
- निकाह के अकद के वक़्त गवाह बनाए जाएँ।
- खुत्व-ए-निकाह मस्नून पढ़ा जाए और कलिमे वग़ैरह पढ़ाना सुन्नत के ख़िलाफ़ अमल है।
- लड़की से निकाह की इजाज़त लेनी चाहिए।
- हक्के महर हस्बे इस्तिताअत मुकरर किया जाए।
- हलाला हराम काम है और ऐसा करने वाला लानती होता है।
- मुत्आ हराम है. इस्लाम में इस काम की गुंजाइश नहीं है।
- बग़ैर हक्क महर का निकाह मना है।
- मुसलमान के लिए एक वक़्त में चार से जायद बीवियां रखना हराम है।
- जिस्म फ़रोश औरत को उज्रत देना हराम है।
- अज़ल जायज़ है।
- एक से ज़्यादा बीवियां होने की सूरत में इन्साफ़ करना ज़रूरी है. वरना अल्लाह के यहाँ ऐसा शख्स बहुत बड़ा मुजरिम है।

मज़मून नम्बर 10

أَبُو الرِّضَاعِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

रसूलुल्लाह (ﷺ) से मर्वा दूध पिलाने के मसाइल व अहकाम.

तआरुफ़

19 अबवाब पर मुश्तमिल 29 अहादीसे रसूल से आप को इन बातों के बारे में रहनुमाई मिलेगी कि:

- रज़ाअत क्या है?
- रज़ाअत की वजह से कौन- कौन से रिश्ते हराम हो जाते हैं?
- मियाँ बीवी के एक दुसरे पर क्या हुक्क हैं?

1 - रज़ाअत से वही रिश्ते हराम होते हैं जो नसब (खून) की वजह से हराम हैं.

1 بَابُ مَا جَاءَ يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يُحَرِّمُ مِنَ النَّسَبِ

1146 - सय्यदना अली बिन अबी तालिब (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "बेशक अल्लाह तआला ने रज़ाअत⁽¹⁾ से वही (रिश्ता) हराम किया है जो नसब से हराम किया है।"

सहीह: अब्दुरज़ाक़: 13946. मुसनद अहमद: 1/131. अबू याला:381.

तौज़ीह: (1) मां, बहन, बेटा, खाला, फूफी, भांजी, और भतीजी, जिस तरह यह हक्कीकी सात रिश्ते हराम हैं। उसी तरह रज़ाअत (दूध पिलाने की वजह) से भी हराम हो जाते हैं।

वज़ाहत: इस मसला में आयशा, इब्ने अब्बास और उम्मे हबीबा (رضي الله عنها) से भी अहादीस मर्वा हैं।

इमाम तिमिज़ी (رحمته الله) फरमाते हैं: यह हदीस सहीह है।

1146 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرِّضَاعِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ.

1147 - सय्यदा आयशा (رضی اللہ عنہا) रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “बेशक अल्लाह तआला ने रज़ाअत की वजह से चही रिश्ते हराम किए हैं जो विलादत की वजह से किए हैं।”

बुखारी: 2626. मुस्लिम: 1444. अबू दारुद: 2055. इब्ने माजा: 1948.

1147 - حَدَّثَنَا بَدْرُ بْنُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ الْوِلَادَةِ.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رحمته اللہ علیہ) फरमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अली (رضی اللہ عنہ) की हदीस सहीह है। नीज नबी करीम (ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से सब उलमा का इसी पर अमल है। इस बारे में उन के दर्मियान हमारे इल्म में इख्तिलाफ़ नहीं है।

2 - दूध की निस्वत मर्द की तरफ होती है.

1148 - सय्यदा आयशा (رضی اللہ عنہا) रिवायत करती हैं कि मेरा रज़ाई चचा आकर मुझसे (अन्दर आने की) इजाज़त माँगने लगा तो मैंने उसे इजाज़त देने से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) से इजाज़त ले लूं तो अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया, “वह तुम्हारे पास आ सकता है (क्योंकि) वह तुम्हारा चचा है।” कहने लगीं: मुझे औरत ने दूध पिलाया है मर्द ने नहीं पिलाया, आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “वह तुम्हारा चचा ही है वह तुम्हारे पास आ जाए।”

बुखारी: 2644. मुस्लिम: 1445. अबू दारुद: 2057. इब्ने माजा: 1948. निसाई: 3310.

2 بَابُ مَا جَاءَ فِي لَبَنِ الْفَخْلِ

1148 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرِّضَاعَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلِيَّ، فَأَبَيْتُ أَنْ أَذِنَ لَهُ، حَتَّى أَسْتَأْمِرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلْيَلِجْ عَلَيْكَ فَإِنَّهُ عَمُّكَ، قَالَتْ: إِنَّمَا أُرْضَعْتَنِي الْمَرْأَةَ وَلَمْ يَرْضِعْنِي الرَّجُلُ، قَالَ: فَإِنَّهُ عَمُّكَ فَلْيَلِجْ عَلَيْكَ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ؒ) फरमाते हैं: यह हदीस सहीह है और नबी करीम (ﷺ) के सहाबा व दीगर लोगों में से बाज़ (कुछ) उलमा मर्द की वजह से रिश्तों को मकरूह करते हैं और इस मसले में सय्यदा आयशा (ؓ) की हदीस को बुनियाद बनाया जाता है। जबकि बाज़ (कुछ) उलमा ने मर्द के दूध की वजह से रूख़सत दी है लेकिन पहला कौल ज़्यादा सहीह है।

1149 - अम्र बिन शरीद (ؒ) रिवायत करते हैं कि इब्ने अब्बास (ؓ) से ऐसे आदमी के बारे में पूछा गया जिसकी दो लौंडियाँ हों, उनमें से एक ने एक लड़की और दूसरी ने लड़के को दूध पिलाया हो, क्या यह लड़का उस लड़की से शादी कर सकता है? तो उन्होंने फ़रमाया, “नहीं क्योंकि मनी एक ही मर्द की⁽¹⁾ है।

सहीहुल इस्नाद: अब्दुरज़ाक़: 13942. दारे कुतनी: 4/ 179. मोत्ता: 1739.

1149 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ (ح) وَحَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ جَارِيَتَانِ أَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا جَارِيَةً، وَالْأُخْرَى غَلَامًا، أَيَجِلُّ لِلْغَلَامِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالْجَارِيَةِ؟ فَقَالَ: لَا، لِلْفَأْحِ وَاحِدٍ: وَهَذَا تَفْسِيرُ لَبْنِ الْفَحْلِ.

तौज़ीह: (1) नर ऊँट या घोड़े के मादा भंविय्या को अल-लिकाह कहा जाता है। यानी दोनों का दूध एक मर्द की वजह से है। (तफसील के लिए देखिये: अल-मोजमुल वसीत: पृ. 1008)

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ؒ) फरमाते हैं: यह लबन अल-फहल की तफसीर है और इस मसले की बुनियाद यही है। नीज इमाम अहमद और इस्हाक़ (ؒ) का भी यही कौल है।

3 - एक या दो बार दूध पीने से हुर्मत साबित नहीं होती.

150 - सय्यदा आयशा (ؓ) रिवायत करती है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “एक दो मर्तबा दूध⁽¹⁾ चूसना (रिश्ते को) हराम नहीं करता।”

मुस्लिम: 1450. अबू दाऊद: 2063. इब्ने माजा: 1941. निसाई: 33 10.

3 بَابُ مَا جَاءَ لَا تُحْرَمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ

150 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنَعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُحْرَمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ.

तौजीह: الْمَصَّةُ एक बार दूध चूसना और الْمَصَّتَانِ इसका तस्निया है।

वजाहत: इस मसले में उम्मे फ़ज़ल, अबू हुरैरा, जुबैर बिन अब्वाम, से भी अहादीस मर्वी हैं और इब्ने जुबैर (رضي الله عنه) भी सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “एक दो बार का चूसना (रिश्ते को) हराम नहीं करता।”

अबू ईसा फरमाते हैं:) मोहम्मद बिन दीनार ने हिशाम बिन उर्वा से उन्होंने अपने बाप से उन्होंने अब्दुल्लाह बिन जुबैर से बवास्ता जुबैर ने नबी (ﷺ) से रिवायत की है और मोहम्मद बिन दीनार बसरी ने नबी (ﷺ) से पहले जुबैर के वास्ते का इजाफ़ा किया है और वह हदीस गैर महफूज़ है। मुहद्दिसीन के नज़दीक सहीह हदीस वह है जिसे इब्ने अबी मुलैका (رضي الله عنه) अब्दुल्लाह बिन जुबैर (رضي الله عنه) से बवास्ता आयशा (رضي الله عنها) नबी (ﷺ) से रिवायत करते हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رضي الله عنه) फरमाते हैं: आयशा (رضي الله عنها) की हदीस हसन सहीह है। और मैंने इस बारे में मोहम्मद (अल-बुखारी رضي الله عنه) से पूछा तो उन्होंने कहा: सहीह वह है जिसे इब्ने जुबैर, आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत करते हैं। और मोहम्मद बिन दीनार की हदीस जिसमें वह जुबैर (رضي الله عنه) का वास्ता बढ़ाते हैं वह ऐसे है कि हिशाम बिन उर्वा अपने बाप के वास्ते के साथ जुबैर (رضي الله عنه) से रिवायत करते हैं। नीज नबी (ﷺ) और दीगर सहाबा लोगों में से बाज़ (कुछ) उलमा का इसी पर अमल है।

आयशा (رضي الله عنها) फरमाती है: “कुरआन में दस बार दूध पीने से रज़ाअत की हुर्मत नाजिल हुई थी, पांच मंसूख हो गयीं और हुर्मत का तालुक़ पांच के साथ रह गया, जब रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़ौत हुए तो इसी बात का हुक्म था।

यह हदीस हमें इस्हाक़ बिन मूसा अंसारी ने मअन से (वह कहते हैं:) हमें मालिक ने अब्दुल्लाह बिन अबी बक्र से बवास्ता उमर, सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत की है। आयशा (رضي الله عنها) और नबी करीम (ﷺ) की दीगर बीवियां यही फतवा देती थीं। इमाम शाफ़ेई और इस्हाक़ (رضي الله عنه) का भी यही कौल है।

इमाम अहमद (رضي الله عنه) नबी करीम (ﷺ) की हदीस “एक दो बार का चूसना हराम नहीं करता” के क्रायल हैं कि अगर सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) के पांच रज़ाअत की तरफ़ जाएँ तो वह मज़हब कवी है। मगर इस में हुक्म देने से वह डरते थे।

नबी करीम (ﷺ) के सहाबा (رضي الله عنه) और दीगर लोगों में से बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं: जब गिज़ा पेट तक पहुँच जाए वह थोड़ी हो या ज़्यादा हुर्मत साबित कर देती है। यह कौल सुफ़ियान सौरी, मालिक बिन अनस, औज़ाई, अब्दुल्लाह बिन मुबारक, वकीअ और अहले कूफ़ा (رضي الله عنه) का है।

अब्दुल्लाह बिन अबी मुलैका, यह अब्दुल्लाह बिन उबैदुल्लाह बिन अबी मुलैका हैं। उनकी कुनियत अबू मोहम्मद है। अब्दुल्लाह बिन जुबैर (رضی اللہ عنہ) ने इन्हें ताइफ़ का काज़ी बनाया था। इब्ने जुरैज का कहना है कि इब्ने अबी मुलैका कहते हैं मैंने नबी करीम (ﷺ) के तीस सहाबा से मुलाक़ात की है।

4 - रज़ाअत में एक औरत की गवाही काफी है।

1151 - अब्दुल्लाह बिन अबी मुलैका कहते हैं: मुझे उबैद बिन अबी मरियम ने बताया कि उक्बबा बिन हारिस (رضی اللہ عنہ) ने फ़रमाया, नीज मैंने भी उक्बबा (رضی اللہ عنہ) से यह हदीस सुनी थी लेकिन मुझे उबैद की अहादीस ज़्यादा याद हैं, वह फ़रमाते हैं: मैंने एक औरत से शादी की तो हमारे पास एक सियाह फ़ाम औरत आकर कहने लगी: मैंने तुम दोनों को दूध पिलाया है। मैंने नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हो कर कहा: मैंने फ़लां आदमी की फ़लां बेटी से शादी की थी तो एक सियाह रंग की औरत आकर कहने लगी: मैंने तुम दोनों को दूध पिलाया है वह झूठी है। राबी कहते हैं: आप (ﷺ) ने मेरी तरफ़ से मुंह फेर लिया, वह कहते हैं: मैं आपके सामने हुआ, आप ने फिर मुझसे चेहरा फेर लिया। मैंने कहा वह झूठ बोलती है। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, "कैसे उसके साथ रह सकते हो जब कि उसने कह दिया है कि मैंने तुम दोनों को दूध पिलाया है! उसे अपने से अलग कर दे।

बुखारी: 88. अबू दारुद: 3606, निसाई: 3330.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने उमर (رضی اللہ عنہ) से भी अहादीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिजी (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं: उक्बबा बिन हारिस (رضی اللہ عنہ) की हदीस हसन सहीह है। नीज

4 بَابُ مَا جَاءَ فِي شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرِّضَاعِ

1151 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِدْرِاهِيمَ، عَنْ أَبِي ثَوْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُيَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْثَمٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: وَسَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ وَلَكِنِّي لِحَدِيثِ عُيَيْدٍ أَحْفَظُ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ فَلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، وَهِيَ كاذِبَةٌ، قَالَ: فَأَعْرَضَ عَنِّي، قَالَ: فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ، فَأَعْرَضَ عَنِّي بِوَجْهِهِ، فَقُلْتُ: إِنَّهَا كاذِبَةٌ، قَالَ: وَكَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمْتَ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، دَعَاهَا عَنْكَ.

बहुत से रावियों ने इसको इब्ने अबी मुलैका के वास्ते के साथ उत्रबा बिन हारिस (رضی اللہ عنہ) से रिवायत किया है और इसमें उबैद बिन अबी मरियम का ज़िक्र नहीं किया। इसी तरह “इसे छोड़ दो” का ज़िक्र भी नहीं है।

नबी करीम (ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ (कुछ) अहले इल्म इसी पर अमल करते हुए रज़ाअत में से एक औरत की गवाही को जायज़ कहते हैं: इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) फरमाते हैं: रज़ाअत में एक औरत की गवाही जायज़ है लेकिन उस से क्रसम ली जाएगी। इमाम अहमद और इस्हाक (رضی اللہ عنہ) भी यही कहते हैं।

जबकि बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं रज़ाअत में एक औरत की गवाही जायज़ नहीं है जब तक कि ज़्यादा लोग गवाही न दे दें यह कौल इमाम शाफ़ेई (رضی اللہ عنہ) का है।

जारूद बिन मुआज़ कहते हैं: मैंने वकीअ को फरमाते हुए सुना हुक्म के लिहाज़ से रज़ाअत में एक औरत की गवाही जायज़ नहीं है लेकिन तक्रवा की बिना पर अपनी बीवी को छोड़ दे।

5 - रज़ाअत बचपन में दो साल से कम उम्र में ही हुर्मत साबित करती है।

1152 - सय्यदा उम्मे सलमा (رضی اللہ عنہا) रिवायत करती हैं रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “रज़ाअत की वजह से वही (दूध) हुर्मत साबित करता है जिसे (बच्चा) ⁽¹⁾ छाती से पिए और वह आंतों को फाड़ ⁽²⁾ दे और यह दूध भी दूध छुड़ाने से पहले।

सहीह: इब्ने हिब्बान: 4224. तबरानी फ़िल औसत: 7513.

तौज़ीह: (1) यानी रज़ाअत साबित होने की शर्त यह है कि बच्चा दो साल से पहले की उम्र में उस औरत की छाती से इस क़दर गिज़ा ले ले जो उसके पेट में पहुँच जाए। (2) फ़त्त: चीरना, बीच में से दो करना, फाड़ना। (अल-कामूसुल वहीद: पृ. 1202)

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رضی اللہ عنہ) फरमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है नीज नबी करीम (ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से जुम्हूर उलमा का इसी पर अमल है कि वही रज़ाअत हुर्मत को साबित करती है जो दो साल से पहले की उम्र में हो और दो साल के बाद की उम्र में कोई रिश्ता हराम नहीं करता।

5 بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الرِّضَاعَةَ لَا تُحَرِّمُ إِلَّا فِي الصِّغَرِ دُونَ الْحَوْلَيْنِ

1152 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ.

6 - रज़ाअत के हक़ को किया चीज़ ख़त्म कर सकती है?

1153 - हज्जाज अल अस्लमी (رضي الله عنه) से रिवायत है कि उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से सवाल किया: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझ से रज़ाअत का हक़ किया चीज़ ख़त्म कर सकती है? आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “एक जान (या गर्दन) गुलाम या लौंडी।”

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 2064, निसाई: 3329.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رضي الله عنه) फरमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رضي الله عنه) फरमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और यह कौल कि “मुझ से रज़ाअत का हक़ कौन सी चीज़ ख़त्म कर सकती है?” का मतलब है: रज़ाअत का हक़, यानी आप फरमा रहे थे कि जब तुम दूध पिलाने वाली औरत को गुलाम या लौंडी दे दो तो तुमने उसका हक़ अदा कर दिया और अबू तुफैल (رضي الله عنه) से मर्वा है कि मैं नबी (ﷺ) के पास बैठा हुआ था कि अचानक एक औरत आयी तो नबी करीम (ﷺ) ने अपनी चादर बिछा दी वह उस पर बैठी, जब वह चली गयी तो कहा गया: उसने नबी करीम (ﷺ) को दूध पिलाया था।

यह्या बिन सईद अल-क्रतान, हातिम बिन इस्माईल और दीगर रावियों ने भी इस हदीस को हिशाम बिन उर्वा से उनके बाप के वास्ते से हज्जाज बिन हज्जाज से उन्होंने बवास्ता हज्जाज नबी (ﷺ) से इसी तरह रिवायत किया है।

सुफ़ियान बिन उयय्ना (رضي الله عنه) भी हिशाम बिन उर्वा से उन्होंने अपने बाप से उन्होंने हज्जाज बिन अबी हज्जाज के वास्ते के साथ नबी करीम (ﷺ) से रिवायत की है, लेकिन इब्ने उयय्ना की हदीस गैर महफूज़ है।

सहीह वह रिवायत है जिसे उन लोगों ने बवास्ता हिशाम बिन उर्वा उनके बाप से रिवायत की है। और हिशाम बिन उर्वा की कुनियत अबू मुन्ज़िर है उन्होंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह और इब्ने उमर (رضي الله عنه) से मुलाक़ात की है और फातिमा बिनते मुन्ज़िर बिन जुबैर बिन अब्बाव यह हिशाम बिन उर्वा की बीवी थीं।

6 بَابُ مَا جَاءَ مَا يُذْهِبُ مَدْمَةَ الرَّضَاعِ

1153 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَدْمَةَ الرَّضَاعِ؟ فَقَالَ: غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ.

7 - लौंडी आजाद हो जाए और उसका (जो गुलाम है) खाविंद भी हो.

1154 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि बरीरा (رضي الله عنها) का खाविंद गुलाम था तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे इख्तियार दे दिया था, उसने अपने आपको इख्तियार किया और अगर (उसका खाविंद) आज़ाद होता तो आप (ﷺ) उसे इख्तियार न देते।

मुस्लिम: 1504. अबू दाऊद: 2233. इब्ने माजा: 2076. निसाई: 3451-3454, 344 7.

1155 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि बरीरा (رضي الله عنها) का खाविंद गुलाम था रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे इख्तियार दे दिया था, शाज़, (अब्दा) के लफज़ से महफूज़ है: अबू दाऊद: 2235. इब्ने माजा: 2074. निसाई: 2614.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله عليه) फरमाते हैं: आयशा (رضي الله عنها) की हदीस हसन सहीह है। हिशाम बिन उर्वा ने बवास्ता उर्वा सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से इसी तरह रिवायत की है कि बरीरा का खाविंद गुलाम था। और इक्रिमा ने भी इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत की है कि मैंने बरीरा के शौहर को देखा वह गुलाम था। उसका नाम मुगीस था। इब्ने उमर (رضي الله عنه) से भी इसी तरह मर्वी है। नीज अहले इल्म इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि जब लौंडी, आज़ाद के निकाह में हो तो आजाद होने पर उसे इख्तियार नहीं होगा: उसे उस वक़्त इख्तियार होगा जब वह गुलाम के निकाह में हो और आज़ाद हो जाए। यह कौल शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक (رحمته الله عليه) का है।

कई रावियों ने आमश से बवास्ता इब्राहीम उन्होंने बवास्ता अस्वद, सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत की है कि बरीरा का खाविंद आजाद था तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे इख्तियार दे दिया। अबू अवाना ने इस हदीस को आमश उन्होंने इब्राहीम से बवास्ता अस्वद आयशा (رضي الله عنها) से बरीरा का किस्सा बयान किया है अस्वद कहते हैं: उसका खाविंद आज़ाद था।

ताबेईन और तबा ताबेईन में से कुछ उलमा का इसी पर अमल है नीज सुफ़ियान सौरी और अहले कूफा भी इसी के कायल हैं।

7 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ تَعْتَقُ وَكَيْفَ زَوْجِ

1154 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيَّرَهَا.

1155 - حَدَّثَنَا هَنَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ حُرًّا، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1156 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) बयान करते हैं कि बरीरा का शौहर बनू मुग़ीरह का एक सियाह फाम गुलाम था, जिस दिन बरीरा आज्ञाद हुई थीं। अल्लाह की क़सम! गोया वह मंज़र मेरे सामने है कि जब वह (मुगीस) मदीने के रास्तों और किनारों में फिरता था, उसके आंसू उसकी दाढ़ी पर बह रहे थे उसे राजी कर रहा था कि उसे इख्तियार करे लेकिन उस बरीरा ने यह काम ना किया।

बुखारी: 5283. अबू दाऊद: 2231. इब्ने माजा: 2075. निसाई: 5417.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رحمۃ اللہ علیہ) फरमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और सईद बिन अबी अरविया, सईद बिन मेहरान है। उनकी कुनियत अबूनज़र थी।

8 - बच्चा साहिबे बिस्तर का है.

1157 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “बच्चा साहिबे बिस्तर का है और जानी के लिए पत्थर हैं।”

बुखारी: 6818. मुस्लिम: 1458. इब्ने माजा: 2006. निसाई: 3482.

तौज़ीह: साहिबे बिस्तर से मुराद जो शख्स औरत के बिस्तर का मालिक है। यानी उस से बीवी या लौंडी की हेंसियत से हमबिस्तरी करता है।

वज़ाहत: इस मसले में उमर, उस्मान, आयशा, अबू उमामा, अम्र बिन खारिजा, अब्दुल्लाह बिन अम्र, बरा बिन आजिब और ज़ैद बिन अर्कम (رضی اللہ عنہ) से भी अहादीस मर्वी है।

• इमाम तिमिज़ी (رحمۃ اللہ علیہ) फरमाते हैं: अबू हुरैरा (رضی اللہ عنہ) की हदीस हसन सहीह है और नबी करीम (ﷺ) के उलमा सहाबा का इसी पर अमल है.

1156 - حَدَّثَنَا هَنَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي يُوْبَ، وَقَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ لِبَنِي الْمُغِيرَةَ يَوْمَ أُعْتِقَتْ بَرِيرَةُ، وَاللَّهُ لَكَأَنِّي بِهِ فِي طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَتَوَاحِيهَا، وَإِنَّ دُمُوعَهُ لَتَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ يَتَرَضَّاهَا لِتُخْتَارَهُ فَلَمْ تَفْعَلْ.

8 بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ

1157 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.

नीज ज़ोहरी ने भी सईद बिन मुसय्यब से बवास्ता अबू सलमा, अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से इस हदीस को रिवायत किया है।

9 - उस आदमी का बयान जो किसी औरत को देखे तो वह उसे अच्छी लगे।

1158 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी करीम (ﷺ) ने एक औरत को देखा तो ज़ैनब (رضي الله عنها) के पास गए (और उन से) अपनी हाजत को पूरा किया और बाहर तशरीफ़ लाकर फरमाने लगे: “बेशक औरत जब सामने आती है तो शैतान की सूरत में आती है पस जब तुम में से कोई शख्स किसी औरत को देखे और वह उसे अच्छी लगे तो उसे अपनी बीवी के साथ सोहबत करनी चाहिए क्योंकि उसकी बीवी के साथ भी वही है जो उस अजनबी औरत के साथ है।”

मुस्लिम: 1403. अबू दाऊद: 2151.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने मसऊद (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फरमाते हैं: जाबिर (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह ग़रीब है और हिशाम बिन अबू अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) दस्तवाई के साथी और संबर के बेटे हैं।

10 - शाहर का बीवी पर क्या हक़ है?

1159 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़रमाया, “अगर मैं किसी को किसी के लिए सज्दा करने का हुक्म देने वाला होता तो मैं औरत को हुक्म देता कि अपने खाविंद को सज्दा करे।”

9 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَرَى الْمَرْأَةَ تُعْجِبُهُ

1158 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً، فَدَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ، فَقَضَى حَاجَتَهُ، وَخَرَجَ، وَقَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَإِذَا رَأَى أَحَدَكُمْ امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ، فَلْيَاتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِي مَعَهَا.

10 بَابُ مَا جَاءَ فِي حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

1159 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شَمِيلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ

हसन सहीह: इब्ने हिब्बान: 4162. हाकिम: 4/171.
बैहकी: 7/291.

كُنْتُ امْرَأًا اَحَدًا اَنْ يَسْجُدَ لِاَحَدٍ لِامْرَأَتِ الْمَرْأَةِ
اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

वज़ाहत: इस मसले में मुआज़ बिन जबल, सुराका बिन मालिक बिन जोशम, आयशा, इब्ने अब्बास, अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा, तल्क बिन अली, उम्मे सलमा, अनस और इब्ने उमर (رضي الله عنه) से भी हदीस मवी है।

इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फरमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस मोहम्मद बिन उमर से बवास्ता अबू सलमा अबू हुरैरा (رضي الله عنه) वाली सनद के साथ हसन गरीब है।

1160 - सय्यदना तल्क बिन अली (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “जब आदमी अपनी बीवी को अपनी हाजत पूरी करने के लिए बुलाये तो वह उसके पास जाए अगरचे वह तन्नूर पर ही हो।”

सहीह: तयालिसी: 1097. मुसनद अहमद: 4/22.

1160 - حَدَّثَنَا هَنَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَلَازِمُ
بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ،
عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ
فُلْتَاتِهِ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التُّورِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फरमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है।

1161 - सय्यदा उम्मे सलमा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “जो औरत इस हाल में फौत हुई कि उसका खाविंद उस पर राजी था वह जन्नत में दाखिल हो गई।

ज़ईफ़: इब्ने माजा: 1854. इब्ने अबी शैबा: 4/303.
हाकिम: 4/173.

1161 - حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى،
قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِي نَصْرِ، عَنْ
مُسَاوِرِ الْجَمِيرِيِّ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ
قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا
رَاضٍ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फरमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है।

11 - बीवी के खाविंद के जिम्मे हुकूक.

1162 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “मोमिनों में सब से कामिल ईमान वाला (वह है जो) उन में सब से ज्यादा अच्छे अख़लाक वाला है और तुम में से बेहतर वह हैं जो अपनी बीवी के लिए बेहतर हैं।”

हसन सहीह: अबू दाऊद: 4682. इब्ने अबी शैबा: 8/515. मुसनद अहमद: 2/250.

वज़ाहत: इस मसले में आयशा और इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिमिज़ी (رحمته الله) फरमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

1163 - सुलैमान बिन अम्र बिन अहवस (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मुझे मेरे बाप ने बताया कि वह हज्जतुल विदा में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ थे आप (ﷺ) ने अल्लाह की हम्दो सना की फिर वाज़ो नसीहत की। उन्होंने हदीस में एक किस्सा भी ज़िक्र किया; आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “ख़बरदार! औरतों के साथ ख़ैरख़वाही करना, यकीनन यह तुम्हारे पास कैदी है। तुम उनको सज़ा देने के मालिक नहीं हो, मगर यह कि वाज़ेह बुराई करे, अगर ऐसा काम करें तो उनको बिस्तरों पर छोड़ दो और ऐसी ज़र्ब के साथ मारो कि जिस से हड्डी न टूटे, फिर अगर वह तुम्हारी इताअत करें तो उन पर तकलीफ़ की राह तलाश न करो। ख़बरदार! तुम्हारी बीवियों पर तुम्हारे हुकूक हैं, तुम्हारी

11 بَابُ مَا جَاءَ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

1162 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرَكُمْ خَيْرَكُمْ لِنِسَائِهِمْ.

1163 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ شَيْبِ بْنِ عَرْفَدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَخْوَصِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَذَكَرَ، وَوَعِظَ، فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةً، فَقَالَ: أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وَأَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ،

बीवियों के जिम्मे हक़ यह है कि वह तुम्हारे बिस्तर पर ऐसे लोगों को ना आने दें जिन्हें तुम ना पसंद करते हो और न ही तुम्हारे नापसंदीदा लोगों को घर में आने की इजाज़त दें और तुम्हारे ऊपर उनका हक़ यह है कि तुम उन्हें अच्छा लिबास और खाना मुहय्या करो।

हसन: इब्ने माजा: 1851. मुसनद अहमद: 3/426. अबू दाऊद: 3334.

तौज़ीह: استَوْصُوا: इसका मानी है वसीयत कुबूल करो, यानी मैं तुम्हें उन औरतों के बारे में वसीयत करने लगा हूँ मेरी वसीयत को कुबूल करना। عَانِي: कैदी को कहते हैं।

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (ﷺ) फरमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और (عَوَانٌ عِنْدَكُمْ) का मानी है तुम्हारे हाथों में कैदी हैं।

12 - औरतों की दुबुर में ख्वाहिश पूरी करना मना है.

1164 - सय्यदना अली बिन तल्क (ﷺ) रिवायत करते हैं कि एक देहाती नबी करीम (ﷺ) के पास आकर कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! हम में से कोई आदमी जंगल में होता है तो उसकी हवा खारिज हो जाती है और पानी भी कम होता है (तो वह क्या करे) ? तो अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया, “जब किसी आदमी की हवा खारिज हो जाए तो उसे वुज़ू करना चाहिए। और तुम औरतों की सुरीनों⁽¹⁾ में जिमा (हमबिस्तरी) न करो, बेशक अल्लाह तआला हक़ (की वज़ाहत करने वाले) से नहीं शर्माता।”

हसन: अबू दाऊद: 205. मुसनद अहमद: 1/86. अब्दुर्रजाक़: 529.

12 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ إِثْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ

1164 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَهَنَادٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَيْسَى بْنِ حِطَّانَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَامٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ قَالَ: أَتَى أَعْرَابِيٌّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الرَّجُلُ مِمَّا يَكُونُ فِي الْفَلَاةِ فَتَكُونُ مِنْهُ الرُّوْحَةُ، وَيَكُونُ فِي الْمَاءِ قَلَّةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا فَسَا أَحَدَكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ.

तौजीह: أغجَر: जमा है عجز की यह लफ्ज मुअन्नस(Female) और मुअन्नस दोनों पर बोला जाता है इसका मानी है पिछला हिस्सा, इसीलिये शेअर के दुसरे मिस्रे को भी عجز कहा जाता है। देखिये: (अल- मोजमुल वसीत प: 692)

वज़ाहत: इस मसले में उमर, खुजैमा बिन साबित, इब्ने अब्बास और अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से भी हदीस मवी है।

इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फरमाते हैं: अली बिन तल्क की हदीस हसन सहीह है और मैंने मोहम्मद (बिन इस्माईल बुखारी رضي الله عنه) को फरमाते हुए सुना कि मेरे इल्म में अली बिन तल्क की नबी करीम(ﷺ) से सिर्फ़ यही एक हदीस है और इसमें इस हदीस को तल्क बिन अली सहीमी की सनद से नहीं जानता। गोया उनके मुताबिक़ यह नबी करीम(ﷺ) के कोई और सहाबी हैं। नीज वकीअ ने भी इस हदीस को रिवायत किया है।

1165 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, “अल्लाह तआला (क़यामत के दिन नज़रे रहमत के साथ) उस बन्दे की तरफ़ नहीं देखेगा जो किसी मर्द या औरत की दुबुर में ख़्वाहिश पूरी करता है।”

हसन: इब्ने अबी शैबा: 4/ 251. अबू याला:2378. इब्ने हिब्बान:4203.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है।

1166 - सय्यदना अली (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, “जब किसी शख्स की हवा ख़ारिज हो जाए तो वह वुजू करे और तुम औरतों के पिछले हिस्से में सोहबत ना करो।”

ज़ईफ़: तख़रीज गुज़र चुकी है. 1164.

1165 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مَحْرَمَةَ بِنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ.

1166 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَعَبْدُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُسْلِمٍ وَهُوَ ابْنُ سَلَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا فَسَأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أُعْجَازِهِنَّ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह अली, सय्यदना अली बिन तल्क (رضي الله عنه) हैं।

13 - औरतों का बनाव सिंगार करके बाहर निकलना मना है.

1167 - नबी करीम (ﷺ) की खादिमा मैमूना बिनते साद (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “अपने शौहर के अलावा किसी और के सामने बनाव सिंगार के साथ इतरा कर चलने वाली औरत की मिसाल क़यामत के दिन के ऐसे अंधेरे की तरह है जिस में रोशनी बिल्कुल नहीं होगी।”

ज़ईफ़: अस्सिलसिला अज़-ज़ईफ़ा: 1800. अत-तबरानी फ़िल कबीर: 25. हदीस: 70.

तौज़ीह: **را فله**: नाज़ो अंदाज़ से अकड़ कर चलने वाली औरत, तफ़सील के लिए देखिये: (अल-मोज़मुल वसीत पृ.: 249)

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: इस हदीस को हम सिर्फ़ मूसा बिन उबैदह की सनद से ही जानते हैं और मूसा बिन उबैदह गोया कि सच्चे हैं लेकिन हाफ़िज़ा की वजह से उन्हें हदीस में ज़ईफ़ कहा जाता है। उन्होंने शोबा से भी रिवायत की है और बाज़ (कुछ) रावियों ने मूसा बिन उबैदह से मर्फू रिवायत नहीं की।

14 - गैरत का बयान.

1168 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “बेशक अल्लाह तआला बहुत ग़ैरत रखता है और मोमिन भी ग़ैरत करता है और अल्लाह तआला की ग़ैरत (1) यह है कि मोमिन वह काम न करे जो उस पर अल्लाह ने हुराम किए हैं।”

बुखारी: 5223. मुस्लिम: 2761.

13 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الرِّيْتَةِ

1167 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَشْرَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ، وَكَانَتْ خَادِمًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ الرَّافِلَةِ فِي الرِّيْتَةِ فِي غَيْرِ أَهْلِهَا كَمَثَلِ ظُلْمَةِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا نُورَ لَهَا.

14 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغَيْرَةِ

1168 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ، وَالْمُؤْمِنُ يَغَارُ، وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ.

तौजीह: मतलब यह है कि औरत की वजह से ही अल्लाह तआला ने फ़हाशी और शिर्क को हराम किया है तो जब कोई इंसान उसका इतिक्ताब करता है तो अल्लाह तआला को उस बन्दे पर बहुत गुस्सा आता है।

वज़ाहत: इस मसले में आयशा और अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन ग़रीब है। नीज यह हदीस यह्या बिन अबी कसीर से बवास्ता अबू मसलमा, उर्वा के ज़रीये सय्यदा अस्मा बिन्ते अबी बक्र (رضي الله عنه) से भी नबी करीम (ﷺ) से रिवायत की गई है और दोनों हदीसें सहीह हैं।

हज्जाज सवाफ़ हज्जाज बिन अबू उस्मान हैं। अबू उस्मान का नाम मैसरह और हज्जाज की कुनियत अबू सुलत है। यह्या बिन अबू सईद अल-क़तान ने उन्हें सिका करार दिया है। अबू ईसा बयान करते हैं: हमें अबू बक्र अत्तार ने अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी के हवाले से बयान किया है वह कहते हैं: मैंने यह्या बिन सईद अल-क़तान से हज्जाज सवाफ़ के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा: वह सिका समझदार और होशियार रावी हैं।

15 - औरत का अकेले सफ़र करना मकरूह है।

1169 - अबू सईद अल-खुदरी (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “जो औरत अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखती है उसके लिए हलाल नहीं है कि वह तीन दिन या उस से ज़्यादा का सफ़र अपने बाप, खाविंद, बेटे या महरम के बग़ैर करे।”

बुख़ारी: 1197. बेनह्विहो, मुस्लिम: 1340. अबू दाऊद: 1726. इब्ने माजा: 2898.

वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरैरा, इब्ने अब्बास और इब्ने उमर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज नबी (ﷺ) से मर्वी है कि आपने फ़रमाया, “औरत एक दिन और रात का सफ़र महरम के बग़ैर न करे।” और उलमा इसी पर अमल करते हुए औरत को महरम के बग़ैर सफ़र करने को मकरूह कहते हैं और अहले इल्म का उस मालदार औरत के बारे में इख़्तिलाफ़ है जिसका कोई महरम ना हो क्या वह हज कर सकती है?

15 باب ماجاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها

1169 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفْرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ زَوْجُهَا، أَوْ ابْنُهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا.

बाज्र (कुछ) उलमा कहते हैं: उस पर हज करना वाजिब नहीं क्योंकि महरम का साथ होना रास्ते की ताकत में से है, इसलिए कि अल्लाह तआला का फ़रमान है: “जो शख्स इस (बैतुल्लाह) की तरफ़ रास्ते की ताकत रखता है।” (आले- इमरान:97)

सुफ़ियान सौरी और अहले कूफा का भी यही कौल है।

जबकि बाज्र (कुछ) अहले इल्म कहते हैं: जब रास्ता अमन वाला हो तो वह लोगों के साथ हज के सफ़र पर जा सकती है। यह कौल मालिक बिन अनस और शाफ़ेई (रहमतेमा) का है।

1170 - सय्यदना अबू हुरैरा (रहमतेमा) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (रहमतेमा) ने फ़रमाया, “औरत एक दिन या रात का सफ़र न करे मगर इस सूरत में कि उसके साथ महरम रिश्तेदार हो।”
बुखारी: 1088. मुस्लिम: 1339. अबू दाऊद: 1723. इब्ने माजा: 2899.

1170 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (रहमतेमा) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

16 - अकेली⁽¹⁾ औरतों के पास जाना मना है.

1171 - सय्यदना उक्बा बिन आमिर (रहमतेमा) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (रहमतेमा) ने फ़रमाया, “अपने आप को औरतों के पास जाने से बचाओ” तो एक अंसारी आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप हम्वा⁽¹⁾ के बारे में क्या फ़रमाते हैं? आप (रहमतेमा) ने फ़रमाया, “हम्वा मौत है।”

बुखारी: 5232. मुस्लिम: 2172.

तौज़ीह: المغيبات : مغيبة की जमा है। ऐसी औरत जिसका खाविंद उस से गायब हो। यानी किसी कारोबार या मुलाज़मत के सिलसिले में शहर या मुल्क से बाहर हो, ऐसी औरत के पास जाने की मुमानअत (मनाही) में इस लिए सख़्ती की गई है कि उसे मर्द का इश्तियाक़ होता है (चाहत होती है) इस

16 باب ماجاء في كراهية الدخول على المغيبات

1171 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالِدُخُولَ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ الْخَمْوَ، قَالَ: الْخَمْوَ الْمَوْتُ.

तरह हराम काम करने का अदेशा बढ़ जाता है। (2) الحَمْرُ : शौहर के बाप और बेटों के अलावा तमाम रिश्तेदार औरत के हम्वा होते हैं इस में सिर्फ़ देवर को शामिल करना सहीह नहीं है। यानी औरत अपने ससुराल में खाविंद के रिश्तेदार मर्दों से ऐसे बचे जिस तरह आदमी मौत से भागता है।

वज़ाहत: इस मसले में उमर, जाबिर और अम्र बिन आस (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: उक्बा बिन आमिर (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। और ग़ैर महरम औरतों के पास जाने की कराहत का मफ़हूम उसी हदीस के मुताबिक़ है जिसमें नबी करीम (ﷺ) ने फ़रमाया, “जब कोई मर्द किसी औरत के साथ तन्हा होता है तो उनके साथ तीसरा शैतान होता है।” और हम्ब का मतलब है शौहर का भाई, गोया उसे औरत (भाभी) के साथ तन्हा होने से मना किया गया है।

17- इस काम से इसलिए डराया गया है कि शैतान इंसान की रगों में खून की तरह दौड़ता है।

17- بَابُ التَّحْذِيرِ مِنْ ذَالِكَ لِجَرِيَانِ الشَّيْطَانِ مَجْرَى الدَّمِ

1172 - सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़रमाया, “जिन औरतों के शौहर ग़ायब हों उनके पास न जाओ, बेशक शैतान तुम्हारे अन्दर खून की जगह पर दौड़ता है (रावी कहते हैं:) हमने कहा: और आप के भी? आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “हाँ मेरे खून में भी लेकिन अल्लाह तआला ने उसके खिलाफ़ मेरी मदद की है; मैं उस से महफूज़ रहता हूँ।”

1172 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَلْجُوا عَلَى الْمُغِيْبَاتِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحْدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ، قَلْنَا: وَمِنْكَ؟ قَالَ: وَمِنِّي، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمْتُ. هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

सहीह: मुसनद अहमद: 3/309. दारमी:2785.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: इस सनद के साथ यह हदीस ग़रीब है। और बाज़ (कुछ) मुहद्दीसीन ने मुजालिद बिन सईद के हाफ़िज़े की वजह से इस में कलाम किया है और मैंने अली बिन खुश्रुम से सुना वह कह रहे थे कि सुफ़ियान बिन उययना इसकी तफ़सीर में कहते हैं कि नबी करीम (ﷺ) के फ़रमान “अल्लाह ने उसके खिलाफ़ मेरी मदद की है।” मैं महफूज़ रहता हूँ का मतलब है: मैं उस शैतान से सलामती में रहता हूँ। सुफ़ियान कहते हैं: शैतान इस्लाम नहीं लाता।

“और मुगीबात के पास ना जाओ” मुगीबा उस औरत को कहते हैं जिसका शौहर ग़ायब हो और مغ़िबात : مغ़िबा की जमा है।

18 - जब औरत घर से बाहर निकलती है तो शैतान उसे झांकता है.

1173 - सय्यदना अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया, "औरत छिपाने की चीज़ है पस जब निकलती है तो शैतान उसे झांकता है।"

सहीह: इब्ने खुजैमा: 1685. इब्ने हिब्बान: 5598.

तौज़ीह: غُورَة : जिस्म का वह हिस्सा जिसे इंसान कराहत या शर्म की वजह से छिपाता है, काबिले सतर आज़्राए जिस्म, इसकी जमा عورات आती है औरत को غُورَة इसलिए कहा गया है कि यह छिपाने की चीज़ है। इसे लोगों के सामने नहीं आना चाहिए। लफ़्ज़ी मानी की वज़ाहत के लिए देखिये: (अल-कामूसुल वहीद: पृ. 1141 अल-मोजमुल वसीत: पृ. 757)

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है।

19 - औरत के लिए अपने शौहर को तकलीफ़ देने पर वर्इद.

1174 - सय्यदना मुआज़ बिन जबल (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया, "जब औरत दुनिया में अपने शौहर को तकलीफ़ देती है मोटी आँखों वाली हूरों में से उस आदमी की बीवी कहती है: अल्लाह तुझे बर्बाद करे" उस (अपने शौहर) को तकलीफ़ न दे, यह तो तुम्हारे पास मेहमान है, करीब है कि यह तुम्हें छोड़ कर हमारे पास आ जाए।"

सहीह: इब्ने माजा: 2014. मुसनद अहमद: 5/ 242.

18- بَابُ اسْتِشْرَافِ الشَّيْطَانِ الْمَرَاةَ

اِذَا خَرَجَتْ

1173 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُورِقٍ، عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْمَرْأَةُ غُورَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتِشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ.

19- بَابُ الْوَعِيدِ لِلْمَرْأَةِ عَلَى إِيْذَاءِ

الْمَرْأَةِ زَوْجِهَا

1174 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنْ بَجِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مَرَّةٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُؤْذِي امْرَأَةً زَوْجِهَا فِي الدُّنْيَا، إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْخُورِ الْعَيْنِ: لَا تُؤْذِيهِ، فَاتْلُكِ اللَّهَ، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يَفَارِقَكَ إِلَيْنَا.

तौज़ीह: نخل: ऐसा मुसाफिर जो किसी मुल्क में अपने फ़ायदे के लिए ठहरे।

वज़ाहत: इमाम तर्मिज़ी (رحمته) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हमें सिर्फ़ इसी सनद से ही मिलती है। नीज़ इस्माइल बिन अयाश की शामियों से ली गई रिवायत दुरुस्त है जबकि यह अहले हिजाज और अहले इराक से मुन्कर रिवायात लेता है।

खुलासा

- मां, बहन, बेटी, भांजी, भतीजी, खाला, फूफी जिस तरह नसब के यह रिश्ते हराम हैं, उसी तरह रज़ाअत की वजह से बनने वाले इन रिश्तों से भी निकाह करना हराम है।
- रज़ाअत में दूध पिलाने वाली एक औरत की गवाही काफी है।
- उसी रज़ाअत का एतबार होता है जो दो साल से पहले हो।
- बच्चे की निस्बत औरत के खाविंद की तरफ ही होगी।
- अगर बाहर कोई औरत किसी को अच्छी लगे तो उसे चाहिए कि वह अपने घर आकर अपनी बीवी से सोहबत करे. ताकि उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाए।
- खाविंद और बीवी पर एक दुसरे के हुक्कूक शरीयत ने मुक्करर कर दिए हैं दोनों को उनकी पासदारी करना ज़रूरी है।
- बीवी के पिछले हिस्से में सोहबत करना हराम है।
- औरत बन संवर कर बाहर न निकले।
- औरत के तन्हा सफ़र करने पर पाबंदी है।
- अकेली औरत के पास किसी ग़ैर महरम शख्स को जाने की इजाज़त नहीं है।
- औरत का अपने शौहर को तकलीफ़ देना हूरों की नाराजी का बाइस है।

मज़मून नम्बर 11

أَبْوَابُ الطَّلَاقِ وَاللِّعَانِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ रसूलुल्लाह(ﷺ) से मर्वी तलाक़ और लिआन के अहकाम व मसाइल

तआरुफ़

23 अबदाब के साथ 30 अहादीस पर मुश्तमिल इस उन्वान के तहत आप पढ़ेंगे कि

- तलाक़ देने का सहीह तरीक़ा क्या है?
- मुतल्लका की इद्दत और अहकाम व मसाइल।
- लिआन की तारीफ़ और तरीक़ा।
- ख़ुला और जिहार क्या है?
- ईला किसे कहते हैं?

1 - तलाक़ देने का सहीह तरीक़ा.

1175 - यूनुस बिन जुबैर (رضي الله عنه) कहते हैं: मैंने सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) से ऐसे शाख्स के बारे में पूछा जो हालते हैज़ में अपनी बीवी को तलाक़ दे दे। तो उन्होंने फ़रमाया, “क्या तुम अब्दुल्लाह बिन उमर को जानते हो? कि उसने अपनी बीवी को हालते हैज़ में तलाक़ दे दी थी तो उमर (رضي الله عنه) ने नबी करीम (ﷺ) से पूछा तो आप (ﷺ) ने उसे हुक्म दिया कि उस से रुजू करे। (रावी कहते हैं:) मैंने कहा: तो क्या यह तलाक़ शुमार की जाएगी? उन्होंने फ़रमाया,

1 بَابُ مَا جَاءَ فِي طَّلَاقِ السَّنَةِ

1175 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي يُوْب، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْرِينَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: هَلْ تَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَسَأَلَ عُمَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

ख़ामोश ऐसा सवाल न कर बतलाओ अगर वह आजिज़ या पागल हो जाए तब भी तो तलाक़ शुमार होगी।

4908. मुस्लिम: 1481. अबू दाऊद: 2179-2182. इब्ने माजा: 2019. निसाई: 3389-3392.

1176 - सालिम (ﷺ) अपने बाप से रिवायत करते हैं कि उन्होंने अपनी बीवी को दौराने हैज़ में तलाक़ दे दी तो उमर (ﷺ) ने नबी करीम (ﷺ) से पूछा, आप (ﷺ) ने फ़रमाया, "उसे हुक़्म दो कि उस से रुजू करे फिर तोहर (पाकी) या हमल की हालत में तलाक़ दे।"

सहीह: इस से पहले देखिए.

فَأَمْرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا. قَالَ قُلْتُ فَيَعْتَدُ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ قَالَ فَمَهْ أُرَائِيَتْ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحَمَقَ

1176 - حَدَّثَنَا هَنَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ سُهَيْبَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْخَيْضِ، فَسَأَلَ عُمَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَرَّةٌ فَلْيُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यूनुस बिन जुबैर की इब्ने उमर (ﷺ) से बयान कर्दा हदीस हसन सहीह है। नीज यह हदीस बवास्ता इब्ने उमर नबी अकरम (ﷺ) से कई सनदों के साथ मर्वी है।

नबी अकरम (ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से उलमा का इसी पर अमल है कि तलाक़े सुन्नत का तरीक़ा यह है कि अपनी बीवी को तोहर (पाकी) में बग़ैर सोहबत किए तलाक़ दे। बाज़ (कुछ) कहते हैं: अगर तोहर (पाकी) में तीन तलाक़े दे दे तो वह भी तलाक़े सुन्नत ही होगी। यह कौल इमाम शाफ़ेई और अहमद बिन हंबल का है।

बाज़ (कुछ) कहते हैं: तीन तलाक़ सुन्नत नहीं होगी एक-एक करके तलाक़ दे। सुफ़ियान सौरी और इस्हाक़ भी इसी के क़ायल हैं, वह कहते हैं कि हामिला को जब चाहे तलाक़ दे दे। यह कौल इमाम शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (ﷺ) का है।

जबकि बाज़ (कुछ) कहते हैं कि हर महीने एक तलाक़ दे।

2 - जो शरख़ अपनी बीवी को तलाक़े बता का लफज़ बोल कर तलाक़ दे दे.

1177 - अब्दुल्लाह बिन यज़ीद अपने बाप के वास्ते के साथ अपने दादा से रिवायत करते हैं

2 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ
الْبَيْتَةَ

1177 - حَدَّثَنَا هَنَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْصَةُ،

कि मैंने नबी अकरम (ﷺ) की खिदमत में हाज़िर हो कर अर्ज़ किया, ऐ अलाह के रसूल! मैंने अपनी बीवी को तलाके बत्ता दे दी है आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “तुम्हारा इरादा क्या था? मैंने कहा: एक तलाक़ का, आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “क्या अल्लाह की क़सम उठाते हो? मैंने कहा: अल्लाह की क़सम। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “तलाक़ वही हुई है जिसका तुमने इरादा किया था।”

عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي الْبَيْتَةَ، فَقَالَ: مَا أَرَدْتَ بِهَا؟ قُلْتُ: وَاحِدَةً، قَالَ: وَاللَّهِ؟ قُلْتُ: وَاللَّهِ، قَالَ: فَهُوَ مَا أَرَدْتَ.

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 2208. इब्ने माज़ा: 2051.

तौज़ीह: यह قطع के मानी में है। काटना है। यानी तलाक़ देने वाला कहे में तुझे तलाके बत्ता देता हूँ। यानी ऐसी तलाक़ जिसमें रुजू नहीं और अपना तालुक़ पूरी तरह काटता हूँ और उसकी मुराद तीन तलाक़ हो।

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हमें सिर्फ़ इसी सनद से ही मिलती है और मैंने मोहम्मद बिन इस्माईल बुखारी (ﷺ) से इस हदीस के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: इस में इज़्तिराब है और बवास्ता इकिरमा सय्यदना इब्ने अब्बास (ﷺ) से मर्वी है कि रुकाना ने अपनी बीवी को तीन तलाक़ें दे दी थीं।

नबी करम (ﷺ) के सहाबा और दीगर अहले इल्म में तलाके बत्ता के बारे में इख़ितलाफ़ है: सय्यदना उमर (ﷺ) से मर्वी है कि उन्होंने तलाके बत्ता को एक ही कहा था। अली (ﷺ) से मर्वी है कि वह तीन शुमार करते थे जब कि बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं: इस में आदमी की नीयत का एतबार होगा। अगर एक की नीयत की थी तो एक होगी, अगर तीन की नीयत की थी तो तीन और अगर दो की नीयत की थी तो भी एक ही होगी यह कौल सौरी और अहले कूफ़ा का है।

इमाम मालिक बिन अनस (ﷺ) तलाके बत्ता के बारे में कहते हैं: अगर उस आदमी ने औरत से सोहबत की हुई हो तो यह तीन तलाक़ें होंगी।

इमाम शाफ़ेई (ﷺ) फ़रमाते हैं: एक की नीयत की थी तो एक, दो की थी तो दो और अगर तीन तलाकों की नीयत की थी तो तीन होंगी।

3 - बीवी को कह देना की तुम्हारा मामला तुम्हारे हाथ में है.

3 بَابُ مَا جَاءَ فِي أَمْرِكَ بِبَيْدِكَ

1178 - हम्माद बिन ज़ैद कहते हैं: मैंने अय्यूब से कहा: क्या आप हसन बसरी के अलावा किसी को जानते हैं जिसने “तुम्हारा मामला तुम्हारे हाथ में है।” कहने को तीन तलाक़ कहा हो? तो उन्होंने कहा: सिर्फ़ हसन ही हैं फिर कहा: ऐ अल्लाह! तेरी तरफ से बख्शिशा माँगता हूँ (मैं नहीं रिवायत करता) मगर वही जो मुझे क़तादा ने कसीर से जो बनू समुरा के मौला हैं, उन्होंने अबू सलमा से बवास्ता अबू हुरैरा (رضي الله عنه) नबी करीम (ﷺ) से रिवायत की है कि यह तीन हैं।

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 2204. निसाई: 3410.

1178 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَيُّوبَ: هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ أَحَدًا قَالَ فِي أَمْرِكَ بِبَيْدِكَ إِثْمًا ثَلَاثَ إِلَّا الْحَسَنَ؟، فَقَالَ: لَا، إِلَّا الْحَسَنَ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ غَفْرًا إِلَّا مَا حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ كَثِيرٍ، مَوْلَى بَنِي سَمْرَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ. قَالَ أَيُّوبُ: فَلَقِيتُ كَثِيرًا مَوْلَى بَنِي سَمْرَةَ فَسَأَلْتُهُ: فَلَمْ يَعْرِفْهُ، فَرَجَعْتُ إِلَى قَتَادَةَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: نَسِي.

अय्यूब कहते हैं: मैंने बनू समुरा के मौला कसीर से मिला और उनसे पूछा तो उन्होंने इस हदीस को न जाना, मैंने क़तादा के पास आकर उनको बताया तो उन्होंने कहा: वह भूल गए हैं।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस गरीब है। हम इसे सिर्फ़ सुलैमान बिन हर्ब से बवास्ता हम्माद बिन ज़ैद वाली सनद से ही जानते हैं। और मैंने मोहम्मद बिन इस्माईल बुखारी से इस हदीस के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: हमें सुलैमान बिन हर्ब ने हम्माद बिन ज़ैद से इसी को बयान किया है और यह अबू हुरैरा (رضي الله عنه) पर मौकूफ़ है। जबकि अबू हुरैरा की मफू हदीस साबित नहीं है। नीज अली बिन नख़ हाफ़िज़ और मुहद्दिस थे। उलमा ने यह कौल “तेरा मामला तेरे हाथ में है।” के बारे में इख़्तिलाफ़ किया है: नबी करीम (ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ (कुछ) उलमा ने : जिन में उमर बिन ख़त्ताब और अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) भी है, कहा है कि यह एक तलाक़ होगी, बहुत से ताबेईन और तबा ताबेईन का भी यही कौल है।

उस्मान बिन अफ़फ़ान और ज़ैद बिन साबित (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: फैसला वही होगा जो औरत कर देगी।

इब्ने उमर (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: जब शौहर इसका मामला उसके हाथ में दे दे और वह अपने आपको तीन तलाक़ें दे कर फिर शौहर इनकार करते हुए कहे कि मैंने सिर्फ़ एक तलाक़ का मामला उसके हाथ में दिया था तो खाविंद से क़सम ली जाएगी और क़सम के साथ उसका कौल ही मोतबर होगा।

सुफ़ियान और अहले कूफ़ा का मज़हब उमर और अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) के कौल के मुताबिक़ है। लेकिन मालिक बिन अनस (رضي الله عنه) कहते हैं: फैसला वही होगा जो औरत कर दे। इमाम अहमद भी इसी के कायल हैं जबकि इस्हाक़ का मज़हब इब्ने उमर (رضي الله عنه) के कौल के मुताबिक़ है।

4 - इख़्तियार का बयान.

4 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخِيَارِ

1179 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें इख़्तियार दिया तो हमने आप (ﷺ) की रिफ़ाकात को पसंद किया था, क्या यह तलाक़ थी?

बुखारी: 5262. मुस्लिम: 1477. अबू दाऊद: 2203.
इब्ने माजा: 2052. निसाई: 3202.

1179 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَيْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاخْتَرْنَا أَفْكَانَ طَلَقًا؟

तौज़ीह: यह इस्तिफ़हामे इनकारी है। उनका मतलब यह था कि आप (ﷺ) का अपनी बीवियों को इख़्तियार देना तलाक़ नहीं था।

वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें बिन्दार ने, वह कहते हैं: हमें अब्दुरहमान बिन महदी ने उन्हें सुफ़ियान ने आमश से उन्हें अबू ज़ोहा ने बवास्ता मस्बूक़ सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से इसी तरह की रिवायत की है।

इमाम तिमिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अहले इल्म का इख़्तियार के बारे में इख़्तिलाफ़ है।

सय्यदना उमर और अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) से मर्वी है वह कहते हैं कि अगर औरत अपने आप को इख़्तियार करे तो एक तलाक़ ही बाइना होगी और अगर अपने खाविंद को करती है तो भी तलाक़ एक होगी लेकिन इसमें रुजू का हक़ हासिल होगा।

ज़ैद बिन साबित (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: अगर अपने खाविंद को इख़्तियार करे तो एक तलाक़ होगी और अगर अपने आप को इख़्तियार करे तो तीन तलाक़ होगी।

नीज नबी करीम (ﷺ) के सहाबा और ताबेईन में से जुम्हूर उलमा और फुकहहा इस मसअला में उमर और अब्दुल्लाह (ﷺ) के फतवा के कायल हैं। सौरी और अहले कूफा का भी यही कौल है।

लेकिन इमाम अहमद बिन हंबल का मौक़िफ सय्यदना अली (ﷺ) के कौल के मुताबिक़ है।

5 - जिस औरत को तीसरी तलाक़ दे दी जाए उसके लिए रिहाइश और खर्च नहीं होगा.

5 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَطْلُوقَةِ ثَلَاثًا لَا سَكْنَى لَهَا وَلَا نَفَقَةَ

1180 - सय्यदा फातिमा बिनते कैस (ﷺ) फ़रमाती हैं; नबी करीम (ﷺ) के दौर में मुझे मेरे खाविंद ने तीन तलाक़ें दे दीं तो अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया, “तुम्हारी रिहाइश और खर्च (तलाक़ देने वाले के जिम्मे) नहीं है।” मुगीरह कहते हैं: मैंने यह बात इब्राहीम से ज़िक्र की तो उन्होंने कहा उमर (ﷺ) ने फ़रमाया था: हम एक औरत की बात सुनकर अल्लाह की किताब और अपने नबी अकरम (ﷺ) की सुन्नत नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं जानते कि उसे बात याद भी रही या भूल गई और उमर (ﷺ) उसे रिहाइश और खर्च दिलवाते थे।

1180 - حَدَّثَنَا هَنَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا سَكْنَى لَكَ وَلَا نَفَقَةَ. قَالَ مُغِيرَةُ: فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَا تَدْعُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا تَدْرِي أَحْفَظَتْ أَمْ نَسِيَتْ. وَكَانَ عُمَرُ يَجْعَلُ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ.

मुस्लिम: 1480. अबू दाऊद: 2284. इब्ने माज़ा: 2035. निसाई: 3244.

वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें अहमद बिन मुनीर ने बवास्ता हुशैम, हुसैन, इस्माइल और मुजालिद से हदीस बयान की है।

हुशैम कहते हैं: दाऊद ने हमें इसी तरह बयान किया है कि शाफ़ेई कहते हैं: मैं फ़ातिमा बिनते कैस (ﷺ) के पास गया और उनसे पूछा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनके मामले में फ़ैसला किया था? वह फ़रमाने लगीं: मेरे खाविंद ने मुझे तलाक़े बत्ता दे दी तो मैं ने उस से रिहाइश और खर्च का झगड़ा किया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मेरे लिए रिहाइश और खर्च मुकर्रर न किया।

जबकि दाऊद की हदीस में है: वह फ़रमाती हैं कि आप (ﷺ) ने मुझे उम्मे मक्त्रूम (ﷺ) के घर में इहत गुज़ारने का हुक्म दिया था.

इमाम तर्मिजी (रह) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। बाज़ (कुछ) उलमा का; जिन में हसन बसरी, अता बिन अबी रबाह और शाबी (रह) भी शामिल हैं, इसी पर अमल है। इमाम अहमद और इस्हाक भी इसी के कायल हैं। यह सब कहते हैं कि मुतल्लका (बाइना) के लिए रिहाइश और खर्च (तलाक देने वाले के जिम्मा) नहीं है। सुफ़ियान सौरी और अहले कूफा का भी यही कौल है।

जबकि बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं: इस के लिए रिहाइश इसलिए मुकर्रर की है क्योंकि अल्लाह तआला का फ़रमान है। “तुम उन औरतों को उनके घरों से मत निकालो और ना ही यह खुद निकलें, हाँ अगर वाज़ेह बेहयाई का इतिक्लाब करें (तो और बात है)” (अत्तलाक : 1) फ़रमाते हैं: (बेहयाई से मुराद) ना जेबा गुफ्तगू है कि अगर वह घर वालों से ना ज़ेबा गुफ्तगू (गाली गलूज वगैरह) करे और उन्होंने फातिमा बिनते कैस (रह) के लिए नबी अकरम (रह) की रिहाइश को मुकर्रर न करने की वजह भी यही बयान की है कि वह घर वालों को बुरा भला कहती थी।

इमाम शाफ़ेई (रह) फ़रमाते हैं: फातिमा बिनते कैस (रह) के वाकिया के बारे में हदीसे रसूल (रह) की वजह से उस के लिए खर्च नहीं है।

6 - निकाह से पहले तलाक नहीं है।

1181 - अग्र बिन शोएब अपने बाप से और वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (रह) ने फ़रमाया, “इब्ने आदम की नज़र (उस चीज़ में मोतबर) नहीं है जिसका वह मालिक ही नहीं, न ही आजादी का एतबार है जिसका वह मालिक नहीं और न ही तलाक है जिसका वह मालिक नहीं है।”

हसन सहीह: अबू दाऊद: 2190, इब्ने माजा: 2047.

वज़ाहत: इस मसअला में अली, मुआज़ बिन जबल, जाबिर, इब्ने अब्बास और आयशा (रह) से भी अहादीस मर्वी है।

इमाम तर्मिजी (रह) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन अग्र (रह) की हदीस हसन सहीह और इस मसले में बयान की गई सब से बेहतरीन रिवायत है। नीज नबी करीम (रह) के सहाबा और दीगर लोगों में से जुम्हूर उलमा इसी के कायल हैं।

6 بَابُ مَا جَاءَ لِطَلَاَقٍ قَبْلَ النِّكَاحِ

1181 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُثَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَامِرُ الْأَخْوَلِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَذَرُ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا عَتَقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلَاَقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ.

और यह बात अली बिन अबी तालिब, इब्ने अब्बास जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) सईद बिन मुसय्यब, हसन, सईद बिन जुबैर, अली बिन हुसैन, शुरैह, जाबिर बिन ज़ैद (رضي الله عنه) और बहुत से फुक्कहा ताबेईन से भी मर्वी है। इमाम शाफ़ेई भी इसी के कायल हैं।

इब्ने मसऊद (رضي الله عنه) कहते हैं कि अगर किसी मुअय्यना औरत के बारे में कहे तो तलाक़ हो जाएगी।

नीज इब्राहीम नखई, शाबी और दीगर उलमा कहते हैं: जब तलाक़ का वक़्त मुक़रर कर दे तो वाक़ेअ हो जाएगी, सुफ़ियान सौरी और मालिक बिन अनस भी यही कहते हैं कि जब किसी औरत का नाम लेकर या वक़्त मुक़रर करके तलाक़ दे दे या यह कहे कि अगर मैं फलां मोहल्ले या कबीले की औरत से शादी करूं तो उसे तलाक़ है, तो अगर वहाँ शादी कर लेता है तो उस औरत को तलाक़ हो जाएगी। लेकिन इब्ने मुबारक इस मसले में सख़्ती करते हैं, वह कहते हैं: अगर वह इस तरह करता है तो मैं नहीं कहता कि वह उस पर हराम हो जाएगी।

इमाम अहमद (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: अगर वह शादी कर लेता है तो मैं उसे अपनी बीवी को अलग करने का हुक्म नहीं दूंगा।

इस्हाक़ (رضي الله عنه) कहते हैं: अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) की हदीस की वजह से मैं मुतय्यना औरत की तलाक़ के जायज़ होने का कायल हूँ और अगर वह उस से शादी कर लेता है तो मैं नहीं कहता कि उसकी बीवी उस पर हराम हो गई और इस्हाक़ (رضي الله عنه) ने गैर मुअय्यना औरत के बारे में वुसूअत से काम लिया है। बयान किया जाता है कि अब्दुल्लाह बिन मुबारक से ऐसे आदमी के बारे में पूछा गया जो क्रसम उठा लेता है कि अगर शादी करेगा तो उसकी बीवी को तलाक़ है फिर वह शादी कर लेता है, क्या उसे रूख़सत देने वाले फुक्कहा के कौल को लेने की इजाज़त है? तो अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने फ़रमाया, “अगर वह इस मामला से दो चार होने से पहले इस कौल को हक़ समझता था तो उनका कौल ले सकता है, लेकिन अगर उनके कौल को दुरुस्त नहीं समझता और फिर जब ख़ुद उस से दो चार हो तो उनका कौल क़ुबूल करने को मैं दुरुस्त नहीं समझता।

7- लौंडी की तलाकों की तादाद दो है

1182 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “लौंडी की तलाक़ दो तलाक़ें हैं और उसकी इहत दो हैज़ है।

7 بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ طَلَاقَ الْأُمَةِ تَطْلِيْقَتَانِ

1182 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُظَاهِرُ بْنُ أَسْلَمَ،

जईफ़: अबू दाऊद: 2189. इब्ने माजा:2080.
दारमी:2299.

قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: طَلَّاقُ الْأُمَّةِ
تَطْلِيقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ.

वज़ाहत: मोहम्मद बिन यहया कहते हैं: हमें अबू आसिम ने और उन्हें मुज़ाहिर ने भी यही बयान किया है। इस मसले में अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: आयशा (رضي الله عنها) की हदीस ग़रीब है। हम इसे सिर्फ़ मुज़ाहिर बिन असलाम की सनद से ही मर्फू जानते हैं और हमारे इल्म में मुज़ाहिर की सिर्फ़ यही हदीस है।

नीज नबी अकरम (ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ (कुछ) उलमा का इसी पर अमल है। सुफ़ियान सौरी, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक (رحمته الله) भी इसी के कायल हैं।

8 - जिस शख्स के दिल में बीवी को तलाक़ देने का ख़याल आए.

8 بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِطَلَّاقِ امْرَأَتِهِ

1183 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “अल्लाह तआला ने मेरी उम्मत के लोगों के दिलों में आने वाले खयालात से दरगुज़र किया है जब तक बात न कर लें या उस पर अमल न कर लें।”

1183 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو
عَوَّانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَجَاوَزَ اللَّهُ
لِأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَكَلِّمْ
بِهِ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ.

बुखारी: 2528. मुस्लिम: 127. अबू दाऊद: 2209. इब्ने
माजा:2040. निसाई: 3433- 3435.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और उलमा का इसी बात पर अमल है कि आदमी जब अपने दिल में तलाक़ का ख़याल करता है तो जब तक बात न करे यह कोई चीज़ नहीं है।

9 - तलाक में संजीदगी और मजाक दोनों काबिले एतबार हैं.

1184 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “तीन चीजें ऐसी हैं जिनकी हकीकत⁽¹⁾ भी हकीकत है और मजाक भी हकीकत निकाह, तलाक और रुजू।”

सहीह: अबू दाऊद: 2194. इब्ने माजा:2039. हाकिम: 2/198.

तौज़ीह: कोई भी लफ़ज़ हकीकती मानी मुराद लेते ही बोल देना ज़द कहलाता है।

वज़ाहत: इमाम तिमिजी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है और नबी करीम (ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से अहले इल्म का इसी पर अमल है।

अबू ईसा फ़रमाते हैं: अब्दुरहमान, हबीब बिन अदरक अलमदीनी के बेटे हैं और इब्ने माहक मेरे नज़दीक यूसुफ़ बिन माहक हैं.

10 - खुला का बयान.

1185 - सय्यदा रूबय बिनते मुअव्विज़ बिन अफ़रा (رضي الله عنه) ने नबी करीम (ﷺ) के दौर में खुला लिया तो नबी अकरम (ﷺ) ने उन्हें हुक्म दिया था कि एक हैज़ इहत गुज़ारें है।”

सहीह: इब्ने माजा: 2085. निसाई: 3498.

9 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجِدِّ وَالْهَزْلِ فِي الطَّلَاقِ

1184 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَرْذَكٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ مَاهَكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ جِدُّنٌ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ.

10 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُلْعِ

1185 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَهُوَ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِتِ مَعْرُودِ ابْنِ عَفْرَاءَ، أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ أَمَرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिरमिज़ी (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं: रूबय (رضی اللہ عنہ) की हदीस सहीह है कि उनको एक हैज़ इहत गुज़ारने का हुक्म दिया था।

1185(म)- सय्यदना इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि साबित बिन कैस (رضی اللہ عنہ) की बीवी ने अपने शौहर से नबी करीम (ﷺ) के दौर में खुला लिया तो नबी अकरम (ﷺ) ने उसे हुक्म दिया कि एक हैज़ इहत गुज़ारे।

1185-م- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعْتَدَ بِحَيْضَةٍ.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है और अहले इल्म का खुला लेने वाली औरत की इहत के बारे में इख़्तिलाफ़ है:

नबी करीम (ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से जुम्हूर उलमा कहते हैं कि खुला लेने वाली की इहत मुतल्लाका औरत वाली तीन हैज़ ही है। सुफ़ियान सौरी और अहले कूफ़ा का भी यही कौल है नीज अहमद और इस्हाक़ (رضی اللہ عنہ) भी यही कहते हैं।

जबकि नबी करीम (ﷺ) के सहाबा (رضی اللہ عنہ) काँरहुम में से कुछ उलमा का कहना है कि खुला लेने वाली औरत की इहत एक हैज़ है। इस्हाक़ कहते हैं: अगर कोई शाख्स यह मज़हब रखता है तो उसका मज़हब क़वी है।

11 - खुला लेने वाली औरतें.

1186 - सय्यदना सौबान (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़रमाया, "बिला वज़ह" खुला लेने वाली औरतें ही मुनाफ़िक़ औरतें हैं।"

सहीह: अबू दाऊद: 2229. दारे कुतनी: 3/255. हाकिम: 3/206.

11 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُخْتَلَعَاتِ

1186 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُزَاهِمُ بْنُ دُوَادٍ بْنِ عُثْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْمُخْتَلَعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: इस सनद के साथ यह हदीस ग़रीब है और इसकी सनद क़वी नहीं है।

नीज नबी करीम (ﷺ) से मर्वी है कि आप ने फ़रमाया, “जो औरत बिला वजह अपने खाविंद से खुला लेती है वह जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगी।”

1187 - सय्यदना सौबान (رحمته الله) से रिवायत है कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़रमाया, “जो औरत बग़ैर उच्च के अपने शौहर से तलाक़ का मुतालबा करे तो उस पर जन्नत की खुशबू भी हराम है।”

सहीह: अबू दाऊद: 2226. इब्ने माजा: 2055. मुसनद अहमद: 5/277.

1187 - حَدَّثَنَا بِذَلِكَ بُدَّازُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ ثَوْبَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है और यह हदीस अय्यूब से बवास्ता किलाबा, अस्मा के जरिये भी सय्यदना सौबान (رحمته الله) से मर्वी है और बाज़ (कुछ) ने उसे इसी सनद के साथ सौबान (رحمته الله) से रिवायत किया है लेकिन मर्फूज़िक्र नहीं किया।

12 - औरतों की खातिर मुदारात करने का बयान.

1188 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “बेशक औरत पसली की तरह होती है अगर तु उसे सीधा करने लगे तो तोड़ देगा और अगर उसे छोड़ दे तो टेढ़ेपण के साथ उस से फ़ायदा उठा सकता है।”

बुखारी: 3331. मुस्लिम: 1468.

12 بَابُ مَا جَاءَ فِي مُدَارَاةِ النِّسَاءِ

1188 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ كَالضَّلْعِ إِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، وَإِنْ تَرَكْتَهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا عَلَى عَوَجٍ.

वज़ाहत: इस मसले में अबू ज़र, समुरा और आयशा (رضي الله عنهن) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिमिज़ी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस इस सनद के साथ हसन सहीह ग़रीब है और इसकी सनद बहुत उम्दा है।

13 - अगर किसी आदमी से उसका बाप अपनी बीवी को तलाक़ देने का मुतालबा करे.

1189 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं मेरी एक बीवी थी जिस से मैं मोहब्बत करता था और मेरे वालिद उस से नापसंद करते थे तो मेरे अब्बा जान ने मुझे उस औरत को तलाक़ देने का हुक्म दिया, मैंने इनकार कर दिया, फिर मैंने नबी करीम (ﷺ) से इस बात का तजक़िरा किया तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “ऐ अब्दुल्लाह बिन उमर अपनी बीवी को तलाक़ दे दो।”

हसन अबू दाऊद: 5138. इब्ने माजा: 2088

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और हम इसे सिर्फ़ इब्ने अबी जिब की सनद से जानते हैं।

14 - औरत अपनी बहन (सौतन) की तलाक़ का मुतालबा न करे.

1190 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “औरत अपनी बहन (सौतन) की तलाक़ का मुतालबा न करे ताकि जो उसके बर्तन में है वह भी अपनी तरफ़ उंडेल ले।”

बुख़ारी: 2140. मुस्लिम: 1413. अबू दाऊद: 2176. निसाई: 3239.

13 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَسْأَلُهُ أَبُوهُ أَنْ يُطَلِّقَ زَوْجَتَهُ

1189 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أُنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذُنَبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَمْرَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ أُحِبُّهَا، وَكَانَ أَبِي يَكْرَهُهَا، فَأَمَرَنِي أَبِي أَنْ أَطْلُقَهَا، فَأَيْتُتْ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، طَلِّقْ امْرَأَتَكَ.

14 بَابُ مَا جَاءَ لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا

1190 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَتْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِي مَا فِي إِيَّاهَا.

वज़ाहत: इस मसले में उम्मे सलमा (رضی اللہ عنہا) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिमिज़ी (رحمۃ اللہ علیہ) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضی اللہ عنہ) की हदीस हसन सहीह है।

15 - पागल शख्स की तलाक़.

1191 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “हर तलाक़ जायज़ है सिवाये पागल की तलाक़ के जिसकी अक़्क़ ख़त्म हो गई हो।”

ज़ईफ़ जिदा.

15 بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ

1191 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصُّنْعَانِيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ خَالِدِ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ، إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رحمۃ اللہ علیہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस सिर्फ़ अता बिन अजलान की सनद से ही मफू है और अता बिन अजलान ज़ईफ़ और हदीस भूलने वाला रावी है। नीज नबी करीम (ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से अहले इल्म का इसी पर अमल है कि पागल शख्स की जिसकी अक़्क़ ख़त्म हो चुकी हो, तलाक़ जायज़ नहीं है। मगर ऐसा पागल जो कभी-कभी ठीक भी हो जाता हो वह अपने इफाका के वक़्त तलाक़ दे तो वाक़ेअ हो जायेगा।

16 - अतलाक मर्तानि का शाने नुज़ूल

1192 - सय्यदा आयशा (رضی اللہ عنہا) बयान करती हैं कि लोगों की हालत यह थी कि आदमी अपनी बीवी को जितनी चाहता तलाक़ दे देता और जब वह इहत में होती उस से रुजू कर लेता, वह औरत उसकी बीवी ही रहती अगरचे वह सौ मर्तबा से भी ज़्यादा तलाक़ दे देता। यहाँ तक कि एक आदमी ने अपनी बीवी से कहा न मैं तुम्हें तलाक़ दूंगा कि तुम मुझसे जुदा हो जाओ

16 بَابُ نَزُولِ قَوْلِهِ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ}

1192 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ شَيْبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ وَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَا شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَهَا، وَهِيَ امْرَأَتُهُ إِذَا ارْتَجَعَهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ، وَإِنْ طَلَّقَهَا مِائَةً مَرَّةٍ أَوْ أَكْثَرَ، حَتَّى قَالَ رَجُلٌ لِمْرَأَتِهِ: وَاللَّهِ

और न ही मैं तुम्हें (अपने बिस्तर पर) जगह दूंगा। वह कहने लगी कैसे? उसने कहा मैं तुम्हें तलाक़ दूंगा फिर जब तुम्हारी इहत खत्म हो जाएगी तो मैं रुजू कर लूंगा। वह औरत सय्यदा आयशा (ﷺ) के पास गई और उन्हें यह बात बताई, सय्यदा आयशा (ﷺ) खामोश रहीं यहाँ तक कि नबी करीम (ﷺ) तशरीफ़ लाये तो उनको बताया, नबी करीम (ﷺ) भी खामोश रहे यहाँ तक कि कुरआन नाजिल हुआ : “तलाक़ दो मर्तबा है फिर अच्छे तरीके के साथ बीवी को रखना है या एहसान के साथ छोड़ देना है।” (अल- बकरा : 229) आयशा (ﷺ) फ़रमाती है: फिर लोगों ने आइन्दा के लिए नए सिरे से तलाक़ का हिसाब रखा जिसने तलाक़ दी थी और जिसने नहीं भी दी थी।

ज़ईफ़: हाकिम: 2/ 279.

वज़ाहत: अबू ईसा फ़रमाते हैं: हमें अबू कुरैब मोहम्मद बिन यअला ने (वह कहते हैं:) हमें अब्दुल्लाह बिन इदरीस ने बवास्ता हिशाम बिन उर्वा अपने बाप से इसी हदीस के मफ़हूम की हदीस बयान की है और इसमें आयशा (ﷺ) का ज़िक्र नहीं किया। इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह याला बिन हबीब की हदीस से ज़्यादा सहीह है।

17 - हामिला बेदा जब बच्चा जन्म दे.

1193 - अबू सनाबिल बिन बाकक (ﷺ) बयान करते हैं कि सुबैया ने अपने खाविंद की वफ़ात के तेईस या पच्चीस दिन बाद बच्चे को जन्म दिया, जब निफ़ास से पाक हो गयीं तो निकाह के लिए ज़ीनत इख़ितयार की, उन पर

لَا أُطَلِّقُكَ فَتَبِينِي مِنِّي، وَلَا أَوِيكَ أَبَدًا، قَالَتْ: وَكَيْفَ ذَاكَ؟ قَالَ: أُطَلِّقُكَ، فَكُلَّمَا هَمَّتْ عِدَّتُكَ أَنْ تَنْقُضِي رَاجِعْتُكَ، فَذَهَبَتْ الْمَرْأَةُ حَتَّى دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهَا، فَسَكَتَتْ عَائِشَةُ، حَتَّى جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ، فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَمَا مَسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَاسْتَأْنَفَتِ النَّاسُ الطَّلَاقَ مُسْتَقْبَلًا مَن كَانَ طَلَّقَ، وَمَن لَمْ يَكُنْ طَلَّقَ.

17 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَضَعُ

1193 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكُكٍ قَالَ: وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ

इस काम का एतराज़ किया गया और नबी करीम (ﷺ) से ज़िक्र किया गया तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “अगर वह यह काम कर ले तो जायज़ है क्योंकि उसकी इहत गुज़र चुकी है।

बुखारी: 2027. निसाई: 3508.

वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें अहमद बिन मुनी ने वह कहते हैं: हमें हसन बिन मूसा ने शैबान बिन मूसा से इसी तरह की हदीस रिवायत की है और इस मसले में उम्मे सलमा (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: अबू सनाबिल की हदीस इस सनद के साथ मशहूर ग़रीब है और हमारे इल्म के मुताबिक़ अस्वद की अबू सनाबिल से मुलाक़ात नहीं हुई और मैंने मोहम्मद (बिन इस्माईल बुखारी (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना मैं नहीं जानता कि अबू सनाबिल (ﷺ) नबी करीम (ﷺ) के बाद ज़िंदा रहे हैं।

नीज नबी अकरम (ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से जुम्हूर उलमा का इसी पर अमल है कि बेवा हामिला औरत जब बच्चे को जन्म दे देगी तो उसके लिए शादी करना हलाल होगा अगरचे उसकी इहत पूरी न भी हुई हो। सुफ़ियान सौरी, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ का भी यही कौल है।

जबकि नबी करीम (ﷺ) के बाज़ (कुछ) अस्हाब और दीगर लोगों में से कुछ अहले इल्म कहते हैं कि वह आख़िरी मुद्दत को इहत बना कर गुज़ारेगी। लेकिन पहला कौल ज़्यादा सहीह है।

1194 - सुलैमान बिन यसार (ﷺ) से रिवायत है कि अबू हरैरा, इब्ने अब्बास और अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान (ﷺ) ने आपस में उस औरत का ज़िक्र किया जो हामिला हो, उसका ख़ाविन्द फौत हो जाए और वह अपने शौहर की वफ़ात के बाद बच्चे को जन्म दे, इब्ने अब्बास (ﷺ) ने फ़रमाया, वह आख़िरी इहत गुज़ारेगी, अबू सलमा (ﷺ) ने कहा : वह बच्चे को जन्म देकर इहत से निकल जाएगी और अबू हरैरा ने कहा : मैं अपने भतीजे अबू सलमा के साथ हूँ, फिर उन्होंने नबी

وفاة زوجها بثلاثة وعشرين، أو خمسة وعشرين يومًا، فلما تعلت تشوّفت للنكاح، فأُكِّرَ عليها، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن فعلت فقد حلَّ أجلها.

1194 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ،

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ تَذَكَّرُوا الْمَتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الْحَامِلَ تَضَعُ عِنْدَ وِفَاةِ زَوْجِهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَعْتَدُ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ، وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: بَلْ تَحِلُّ حِينَ تَضَعُ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أُخِي، يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ، فَأَرْسَلُوا إِلَى أُمِّ

करीम (ﷺ) की जौजा मुतहहरा सय्यदा उम्मे सलमा की तरफ पैगाम भेजा तो उन्होंने फ़रमाया, सुबैआ अस्लमिया ने अपने शौहर की वफात के चन्द दिन बाद बच्चे को जन्म दिया था, फिर उस ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से मसूअला दर्याफ़्त किया तो आप ने उसे शादी करने का हुक्म दिया था।

बुखारी: 4909. मुस्लिम: 1485. निसाई: 3509, 3516

वज़ाहत: 1) जिस औरत का शौहर फौत हो जाए उसकी इद्दत चार माह और दस दिन है और हामिला औरत की इद्दत वज़ए हमल है। इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) का मौकिफ़ था कि जो इद्दत बाद में पूरी हो रही है वह इद्दत उस औरत को गुजारना पड़ेगी, यानी वफात के तीस दिन बाद बच्चे को जन्म दे देती है तो चार माह और दस दिन पूरे करेगी और अगर शौहर की वफात के वक़्त हमल एक, दो माह का है तो जब हमल वज़ा करेगी तब उसकी इद्दत ख़त्म होगी न कि चार माह और दस दिन गुजरने पर लेकिन सहीह बात यही है की हामिला की इद्दत वज़ए हमल (बच्चे को जन्म देना) ही है।

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

18 - बेवा की इद्दत का बयान.

अबू ईसा फ़रमाते हैं: "हमें मअन बिन ईसा ने वह कहते हैं, हमें मालिक बिन अनस ने उन्हें अब्दुल्लाह बिन अबी बक्र बिन मोहम्मद बिन अग्र बिन हज़म ने बयान किया कि हुमैद बिन नाफ़े कहते हैं: सय्यदा ज़ैनब बिनते अबी सलमा (رضي الله عنها) ने उन्हें (दर्ज ज़ेल) यह तीन अहादीस बयान की है:

1195 - ज़ैनब (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं: मैं नबी करीम (ﷺ) की बीवी सय्यदा उम्मे हबीबा (رضي الله عنها) के पास गई जब उनके वालिद अबू सुफ़ियान बिन हर्ब (رضي الله عنه) फौत हुए। उन्होंने

سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: قَدْ وَصَعْتُ سُبُعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِبَيْسِيرٍ، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ.

18 بَاب مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.

حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عَيْسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ:

1195 - قَالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ،

खुशबू मंगवाई जिसमें जर्द रंग की मुरक्कब⁽¹⁾ खुशबू भी थी, उन्हें एक लकड़ी मिली फिर अपने रुखसारों पर लगाई, फिर फ़रमाने लगीं: अल्लाह की क़सम मुझे खुशबू की ज़रूरत नहीं है लेकिन मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ)को फ़रमाते हुए सुना है:” जो औरत अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखती है उस के लिए किसी मय्यत पर तीन दिन से ज़्यादा सोग⁽¹⁾ करना जायज़ नहीं है सिवाए खाविंद के उस पर चार महीने और दस दिन है।”

बुखारी: 1280. मुस्लिम: 1486. अबू दाऊद: 2299.
इब्ने माजा:2084. निसाई:3500.

तौज़ीह: एक मुरक्कब खुशबू थी जिस में ज़ाफ़रान की खासी मिक्कदार (मात्रा) की वजह से ज़र्दी ग़ालिब होती थी। نُحِدٌ: औरत का अपने खाविंद की मौत पर सोग करना। (अल-मोजमुल वसीत:पृ. 189) सोग का मतलब है : जीनत को छोड़ देना, रोना, पीटना या दीगर जहालत वाले काम करना।

1196 - सय्यदा ज़ैनब (رضي الله عنها) फ़रमाती है: जब ज़ैनब बिन्ते जहश (رضي الله عنها) के भाई फौत हुए तो मैं भी उनके पास गई तो उन्होंने भी खुशबू मंगवा कर लगवाई, फिर फ़रमाने लगीं: अल्लाह की क़सम! मुझे खुशबू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ)को फ़रमाते हुए सूना था: जो औरत अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखती है उसके लिए किसी मय्यत पर तीन दिन और रातों से ज़्यादा सोग करना हलाल नहीं है सिवाए शौहर के वह चार माह और दस दिन हैं।”

बुखारी: 1282; मुस्लिम: 1487. अबू दाऊद: 2299.
निसाई: 3533.

فَدَعَتْ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ، أَوْ غَيْرُهُ، فَذَهَنْتُ بِهِ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِغَارِضِيهَا، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحَدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

1196 - قَالَتْ زَيْنَبُ: فَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوْفِّي أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيبٍ، فَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي فِي الطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحَدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

1197 - सय्यदा ज़ैनब (رضی اللہ عنہا) فرमाती हैं और मैंने अपनी वालिदा सय्यदा उम्मे सलमा को फ़रमाते हुए सुना : एक औरत रसूलुल्लाह (ﷺ) की खिदमत में हाज़िर हो कर कहने लगी : ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी बेटी का खाविंद फौत हो गया है और उसकी आँखें खराब हो गई हैं क्या हम उसे सुर्मा लगा सकते हैं? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “नहीं” (दो या तीन मर्तबा उसने यही पूछा) आप (ﷺ) हर बार यही फ़रमाते: “नहीं” फिर आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “यह तो सिर्फ़ चार माह और दस दिन हैं, जब कि जाहिलियत में औरत साल गुजरने पर ऊँट की मेंगनी फेंकती थी।”⁽¹⁾

बुखारी: 3536. मुस्लिम: 1488. अबू दाऊद: 2299.
इब्ने माजा: 2084. निसार्ई: 3501.

तौज़ीह: (1) यह जाहिलियत में औरत के इदत की तरफ इशारा है। जाहिलियत में जब किसी औरत का खाविंद मर जाता तो वह एक तंग व तारीक मकान में दाखिल हो जाती और बोसीदा लिबास जेब तन करके वहाँ रहती, फिर जब एक साल उसी हालत में गुज़र जाता तो एक जानवर या परिदा लाया जाता वह उस जानवर के मुंह को अपनी शर्मगाह के साथ रगड़ती फिर उसे ऊँट की एक मेंगनी दी जाती वह उसे फेंकती इस तरह उसकी इदत पूरी हो जाती थी।

वज़ाहत: इस मसले में अबू सईद अल-खुदरी (رضی اللہ عنہ) की बहन फरीया बन्ते मालिक सिनान और हफसा बन्ते उमर (رضی اللہ عنہ) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिमिज़ी (رحمۃ اللہ علیہ) फ़रमाते हैं: ज़ैनब (رضی اللہ عنہا) की हदीस हसन सहीह है और नबी करीम (ﷺ) के सहाबा व ताबेईन का इसी पर अमल है कि बेवा औरत अपनी इदत में खुशबू और जीनत से परहेज़ करे। सुफ़ियान सौरी, मालिक बिन अनस, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक (رحمۃ اللہ علیہ) का भी यही कौल है।

1197 - قَالَتْ زَيْنَبُ: وَسَمِعْتُ أُمَّيْ أُمَّ سَلَمَةَ، تَقُولُ: جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنَتِي تُؤْفِي عَنْهَا زَوْجَهَا، وَقَدْ اشْتَكَّتْ عَيْنَيْهَا، أَفَتَكْخُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلِّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ.

19 - जिहार करने वाला अगर कफ़ारा अदा करने से पहले बीवी से सोहबत कर ले.

19 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَظَاهِرِ يُوَاتِقُ قَبْلَ أَنْ يُكْفَرَ

1198 - सय्यदना सलमा बिन सखर बयाज़ी (رضي الله عنه) नबी करीम (ﷺ) से उस जिहार⁽¹⁾ करने वाले के बारे में जो कफ़ारा अदा करने से पहले अपनी बीवी से सोहबत कर ले बयान करते हैं कि आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “एक ही कफ़ारा है।”

सहीह: इब्ने माजा: 2064. मुसनद अहमद: 4/37. दारमी: 2278.

1198 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرِ الْبَيْتَاضِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَظَاهِرِ يُوَاتِقُ قَبْلَ أَنْ يُكْفَرَ قَالَ: كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.

तौज़ीह: (1) आदमी का अपनी बीवी को अपनी मां की तरह करार देने को जिहार कहा जाता है और ऐसा करने वाला मुज़ाहिर कहलाता है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है और जुम्हूर उलमा का इसी पर अमल है, सुफ़ियान सौरी, मालिक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رضي الله عنه) भी यही कहते हैं।

बाज़ (कुछ) कहते हैं: जब कफ़ारा अदा करने से पहले हम बिस्तरी कर ले तो उस पर दो कफ़ारे होंगे। यह कौल अब्दुरहमान बिन महदी (رضي الله عنه) का है।

1199 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि एक आदमी नबी करीम (ﷺ) के पास आया, उसने अपनी बीवी से जिहार किया था (और कफ़ारा दिए बग़ैर) अपनी बीवी से सोहबत कर ली थी, कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने अपनी बीवी से जिहार किया था और कफ़ारा अदा करने से पहले उस से सोहबत कर ली है। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “इस काम पर तुम्हें किस चीज़ ने

1199 - حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنِيُّ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ ظَاهَرْتُ مِنْ زَوْجَتِي،

उभारा था? अल्लाह तुझ पर रहम करे” उस ने कहा: मैंने चाँद की रोशनी में उसकी पाजेब देख ली थी, आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “जब तक तुम वह काम न कर लो जिसका अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है उसके करीब न जाना।”

अबू दाऊद: 2223. इब्ने माजा: 2065.

वज़ाहत: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है।

20 - जिहाद का कफ़ारा.

1200 - अबू सलमा और मोहम्मद बिन अब्दुरहमान बिन सौबान (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि सलमान बिन सरखर जो बनू बयाज़ा के आदमी थे, उन्होंने अपनी बीवी को अपने ऊपर अपनी माँ की पीठ की तरह करार दिया यहाँ तक कि रमज़ान गुज़र जाए, जब रमज़ान आधा गुज़रा तो उन्होंने एक रात अपनी बीवी से सोहबत कर ली, फिर अल्लाह के रसूल (ﷺ) के पास आकर आप से ज़िक्र किया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “एक गुलाम आज़ाद करो” उस ने कहा: उसकी ताक़त नहीं है। आप ने फ़रमाया, “दो महीने के मुसलसल रोज़े रखो” उस ने कहा: मैं उसकी ताक़त भी नहीं रखता। अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़रवा बिन अग्र से फ़रमाया, “उसे यह अर्क दे दो। अर्क एक टोकरा है जिस में 15 या 16 साअ गल्ला आ जाता है। जो साठ मिस्कीनों का खाना है।

सहीह: अबू दाऊद: 2213. इब्ने माजा: 2062.

فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أَكْفَرَ، فَقَالَ: وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ؟ قَالَ: رَأَيْتُ خَلْخَالَهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ، قَالَ: فَلَا تَقْرُبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ بِهِ.

20 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَفَّارَةِ الظَّهَارِ

1200 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْخَزَّازِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، أَنَّ سَلْمَانَ بْنَ صَخْرٍ الْأَنْصَارِيَّ، أَخَذَ بِي بِيَاضَةَ جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ كَظْهَرِ امْتِهِ حَتَّى يَمْضِيَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا مَضَى نَصَفَ مِنْ رَمَضَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا لَيْلًا، فَآتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْتَقَ رَقَبَةً، قَالَ: لَا أَجِدُهَا، قَالَ: فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ، قَالَ: أَطْعِمْ سِتِينَ مِسْكِينًا، قَالَ: لَا أَجِدُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفِرْوَةَ بْنِ عَمْرٍو:

أَعْطَاهُ ذَلِكَ الْعَرَقَ وَهُوَ مِثْلُ يَأْخُذُ خَمْسَةَ
عَشَرَ صَاعًا، أَوْ سِتَّةَ عَشَرَ صَاعًا إِطْعَامَ
سِتِّينَ مِسْكِينًا.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (रह) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। उन्हें सलमान बिन सखर और सलमा बिन सखर बयाजी भी कहा जाता है। और अहले इल्म का अमल कफ़र-ए-ज़िहार में इसी हदीस पर है।

21 - ईला का बयान.

1201 - सय्यदा आयशा (रह) रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह (रह) ने अपनी बीवियों से ईला⁽¹⁾ किया और (उन से मुबाशिरत वगैरह को अपने ऊपर) हाराम कर लिया। (फिर) जिस चीज़ को हाराम किया था उसे हलाल कर लिया और अपनी क़सम का कफ़ारा दे दिया।

ज़ईफ़ इब्ने माज़ा: 2072. इब्ने हिब्बान: 4278. बेहकी: 7/352

(1) शौहर का अपनी बीवियों के पास न जाने की क़सम उठा लेने को ईला कहा जाता है। यह चार माह तक हो सकता है उस के बाद खाविंद को कहा जाएगा कि वह ईला को ख़त्म करे या तलाक़ दे दे।

वज़ाहत: इस मसले में अनस और अबू हुरैरा (रह) से भी हदीस मवीं है।

इमाम तिरमिज़ी (रह) फ़रमाते हैं: मस्लमा बिन अल्क़मा की दाऊद से बयान की गई हदीस; जिसे अली बिन मुस्हिर वगैरह ने बवास्ता दाऊद शाबी से हदीसे नबवी को मुसल रिवायत किया है, इस में मस्बूक और आयशा का वास्ता नहीं है। यह मस्लमा बिन अल्क़मा की हदीस से ज़्यादा सहीह है।

और ईला यह है कि आदमी चार माह या उस से ज़्यादा अर्सा के लिए अपनी बीवी के पास ना जाने की क़सम उठा ले। और चार महीने गुज़र जाने पर अहले इल्म का इख़ितलाफ़ है।

नबी करीम (रह) के सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं जब चार महीने गुज़र जायेंगे तो उसे (काज़ी के सामने) पेश किया जाएगा कि या तो ईला को ख़त्म करे या फिर तलाक़ दे। यही कौल मालिक बिन अनस, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (रह) का है।

21 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِيلَاءِ

1201 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ الْبَصْرِيُّ،
قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا
دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ
عَائِشَةَ، قَالَتْ: آتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ، وَحَرَّمَ، فَجَعَلَ الْحَرَامَ
خِلَافًا، وَجَعَلَ فِي الْيَمِينِ كَفَّارَةً.

जबकि नबी करीम (ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से कुछ उलमा कहते हैं कि जब चार माह गुजर जाएँ तो यह एक तलाके बाइना होगी। सुफ़ियान सौरी और अहले कूफा का भी यही कौल है।

22 - लिआन का बयान.

22 بَابُ مَا جَاءَ فِي اللَّعَانِ

1202 - सईद बिन जुबैर (رضي الله عنه) कहते हैं: मुसअब बिन जुबैर की इमारत के दौर में मुझे से लिआन⁽¹⁾ करने वाले मियाँ बीवी के बारे में पूछा गया कि क्या उनके दर्मियान अलाहिदगी (जुदाई) कर दी जाए? मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कहूँ, तो मैं उसी वक़्त सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) के घर की तरफ गया और उनके पास जाने की इजाज़त मांगी तो कहा गया वह कैलूला कर रहे हैं। उन्होंने मेरी आवाज़ सुन ली, फ़रमाने लगे: इब्ने जुबैर हो आ जाओ। तुम किसी ज़रूरत के तहत ही आए होंगे। कहते हैं: मैं दाखिल हुआ तो (देखा) वह ऊँट के कजावे के नीचे रखी जाने वाली चादर पर लेटे हुए थे। मैंने कहा: ऐ अबू अब्दुर्रहमान! क्या लिआन करने वाले मियाँ बीवी के दर्मियान अलाहिदगी (जुदाई) कर दी जाएगी? उन्होंने कहा, सुब्हान अल्लाह! हौँ इस बारे में सबसे पहले फुलां बिन फुलां ने पूछा था, वह नबी करीम (ﷺ) के पास आकर कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! अगर हम में से कोई शख्स अपनी बीवी को बुराई के काम पर (यानी ज़िना करते हुए) देखे तो क्या करे? अगर बोलता तो बहुत बड़ी बात है और अगर खामोश रहता है तो भी बहुत बड़ी बात पर खामोश रहता है। तो रसूलुल्लाह (ﷺ)

1202 - حَدَّثَنَا هُنَّادُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سُئِلْتُ عَنْ الْمُتَلَاعِنِينَ فِي إِمَارَةِ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَيَفْرَقُ بَيْنَهُمَا؟ فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ، فَكُنْتُ مَكَانِي إِلَى مَنْزِلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ اسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ، فَقِيلَ لِي: إِنَّهُ قَائِلٌ، فَسَمِعَ كَلَامِي، فَقَالَ: ابْنُ جُبَيْرٍ ادْخُلْ، مَا جَاءَ بِكَ إِلَّا حَاجَةٌ؟ قَالَ: فَدَخَلْتُ، فَإِذَا هُوَ مُفْتَرِشٌ بِرَدْعَةٍ رَحِلٍ لَهُ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُتَلَاعِنَانِ أَيَفْرَقُ بَيْنَهُمَا؟ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، نَعَمْ، إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَلَانُ بْنُ فُلَانٍ، أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَحَدَنَا رَأَى امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ إِنْ تَكَلَّمَ، تَكَلَّمَ بِأَمْرِ عَظِيمٍ، وَإِنْ سَكَتَ،

खामोश हो गए कोई जवाब न दिया। जब अगला दिन हुआ तो नबी करीम (ﷺ) के पास आकर कहने लगा: जिस चीज़ के बारे में मैंने आप से पूछा था इस से मैं खुद ही दो चार हो गया हूँ तो अल्लाह तआला ने सूरह नूर की ये आयात नाजिल फर्मायीं: “और वह लोग जो अपनी बीवियों पर जिना की तोहमत लगाते हैं और खुद ही गवाह होते हैं।” (अनूर: 10) आप (ﷺ) ने उस आदमी को बुलाया और उस से यह आयात पढ़ कर सुनायीं और उसे वाज़ो नसीहत करते हुए बताया कि दुनिया का अजाब आखिरत के अज़ाब से आसान है। उस आदमी ने कहा: “नहीं” उस ज़ात की क़सम जिस ने आप को हक़ के साथ मबऊस किया है मैंने उस पर झूठ नहीं बोला। फिर आप (ﷺ) ने औरत को यह बात दोहराई और उसे वाज़ो नसीहत करते हुए बताया कि दुनिया का अज़ाब आखिरत के अज़ाब से आसान है। उस ने कहा नहीं, उस ज़ात की क़सम जिसने आप को हक़ के साथ मबऊस किया है उस ने सच नहीं कहा। (इब्ने उमर (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं फिर मर्द से (कसमों की इब्तिदा की), उस ने अल्लाह के नाम की चार गवाहियां दी कि वह सच्चा है और पांचवीं दफा कहा अगर वह झूठा हो तो उस पर अल्लाह की लानत हो, फिर औरत से यह काम शुरू करवाया, उस ने अल्लाह के नाम की चार गवाहियां दी कि उसका शौहर झूठा है और पांचवीं मर्तबा कहा: अगर वह सच्चा हो तो मुझपर अल्लाह का गज़ब हो। फिर आप (ﷺ)

سَكَتَ عَلَىٰ أَمْرٍ عَظِيمٍ . قَالَ: فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ . فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ، أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدْ ابْتُلِيَتْ بِهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَاتِ الَّتِي فِي سُورَةِ النُّورِ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ} حَتَّىٰ خَتَمَ الْآيَاتِ تَدْعَا الرَّجُلَ، فَتَلَا الْآيَاتِ عَلَيْهِ، وَوَعَّظَهُ، وَذَكَرَهُ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ فَقَالَ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا كَذَّبْتُ عَلَيْهَا . ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ، فَوَعَّظَهَا، وَذَكَرَهَا، وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ، فَقَالَتْ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا صَدَقَ . قَالَ: فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ، فَشَهِدَ أَنْتَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وَالْخَامِسَةَ أَنْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ . ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ فَشَهِدَتْ أَنْتَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، وَالْخَامِسَةَ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ

عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ. **ने उन दोनों के दर्मियान अलाहिदगी (जुदाई) कर दी।**
ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

बुखारी: 4748. मुस्लिम: 1493. अबू दाऊद: 2258.
निसाई: 3457. 3473.

तौज़ीह: (1) अगर खाविंद अपनी बीवी पर जिना की तोहमत लगाए और बीवी उसका इनकार करे तो फिर शरीअत ने उनके दर्मियान जुदाई और सज़ा दूर करने का एक तरीका मुकरर किया है जिसे लिआन कहा जाता है। तफसील इस हदीस में मौजूद है।

वज़ाहत: इस मसले में सहल बिन साद, इब्ने अब्बास, हुजैफा और इब्ने मसऊद (رضي الله عنه) से भी हदीस मवी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और उलमा का इसी हदीस पर अमल है।

1203 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि एक आदमी ने अपनी बीवी से लिआन किया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनके दर्मियान अलाहिदगी कर दी और बच्चे को मां के साथ मिला दिया।⁽¹⁾

बुखारी: 4748. मुस्लिम: 1498. अबू दाऊद: 2259.
इब्ने माजा: 2069. निसाई: 3477.

तौज़ीह: यानी बच्चे की निस्बत उस आदमी की तरफ़ नहीं की जाएगी क्योंकि मर्द ने इल्ज़ाम लगाया है कि यह बच्चा जिना का है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और उलमा का इसी हदीस पर अमल है।

1203 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَأَعَنَّ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ، وَفَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا، وَالْحَقُّ الْوَلَدَ بِالْأُمِّ.

23 - जिस औरत का खाविंद फौत हो जाए, वह इहत कहाँ गुजारे?

23 بَابُ مَا جَاءَ أَيُّنَ تَعْتَدُّ الْمُتَوَقِّي عَنْهَا زَوْجَهَا؟

1204 - सय्यदना अबू सईद अल-खुदरी (رضي الله عنه) की बहन सय्यदा फरीया बिन्ते मालिक बिन सिनान (رضي الله عنه) बयान करती है कि उन्होंने

1204 - حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سَعْدِ بْنِ

रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास जाकर पूछा कि वह वापस अपने कबीले बनू खुदरह में अपने घर चली जायें? (इस लिए कि) उनके शौहर अपने भगौड़े गुलामों की तलाश में निकले थे यहाँ तक कि जब वह क़दूम के किनारे पर पहुंचे तो उनसे जा मिले और उन गुलामों ने उसे क़त्ल कर दिया, कहती हैं: मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से अपने अहल के पास जाने का पूछा क्योंकि मेरे शौहर ने मेरे लिए कोई रिहाइश नहीं छोड़ी जिसका वह मालिक हो और न ही ख़र्च छोड़ा था तो अल्लाह के रसूल(ﷺ) ने फ़रमाया, “हाँ। (जा सकती हो)” कहती हैं मैं वापस मुड़ी यहाँ तक कि जब मैं मस्जिद या हुज्रा में थी तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुझे ख़ुद आवाज़ दी या आपने हुकम दिया और मुझे बुलाया गया, आप(ﷺ) ने फ़रमाया, “तुमने क्या कहा था?” मैंने अपने शौहर का सारा किस्सा दोबारा सुनाया तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, “इहत पूरी होने तक अपने घर में रहो।” कहती हैं: मैंने उस घर में चार माह दस दिन इहत गुज़ारी। फ़रमाती हैं: जब उस्मान (رضي الله عنه) खलीफ़ा हुए तो उन्होंने मेरी तरफ़ पैगाम भेज कर मुझ से इस बारे में पूछा, मैंने बताया तो उन्होंने उसकी पैरवी करते हुए फ़ैसला किया था।

सहीह: अबू दाऊद: 2300. इब्ने माजा:2031. निसाई: 3532, 3528.

إِسْحَاقُ بْنُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبِ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَيْتِ خُدْرَةَ، وَأَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبِدٍ لَهُ أَبُقْرًا، حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرْفِ الْقُدُومِ لِحِقْمَهُمْ فَتَقَلَّبَتْهُ. قَالَتْ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي، فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْ لِي مَسْكَنًا يَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةً. قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ. قَالَتْ: فَانصَرَفْتُ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ، أَوْ فِي الْمَسْجِدِ، نَادَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ أَمَرَ بِي فَتَوَدَّعْتُ لَهُ، فَقَالَ: كَيْفَ قُلْتِ؟، قَالَتْ: فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ لَهُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي، قَالَ: امْكُتِي فِي بَيْتِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ. قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ أَرْسَلَ إِلَيَّ، فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ.

वज़ाहत: अबू ईसा फ़रमाते हैं: हमें मोहम्मद बिन बश्शार ने (वह कहते हैं:) हमें यहया बिन सईद ने

(वह कहते हैं:) हमें साद बिन इस्हाक़ बिन काब बिन उम्मा ने इसी तरह की हदीस बयान की है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है नीज नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से अक्सर उलमा इसी पर अमल करते हुए बेवा औरत के लिए इद्दत पूरी होने तक अपने शौहर के घर से किसी और जगह मुन्तकिल होना दुरुस्त नहीं समझते। सुफ़ियान सौरी, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمته الله عليه) इसी के क़ायल हैं।

जब कि नबी करीम(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से कुछ उलमा कहते हैं: औरत को रूख़सत है। जहां चाहे इद्दत गुज़ारे अगरचे अपने खाविंद के घर में न भी इद्दत गुज़ारे। तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं पहला कौल ज़्यादा सहीह है।

खुलासा.

- तलाक़ उस तोहर (पाकी) में दी जाए जिसमें सोहबत न की हो।
- बीवी को इख़्तियार देने से तलाक़ वाक़ेअ नहीं होती।
- तलाक़े बाइना वाली औरत की रहाइश और ख़र्च आदमी के ज़िम्मा नहीं है।
- तलाक़ का ख़याल आने से तलाक़ वाक़े नहीं होती।
- खुला लेना मशरूह(दुरुस्त) है लेकिन बिला वजह खुला लेने वालियों को मुनाफ़िक़ात कहा गया है।
- कोई औरत अपनी सौतन के तलाक़ की मुतालबा नहीं कर सकती।
- हामिला औरत की इद्दत वज़ए हमल (बच्चा जनना) है।
- बेवा की इद्दत चार माह दस दिन है सिवाए हामिला के, उसकी इद्दत वज़ए हमल ही है।
- ज़िहार का कफ़ारा तर्तीब के साथ: एक गुलाम आज़ाद करना, साठ मिस्कीनों को खाना खिलाना या दो महीने के मुसलसल रोज़े रखना है।
- ईला ज़्यादा से ज़्यादा चार माह तक हो सकता है।
- अगर लिआन की नौबत आ जाए तो औरत मर्द के साथ नहीं रह सकती और बच्चे की निस्बत मां की तरफ़ होगी।
- बेवा औरत खाविंद के घर में इद्दत गुज़ारे।

मज़मून नम्बर 12

أَبْوَابُ الْبَيْعِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 रसूलुल्लाह(ﷺ) से मर्वी तिजारत के अहकाम व मसाइल

तआरुफ़

117 अहादीस के साथ 77 अबवाब पर मुश्तमिल यह उन्वान इन मजामीन पर मुहीत है:

- तिजारत कैसे की जाए?
- तिजारत की कौन- कौन सी क्रिम्में हलाल और कौन- कौन सी हराम हैं.
- कौन से पेशे इखितयार करना हराम हैं.
- शराब का हुक्म?
- लेन- देन की क्या शर्तें हैं?

1 - शुब्हा वाली चीजों को छोड़ देने का
 बयान.

1205 - सय्यदना नौमान बिन बशीर(رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते हुए सूना कि हलाल वाज़ेह है और हराम भी वाज़ेह है और उनके दर्मियान कुछ शुब्हा वाली चीजें हैं, बहुत से लोग नहीं जानते कि यह हलाल हैं या हराम, सो जो शख्स उनको भी छोड़ दे ताकि उसका दीन और इज़ज़त बच जाए

1 بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الشُّبُهَاتِ

1205 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لَا

तो यकीनन वह सलामत रहा और जो शख्स उन शुब्हात में से किसी चीज़ में चला गया हो सकता है वह हराम काम में चला जाए, जिस तरह वह शख्स जो सरकारी चरागाह के इर्द गिर्द (जानवरों को) चराता है हो सकता है वह इसमें चला जाए। ख़बरदार! हर बादशाह की एक चरागाह होती है, ख़बरदार! अल्लाह की चरागाह उसके हराम कर्दा काम हैं।”

बुखारी: 52. मुस्लिम: 1599. अबू दारुद: 3399. इब्ने माजा: 3984. निसाई: 4453.

तौज़ीह: (1) जिनके बारे में कुरआन व हदीस में कोई वाज़ेह नस (दलील नहीं है कि हराम है या हलाल, फिर इज्तिहाद के मामले में कोई उसे जायज़ कहता है तो कोई नाजायज़; जैसा कि क्रिस्तों पर अश्या (चज़ों) को लेने देने का कारोबार है, कुछ इसे हलाल और कुछ हराम कहते हैं और उसका ताल्लुक भी मुश्तबा चीज़ों से है, इसी लिए उसे छोड़ना ही बेहतर है। ताकि हराम से महफूज़ हो जाए। (अल्लाह तआला बेहतर जानता है।)

حی: महफूज़ जगह, चरागाह जिसमें आम लोगों को जानवर चराने की इजाज़त न हो। (मोजमुल वसीत: प 237)

वज़ाहत: अबू ईसा (رضی اللہ عنہ) فرमाते हैं: हमें हनाद ने (वह कहते हैं:) हमें वकीअ ने ज़करिया बिन अबी ज़ायदा से उन्होंने शाबी से बवास्ता नौमान बिन बशीर (رضی اللہ عنہ) नबी करीम (ﷺ) से ऐसे ही मआनी व मफ़हूम की हदीस बयान की है।

इमाम तिर्मिज़ी (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज इसे कई रावियों ने बवास्ता शाबी, नौमान बिन बशीर से रिवायत किया है।

2 - सूद खाना.

1206 - सय्यदना इब्ने मसऊद (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सूद खाने वाले, खिलाने वाले, उसकी गवाही देने वाले

2 بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الرِّبَا

1206 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:

और उसकी तहरीर करने वाले पर लानत की है।

मुस्लिम: 1597. अबू दाऊद: 3333. इब्ने माजा: 2270.
निसाई: 3416.

वज़ाहत: इस मसले में उमर, अली, जाबिर और अबू जुहैफा (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी है। नीज अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ
الرِّثَا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدِيهِ، وَكَاتِبَهُ.

3 - झूठ बोलने और झूठी गवाही देने पर वर्ड.

1207 - सय्यदना अनस (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी करीम (ﷺ) ने कबीरा गुनाहों (की वज़ाहत) में फ़रमाया, “अल्लाह के साथ शिर्क करना, वालिदेन की नाफ़रमानी, किसी को क़त्ल करना और झूठी बात (सब कबीरा गुनाह हैं)”

बुखारी: 2653. मुस्लिम: 88. निसाई: 4010.

वज़ाहत: इस मसले में अबू बकर, ऐमन बिन खुरैम और इब्ने उमर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: अनस (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह ग़रीब है।

3 بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّغْلِيظِ فِي الْكَذِبِ وَالرُّوْرِ وَنَحْوِهِ

1207 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى
الصُّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ،
عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ
بِئْنَ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكِبَائِرِ، قَالَ: الشُّرْكُ بِاللَّهِ،
وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَقَوْلُ الرُّوْرِ.

4 - ताजिरोँ का तज़किरा, नीज उनका यह नाम नबी (ﷺ) ने रखा है.

1208 - कैस बिन अबी गरज़ह (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारे पास आए और हम (ताजिरोँ) को समासिरा⁽¹⁾ कहा जाता था तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “ऐ ताजिरोँ की जमात! बेशक शैतान और गुनाह खरीदो-

4 بَابُ مَا جَاءَ فِي التُّجَارِ وَتَسْمِيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُمْ

1208 - حَدَّثَنَا هَنَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ
عِيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ
قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نُسَمَّى

फरोख्त के वक़्त हाज़िर होते हैं (इसलिए) अपनी तिजारत के साथ सदका को मिला लिया करो।”

السَّمَاوَاتِ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ التَّجَارِ، إِنَّ الشَّيْطَانَ، وَالْإِثْمَ يَحْضُرَانِ الْبَيْعَ، فَشُرُوبُوا بِبِعْكُمْ بِالصَّدَقَةِ.

सहीह: अबू दाऊद: 3326. इब्ने माजा: 2145. निसाई: 3797.

तौज़ीह: السَّمَاوَاتِ की जमा है और سَمَار उस शख्स को कहते हैं जो खरीदने और बेचने वाले के दरमियान सहूलत पैदा करने के लिए कमीशन पर सालिसी करता है। जैसे आज कल डीलर हज़रात हैं। तफसील के लिए देखिये: (अल-मोजमुल वसीत: पृ. 530)

वज़ाहत: इस मसले में बरा बिन आजिब और रिफ़ाआ (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: कैस बिन अबी गरजह (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। इसे मंसूर, आमश, हबीब बिन अबी साबित और दीगर रावियों ने भी बवास्ता अबू वाइल कैस बिन अबी गरजह से रिवायत किया है और हम कैस (رضي الله عنه) की नबी करीम (ﷺ) से सिर्फ़ यही हदीस जानते हैं।

अबू ईसा फ़रमाते हैं:) हमें हनाद ने वह कहते हैं: हमें अबू मुआविया ने आमश से बवास्ता शकीक बिन सलमा (और शकीक ही अबू वाइल हैं) कैस बिन अबू गरजह से नबी करीम (ﷺ) की ऐसी ही हदीस बयान की है।

इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

1209 - सय्यदना अबू सईद (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “सच्चा और अमानत दार ताजिर अंबिया, सिद्दीकीन और शोहदा के साथ होगा।”

1209 - حَدَّثَنَا هَنَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ سُوَيْبَانَ، عَنْ أَبِي حَمْرَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ، وَالصَّادِقِينَ، وَالشُّهَدَاءِ.

जईफ़: दारमी: 2542. दोरे कुतनी: 3/7.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है हम इसको सिर्फ़ सौरी की सनद से बवास्ता अबू हमज़ा ही जानते हैं और अबू हमज़ा का नाम अब्दुल्लाह बिन जाबिर है। यह बसरह के रहने वाले बुजुर्ग थे।

नीज हमें सुवैद बिन नख़्र वह कहते हैं: हमें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने बवास्ता सुफ़ियान, अबू हमज़ा से इस सनद के साथ इसी तरह रिवायत की है।

1210 - इस्माईल बिन उबैद बिन रिफ़ाआ (رضی اللہ عنہ) अपने बाप के वास्ते के साथ अपने दादा (रिफ़ाआ (رضی اللہ عنہ) से रिवायत करते हैं कि वह नबी करीम (ﷺ) के साथ इंदगाह की तरफ़ निकले तो आप (ﷺ) ने लोगों को ख़रीदो-फ़रोख़्त करते हुए देखा, आप ने फ़रमाया, “ऐ ताजिरोँ की जमात! यह सुनकर उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को जवाब दिया और अपनी गर्दन और नज़रों आप की तरफ़ उठायीं तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “ताजिरोँ को क़यामत के दिन गुनाहगार बनाकर उठाया जाएगा मगर वह ताजिर जो अल्लाह से डरे, नेकी इख़्तियार करे और सच बोले (ऐसा ताजिर फ़ाजिर नहीं होगा)।”

ज़ईफ़: दारमी: 2541. इब्ने हिब्बान: 4910.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और इन्हें इस्माईल बिन उबैदुल्लाह बिन रिफ़ाआ भी कहा जाता है।

5 - जो शय्ख़ सौदा बेचने के लिए झूठी क़सम उठाता है.

1211 - सय्यदना अबू ज़र (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़रमाया, “तीन आदमी हैं जिनकी तरफ़ क़यामत के दिन अल्लाह तआला नहीं देखेगा, न ही गुनाहों से पाक करेगा और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा” हम ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल वह कौन हैं? वह तो महरूम हो गए और ख़सारे में चले गए। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “एहसान

1210 - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُثَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُصَلَّى، فَرَأَى النَّاسَ يَتَبَايَعُونَ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ، فَاسْتَجَابُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَفَعُوا أَعْنَاقَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّ التُّجَّارَ يَبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا، إِلَّا مَنْ اتَّقَى اللَّهَ، وَتَرَ، وَصَدَقَ.

5 بَابُ مَا جَاءَ فِيهِمْ حَلْفٌ عَلَى سَاعَةٍ كَاذِبًا

1211 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ مُدْرِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرٍو بْنِ جَرِيرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ خَرِشَةَ بْنِ الْحَرِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ

जताने वाला, अपनी तहबन्द को नीचे से लटकाने वाला और अपनी सामान की झूठी क़सम के साथ बेचने वाला। ”

सहीह: मुस्लिम: 106. अबू दाऊद: 4087. इब्ने माजा: 2208. निसाई: 2563. तोहफतुल अशराफ़: 11909

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने मसऊद, अबू हुरैरा, अबू उमामा बिन सालबा, इमरान बिन हुसैन और माकिल बिन यसार (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: अबू ज़र (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

6 - तिजारत के लिए सुबह सवेरे जाना.

1212 - सय्यदना सखर अल- गामिदी (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “ऐ अल्लाह! मेरी उम्मत को सुबह सवेरे जाने में बरकत दे। ” रावी कहते हैं: आप (ﷺ) जब कोई छोटा या बड़ा लश्कर खाना करते तो उन्हें दिन के शुरू में भेजते और सखर (رضي الله عنه) ताजिर आदमी थे, वह भी अपने तिजारत का सामान दिन के शुरू में भेजते, सो वह अमीर हो गए और उनका माल बढ़ गया।

सहीह: सरीए से आगे ज़ईफ़ है. अबू दाऊद: 2606. इब्ने माजा: 2236.

वज़ाहत: इस मसले में अली, बुरैदा, इब्ने मसऊद, अनस, इब्ने उमर, इब्ने अब्बास और जाबिर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: सखर अल- गामिदी की हदीस हसन है और हम सखर (رضي الله عنه) की इसके अलावा नबी करीम (ﷺ) से कोई हदीस नहीं जानते।

नीज सुफ़ियान सौरी ने भी शोबा से बवास्ता थाला बिन अता इस हदीस को रिवायत किया है।

6 بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّبَكِيرِ بِالتِّجَارَةِ

1212 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبرَاهِيمَ الدُّورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَدِيدٍ، عَنْ صَخْرِ الغَامِدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا. قَالَ: وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً، أَوْ جَيْشًا، بَعَثَهُمْ أَوَّلَ النَّهَارِ.

وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا، وَكَانَ إِذَا بَعَثَ تِجَارَةً بَعَثَهُمْ أَوَّلَ النَّهَارِ، فَاتَّرَى وَكَثُرَ مَالُهُ.

7 - किसी चीज को मुअय्यन मुद्दत तक उधार खरीदना.

7 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الشِّرَاءِ إِلَى أَجَلٍ

1213 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के बदन पर दो मोटे धारीदार⁽¹⁾ कपड़े थे, जब आप बैठते पसीना आता तो वह भारी हो जाते। फिर शाम के इलाका से एक यहूदी का कपड़ा आया, मैंने कहा: अगर आप उसकी तरफ़ (कोई आदमी) भेज कर उस से आसानी आने तक दो कपड़े उधार खरीद लें? आप (ﷺ) ने उसकी तरफ़ (किसी को) भेजा तो उसने कहा: मैं जानता हूँ कि वह क्या चाहता है, वह यही चाहते हैं कि मेरा माल या दिरहम दबा लें। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “उस ने झूठ बोला है। यकीनन वह जानता है कि मैं उनमें से सब से ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला और सबसे ज़्यादा अमानत को अदा करने वाला हूँ। ”

सहीह: निसाई: 4628. मुसनद अहमद: 6/ 147.

1213 - حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَارَةُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِكْرِمَةُ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَانِ قَطْرِيَّانِ غَلِيظَانِ، فَكَانَ إِذَا قَعَدَ فَعَرِقَ، ثَقُلَا عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: بَرٌّ مِنَ الشَّامِ لِفُلَانِ الْيَهُودِيِّ، فَقُلْتُ: لَوْ بَعَثْتَ إِلَيْهِ، فَاشْتَرَيْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ إِلَى الْمَيْسِرَةِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُ مَا يُرِيدُ، إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِمَالِي أَوْ بِدِرَاهِمِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَذَبٌ، قَدْ عَلِمَ أَنِّي مِنْ أَتْقَاهُمْ لِلَّهِ، وَأَدَاهُمْ لِلْأَمَانَةِ.

तौज़ीह: सफ़ेद चादरें जिन में सुर्ख रंग की डिब्बियां और खाने बने हुए थे।

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास, अनस और अस्मा बन्ते यजोद (رضي الله عنها) से भी हदीस मर्वी है। नीज शोबा ने भी इसको अम्मारा बिन अबी हफसा से इसी तरह रिवायत किया है।

अबू ईसा कहते हैं: मैंने मोहम्मद बिन फरास बसरी को सुना वह कह रहे थे: मैंने अबू दाऊद तियालिसी को फ़रमाते हुए सुना कि एक दिन शोबा से इस हदीस के बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने फ़रमाया, “मैं उस वक़्त तक तुम्हें यह हदीस बयान नहीं करूंगा जब तक तुम हरमी बिन अम्मारा बिन अबू हफसा के सर को बोसा न दो और हरमी भी लोगों में मौजूद थे।

इमाम तिमिज़ी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: यह उस हदीस के उम्दा होने की वजह से था।

1214 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) की वफ़ात हुई तो आप की जिरह अनाज के बीस साअ के एवज़ एक यहूदी के पास गिरवी रखी हुई थी, जो आप ने अपनी बीवी के लिए लिया था।

सहीह: इब्ने माजा: 2439. निसाई: 4651. इब्ने साद: 1/488. दारमी:2585.

1214 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تُوْفِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ بِعِشْرِينَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَخَذَهُ لِأَهْلِهِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

1215 - सय्यदना अनस (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि मैं जौ की रोटी और बासी सालन लेकर गया जब कि नबी करीम (ﷺ) की जिरह एक यहूदी के पास बीस साअ अनाज के बदले गिरवी रखी हुई थी जो आप ने अपनी बीवियों के लिए ले लिया था और मैंने एक दिन आप (ﷺ) को यह फ़रमाते हुए सुना कि आले मोहम्मद के पास किसी शाम भी खजूर या दानों का साअ नहीं हुआ, हालांकि उन दिनों आप की नौखीवियां थीं।

हसन: दारे कुतनी: 3/77. बेहक्की: 5/327.

1215 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ (ح) قَالَ مُحَمَّدٌ: وَحَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ، قَالَ: مَشَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سِنَخَةٍ، وَلَقَدْ رُهِنَ لَهُ دِرْعٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِعِشْرِينَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَخَذَهُ لِأَهْلِهِ، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ ذَاتَ يَوْمٍ، يَقُولُ: مَا أَمْسَى فِي آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعٌ تَمْرٍ، وَلَا صَاعٌ حَبٍّ، وَإِنَّ عِنْدَهُ يَوْمَئِذٍ لَتِسْعَ نِسْوَةٍ.

तौज़ीह: इमाम तिर्मिजी (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं: हर वह चीज़ जिसे बतौर सालन इस्तेमाल हो और सिनखे का मानी है बदबूदार सड़ा हुआ।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

8 - शर्तों को लिखना.

1216 - अब्दुल मजीद वहब कहते हैं कि अह्मद बिन खालिद बिन हौज़ा (رضي الله عنه) ने मुझसे कहा: क्या मैं तुम्हें वह तहरीर न पढ़ाऊँ जो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मेरे लिए लिखी थी? मैंने कहा : ज़रूर, फिर उन्होंने एक तहरीर निकाली जिस में लिखा था यह वह है जो अह्मद बिन हौज़ा ने मोहम्मद (ﷺ) से खरीदा। उस ने आप से एक गुलाम या एक लौंडी को खरीदा है इस में न बीमारी है न चोरी का है और न ही इसे हARAM तरीके से गुलाम बनाया गया है। यह एक मुसलमान का मुसलमान से सौदा है।

हसन: दार कुल्नी 3, 77, बेहकी, 5, 327

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे सिर्फ़ अब्बाद बिन लैस की सनद से ही जानते हैं। नीज इस हदीस को बहुत से मुहद्दिसीन ने रिवायत किया है।

9 - माप और तौल का बयान.

1217 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मापने और तौलने वालों से फ़रमाया, बेशक तुम्हें ऐसे दो काम सौंपे गए हैं जिन में कमी करने की वजह से तुम से पहली उम्मतें हलाक हो गयीं। ”

जईफ़: मौकूफ़ सहीह है हाकिम: 2/ 31.

8 بَابُ مَا جَاءَ فِي كِتَابَةِ الشُّرُوطِ

1216 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبَادُ بْنُ لَيْثٍ صَاحِبُ الْكَرَائِسِيِّ الْبَصْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمُجِيدِ بْنُ وَهَبٍ، قَالَ: قَالَ لِي الْعَدَاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هُوْدَةَ: أَلَا أُفْرِتُكَ كِتَابًا كَتَبَهُ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، فَأَخْرَجَ لِي كِتَابًا: هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هُوْدَةَ مِنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أُمَّةً، لَا دَاءَ وَلَا غَائِلَةَ وَلَا حَيْثَةَ، يَبِيعُ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَ.

9 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ

1217 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّلَقَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِ الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ: إِنَّكُمْ قَدْ وُلِّيتُمْ أَمْرَيْنِ هَلَكَتْ فِيهِ أُمَّةٌ سَالِفَةٌ قَبْلَكُمْ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस सिर्फ़ हुसैन बिन कैस से ही मर्फू मिलती है और हुसैन बिन कैस को हदीस के मामले में ज़ईफ़ कहा गया है जब कि यह हदीस सहीह सनद के साथ इब्ने अब्बास से मौकूफ़न मर्वी है।

10 - नीलामी का बयान.

1218 - सय्यदना अनस (رحمته الله) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक टाट या दरी और एक प्याला फ़रोख्त किया, आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “इस दरी और प्याले को कौन ख़रीदेगा? एक दिरहम से ज़्यादा कौन देगा? तो एक आदमी ने आप (ﷺ) को दो दिरहम दे दिए, आप ने वह दोनों उसको बेच दिए।

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 1641. इब्ने माजा: 2198. निसाई: 4508. तोहफतुल अशराफ़: 978.

10 بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ مَنْ يَزِيدُ

1218 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ شَمِيظٍ بْنُ عَجْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَخْضَرُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْحَنْفِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ جِلْسًا وَقَدْحًا، وَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْجِلْسَ وَالْقَدْحَ، فَقَالَ رَجُلٌ: أَخَذْتُهُمَا بِدَرَاهِمٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَزِيدُ عَلَيَّ دَرَاهِمٍ، مَنْ يَزِيدُ عَلَيَّ دَرَاهِمٍ؟ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دَرَاهِمَيْنِ: فَبَاعَهُمَا مِنْهُ.

तौज़ीह: الجلس : वह टाट या दरी वगैरह जिसको ज़मीन पर बिछाने के बाद उस पर उम्दा सामान रखा जाता है। (मोजमुल वसीत: 227)

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। हम इसे सिर्फ़ अख़ज़र बिन अजलान की सनद से ही जानते हैं। और अब्दुल्लाह अल हनफ़ी जिस ने अनस (رحمته الله) से रिवायत की है वह अबू बकर हनफ़ी ही है। नीज बाज़ (कुछ) उलमा इसी पर अमल करते हुए ग़नीमतों और विरासतों में क़ीमत बढ़ाने में कोई क़बाहत नहीं समझते। मोतमिर बिन सुलैमान और दीगर मुहद्दिसीन ने भी अख़ज़र बिन अजलान से रिवायत की है।

11 - मुदब्बर गुलाम की फ़रोख्त.

1219 - सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि अंसार के एक आदमी ने अपने एक गुलाम को मुदब्बर बना दिया, वह मर गया और उस गुलाम के अलावा कोई माल भी न छोड़ कर गया तो नबी करीम (ﷺ) ने उस गुलाम को बेच दिया। उसे नुऐम बिन अब्दुल्लाह बिन नहहाम ने खरीदा। जाबिर (رضي الله عنه) कहते हैं: यह किबती गुलाम था जो इब्ने जुबैर (رضي الله عنه) की खिलाफ़त के पहले साल फौत हुआ।

बुखारी: 2141. मुस्लिम: 997. अबू दाऊद: 3957. इब्ने माजा: 2513. निसाई: 4652, 4654.

तौज़ीह: 1) मुदब्बर गुलाम वह होता है जिसे मालिक यह कह दे कि तु मेरे मरने के बाद आज़ाद है।

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और कई तुरूक से जाबिर बिन अब्दुल्लाह से मर्वी है।

नीज नबी करीम (ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ (कुछ) उलमा का इसी पर अमल है कि मुदब्बर गुलाम को बेचने में कोई हर्ज नहीं है। शाफ़ेई अहमद और इस्हाक़ का भी यही कौल है।

जबकि नबी करीम (ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ (कुछ) उलमा मुदब्बर गुलाम की बे (खरीदा-फ़रोख्त) को नापसंद करते हैं। यह कौल सुफ़ियान सौरी, मालिक और औज़ाई का है।

12 - तिजारत वाले काफ़िलों को बाहर जा कर मिलना मना है.

1220 - सय्यदना इब्ने मसऊद (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी करीम (ﷺ) ने तिजारती काफ़िलों को शहर से बाहर निकल कर मिलने से मना किया है। (1)

बुखारी: 2164. मुस्लिम: 1518. इब्ने माजा: 2180.

11 بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

1219 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ ذَبَرَ غُلَامًا لَهُ، فَمَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ مَالًا غَيْرَهُ، فَبَاعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاشْتَرَاهُ نَعِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّحَامِ. قَالَ جَابِرٌ: عَبْدًا قَبْطِيًّا مَاتَ عَامَ الْأَوَّلِ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ.

12 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَّةِ تَلْقَى الْبُيُوعِ

1220 - حَدَّثَنَا هَنَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّمِيمِيُّ، عَنْ أَبِي عَثْمَانَ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ: نَهَى عَنْ تَلْقَى الْبُيُوعِ.

तौज़ीह: 1) शहर में रहने वालों को मना किया गया है कि किसी दूसरे इलाक़े से आने वाले तिज़ारती काफ़िला को शहर और मंडी से बाहर ही मिलकर कोई चीज़ ख़रीद लें जब कि काफ़िले वाले को नहीं पता कि मंडियों में क्या क़ीमतें हैं।

वज़ाहत: इस मसले में अली, इब्ने अब्बास, अबू हुरैरा, अबू सईद, इब्ने उमर और एक और सहाबी रसूल (ﷺ) से भी हदीस मव्वी है।

1221 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी करीम (ﷺ) ने किसी ताज़िर से शहर के बाहर मिल कर सौदा ख़रीदने से मना किया, अगर कोई इंसान उससे मिल कर कुछ ख़रीद लेता है तो सामान का मालिक बाज़ार पहुँचने पर इख़्तियार रखता है। (1)

मुस्लिम: 1519. इब्ने माजा: 2178. निसाई: 4501.

1221 - حَدَّثَنَا سَلْمَةُ بْنُ شَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي يُوْب، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُتْلَقَى الْجَلْبُ، فَإِنْ تَلَقَّاهُ إِنْسَانٌ فَابْتِاعَهُ فَصَاحِبُ السَّلْعَةِ فِيهَا بِالْخِيَارِ إِذَا وَرَدَ السُّوقَ.

तौज़ीह: (1) अगर ख़रीदने वाले ने बाज़ार से कम क़ीमत पर चीज़ ख़रीदी है तो मालिक अपनी चीज़ को वापिस लेने का इख़्तियार रखता है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस अबू अय्यूब की सनद के साथ हसन ग़ारीब है। जबकि इब्ने मसऊद (رضي الله عنه) की हदीस सहीह है। नीज़ बाज़ (कुछ) उलमा ने तिज़ारती काफ़िलों को मंडियों तक आने से पहले मिलने से नापसंद किया है क्योंकि यह धोखे की एक क़िस्म है। इमाम शाफ़ेई और दीगर हमारे अस्हाब का यही कौल है।

13 - कोई शहरी किसी देहाती की कोई चीज़ फ़रोख्त न करे.

13 بَابُ مَا جَاءَ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ

1222 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़रमाया, “शहर में रहने वाला किसी देहाती की कोई चीज़ फ़रोख्त न करे।”⁽¹⁾

1222 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:

بخاری: 2140. मुस्लिम: 1413. निसाई: 3239.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَقَالَ قُتَيْبَةُ يَتْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ.

तौज़ीह: (1) उसकी सूत्र यह है कि कोई देहाती शख्स अपनी किसी चीज़ को बेचना चाहे और शहर में रहने वाला कहे इस वक़्त न बेचो, इसे मेरे पास रख दो और मुझे सौंप दो। जब क़ीमत बढ़ जाएगी तो मैं इसे बेच दूंगा इस तरह शहर में रहने वालों को चीज़ मंहगे दामों में मिलती है।

वज़ाहत: तल्हा, जाबिर, अनस, इब्ने अब्बास, हकम बिन अबी यजीद की अपने बाप से, कसीर बिन अब्दुल्लाह के दादा अम्र बिन औफ़ अलमुज़नी से और एक और सहाबी से भी इस मसले में रिवायात मवीं हैं।

1223 - सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “कोई शहरी किसी देहाती के लिए ख़रीदो फ़रोख़्त न करे। लोगों को छोड़ो अल्लाह बाज़ (कुछ) को बाज़ (कुछ) से रिजक देता है।”

मुस्लिम: 1522. अबू दाऊद: 3442. इब्ने माजा: 2176. निसाई: 4495.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस भी हसन सहीह है। नीज नबी करीम (ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ (कुछ) उलमा शहरी को देहाती के लिए ख़रीदो फ़रोख़्त करने को मकरूह जानते हैं जब कि बाज़ (कुछ) रूख़सत देते हैं कि शहरी देहाती के लिए ख़रीद कर सकता है। शाफ़ेई कहते हैं: शहरी का देहाती के लिए ख़रीदो फ़रोख़्त करना मकरूह है लेकिन अगर कर लेता है तो बै (सौदा) जायज़ होगी।

1223 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُوا اللَّهَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

14 - मुहाक़ला और मुजाबना की मनाही.

1224 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुहाक़ला और मुजाबना से मना किया है।

मुस्लिम: 1545. निसाई: 3884.

14 بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُحَاكَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

1224 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ، عَنْ سَهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاكَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने उमर, इब्ने अब्बास, ज़ैद बिन साबित, साद, जाबिर, राफे बिन ख़दीज और अबू सर्ईद (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस भी हसन सहीह है जबकि मुहाक़ला (खड़ी) फ़सल की गंदुम के बदले की जाने वाली ख़रीदो फ़रोख़्त को कहते हैं।

और मुज़ाबना बै (सौदा) यह होती है कि ख़ुजूरों के दरख़्तों पर लगे हुए फल को ख़ुश्क ख़ुजूर के बदले बेचा जाए। नीज़ अक्सर उलमा का इसी हदीस पर अमल है वह मुहाक़ला और मुज़ाबना की बै को मकरूह कहते हैं।

1225 - अब्दुल्लाह बिन यज़ीद (رضي الله عنه) कहते हैं: ज़ैद अबू अयाश ने साद (رضي الله عنه) से गंदुम जौ के बदले ख़रीदने के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया, “इन दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा मंहगी है? उस ने कहा: गंदुम तो उन्होंने उसे मना कर दिया और साद (رضي الله عنه) ने कहा: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना आप से सूखी ख़ुजूरों को ताज़ा ख़ुजूरों के बदले ख़रीदने के बारे में पूछा गया था तो आप (ﷺ) ने अपने इर्दगिर्द मौजूद लोगों से पूछा: “क्या ताज़ा ख़ुजूरें ख़ुश्क हो कर कम हो जाती हैं?” उन्होंने कहा जी हाँ! तो आप (ﷺ) ने उस से मना फ़रमा दिया था।

सहीह: अबू दाऊद: 3359. इब्ने माज़ा: 2264. निसाई: 4545.

तौज़ीह: السُّلْتُ : हिजाज वगैरह में पैदा होने वाले ऐसे जौ जो गंदुम के मुशाबेह होते हैं उन पर छिलका नहीं होता। (मोजमुल वसीत:522)

वज़ाहत: अबू ईसा फ़रमाते हैं: हमें हनाद ने वह कहते हैं:) हमें वकीअ ने मालिक से बवास्ता अब्दुल्लाह बिन यज़ीद, अबू अयाश ज़ैद से रिवायत की है कि हम ने साद (رضي الله عنه) से सवाल किया, फिर आगे इसी तरह बयान किया।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अहले इल्म का इसी पर अमल है। नीज़ इमाम शाफ़ेई (رحمته الله) और हमारे साथियों का भी यही कौल है।

1225 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَرِيدٍ، أَنَّ زَيْدًا أَبَا عِيَّاشٍ، سَأَلَ سَعْدًا عَنِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ، فَقَالَ: أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ قَالَ الْبَيْضَاءُ، فَتَهَى عَنْ ذَلِكَ.

وَقَالَ سَعْدٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنْ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطْبِ، فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ: أَيَنْقُضُ الرُّطْبُ إِذَا بَيْسَ، قَالُوا: نَعَمْ، فَتَهَى عَنْ ذَلِكَ.

15 - फलों को पकने से पहले उनको बेचना मना है.

1226 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने खजूर बेचने से मना फ़रमाया जब तक कि वह खुश रंग न हो जाए।
मुस्लिम: 1535. अबू दाऊद: 3363.

तौज़ीह: रंग पकड़ना, सुख या ज़र्द हो जाना, यह उस वक़्त होता है जब फल पकने के करीब होता है।

1227 - इसी सनद के साथ यह भी रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने (गंदुम और जौ की) बालियों को बेचने से मना फ़रमाया जब तक कि वह सफ़ेद न हो जाएँ और आफ़त वगैरह से महफूज़ न हो जाए आप (ﷺ) ने बेचने और ख़रीदने वाले दोनों को मना किया है।

मुस्लिम: 1535. अबू दाऊद: 3368. निसाई: 4521.

तौज़ीह: عافّة : से मुराद कोई भी बीमारी या आफ़त वगैरह मसलन : ओले, बारिश सर्दी वगैरह जिससे फ़सल को पैदावार प्रभावित हो जाती है।

वज़ाहत: इस मसले में अनस, आयशा, अबू हु़रैरा, इब्ने अब्बास, जाबिर, अबू सईद और ज़ैद बिन साबित (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। नीज नबी करीम (ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से अहले इल्म इसी पर अमल करते हुए पकने से पहले फलों को बेचना मकरूह कहते हैं। इमाम शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक (رضي الله عنه) भी इसी के क़ायल हैं।

1228 - सय्यदना अनस (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अंगूर की ख़रीदो फ़रोख़्त से मना फ़रमाया यहाँ तक कि वह

15 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحَهَا

1226 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي بَرٍّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَرْهُو.

1227 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةُ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ.

1228 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، وَعَفَّانُ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ

सियाह हो जाए और दाने (किसी भी अनाज) की खरीदो फ़रोख्त से मना किया यहाँ तक कि वह सख्त हो जाए।

सहीह: अबू दाऊद: 3381. इब्ने मजा:2217.

خَرِبِ قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है हमें सिर्फ़ हम्माद बिन सलमा की सनद से ही मर्फू मिलती है।

16 - हब्लुल हबला की बै (सौदा)

16 بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ

1229 - सय्यदना इब्ने उमर (رحمته الله) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने हब्लुल हबला की खरीदो फ़रोख्त से मना किया।

बुखारी: 2134. मुस्लिम: 1514. अबू दाऊद:3380. इब्ने माजा: 2197. निसाई: 4623, 4625.

1229 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ.

तौज़ीह: حَبْلٌ : (हमल) बच्चे को कहा जाता है इस तरह الحَبْلَةُ : का मतलब है हमल का हमल । यह जाहिलियत में एक बै थी। आदमी किसी से बै (सौदा) करता तो शर्त यह होती कि यह ऊंटनी को जन्म देगी फिर मादा ऊंटनी जब बच्चा जनेगी उसकी बै करो। इस्लाम ने इस से मना कर दिया।

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन अब्बास और अबू सईद अल-खुदरी (رحمته الله) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर (رحمته الله) की हदीस हसन सहीह है और उलमा का इसी पर अमल है और حَبْلِ الْحَبَلَةِ से बच्चे का बच्चा मुराद है। अहले इल्म के नज़दीक यह बै फ़सख हो जाएगी क्योंकि इस बै में धोका है।

नीज शोबा ने भी इस हदीस को अय्यूब से बवास्ता सईद बिन जुबैर, इब्ने अब्बास (رحمته الله) से रिवायत किया है। और अब्दुल वहहाब सक्फ़ी वगैरह ने अय्यूब से बवास्ता सईद बिन जुबैर और नाफ़े, सय्यदना इब्ने उमर (رحمته الله) के ज़रिए नबी करीम(ﷺ) से रिवायत की है और यह ज़्यादा सहीह है।

17 - धोके वाली बै (सौदा) मना है.

1230 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने धोके⁽¹⁾ वाली और कंकरी की बै (सौदा) से मना किया है।

मुस्लिम: 1513. अबू दाऊद: 3376. इब्ने माजा: 2194. निसाई: 4518.

तौज़ीह: (1) यह एक जामे कलिमा है जिस में हर क्रिस्म की फासिद और हराम बै (सौदा) शामिल है। (2) बेचने वाला खरीदने वाले से कहे कि जब मैं तुम्हारी तरफ कंकर फेंक दू तो बै (सौदा) वाजिब हो जाएगी। इसे बैउल हुसात कहा जाता है।

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने उमर, इब्ने अब्बास, अबू सईद और अनस (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और अहले इल्म इसी हदीस पर अमल करते हुए गर (धोके) वाली बै (खरीदो-फ़रोख़्त) को मकरूह कहते हैं।

इमाम शाफ़ेई (رحمته الله) फ़रमाते हैं: धोके वाली बै (सौदा) में पानी के अन्दर मौजूद मछलियों, भगोड़े गुलाम, फिजा में उड़ते परिंदों, और दीगर अक्साम की खरीदो फ़रोख़्त शामिल है।

और कंकर की बै से मुराद यह है कि बेचने वाला खरीदने वाले से कहे कि जब मैं तुम्हारी तरफ कंकर फेंक दू तो मेरे और तुम्हारे दर्मियान बै (सौदा) वाजिब हो जाएगी और यह बै (सौदा) मुनाबज़ा के मुशाबेह है और यह अहले जाहिलियत की बै थी।

18 - एक बै (सौदे) में दो की शर्त लगाना मना है.

1231 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने "एक बै में दो बै की शर्त से मना किया है।

सहीह: निसाई: 4632. दारमी: 1379. इब्ने हिब्बान: 4973.

17 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الْغَرَرِ

1230 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَبَيْعِ الْخَصَاةِ.

18 بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

1231 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنٍ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ.

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन उमर, इब्ने उमर और इब्ने मसऊद (رضي الله عنهم) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और अहले इल्म का इसी पर अमल है। बाज़ (कुछ) उलमा इसकी तफ़सीर करते हुए कहते हैं: एक बै में दो का मतलब यह है कि कोई शख्स कहे: मैं यह कपड़ा नक़द दस दिरहम और उधार बीस दिरहम का दूंगा, और एक बात नहीं करता: अगर एक बात कर ले तो जायज़ है यानी जब कोई एक क्रीमत बताता है।

इमाम शाफ़ेई कहते हैं नबी (ﷺ) का एक बै में दो बै करने से मुमानअत का मतलब है कि कोई आदमी किसी से कहे कि मैं अपना घर तुम्हें इस शर्त पर फ़रोख्त करूंगा कि तुम मुझे अपना गुलाम इतनी क्रीमत में दोगे, जब तुम्हारा गुलाम मेरे पास आ जाएगा तो मेरा घर तुम्हारा हो जाएगा और यह बै मालूम क्रीमत के बग़ैर तै हो रही है और इन दोनों में से कोई भी नहीं जानता कि उसकी बै कितने नफ़ा की हुई है।

19 - जो चीज़ पास नहीं है उसकी फ़रोख्त मना है।

19 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

1232 - सय्यदना हक़म बिन हिजाम (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा: एक आदमी मेरे पास आकर उस चीज़ की बै (सौदा) करना चाहता है जो मेरे पास नहीं है। क्या मैं बाज़ार से ख़रीद कर उसे बेच दूँ? आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “जो चीज़ तुम्हारे पास नहीं है उसे मत बेचो।”

सहीह: अबू दारुद: 3503 इब्ने मज़ा: 2187 निसाई: 4613

1233 - सय्यदना हक़म बिन हिजाम (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी करीम (ﷺ) ने मुझे उस चीज़ को बेचने से मना किया जो मेरे पास मौजूद नहीं है।

सहीह: पहले वाला देखें।

1232 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنَ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي، أَبْتَاعُ لَهُ مِنَ السُّوقِ، ثُمَّ أبيعُهُ؟ قَالَ: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

1233 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أبيعَ مَا لَيْسَ عِنْدِي ا

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (रह) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज इस मसले में अब्दुल्लाह बिन अम्र (रह) से भी मर्वी है।

इस्हाक़ बिन मंसूर कहते हैं: मैंने इमाम अहमद बिन हंबल (रह) से पूछा उधार और फ़रोख्त की मुमानअत का क्या मतलब है? उन्होंने फ़रमाया, कि कोई आदमी किसी को कुछ कर्ज़ दे कर अपनी कोई चीज़ मंहगी दामों में फ़रोख्त कर दे और यह मतलब भी हो सकता है कि किसी को कर्ज़ दे और कहे अगर तुझ से वापसी न की जा सके तो तुम्हारी फुलां चीज़ मेरी हो जाएगी। इस्हाक़ बिन राहवे भी यही कहते हैं। (इस्हाक़ बिन मंसूर) कहते हैं: मैंने अहमद से पूछा: जो चीज़ ज़मान में नहीं है उसकी बै कौन सी है? उन्होंने फ़रमाया, कि मेरे नज़दीक उसका ताल्लुक़ अनाज वगैरह के साथ है, जो तुम्हारे कब्जे में न हो, इस्हाक़ भी ऐसा ही कहते हैं हर उस चीज़ में जिसे मापा या तौला जाता है।

अहमद (रह) फ़रमाते हैं: जब कोई आदमी कहता है मैं यह कपड़ा तुम्हें बेचता हूँ इसकी सिलाई और कटाई मेरे ज़िम्मा है तो यह एक बै में दो शर्तें होंगी और जब कहे कि मैं तुम्हें यह बेचता हूँ इसकी सिलाई मेरे ज़िम्मा है तो जायज़ है या यह कहता है कि मैं यह तुम्हें बेचता हूँ और इसकी कटाई मेरे ज़िम्मे है फिर भी जायज़ है क्योंकि यह एक शर्त है। इस्हाक़ भी ऐसे ही कहते हैं।

1234 - अब्दुल्लाह बिन उमर (रह) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (रह) ने फ़रमाया, "उधार और फ़रोख्त इकट्ठी जायज़ नहीं है इसी तरह एक बै में दो शर्तें जायज़ नहीं, और न ही जो चीज़ कब्जे में नहीं है उसका मुनाफ़ा जायज़ है और जो चीज़ पास नहीं है उसे बेचना भी हलाल नहीं है।" (1)

हसन: सहीह: अबू दाऊद: 3504. इब्ने मजा: 2188. निसाई: 4611.

तौज़ीह: (1) इसकी वज़ाहत पिछली हदीस के ज़िम्न में गुज़र चुकी है।

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (रह) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज हकम बिन हिजाम की हदीस भी हसन है। जो उनसे कई सनदों के साथ मर्वी है। अय्युब अस्सख्तियानी और अबू बिशर ने भी बवास्ता यूसुफ़ बिन माहक हकम बिन हिजाम (रह) से रिवायत की है। अबू ईसा तिमिज़ी कहते हैं: इस हदीस को औफ़ और हिशाम ने इब्ने सीरीन से बवास्ता हकम बिन हिजाम नबी करीम (रह) से मुर्सल रिवायत किया है।

नीज इब्ने सीरीन ने सख्तियानी से बवास्ता यूसुफ़ बिन माहक बिन हिजाम (रह) से इसी तरह रिवायत की है।

1234 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، حَتَّى ذَكَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَجِلُّ سَلْفٌ وَيَبِيعُ، وَلَا شَرْطَانٍ فِي بَيْعٍ، وَلَا رَيْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

1235 - सय्यदना हकम बिन हिजाम (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुझे उस चीज़ के बेचने से मना किया जो मेरे पास न हो।

सहीह: 1232 पर तखरीज देखें।

1235 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، وَعَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَزَاعِيُّ الْبَصْرِيُّ أَبُو سَهْلٍ، وَعَمِيرٌ وَاحِدٌ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدِي.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رحمته اللہ علیہ) फ़रमाते हैं: वकीअ ने इस हदीस को यज़ीद बिन इब्राहीम से उन्होंने इब्ने सीरीन से बवास्ता अय्यूब, हकम बिन हिजाम से रिवायत किया है। इस में यूसुफ़ बिन माहक का ज़िक्र नहीं किया। और अब्दुस्समद की रिवायत ज़्यादा सहीह है।

नीज यह्या बिन अबी कसीर ने इस हदीस को याला बिन हकीम से उन्होंने यूसुफ़ बिन माहक से बवास्ता अब्दुल्लाह बिन गसमा, सय्यदना हकम बिन हिजाम (رضی اللہ عنہ) से रिवायत किया है। और अक्सर उलमा इसी पर अमल करते हुए गैर मौजूद चीज़ को बेचने से मना करते हैं।

20 - वला को बेचना और हिबा करना मना है।

1236 - सय्यदना इब्ने उमर (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने वला⁽¹⁾ को बेचने और उसे हिबा करने से मना किया है।

बुखारी: 2535. मुस्लिम: 1506. अबू दाऊद: 2919. इब्ने माजा: 2747. निसाई: 4657, 4659.

20 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهَيْبَتِهِ

1236 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَشُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهَيْبَتِهِ.

तौज़ीह: (1) गुलाम को आज़ाद करने वाले और आज़ाद होने वाले के दर्मियान में जो रिश्ता होता है उसे वला कहा जाता है।

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رحمته اللہ علیہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। हम इसे बवास्ता अब्दुल्लाह बिन दीनार ही इब्ने उमर (رضی اللہ عنہ) से जानते हैं। और उलमा का भी इसी हदीस पर अमल है।

नीज यह्या बिन सुलैम ने भी इस हदीस को अब्दुल्लाह बिन उमर से बवास्ता नाफ़े सय्यदना इब्ने उमर (رضی اللہ عنہ) से उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से रिवायत किया है कि आप (ﷺ) ने वला को बेचने और उसे हिबा करने से मना किया है। इस हदीस में वहम है इस में यह्या बिन सुलैम को वहम हुआ है जबकि अब्दुल वहहाब सक्फी अब्दुल्लाह बिन नुमैर और दीगर कई रावियों ने अब्दुल्लाह बिन उमर से बवास्ता अब्दुल्लाह बिन दीनार सय्यदना इब्ने उमर (رضی اللہ عنہ) से नबी करीम (ﷺ) की हदीस बयान की है और यह यह्या बिन सुलैम की रिवायत से ज़्यादा सहीह है।

21 - जानवर को जानवर के एवज़ बतौर कर्ज बेचना मना है।

1237 - सय्यदना समुरा (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि नबी करीम (ﷺ) ने जानवरों को जानवर के बदले उधार बेचने से मना किया है।

सहीह: अबू दाऊद: 3356. इब्ने माजा: 2270. निसाई: 4620.

21 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الْحَيَوَانَ بِالْحَيَوَانَ نَسِيئَةً

1237 - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانَ بِالْحَيَوَانَ نَسِيئَةً.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास, जाबिर, और इब्ने उमर (رضی اللہ عنہ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिमिज़ी (رحمته اللہ علیہ) फ़रमाते हैं: समुरा (رضی اللہ عنہ) की हदीस हसन सहीह है और हसन (رحمته اللہ علیہ) का समुरा (رضی اللہ عنہ) से सिमा (सुनना) साबित है। अली बिन मदीनी वगैरह इसी तरह कहते हैं।

नीज नबी अकरम (ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में अक्सर उलमा का जानवर की जानवर के एवज़ उधार बै के बारे में इसी हदीस पर अमल है। सुफ़ियान सौरी, अहले कूफा और इमाम अहमद भी यही कहते हैं।

जबकि अस्थाबे नबी अकरम (ﷺ) और दीगर लोगों में से कुछ उलमा ने जानवर को जानवर के एवज़ उधार बेचने की रूख़सत दी है यह कौल इमाम शाफ़ेई और इश्हाक़ (رحمته اللہ علیہ) का भी है।

1238 - सय्यदना जाबिर (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “दो जानवरों को एक जानवर के बदले उधार बेचना

1238 - حَدَّثَنَا أَبُو عَمَارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ

जायज़ नहीं हाथों हाथ हो तो कोई हर्ज नहीं है।”

सहीह: इब्ने माजा: 2271. तोहफतुल अशाराफ़: 2676.

وَهُوَ ابْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
الْحَيَوَانُ اثْنَانِ بَوَاحِدٍ لَا يَصْلُحُ نَسِيئًا، وَلَا
بِأَسِّ بِهِ يَدًا بِيَدٍ.

वज़हात: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

22 - एक गुलाम को दो गुलामों के एवज ख़रीदना.

1239 - सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि एक गुलाम आया उसने हिज्रत पर नबी करीम (ﷺ) की बैअत कर ली और नबी अकरम (ﷺ) नहीं जानते थे कि यह गुलाम है। फिर उसका मालिक भी आ गया जो उसे ले जाना चाहता था नबी अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया, “तुम यह गुलाम मुझे बेच दो” आप (ﷺ) ने उसे दो सियाह फाम गुलामों के बदले ख़रीद लिया। फिर उसके बाद आप (ﷺ) ने किसी से उस वक़्त तक बैअत नहीं ली जब तक उस से पूछ ना लेते कि कहीं वह गुलाम तो नहीं है?

मुस्लिम: 1602. अबू दाऊद: 3358. इब्ने माजा: 2869.
निसाई: 4184.

वज़ाहत: इस मसले में अनस (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: जाबिर (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। और अहले इल्म का इसी पर अमल है कि हाथों हाथ दो गुलाम के बदले एक गुलाम ख़रीदने में कोई हर्ज नहीं है। इख़्तिलाफ़ उधार के मामले में है।

22 بَابُ مَا جَاءَ فِي شِرَاءِ الْعَبْدِ بِالْعَبْدَيْنِ

1239 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ،
عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ
فَبَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى
الْهَجْرَةِ، وَلَا يَشْعُرُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَبْدٌ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ، فَقَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَعْثِيهِ، فَاشْتَرَاهُ
بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يَبَايِعْ أَحَدًا بَعْدَ حَتَّى
يَسْأَلَهُ: أَعْبَدُ هُوَ؟

23 - गंदुम के एवज़ गंदुम बराबर लेना जायज़ है, बढ़ा कर लेन देन करना मजा है.

23 بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْجِنْتَةَ بِالْجِنْتَةِ
مِثْلًا بِمِثْلٍ وَكَرَاهِيَةَ التَّفَاضُلِ فِيهِ

1240 - सय्यदना उबादा बिन सामित (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया, “सोना सोने के एवज़ बराबर गंदुम, गंदुम के बदले बराबर, नमक, नमक के एवज़ बराबर और जौ, जौ के बदले बराबर (ख़रीदना और बेचना जायज़ है) जो शरूख़स ज़्यादा देता या लेता है यकीनन उसने सूदी मामला किया है। सोने को चांदी के एवज़ जैसे चाहो हाथों हाथ बेचो, गंदुम को खजूर के एवज़ हाथों हाथ जैसे चाहो बेचो और जौ को खजूर के एवज़ हाथों हाथ जैसे चाहो बेचो।”

मुस्लिम: 1587. अबू दारूद: 3349. इब्ने माजा: 2254.
निसाई: 4560, 4564.

1240 - حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّادِ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالتَّبَرُّ بِالتَّبَرِّ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالمَلْحُ بِالمَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ أَزْدَادَ فَقَدْ أَرْتَى، يَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ، وَيَبِيعُوا التَّبَرَّ بِالتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ، وَيَبِيعُوا الشَّعِيرَ بِالتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ.

वज़ाहत: इस बाब में अबू सईद, अबू हुरैरा, बिलाल, और अनस (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: उबादा बिन सामित (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। बाज़ (कुछ) रावियों ने उस हदीस को इसी सनद के साथ खालिद (رضي الله عنه) से रिवायत किया है कि “गंदुम को जौ के एवज़ नक़द जैसे चाहो फ़रोख़्त कर लो।”

नीज बाज़ (कुछ) ने इस हदीस को खालिद से उन्होंने अबी किलाबा से बवास्ता अबू अशअस, उबादा बिन सामित (رضي الله عنه) के ज़रिए नबी करीम (ﷺ) से रिवायत किया है। खालिद कहते हैं: अबू किलाबा फ़रमाते हैं गंदुम को जौ के बदले जैसे चाहे फ़रोख़्त करो।

अहले इल्म इसी पर अमल करते हैं गंदुम को गंदुम के एवज़ और जौ को जौ के एवज़ बराबर फ़रोख़्त करने को ही जायज़ कहते हैं।

जब यही अज्नास मुख्तलिफ़ हों तो नक़द की सूरत में एक दूसरे से बढ़ा कर बेचने में क़बाहत नहीं है। यह कौल नबी करीम (ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से अक्सर उलमा का है। सुफ़ियान सौरी, शाफ़ेई, अहमद और इसहाक (ﷺ) भी इसी के कायल हैं।

इमाम शाफ़ेई कहते हैं इसकी दलील नबी करीम (ﷺ) की हदीस है कि जौ को गंदुम के एवज़ नक़द जैसे चाहो फ़रोख़्त करो।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: उलमा की एक जमात का कहना है कि गंदुम को जौ के एवज़ बराबर बराबर ही ख़रीदो फ़रोख़्त करना जायज़ है। यही कौल मालिक बिन अनस (ﷺ) का भी है लेकिन पहला कौल सहीह है।

24 - कदंसी की ख़रीदो फ़रोख़्त.

1241 - नाफ़े (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं और इब्ने उमर (ﷺ) अबू सईद (ﷺ) के पास गए तो उन्होंने हमें बयान किया कि मेरे इन दोनों कानों ने रसूल (ﷺ) को इरशाद फ़रमाते हुए सुना कि: "तुम सोने को सोने" (1) के एवज़ बराबर बराबर बेचो और चांदी को चांदी के एवज़ बराबर बराबर बेचो। यह एक दुसरे पर बढ़ाया ना जाए और गैर मौजूद को मौजूद के बदले मत फ़रोख़्त करो।"

बुख़ारी: 2177. मुस्लिम: 1584. निसाई: 4565.

तौज़ीह: 1) याद रहे कि सोने से मुराद दीनार और चांदी से मुराद दिरहम हैं। आज के दौर में इसका मतलब यह है कि रियाल के बदले रियाल बराबर लिए जाएँ और रूपिया के एवज़ रूपिया भी बराबर लिया जाए। पुराने नोटों के एवज़ नए नोट कम देना और लेना इस हदीस की रू से हराम है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: इस मसले में अबू बकर, उमर, उस्मान, अबू हु़रैरा, हिशाम बिन आमिर, बरा, ज़ैद बिन अर्कम, फोजाला बिन उबैद, अबू बकरह, इब्ने उमर, अबू दर्दा और बिलाल (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है।

24 بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّرْفِ

1241 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَابْنُ عَمْرٍو إِلَى أَبِي سَعِيدٍ فَحَدَّثَنَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَمِعْتُهُ أَذْنَابِي هَاتَانِ يَقُولُ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، لَا يُشَفُّ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهُ غَائِبًا بِنَاجِرٍ.

नीज फ़रमाते हैं: अबू सईद (رضي الله عنه) की सूद के बारे में नबी करीम (ﷺ) से मर्वी हदीस हसन सहीह है और नबी अकरम (ﷺ) के सहाबा व ताबेईन में से अहले इल्म का इसी हदीस पर अमल है सिवाए इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) के वह सोने और चांदी को एक दुसरे से बढ़ा चढ़ा कर नक़द की सूत में जायज़ कहते हैं। वह फ़रमाते हैं: सूद उधार में बनता है। उनके बाज़ (कुछ) शागिर्दों से भी इसी तरह मर्वी है। नीज इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से यह भी मर्वी है कि जब अबू सईद (رضي الله عنه) ने उन्हें हदीस सुनाई तो उन्होंने अपने कौल से रूजू कर लिया था और पहला कौल ही ज़्यादा सहीह है। नबी अकरम (ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से अहले इल्म का इसी पर अमल है। सुफ़ियान सौरी, इब्ने मुबारक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رضي الله عنه) भी इसी के कायल हैं।

इब्ने मुबारक कहते हैं कि करंसी के लेन देन में इख़्तिलाफ़ नहीं है।

1242 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मैं बक़ी में ऊँट फ़रोख़्त किया करता था, मैं दीनारों के एवज़ बेचता और उनकी जगह चांदी के दिरहम ले लेता और कभी चांदी के एवज़ बेचता और उनकी जगह दीनार ले लेता। मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास गया, मैंने आप को सय्यदा हफ़सा के घर से निकलते हुए पाया तो मैंने आप से इस बारे में पूछा। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “क़ीमत मुक़रर कर के ऐसा करने में हर्ज नहीं है।”

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 3354 इब्ने माजा: 2262 निसाई: 4582

1242 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ أُبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ، وَأُبِيعُ بِالذَّنَانِيرِ فَأَخَذُ مَكَانَهَا الْوَرِقَ، وَأُبِيعُ بِالْوَرِقِ فَأَخَذُ مَكَانَهَا الذَّنَانِيرَ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُهُ خَارِجًا مِنْ بَيْتِ حَفْصَةَ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ بِالْقِيَمَةِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस सिमाक बिन हर्ब से बवास्ता सईद बिन जुबैर, इब्ने उमर (رضي الله عنه) वाली सनद से ही मर्फू है। दाऊद बिन अबी हिन्द ने इस हदीस को बवास्ता सईद बिन जुबैर, इब्ने उमर (رضي الله عنه) से मौकूफ रिवायत किया है।

नीज बाज़ (कुछ) उलमा का इसी पर अमल है कि सोने की जगह चांदी या चांदी की जगह सोने का तक्राजा करने में कोई हर्ज नहीं है। यही कौल इमाम अहमद और और इस्हाक़ (رضي الله عنه) का है।

जबकि नबी करीम (ﷺ) के सहाबा और ताबेईन में से बाज़ (कुछ) उलमा ने इस को मकरूह भी कहा है।

1243 - मालिक बिन औस बिन हदसान रिवायत करते हैं कि मैं यह कहता हुआ आ रहा था कि दिरहम की करंसी कौन देगा? तो तल्हा बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) ने कहा: वह उस वक़्त उमर बिन खत्ताब के पास थे, हमें अपना सोना (दीनार) दिखाओ फिर जब हमारा खादिम आ जाए तो तुम हमारे पास आना हम तुम्हें चांदी (के दिरहम) दे देंगे। तो उमर बिन खत्ताब (رضي الله عنه) ने फ़रमाया, हरगिज़ नहीं, तुम उसे चांदी दो वरना उसका सोना वापस कर दो क्योंकि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, चांदी सोने के बदले तब्दील करना सूद है मगर जो मौका पर लेन देन हो (वह जायज़) है, गंदुम को गंदुम के साथ तब्दील करना सूद है मगर जो हाथों हाथ मौका पर हो जाए वह जायज़ है। जौ को जौ के साथ बदला सूद है मगर हाथों हाथ (मौका पर) और इसी तरह खुजूर को खुजूर के बदले देना सूद है मगर जो हाथों हाथ हो (वह सूद नहीं है)।

बुखारी: 2134. मुस्लिम: 1586. अबू दाऊद: 3384. इब्ने माजा: 2253. निसाई: 4558.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और उलमा का इसी पर अमल है नीज हाँ हाँ का मानी है हाथों हाथ।

25 - पेतन्दकारी के बाद खजूरों के दरख्त खरीदना और मालदार गुलाम खरीदना.

1244 - सालिम (رضي الله عنه) अपने बाप इब्ने उमर (رضي الله عنه) से रिवायत करते हैं कि मैंने

1243 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْخَدَثَانِ، أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلْتُ أَقُولُ مَنْ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ، فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَرِنَا ذَهَبَكَ، ثُمَّ اثْبِتْنَا إِذَا جَاءَ خَادِمُنَا نُعْطِكَ وَرِقَّكَ، فَقَالَ عُمَرُ: كَلَّا وَاللَّهِ، لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَّهُ أَوْ لَتَرُدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبَهُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ.

25 بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْتِياعِ النَّخْلِ بَعْدَ التَّأْيِيدِ وَالْعَبْدِ وَلَهُ مَالٌ

1244 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना : “जो शख्स पेवन्दकारी के बाद खजूरों के दसख्त खरीदे तो उसका फल, बेचने वाले के लिए होगा इल्ला (मगर) यह कि खरीदने वाला शर्त लगा ले और जो शख्स मालदार गुलाम को खरीदे तो उस गुलाम) का माल बेचने वाले का होगा इल्ला यह कि खरीदने वाला शर्त लगा ले।

बुखारी: 2204. मुस्लिम: 1543. अबू दाऊद: 3433.
इब्ने माजा: 2210. निसाई: 4635.

वज़ाहत: इस मसले में जाबिर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है और इब्ने उमर (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। इसी तरह कई सनदों के साथ जोहरी से बवास्ता सालिम इब्ने उमर (رضي الله عنه) से मर्वी है कि नबी करीम(ﷺ) ने फ़रमाया, “जो शख्स पेवन्दकारी के बाद खजूरों की खरीदो फ़रोख्त करता है तो उसका फल बेचने वाले का होगा इल्ला यह कि खरीदने वाला तै कर ले और जो किसी ऐसे गुलाम की खरीदो फ़रोख्त करता है जिसके पास माल है तो उसका माल बेचने वाले का होगा इल्ला (मगर) यह कि खरीदने वाला तै कर ले तो ठीक है। नीज नाफ़े से भी बवास्ता इब्ने उमर (رضي الله عنه) से मर्वी है कि नबी करीम(ﷺ) ने फ़रमाया, “जो शख्स ऐसी खजूरें खरीदता है जिनकी पेवन्दकारी हो चुकी हो तो उनका फल बेचने वाले का होगा, अगर लेने वाला शर्त लगा ले तो दुरुस्त है।” और नाफ़े (رضي الله عنه) इब्ने उमर (رضي الله عنه) से ही बयान करते हैं कि उन्होंने फ़रमाया, “जो शख्स ऐसे गुलाम की बै करता है जिसके पास माल हो तो उसका माल बेचने वाले का है अगर शर्त लगा कर तै कर लेता है तो ठीक है। उबैदुल्लाह बिन उमर वगैरह ने भी नाफ़े से यह दो हदीसों इसी तरह रिवायत की हैं। नीज बाज़ (कुछ) ने इस हदीस को नाफ़े से बवास्ता इब्ने उमर नबी करीम(ﷺ) से इसी तरह बयान किया है जबकि इकिमा बिन खालिद (رضي الله عنه) ने भी इब्ने उमर (رضي الله عنه) से नबी अकरम(ﷺ) की हदीस सालिम की तरह और बाज़ (कुछ) उलमा का इसी हदीस पर अमल है। इमाम शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक (رضي الله عنه) का भी यही कौल है। मोहम्मद बिन इस्माईल बुखारी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: इस मसले में जोहरी की सालिम से उनके बाप के वास्ते से बयान की गई नबी करीम(ﷺ) की हदीस सब से ज़्यादा सहीह है।

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ ابْتِئَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تَوَوَّرَ فَشَمَرْتَهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتِئَاعُ، وَمَنْ ابْتِئَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتِئَاعُ.

26 - खरीदो फ़रोख्त करने वाले दोनों आदमी जुदा होने तक बै को तोड़ने का इस्तिथार रखते हैं।

26 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبَيْعَيْنِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

1245 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) से रिवायत कि उन्होंने कहा मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना: “खरीदो फ़रोख्त करने वाले दोनों आदमी जुदा होने तक बै (सौदा) को तोड़ने का इस्तिथार रखते हैं या एक दूसरे को इस्तिथार न दे दें।” रावी कहते हैं: इब्ने उमर (رضي الله عنه) जब बै करते तो अगर बैठे होते तो खड़े हो जाते ताकि बै वाजिब हो जाए।

1245 - حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَخْتَارَا.

बुखारी: 2107. मुस्लिम: 1531. अबू दाऊद: 3454. इब्ने माजा: 281. निसाई: 4465, 4470.

वज़ाहत: इस मसले में अबू बरजा, हकम बिन हिजाम, अब्दुल्लाह बिन अम्र, समुरा, अबू हरैरा और इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से भी रिवायत मर्वी है।

इमाम तिमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। नीज नबी (ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ (कुछ) अहले इल्म का इसी पर अमल है, इमाम शाफ़ेई अहमद और इस्हाक़ (رحمته الله) का भी यही कौल है। वह मजीद कहते हैं कि जिस्मों के साथ जुदा होना मुराद है कलाम के साथ नहीं।

जबकि बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं फ़रमाने नबी (ﷺ) जब तक जुदा न हो जाए से कलाम के साथ जुदाई मुराद है लेकिन पहला कौल सहीह है क्योंकि इब्ने उमर (رضي الله عنه) ने इस हदीस को नबी (ﷺ) से रिवायत किया है और वह अपनी रिवायत का मतलब ज़्यादा जानते हैं उनसे यह भी मर्वी है की जब वह किसी बै को वाजिब करना चाहें तो उठ कर चल देते थे ताकि बै वाजिब हो जाए।

1246 - सय्यदना हकम बिन हिजाम (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया: “खरीदो फ़रोख्त करने वाले जब तक अलग न हो बै (सौदा) ख़त्म करने का

1246 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

इख्तियार रखते हैं मगर वह सच बोले और वाज़ेह बात करे तो उनकी तिजारत में बरकत दी जाती है और अगर बात को छिपाए और झूठ बोलें तो उनकी बै की बरकत को खत्म कर दिया जाता है।”

(1246) बुखारी: 2079 मुस्लिम: 1532 अबू दाऊद: 459 निसाई: 4457

वज़ाहत: यह हदीस सहीह है नीज अबू बरजा अल अस्लमी (رضي الله عنه) से भी इसी तरह मर्वी है कि दो आदमी घोड़े की बै करने के बाद झगड़ने लगे और वह कश्ती में थे तो उन्होंने फ़रमाया, “तुम जुदा तो नहीं हो सकते क्योंकि कश्ती में हो और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “ख़रीदो फ़रोख्त करने वाले जब तक जुदा न हो बै को ख़त्म करने का इख्तियार रखते हैं।

कूफा के बाज़ (कुछ) उलमा का मज़हब है कि इससे मुराद बात का जुदा होना है सुफ़ियान सौरी का भी यही कौल है नीज मालिक बिन अनस से भी इसी तरह मर्वी है इब्ने मुबारक से मर्वी है वह कहते हैं कि मैं इसको कैसे रद्द कर सकता हूँ! जबकि इस बारे में नबी करीम (ﷺ) की सहीह हदीस है और उन्होंने इस (तफ़रीक बिल अबदान वाले मज़हब को) कवी कहा है। नबी (ﷺ) के फ़रमान : सिवाए बै ख़ियार के “इसका मतलब यह है कि बेचने वाला बै वाजिब होने के बाद ख़रीदने वाले को इख्तियार दे दे तो जब ख़रीदने वाला बै को ही इख्तियार करता है तो बाद में उसे बै को ख़त्म करने का हक़ नहीं होगा। अगरचे वह जुदा न भी हो शाफ़ेई वग़ैरह ने इसी तरह इसकी तफ़सीर की है और जो कहते हैं कि इस से मुराद तफ़रीक बिल अबदान है तफ़रीक बिल कलाम नहीं उनके कौल को इब्ने उमर (رضي الله عنه) की नबी करीम (ﷺ) से रिवायत कर्दा हदीस मज़बूत करती है।

1247 - अम्र बिन शोएब अपने बाप से वह अपने दादा अब्दुलाह बिन उमर (رضي الله عنه) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “बेचने और ख़रीदने वाला जब तक जुदा न हों बै को ख़त्म करने का इख्तियार रखते हैं सिवाए इस के कि इख्तियार वाली बै हो और किसी के लिए हलाल नहीं है कि वह बै को तोड़ने के डर से अपने साथी से जुदा हो जाए।

हसन सहीह: अबू दाऊद: 3456. निसाई: 4483. मुसनद अहमद: 2/ 183.

الْحَارِثُ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَّفِقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لُهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

1247 - أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَّفِقَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفَقَةَ خِيَارٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشِيَةَ أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन है और इसका मतलब यह है कि वह बै करने के बाद फरीके सानी की तरफ़ से उसको ख़त्म करने के डर से उस से अलग न हों, और अगर इस से मुराद तफ़रीक बिल कलाम हो और बै के बाद इख़्तियार देने की इजाज़त न हो तो फिर इस हदीस का तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि : “बै को तोड़ने के डर से उस से अलग होना हलाल नहीं है।

27 - बेचने और ख़रीदने वाले के इख़्तियार का बयान

1248 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया: “ख़रीदो फ़रोख़्त करने वाले बै (सौदे) के बाद रजामन्दी और खुशी के साथ अलग हों।

हसन सहीह: अबू दाऊद: 3458. मुसनद अहमद: 2/ 536.

27 - بَابُ مَا جَاءَ فِي خِيَارِ الْمُتَبَايِعِينَ

1248 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَهُوَ الْبَجَلِيُّ الْكُوفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرٍو بْنَ جَرِيرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَتَفَرَّقَنَّ عَنْ بَيْعٍ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं : यह हदीस ग़रीब है।

1249 - सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी करीम (ﷺ) ने एक देहाती को बै (सौदे) के बाद इख़्तियार दिया था।

हसन: इब्ने माजा: 2184. हाकिम: 2/ 49. बेहकी: 5/ 270.

1249 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ الْبَيْعِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं : यह हदीस ग़रीब है।

28 - तिजारत में जिसके साथ धोका होता हो.

1250 - सय्यदना अनस (رضي الله عنه) से रिवायत है कि एक आदमी के मुआमलात में कमज़ोरी थी, वह तिजारत करता था, उसके घर वाले नबी

28 بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ يُخَدَعُ فِي الْبَيْعِ

1250 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَمَادٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى،

करीम (ﷺ) के पास आकर कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! आप इस पर (खरीदो फ़रोख्त की) पाबंदी लगा दीजिए⁽¹⁾ तो अल्लाह के नबी (ﷺ) ने उसे बुलाया और उसे मना कर दिया। उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं बै (खरीदो- फ़रोख्त) के बगैर नहीं रह सकता तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “जब तुम बै किया करो तो कहा करो: यह लो और वह दो और धोका नहीं चलेगा।”

सहीह: अबू दाऊद: 3501. इब्ने माजा: 2354. निसाई: 4485.

(1) हजर करना, किसी पर कमअक्ली की वजह से पाबंदी लगा देना जब उसकी कमज़ोर अक्ल की वजह माल की तलाफ़ी और नुकसान का अदेशा हो।

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं : इस मसले में इब्ने उमर (رضي الله عنهما) से भी हदीस मर्वी है और अनस (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह ग़रीब है।

नीज बाज़ (कुछ) उलमा इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि आज़ाद आदमी पर खरीदो फ़रोख्त में उस वक़्त पाबंदी लगाई जा सकती है जब वह कमज़ोर अक़्ल हो। यह कौल अहमद और इस्हाक़ (رحمته الله عليه) का है। और बाज़ (कुछ) ने आज़ाद बालिग़ आदमी पर पाबंदी लगाने को दुरुस्त नहीं समझा।

29 - जिस जानवर का दूध रोका गया हो.

1251 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़रमाया, “जिसने कोई ऐसा जानवर खरीदा जिसका दूध रोका गया हो तो दूध दुहने के बाद उसे इख़्तियार है। अगर चाहे तो उसे वापस करदे और उसके साथ ख़ुजूरों का एक साअ⁽²⁾ भी दे।”

बुखारी: 2148. मुस्लिम: 1515. अबू दाऊद: 3443. निसाई: 4487

29 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُصْرَاةِ

1251 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْنَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اشْتَرَى مُصْرَاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا حَلَبَهَا، إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ.

तौज़ीह: मुसरात उस ऊंटनी, गाय या भेड़ बकरी को कहते हैं जिसका दूध तीन चार औकात निकाला न गया हो ताकि जब कोई खरीदे तो उसे दूध की मिक़दार ज़्यादा लगे और वह अच्छी क़ीमत दे दे। यह सरीह धोका है। इसलिए इसे वापस करने का इख़्तियार हासिल है। (2) जो दूध इस्तेमाल किया है उसके एवज के तौर पर।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं : इस मसले में अनस और एक और सहाबी (رضي الله عنه) से भी हदीस मव्वी है।

1252 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़रमाया, “जो शख्स दूध रोका गया जानवर खरीदे तो उसे तीन दिन तक (वापस करने का) इख़्तियार है। अगर वापस करता है तो गंदुम के अलावा किसी और अनाज का एक साअ दे।”

मुस्लिम: 1524. अबू दाऊद:3444. इब्ने माजा: 2239. निसाई: 489.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं : सम्रा से मुराद गंदुम है। नीज यह हदीस हसन सहीह है और हमारे साथियों का इसी हदीस पर अमल है। जिनमें इमाम शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمته الله) भी शामिल हैं।

1252 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اشْتَرَى مُصْرَاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ.

30 - जानवर फ़रोख्त करते वक़्त सवारी करने की शर्त लगाना.

1253 - सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि उन्होंने नबी करीम (ﷺ) को एक ऊँट बेचा और अपने घर तक उस पर सवारी करने की शर्त लगाई।

बुखारी: 2967. मुस्लिम: 1590. अबू दाऊद:3505.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है। और जाबिर (رضي الله عنه) से कई इस्नाद के साथ मव्वी है।

30 بَابُ مَا جَاءَ فِي اشْتِرَاطِ ظَهْرِ الدَّابَّةِ عِنْدَ الْمَبِيعِ

1253 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ بَاعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا وَاشْتَرَطَ ظَهْرَهُ إِلَى أَهْلِهِ.

नीज नबी अकरम (ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से कुछ उलमा इसी पर अमल करते हुए बै में कोई शर्त लगा लेने को जायज़ कहते हैं। जब एक ही शर्त हो। इमाम अहमद और इस्हाक (ﷺ) का भी यही कौल है।

और बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं: बै में शर्त जायज़ नहीं और जिस बै में शर्त हो वह मुकम्मल नहीं होती।

31 - गिरवी रखी हुई से फ़ायदा उठा लेना.

1254 - सय्यदना अबू हरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "गिरवी रखे हुए सवारी वाले जानवर पर सवारी की जा सकती है और दूध वाले जानवर का दूध भी पिया जा सकता है जब उसे गिरवी रखा गया हो। नीज सवारी करने वाले और दूध पीने वाले के जिम्मे उस जानवर का ख़र्च होगा।"

बुखारी: 2511. अबू दाऊद: 3526. इब्ने माजा: 3440.

तौज़ीह: शर्ई तौर पर किसी हक़ की ज़मानत के तौर पर कोई चीज़ अपने पास रख लेना ताकि अगर वह हक़ वसूल होना मुम्किन न रहे तो उस रखी हुई चीज़ के ज़रिए उस हक़ को वसूल कर लिया जाए। (मोजमुल वसीत: पृ. 448)

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। हम आमिर अश्शअबी के वास्ते से ही अबू हरैरा (رضي الله عنه) से इस हदीस को मफू जानते हैं। जबकि बहुत से रावियों ने इस हदीस को आमश से बवास्ता अबू सालेह अबू हरैरा (رضي الله عنه) से मौकूफ़ रिवायत किया है। बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं: रहन (रखी हुई चीज़) से फ़ायदा लेना जायज़ नहीं है।

32 - अगर कोई ऐसा हार खरीदे जिस में सोना और जवाहिरात हों.

1255 - सय्यदना फजाला बिन उबैद (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि ख़ैबर के दिन मैंने 12 दीनार का हार ख़रीदा जिसमें सोना और जवाहिरात

31 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِئْتِفَاعِ بِالرَّهْنِ

1254 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَيُوسُفُ بْنُ عَيْسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ زَكْرِيَّا، عَنْ عَامِرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الظَّهُرُ يَرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ.

32 بَابُ مَا جَاءَ فِي شُرَاةِ الْقِلَادَةِ وَفِيهَا ذَهَبٌ وَخَزْرٌ

1255 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي شَجَاعٍ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ

थे। मैंने इसे खोला⁽¹⁾ तो इसमें 12 दीनार से ज्यादा (का सोना) था। मैंने नबी(ﷺ) से इसका जिक्र किया तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, “जब तक इसको जुदा- जुदा न कर दिया जाए इसे फ़रोख्त न किया जाए।”

मुस्लिम: 1591. अबू दाऊद: 3351. निसाई: 4573.

أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ حَنْشِ الصَّنَعَانِيِّ، عَنْ فَصَّالَةَ بِنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فِيهَا ذَهَبٌ وَخَزْرٌ، فَفَضَّلْتُهَا، فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لَا تُبَاعَ حَتَّى تُفْصَلَ.

तौज़ीह: فصل : मोतियों सोने और नगीनों को अलग अलग करना।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है नीज नबी करीम(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से कुछ उलमा इसी पर अमल करते हुए किसी चांदी लगी तलवार या कमर बंद को रूपये के एवज़ फ़रोख्त करने को दुरुस्त नहीं कहते जबकि इसे खोल कर अलग न किया जाए। यही कौल इब्ने मुबारक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ का है।

जब कि नबी करीम(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से कुछ उलमा इसकी रूख़सत देते हैं।

अबू ईसा कहते हैं:) हमें कुतैबा ने बवास्ता इब्ने मुबारक, अबू शुजा सईद बिन यज़ीद से इसी सनद के साथ यही रिवायत बयान की है।

33-वला की मिलिकियत की शर्त लगाने पर डांट

1256 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि उन्होंने बरीरा को ख़रीद कर आज़ाद करने का इरादा किया तो उसके मालिकों ने वला की शर्त लगायी तो नबी करीम(ﷺ) ने फ़रमाया, “उसे ख़रीद लो, वला तो उसी के लिए है जिसने कीमत दी या जिसने एहसान किया। ”

बुख़ारी: 6760. मुस्लिम: 1504. अबू दाऊद: 2916. निसाई: 3449.

33 بَابُ مَا جَاءَ فِي اشْتِرَاطِ الْوَلَاءِ وَالرَّجْرِ عَنْ ذَلِكَ

1256 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطُوا الْوَلَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ، أَوْ لِمَنْ وَلِيَ النُّعْمَةَ.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने उमर (رضي الله عنهما) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिजी (رحمته اللہ علیہ) فرमाते हैं : आयशा (رضی اللہ عنہا) की हदीस हसन सहीह है और अहले इल्म का इसी पर अमल है। नीज मंसूर बिन मोतमिर की कुनियत अबू अताब थी। अबू ईसा कहते हैं: हमें अबू बकर अता बसरी ने अली बिन मदीनी का कौल बयान किया कि मैंने यह्या बिन सईद को यह कहते हुए सुना जब तुम्हें मंसूर की तरफ से कोई हदीस बयान की जाए तो तुम्हारा हाथ भलाई से भर गया फिर तुम किसी और के पास न जाना। फिर यह्या कहते हैं कि मैंने इब्राहीम नखई और मुजाहिद से रिवायत करने वालों में मंसूर से बेहतर कोई नहीं पाया। और मुझे मोहम्मद (बिन इस्माईल बुखारी (رحمته اللہ علیہ) ने अब्दुल्लाह बिन अबी अस्वद के वास्ते के साथ बयान किया कि अब्दुरहमान बिन महदी कहते हैं: मंसूर कूफा वालों में सब से पुख्ता रावी है।

34 - वक्तफ शुदा माल की खरीदो फ़रोख्त

1257 - सय्यदना हकम बिन हिजाम (رحمته اللہ علیہ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हकम बिन हिजाम को भेजा ताकि आप (ﷺ) के लिए एक दीनार में कुर्बानी का जानवर खरीद लायें उन्होंने जानवर खरीदा और उसे आगे बेच कर उसमें एक दीनार नफ़ा हासिल कर लिया। फिर एक और जानवर खरीद लिया और कुर्बानी का जानवर और दीनार लेकर रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आ गए। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “बकरी की कुर्बानी कर दो और दीनार को सदका कर दो।”

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 3386.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته اللہ علیہ) फ़रमाते हैं : हकम बिन हिजाम की हदीस को हम सिर्फ़ इसी सनद से जानते हैं और मेरे मुताबिक़ हबीब बिन अबी साबित ने हकम बिन हिजाम (رحمته اللہ علیہ) से सिमा (सुनना) नहीं किया।

1258 - सय्यदना उर्बा अल- बारिकी (رحمته اللہ علیہ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे एक दीनार दिया ताकि मैं आप के लिए बकरी

34 - بَابُ الشَّرَاءِ وَالْبَيْعِ الْمَوْقُوفِينَ

1257 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً بِدَيْنَارٍ، فَاشْتَرَى أُضْحِيَّةً، فَأَرَبَحَ فِيهَا دَيْنَارًا، فَاشْتَرَى أُخْرَى مَكَانَهَا، فَجَاءَ بِالْأُضْحِيَّةِ وَالْدَيْنَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ضَحِّ بِالشَّاةِ، وَتَصَدَّقْ بِالدَّيْنَارِ.

1258 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ وَهُوَ ابْنُ هِلَالٍ أَبُو حَبِيبٍ الْبَصْرِيُّ،

खरीद लाऊँ, मैंने दो बकरियाँ खरीद लीं, फिर एक बकरी एक दीनार की फ़रोख्त कर दी और एक बकरी और दीनार ले कर नबी करीम (ﷺ) के पास आ गया और आप से इस मामले का ज़िक्र किया। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “अल्लाह तआला तुम्हारे दायें हाथ की तिजारत में बरकत दे।” इसके बाद यह कूफा की मंडी में जाते तो बहुत नफ़ा हासिल करते। सो यह कूफा में सब से ज़्यादा मालदार थे।
बुखारी:3642. अबू दारुद:3384. इब्ने माजा: 2402.

قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ الْأَعْمُرِيُّ الْمُقَرِّيُّ وَهُوَ ابْنُ مُوسَى الْقَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ الْخُرَيْبِ، عَنْ أَبِي لَيْبِدٍ، عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ، قَالَ: دَفَعَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا لِأَشْتَرِي لَهُ شَاةً، فَاشْتَرَيْتُ لَهُ شَاتَيْنِ، فَبِعْتُ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَجِئْتُ بِالشَّاةِ وَالِدَيْنَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ لَهُ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ، فَقَالَ لَهُ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي صَفْقَةِ يَمِينِكَ، فَكَانَ يَخْرُجُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى كُنَاسَةِ الْكُوفَةِ فَيَبِخُ الرِّيحَ الْعَظِيمَ، فَكَانَ مِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْكُوفَةِ مَالًا.

वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं:) हमें अहमद बिन सईद दारमी ने वह कहते हैं: हमें हिब्बान ने (वह कहते हैं:) हमें हम्माद बिन ज़ैद के भाई सईद बिन ज़ैद ने उन्हें जुबैर बिन ख़िर्रीत ने अबू लबीद से इसी तरह हदीस बयान की है।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: बाज़ (कुछ) उलमा इसी हदीस पर चलते हुए इसके कायल हैं, अहमद और इस्हाक़ का भी यही कौल है। और बाज़ (कुछ) उलमा ने इस हदीस को नहीं लिया उन में शाफ़ेई और हम्माद बिन ज़ैद के भाई सईद बिन ज़ैद भी हैं। अबू लबीद का नाम लिमाज़ा बिन ज़ब्बार है।

35 - मुकातब गुलाम के पास अगर अदायगी जितना माल हो.

1259 - सय्यदना इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़रमाया, “मुकातब गुलाम जब हद या मीरास को पहुँच जाए तो उसे अपने आज्ञादशुदा हिस्से के

35 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَكَاتِبِ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي

1259 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبِرَّارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ

मुताबिक ही (सजा या विरासत का हिस्सा) मिलेगा।” और नबी करीम (ﷺ) ने फ़रमाया, “मुकातब अपनी अदायगी के मुताबिक आज़ाद की दियत देगा और जो बाक़ी है उतनी गुलाम की दियत के मुताबिक देगा।”

(1259) सहीह: अबू दाऊद:4581 निसाई: 4808, 4812

वज़ाहत: इस मसले में उम्मे सलमा (رضي الله عنها) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। यहया बिन अबी कसीर ने भी इकिमा से बवास्ता इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) नबी करीम (ﷺ) से इसी तरह रिवायत की है।

और खालिद अल्हज्ज़ा ने इकिमा से अली (رضي الله عنه) का कौल रिवायत किया है।

नीज नबी करीम (ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ (कुछ) उलमा का इसी हदीस पर अमल है। नबी करीम (ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से अक्सर उलमा कहते हैं: मुकातब पर जब तक एक दिरहम भी बाक़ी हो वह गुलाम ही रहेगा। सुफ़ियान सौरी, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمته الله) का भी यही कौल है।

1260 - अग्र बिन शोएब अपने बाप से वह अपने दादा (अब्दुल्लाह बिन अग्र (رضي الله عنه) से रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को खुत्बा देते हुए सुना आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “जो शख्स अपने गुलाम से सौ उकिया पर मुकातबत⁽¹⁾ करे और दस उकिये या दस दिरहम के अलावा सारी रक़म अदा कर दे फिर उस से आजिज़ आ जाए तो वह गुलाम ही रहेगा।”

हसन: अबू दाऊद: 3926. इब्ने माजा: 2519.

तौज़ीह: (1) गुलाम अपने मालिक से अपनी क़ीमत तै करके वक़्त का तअय्युन कर लेता है कि जब मैं तुम्हें इतनी रक़म अदा करूंगा तो मैं आज़ाद हो जाऊंगा। इसे मुकातबत और ऐसा करने वाले को मुकातब कहा जाता है।

عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا أَوْ مِيرَاثًا وَرِثَ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُؤَدِّي الْمُكَاتَبُ بِحِصَّةٍ مَا أَدَّى دِيَةَ حُرٍّ، وَمَا بَقِيَ دِيَةَ عَبْدٍ.

1260 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ: مَنْ كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَةٍ فَأَدَّاهُ إِلَّا عَشْرَ أَوْاقٍ أَوْ قَالَ: عَشْرَةَ دَرَاهِمٍ ثُمَّ عَجَزَ فَهُوَ رَقِيقٌ.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है और नबी करीम (ﷺ) के सहाबा व ताबेईन में से अक्सर उलमा का इसी पर अमल है कि उसकी मुकातबत में से जब तक कुछ अदायगी बाकी है वह गुलाम ही मुतसव्विर होगा (माना जायेगा)। नोज़ हज्जाज बिन अर्तात ने भी अम्र बिन शोऐब से ऐसी ही रिवायत की है।

1261 - सय्यदा उम्मे सलमा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “तुम में से जब किसी के पास मुकातब गुलाम के पास अदायगी जितना माल हो तो वह उस से पर्दा करे।”

जईफ़: अबू दाऊद: 3928. इब्ने माजा: 2520.

1261 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ تَيْهَانَ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبٍ إِحْدَاكُنَّ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और उलमा कहते हैं: इस हदीस का मतलब यह है कि परहेज़गारी इसी में है और वह कहते हैं: अगरचे मुकातब के पास अपनी मुकातबत की अदायगी जितना माल हो लेकिन जब तक अदा न करे उस वक़्त तक उसे आज़ाद नहीं किया जाएगा।

36 - जब किसी का कर्ज़दार दीवालिया हो जाए और कर्ज़ख़ाह अपना सामान उसके पास पा ले तो.

1262 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “जो आदमी मुफ़्लिस हो जाए और कर्ज़ देने वाला आदमी अपना माल उसके पास पा ले तो वह उसका दूसरे से ज़्यादा हक़दार है।”

बुख़ारी: 2402. मुस्लिम: 1559. अबू दाऊद: 3519. इब्ने माजा: 2361, 2358. निसाई: 4676.

36 بَابُ مَا جَاءَ إِذَا أَفْلَسَ لِلرَّجُلِ غَرِيمٌ فَيَجِدُ عِنْدَهُ مَتَاعَهُ

1262 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ، بِنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا امْرِئٍ أَفْلَسَ وَوَجَدَ رَجُلًا سَلَعَتْهُ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَوْلَى بِهَا مِنْ غَيْرِهِ.

वज़ाहत: इस मसले में समुरा और इब्ने उमर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और बाज़ (कुछ) उलमा का इसी पर अमल है नीज शाफ़ेई अहमद और इस्हाक़ भी इसी के कायल हैं, जबकि बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं: वह भी बाकी कर्ज़ख़्वाहों का शरीक होगा। यह कौल अहले कूफ़ा का है।

37 - मुसलमान का जिम्मी को शराब बेचने के लिए देना मना है.

37 بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى الذِّمِّيِّ الْخَمْرَ يَبِيعُهَا لَهُ

1263 - सय्यदना अबू सईद (رضي الله عنه) से रिवायत है हमारे पास एक यतीम की शराब थी। जब सूरह मायदा नाज़िल हुई तो मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से इस बारे में पूछा, मैंने कहा: यह एक यतीम की है, आप(ﷺ) ने फ़रमाया, “इसे बहा दो।”

सहीह: मुसनद अहमद: 3/26, अबू याला: 1277.

1263 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاعِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ عِنْدَنَا خَمْرٌ لِيَتِيمٍ فَلَمَّا نَزَلَتِ الْمَائِدَةُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ، وَقُلْتُ: إِنَّهُ لِيَتِيمٍ، فَقَالَ: أَهْرِقُوهُ.

वज़ाहत: इस मसले में अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: अबू सईद (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है नीज नबी करीम(ﷺ) से कई सनदों से ऐसी ही हदीस मर्वी है। और बाज़ (कुछ) उलमा भी इसी के कायल हैं और शराब से सिका बनाने को भी मकरूह कहते हैं। यह इस वजह से मकरूह है। अल्लाह बेहतर जानता है! कि मुसलमान के घर इतनी देर शराब पड़ी रहेगी यहाँ तक कि सिका बन जाए। और बाज़ (कुछ) ने शराब को सिका बनाने की इजाज़त दी है जब वह खुद बख़ुद सिका बन जाए। अबू वदाक का नाम जुबैर बिन नौफ़ है।

38 - जो शख्स आप को अमानत दे उसकी अमानत वापस करो.

38- بَابُ إِذَا الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ اتَّيَمَّنَكَ

1264 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी करीम(ﷺ) ने फ़रमाया, “जो तुम्हें

1264 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا طَلْحُ بْنُ عَتَّامٍ، عَنْ شَرِيكَ، وَقَيْسٍ، عَنْ أَبِي

अमीन समझे और अमानत रख दे तुम उसे अमानत (रखी हुई चीज़) वापस कर दो और जो तुम्हारे साथ रखयानत करे तुम उसके साथ न करो। ”

حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ أَسْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ.

सहीह: अबू दाऊद:3535. दारमी: 2600. दारे कुतनी: 3/35.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। नीज बाज़ (कुछ) उलमा इसी हदीस पर मज़हब रखते हुए कहते हैं कि जब किसी का किसी पर कर्ज़ हो और कर्ज़दार भाग जाए तो अगर कर्ज़ख्वाह के पास उसकी कोई चीज़ हो तो उसे दबाना जायज़ नहीं है। ताबेईन में से बाज़ (कुछ) उलमा इसकी इजाज़त देते हैं। सौरी का भी यही कौल है। वह मजीद कहते हैं: अगर उसके ज़िम्मा दिरहम थे और उस कर्ज़ख्वाह के पास उसके दोनार हो तो उसके लिए जायज़ नहीं है कि उसके दिरहम रोक ले, हाँ अगर दिरहम ही हो तो अपनी रक़म के मुवाफ़िक़ रख सकता है।

39 - इस्तेमाल के लिए वक़्ती तौर पर ली गई चीज़ को वापस किया जाए.

39 بَابُ مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْعَارِيَةَ مُؤَدَّاءَةٌ

1265 - सय्यदना अबू उमामा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि मैंने नबी करीम (ﷺ) से हज्जतुल विदा के साल ख़ुत्बा में इरशाद फ़रमाते हुए सुना: “इस्तेमाल के लिए उधार ली गई चीज़ को वापस करना ज़रूरी है, (ज़मानत वाली चीज़ देने का) ज़िम्मेदार है और कर्ज़ को अदा किया जाना ज़रूरी है। ”

1265 - حَدَّثَنَا هَنَادٌ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرْحَبِيلِ بْنِ مُسْلِمِ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْخُطْبَةِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاءَةٌ، وَالرَّعِيمُ غَارِمٌ، وَالذَّيْنُ مَقْضِيٌّ.

सहीह: अबू दाऊद: 3565. इब्ने माजा: 2295.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: इस मसले में समुरा, सफ़वान बिन उमय्या और अनस (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। नीज फ़रमाते हैं अबू उमामा (رضي الله عنه) की हदीस हसन ग़रीब है और इसके अलावा एक और सनद से भी बवास्ता अबू उमामा (رضي الله عنه) नबी करीम (ﷺ) से मर्वी है।

1266 - सय्यदना समुरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी करिम (ﷺ) ने फ़रमाया, “हाथ ने जो

1266 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ.

चीज़ ली है जब तक वापस न कर दे उसके ज़िम्मा रहती है।” क़तादा कहते हैं: फिर हसन भूल गए तो उन्होंने कहा: जिसे तुमने आरियतन कोई चीज़ दी है) वह तुम्हारा अमीन है उस पर ज़मान लाजिम नहीं आएगा। यानी आरियतन ली हुई चीज़ का।

ज़ईफ़: अबू दारूद: 3561. इब्ने माजा: 2400.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज नबी करीम (ﷺ) के सहाबा और ताबेईन में से बाज़ (कुछ) उलमा इसी के मुताबिक़ मज़हब रखते हुए कहते हैं: आरियतन लेने वाला उसका जामिन होगा। शाफ़ेई और अहमद भी इसी के कायल हैं। जबकि नबी करीम (ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से कुछ उलमा कहते हैं: इस्तेमाल के लिए लेने वाला जामिन नहीं होगा। हाँ अगर वह इस्तेमाल करने के तरीक़े में मालिक की मुखालिफ़त करे तब जामिन होगा। यह कौल सौरी अहले कूफ़ा और इस्हाक़ का है।

40 - जखीरा अन्दोज़ी करना.

1267 - सय्यदना मामर बिन अब्दुल्लाह बिन नज्ज़ा (رحمته الله عليه) रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना: “गुनाहगार⁽¹⁾ ही ज़खीरा अन्दोज़ी करता है।” मोहम्मद बिन इब्राहीम कहते हैं: मैंने सईद से कहा ऐ अबू मोहम्मद! आप भी तो ज़खीरा अन्दोज़ी करते हैं? उन्होंने कहा: मामर (رحمته الله عليه) भी ज़खीरा अन्दोज़ी करते थे। और सईद बिन मुसय्यब से मर्वी है कि वह तेल और चाय वगैरह को ज़खीरह करते थे।

मुस्लिम: 1605. अबू दारूद: 3447. इब्ने माजा: 2154.

तौज़ीह: (1) अनाज और आम इस्तेमाल वाली अश्या (चीज़ों) की जब मार्केट में किल्लत हो या कहत वगैरह का दौर हो उस वक़्त ज़खीराअन्दोज़ी हराम है और नीयत भी यह हो कि उसे मंहगे दामों में फ़रोख़्त

40 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِحْتِكَارِ

1267 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَضْلَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّكَ تَحْتَكِرُ، قَالَ وَمَعْمَرٌ قَدْ كَانَ يَحْتَكِرُ.

किया जाए, लेकिन अगर ऐसी सूतेहाल न हो तो फिर तिजारत की गरज से स्टोक कर लेना जायज़ है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (रह) फ़रमाते हैं: इस मसले में उमर, अली, अबू उमामा और इब्ने उमर (रह) से भी हदीस मर्वी है। और मामर (रह) की हदीस हसन सहीह है। नीज अहले इल्म इसी पर अमल करते हुए खाने वाली अश्या की ज़खीरा अन्दोज़ी को मकरूह कहते हैं जबकि बाक़ी अश्या की ज़खीरा अन्दोज़ी में इजाज़त देते हैं। इब्ने मुबारक कहते हैं: रोटी और चमड़े वगैरह की ज़खीरा अन्दोज़ी में कोई हर्ज नहीं है।

41 - दूध रोके जानवर को बेचना या खरीदना.

1268 - सय्यदना इब्ने अब्बास (रह) से रिवायत है कि नबी करीम (रह) ने फ़रमाया, “बाज़ार पहुँचने से पहले तिजारती काफिले से न मिलो, जानवरों का दूध न रोको और किसी चीज़ के लिए किसी चीज़ की कीमत में इजाफा न करो।”

हसन: मुसनद अहमद: 1/256. अबू याला: 2345.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (रह) फ़रमाते हैं: इस मसले में इब्ने मसऊद और अबू हुरैरा (रह) से भी हदीस मर्वी है और इब्ने अब्बास (रह) की हदीस हसन सहीह है नीज अहले इल्म का इसी पर अमल है। वह भी दूध रोके गए जानवर को बेचना मकरूह कहते हैं। इसे मुसर्रात भी कहा जाता है। यह वह जानवर है जिसका मालिक कुछ दिन तक दूध न निकाले ताकि उसके थानों में दूध जमा हो जाए और खरीदने वाला धोके में आ जाए। नीज यह धोके और फ़रेब की क्रिस्म है।

42 - झूठी क़सम के ज़रिए किसी मुसलमान का माल ग़सब करना.

1269 - अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रह) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (रह) ने फ़रमाया, “जिसने ऐसी बात पर क़सम उठाई जिसमें वह

41 بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْمُحَقَّلَاتِ

1268 - حَدَّثَنَا هَنَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَسْتَقْبِلُوا السُّوقَ، وَلَا تُحَقِّلُوا، وَلَا يَنْفُقُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ.

42 بَابُ مَا جَاءَ فِي الِيمِينِ الْفَاجِرَةِ يُقْتَطَعُ بِهَا مَالُ الْمُسْلِمِ

1269 - حَدَّثَنَا هَنَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ،

झूठा है ताकि किसी मुसलमान आदमी का माल हड़प कर ले वह अल्लाह से जब मिलेगा तो अल्लाह उस पर गुस्से की हालत में होगा। ” यह सुनकर अशअस बिन कैस ने कहा: “अल्लाह की क़सम! यह हदीस मेरे बारे में इरशाद फ़रमायी गई थी। मेरी और एक यहूदी की इकट्टी ज़मीन थी। उस ने मेरे हक़ का इनकार किया तो मैं उसे नबी करीम (ﷺ) के पास ले गया, अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया, “तुम्हारे पास कोई दलील है?” मैंने कहा: नहीं” आप ने यहूदी से फ़रमाया, “तुम क़सम उठाओ” मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! यह तो क़सम उठा कर मेरा माल ले जाएगा, तो अल्लाह तआला ने यह आयत आखिर तक नाजिल फ़रमा दी:” बेशक वह लोग जो अल्लाह के अहद और अपनी क़समों के बदले थोड़ी कीमत ख़रीदते हैं। ” (आले इमरान: 77)

बुखारी: 2357. मुस्लिम: 138. अबू दाऊद: 3243. इब्ने माजा: 2323.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: इस मसले में वाइल बिन हुज़्र, अबू मूसा, अबू उमामा बिन सालबा अंसारी और इमरान बिन हुसैन (رحمته الله عليه) से भी हदीस मर्वी है। नीज इब्ने मसऊद (رحمته الله عليه) की हदीस हसन सहीह है।

43 - जब ख़रीदने और बेचने वाले में इय़त्तलिफ़ हो जाए.

1270 - इब्ने मसऊद (رحمته الله عليه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “जब ख़रीदो फ़रोख़्त करने वाले दोनों आदमियों का

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ خَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرَأٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ. فَقَالَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ: فِيَّ وَاللَّهِ، لَقَدْ كَانَ ذَلِكَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ، فَجَحَدَنِي، فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا بَيْنَهُ؟ قُلْتُ: لَا، فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ: اخْلِفْ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا يَخْلِفُ فَيَذْهَبُ بِمَالِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.

43 بَابُ مَا جَاءَ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيْعَانِ

1270 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ

इख्तिलाफ़ हो जाए तो बेचने वाले की बात मोतबर होगी और ख़रीदने वाले को इख्तियार होगा। ”

सहीह: अबू दाऊद: 3511. निसाई: 4648.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: यह हदीस मुर्सल है। अवान बिन अब्दुल्लाह ने इब्ने मसऊद को नहीं पाया। नीज बवास्ता कासिम बिन अब्दुर्रहमान इब्ने मसऊद से इस हदीस को इसी तरह बयान किया लेकिन वह भी मुर्सल है।

इस्हाक़ बिन मंसूर कहते हैं: मैंने अहमद से कहा: जब ख़रीदने और बेचने वाले का इख्तिलाफ़ हो जाए और दलील भी न हो, तो फिर? उन्होंने फ़रमाया, बात सामान के मालिक की ही मोतबर होगी या उस चीज़ को वापस कर लें। इस्हाक़ (رحمته الله عليه) भी ऐसे ही कहते हैं: और हर वह आदमी जिसका कौल मोतबर हो उस से क़सम ली जाएगी।

इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: बाज़ (कुछ) ताबेईन से भी ऐसे ही मर्वी है जिनमें शूरेह भी हैं।

44 - ज़ायद पानी को फ़रोख्त करना.

44 بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ

1271 - सय्यदना इयास बिन अब्द अल मुज़नी (رحمته الله عليه) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने ज़ायद पानी को बेचने से मना किया है।

सहीह: अबू दाऊद: 3478. इब्ने माजा: 2476. निसाई: 4663, 4661.

वज़ाहत: इस मसले में जाबिर व बहीसा की अपने बाप से, अबू हुरैरा, आयशा, अनस और अब्दुल्लाह बिन अम्र (رحمته الله عليه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: इयास बिन अब्द अल मुज़नी (رحمته الله عليه) की हदीस हसन सहीह है और अक्सर उलमा इसी पर अमल करते हुए पानी बेचने से मना करते हैं। यह कौल इब्ने मुबारक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ का है। जबकि बाज़ (कुछ) उलमा पानी को बेचने की रूख़सत देते हैं जिनमें हसन बसरी भी हैं।

1272 - सय्यदना अबू हुरैरा (رحمته الله عليه) से रिवायत है कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़रमाया, “ज़ायद

1271 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْمُزَنِيِّ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ.

1272 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ،

पानी को न रोका जाए इसलिए कि इसकी वजह से घास भी रुक जाए। ”

बुखारी: 2353. मुस्लिम: 1566. अबू दाऊद: 3473.
इब्ने माजा: 2478.

عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُمْنَعُ
فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَاءُ.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। अबू मिन्हाल का नाम अब्दुर्रहमान बिन मुतइम कूफी है। हबीब बिन साबित इसी से रिवायत करते हैं और अबू मिन्हाल सय्यार बिन सलामा बसरी हैं। यह अबू बर्जा अल अस्लमी (رحمته الله) के शागिर्द हैं।

**45 - नर जानवर को मादा जानवर पर
छोड़ने की उज्रत लेना मक़रूह है।**

1273 - सय्यदना इब्ने उमर (رحمته الله) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने नर सांड (को मादा पर छोड़ने) की उज्रत लेने से मना किया है।

बुखारी: 2284. अबू दाऊद: 4329. निसाई: 4671.

45 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ عَسْبِ
الْفَحْلِ

1273 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَأَبُو عَمَّارٍ
قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عَلِيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا
عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ
عَسْبِ الْفَحْلِ.

वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरैरा, अनस और अबू सर्ईद (رحمته الله) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर (رحمته الله) की हदीस हसन सहीह है और बाज़ (कुछ) उलमा का इसी पर अमल है। जबकि एक जमात ने इनाम वगैरह लेने की इजाज़त दी है।

1274 - सय्यदना अनस बिन मालिक (رحمته الله) से रिवायत है कि किल्लाब कबीले के एक आदमी ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से नर जानवर की उज्रत लेने के बारे में सवाल किया तो आप ने उसे मना कर दिया। उस ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हम सांड को (मादा जानवर पर) छोड़ते हैं तो हमें

1274 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَزَاعِيُّ
الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ حُمَيْدِ الرَّوَاسِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ
عُرْوَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ، عَنْ
أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِلَابٍ سَأَلَ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ عَسْبِ

कुछ इनाम वगैरह दिया जाता है। आप (ﷺ) ने
इनाम कुबूल करने की रूखसत दे दी।

सहीह: निसाई: 4672.

الْفَحْلُ؟ فَتَهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا
نُطْرِقُ الْفَحْلَ فَنُكْرِمُ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي
الْكَرَامَةِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है हम इसे सिर्फ़ बवास्ता इब्राहीम
बिन हुमैद ही हिशाम बिन उर्वा से जानते हैं।

46 - कुत्ते की क़ीमत.

1275 - सय्यदना राफ़े बिन ख़दीज (ﷺ) से
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया,
“सींगी लगाने वाले की कमाई नापाक है,
जानिया औरत का ख़र्च नापाक है और कुत्ते की
क़ीमत नापाक है।”

मुस्लिम: 1568. अबू दाऊद: 3421.

46 بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَمَنِ الْكَلْبِ

1275 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ،
عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ
يَرِيدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَسَبَ
الْحَجَّامُ حَبِيثًا، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ حَبِيثٌ،
وَتَمَنُّ الْكَلْبِ حَبِيثٌ.

तौज़ीह: (1) नापाक से मुराद हराम है। लेकिन सींगी लगाने की उज़्रत लेने की इजाज़त दी गई है जैसा
कि अन करीब आएगा।

वज़ाहत: इस मसले में उमर। अली, इब्ने मसऊद, अबू मसऊद, जाबिर, अबू हुरैरा, इब्ने अब्बास, इब्ने
उमर और अब्दुल्लाह बिन जाफ़र (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिजी (ﷺ) फ़रमाते हैं: राफ़े बिन ख़दीज (ﷺ) की हदीस हसन सहीह है और अक्सर
उलमा इसी पर अमल करते हुए कुत्ते की क़ीमत को मकरूह कहते हैं। यह कौल शाफ़ेई, अहमद और
इस्हाक (ﷺ) का है।

जबकि बाज़ (कुछ) उलमा शिकारी कुत्ते की क़ीमत लेने की रूख़सत देते हैं।

1276 - सय्यदना अबू मसऊद अंसारी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कुत्ते की कीमत, जानिया की कमाई और काहिन की मिठाई से मना किया है।

मुस्लिम: 1568. अबू दाऊद: 3421. निसाई: 2494.

1276 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ (ح) وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْرُومِيُّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَخُلُوانِ الْكَاهِنِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

47 - सींगी लगाने वाले की कमाई.

1277 - बनू हारिस के इब्ने मुहय्यिसा अपने बाप (सय्यदना मुहय्यिसा رضي الله عنه) से रिवायत करते हैं कि उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से सींगी लगाने की उज्रत लेने की इजाज़त मांगी तो आप (ﷺ) ने उसे इस काम से मना कर दिया, वह आप से पूछते और इजाज़त मांगते रहे यहाँ तक कि आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “इस रक़म का चारा लेकर अपने कूँट को खिला दे और अपने गुलाम को खाना खिला दे।”

सहीह: अबू दाऊद: 3422. इब्ने माजा: 2166.

वज़ाहत: इस मसले में राफे बिन खदीज, अबू जुहेफा, जाबिर और साइब बिन यज़ीद (رضي الله عنه) से भी हदीस मवी है।

इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: मुहय्यिसा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। और बाज़ (कुछ) उलमा का इसी पर अमल है।

इमाम अहमद फ़रमाते हैं: अगर सींगी लगाने वाला मुझसे पूछे तो इस हदीस की वजह से मैं उसे रोक दूँ।

47 باب ما جاء في كسب الحجام

1277 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ ابْنِ مُحَيْصَةَ، أَخِي بَنِي حَارِثَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِجَارَةِ الْحَجَامِ، فَتَهَاةَ عَنْهَا، فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ، حَتَّى قَالَ: اغْلِفْهُ نَاصِحَكَ، وَأَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ.

48 - सींगी लगाने वाले को उजरत लेने की इजाजत है।

1278 - हुमैद (رضي الله عنه) कहते हैं कि अनस (رضي الله عنه) से सींगी लगाने वाले की कमाई के बारे में पूछा गया तो अनस (رضي الله عنه) ने फ़रमाया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने भी सींगी लगवाई थी। आप ने उसे अनाज वगैरह के दो साअ (तकरीबन 5 किलो ग्राम) देने का हुक्म दिया था और उसके मालिकों से बात की थी तो उन्होंने इसका खराज कम कर दिया था। और आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “जिन चीजों से तुम इलाज करते उन में सब से अफज़ल हिजामा⁽¹⁾ सींगी लगाना है या फ़रमाया, तुम्हारा सब से बेहतर इलाज हिजामा है।

बुखारी: 5696. मुस्लिम: 1577. अबू दाऊद: 3424. इब्ने माजा: 2164.

तौज़ीह: (1) हिजामा: जिस्म के बीमारी से मुतास्सिरा हिस्से (प्रभावित अंग) से खून निकालने को हिजामा कहा जाता है इसे सींगी और पछने का नाम भी दिया जाता है। अंग्रेज़ी में इस को Cupping कहते हैं। यह मसनून इलाज है। आप (ﷺ) ने खुद भी हिजामा लगवाया आप की अज्वाजे मुतहहरात ने भी आप (ﷺ) ने उम्मत को तरगीब भी दी। अल्लाह का शुक्र है जदीद साइंस भी इस तरीक़-ए-इलाज को बेहतरीन करार देती है।

वज़ाहत: इस मसले में अली, इब्ने अब्बास और इब्ने उमर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: अनस (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

नीज नबी करीम (ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से भी बाज़ (कुछ) उलमा हिजामा करने वाले की मजदूरी या कमाई की रूख़सत देते हैं। इमाम शाफ़ेई (رضي الله عنه) का भी यही कौल है।

48 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّحْصَةِ فِي كَسْبِ

الْحِجَامِ

1278 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ عَنْ كَسْبِ الْحِجَامِ، فَقَالَ أَنَسٌ: اخْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ أَهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَجِهِ، وَقَالَ: إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةَ، أَوْ إِنَّ مِنْ أَمْثَلِ دَوَائِكُمْ الْحِجَامَةَ.

49 - कुत्ते और बिल्ले की कीमत लेना और इस्तेमाल करना मना है।

49 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ ثَمَنِ الْكَلْبِ
وَالسِّنُورِ

1279 - सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कुत्ते और बिल्ले⁽¹⁾ की कीमत लेने से मना किया है।

मुस्लिम: 1569. अबू दाऊद: 3479. निसाई: 4295.

1279 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سَفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنُورِ.

(1) السِّنُورِ: इस से मुराद बिल्ला है इसकी जमा सनायिर और

मुअन्नस سنوره आती है। देखिये: (मोजमुल वसीत:पृ. 537) नीज बिल्ली भी इसी हुक्म में आती है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: इस हदीस की सनद में कलाम है और बिल्ली की कीमत में यह रिवायत सहीह नहीं है। नीज यह रिवायत आमश से उनके किसी साथी के तवस्सुत से भी जाबिर (رضي الله عنه) से मर्वी है और मुहद्दीसीन आमश की इस रिवायत को मुज़तरिब कहते हैं।

उलमा की एक जमात बिल्ले की कीमत को मकरूह कहती है और बाज़ (कुछ) इस में रूख़सत देते हैं। यह कौल अहमद और इस्हाक (رحمته الله عليه) का है।

इब्ने फ़ज़ल ने आमश से बवास्ता अबू हाजिम, अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से इसके अलावा भी एक हदीस नबी करीम (ﷺ) से रिवायत की है।

1280 - सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बिल्ला खाने और उसकी कीमत लेने से मना किया है।

ज़ईफ़: इब्ने माजा: 3250. अब्दुरज़ाक़: 87 49. अबू दाऊद: 3480.

1280 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ زَيْدِ الصُّعْمَانِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْهَرِّ وَثَمَنِهِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है और अब्दुरज़ाक़ के अलावा हम किसी को नहीं जानते जिसने उमर बिन ज़ैद से रिवायत की हो।

50 - शिकारी कुत्ते की कीमत लेने की रुख़सत.

1281 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि (नबी करीम ﷺ ने) शिकारी कुत्ते के सिवा कुत्ते की कीमत से मना किया।

हसन: अस्सिलसिला अस्सहीहा: 2971.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: इस सनद के साथ यह हदीस सहीह नहीं है और अबू महज़म का नाम यज़ीद बिन सुफ़ियान है। शोबा बिन हज़ाज ने इस पर जरह करते हुए इसे ज़ईफ़ कहा है। नीज जाबिर (رضي الله عنه) से नबी करीम (ﷺ) की एक और ऐसी ही हदीस मर्वी है लेकिन इसकी सनद भी सहीह नहीं है।

51 - गाने वाली लौंडियों की ख़रीदो फ़रोख्त मना है.

1282 - सय्यदना अबू उमामा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "गाने वाली" (1) लौंडियों को ना बेचो, न ख़रीदो और न ही उन्हें गाना सिखाओ, उनकी तिजारात करने में कोई भलाई नहीं है और उनकी कीमत भी हाराम है। ऐसे ही कामों के बारे में यह आयत नाजिल हुई है: "कुछ लोग ऐसे हैं जो खेल तमाशे की बात को ख़रीदते हैं ताकि अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर दें। (लुकमान: 6)

ज़ईफ़: इब्ने माजा: 2168. मुसनद अहमद: 5/252.

तौज़ीह: القينة : लौंडी, बांदी, कारीगर हो या न हो उसका ज़्यादा इस्तेमाल मुग्रिया (गाने वाली) पर होता

50 - بَابُ الرخصة في ثمن كلب الصيد.

1281 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهْزَمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، إِلَّا كَلْبَ الصَّيْدِ.

51 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الْمُغَنِّيَاتِ

1282 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ عُثَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَخْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَبِيعُوا الْقَيْنَاتِ، وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ، وَلَا تَعْلَمُوهُنَّ، وَلَا خَيْرَ فِي تِجَارَةِ فِيهِنَّ، وَتَمْنُهُنَّ حَرَامٌ، فِي مِثْلِ هَذَا أَنْزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.

है। नीज मेकअप करने वाली औरत भी القبيحة ही कहा जाता है। देखिये: (मोजमुल वसीत: पृ. 931)

वज़ाहत: इस मसले में उमर बिन खत्ताब (رضي الله عنه) से भी रिवायत है। इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: अबू उमामा (رضي الله عنه) की ऐसी हदीस हमें सिर्फ़ इसी सनद से ही मिलती है। जबकि बाज़ (कुछ) उलमा ने अली बिन यज़ीद पर जरह करते हुए उसे ज़ईफ़ कहा है। यह शाम का रहने वाला था।

52 - गुलामों को फ़रोख्त करते वक़्त दो भाइयों या मां और औलाद को जुदा करना मना है।

52 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يُفْرَقَ بَيْنَ الْأَخْوَانِ أَوْ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فِي الْبَيْعِ

1283 - अबू अय्यूब (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना: “जो शख्स मां और उसकी औलाद में जुदाई करता है तो क़यामत के दिन अल्लाह तआला उस के और उसके महबूब के दरमियान जुदाई डाल देगा।”

हसन: मुसनद अहमद: 5/412. दारमी: 2482.

1283 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है।

1284 - सय्यदना अली (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे दो गुलाम भाई तोहफ़े में दिया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझसे पूछा: “ऐ अली! तुम्हारा गुलाम कहाँ गया?” मैंने आपको बताया तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “उसे वापस लाओ, उसे वापस लाओ।”

ज़ईफ़: इब्ने माजा: 2249. मुसनद अहमद: 1/102.

1284 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَيْبٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: وَهَبَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامَيْنِ أَخْوَانٍ فَبِعْتُ أَحَدَهُمَا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَلِيُّ مَا فَعَلَ غُلَامُكَ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: رُدَّهُ رُدَّهُ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। नीज नबी करीम (ﷺ) के

सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ (कुछ) उलमा फ़रोख़्त करते वक़्त कैदियों के दर्मियान जुदाई करने को मकरूह कहते हैं।

जबकि कुछ उलमा ने दारुल इस्लाम में पैदा होने वाले गुलाम, बच्चों के दर्मियान तफ़रीक़ करने की रुख़सत दी है। लेकिन पहला कौल ज़्यादा सहीह है। इब्राहीम नखई से मर्वी है कि उन्होंने मां और उसके बच्चे को अलग-अलग बेच दिया था। उनसे इसके बारे में पूछा गया तो कहने लगे: मैंने उस से इस काम की इजाज़त ली थी तो वह राजी हो गई।

53 - एक शख्स गुलाम ख़रीद कर उसकी कमाई भी इस्तेमाल करे फिर उसमें कोई ऐब नज़र आ जाए.

53 بَابُ مَا جَاءَ فِيهِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ
وَيَسْتَعْلَهُ ثُمَّ يَجِدُ بِهِ عَيْبًا

1285 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फैसला दिया कि कमाई खाने का ताल्लुक़ ज़मानत (वाले) के साथ है।

1285) हसन: अबू दारूद : 3508 इब्ने माजा: 2242 निसाई: 4490

1285 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ عُمَرَ، وَأَبُو غَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذَثَبٍ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَّابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज यह हदीस एक और सनद से भी मर्वी है और उलमा का इसी पर अमल है।

1286 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फैसला दिया कि कमाई खाने का ताल्लुक़ ज़मानत वाले के साथ है।

हसन: पिछली हदीस देखें.

1286 - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلْفٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ.

वज़ाहत: यह हदीस भी हसन सहीह है और हिशाम बिन उर्वा की सनद से ग़रीब है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: मुस्लिम बिन ख़ालिद अज़-ज़ंजी ने इस हदीस को हिशाम

बिन उर्वा से रिवायत किया है। इसी तरह जर्रीर ने भी हिशाम से रिवायत किया है और जर्रीर की रिवायत को मुदल्लस कहा गया है। इस में जर्रीर ने तद्लूस की है क्योंकि उसे हिशाम बिन उर्वा से सिमा (सुनना) नहीं किया।

: الخراج بالضمان की तफ़सीर यह है कि एक आदमी कोई गुलाम ख़रीदे, उस से कमाई करवाए, फिर उस में कोई ऐब नज़र आए तो अगर वह बेचने वाले को वापस करता है तो उसकी कमाई ख़रीदने वाले की होगी, क्योंकि अगर वह गुलाम मर जाता तो ख़रीदने वाले के माल से मरना था, ऐसे ही मसाइल में नफ़ा का ताल्लुक ज़मानत के साथ होता है।

अबू ईसा फ़रमाते हैं: मोहम्मद बिन इस्माईल (बुखारी رحمته الله) ने भी इस हदीस को उमर बिन अली की सनद से ग़रीब कहा है। मैंने कहा: आप इसको मुदल्लस समझते हैं? उन्होंने कहा: नहीं।

54 - राह चलते आदमी को रास्ते में किसी बाग़ से फल खाने की इजाज़त है।

54 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّحْصَةِ فِي أَكْلِ
الشَّمْرِ لِلْمَازِي بِهَا

1287 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है नबी करीम (صلى الله عليه وسلم) ने फ़रमाया, “जो शरब्स बाग़ में जाए तो फल खा ले और कपड़े⁽¹⁾ में जमा करके न ले जाए।”

सहीह: इब्ने माजा: 2301. बैहकी: 9/359.

1287 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي
الشَّوَارِبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ
دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأْكُلْ، وَلَا يَتَّخِذْ حُتْنَةً.

तौज़ीह: حُتْنَةٌ : हर वह चीज़ जो इंसान गोद या बगल में छिपा कर ले जाए। (मोजमुल वसीत: पृ. 256)

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन अम्र, अब्बाद बिन शुरहबील, राफे बिन अम्र, उमैर मौला आबिल लहम और अबू हरैरा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर (رضي الله عنه) की हदीस ग़रीब है। हम इसे सिर्फ़ यह्या बिन सुलैम की सनद से ही जानते हैं।

नीज बाज़ (कुछ) उलमा मुसाफ़िर को फल खाने की इजाज़त देते हैं और बाज़ (कुछ) कहते हैं: क़ीमत के बग़ैर खाना मकरूह है।

1288 - सय्यदना राफे बिन अग्र (رضی اللہ عنہ) कहते हैं: मैं अंसार की खुजूरों को पत्थर मारा करता था तो उन्होंने मुझे पकड़ा, नबी करीम (ﷺ) के पास ले गए, आप ने फ़रमाया, "ऐ राफे! उनकी खुजूरों को पत्थर क्यों मारते हो?" मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! भूक की वजह से। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, "पत्थर न मारो। जो खुद बख़ुद गिर जाए उसे खा लिया करो, अल्लाह तआला तुझे सैर और आसूदा करे।"

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 2622. इब्ने माजा: 229.

यह हदीस हसन शरीब सहीह है।

1289 - अग्र बिन शोएब अपने बाप से वह अपने दादा (सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अग्र (رضی اللہ عنہ)) से रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) से लटकती हुई⁽¹⁾ खुजूरों के बारे में पूछा गया तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, "जो ज़रूरतमन्द उसको खाने और दामन भर के न ले जाए तो उस पर कोई गुनाह नहीं।"

हसन: अबू दाऊद: 1710. इब्ने माजा: 2596. निसाई: 4958.

तौज़ीह: लटकती हुई खुजूरों से मुराद दरख्तों पर लगी हुई या सुखाने के लिए लटकाई गयीं खुजूरें हैं।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمۃ اللہ علیہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है।

55 - बै (सौदे) में किसी चीज़ की इस्तिस्ना करना मना है।

1290 - सय्यदना जाबिर (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुहाक़ला, मुज़ाबना,

1288 - حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: كُنْتُ أُرْمِي نَحْلَ الْأَنْصَارِ، فَأَخَذُونِي، فَذَهَبُوا بِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَافِعُ، لِمَ تَرْمِي نَحْلَهُمْ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْجُوعُ، قَالَ: لَا تَرْمِ، وَكُلْ مَا وَقَعَ أَشْبَعَكَ اللَّهُ وَأَرْوَاكَ.

1289 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ عَبَّالَانَ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الشَّرِّ الْمُعْلَقِ؟ فَقَالَ: مَنْ أَصَابَ مِنْهُ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرِ مُتَّخِذِ حُبْنَةٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

55 بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ التُّنْيَا

1290 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي

मुखाबरा और सुनिया की बै से मना किया, सुनिया को मालूम करवाया जाए तो जायज़ है।⁽¹⁾

बुखारी: 2381. मुस्लिम: 1536. अबू दाऊद: 3404.
इब्ने माजा: 2266. निसाई: 3879.

سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُرَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَالثُّنْيَا، إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ.

तौज़ीह: (1) मुहाक़ला और मुज़ाबना की तारीफ़ हदीस नम्बर 1224 की वज़ाहत में गुज़र चुकी है मुखाबरा भी मुहाक़ला को ही कहा जाता है और सुनिया का मानी है: इस्तिस्ना करना, यानी एक आदमी दुसरे को कहे कि एक मन (चालीस सेर) गंदुम मैं तुम्हें फ़रोख्त कर रहा हूँ लेकिन इस में से “कुछ” मेरी है। यह जायज़ नहीं। अगर यह कह दे कि इस में से पांच किलो ग्राम मेरी है तो जायज़ है मालूम करवाने का यही मतलब है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: इस सनद के साथ यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। यानी यूनुस बिन उबैद की बवास्ता अता जाबिर (رحمته الله) से बयान कर्दा सनद के साथ।

56 - गल्ले को कब्जे में लेने से पहले आगे फ़रोख्त करना मना है।

1291 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رحمته الله) से रिवायत है कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़रमाया, “जो शख्स गल्ला खरीदे उसे अपने कब्जा में करने से पहले आगे न बेचे।” इब्ने अब्बास (رحمته الله) फ़रमाते हैं: मैं तमाम चीज़ों को ऐसे ही समझता हूँ।”

बुखारी: 2132. मुस्लिम: 1525. अबू दाऊद: 3496.
इब्ने माजा: 2227. निसाई: 4597.

वज़ाहत: इस मसले में जाबिर, इब्ने उमर और अबू हुरैरा (رحمته الله) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (رحمته الله) की हदीस हसन सहीह है। और अक्सर उलमा का इसी पर अमल है। वह भी खरीदने वाले को कब्जे में लेने से पहले गल्ला बेचने से मना करते हैं। जबकि बाज़ (कुछ) उलमा रूख़सत देते हैं कि अगर कोई शख्स ऐसी चीज़ खरीदे जिसे मापा या तौला

56 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الطَّعَامِ
حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

1291 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.

नहीं जाता और न ही वह खाने पीने वाली चीज़ है तो उसे कब्जे में लेने से पहले बेचा जा सकता है।

उलमा के नज़दीक सख्ती अनाज और गल्ले वगैरह में ही है। यह कौल अहमद और इस्हाक (रह) का भी है।

57 - अपने भाई के लगाये हुए भाव पर किसी चीज़ का भाव लगाना मना है।

1292 - सय्यदना इब्ने उमर (रह) से रिवायत है कि नबी करीम (रह) ने फ़रमाया, “तुम में से कोई शख्स एक दुसरे की बै (सौदे) पर बै (सौदा) न करे और न तुम में से किसी दूसरे के पैगामे निकाह पर अपना पैगाम भेजे।”

बुखारी: 2139. मुस्लिम: 1412. अबू दाऊद: 2081. इब्ने माजा: 1868. निसाई: 3238.

वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरैरा और समुरा (रह) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिमिज़ी (रह) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर (रह) की हदीस हसन सहीह है। नीज नबी करीम (रह) से यह भी मर्वी है कि आप ने फ़रमाया: “कोई शख्स अपने भाई की लगाई हुई क्रीमत पर (बढ़ा कर) उस चीज़ की क्रीमत न लगाए।” और नबी करीम (रह) से साबित इस हदीस का मानी उलमा के नज़दीक भाव (रेट) लगाना ही है।

58 - शराब की खरीदो फ़रोख्त की मुमानअत (मनाही)

1293 - सय्यदना अनस (रह) से रिवायत है कि अबू तल्हा (रह) ने कहा: ऐ अल्लाह के नबी! मैंने अपनी परवरिश में रहने वाले यतीमों के लिए शराब खरीदी थी। आप (रह) ने फ़रमाया, “शराब को बहा दो और मटके तोड़ दो।”

हसन: अबू दाऊद: 3675. दारे कुतनी: 4/265.

57 بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْبَيْعِ عَلَى بَيْعِ أُخِيهِ

1292 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبُ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ.

58 بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْخَمْرِ وَالنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ

1293 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ لَيْثًا يُحَدِّثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنِّي اشْتَرَيْتُ خَمْرًا لِأَيْتَامٍ فِي حِجْرِي، قَالَ: أَهْرِقِ الْخَمْرَ، وَآكْسِرِ الدَّنَان.

वज़ाहत: इस मसले में जाबिर, आयशा, इब्ने मसऊद, इब्ने उमर और अनस (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।
तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: अबू तल्हा (رضي الله عنه) की हदीस को सौरी ने सुदी से बवास्ता यह्या बिन अब्बास, अनस, (رضي الله عنه) से इस तरह रिवायत किया है कि अबू तल्हा के पास शराब थी और यह लैस की हदीस से ज्यादा सहीह है।

59 - शराब को सिर्का बनाना मना है।

1294 - सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से सवाल किया गया कि किया शराब को सिर्का बनाया जा सकता है? आप (ﷺ) ने फ़रमाया, नहीं।”

मुस्लिम: 1983. अबू दाऊद: 3675.

59 بَابُ التَّهْيِ أَنْ يُتَّخَذَ الْخَمْرُ خَلًّا

1294 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ السُّدِّيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّتَّخَذُ الْخَمْرُ خَلًّا؟ قَالَ: لَا.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

1295 - सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने शराब की वजह से दस आदमियों पर लानत की: “बनाने वाले, बनवाने वाले, पीने वाले, उठाने वाले, जिसकी तरफ़ ले जायी जा रही है, पिलाने वाले, बेचने वाले, उसकी कीमत खाने वाले, उसे ख़रीदने वाले और जिसके लिए ख़रीदी जा रही है, उन सब पर।”

हसन सहीह: इब्ने माजा: 3381.

1295 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ، عَنْ شَيْبِ بْنِ بَشْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةَ: عَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَآكِلَ ثَمَنِهَا، وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا، وَالْمُشْتَرَاةَ لَهَا.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। नीज यह हदीस इब्ने अब्बास, इब्ने मसऊद, और उमर (رضي الله عنه) से नबी करीम (ﷺ) से भी मर्वी है।

60 - मालिकों की इजाज़त के बगैर मवेशियों का दूध दुहना मना है.

1296 - सय्यदना समुरा बिन जुन्दुब (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़रमाया: “जब तुम में से कोई शख्स मवेशियों के रेवड़ में जाए तो वहाँ अगर उनका मालिक हो तो उस से इजाज़त मांगे, अगर उसे इजाज़त दे दे तो दूध निकाल कर पी ले और अगर वहाँ कोई भी न हो तो वह तीन बार आवाज़ दे अगर कोई शख्स जवाब दे तो उस से इजाज़त ले ले और अगर कोई जवाब न दे तो दूध निकाल कर पी ले और उठा कर साथ न ले जाए।

सहीह: अबू दाऊद: 2619. बैहकी: 9/ 359.

वज़ाहत: इस मसले में उमर और अबू सईद (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: समुरा बिन जुन्दुब (رضي الله عنه) की हदीस ग़रीब सहीह है और बाज़ (कुछ) उलमा का इसी पर अमल है। इमाम अहमद और इस्हाक़ (رضي الله عنه) भी यही कहते हैं। अली बिन मदीनी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: हसन का समुरा (رضي الله عنه) से सिमा (सुनना) सहीह है। जबकि बाज़ (कुछ) मुहद्दीसीन ने हसन की समुरा (رضي الله عنه) से बयान कर्दा रिवायत में जरह की है। वह कहते हैं कि यह समुरा (رضي الله عنه) के सहीफे से हदीस बयान करते हैं।

61 - मुर्दार की खाल और बुतों को बेचना.

1297 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) से रिवायत है कि उन्होंने फतहे मक्का के साल मक्का में रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना : “बेशक अल्लाह तआला और उसके

60 بَابُ مَا جَاءَ فِي احْتِلَابِ الْمَوَاشِي بِغَيْرِ اِذْنِ الْاَرْبَابِ

1296 - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ، فَإِنْ أذِنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَحَدٌ فَلْيُصَوِّثْ ثَلَاثًا، فَإِنْ أَجَابَهُ أَحَدٌ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ، فَإِنْ لَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ، وَلَا يَحْمِلْ.

61 بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ جُلُودِ الْمَيِّتَةِ وَالْأَصْنَامِ

1297 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِيَّاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ

रसूल ने शराब, मुदार, खिन्ज़ीर और बुतों की खरीदो फ़रोख्त हाराम कर दी है। कहा गया: ऐ अल्लाह के रसूल! मुदार की चर्बी के बारे में बतलाइये? क्योंकि इसके साथ कश्तियों की लकड़ी को खुशनुमा⁽¹⁾ बनाया जाता है चमड़ों पर लगायी जाती है और लोग इस से चिराग़ जलाते हैं। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “नहीं यह हाराम है।” फिर उस वक़्त रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “अल्लाह तआला यहूदियों को तबाह करे! अल्लाह ने उन पर चर्बी हाराम की थी उन्होंने उसे पिघलाया फिर उसे बेचा और उसकी कीमत खाई।”

बुखारी: 2236. मुस्लिम: 1581. अबू दारुद: 3486.
इब्ने माजा: 4256.

तौज़ीह: يطلي : का मानी है बतौर तेल इस्तेमाल करना और हर चमकाने वाले और खुशनुमा बनाने वाले माद्दे को यतला कहा जाता है देखिये: (मोजमुल वसीत: पृ. 665)

वज़ाहत: इस मसले में उमर और इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: जाविर (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और अहले इल्म का इसी पर अमल है।

62 - कोई चीज़ हिबा कर के वापस लेना मना है.

1298 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “बुरी मिसाल हमारे लिए नहीं है⁽¹⁾ अपने हिबा में लौटने वाले कुत्ते की तरह है जो अपनी क़ै में लौटता है।”

बुखारी: 2589. मुस्लिम: 1622. अबू दारुद: 3538.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَمٌ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ، قَالَ: لَا هُوَ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتِلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ حَرَمٌ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَأَجْمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ.

62 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُوعِ فِي الْهَبَةِ

1298 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ

इब्ने माजा: 2385. निसाई: 3690.

لَنَا مَثَلُ السُّوءِ الْعَائِدِ فِي هَيْبِهِ كَالْكَلْبِ
يَعُودُ فِي قَيْتِهِ.

तौज़ीह: (1) यानी हमें अहले इस्लाम को वह काम नहीं करना चाहिए जिसके लिए बुरी मिसाल या कहावत बने जैसे कुत्ता क़ै कर के चाट लेता है इसी तरह कोई चीज़ देकर वापस ले लेना है।

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने उमर (رضي الله عنه) भी रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़रमाया, “किसी आदमी के लिए हलाल नहीं है कि वह तोहफा दे कर वापस ले सिवाए वालिद के, (वह उस चीज़ को वापस ले सकता है) जो उसने अपनी औलाद को दी थी।

1299 - अग्र बिन शोएब कहते हैं उन्होंने ताऊस को सुना वह इब्ने उमर से नबी करीम (ﷺ) की यही हदीस मफू बयान करते थे।

अबू दाऊद: 3539 इब्ने माजा: 2377 निसाई: 3690।

1299 - حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ:
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ،
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُوسًا
يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعَانِ
الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِهَذَا الْحَدِيثِ.

वज़ाहत: इमाम तिमिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है नीज नबी करीम (ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से कुछ उलमा इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि जो शख्स किसी महरम रिश्तेदार को कोई चीज़ तोहफ़ा दे तो उसे अपनी हिबा की हुई चीज़ लेना जायज़ नहीं है और जो शख्स किसी गैर महरम रिश्तेदार को तोहफ़ा दे तो अगर उसने जवाबन तोहफ़ा नहीं लिया तो उसे वापस ले सकता है। सौरी का भी यही कौल है।

इमाम शाफ़ेई (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: वालिद को अपनी औलाद को दिए हुए अतिथ्ये के अलावा किसी शख्स के लिए तोहफ़ा वापस लेना जायज़ नहीं है। इमाम शाफ़ेई (رضي الله عنه) ने अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) की नबी करीम (ﷺ) से रिवायत कर्दा हदीस से दलील ली है। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “वालिद के अपनी औलाद को दिए हुए तोहफ़े के अलावा किसी के लिये हलाल नहीं है कि वह अपने तोहफ़ा को वापस ले।”

63 - बै अराया (अराया के सौदे) की तारीफ़ और उसकी इजाज़त.

1300 - सय्यदना ज़ैद बिन साबित (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी करीम (ﷺ) ने मुहाक़ला और मुजाबना की बै से मना फ़रमाया। मगर आप ने अराया⁽¹⁾ वालों को इजाज़त दी है कि वह अंदाज़े के मुताबिक़ फ़रोख़्त कर दे।

सहीह: मुसनद अहमद: 5/185. इब्ने अबी शैबा: 7/131.

63 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَرَايَا وَالرُّحُصَةِ فِي ذَلِكَ

1300 - حَدَّثَنَا هَذَا، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ أُذِنَ لِأَهْلِ الْعَرَايَا أَنْ يَبِيعُوهَا بِمِثْلِ خَرْصِهَا.

तौज़ीह (1) अराया का मतलब है अलग करना। इस्तिलाह में इस से मुराद है कि एक आदमी अपने बाग़ में से चंद दरख्तों का फल किसी मिस्कीन को दे देता है और वह मिस्कीन उन दरख्तों की देख भाल के लिए बाग़ में आता जाता है जिससे बाग़ के मालिक को दिक्कत महसूस होती है तो वह उसे कह देता है कि उन दरख्तों के फल का अंदाजा लगा लो, मुझसे इतना फल ले लेना और बाग़ में आने जाने से गुरेज़ करो तो यह जायज़ है। हालांकि फल पकने से पहले बै करना मना है। याद रहे कि बै अराया में भी सिर्फ़ पांच वस्क तक इजाज़त दी गई है। इसकी वज़ाहत अगली हदीस में आ रही है।

वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरैरा और जाबिर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिमिज़ी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: ज़ैद बिन साबित की इस हदीस को मोहम्मद बिन इस्हाक़ ने भी इसी तरह रिवायत किया है। जबकि अय्यूब, उबैदुल्लाह बिन अम्र और मालिक बिन अनस ने बवास्ता नाफ़े अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से रिवायत की है कि नबी करीम (ﷺ) ने मुहाक़ला और मुजाबना से मना फ़रमाया है। और इसी सनद के साथ बवास्ता इब्ने उमर (رضي الله عنه) ज़ैद बिन साबित (رضي الله عنه) से मर्वी है कि नबी करीम (ﷺ) ने पांच वसक (1) से कम के अन्दर बै अराया की रूख़सत दी है। और यह मोहम्मद बिन इस्हाक़ की रिवायत से ज़्यादा सहीह है।

तौज़ीह: (1) एक वसक साठ साअ का होता है और साअ का वज़न अढ़ाई किलोग्राम होता है। इस तरह पांच वसक का वज़न 750 किलोग्राम या 18 मन और तीस किलोग्राम बनता है।

1301 - सय्यदना अबू हरैरा (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने पांच वसक से कम या इतनी ही मित्रदार में बै अराया की इजाज़त दी है।

बुखारी: 2190. मुस्लिम: 1541. अबू दाऊद: 3364.

1301 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي سُوَيْبَانَ، مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِيمَا دُونَ خُمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ كَذَا.

वज़ाहत: अबू ईसा फ़रमाते हैं: हमें कुतैबा ने बवास्ता मालिक, दाऊद बिन हुसैन से इसी तरह रिवायत की है। नीज यह हदीस इमाम मालिक से (मुसलान) भी मर्वी है कि नबी करीम(ﷺ) ने पांच वसक या इस से कम में बै अराया की इजाज़त दी है।

1302 - सय्यदना ज़ैद बिन साबित (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने अराया को उसके अंदाज़े के साथ बेचने की रूख़सत दी है।

बुखारी: 2173. मुस्लिम: 1539. इब्ने माजा: 2269. निसाई: 4538.

1302 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِعَرَضِهَا.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अबू हरैरा (رضی اللہ عنہ) की हदीस भी हसन सहीह है। नीज बाज़ (कुछ) उलमा: जिन में इमाम शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رضی اللہ عنہ) भी हैं, इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि नबी करीम(ﷺ) की तरफ़ से मना की गयी मुहाक़ला व मुज़ाबना जैसी तमाम बुयू में से बै अराया मुस्तस्ना है और उन्होंने ज़ैद बिन साबित और अबू हरैरा (رضی اللہ عنہ) की हदीस से दलील ली है। वह कहते हैं: पांच वसक से कम मित्रदार में ख़रीदना जायज़ है। बाज़ (कुछ) उलमा के नज़दीक इस का मतलब यह है कि नबी करीम(ﷺ) ने इस मामले में उन्हें आसानी देने का इरादा किया, क्योंकि उन्होंने शिकायत की थी कि सिवाए खुश्क़ खुजूरों के हमारे पास ताज़ा फल ख़रीदने के लिए कुछ नहीं है। तो आप ने पांच वसक से कम में इजाज़त दे दी कि वह (खुश्क़ खुजूरों के बदले ताज़ा खुजूरें) ख़रीद लें और ताज़ा खुजूरें खा लें।

64 - इसी मसअला से मुताल्लिक़ बाब.

1303 - सय्यदना राफे बिन खदीज और सय्यदना सहल बिन अबी हस्मा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने मुज़ाबना यानी ताज़ा खुजूरों की खुश्क खुजूरों के एवज बै करने से मना किया लेकिन अराया वालों को इजाज़त दी है। और अंगूर की मुनक्का⁽¹⁾ के एवज और तमाम फलों के अंदाज़े के साथ खरीदो फ़रोख्त से मना किया है।

बुखारी: 2384. मुस्लिम: 1540. अबू दाऊद: 2363. निसाई: 3886.

तौज़ीह: الزبيب: खुश्क अंगूर मुनक्का, किशमिश, सोगी यह तमाम मानी किए जा सकते हैं। (मोजमुल वसीत: पृ. 459)

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: इस सनद के साथ हदीस हसन ग़रीब सहीह है।

65 - खरीदो फ़रोख्त में बोली बढ़ाना मना है

1304 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया; "बोली न बढ़ाओ।"

बुखारी: 2140. मुस्लिम: 1413. इब्ने माज़ा: 2174. निसाई: 3239.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने उमर और अनस (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। और अहले इल्म इसी

64 بَابُ مِنْهُ

1303 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَوَانِيُّ الْخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَشِيرٌ بْنُ يَسَارٍ، مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ، أَنَّ زَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَنَمَةَ، حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُرَابَنَةِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ، إِلَّا لِأَصْحَابِ الْعَرَايَا، فَإِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَهُمْ، وَعَنْ بَيْعِ الْعَنْبِ بِالزَّبِيبِ، وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخُرْصِهِ.

65 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّجْشِ فِي الْبُيُوعِ

1304 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَقَالَ قُتَيْبَةُ: يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَنَاجَشُوا.

पर अमल करते हुए बोली बढ़ाने को मकरूह कहते हैं। बोली बढ़ाने का मतलब यह है कि चीजों की महारत रखने वाला एक आदमी उस चीज के मालिक के पास आकर असल से ज्यादा क्रीमत लगा दे और यह काम खरीदार की मौजूदगी में करे ताकि खरीदने वाला धोके में आ जाए हालांकि वह खुद नहीं खरीदना चाहता वह तो खरीददार को क्रीमत में धोका देना चाहता है और यह धोके की एक क्रिस्म है।

इमाम शाफ़ेई (र.ह.) फ़रमाते हैं: अगर कोई शख्स बोली बढ़ाता है तो उसमें वह बोली लगाने वाला गुनाहगार है बै जायज़ होगी क्योंकि बेचने वाला बोली नहीं बढ़ा रहा।

66 - तौलते वक़्त तराजू को झुकता रखना.

1305 - सय्यदना सुवैद बिन कैस (र.ह.) कहते हैं कि मैं और मखरमा अब्दी (र.ह.) हजर शहर से कपड़ा ले कर आए तो हमारे पास नबी करीम (र.ह.) तशरीफ़ लाये और हम से एक शलवार की क्रीमत तै की, मेरे पास एक वज़न करने वाला था जो उज्रत पर वज़न करता था तो नबी करीम (र.ह.) ने वज़न करने वाले आदमी से फ़रमाया, “तौलो और तराजू को झुकता रखो।”

सहीह: अबू दाऊद: 3336. इब्ने माजा: 2220. निसाई: 4592.

वज़ाहत: इस मसले में जाबिर और अबू हुरैरा (र.ह.) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिजी (र.ह.) फ़रमाते हैं: सुवैद (र.ह.) की हदीस हसन सहीह है और अहले इल्म वज़न करते वक़्त तराजू झुकाने को मुस्तहब कहते हैं।

नीज शोबा ने इस हदीस को सिमाक से रिवायत करते वक़्त अबू सफवान का भी ज़िक्र किया है।

67 - तंगदस्त मकरूज को मोहलत देना और उसके साथ नरमी करना.

1306 - सय्यदना अबू हुरैरा (र.ह.) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (र.ह.) ने फ़रमाया, “जो

66 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجْحَانِ فِي الْوَزْنِ

1305 - حَدَّثَنَا هُنَادٌ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: جَلَبْتُ أَنَا وَمَحْرَمَةُ الْعَبْدِيِّ بَرًّا مِنْ هَجْرٍ، فَجَاءَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيلٍ، وَعِنْدِي وَزَانٌ يَزِنُ بِالْأَجْرَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْوَزَانِ: زِنْ وَأَرْجِحْ.

67 بَابُ مَا جَاءَ فِي إِنْطَارِ الْمُعْسِرِ

وَالرِّفْقِ بِهِ

1306 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ

शख्स तंगदस्त मकरूज़ को मोहलत देता है या क़र्ज़ माफ़ कर देता है तो क़यामत के दिन अल्लाह तआला उसे अपने अर्श के साए में जगह देगा जिस दिन सिर्फ़ उसी का साया होगा।”

सहीह: मुसनद अहमद: 2/ 359.

वज़ाहत: इस मसले में अबू युर्र, क़तादा, हुज़ैफा, अबू मसऊद, उबादा और जाबिर (رضی اللہ عنہ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिजी (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضی اللہ عنہ) की हदीस इस सनद के साथ हसन सहीह है।

1307 - सय्यदना अबू मसऊद (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “तुम से पहले लोगों में एक आदमी का (अल्लाह के यहाँ) हिसाब लिया गया तो उसकी कोई नेकी न मिली सिवाए इस के कि वह मालदार आदमी था और लोगों से लेन देन करता था तो अपने मुलाज़िमों को हुक्म देता कि तंगदस्त से दरगुज़र करना। अल्लाह तआला ने फ़रमाया, यह काम करने के हम तुम से ज़्यादा हक़दार हैं (फरिश्तों!) इसे छोड़ दो।

68 - मालदार का (क़र्ज़ की वापसी में) ढाल मटोल करना जुल्म है.

1308 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़रमाया, “मालदार का (बिला वजह क़र्ज़ की वापसी में) ताखीर करना जुल्म है। और तुम में से जब किसी शख्स को मालदार के पीछे लगाया जाए

قیس، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، أَوْ وَضَعَ لَهُ، أَظْلَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ.

1307 - حَدَّثَنَا هَنَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَلَمْ يُوَجِدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ رَجُلًا مُوسِرًا، وَكَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ، وَكَانَ يَأْمُرُ غُلَمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ، تَجَاوَزُوا عَنْهُ.

68 بَابُ مَا جَاءَ فِي مَطْلِ الْعَفِيِّ أَنَّهُ ظَلَمٌ

1308 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،

तो वह पीछे लग जाए।”⁽¹⁾

बुखारी: 2287. मुस्लिम: 1564. अबू दाऊद: 3345.
इब्ने माजा: 2403. निसाई: 4688.

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ
الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ.

तौज़ीह: शरीअत में इसे हवाला कहा जाता है। इसका मतलब यह है अगर मकरूज़ आदमी अपने कर्ज़ ख्वाह से कहे कि मुझे तुम्हारी जो रक़म देनी है वह फुलां शाख्स से ले लो, तो उसे यह बात मान कर उसी शाख्स से तकाज़ा करना चाहिए।

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने उमर और शरीद बिन सुवैद सक्फ़ी (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

1309 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़रमाया, “मालदार का टालमटोल से काम लेना जुल्म है और जब तुम्हें किसी मालदार के हवाले किया जाए तो उसके पीछे चलो और एक बै (सौदे) में दो बै (सौदे) की शर्त न करो।”

सहीह: इब्ने माजा: 2404.

1309 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِيُّ،
قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ
عُبَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ
ظُلْمٌ، وَإِذَا أُجِلَّتْ عَلَى مَلِيٍّ فَاتَّبِعْهُ، وَلَا تَبِعْ

بِيعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ. (1)

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। और “जब तुम्हें किसी मालदार के हवाले किया जाए तो उसके पीछे जाओ” के मफहूम में बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं कि जब किसी आदमी का हवाला किसी मालदार पर कर दिया जाए तो हवाला करने वाला बरी उज्ज़िममा होगा और लेने वाला उसकी तरफ़ रुजू नहीं कर सकता। यह कौल इमाम शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक (رضي الله عنه) का है।

बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं: अगर महाल अलै के मुफ्लिस हो जाने की वजह से कर्ज़ ख्वाह का माल हलाक हो जाए तो वह पहले शाख्स से मुतालबा कर सकता है। उन्होंने सय्यदना उस्मान (رضي الله عنه) वगैरह के कौल से दलील ली है वह कहते हैं कि मुसलमान का माल ज़ाया होने के लायक नहीं। इस्हाक़ फ़रमाते हैं: मुसलमान का माल हलाक के लायक नहीं का मतलब यह है कि जब एक आदमी का दूसरे पर हवाला कर दिया जाए और वह भी उसे मालदार खयाल करता हो फिर पता चला कि यह भी मुफ्लिस है तो फिर भी मुसलमान का माल ज़ाया नहीं होगा। (यानी वह अपने कर्ज़ का ताकाज़ा पहले आदमी से कर सकता है।)

69 - मुनाबज़ा और मुलामसा की बै (सौदा)

1310 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुनाबज़ा और मुलामसा की बै से मना फ़रमाया है। ”

बुखारी: 2146. मुस्लिम: 1511. इब्ने माजा: 2169. निसाई: 4509.

वज़ाहत: इस मसले में अबू सईद और इब्ने उमर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। नीज इस हदीस का मतलब यह है कि कोई शख्स कहे: जब मैं तुम्हारी तरफ़ कोई चीज़ फ़ेंक दूँ तो मेरे और तुम्हारे दर्मियान ख़रीदो फ़रोख़्त वाजिब हो जाएगी। (इसे मुनाबज़ा की बै कहते हैं) और मुलामसा यह है कि कोई शख्स कहे: जब मैं उस चीज़ को छु लूँ तो बै (सौदा) पक्की हो जाएगी। अगरचे कुछ न भी देखा हो तो जैसे कि थैली वग़ैरह। यह अहले जाहिलियत की ख़रीदो फ़रोख़्त की क्रिस्मे थीं। आप (ﷺ) ने इस से मना फ़रमा दिया।

70 - अनाज और फलों में बै सलफ़ करना.

1311 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मदीना में तशरीफ़ लाये तो लोग फलों में सलफ़⁽¹⁾ किया करते थे, आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “जो शख्स बै सलफ़ करे तो वह मालूम पैमाने और मालूम वज़न के साथ मालूम मुद्दत तक करे। ”

बुखारी: 2239. मुस्लिम: 1604. अबू दारुद: 3463. इब्ने माजा: 2280. निसाई: 4616.

69 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُنَابَذَةِ وَالْمُنَابَذَةِ

1310 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.

70 بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّلْفِ فِي الطَّعَامِ وَالتَّمْرِ

1311 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي التَّمْرِ، فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

तौजीह: (1) सलफ़ को सलम भी कहा जाता है लेकिन सहीह मानी यह है कि जिन्स या रक़म दोनों में उधार को सलफ़ कहते हैं वह इस तरह कि ख़रीदने वाला रक़म दे कर सौदा तै कर ले और ख़रीदी हुई चीज़ के लिए वक़्त तै कर ले कि फुलां वक़्त तक मुझे पहुंचा देना या फिर बेचने वाला यह कहे कि इतनी क़ीमत में यह चीज़ अपने पास रख लो और रक़म फुलां वक़्त में दे देना यह दोनों सूरतें ही सलफ़ या सलम बनती हैं लेकिन इस में जवाज़ की सूरत यही है कि वक़्त और चीज़ की मिक्क़दार व पैमाना मुअय्यन हो।

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अबी औफ़ा और अब्दुरहमान बिन अबज़ा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है नीज नबी (ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से अहले इल्म इसी पर अमल करते हुए अनाज, कपड़े और दीगर अशिया में, जिनकी पहचान और हद मालूम होती है बै सलफ़ को जायज़ कहते हैं। लेकिन जानवरों में सलम करने के बारे में इख़्तिलाफ़ है।

नबी करीम (ﷺ) के सहाबा और ताबेईन में से बाज़ (कुछ) जानवरों में बै सलम को जायज़ कहते हैं। शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ का भी यही कौल है। जबकि नबी (ﷺ) के सहाबा व ताबेईन में से कुछ उलमा हैवान में सलम को मकरूह कहते हैं। यह कौल सुफ़ियान और अहले कूफ़ा का है। अबू मिन्हाल का नाम अब्दुरहमान बिन मुतइम है।

71 - मुस्तफ़िक़ ज़मीन में से अगर कोई अपना हिस्सा फ़रोख़्त करना चाहे.

1312 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) से रिवायत है कि अल्लाह के नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “जिस आदमी का बाग़ में कोई शरीक हो तो वह उस वक़्त तक अपना हिस्सा न बेचे जब तक उसे अपने शरीक पर पेश न कर ले।”

मुस्लिम: 1608. अबू दारूद: 5313. निसाई: 4646.

71 بَابُ مَا جَاءَ فِي أَرْضِ الْمُشْتَرِكِ يُرِيدُ بَعْضُهُمْ بَيْعَ نَصِيبِهِ

1312 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي حَائِطٍ فَلَا يَبِيعُ نَصِيبَهُ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَى شَرِيكِهِ.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: इस हदीस की सनद मुत्तसिल नहीं है। मैंने मोहम्मद बिन इस्माईल बुखारी को सुना वह फ़रमा रहे थे कि सुलैमान यश्कुरी के बारे में कहा जाता है कि वह जाबिर

बिन अब्दुल्लाह की ज़िंदगी में ही वफ़ात पा गये थे क़तादा और अबू बिश्र ने उन से सिमा (सुनना) नहीं किया। मोहम्मद फ़रमाते हैं: हमारे नज़दीक सिवाए अग्र बिन दीनार के इन में से किसी का भी सुलैमान यश्कुरी से सिमा (सुनना) साबित नहीं है। शायद उन्होंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह की ज़िंदगी में ही सुलैमान से हदीस की समाअत (सुनना) की हो फ़रमाते हैं: क़तादा सुलैमान यश्कुरी की किताब से हदीस बयान करते हैं। उनकी जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से (सुनी गई अहादीस पर मुश्तमिल) एक किताब थी।

(अबू ईसा फ़रमाते हैं:) हमें अबू बकर अल-अत्तार अब्दुल कुहूस ने बयान किया कि अली बिन मदीनी ने कहा है: यह्या बिन सईद कहते हैं कि सुलैमान अतैमी ने फ़रमाया, लोग जाबिर बिन अब्दुल्लाह का सहीफ-ए-अहादीस हसन बसरी के पास ले कर गए उन्होंने ले लिया या रिवायत कर दिया, लोग उसे क़तादा के पास लेकर गए, उन्होंने भी रिवायत कर दी और मेरे पास लेकर आए मैंने रिवायत उन्हें वापस कर दिया।

तिर्मिज़ी (ﷺ) कहते हैं:) हमें यह बात अबू बकर अल-अत्तार ने अली बिन मदीनी की तरफ़ से बयान की है।

72 - बै-ए-मुखाबरा और मुआवमा.

1313 - सय्यदना जाबिर (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने मुहाक़ला, मुज़ाबना, मुखाबरा, और मुआवमा से मना फ़रमाया और अराया को बेचने की रूख़सत दी है।

बुखारी: 2381. मुस्लिम: 1536. अबू दाऊद: 3373.
इब्ने माजा: 2266. निसाई: 3879

72 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ

1313 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَالْمُعَاوَمَةِ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَائِيَا.

तौज़ीह: मुहाक़ला, मुज़ाबना, मुखाबरा की तफ़सील हदीस नम्बर 1224 और 1290 के तहत गुजर चुकी है। मुआवमा लफ़्ज़ आम से है। आम अरबी में साल को कहते हैं। मुआवमा की बै सालों की बै है। वह इस तरह कि कोई शख्स अपने बाग़ के दरख्तों के फल आइन्दा एक या दो साल के लिए बेच दे जो अभी तक पैदा भी नहीं हुए जैसा कि लोग कुछ सालों के लिए बागात को ठेके पर लेते हैं।

73 - कीमतें मुक़रर करना.

1314 - सय्यदना अनस (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) के दौर में (अशिया(चीज़ों) की) कीमतें बढ़ गयीं। लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप हमारे लिए कीमतें मुक़रर कर दें तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, “बेशक अल्लाह कीमतें मुक़रर करने वाला है। अल्लाह ही है जो रोज़ी को तंग, फ़राख़ करने वाला और बहुत रोज़ी अता करने वाला है। मैं यह चाहता हूँ कि मैं अपने रब से इस हालत में मुलाक़ात करूँ कि कोई शख्स मुझसे खून और माल में किसी ज़्यादाती का मुतालबा ना करता हो।”

सहीह: अबू दाऊद: 4551. इब्ने माजा: 2200.

तौज़ीह: سعز : تسعير : मसदर से अप्र का सेगा है। मानी है कीमतें और भाव मुक़रर करना। देखिये (अल्मोजमुल वसीत:पृ. 509)

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

74 - ख़रीदो फ़रोख़्त में धोका और मिलावट मना है.

1315 - सय्यदाना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) गल्ले के एक ढेर के पास से गुज़रे, आप ने अपना हाथ उसमें डाला तो आपकी उँगलियों को नमी महसूस हुई। आप(ﷺ) ने फ़रमाया, “ऐ गल्ले वाले यह क्या है? उसने कहा इस पर बारिश आ गई थी ऐ

73 بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْعِيرِ

1314 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَثَابِتٍ، وَحَمِيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَعَّرَ لَنَا، فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّزَّاقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ.

74 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْغِشِّ فِي

الْبَيْعِ

1315 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صَبْرَةٍ

अल्लाह के रसूल! आप ने फ़रमाया, तुमने उसे गल्ले के ऊपर क्यों नहीं रखा ताकि लोग उसे देख लेते?” फिर आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “जिसने धोका दिया वह हम में से नहीं है।”

मुस्लिम: 102. अबू दाऊद: 3452.

مِنْ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَتَأَلَّتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا، فَقَالَ: يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ، مَا هَذَا؟، قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने उमर, अबू हमरा, इब्ने अब्बास, बुरैदा, अबू बुर्दा बिन नियार और हुज़ैफा बिन यमान (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और उलमा का इसी पर अमल है। वह धोके और मिलावट को नापसंद करते हुए कहते हैं कि धोका या मिलावट हराम है।

75 - ऊँट या कोई और जानवर बतौर क़र्ज़ लेना.

75 بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِقْرَاضِ الْبَعِيرِ أَوْ الشَّيْءِ مِنَ الْحَيَوَانِ أَوِ السِّنِّ

1316 - सय्यदाना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने किसी से एक ऊँट बतौर क़र्ज़ लिया तो आप ने उसे उसके ऊँट से बेहतर ऊँट दे दिया और फ़रमाया, “तुम में से बेहतर वह है जो अच्छे तरीके से अदायगी करता है।”

बुख़ारी: 2305. मुस्लिम: 1601. इब्ने माजा: 2423. निसाई: 4698.

1316 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًّا، فَأَعْطَاهُ سِنًّا خَيْرًا مِنْ سِنِّهِ، وَقَالَ: خَيْرُكُمْ أَحْسِنُكُمْ قَضَاءً.

वज़ाहत: इस मसले में अबू राफे (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। नीज इसे शोबा और सुफ़ियान ने भी सलमा (बिन कुहैल) से रिवायत किया है और बाज़ (कुछ) उलमा इसी पर अमल करते हुए ऊँट को बतौर क़र्ज़ लेने में कोई क़बाहत नहीं समझते। इमाम शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمته الله) का भी यही कौल है। जबकि बाज़ (कुछ) इसे मकरूह समझते हैं।

1317 - सय्यदाना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह(ﷺ) से तकाजा किया तो आप पर सख्ती की। आप(ﷺ) के सहाबा ने उसे पकड़ना चाहा तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, “उसे छोड़ दो। जिसका हक़ हो वह बातें करने का मजाज़ होता।” फिर आप ने फ़रमाया, “उसके लिए ऊँट ख़रीद कर उसे दे दो।” उन्होंने तलाश किया तो उस आदमी से बेहतर ऊँट मिला। तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, “उस को ख़रीद कर उसे दे दो बेशक़ तुम में वही बेहतर है जो अच्छी तरह अदायगी करने वाला है।

सहीह: तख़रीज के लिए पिछली हदीस मुलाहजा फ़रमाएं.

वज़ाहत: अबू ईसा फ़रमाते हैं: हमें मोहम्मद बिन बश्शार ने (वह कहते हैं:) हमें मोहम्मद बिन जाफ़र ने बवास्ता शोबा, सलमा बिन कुहैल से इस जैसी रिवायत बयान की है।

1318 - सय्यदाना अबू राफे (رضي الله عنه) मौला रसूलुल्लाह(ﷺ) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने एक ऊँट बतौर क़र्ज़ लिया। फिर आप के पास सदके के ऊँट आए। अबू राफे (رضي الله عنه) कहते हैं: रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुझे हुक्म दिया कि मैं उस आदमी का ऊँट दे दूँ। मैंने कहा: मैं उसके ऊँट से बेहतर चार दांत वाला ऊँट ही पाता हूँ। तो अल्लाह के रसूल(ﷺ) ने फ़रमाया, “वही उसे दे दो, यक़ीनन लोगों में बेहतर वही है जो अच्छे तरीक़े से अदायगी करने वाला है।”

मुस्लिम: 1600. अबू दाऊद: 3346. इब्ने माजा: 2285. निसाई: 4617.

1317 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا تَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَغْلَظَ لَهُ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، ثُمَّ قَالَ: اشْتَرُوا لَهُ بَعِيرًا، فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ، فَطَبَّوْهُ، فَلَمْ يَجِدُوا إِلَّا سِنًا أَفْضَلَ مِنْ سِنِهِ، فَقَالَ: اشْتَرُوهُ، فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.

1318 - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اسْتَسَلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ، قَالَ أَبُو رَافِعٍ: فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقُلْتُ: لَا أَجِدُ فِي الْإِبِلِ إِلَّا جَمَلًا خِيَارًا رَبَاعِيًّا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطِهِ إِثَّاهُ، فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (रह. फ. क.) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

76 - खरीदो फ़रोख्त और अदायगी में नरमी बरतना.

1319 - सय्यदाना अबू हुरैरा (रह. फ. क.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (रह. फ. क.) ने फ़रमाया, “अल्लाह तआला नरमी व आसानी वाली ख़रीदो फ़रोख्त और नरमी व आसानी वाली अदायगी को पसंद करते हैं।”

सहीह: अबू याला: 6238. हाकिम: 2/52.

वज़ाहत: इस मसले में जाबिर (रह. फ. क.) से हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिजी (रह. फ. क.) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है और बाज़ (कुछ) ने इसे यूनुस से बवास्ता सईद अल-मन्नबुरी, अबू हुरैरा से रिवायत किया है।

1320 - सय्यदाना जाबिर (रह. फ. क.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (रह. फ. क.) ने फ़रमाया, अल्लाह तआला ने एक आदमी को बख़्श दिया जो तुम से पहले गुज़र चुका है, वह जब बेचता आसानी करता, जब ख़रीदता आसानी करता और जब तक़ाजा करता तो आसानी करता था।”

बुखारी: 2076. इब्ने माजा: 2203.

76 بَابُ مَا جَاءَ فِي سَمَحِ الْبَيْعِ وَالشَّرَاوِ الْقَضَاءِ

1319 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، عَنْ مُغْبِرَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ سَمَحَ الْبَيْعِ، سَمَحَ الشَّرَاءِ، سَمَحَ الْقَضَاءِ.

1320 - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الدُّورِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنِّكِدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَفْرَ اللَّهُ لِرَجُلٍ كَانَ قَبْلَكُمْ، كَانَ سَهْلًا إِذَا بَاعَ، سَهْلًا إِذَا اشْتَرَى، سَهْلًا إِذَا اقْتَضَى.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (रह. फ. ७) फ़रमाते हैं: इस सनद के साथ यह हदीस ग़रीब सहीह हसन है।

77 - मस्जिद में खरीदो फ़रोख्त मना है।

1321 - सय्यदाना अबू हुरैरा (रह. फ. ७) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (रह. फ. ७) ने फ़रमाया, “जब तुम ऐसे शख्स को देखो जो मस्जिद में खरीदो-फ़रोख्त कर रहा हो तो तुम कहो: अल्लाह तआला तुम्हारी तिजारत में नफ़ा न दे और जब तुम ऐसे शख्स को देखो जो मस्जिद में गुमशुदा चीज़ का ऐलान कर रहा हो तो तुम कहो: अल्लाह तआला तुझे वापस न करे।

मुस्लिम: 567. अबू दाऊद: 473. इब्ने माजा: 767.

77 بَابُ التَّهْيِ عَنِ الْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ

1321 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَارِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ حُصَيْفَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَشْتَرِي فِي الْمَسْجِدِ، فَقُولُوا: لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةً، فَقُولُوا: لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ.

तौज़ीह: गुमशुदा चीज़ों की अलामत बता कर उसे तलाश करने को कहा जाता है। तफ़सील के लिए देखिये: अल-मोजमुल वसीत: पृ. 1119)

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (रह. फ. ७) फ़रमाते हैं अबू हुरैरा (रह. फ. ७) की हदीस हसन ग़रीब है और बाज़ (कुछ) अहले इल्म इसी पर अमल करते हुए मस्जिद में खरीदो फ़रोख्त को मकरूह कहते हैं। इमाम अहमद और इस्हाक (रह. फ. ७) का भी यही कौल है। जबकि बाज़ (कुछ) उलमा ने मस्जिद में खरीदो फ़रोख्त की इजाज़त दी है।

खुलासा

- शुब्हा वाली चीज़ों से बचना ज़रूरी है।
- सूद खाना अल्लाह के साथ एलाने जंग है. नीज झूठी गवाही बहुत बड़ा गुनाह है।
- उधार लेन देन करना जायज़ है।
- खरीदो फ़रोख्त की शर्तें तहरीर करना मुस्तहब है।

- तिजारती काफ़िलों को शहर से बाहर जा कर मिलना मना है।
- शहरी देहाती के लिए बतौर डीलर ख़रीदो फ़रोख़्त नहीं कर सकता।
- किसी भी फ़सल को पकने से पहले बेचना मना है।
- बुयू की मुन्दर्जा ज़ेल अक्साम मना हैं: मुहाक़ला, मुखाबरा, मुजाबना, मुलामसा, मुआवमा और हब्लुल हबला।
- जो चीज़ मिल्लिकियत में ही नहीं है उसे नहीं बेचा जा सकता।
- वला को बेचना या हिबा करना मना है।
- किसी भी जिन्स का लेन देन बराबर के पैमाने के साथ किया जा सकता है।
- करंसी तब्दील करने की सूत में तादाद को कम या ज़्यादा करना सूद है।
- सौदे को मंसूख़ (ख़त्म) करने का इख़्तियार मजलिस के अन्दर ही है, मजलिस बर्खास्त होने के बाद नहीं।
- जिस तरह शराब हराम है उसी तरह उसकी ख़रीदो फ़रोख़्त और नकलो हमल भी हराम है और ऐसा करने वाले पर अल्लाह के रसूल(ﷺ) की लानत है।
- क़हत साली के दौर में ज़ख़ीरा अन्दोज़ी हराम है।
- धोका देने के लिए जानवर का दूध रोकना ना जायज़ काम है। नीज ऐसी सूत में ख़रीदने वाला वापस करने का इख़्तियार रखता है।
- हराम जानवर मसलन: कुत्ता, बिल्ला वग़ैरह की ख़रीदो फ़रोख़्त मना है और उसकी क़ीमत हराम है।
- बै अग़या में पांच वसक तक रूख़सत है।
- तिजारत के माल में धोका और मिलावट करने वाले का अल्लाह के रसूल(ﷺ) के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है।

मज़मून नम्बर 13

13 أَبْوَابُ الْأَحْكَامِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

रसूलुल्लाह(ﷺ) से मर्वी फैसलों के अहकाम व मसाइल.

तआरुफ़.

63 अहादीस के साथ 42 अब्बाब पर मुश्तमिल इस उन्वान के तहत आप पढ़ेंगे कि:

- अदालती कारवाई के लिए इस्लाम ने क्या तरीका बज़ा किया (बनाया) है?
- क़ाज़ी या जज को किन बातों का खयाल रखना चाहिए?
- उम्रा व रूक़बा क्या है?
- शुफ़ूआ क्या होता है और किन शराइत के साथ मुंसलिक है?

1 - क़ाज़ी के बारे में रसूलुल्लाह(ﷺ) के फ़रामीन.

1 بَابُ مَا جَاءَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَاضِي

1322 - अब्दुल्लाह बिन मौहब (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन उस्मान (رضي الله عنه) ने इब्ने उमर (رضي الله عنه) से कहा: आप जाईए और लोगों के दर्मियान क़ाज़ी की हैसियत से फैसला कीजीये। उन्होंने कहा: अमीरुल मोमिनीन आप मुझे इस से माफ़ ही रखिए! उन्होंने कहा : आप इस काम को ना पसंद करते हैं? जबकि आप के वालिद भी फैसला करते थे? इब्ने उमर (رضي الله عنه) ने कहा:

1322 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنَعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ لِابْنِ عُمَرَ: أَذْهَبُ فَاقْضِ بَيْنَ النَّاسِ، قَالَ: أَوْ تَعَافِينِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: فَمَا تَكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ، وَقَدْ كَانَ أَبُوكَ يَقْضِي؟

“मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना:”
जो शाख्स क़ाज़ी (जज) बना और इन्साफ़ के साथ फैसला किया तो फिर भी इस लायक है कि बराबरी के साथ लौटे” इस के बाद मैं क्या उम्मीद कर सकता हूँ? नीज़ इस हदीस में एक किस्सा भी है।

ज़ईफ़: अस- सिलसिला अज़- ज़ईफ़ा: 6864. अबू याला: 1402.

वज़ाहत: इस मसला में अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर (رضي الله عنه) की हदीस ग़रीब है और मेरे मुताबिक इस की सनद मुत्तसिल नहीं है और अब्दुल मलिक जिन से मोतमिर रिवायत करते हैं यह अब्दुल मलिक बिन अबू जमीला हैं।

1322.2 - इब्ने बुरैदा अपने बाप (सय्यदना बुरैदा (رضي الله عنه) से रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “क़ाज़ी तीन किस्म के हैं : दो क़ाज़ी जहन्नम में और एक क़ाज़ी जन्नत में जाएगा, वह आदमी जो जानते बुझते नाहक़ फैसला करे वह जहन्नम में जाएगा, वह क़ाज़ी जो बग़ैर इल्म के फैसला करे उसने लोगों के हक़ को बर्बाद किया वह भी जहन्नम में होगा और वह क़ाज़ी जो हक़ फैसला करता है वह जन्नती है। ”

म) सहीह: अबू दाऊद : 3573. इब्ने माजा: 2315.

1323 - अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “जो शाख्स क़ाज़ी के ओहदे का सवाल करता है वह अपनी ज़ात को ही सौंप दिया जाता है और जिसे उस काम के लिए मजबूर किया जाए तो

قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضَى بِالْعَدْلِ فَبِالْحَرِيِّ أَنْ يَنْقَلِبَ مِنْهُ كَفَافًا فَمَا أَرْجُو بَعْدَ ذَلِكَ؟ وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ.

1322م- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ بِشْرِ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُيَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ بَرِيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ: قَاضِيَانِ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ، رَجُلٌ قَضَى بِغَيْرِ الْحَقِّ فَعَلِمَ ذَلِكَ فَذَكَ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ لَا يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ حُقُوقَ النَّاسِ فَهَوَ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ فَذَلِكَ فِي الْجَنَّةِ.

1323 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ بِلَالِ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

अल्लाह तआला उसके लिए एक फ़रिश्ता नाज़िल करते हैं जो उसे सीधा रखता है। ”

ज़ईफ़: अबू दाऊद : 3578. इब्ने माजा: 2309.

1324 - अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “ जो शाख्स ओहदए क़ज़ा (जज बनना) चाहे और उसमें सिफ़ारशी तलाश करे उसे उसकी ज़ात को ही सौंप दिया जाता है और जिसे इस काम पर मजबूर किया जाए तो अल्लाह तआला उस पर एक फ़रिश्ता उतारते हैं वह उसे सीधा रखता है। ”

ज़ईफ़: बैहकी: 10/ 100.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है और इस्बाईल की अब्दुल आला से बयान कर्दा हदीस ज़्यादा सहीह है।

1325 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “ जिसे ओहदए क़ज़ा मिल गया या लोगों के दर्मियान क़ाज़ी बना दिया गया यकीनन उसे बगैर छुरी के ज़बह कर दिया गया। ”⁽¹⁾

सहीह: अबू दाऊद : 3571. इब्ने माजा: 2308.

तौज़ीह: (1) इसलिए कि यह ओहदा बहुत ही हस्सास है। अगर ज़रा सी ग़फ़लत से काम ले या किसी एक फ़रीक की तरफ़ झुकाव कर ले तो उसके लिए जहन्नम की वईद है।

اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَأَلَ الْقَضَاءَ وَكَلَّ إِلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أُجْبِرَ عَلَيْهِ يُنْزِلُ اللّٰهُ عَلَيْهِ مَلَكًا فَيَسُدُّهُ.

1324 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي عَوَّانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى الثُّعْلَبِيِّ، عَنْ بِلَالِ بْنِ مِرْدَاسِ الْفَزَارِيِّ، عَنْ خَيْثَمَةَ وَهُوَ الْبَصْرِيُّ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ ابْتَغَى الْقَضَاءَ وَسَأَلَ فِيهِ شَفْعَاءَ وَكَلَّ إِلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَكًا يُسَدُّهُ.

1325 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْظِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبِرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ، أَوْ جُوعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ دُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ.

2 - काजी अगर दुरुस्त या ग़लत फैसला करे.

1326 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "जब हाकिम फ़ैसला करने में कोशिश व मेहनत करे और सहीह फ़ैसला करे तो उसके लिए दो अज़्र हैं और जब कोशिश के साथ फ़ैसला करे और ग़लती कर जाए तो उसके लिए एक अज़्र है।" (1)

बुख़ारी: 7352. मुस्लिम: 1716. अबू दाऊद : 3574.
इब्ने माजा: 2314.

तौज़ीह: (1) यह एक अज़्र उसके खुलूसे निय्यत के साथ मेहनत करने की वजह से है।

वज़ाहत: इस मसले में अग्र बिन आस और उक्बा बिन आमिर (رضي الله عنه) से भी हदीस मव्वी है।

इमाम तिमिज़ी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस इस सनद के साथ ग़रीब है। हम इसे सुफ़ियान सौरी से बवास्ता यहया बिन सईद सिफ़्र अब्दुरज़्जाक से बवासता मामर, सुफ़ियान सौरी से ही जानते हैं।

3 - काजी फैसला कैसे करे?

1327 - सय्यदना मुआज़ के कुछ शागिर्दों से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुआज़ को यमन की तरफ़ खाना किया तो फ़रमाया, "तुम फ़ैसला कैसे करोगे? उन्होंने कहा : मैं अल्लाह की किताब के मुताबिक़ फैसाला करूंगा, आप (ﷺ) ने फ़रमाया, "अगर वह अल्लाह की किताब में न हुआ ?" उन्होंने कहा तो फिर

2 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَاضِي يُصِيبُ وَيُخْطِئُ

1326 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَأَخْطَأَ، فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ.

3 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَاضِي كَيْفَ يَقْضِي

1327 - حَدَّثَنَا هَنَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عَوْنِ الثَّقَفِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رَجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: كَيْفَ تَقْضِي؟، فَقَالَ: أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ

अल्लाह के रसूल (ﷺ) की सुन्नत के साथ । आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “अगर वह अल्लाह के रसूल की सुन्नत में भी न हो तो? उन्होंने कहा: मैं अपनी राय के साथ इज्तिहाद करूंगा। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है जिसने अल्लाह के रसूल के कासिद को तौफीक दी।”

ज़ईफ़: अबू दाऊद : 3592. मुसनद अहमद: 5/536.
बैहकी: 10/114.

तौज़ीह: (1) कयास करने की सब से बड़ी दलील यही हदीस है। लेकिन यह हदीस ज़ईफ़ है और ज़ईफ़ हदीस क़ाबिले हुज्जत नहीं हो सकती।

1328 - सय्यदना मुगीरह बिन शोबा (رضی اللہ عنہ) के भतीजे हारिस बिन अमर अहले हिम्स में से कुछ लोगों के वास्ते के साथ मुआज़ (رضی اللہ عنہ) से नबी (ﷺ) की ऐसी ही हदीस रिवायत करते हैं।

ज़ईफ़: अस-सिलसिला अज़-ज़ईफ़ा: 881.

4 - इन्साफ करने वाला हाकिम.

1329 - सय्यदना अबू सईद (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया; “क़यामत के दिन अल्लाह को सब से ज़्यादा महबूब और उसके करीब बैठने वाला, आदिल हुक्मरान होगा और अल्लाह को सबसे ज़्यादा बुरा और सबसे ज़्यादा दूर बैठने वाला ज़ालिम हुक्मरान होगा।”

فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: أَجْتَهْدُ رَأْيِي، قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ.

1328 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو ابْنِ أَخٍ لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَنَسٍ مِنْ أَهْلِ حِمصٍ، عَنْ مُعَاذٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

4 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِمَامِ الْعَادِلِ

1329 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ، عَنْ فَضِيلِ بْنِ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ

जईफ़: अस-सिलसिला अज़-जईफ़ा: 1156. मुसनद
अहमद: 3/22. अबू याला: 1003.

مَجْلِسًا إِمَامًا عَادِلًا، وَأَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ
وَأَبْغَضَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامًا جَائِرًا.

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: अबू सईद (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह ग़रीब है हम इसे सिर्फ़ इसी सनद से जानते हैं।

1330 - अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "बेशक अल्लाह तआला काज़ी के साथ होता है जब तक वह जुल्म नहीं करता, जब वह जुल्म करता है अल्लाह तआला उस से अलग हो जाता है। और शैतान उसके साथ मिल जाता है।"

हसन: इब्ने माजा: 2312. इब्ने हिब्बान: 5062.

1330 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو
بَكْرِ الْعَطَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ،
قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ
مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَجْرُ، فَإِذَا جَارَ تَخَلَّى عَنْهُ
وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانُ.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है हम इसे सिर्फ़ इमरान अल-क़त्तान की सनद से ही जानते हैं।

**5 - काज़ी दोनों फ़रीकों की बात सुने बग़ैर
फ़ैसला न करे.**

5 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَاضِي لَا يَقْضِي بَيْنَ
الْخَصْمَيْنِ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَهُمَا

1331 - सय्यदना अली (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझसे फ़र्माया: "जब दो आदमी तुम्हारे पास फ़ैसला करवाने आयें तो तुम दूसरे की बात सुने बग़ैर पहले के हक़ में फ़ैसला न करना, फिर तुम खुद जान लो कि फ़ैसला कैसे करना है।" अली (رضي الله عنه) कहते हैं! फिर इसके बाद मैं हमेशा

1331 - حَدَّثَنَا هَنَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ
الْبُجَعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ،
عَنْ حَنْشٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ
رَجُلَانِ، فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ

लोगों के दर्मियान फ़ैसला करता रहा।

हसन: अबू दाऊद : 3582. मुसनद अहमद: 1/90. अबू याला: 371.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है।

الآخر، فسوف تدرى كيف تقضي.
قال علي: فما زلت قاضيًا بعد.

6 - रिआया का हाकिम.

1332 - अबू हसन (ﷺ) रिवायत करते हैं कि सय्यदना अग्र बिन मुरा (ﷺ) ने सय्यदना मुआविया (ﷺ) से कहा: "मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना: "जो हाकिम हाजतमंदों, फकीरों, और मिस्कीनों पर अपना दरवाज़ा बंद कर ले तो अल्लाह तआला उसकी ज़रूरत, फ़कीरी और मिस्कीनी पर आसमान के दरवाज़े बंद कर देता है। " तो मुआविया (ﷺ) ने यह सुनकर लोगों की ज़रूरियात का पता करने पर एक आदमी मुक़रर कर दिया।

सहीह: मुसनद अहमद: 4/231. हाकिम: 4/94.

तौज़ीह: الخلة مندی: جراحة الحاجّة: فक्रه حاجت.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने उमर (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिजी (ﷺ) फ़रमाते हैं: अग्र बिन मुरा (ﷺ) की हदीस ग़रीब है नीज़ यह हदीस इस सनद के अलावा और सनदों से भी मर्वी है। अग्र बिन मुरा अज- जुहनी (ﷺ) की कुनियत अबू मरियम है।

1333 - अबू ईसा कहते हैं:) हमें अली बिन हुज़ ने वह कहते हैं:) हमें यह्या बिन हमज़ा ने यज़ीद बिन अबी मरियम से बवास्ता कासिम मुखैमिरा, नबी करीम (ﷺ) के सहाबी अबू मरियम (ﷺ) से नबी करीम (ﷺ) की ऐसी

6 بَابُ مَا جَاءَ فِي إِمَامِ الرَّعِيَّةِ

1332 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ مَرْةٍ لِمُعَاوِيَةَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ إِمَامٍ يُغْلِقُ بَابَهُ دُونَ ذَوِي الْحَاجَةِ، وَالْخَلَّةِ، وَالْمَسْكِنَةِ إِلَّا أَعْلَقَ اللَّهُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ دُونَ خَلَّتِهِ، وَحَاجَّتِهِ، وَمَسْكِنَتِهِ، فَجَعَلَ مُعَاوِيَةَ رَجُلًا عَلَى حَوَائِجِ النَّاسِ.

1333 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْرَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

ही हदीस बयान की है।

सहीह: अबू दाऊद : 2948.

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذَا
الْحَدِيثِ بِمَعْنَاهُ.

वज़ाहत: यज़ीद बिन अबी मरियम शाम के रहने वाले थे जबकि यज़ीद बिन अबी मरियम कूफा के थे।
और अबू मरियम, अम्र बिन मुरा अज्- जुहनी (رضي الله عنه) ही हैं।

7 - काज़ी गुस्से की हालत में फैसला न करे।

1334 - अब्दुर्रहमान बिन अबी बकरह (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मेरे वालिद ने उबैदुल्लाह बिन अबी बकरह को खत लिखा जो कि काज़ी थे कि तुम गुस्से की हालत में दो आदमियों के दर्मियान फैसला न करना। मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना: "फ़ैसला करने वाला जब गुस्से में हो तो दो आदमियों के दर्मियान फ़ैसला न करे।"

बुखारी: 7158. मुस्लिम: 1717. अबू दाऊद : 3589.
इब्ने माजा: 2316. निसाई: 5406.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अबू बकरह का नाम नफीअ (رضي الله عنه) बिन हारिस था।

8 - हाकिमों को तोहफ़े देना।

1335 - सय्यदना मुआज़ बिन जबल (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे यमन की तरफ़ भेजा जब मैं चल पड़ा तो आप (ﷺ) ने मेरे पीछे पैगाम भेज कर मुझे वापस बुलाया। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, "क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हें बुलाने के लिए पैगाम क्यों भेजा था? यह कहने के लिए कि तुम

7 بَابُ مَا جَاءَ لَا يَقْضِي الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانٌ

1334 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: كَتَبَ أَبِي إِلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ وَهُوَ قَاضٍ: أَنْ لَا تَحْكُمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانٌ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانٌ.

8 بَابُ مَا جَاءَ فِي هَذَا يَا الْأُمَرَاءَ

1335 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ يَزِيدَ الْأَوْدِيِّ، عَنْ الْمُعْبِرَةِ بْنِ شُبَيْلٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ، فَلَمَّا سِرْتُ

इजाज़त के बगैर कोई चीज़ न लेना क्योंकि वह ख़यानत है। और जो शख्स ख़यानत करेगा तो क़यामत के दिन ख़यानत वाली चीज़ लेकर आएगा। मैंने तुम्हें इस बात के लिए बुलाया था अब अपने काम पर चल पड़ो। ”

ज़ईफ़ुल इस्नाद

तौज़ीह: ख़यानत: ग़नीमत या बैतूल माल से चोरी को गुलूल या ख़यानत कहा जाता है।

वज़ाहत: इस मसले में अदी बिन उमैरा, बुरैदा, मुस्तौरिद बिन शहाद, अबू हुमैद और इब्ने उमर (رضي الله عنه) से भी हदीस मवी है।

इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: मुआज़ बिन जबल (رضي الله عنه) की हदीस हसन ग़ारीब है हम इसे सिर्फ़ उसामा के वास्ते से ही दाऊद औदी से जानते हैं।

9 - फैसले में रिश्त देने और लेने वाला.

1336 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फैसले में रिश्त देने और लेने वाले पर लानत की है।

सहीह: मुसनद अहमद: 2/378. इब्ने हिब्बान: 5076.

तौज़ीह: الرّاشي: रिश्त देने वाला और रिश्त उस चीज़ को कहा जाता है जो हक़ को बातिल या बातिल को हक़ करने के लिए या अपना मफ़ाद पूरा करने के लिए किसी हाकिम, क़ाज़ी या किसी भी महक़मे के मजाज़ (ऑफीसर) आदमी को दी जाए।

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन अम्र, आयशा, इब्ने जदीदा और उम्मे सलमा (رضي الله عنها) से भी हदीस मवी है।

इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है नीज़ यह हदीस अबू सलमा बिन अब्दुरहमान से बवास्ता अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से भी नबी (ﷺ) से मवी है।

नीज़ अबू सलमा से उनके बाप के ज़रिए भी नबी (ﷺ) से मवी है लेकिन वह सहीह नहीं। अबू ईसा कहते हैं: मैंने अब्दुल्लाह बिन अब्दुरहमान से सुना वह कह रहे थे: अबू सलमा की अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से रिवायतकर्दा नबी (ﷺ) की इस मसले में सबसे उम्दा और सहीह है।

أُرْسِلَ فِي أَثْرِي فَرَدِدْتُ، فَقَالَ: أَتَدْرِي لِمَ بَعَثْتُ إِلَيْكَ؟ لَا تُصَيِّنَنَّ شَيْئًا بَعْدِي إِذْنِي فَإِنَّهُ غُلُولٌ، وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لِهَذَا دَعَوْتُكَ، فَأَمْضِ لِعَمَلِكَ.

9 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ

1336 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ.

1337 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रिश्तत देने और लेने वाले पर लानत की है।

सहीह: अबू दारूद : 3570. इब्ने माजा: 2316.

1337 - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذُئْبٍ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

10 - तोहफ़ा और दावत कुबूल करना.

1338 - सय्यदना अनस (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “अगर मुझे जानवर की पिंडली का थोड़े गोश्त वाला हिस्सा तोहफ़ा भेजा जाए तो मैं उसे भी कुबूल करूंगा और अगर मुझे इस के लिए दावत दी जाए तो मैं जाऊंगा।”

सहीह: इब्ने हिब्बान: 5292. बैहकी: 6/69.

तौज़ीह: كُرَاع: आम तौर पर इसका मानी खुर किया जाता है लेकिन लुगत के एतबार से यह मानी सहीह नहीं है बल्कि जानवर गाय, बकरी वगैरह के कम गोश्त वाले पिंडली के हिस्से को कहा जाता है और आदमी के घुटने से नीचे टखने तक पिंडली के हिस्से को كُرَاع कहा जाता है। इसी से ज़रबुल मसल मशहूर है। गुलाम को पाए न खिलाओ वरना दस्त के गोश्त की ख्वाहिश करेगा। لا تطعم العبد الكراع فيطعم في الزراع: यानी كُرَاع को पाए भी कह सकते हैं। (तफ़सील के लिए देखिये, अल-कामूसुल वहीद:पृ. 1399)

वज़ाहत: इस मसले में अली, आयशा, मुगीरह बिन शोबा, सुलैमान, मुआविया बिन हीदा और अब्दुरहमान बिन अल्कमा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: अनस (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

10 بَابُ مَا جَاءَ فِي قَبُولِ الْهَدِيَّةِ وَإِجَابَةِ الدَّعْوَةِ

1338 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ، وَلَوْ دُعِيَ عَلَيَّ لَأَجَبْتُ.

11 - अगर गैर मुस्तहिक के लिए कोई फ़ैसला हो जाए तो वह किसी दूसरे का हक़ न ले.

11 **بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ عَلَى مَنْ يُقْضَى لَهُ بِشَيْءٍ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ**

1339 - सय्यदा उम्मे सलमा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "तुम लोग मेरी तरफ़ मुक़दमा लेकर आते हो और मैं भी इंसान ही हूँ, हो सकता है तुम में से कोई शख्स अपनी दलील बयान करने में दूसरे से ज़्यादा महारत रखता हो तो अगर मैं तुम में से किसी के लिए उसके भाई के हक़ का फ़ैसला कर दूँ तो मैं उसके लिए जहन्नम की आग का एक टुकड़ा अलाट कर रहा हूँ वह उसको न ले।"

1339 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكُمْ تَحْتَضِمُونَ إِلَيَّ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْخَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَإِنْ قَضَيْتُ لِأَحَدٍ مِنْكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أُخِيهِ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ، فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا.

बुखारी: 2458. मुस्लिम: 1713. अबू दाऊद : 3583. इब्ने माजा: 2317. निसाई: 5401.

तौज़ीह: दलील को मज़बूत करने वाले तमाम पहलुओं से वाकिफ़ (अल-मोजमुल वसीत-पृ. 991.)

वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरैरा और आयशा (رضي الله عنهما) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिरमिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: उम्मे सलमा (رضي الله عنها) की हदीस हसन सहीह है।

12 - गवाह मुद्ई (दावेदार) और क़सम मुद्आ अलैह (जिस पर दावा किया गया हो) के जिम्मा है।

12 **بَابُ مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ**

1340 - सय्यदना वाइल बिन हुज़ (رضي الله عنه) से रिवायत है कि एक आदमी हज़रे मौत का और एक किन्दा का नबी (ﷺ) के पास आए। हज़रामी कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! इस

1340 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَاثِلِ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ

आदमी ने मेरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। किन्दी कहने लगा: वह मेरी ज़मीन है मेरे कब्जे में है। इसका इसमें कोई हक नहीं है। तो नबी (ﷺ) ने हज़रमी से फ़रमाया, “क्या तुम्हारे पास कोई दलील है?” उस ने कहा: नहीं” आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “फिर तुम्हें इस की क़सम का एतबार करना पड़ेगा।” उस ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल बेशक यह फाजिर आदमी है। यह कोई परवाह नहीं करेगा कि क्या क़सम उठा रहा है, यह किसी चीज़ से परहेज़ नहीं करता। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “तुम्हें उस से सिर्फ़ यही मिल सकता है।” रावी कहते हैं: वह आदमी क़सम उठाने लगा तो जब उसने अपनी पीठ फेर दी तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “अगर यह तुम्हारे माल पर क़सम उठा ले ताकि उसे जुल्म के साथ खा जाए तो यह ज़रूर अल्लाह से इस हालत में मिलेगा कि अल्लाह इस से मुंह फेर लेगा।”

मुस्लिम: 139. अबू दाऊद: 3245.

वज़ाहत: इस मसले में उमर, इब्ने अब्बास, अब्दुल्लाह बिन अम्र और अशअस बिन कैस (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिरमिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: वाइल बिन हुज़्र (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

1341 - अम्र बिन शोएब अपने बाप से वह अपने दादा (सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) से रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने अपने खुत्बा में इरशाद फ़रमाया, “दलील मुहई के ज़िम्मे है और क़सम मुहआ अलैह पर है।” (1)

सहीह: अब्दुरज़ाक़: 15184. दार कुत्नी: 4/ 157.

مِنْ حَضْرَمُوتٍ وَرَجُلٍ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ لِي، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي وَفِي يَدِي لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَضْرَمِيِّ: أَلَكِ بَيْتَةٌ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَلَكِ يَمِينَةٌ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لَا يُبَالِي عَلَى مَا خَلَفَ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ، قَالَ: لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ، قَالَ: فَأَنْطَلَقَ الرَّجُلُ لِيُخْلِفَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَدْبَرَ: لَيْنَ خَلَفَ عَلَى مَالِكَ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا، لِيَلْقَيْنَ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ.

1341 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وَغَيْرُهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: الْبَيْتَةُ عَلَى الْمُدْعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ.

तौजीह: (1) दावा करने वाले को मुद्ई और जिसके खिलाफ़ मुकद्दमा या दावा दायर किया जाए उसे मुद्आ अलैह कहा जाता है।

वज़ाहत: इस हदीस की सनद में कलाम किया गया है। मुहम्मद बिन उबैदुल्लाह अल-अर्जमी को हाफ़िज़े की वजह से इस हदीस में ज़ईफ़ कहा गया है। इसे इब्ने मुबारक वगैरह ने ज़ईफ़ करार दिया है।

1342 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़ैसला दिया कि क़सम मुद्आ अलैह के ज़िम्मा है।

बुखारी: 2514. मुस्लिम: 1711. अबू दाऊद : 3619.
इब्ने माजा: 2321. निसाई: 5425.

1342 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ بْنُ عَشْكِرٍ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى أَنْ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नोज़ नबी (ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से अहले इल्म का इसी पर अमल है कि दलील दावा करने वाले के और क़सम मुद्आ अलैह के ज़िम्मे है।

13-अगर गवाह एक हो तो साथ एक क़सम उठाए

1343 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक गवाह होने की सूरत में क़सम के साथ फ़ैसला कर दिया था। रबीआ कहते हैं: मुझे साद बिन उबादा (رضي الله عنه) के बेटे ने बताया कि हमने साद (رضي الله عنه) की किताब में देखा कि नबी (ﷺ) ने एक गवाह के साथ एक क़सम लेकर फ़ैसला किया था।

सहीह: अबू दाऊद : 3610. इब्ने माजा: 2368.

13 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

1343 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ. قَالَ رَبِيعَةُ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ لَسْعَدٍ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: وَجَدْنَا فِي كِتَابِ سَعْدِ بْنِ الشَّيْبِيِّ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.

वज़ाहत: इस मसले में जाबिर, इब्ने अब्बास और सुरक (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की यह हदीस कि “नबी (ﷺ) ने एक गवाह के साथ एक क़सम लेकर फ़ैसला किया था।” हसन ग़रीब हदीस है।

1344 - सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक गवाह के साथ एक कसम लेकर फैसला किया था।

सहीह: इब्ने माजा: 2369. मुसनद अहमद: 3/305.

1345 - जाफ़र बिन मुहम्मद अपने बाप से रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने एक गवाह के साथ एक कसम लेकर फैसला किया था और अली (رضي الله عنه) ने भी तुम्हारे दर्मियान इसी के साथ फैसला किया था।

सहीह: गुज़िश्ता हदीस देखें.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह ज़्यादा सहीह है। सुफ़ियान सौरी ने भी इसी तरह जाफ़र बिन मुहम्मद से उनके बाप के वास्ते के साथ नबी (ﷺ) से मुसल रिवायत की है। जबकि अब्दुल अज़ीज़ बिन अबू सलमा और यहया बिन सुलैम ने इस हदीस को जाफ़र बिन मुहम्मद से उनके बाप के ज़रिए बवास्ता अली (رضي الله عنه) नबी (ﷺ) से रिवायत किया है।

नीज़ नबी (ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ उलमा की यही राय है कि हुकूक और अमवाल में एक गवाह होने की सूरत में एक कसम लेकर फैसला करना जायज़ है। मालिक बिन अनस, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक भी इसी के कायल हैं, वह मज़ीद कहते हैं कि एक गवाह के साथ कसम लेकर सिर्फ़ हुकूक और अमवाल में ही फैसला किया जा सकता है।

14 - दो अदमियों के दर्मियान मुश्तरक गुलाम से अगर एक शख्स अपना हिस्सा अज़ाद कर दे

1346 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, "जिस ने किसी मुश्तरक गुलाम में अपना हिस्सा अज़ाद कर दिया और उस अज़ाद करने वाले के पास अगर

1344 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

1345 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ قَالَ: وَقَضَى بِهَا عَلِيٌّ فِيكُمْ.

14 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدَهُمَا نَصِيبَهُ

1346 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِتْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

इतना माल हो जो उस गुलाम की बाज़ार की कीमत को पहुंचता हो तो वह आज़ाद है। अगर नहीं तो उतना हिस्सा ही आज़ाद होगा जितना उसने किया है। ”

बुखारी: 2491. मुस्लिम: 1501. अबू दाऊद : 3940.
इब्ने माजा: 2528. निसाई: 4698.

तौज़ीह: यहाँ रावी ने शक की बिना पर तीन अल्फ़ाज़ बोले हैं: **شُرْكَاً** यानी इन तीनों में से कोई एक लफ़्ज़ बोला था लेकिन सबका मानी एक ही है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। इसे सालिम ने भी अपने बाप के वास्ते के साथ नबी (ﷺ) से इसी तरह रिवायत किया है।

1347 - सालिम अपने बाप से रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़रमाया, “जिस ने किसी मुश्तरक गुलाम में अपना हिस्सा आज़ाद किया और उसके पास उस गुलाम की कीमत जितना माल हो तो उसे उसके माल से आज़ाद किया जाएगा। ”

सहीह: अबू दाऊद : 3940. तोहफतुल अशराफ़: 6935.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

1348 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “जिसने किसी मुश्तरक गुलाम से अपना हिस्सा आज़ाद कर दिया फिर अगर उसके पास माल हुआ तो उसके माल से उसकी मुकम्मल आज़ादी होगी और अगर उसके पास माल नहीं है तो उसकी इन्साफ वाली कीमत लगाई जाए फिर उस हिस्से की मेहनत कराई जाए जो आज़ाद नहीं

مَنْ أَعْتَقَ نَصِيْبًا، أَوْ قَالَ: شِقْصًا، أَوْ قَالَ: شِرْكَاً لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيَمَةِ الْعَدْلِ فَهُوَ عَتِيقٌ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ. قَالَ أَيُّوبُ: وَرُبَّمَا قَالَ نَافِعٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، يَعْنِي: فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ.

1347 - حَدَّثَنَا بِذَلِكَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ نَصِيْبًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ فَهُوَ عَتِيقٌ مِنْ مَالِهِ.

1348 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَشْرَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهَيْكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَعْتَقَ نَصِيْبًا، أَوْ قَالَ: شِقْصًا فِي مَمْلُوكٍ فَخَلَّصَهُ فِي مَالِهِ،

हुआ उसे मशक़त में न डाला जाए। ”

बुखारी: 2492. मुस्लिम: 1503. अबू दाऊद : 3937.
इब्ने माजा: 2527.

إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قَوْمَ قِيَمَةِ
عَدَلٍ، ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتَقْ
غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ.

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

अबू ईसा फ़रमाते हैं, हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने उन्हें यह्या बिन सईद ने सईद बिन अबी अरूबा से ऐसी ही हदीस बयान की है और उन्होंने : شُفُصًا का लफ़्ज़ बोला है।

इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और अबान बिन यज़ीद ने भी क़तादा से सईद बिन अबी अरूबा की हदीस की तरह रिवायत की है। नीज़ शोबा ने भी इस हदीस को क़तादा से रिवायत किया है लेकिन इस में मेहनत करवाने वाले का ज़िक्र नहीं है।

मेहनत करवाने वाले के बारे में अहले इल्म का इख़्तिलाफ़ है। बाज़ उलमा मेहनत करने को जायज़ कहते हैं। सुफ़ियान सौरी अहले कूफ़ा और इस्हाक़ इसके कायल हैं।

जबकि बाज़ उलमा कहते हैं: जब गुलाम दो आदमियों के दर्मियान मुश्तरक हो। और एक आदमी अपना हिस्सा आज़ाद कर दे तो अगर उसके पास माल हो तो उसे अपने दूसरे शरीक के हिस्से की ज़िम्मेदारी भी दी जाएगी और गुलाम उसके माल से आज़ाद होगा और अगर उसके पास मज्बूद माल न हो तो गुलाम उतना ही आज़ाद होगा जितना उसने आज़ाद किया है और उस गुलाम से मेहनत और काम नहीं करवाया जाएगा, उन्होंने इब्ने उमर (رضي الله عنه) की नबी (ﷺ) से मर्वी हदीस के मुताबिक़ कहा है। यह कौल अहले मदीना का है। मालिक बिन अनस, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمته الله) भी यही कहते हैं।

15 – उम्रा का बयान.

1349 - सध्दना समुरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “उम्रा⁽¹⁾ (मौहूब लहू के) वारिसों के लिए जायज़ है या आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “उसके अहल के लिए मीरास है। ”

सहीह: अबू दाऊद : 3549. मुसनद अहमद: 5/8.
बैहक्की: 6/ 174.

15 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعُمَرَى

1349 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا
ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ
الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعُمَرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا، أَوْ
مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا.

तौज़ीह: उम्रा: किसी को उम्र भर के लिए कोई चीज़ अतिथ्या कर देने को उम्रा कहा जाता है। लेकिन अगर वह बाद में वारिसों की शर्त तै नहीं भी करता तब भी वह चीज़ मौहूब लहू (जिसे दी गई है) उसके वारिसों में मुन्तकिल हो जाएगी। देने वाला उसे वापस नहीं ले सकता।

वज़ाहत: इस मसले में ज़ैद बिन साबित, जाबिर, अबू हुरैरा, आयशा, इब्ने ज़ुबैर और मुआविया (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

1350 - सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “जिस शख्स को उम्र भर के लिए कोई अतिथ्या दे दिया जाए और कहा जाए कि यह उसके लिए और उसके बाद उसके वारिसों के लिए है तो वह उसी शख्स का है जिसे दिया गया हो। देने वाला उसे वापस नहीं ले सकता क्योंकि उसने ऐसा अतिथ्या दिया है जिसमें विरासत वाके हो गई है।”

बुखारी: 2625. मुस्लिम: 1625. अबू दाऊद : 3550.
इब्ने माजा: 2380. निसाई: 3736.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है नीज़ मामर वगैरह ने भी ज़ोहरी से इमाम मालिक की तरह रिवायत की है। और बाज़ ने ज़ोहरी से रिवायत करते वक़्त उसकी औलाद का ज़िक्र नहीं किया। और यह हदीस कई सनदों के साथ जाबिर (رضي الله عنه) से मर्वी है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “उम्र भर के लिए दी गई चीज़ वारिसों की हो जाती है।” और इसमें औलाद का ज़िक्र नहीं है। और यह हदीस भी हसन सहीह है।

नीज़ बाज़ उलमा इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि जब कोई कहे यह चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे और तुम्हारी औलाद के लिए है तो वह उसी की है जिसे दी गई है। देने वाले को वापस नहीं हो सकती और जब औलाद का ज़िक्र न करे तो जब मौहूब लहू फौत हो जाए तो देने वाले की हो जाएगी, यह कौल मालिक और शाफ़ेई (رحمته الله عليه) का है।

और नबी (ﷺ) से कई सनदों से मर्वी है कि उम्रा जिनके लिए किया जाए उनमें जारी हो जाता है। और बाज़ उलमा का इसी पर अमल है कि जब मौहूब लहू मर जाए तो वह उसके वारिसों का हो जाएगा। अगरचे उसने वारिसों की शर्त नहीं भी लगाई। यह कौल सुफ़ियान सौरी, अहमद और इस्हाक़ (رحمته الله عليه) का है।

1350 - حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا لَا تَرْجِعُ إِلَيَّ الَّذِي أُعْطَاهَا، لِأَنَّهُ أُعْطِيَ عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ.

16 - रुक्बा का बयान.

1351 - सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, "उम्रा उसी का है जिसे दे दिया जाए, इसी तरह रुक्बा⁽¹⁾ भी उसी का हो जाता है जिसे दिया जाए।"

सहीह: अबू दाऊद : 3558. इब्ने माजा: 2383. निसाई: 3739.

तौज़ीह: (1) रुक्बा: यह भी उम्रा की तरह है। इस में थोड़ा सा फ़र्क यह है कि हिबा करने वाला कहे: यह तुम्हारी ज़िन्दगी में तुम्हारे लिए है। अगर तुम मुझसे पहले फौत हो गए तो यह चीज़ वापस मेरे पास आ जाएगी, मगर उसमें भी रुजू नहीं हो सकता।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है और बाज़ रावियों ने इसे अबू जुबैर के वास्ते से इसी सनद के साथ मौकूफ़ रिवायत किया है। नीज़ नबी (ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ उलमा का इसी पर अमल है कि उम्रा की तरह रुक्बा भी उसी का हो जाता है जिसे दिया गया हो और पहले की तरफ़ वापस नहीं होगा।

17 - लोगों के दर्मियान सुलह करवाने के बारे में रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़रमान.

1352 - कसीर बिन अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन औफ़ अल- मुज़नी (رضي الله عنه) अपने बाप के ज़रिए अपने दादा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: "लोगों के दर्मियान सुलह जायज़ है मगर वह सुलह (जायज़ नहीं) जो हलाल को हराम या हराम को हलाल कर दे और मुसलमान अपनी शराइत पर (अमल करने के पाबंद) हैं। मगर ऐसी शर्त

16 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّقْبَى

1351 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ ذَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا، وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا.

17 بَابُ مَا ذَكَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصُّلْحِ بَيْنَ النَّاسِ

1352 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حِلًّا، أَوْ

(पर अमल नहीं होगा) जो हलाल को हARAM या हARAM को हलाल कर दे।

सहीह: अबू दाऊद : 2353. दार कुल्नी: 3/27. हाकिम: 4/101.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

18 - हमसाये की दीवार पर लकड़ी रखना.

1353 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "जब तुम में से किसी शख्स से उसका हमसाया दीवार में लकड़ी गाड़ने⁽¹⁾ की इजाज़त मांगे तो वह उसे मत रोके। जब अबू हुरैरा (رضي الله عنه) ने हदीस सुनाई तो लोगों ने अपने सर झुका लिए तो उन्होंने फ़रमाया, "मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम इस से एराज़ करते हो, अल्लाह की क़सम! मैं उसे ज़रूर तुम्हारे शानों के दर्मियान फेंकता रहूंगा।"⁽²⁾

बुखारी: 2463. मुस्लिम: 1609. अबू दाऊद : 3634. इब्ने माजा: 2335.

18 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَضَعُ عَلَى

حَائِطِ جَارِهِ خَشْبًا

1353 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشْبَهُ فِي حِدَارِهِ فَلَا يَمْنَعُهُ. فَلَمَّا حَدَّثَ أَبُو هُرَيْرَةَ طَاطَأُوا رُءُوسَهُمْ، فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وَاللَّهِ لَأَرْمِينَ بِهَا بَيْنَ أَكْتافِكُمْ.

तौज़ीह: (1): غرز: का मतलब होता है गाड़ना, लगाना वगैरह। (2) यानी तुम चाहो न चाहो मैं बयान ज़रूर करता रहूंगा।

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास और मजमा बिन जारिया (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। और बाज़ उलमा का इसी पर अमल है। नीज़ शाफ़ेई भी यही कहते हैं। जबकि बाज़ उलमा: जिन में मालिक बिन अनस (رحمته الله) भी हैं, कहते हैं: वह अपनी दीवार में लकड़ी लगाने से रोक सकता है। लेकिन पहला कौल सहीह है।

19 - क़सम दिलाने वाले की तस्दीक़ पर क़सम का एतबार होता है.

1354 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “क़सम वही मोतबर है जिस पर तुम्हारा साथी (क़सम लेने वाला) तुम्हारी तस्दीक़ करे” कुतैबा कहते हैं: जिस पर तुम्हारे साथी ने तुम्हारी तस्दीक़ की।
मुस्लिम: 1653. अबू दारूद: 3255. इब्ने माजा: 2121.

19 بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى مَا يُصَدِّقُهُ صَاحِبُهُ

1354 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ الْمَعْنَى وَاحِدًا، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ.

وَقَالَ قُتَيْبَةُ: عَلَى مَا صَدَّقَكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है। हम इसे हैसम की अब्दुल्लाह बिन अबू सालेह से ली गई हदीस से ही जानते हैं और अब्दुल्लाह बिन अबी सालेह, सहल बिन अबी सालेह के भाई हैं, नीज़ बाज़ उलमा का इसी पर अमल है, इमाम अहमद और इस्हाक (رحمته الله) भी इसी के कायल हैं।

इब्राहीम नखई (رحمته الله) कहते हैं: अगर क़सम लेने वाला ज़ालिम हो उसमें क़सम देने वाले की निय्यत का एतबार होगा और जब क़सम लेने वाला मजलूम हो तो फिर क़सम लेने वाले की निय्यत का एतबार होगा।

20 - अगर रास्ते के बारे में इख़्तिलाफ़ हो तो कितना रखा जाए?

1355 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “रास्ता सात हाथ रखो।”

बुख़ारी: 2473. मुस्लिम: 1613. अबू दारूद: 3633.
इब्ने माजा: 2338.

20 بَابُ مَا جَاءَ فِي الطَّرِيقِ إِذَا اخْتَلَفَ فِيهِ كَمْ يُجْعَلُ؟

1355 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدِ الصُّبُعِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهْكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْعَلُوا الطَّرِيقَ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ.

1356 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “जब तुम रास्ते के बारे में झगड़ा करो तो इसे सात⁽¹⁾ हाथ रखो।”

बुखारी: 2473. मुस्लिम: 1613.

1356 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبِ الْعَدَوِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَشَاجَرْتُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस वकीअ की रिवायत से ज़्यादा सहीह है। नीज़ इस मसले में इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

अबू ईसा फ़रमाते हैं: बिशर बिन काब अल-अदवी की अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से बयान कर्दा हदीस हसन सहीह है। बाज़ ने इस हदीस को क़तादा से बवास्ता बशीर बिन नहीक अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत किया है लेकिन वह हदीस गैर महफूज़ है।

तौज़ीह: (1) जिरा (गज़) एक पैमाना का नाम है। इसकी सवाब से मशहूर किस्म “الزراع الهاشمية” है जो 32 अँगलियों के बराबर या 64 सेंटी मीटर होता है। देखिये: अल-मोजमुल वसीत: पृ. 376)

21 - जब वालिदैन जुदा हों तो बच्चे को इख्तियार देना.

1357 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने एक बच्चे को अपने बाप और मां के दर्मियान इख्तियार दिया था।

अबू दाऊद : 2277. इब्ने माजा: 2351. निसाई: 3496.

21 بَابُ مَا جَاءَ فِي تَخْيِيرِ الْغُلَامِ بَيْنَ أَبِيهِ إِذَا افْتَرَقَا

1357 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ الثَّعْلَبِيِّ، عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और अबू मैमूना का नाम सुलैम था। नीज़ नबी (ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ उलमा इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि जब बच्चे के बारे में वालिदैन के दर्मियान झगड़ा हो जाए तो बच्चे को इख्तियार दिया जाएगा, अहमद और इस्हाक भी इसी के क़ायल हैं। वह मज़ीद कहते हैं: जब तक बच्चा छोटा हो

तो मां ज्यादा हकदार है और जब वह सात साल का हो जाए तो उसे मां बाप के दर्मियान इख्तियार दिया जाएगा। (जिसके साथ चाहे रहे)

हिलाल बिन अबू मैमूना, हिलाल बिन अली बिन उसामा हैं और यह मदनी हैं। उन से यह्या बिन कसीर, मालिक बिन अनस और फुलैह बिन सुलैमान ने रिवायत की है।

22 - बाप अपने बेटे का माल ले सकता है.

1358 - सय्यदा आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "सब से पाकीजा रोज़ी वह है जो तुम अपनी कमाई (हाथ की मजदूरी) से खाते हो और तुम्हारी औलाद तुम्हारी कमाई है।"

सहीह: अबू दाऊद : 3528. इब्ने माजा: 2137. निसाई: 4449.

वज़ाहत: इस मसले में जाबिर और अब्दुल्लाह बिन अमर (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिजी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और बाज़ ने इसे उमारा बिन उमैर से उनकी मां के वास्ते के साथ सय्यदा आयशा (ﷺ) से रिवायत की है लेकिन अक्सर रावी उनकी फूफी का ज़िक्र करते हैं। वह आयशा (ﷺ) से रिवायत करती हैं। नीज़ नबी (ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ उलमा इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि बाप का हाथ अपनी औलाद के माल में खुला है जो चाहे ले ले।

और बाज़ कहते हैं: सिर्फ़ ज़रूरत के तहत उसका माल ले सकता है।

23 - अगर किसी की कोई चीज़ टूट जाए तो तोड़ने वाले के माल से अदा की जाएगी.

1359 - सय्यदना अबू हुरैरा (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) की किसी एक बीवी ने एक प्याले (1) में नबी (ﷺ) को खाना भेजा तो आयशा (ﷺ) ने प्याले को अपना हाथ दे मारा और जो उसमें था गिरा दिया, तो

22 بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْوَالِدَ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ

1358 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَيْبَعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمَّتِهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ أَطِيبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنْ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ.

23 بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ يُكْسِرُ لَهُ الشَّيْءَ مَا يُحْكَمُ لَهُ مِنْ مَالِ الْكَاسِرِ؟

1359 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَهْدَتْ بَعْضُ

नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “खाने के बदले खाना और बर्तन के बदले बर्तन देना पड़ेगा।”

बुखारी: 2481. अबू दाऊद : 3567. इब्ने माजा: 2334. निसाई: 3955.

أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فِي قِصْعَةٍ. فَضَرَبَتْ عَائِشَةُ الْقِصْعَةَ بِيَدِهَا، فَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَعَامٌ بِطَعَامٍ، وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ.

तौजीह: **قِصْعَةٌ:** लकड़ी से बना प्याला जिस में खाना खाया जाता है और सरीद बनाई जाती है। (अल-मोजमुल वसीत:पृ. 894)

इमाम तिर्मिजी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

1360 - अनस (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने एक प्याला आरियतन (इस्तेमाल करने के लिए) लिया। वह ज़ाया हो गया तो आप (ﷺ) ने उसके जामिन होते हुए उसका हर्जाना दिया।

1360 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ، اسْتَعَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِصْعَةً فَضَاعَتْ، فَضَمَّهَا لَهُمْ.

जईफ़ जिह्वा.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़ैर महफूज़ है। मेरे मुताबिक़ सुवैद ने इस से वही हदीस मुराद ली है जो सौरी ने रिवायत की है और सौरी की हदीस ज़्यादा सहीह है।

24 - मर्द और औरत के जवान होने की उम्र

24 بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ بُلُوغِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ

1361 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मुझे एक लश्कर के लिए रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने पेश किया गया था, उस वक़्त मैं 14 साल का था आप ने मुझे कुबूल न किया, फिर अगले साल एक लश्कर में मुझे पेश किया गया तो मेरी उमर 15 साल

1361 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَزِيرِ الْوَاسِطِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُونُسَ الْأَزْرَقِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَيْشٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ

थी। आप ने मुझे कुबूल कर लिया। नाफ़े कहते हैं: मैंने यह हदीस उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (رضي الله عنه) को बयान की तो उन्होंने फ़रमाया, छोटे और बड़े (यानी बालिग़ और नाबालिग़) के दर्मियान यही हद है। फिर उन्होंने (अपने आमिलों को) लिखा कि जो 15 साल का हो जाए उसका वजीफ़ा मुकर्र कर दिया जाए।

बुखारी: 2664. मुस्तिम: 1868. अबू दाऊद : 2975.
इब्ने माजा: 2543. निसाई: 3431.

वज़ाहत: अबू ईसा (رضي الله عنه) कहते हैं:) हमें इब्ने अबी उमर ने (वह कहते हैं:) हमें सुफ़ियान बिन उयय्या ने उबैदुल्लाह बिन उमर से उन्होंने नाफ़े से बवास्ता इब्ने उमर (رضي الله عنه), नबी (ﷺ) से इस जैसी हदीस बयान की है लेकिन इस में यह ज़िक्र नहीं है कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने लिखा कि नाबालिग़ और बालिग़ के दर्मियान यही हद है।

इब्ने उयय्या ने अपनी हदीस में ज़िक्र किया है कि (नाफ़े) कहते हैं: मैंने उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (رضي الله عنه) को यह हदीस सुनाई तो उन्होंने कहा: बच्चों और लड़ने वालों के दर्मियान यही हद है।

इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अहले इल्म का इसी पर अमल है। नीज़ सुफ़ियान सौरी, इब्ने मुबारक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رضي الله عنه) भी यही कहते हैं कि लड़के की उम्र जब 15 साल हो जाए तो उसका हुक्म मर्दों वाला होगा और अगर 15 साल से पहले एहतलाम शुरू हो जाए तो फिर भी उसका हुक्म मर्दों वाला होगा।

इमाम अहमद और इस्हाक़ (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: बुलूग़त की तीन निशानियाँ हैं: 15 साल की उमर को पहुंचना या एहतलाम, अगर उसकी उम्र और एहतलाम का पता न चले तो फिर ज़ेरे नाफ़े के बालों का उग आना।

25 - जो शख्स अपने बाप की बीवी से निकाह कर ले.

1362 - सय्यदना बराअ (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मेरे पास से मेरे मामू अबू बुर्दा बिन नियार (رضي الله عنه) गुज़रे और उनके पास झंडा था। मैंने कहा: कहाँ का इरादा है? तो उन्होंने फ़रमाया,

25 باب فيمن تزوج امرأة أبيه

1362 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: مَرَّ بِي خَالِي أَبُو بَرْدَةَ

मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक ऐसे आदमी की तरफ़ भेजा है जिस ने अपने बाप की बीवी से शादी कर ली है। आप ने मुझे इस लिए भेजा है ताकि मैं आप के पास उसका सर लेकर आऊँ।

सहीह: अबू दाऊद : 4475. इब्ने माज़ा: 2607. निसाई: 3331.

वज़ाहत: इस मसले में कुरा अल-मुजनी (رحمته) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمته) फ़रमाते हैं: बराअ (رحمته) की हदीस हसन ग़रीब है। और मुहम्मद बिन इस्हाक़ ने इस हदीस को अदी बिन साबित से बवास्ता अब्दुल्लाह बिन यज़ीद सय्यदना बराअ (رحمته) से रिवायत किया है। नीज़ यह हदीस अशअस से भी बवास्ता अदी, यज़ीद बिन बराअ के ज़रिए उनके बाप से मर्वी है। और अशअस से ही बवास्ता अदी, यज़ीद बिन बराअ के ज़रिए उनके मामू से भी मर्वी है वह नबी (ﷺ) से रिवायत करते हैं।

26 - दो आदमियों में से अगर एक आदमी का ख़ेत पानी लगाने में दूर हो।

1363 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन जुबैर (رحمته) बयान करते हैं कि अंसार के एक आदमी ने जुबैर (رحمته) से हर्मा के नाले⁽¹⁾ के बारे में रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास झगड़ा किया जिसके साथ वह अपने ख़ुजूरों के दरख़्तों को पानी देते थे अंसारी कहने लगा: पानी को छोड़ दो वह गुज़र जाए। जुबैर (رحمته) ने इनकार किया। वह मुक़द्दमा लेकर रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आए तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जुबैर से फ़रमाया, "ऐ जुबैर! तुम अपनी ज़मीन को पानी दे कर अपने हमसाये की तरफ़ छोड़ दिया करो।" अंसारी नाराज़ हो गया। कहने लगा ऐ अल्लाह के रसूल! यह आपकी फूफी का बेटा

بُنْ نَبَارٍ وَمَعَهُ لَوَاءٌ، فَقُلْتُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أَبِيهِ أَنْ آتِيَهُ بِرَأْسِهِ.

26 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلَيْنِ يَكُونُ أَحَدُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْآخَرِ فِي الْمَاءِ

1363 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِرَاحِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: سَرِحَ الْمَاءُ يَمُرُّ، فَأَبَى عَلَيْهِ، فَاخْتَصَمُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ:

हे न इस लिए? तो अल्लाह के रसूल (ﷺ) का चेहरा मुतगय्यर हो गया। फिर आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “ऐ जुबैर! अपने खेत को पानी दो। फिर पानी को रोको। यहाँ तक कि वह मुंडेरों⁽²⁾ तक पहुँच जाए।” जुबैर (رضی اللہ عنہ) कहते हैं: अल्लाह की क़सम! मैं यक़ीन के साथ कहता हूँ कि यह आयत इसी वाक़िये के बारे में नाज़िल हुई है: “तेरे रब की क़सम यह तब तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने झगड़ों में आप को हाकिम ना मान लें फिर आप के फ़ैसले पर अपने दिलों में तंगी महसूस न करे और इस फ़ैसले को तस्लीम कर लें। (अन्निसा: 65)

बुखारी: 2360. मुस्लिम: 2357. अबू दारुद : 3637.

इब्ने माजा: 2480. निसाई: 5407.

तौज़ीह: شِرَاجُ الْحَرَّةِ : शिराज उस नाले या खाल को कहते हैं जिसके ज़रिये फसलों को सैराब किया जाता है। और हर्रा मदीना के बाहर एक कंकरीली जगह का नाम है। الْجَدْر : खेत के इर्द गिर्द की गई मुंडेर, दीवार की जड़।

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رحمۃ اللہ علیہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और शोऐब बिन अबी हम्ज़ा ने ज़ोहरी से बवास्ता उर्वा बिन जुबैर, सय्यदना जुबैर (رضی اللہ عنہ) से रिवायत की है। इस में अब्दुल्लाह बिन जुबैर (رضی اللہ عنہ) के वास्ते का ज़िक्र नहीं है। नीज़ अब्दुल्लाह बिन वहब ने इसे लैस से और यूनुस ने ज़ोहरी से बवास्ता उर्वा, सय्यदना अब्दुल्लाह बिन जुबैर (رضی اللہ عنہ) से पहली हदीस की तरह रिवायत किया है।

27 - जो शय्ख अपनी मौत के वक़्त अपने गुलामों को आज़ाद कर दे और उसके पास उनके अलावा कोई माल भी न हो.

1364 - सय्यदना इमरान बिन हुसैन (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि एक अंसारी ने अपनी मौत के वक़्त अपने छः गुलामों को आज़ाद कर दिया और उनके अलावा उसका और कोई माल भी

اسقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ، فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْ كَانَ ابْنُ عَمَّتِكَ، فَتَلَوْنَ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: يَا زُبَيْرُ، اسقِ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ. فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللَّهِ إِنِّي لِأَحْسِبُ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِك: {فَلَا وَرَثَكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ}

27 بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يُعْتَقُ مَمَالِكَهُ
عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ

1364 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ

नहीं था। यह खबर नबी (ﷺ) को पहुंची तो आप (ﷺ) ने उसे बहुत सख्त बात कही। फिर आप (ﷺ) ने उन गुलामों को बुलाया और उनके तीन हिस्से करके उनके दर्मियान कुरआअंदाजी की; दो को आज़ाद कर दिया और चार को गुलाम रखा।

मुस्लिम: 1668. अबू दाऊद: 3958. इब्ने माजा: 2345.

वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: इमरान बिन हुसैन (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। और इनसे कई सनदों के साथ मर्वी है। नीज़ नबी (ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ उलमा का इसी पर अमल है, मालिक बिन अनस, शाफ़ेई अहमद और इस्हाक़ (رحمته الله) का भी यही कौल है। वह ऐसे मामलात में कुरआ का इस्तेमाल दुरुस्त समझते हैं लेकिन कूफ़ा के बाज़ उलमा कुरआ को दुरुस्त नहीं कहते वह कहते हैं: हर गुलाम में से तीसरा हिस्सा (1) आज़ाद किया जाएगा। और उसकी दो तिहाई क्रीमत में मेहनत करवाई जाएगी। अबू मुहल्लब का नाम अब्दुरहमान बिन उमर अज्-जरमी है। यह अबू किलाबा नहीं हैं। अबू किलाबा अज्-जरमी का नाम अब्दुल्लाह बिन ज़ैद था।

तौज़ीह: (1) नबी (ﷺ) ने एक तिहाई आज़ाद किए थे क्योंकि कोई भी शख्स ज़्यादा से ज़्यादा तीसरे हिस्से को वसीयत कर सकता है।

28 - जो शख्स अपने किसी रिश्तेदार का मालिक बन जाए.

1365 - सय्यदना समुरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "जो शख्स अपने किसी रिश्तेदार का मालिक बन जाए। (यानी उसे बतौर गुलाम ख़रीदे) तो वह आज़ाद है।

सहीह: अबू दाऊद: 3949. इब्ने माजा: 2524.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस सिर्फ़ हम्माद बिन ज़ैद की सनद से ही बवास्ता

الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبِدٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا، ثُمَّ دَعَاهُمْ فَجَزَّأَهُمْ، ثُمَّ أَفْرَعُ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعًا أَرْبَعَةً.

28 بَابُ مَا جَاءَ فِيهِ مَلِكٌ ذَا رَحِمٍ

مَحْرَمٍ

1365 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ.

क़तादा मुत्तसिल है और आसिम अल-अहवल ने भी बवास्ता हसन, सय्यदना समुरा (رضي الله عنه) से रिवायत किया है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “जो शख्स किसी महरम रिश्तेदार का मालिक बन जाए तो वह आज़ाद है।” अबू ईसा (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: मुहम्मद बिन बक्र के अलावा हम किसी को नहीं जानते जिसने सनद में यह कहा हो कि आसिम ने हम्माद बिन सलमा से रिवायत की है।

बाज़ उलमा का इसी पर अमल है। नीज़ इब्ने उमर (رضي الله عنه) से भी मर्वी है। कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “जो शख्स किसी महरम रिश्तेदार का मालिक बन जाए तो वह (गुलाम) आज़ाद है।” उसे हम्ज़ा बिन रबीआ ने सुफ़ियान सौरी से बवास्ता अब्दुल्लाह बिन दीनार, सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) से रिवायत किया है। लेकिन हम्ज़ा बिन रबीआ की इस हदीस (की सनद) में मुताबअत नहीं की गई और मुहद्दीसीन के नज़दीक यह हदीस ख़ता है।

29 - जो शख्स किसी की ज़मीन में उनकी इजाज़त के बग़ैर कोई चीज़ काशत करे.

1366 - सय्यदना राफ़े बिन ख़दीज (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “जो शख्स किसी कौम की ज़मीन में उनकी इजाज़त के बग़ैर कोई चीज़ काशत करता है तो उसे इस में कुछ नहीं मिलेगा और उसे इसका ख़र्च मिल जाएगा।”

सहीह: अबू दाऊद. 3403. इब्ने माजा: 2466.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे अबू इस्हाक़ से सिर्फ़ शरीक बिन अब्दुल्लाह की सनद से ही जानते हैं और बाज़ अहले इल्म का इसी हदीस पर अमल है। यह कौल अहमद और इस्हाक़ का है। नीज़ मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल (बुख़ारी) से इस हदीस के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया, “यह हदीस हसन है और मैं इसे सिर्फ़ शरीक की रिवायत से ही अबू इस्हाक़ से जानता हूँ।

मुहम्मद (बुख़ारी) फ़रमाते हैं: हमें माकिल बिन मालिक बसरी ने उन्हें उक्ताबा बिन आसम ने अता से बवास्ता राफ़े बिन ख़दीज नबी (ﷺ) से इस जैसी हदीस बयान की।

29 بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بغيرِ اذْنِهِمْ

1366 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّخَعِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بغيرِ اذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ.

30 - तोहफा वगैरह देने में औलाद के दर्मियान बराबरी की जाए.

1367 - सय्यदना नौमान बिन बशीर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि उनके वालिद ने अपने एक बेटे को एक गुलाम दिया और नबी (ﷺ) को गवाह बनाने के लिए आप के पास आए तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “क्या तुमने अपनी सारी औलाद को ऐसे ही दिया है जैसे उसको दिया है?” उसने कहा : नहीं” आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “फिर उस से भी वापस ले लो।”

बुखारी: 2586. मुस्लिम: 1623. अबू दाऊद : 3544.
इब्ने माजा: 2375. मिसाई: 3682.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और नौमान बिन बशीर (رضي الله عنه) से कई सनदों के साथ मर्वी है।

नीज़ बाज़ उलमा इसी पर अमल करते हुए औलाद के दर्मियान बराबरी करने को मुस्तहब कहते हैं। बाज़ ने तो यहाँ तक कहा है कि बोसा देने में भी औलाद के दर्मियान बराबरी करे। और बाज़ कहते हैं: हिबा व अतिय्या में अपनी औलाद बेटों और बेटियों में बराबरी करे। यह कौल सुफ़ियान सौरी का है।

बाज़ कहते हैं: औलाद के दर्मियान बराबरी से मुराद तकसीमे विरासत की तरह लड़कों को दो लड़कियों जितना देना है। यह कौल इमाम अहमद और इस्हाक (رضي الله عنه) का है।

31 - शुफ़आ का बयान.

1368 - सय्यदना समुरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, घर का हमसाया घर (ख़रीदने) का ज़्यादा हक़दार है।

सहीह: अबू दाऊद : 3517. मुसनद अहमद: 5/8

30 بَابُ مَا جَاءَ فِي النُّحْلِ وَالنَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْوَلَدِ

1367 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعْنَى وَاحِدٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، يُحَدِّثَانِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَ ابْنًا لَهُ غَلَامًا، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشْهِدُهُ، فَقَالَ: أَكُلُّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ مَا نَحَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَارُدُّهُ.

31 بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّفْعَةِ

1368 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ.

तौजीह: الشَّفَعَة : इस्तिलाह में शुफ़आ का मतलब यह है कि एक शख्स अपना घर वौरह फ़रोख्त करना चाहे तो ख़रीदने का सब से ज़्यादा हक़ उसके पड़ोसी को है। पहले उस से पूछे कि अगर तुम ख़रीद सकते हो तो ख़रीद लो और अगर वह न ख़रीदना चाहे तो किसी और के हाथ फ़रोख्त कर सकता है लेकिन अगर वह उस से पूछता या बताता नहीं है तो हमसाये को शरीयत ने हक़के शुफ़आ (साथ मिलाने का) दिया है कि वह अदालती तरीके से शुफ़आ के ज़रिए इस घर को या जगह को ख़रीद सकता है।

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: इस मसले में शरीद, अबू राफ़े और अनस (رحمته الله عليه) से भी हदीस मर्वी है, और समुरा (رحمته الله عليه) की हदीस हसन सहीह है। नीज़ ईसा बिन यूनुस ने भी इसको सईद बिन अबी अरूबा से बवास्ता क़तादा उन्होंने अनस (رحمته الله عليه) के ज़रिए नबी (ﷺ) से इसी तरह रिवायत की है।

और सईद बिन अबी अरूबा से बवास्ता क़तादा हसन से और फिर समुरा (رحمته الله عليه) से नबी (ﷺ) की हदीस भी मर्वी है। और अहले इल्म के नज़दीक हसन की समुरा (رحمته الله عليه) से ली गई हदीस सहीह है।

जबकि क़तादा की अनस से बयान कर्दा रिवायत को हम सिर्फ़ ईसा बिन यूनुस के तरीक़े से जानते हैं और अब्दुल्लाह बिन अब्दुरहमान अत्ताई की अम्र बिन शरीद के ज़रिए उनके बाप के वास्ते से बयान कर्दा इस मसले की हदीस हसन है।

नीज़ इब्राहीम बिन मैसरा ने भी अम्र बिन शरीद से बवास्ता अबू राफ़े नबी करीम (ﷺ) की हदीस रिवायत की है। अबू ईसा (رحمته الله عليه) कहते हैं: मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (رحمته الله عليه) को फ़रमाते हुए सुना कि मेरे नज़दीक दोनों हदीसें सहीह हैं।

32 - ग़ैर मौजूद के लिए भी हक़के शुफ़आ है.

1369 - सय्यदना जाबिर (رحمته الله عليه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, पड़ोसी अपने शुफ़आ का ज़्यादा हक़दार है अगर वह ग़ायब भी हो तो उसका इन्तिज़ार किया जाएगा जब उनका रास्ता एक हो। "

सहीह: अबू दाऊद : 3518. इब्ने माजा: 2494.

32 بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّفَعَةِ لِلْغَائِبِ

1369 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْجَارُ أَحَقُّ بِشَفَعَتِهِ، يَنْتَظَرُ بِهِ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا، إِذَا كَانَ طَرِيقَهُمَا وَاحِدًا.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। और हमारे इल्म में अब्दुल मलिक बिन सुलैमान के अलावा और कोई ऐसा रावी नहीं है जिसने बवास्ता अता, जाबिर (رحمته الله عليه) से

यह हदीस रिवायत की हो, और शोबा ने इस हदीस की वजह से अब्दुल मलिक बिन अबी सुलैमान पर कलाम किया है। और अब्दुल मलिक मुहद्दीसिन के नज़दीक सिक्रह और अमीन रावी है और शोबा के अलावा किसी और ने उन पर कलाम नहीं किया। नीज़ वकीअ ने भी बवास्ता शोबा, अब्दुल मलिक बिन अबी सुलैमान से इस हदीस को रिवायत किया है।

इब्ने मुबारक से मर्वो है कि सुफ़ियान सौरी फ़रमाते हैं: अब्दुल मलिक बिन अबी सुलैमान इल्म में एक तराजू है।

नीज़ अहले इल्म का इसी हदीस पर अमल है कि अगर आदमी ग़ैर हाज़िर भी हो तो वह अपने शुफ़आ का हक़ रखता है। अगर वह बहुत अर्सा बाद भी वापस आए तो उसके लिए शुफ़आ का हक़ है।

33-जब हदें मुक़रर हो जाएँ और हिस्से अलाहिदा (अलग) हो जाएँ तो शुफ़आ नहीं हो सकता

33 بَابُ مَا جَاءَ إِذَا حُدَّتِ الْحُدُودُ
وَوَقَعَتِ السِّهَامُ فَلَا شُفْعَةَ

1370 - सख्यदना जाबिर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, जब हदें मुक़रर हो जाएँ और रास्ते बदल जाएँ तो शुफ़आ नहीं है। ”

1370 - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ.

बुखारी: 2213. मुस्लिम: 1608. अबू दाऊद : 3514. इब्ने माजा:2499.

वज़ाहत: इमाम तिमिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और बाज़ ने इसको अबू सलमा से मुर्सल रिवायत किया है।

नीज़ नबी अकरम (ﷺ) के बाज़ उलमा सहाबा का जिन में उमर बिन खत्ताब और उस्मान बिन अफफान (رضي الله عنه) भी हैं, इसी पर अम्ल है और फुकहा ताबेईन जैसे उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ वग़ैरह भी यही कहते हैं और अहले मदीना का भी यही कौल है जिन में यह्या बिन सईद अंसारी, रबीआ बिन अबू अब्दुर्रहमान और मालिक बिन अनस भी शामिल हैं।

शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ भी यही कहते हैं कि हक़के शुफ़आ सिर्फ़ शरीक के लिए है और पड़ोसी जब इसका शरीक नहीं है तो उसके लिए शुफ़आ नहीं है।

जबकि नबी (ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से कुछ उलमा कहते हैं कि शुफ़आ पड़ोसी के

लिए साबित है। उनकी दलील नबी (ﷺ) की यह मफूअ हदीस है कि “घर का हमसाया घर खरीदने का ज्यादा हकदार है।” और आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “पड़ोसी नज़दीक होने की वजह से ज्यादा हकदार है।” सौरी, इब्ने मुबारक और अहले कूफ़ा भी इसी के कायल हैं।

34 - हिस्सेदार शुफ़आ का हक रखता है।

1371 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “हिस्सेदार (शरीक) शुफ़आ का हक रखने वाला है और शुफ़आ हर चीज़ में हो सकता है।”

मुन्कर: अस-सिलसिला अज़-ज़ईफ़ा: 1010, 1009.
तोहफतुल अशाराफ़: 5795.

34 بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الشَّرِيكَ شَفِيعٌ

1371 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَيْسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ أَبِي حَمْرَةَ السُّكْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الشَّرِيكَ شَفِيعٌ، وَالشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته اللہ علیہ) फ़रमाते हैं: इस तरह यह हदीस हमें सिर्फ़ अबू हम्ज़ा अस्सकरी की सनद से ही मिलती है। जब कि रावियों ने इस हदीस को अब्दुल अज़ीज़ बिन रफ़ी से बवास्ता इब्ने अबी मुलैका नबी ((ﷺ)) से मुसल रिवायत किया है और ये ज्यादा सहीह है।

(अबू ईसा कहते हैं:) हमें हन्नाद ने (वह कहते हैं:) हमें अबू बकर बिन अयाश ने अब्दुल अज़ीज़ बिन रफ़ी से बवास्ता इब्ने अबी मुलैका नबी ((ﷺ)) से उसी तरह रिवायत की है इस में इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) का ज़िक्र नहीं है। नोज़ बहुत से रावियों ने अब्दुल अज़ीज़ बिन रफ़ी से इसी तरह रिवायत की है इस में इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) का ज़िक्र नहीं है और अबू हम्ज़ा की रिवायत से ज्यादा सहीह है और अबू हम्ज़ा सिक्कह रावी है। मुम्किन है यह ग़लती किसी और से हुई हो।

(अबू ईसा कहते हैं:) हमें हन्नाद ने (वो कहते हैं:) हमें अबू अहवस ने भी अब्दुल अज़ीज़ रफ़ी से बवास्ता इब्ने अबी मुलैका नबी ((ﷺ)) से अबू बकर बिन अयाश की हदीस की तरह हदीस बयान की है।

और अकसर उलमा कहते हैं, शुफ़आ सिर्फ़ घरों और ज़मीनों में हो सकता है, हर चीज़ में नहीं। जबकि बाज़ कहते हैं: शुफ़आ हर चीज़ में हो सकता है। लेकिन पहला कौल ज्यादा सहीह है।

35 - गिरी पड़ी चीज और गुमशुदा ऊँट और बकरी का बयान.

1372 - सय्यदना ज़ैद बिन खालिद अज्-जुहनी (رضي الله عنه) से रिवायत है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से गिरी पड़ी⁽¹⁾ चीज़ के बारे में दर्याफ्त किया तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “एक साल उसकी पहचान कराओ फिर उसके सरबंद⁽²⁾ बरतन और उसके थैले⁽³⁾ की पहचान रखो और फिर उसे खर्च कर लो, अगर उसका मालिक आ जाए तो उसको अदा कर दो।” उसने कहा : ऐ अल्लाह के रसूल! गुमशुदा बकरी का क्या करूं? आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “उसे पकड़ लो, वह तुम्हारे लिए या तुम्हारे किसी दूसरे मुसलमान भाई के लिए या भेड़िये के लिए है।” उसने कहा ऐ अल्लाह के रसूल! गुमशुदा ऊँट? रावी कहते हैं: नबी (ﷺ) को गुस्सा आ गया यहाँ तक कि आप के दोनों रुखसार या आपका चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “तुझे उससे क्या गरज़! उसके साथ उसका जूता और मशकीज़ा है। (वह खाता फिरता रहेगा) यहाँ तक कि उसका मालिक उसको पा लेगा।”

बुखारी: 91. मुस्लिम: 1722. अबू दाऊद : 1704. इब्ने माजा: 2504.

तौज़ीह: (1) रास्ते में गिरी हुई किसी भी चीज़ को लुकता कहा जाता है। **وكاء** : डोरी या रस्सी जिस से थैली वगैरह का मुंह बांधा जाता है। (अल-मोज़मुल वसीत: पृ. 1282) **عِفاص** : गिलाफ़ जिसके ज़रिए शीशी के ढक्कन को ढाँपा जाता है। इसी तरह चरवाहे के चमड़े या कपड़े के थैले को भी इफ़ास कहा जाता है। देखिये (अल-मोज़मुल वसीत: पृ. 626)

35 بابُ مَا جَاءَ فِي اللَّقْطَةِ وَضَالَةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ

1372 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُتَّبِعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّقْطَةِ، فَقَالَ: عَرَفْتُهَا سَنَةً، ثُمَّ اعْرِفْ وَكَاءَهَا وَوِعَاءَهَا وَعِفاصَهَا، ثُمَّ اسْتَفِقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَضَالَةُ الْغَنَمِ، فَقَالَ: خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذُّئْبِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَضَالَةُ الْإِبِلِ، قَالَ: فَغَضِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجَنَّتَاهُ، أَوْ احْمَرَّ وَجْهَهُ، فَقَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا جِدَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتَّى تَلْقَى رَبُّهَا.

वज़ाहत: इस मसले में उबय बिन काब, अब्दुल्लाह बिन उमर, जारूद बिन मुअला, अयाज़ बिन हिमार और जरीर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

ज़ैद बिन ख़ालिद (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और कई तुरूक से मर्वी है। नीज़ यज़ीद मौला व मम्बअस की ज़ैद बिन ख़ालिद (رضي الله عنه) से बयान कर्दा हदीस हसन सहीह है। और यह भी कई तुरूक से मर्वी है।

और नबी(ﷺ) के सहाबा (رضي الله عنه) व दीगर लोगों में से अहले इल्म इसी पर अमल करते हुए गिरी पड़ी चीज़ उठाने की इजाज़त देते हैं बशर्ते कि वह उसकी पहचान कराये, अगर उसे पहचानने वाला कोई भी न मिले तो उससे फ़ायदा उठा सकता है। इमाम शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رضي الله عنه) का भी यही कौल है।

जबकि नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगो में से कुछ उलमा कहते हैं: वह एक साल तक उसका तआरुफ़ करवाए अगर मालिक आ जाए तो ठीक वग़ारना उसे सदका कर दे। यह कौल सुफ़ियान सौरी इब्ने मुबारक और अहले कूफ़ा का है। वह मज़ीद कहते हैं कि चीज़ उठाने वाला अगर मालदार है तो उस से फ़ायदा नहीं उठा सकता।

शाफ़ेई कहते हैं: मालदार भी हो तो उस से नफ़ा उठा सकता है क्योंकि नबी(ﷺ) के दौर में उबय बिन काब (رضي الله عنه) को एक थैली मिली जिस में एक सौ दीनार थे तो नबी(ﷺ) ने उनको हुक्म दिया था कि एक साल तक उसका तआरुफ़ (परिचय) करवाएं फिर उस से नफ़ा उठा लें। और उबय (رضي الله عنه) मालदार और रसूलुल्लाह(ﷺ) के सहाबा में साहिबे हैसियत थे। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उन्हें हुक्म दिया कि उसकी पहचान करवाएं उन्हें मालिक न मिला तो नबी(ﷺ) ने उन्हें खाने का हुक्म दिया था। अगर गिरी पड़ी चीज़ सिर्फ़ उसी के लिए हलाल होती जिसके लिए सदका हलाल है तो सय्यदना अली (رضي الله عنه) के लिए हलाल न होती क्योंकि अली (رضي الله عنه) को भी अहदे नबवी में एक दीनार मिला था उन्होंने पहचान करवाई लेकिन उसका मालिक ना मिला तो नबी(ﷺ) ने उसे खाने का हुक्म दिया था हालांकि सय्यदना अली (رضي الله عنه) के लिए सदका हलाल नहीं था। और बाज़ उलमा ने रुख़सत दी है कि अगर मिलने वाली चीज़ थोड़ी सी हो तो उसे इस्तेमाल कर ले और पहचान न करवाए।

बाज़ कहते हैं: अगर एक दीनार से कम हो तो एक हफ़ता (सात दिन) तक पहचान करवाए। यह कौल इस्हाक़ बिन इबराहीम (رضي الله عنه) का है।

1373 - सय्यदना ज़ैद बिन ख़ालिद अज्-जुहनी (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) से रास्ते में गिरी हुई चीज़ के बारे में पूछा गया तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया,

1373 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَقْفِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ، عَنْ بَسْرِ

“एक साल उसकी पहचान करवाओ अगर पहचान में आ जाए तो उसे दे दो। वग़रना उसकी थैली, सर बंद और गिनती (तादाद) को याद रखो, फिर खा लो, अगर मालिक आ जाए तो उसे वापस कर दो।”

मुस्लिम: 4479. अबू दाऊद: 1706.

بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ اللَّقْطَةِ، فَقَالَ: عَرَفْهَا سَنَّتَهُ، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَأَدَّهَا، وَإِلَّا فَاَعْرِفْ وَعَاةَهَا وَعِقَافَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا، ثُمَّ كُلَّهَا، فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدَّهَا.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: इस सनद के साथ यह हदीस हसन सहीह है। और इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं: इस मसले में सब से ज़्यादा सहीह यही हदीस है।

1374 - सुबैद बिन गफ़ला (رحمته الله) कहते हैं: मैं ज़ैद बिन सूहान और सलमा बिन रबीआ के साथ बाहर निकला तो मुझे एक कोड़ा मिला। इब्ने नुमैर अपनी हदीस में कहते हैं: मैंने कोड़ा गिरा हुआ देखा तो उसको ले लिए। इन दोनों (ज़ैद बिन सूहान और सुलैमान बिन रबीआ) ने कहा: इसे छोड़ दो। मैंने कहा: मैं इसे नहीं छोड़ूंगा कि इसे दरिन्दे खा जाएँ, मैं इसे ज़रूर पकड़ूंगा और इस से फ़ायदा उठाऊंगा। फिर मैं उबय बिन काब (رحمته الله) के पास गया, उन से इस बारे में पूछा और वाक़िया सुनाया तो उन्होंने फ़रमाया, “तुमने अच्छा किया। मुझे अल्लाह के रसूल (ﷺ) के दौर में एक थैली मिली थी जिस में सौ दीनार थे। मैं इसे लेकर आप (ﷺ) के पास आया, आप (ﷺ) ने मुझ से फ़रमाया, “एक साल तक इसकी पहचान करवाओ।” मैंने एक साल तक उसकी पहचान करवाई पर उसे पहचानने वाला कोई न मिला, फिर मैं उसे आप (ﷺ) के पास लेकर आया। आप (ﷺ)

1374 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَزَيْدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ، وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ، فَوَجَدْتُ سَوْطًا، قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ، فَالْتَقَطْتُ سَوْطًا، فَأَخَذْتُهُ، قَالَ: دَعُهُ، فَقُلْتُ: لَا أَدَعُهُ تَأْكُلُهُ السُّبَاعُ، لِأَخَذْتَهُ فَلَأَسْتَمْتِعَنَّ بِهِ، فَقَدِمْتُ عَلَى أَبِي بِنِ كَعْبٍ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، وَحَدَّثْتُهُ الْحَدِيثَ، فَقَالَ: أَحْسَنْتَ، وَجَدْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُرَّةً فِيهَا مِائَةٌ دِينَارٍ، قَالَ: فَأَتَيْتُهَا بِهَا، فَقَالَ لِي: عَرَفْهَا حَوْلًا، فَعَرَفْتُهَا حَوْلًا، فَمَا أَجِدُ مَنْ يَعْرِفُهَا ثُمَّ أَتَيْتُهَا بِهَا، فَقَالَ: عَرَفْهَا حَوْلًا آخَرَ، فَعَرَفْتُهَا.

ने फ़रमाया, “एक साल और इसकी पहचान करवाओ।” और आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “उन दीनारों की तादाद शुमार कर लो और उसका बर्तन और सर बंद थाद रखो। अगर उसे तलाश करने वाला आ जाए और तुम्हें उनकी तादाद, बरतन और सर बंदी की निशानी बता दे तो उसे दे दो, वरना उस से फ़ायदा उठा लो।”

बुखारी: 2426. मुस्लिम: 1723. अबू दारूद : 1701, 1703. इब्ने माजा: 2506

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

36 - वक्तफ़ का बयान.

1375 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि उमर (رضي الله عنه) को खैबर में ज़मीन मिली तो उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे खैबर में इतना माल मिला है कि मेरे मुताबिक़ मुझे कभी इस से उम्दा माल नहीं मिला, आप (ﷺ) मुझे क्या हुक्म देते हैं? आप (ﷺ) ने फ़रमाया: “अगर तुम चाहो तो उसकी असल को अपने पास रखो और उसकी पैदावार से सदका करो। तो उमर (رضي الله عنه) ने उसे सदका कर दिया और कहा: कि इसकी असल बेची जाए, न हिबा की जाए, और न ही विरासत में दी जाए। इसकी पैदावार को फ़ुकरा, रिश्तेदारों गुलाम आज़ाद करने, अल्लाह के रास्ते, मुसाफ़िर्नों और मेहमानों के लिए सदका कर दिया और हौ उसकी निगहदाश्त करने वाला अगर मारूफ़ तरीक़े से ख़ुद खा ले या अपने दोस्तों को खिला दे तो उस पर कोई हर्ज़ नहीं है। लेकिन माल जमा

ثُمَّ أُتِيَتْهُ بِهَا، فَقَالَ: عَرَفْتُهَا حَوْلًا آخَرَ، وَقَالَ: أَحْصِ عِدَّتَهَا، وَوَعَاءَهَا، وَوِكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا فَأَخْبِرْكَ بِعِدَّتِهَا، وَوَعَائِهَا، وَوِكَائِهَا فَادْفَعُهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا.

36 باب في الوقف

1375 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَصَبْتُ مَالًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي، قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهَا لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُوهَبُ، وَلَا يُورَثُ، تَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَالْقُرْبَى، وَالرُّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ.

करने वाला न हो। राबी कहते हैं: मैंने मुहम्मद बिन सीरीन (رضی اللہ عنہ) को यह हदीस बयान की तो उन्होंने फ़रमाया, "غَيْرَ مُتَأْتِلٍ مَّالًا" कहा था। इब्ने औन कहते हैं: मुझे एक और आदमी ने बताया कि उसने भी एक सुख चमड़े के टुकड़े में غَيْرَ مُتَأْتِلٍ مَّالًا पढ़ा है।

बुखारी: 2737. मुस्लिम: 1632.

इस्माइल कहते हैं: मैंने अबैदुल्लाह बिन उमर के बेटे के पास उसे पढ़ा था उस में भी غَيْرَ مُتَأْتِلٍ مَّالًا ही था।

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और नबी (ﷺ) के सहाबा (رضی اللہ عنہم) व दीगर लोगों में से अहले इल्म का इसी पर अमल है। नीज़ मुतक़द्दिमीन उलमा के दर्मियान ज़मीनों के वक्फ़ के जायज़ होने के बारे में कोई इख़ितलाफ़ हमारे इल्म में नहीं है।

1376 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "जब इंसान मर जाता है तो उसके आमाल मुन्क़तअ (कट) हो जाते हैं सिवाए तीन चीजों के: जारी रहने वाला सदक़ा, वह इल्म जिस से नफ़ा लिया जाता हो और नेक औलाद जो उस के लिए दुआ करे।

मुस्लिम: 1631. अबू दाऊद : 2880. इब्ने माजा: 242. निसाई: 3651.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. قَالَ: فَذَكَرْتُهُ لِمُحَمَّدِ بْنِ سَيْرِينَ فَقَالَ: غَيْرَ مُتَأْتِلٍ مَّالًا.

1376 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ.

37 - जानवर अगर ज़ख्मी कर दे तो उसका फ़िदास या दियत नहीं है.

1377 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "चौपाये (जानवर) के लगाए हुए ज़ख्म पर तावान⁽¹⁾ नहीं है। कुएं (में गिर कर मरने वाले

37 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعُجَمَاءِ جَرْحُهَا جُبَاءً

1377 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

या ज़ख्मी होने वाले) का खून रायगाँ है। खान में मरने वाला रायगाँ है और रिकाज़⁽²⁾ में पांचवां हिस्सा (इस्लामी बैतूल माल का) है।”

बुखारी: 1499. मुस्लिम: 1710. अबू दारुद : 3085.

इब्ने माजा: 2509. निसाई: 2495

तौज़ीह: (1) جِبَارٌ : बेकार, फुज़ूल, रायगाँ, वह चीज़ जिसमें किसान या तावान न हो। (अल-मोजमुल वसीत: पृ 124) (2) الرِّكَازُ : जाहिलियत का दफ़न शुदा खज़ाना।

वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं:) हमें कुतैबा ने (वह कहते हैं:) हमें लैस ने इब्ने शिहाब से (उन्होंने) सईद बिन मुसय्यब और अबू सलमा से बवास्ता अबू हुरैरा (رضي الله عنه), नबी (ﷺ) से ऐसी ही रिवायत बयान की है। नीज़ इस मसले में जाबिर, अम्र बिन औफ़ अल-मुज़नी और उबादा बिन सामित (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه), की हदीस हसन सहीह है। हमें अंसारी ने बयान किया वह कहते हैं कि “अल-अज्मा” वह जानवर होता है जो मालिक से बेकाबू हो गया हो और ऐसी सूरत में अगर वह नुकसान कर देता है तो उसके मालिक पर तावान नहीं होगा। और (المَعْدِنُ جِبَارٌ) का मतलब है: जब कोई शख्स खान खुदवा रहा हो तो उसमें कोई आदमी गिर जाए तो मालिक पर तावान नहीं होगा, इसी तरह जब कोई शख्स मुसाफ़िरो के लिए कुआँ खुदवा रहा हो अगर उसमें कोई शख्स गिर जाए तो मालिक पर तावान नहीं होगा।” रिकाज़ में पांचवां हिस्सा है।” इसकी तफ़सील यह है कि रिकाज़ अहले जाहिलियत के मदफ़ून माल को कहते हैं जो शख्स ऐसा माल पाए तो उसका पांचवां हिस्सा हाकिम को दे और बाकी उसका है।

38 - बंजर ज़मीन को आबाद करना.

1378 - सय्यदना सईद बिन ज़ैद (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, जिसने किसी मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा किया (आबाद किया या काबिले काश्त बनाया) तो वह उसी की है और ज़ालिम के दरख़्त लगाने से हक़ साबित नहीं होता। (1)

सहीह: अबू दारुद : 3073. बैहकी: 6/ 142.

38 بَابُ مَا ذَكَرَ فِي إِحْيَاءِ أَرْضِ السَّمَوَاتِ

1378 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ.

तौज़ीह: (1) यानी किसी ज़मीन में काश्त करने से ज़मीन उसकी नहीं हो जाती बल्कि उसको ज़ालिम कहा गया है और उसकी मेहनत भी रायगाँ जाएगी। क्योंकि उसे उसका काश्त का खर्च देकर पैदावार मालिके ज़मीन को दी जाएगी।

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। और बाज़ रावियों ने इसे हिशाम उर्वा से उनके बाप के वास्ते के साथ नबी(ﷺ) से मुर्सल रिवायत किया है।

नौज़ नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ उलमा का इसी पर अमल है, अहमद और इस्हाक (رحمته الله) भी यही कहते हैं कि बंजर ज़मीन हाकिम की इजाज़त के बग़ैर आबाद करना जायज़ है। जबकि बाज़ ने कहा है कि हाकिम की इजाज़त के बग़ैर उसे आबाद नहीं कर सकता। लेकिन पहला कौल सहीह है। इस मसले में जाबिर, कसीर के दादा अम्र बिन औफ़ अल-मुज़नी और समुरा (رحمته الله) से भी हदीस मर्वी है।

हमें अबू मूसा मुहम्मद बिन मुसन्ना ने बयान किया, वह कहते हैं: मैं अबू वलीद तयालिसी से आप के इसी फ़रमान के बारे में “ज़ालिम रग का कोई हक़ नहीं” सवाल किया तो आप ने फ़रमाया, ज़ालिम रग: वह ग़ासिब है जो ग़ैर की चीज़ ले लेता है। मैंने कहा यह वह आदमी है जो ग़ैर की ज़मीन में कुछ उगाता है? कहने लगे हाँ वही है।

1379 - सय्यदना सईद बिन ज़ैद (رحمته الله) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, जिसने किसी मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा (आबाद) किया तो वह उसी की है।”

सहीह: मुसनद अहमद: 3/304. इब्ने हिब्बान: 7205

1379 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

39 - जागीर देना.

1380 - अब्दुज़्ज़ बिन हम्माल (رحمته الله) से रिवायत है कि वह रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास आए और आप से नमक वाली जगह की जागीर मांगी तो आप(ﷺ) ने उसे दे दी। जब वह वापस

39 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَطَائِعِ

1380 - قُلْتُ لِقُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَكُمْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ قَيْسِ الْمَارِسِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ شَرَاهِيلَ، عَنْ سَمِيِّ بْنِ قَيْسٍ،

मुड़े तो मजलिस में एक आदमी कहने लगा: क्या आप जानते हैं कि आप ने उसे क्या दिया है? आप ने उसे न बंद होने वाला पानी दिया है⁽¹⁾ रावी कहते हैं: आप (ﷺ) ने उस से वापस ले ली। और उसने आप (ﷺ) से पूछा: पीलू के कौनसे दरख्त घेरे जा सकते हैं? आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “जहां तक ऊंटों के पांव न जा सकते हों।” अबू ईसा कहते हैं: कुतैबा ने इस रिवायत का इकरार करते हुए कहा? हाँ।

हसन: अबू दारूद : 3064. इब्ने माजा: 2475.

तौज़ीह: الماء العِدّ: यानी वह ऐसी नमक की खान है जिससे कसरत के साथ नमक निकलता है।

वज़ाहत: अबू ईसा (ﷺ) कहते हैं: हमें मुहम्मद बिन यहया बिन अबी उमर ने वह कहते हैं: हमें मुहम्मद बिन यहया बिन कैस अल-मारबी ने इसी सनद के साथ इसी तरह की रिवायत की है।

मारिब: यमन का इलाक़ा है। नीज़ इस मसले में वाइल और अस्मा बिनते अबी बकर (ﷺ) से भी हदीस मवी है।

इमाम तिरमिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: अब्यज़ बिन हम्माल (ﷺ) की हदीस हसन ग़रीब है। नीज़ नबी (ﷺ) के सहाबा (ﷺ) और दीगर लोगों में से अहले इल्म का जागीर देने के बारे में इसी पर अमल है। वह कहते हैं: हाकिम जिसे चाहे जागीर दे सकता है।

1381 - अल्क़मा बिन वाइल अपने बाप सय्यदना वाइल (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें हजे मौत में एक ज़मीन बतौर जागीर दी थी। महमूद कहते हैं: नज़र ने शोबा से रिवायत करते हुए यह अल्फ़ाज़ ज़्यादा किए हैं कि आप (ﷺ) ने उन के साथ मुआविया (ﷺ) को भेजा कि वह जागीर मुकर्र कर दें।

सहीह: अबू दारूद : 3058. मुसनद अहमद: 6/399.

इब्ने हिब्बान: 7205.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

عَنْ شُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيصَ بْنِ حَمَالٍ، أَنَّهُ وَقَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقَطَعَهُ الْمِلْحَ، فَقَطَعَ لَهُ، فَلَمَّا أَنْ وَلَّى قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ: أَتَدْرِي مَا قَطَعْتَ لَهُ؟ إِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ، قَالَ: فَاتَّرَعَهُ مِنْهُ، قَالَ: وَسَأَلَهُ عَمَّا يُحْمَى مِنَ الْأَرَاكِ، قَالَ: مَا لَمْ تَنْلُهُ خِفَافَ الْإِبِلِ. فَأَقْرَبَ بِهِ قُتَيْبَةُ وَقَالَ: نَعَمْ.

1381 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ وَاثِلٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتِ.

قَالَ مُحَمَّدُ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، عَنْ شُعْبَةَ، وَزَادَ فِيهِ، وَبَعَثَ مَعَهُ مُعَاوِيَةَ لِيُقَطِعَهَا إِيَّاهُ.

40 - शजर कारी की फ़ज़ीलत.

1382 - सय्यदना अनस (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, जो मुसलमान कोई दरख्त लगाए या फ़सल काश्त करे फिर उस से कोई इंसान, परिदा या जानवर कुछ खा ले तो वह उस के लिए सदका है। "

बुखारी: 2320. मुस्लिम: 1553.

वज़ाहत: इस मसले में अबू अय्यूब, उम्मे मुबशिशिर, जाबिर और ज़ैद बिन ख़ालिद (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: अनस (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

41 - काश्तकारी का बयान.

1383 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने खैबर वालों को ज़मीनों पर आमिल बनाया इस शर्त पर कि उससे आने वाले फल या फ़सल आधे-आधे होंगे।

बुखारी: 2286. मुस्लिम: 1551. अबू दाऊद : 3008.
इब्ने माजा: 2467. निसाई: 3929

वज़ाहत: इस मसले में अनस, इब्ने अब्बास, ज़ैद बिन साबित और जाबिर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और नबी (ﷺ) के सहाबा व ताबेईन (رضي الله عنهم) में से बाज़ उलमा इसी पर अमल करते हुए आधे, तिहाई या चौथाई हिस्से पर काश्त करवाने को जायज़ कहते हैं। बाज़ उलमा इस बात को इख्तियार करते हैं कि बीज ज़मीन का मालिक मुहैया करे। यह कौल इमाम मालिक और इस्हाक (رحمته الله) का है।

बाज़ उलमा तीसरे या चौथे हिस्से पर काश्त करवाने को नापसंद करते हैं। लेकिन खुजूरों के तीसरे या चौथे हिस्से पर पानी लगाने में कोई हर्ज नहीं समझते। यह कौल इमाम मालिक बिन अनस और शाफ़ेई (رحمته الله) का है।

40 بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْغُرْسِ

1382 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ، أَوْ طَيْرٌ، أَوْ بَيْهِيْمَةٌ، إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ.

41 بَابُ مَا ذَكَرَ فِي الْمُرَاعَةِ

1383 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ.

बाज़ की राय यह है कि खेती सिर्फ़ इसी सूरत में दुरुस्त है कि मालिक सोने या चांदी के एवज़ ज़मीन किराये पर दे दे।

42 - खेती बाड़ी से मुताल्लिका एक और बयान.

1384 - सय्यदना राफे बिन खदीज (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें एक ऐसे काम से मना कर दिया जो हमारे लिए नफ़ाबख़्श था। वह यह कि जब हम में से किसी की ज़मीन होती तो वह उसे पैदावार के कुछ हिस्से या दिरहमों के बदले दे देता और आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “जब तुम में से किसी के पास ज़मीन हो तो वह उसे अपने भाई को (काश्त के लिए) बतौर तोहफ़ा दे दे या खुद काश्त करे।”

मुस्लिम: 1548. अबू दाऊद : 3395, 3398. इब्ने माजा: 2460. निसाई: 3864, 3866.

1385 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हिस्से पर काश्त कारी करवाने को हराम नहीं किया। लेकिन आप ने हुक्म दिया है कि लोग एक दूसरे पर नरमी करें।

बुख़ारी: 2330. मुस्लिम: 1550. अबू दाऊद : 3389. इब्ने माजा: 2457. निसाई: 3873.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمۃ اللہ علیہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। राफे बिन खदीज (رضی اللہ عنہ) की हदीस में इज्तिराब है। यह हदीस राफे बिन खदीज (رضی اللہ عنہ) के वास्ते के साथ उनके चचाओं से भी मर्वी है और उनके ज़रिए उनके एक चचा ज़हीर बिन राफे से भी मर्वी है और यह हदीस उनसे मुख्तलिफ़ रिवायत से मर्वी है। नीज़ इस मसले में ज़ैद बिन साबित और जाबिर (رضی اللہ عنہ) से भी हदीस मर्वी है।

42 بَابُ مِنَ الْمَرْاعَةِ

1384 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، إِذَا كَانَتْ لِأَحَدِنَا أَرْضٌ أَنْ يُعْطِيَهَا بِنَعْضِ خَرَجِهَا أَوْ بِدَرَاهِمٍ، وَقَالَ: إِذَا كَانَتْ لِأَحَدِكُمْ أَرْضٌ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَزْرَعْهَا

1385 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السَّيْتَانِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحْرَمْ الْمَرْاعَةَ، وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يُرْفَقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ.

खुलासा

- जहां तक मुम्किन हो कोशिश की जाए कि किसी के दर्मियान ला इल्मी के साथ फ़ैसला न करें।
- इन्साफ के साथ फ़ैसला करने वाला अल्लाह का महबूब और उसका मुकर्रब है।
- दोनों फ़रीकों की बात सुने बग़ैर फ़ैसला न किया जाए।
- रिश्त देने और लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं।
- क़सम मुद्ई और गवाह मुद्आ अलैह के ज़िम्मा है।
- अगर दो गवाह ना हों तो एक गवाह के साथ एक क़सम लेकर फ़ैसला किया जा सकता है।
- उग्र भर के लिए किसी को कुछ दिया जा सकता है लेकिन उसे वापस नहीं लिया जा सकता।
- अगर रास्ते में झगड़ा हो तो उसे सात हाथ (लगभग 64 सेंटी मीटर) रखा जाए।
- मियाँ बीवी में अलाहिदगी (जुदाई) होने की सूत में बच्चे को इख्तियार दिया जाए जिसके साथ चाहे रहे।
- बाप अपने बेटे का माल उसकी इजाज़त के बग़ैर ले सकता है।
- जो शरख़्स अपने बाप की बीवी से निकाह कर ले उसे क़त्ल कर दिया जाए।
- कोई शरख़्स अपने सारे माल का सदका नहीं कर सकता।
- तोहफ़ा वग़ैरह देने में औलाद के दर्मियान बराबरी करना ज़रूरी है।
- रास्ते में मिलने वाली चीज़ का एक साल तक ऐलान किया जाए।
- अगर जानवर किसी को ज़ख़मी कर दे तो मालिक पर तावान नहीं होगा।
- बटाई पर ज़मीन देना जायज़ है।

मज़मून नम्बर 14.

أَبْوَابُ الدِّيَّاتِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

अल्लाह के रसूल (ﷺ) से मर्वी दियत के अहकाम व मसाइल.

तआरुफ़

37 अहादीस और 22 अबवाब पर मुश्तमिल इस उन्वान के तहत आप पढ़ेंगे कि

- दियत क्या है?
- किन्- किन् आज़ा (अंगों) की वजह से दियत लाजिम आती है?
- किस्सास कैसे लिया जाए?
- किन् गुनाहों की बिना पर मुसलमान को क़त्ल किया जा सकता है?

1- दियत में कितने ऊँट हैं?

1386 - सय्यदना इब्ने मसऊद (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क़त्ले खता में बीस बन्ते मखाज़ (मादा) बीस नर इब्ने मखाज़, बीस बन्ते लबून, बीस जज़ओं और बीस हिक्कों को अदा करने का हुक्म दिया था।⁽¹⁾

ज़ईफ़: अबू दाऊद : 4545. इब्ने माजा: 2631. निसाई: 4802.

1 بَابُ مَا جَاءَ فِي الدِّيَّةِ كَمْ هِيَ مِنَ الْإِبِلِ

1386 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ الْكُوفِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ الْحَجَّاجِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ خَشْفِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دِيَّةِ الْخَطَا عِشْرِينَ بَنَاتٍ مَخَاضٍ، وَعِشْرِينَ بَنَاتٍ مَخَاضٍ دُكُورًا، وَعِشْرِينَ بَنَاتٍ لَبُونٍ، وَعِشْرِينَ جَذَعَةً، وَعِشْرِينَ حِقَّةً.

(1) इन तमाम जानवरों की उम्र की तफ़्सील हदीस नम्बर 621 के अंतर्गत मुलाहजा फ़रमाएँ।

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। हमें अबू हिशाम अरिफाई ने (वह कहते हैं:) हमें इब्ने अबी ज़ायदा और अबू ख़ालिद अहमर ने हज़ाज बिन अर्तात से इसी तरह रिवायत की है।

इमाम तिर्मिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: इब्ने मसऊद की हदीस सिर्फ़ इसी तरीक (सनद) से मफूअ है। और अब्दुल्लाह बिन मसऊद से मौकूफन भी मर्वी है।

जबकि बाज़ उलमा भी इसी तरफ़ गए हैं: इमाम अहमद और इस्हाक़ (رضي الله عنه) का भी यही कौल है। नीज़ उलमा का इस बात पर इज़्मा है कि दियत तीन सालों में ली जाएगी। हर साल में तीसरा हिस्सा, और उनके मुताबिक दियत अस्बात पर होगी और बाज़ के मुताबिक अस्बात मर्द के बाप की जानिब से रिश्तादार होते हैं। यह कौल इमाम मालिक और शाफ़ेई (رضي الله عنه) का है। और बाज़ (कुछ) कहते हैं कि दियत ।

अस्बात में से मर्दों के ज़िम्मा है। औरतों और बच्चों के ज़िम्मा नहीं और हर आदमी एक चौथाई दीनार का जामिन होगा। बाज़ (कुछ) ने निस्फ़ दीनार कहा है अगर इस तरह दियत पूरी हो जाए (तो ठीक है) वना उसके करीबी क़बाइल को देखा जाएगा और बाकी दियत उनके ज़िम्मा होगी।

1387 - अम्र बिन शोएब अपने बाप से, वह अपने दादा (सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) से रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, "जिस शख़्स ने किसी मोमिन को जान बूझ कर क़त्ल किया उसे मक्तूल के वारिसों के हवाले कर दिया जाए, अगर वह चाहें क़त्ल कर दें और गर चाहें दियत ले लें और दियत में तीस हिक्के, तीस जज़ए और चालीस हामिला ऊंटनियाँ हैं और जिस बात पर भी सुलह कर लें वही उनके लिए होगा" और यह सख़्त (भारी) दियत है।

हसन अबू दाऊद : 4506 इब्ने माज़ा: 2626 मुसनद अहमद: 2/ 178 दारमी: 2377

1387 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَبَّانُ وَهُوَ ابْنُ هِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دَفَعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ، وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خِلْفَةً، وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ، وَذَلِكَ لِتَشْدِيدِ الْعَقْلِ

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) की हदीस हसन ग़रीब है।

2 - दिरहमों में कितनी दियत दी जाएगी?

1388 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने 12 हज़ार दिरहम दियत मुकरर की है।

ज़ईफ़: अबू दाऊद : 4546. इब्ने माजा: 2629. निसाई: 4803.

1389 - अबू ईसा (رضي الله عنه) कहते हैं: हमें सईद बिन अब्दुर्रहमान अल-मखज़ूमि ने सुफ़ियान बिन उययना से उन्होंने अम्र बिन दीनार से बवास्ता इक्सिमा, नबी (ﷺ) से इसी तरह रिवायत की है। इस में इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) का ज़िक्र नहीं है और इब्ने उययना की हदीस में इस से ज़्यादा कलाम है। (ज़ईफ़.)

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: मुहम्मद बिन मस्लमा के अलावा हम किसी को नहीं जानते जिसने इस सनद में इब्ने अब्बास का ज़िक्र किया हो। नीज़ बाज़ (कुछ) अहले इल्म का इसी हदीस पर अमल है और अहमद व इस्हाक (رضي الله عنه) का भी यही कौल है। जबकि बाज़ (कुछ) उलमा दस हज़ार दिरहम कहते हैं। यह कौल सुफ़ियान सौरी और अहले कूफ़ा का है।

इमाम शाफ़ेई (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यही जानता हूँ कि दियत में ऊँट दिए जाएँ और वह सौ ऊँट या उनकी क्रामत है।

3 - ऐसा ज़ख़म जिससे हड्डी नज़र आने लगे.

1390 - अम्र बिन शोएब अपने बाप से वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, "ऐसे ज़ख़म जिन से हड्डियां ज़ाहिर हो

2 باب مَا جَاءَ فِي الدِّيَةِ كَمْ هِيَ مِنَ الدَّرَاهِمِ؟

1388 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ جَعَلَ الدِّيَةَ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا.

1389 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ كَلَامٌ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا.

3 باب مَا جَاءَ فِي الْمَوْضِحَةِ

1390 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَرِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلَّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ

जाएँ पांच- पांच ऊँट दियत है। ”

हसन सहीह: अबू दारूद : 4566. इब्ने माजा: 2655.

निसाई: 4852

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (रह) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अहले इल्म का इसी पर अमल है नीज़ सुफ़ियान सौरी, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (रह) भी यही कहते हैं कि हड्डी खोल देने वाले ज़ख़्मों में पांच- पांच ऊँट दियत है।

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ

4 - उँगलियों की दियत.

1391 - सय्यदना इब्ने अब्बास (रह) रिवायत करते हैं कि नबी (रह) ने फ़रमाया, “हाथों और पांवों की उँगलियों की दियत बराबर है। हर उंगली की दस ऊँट दियत है। ”

सहीह: अबू दारूद : 4561. मुसनाद अहमद: 1/227.

इब्ने माजा: 2650.

वज़ाहत: इस मसले में अबू मूसा और अब्दुल्लाह बिन उमर (रह) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिजी (रह) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (रह) की हदीस इस सनद के साथ हसन सहीह ग़रीब है और अहले इल्म का इसी पर अमल है। सुफ़ियान सौरी, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (रह) भी इसी के क़ायल हैं।

1392 - सय्यदना इब्ने अब्बास (रह) रिवायत करते हैं कि नबी (रह) ने फ़रमाया, “यह और यह (उंगली दियत में) बराबर है” यानी छगुलियाँ और अंगूठा।

सहीह: बुख़ारी: 6895. अबू दारूद : 4561, 4558. इब्ने

माजा: 6652. निसाई: 4847.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (रह) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

4 بَابُ مَا جَاءَ فِي دِيَّةِ الْأَصَابِعِ

1391 - حَدَّثَنَا أَبُو عَمَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ النَّخْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دِيَّةِ الْأَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ، عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ لِكُلِّ أُصْبُعٍ.

1392 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ، يَعْنِي: الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ.

5 - मुजरिम को माफ़ कर देना.

1393 - अबू सफ़र (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि कुरैश के एक आदमी ने अंसारी का एक दांत उखाड़ दिया तो उसने मुआविया (رضي الله عنه) से फरियाद की और मुआविया (رضي الله عنه) से कहने लगा: ऐ अमीरुल मोमिनीन! इसने मेरा दांत तोड़ दिया है। तो सय्यदना अमीर मुआविया (رضي الله عنه) ने फ़रमाया, अन्क़रीब हम तुम्हें राजी कर देंगे और दूसरे ने मुआविया की मिन्नत समाजत शुरू कर दी और उन्हें तंग करने लगा, लेकिन वह न माने तो मुआविया (رضي الله عنه) ने फ़रमाया, तुम्हारा मामला तुम्हारे इस साथी के साथ है और अबू दर्दा (رضي الله عنه) भी उनके पास बैठे हुए थे। अबू दर्दा (رضي الله عنه) कहने लगे: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, मेरे कानों ने बात सुनी और दिल ने याद रखा, आप (ﷺ) फ़रमा रहे थे: "जिस आदमी को जिस्म में तकलीफ़ पहुंचाई जाए वह उसे माफ़ कर दे तो अल्लाह तआला उसकी वजह से एक दर्जा बलंद करते हैं और एक गुनाह कम कर देते हैं।" अंसारी कहने लगा: क्या आप ने यह बात अल्लाह के रसूल (ﷺ) से सुनी है? उन्होंने फ़रमाया, मेरे कानों ने सुना और दिल ने इसे याद रखा, वह कहने लगा: मैं माफ़ करता हूँ। मुआविया ने फ़रमाया, ज़रूर! मैं तुम्हें महरूम नहीं रखूंगा और उसे माल देने का हुक्म दिया।

ज़ईफ़: अस-सिलसिला अज़-ज़ईफ़ा: 4482. इब्ने माजा: 2693.

5 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَفْوِ

1393 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو السَّفَرِ، قَالَ: دَقَّ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ سِنَّ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ لِمُعَاوِيَةَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ هَذَا دَقَّ سِنِّي، قَالَ مُعَاوِيَةُ: إِنَّا سَتْرُضِيكَ، وَالْحَاحُّ الْآخِرُ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَأَبْرَمَهُ، فَلَمْ يَرْضِهِ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: شَأْنُكَ بِصَاحِبِكَ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ جَالِسٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ فِي جَسَدِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهِ خَطِيئَةٌ، قَالَ الْأَنْصَارِيُّ: أَأَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ أَذْنَائِي وَوَعَاهُ قَلْبِي، قَالَ: فَإِنِّي أَذْرُهَا لَهُ، قَالَ مُعَاوِيَةُ: لَا جَرَمَ لَا أَحْبِبُّكَ، فَأَمَرَ لَهُ بِمَالٍ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है हम इसे सिर्फ़ इसी सनद से ही जानते हैं और मैं अबू सफ़र का अबू दर्दा (رضي الله عنه) से सिमा (सुनना) भी नहीं जानता और अबू सफ़र का नाम सईद बिन अहमद या युहिमद अस-सौरी है।

6-जिसका सर पत्थर से कुचल दिया गया हो

1394 - सख्यदना अनस (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि एक लड़की बाहर निकली उस पर जेवरात⁽¹⁾ थे तो एक यहूदी ने उसे पकड़ लिया उसका सर पत्थर के साथ कुचला और उसके जेवरात उतार लिए, रावी कहते हैं कि लोग उसके पास पहुंचे तो उसमें कुछ⁽²⁾ जान थी। उसे नबी (ﷺ) के पास लाया गया तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, "तुम्हें किसने क़त्ल किया है? क्या फुलां ने?" उसने कहा: "नहीं। आप ने फ़रमाया, फुलां ने?" यहाँ तक कि उस यहूदी का नाम लिया गया तो उसने अपने सर से इशारा किया कि जी हाँ, रावी कहते हैं: उसे पकड़ा गया, उसने एतराफ़ कर लिया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हुक्म दिया तो उसका सर भी दो पत्थरों के दर्मियान कुचल दिया गया।

बुखारी: 2413. मुस्लिम: 1672. अबू दारुद : 4527, 4529. इब्ने माजा: 2665. निसाई: 4741.

तौज़ीह: أوضح : से मुराद चमकदार चीज़ होती है यह चांदी के जेवरात की एक क़िस्म है जिसे चमक और सफ़ेदी की वजह से औज़ाह कहा जाता है। (2) आख़िरी साँसों पर थी, अभी उसकी मौत वाक़ेअ नहीं हुई थी।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और बाज़ (कुछ) उलमा का इसी पर अमल है। अहमद और इस्हाक़ का भी इसी पर अमल है। लेकिन बाज़ (कुछ) अहले इल्म कहते हैं कि क़िसास सिर्फ़ तलवार से होगा।

6 بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ رَضِخَ رَأْسُهُ بِصَخْرَةٍ

1394 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا أَوْصَاحٌ، فَأَخَذَهَا يَهُودِيٌّ فَرَضِخَ رَأْسَهَا بِحَجَرٍ، وَأَخَذَ مَا عَلَيْهَا مِنَ الْحُلِيِّ، قَالَ: فَأَدْرَكَتْ وَبِهَا رَمَقٌ، فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَنْ قَتَلَكَ، أَفْلَانٌ؟ قَالَتْ بِرَأْسِهَا: لَا، قَالَ: فُفْلَانٌ؟ حَتَّى سَمِيَتِ الْيَهُودِيَّ، فَقَالَتْ بِرَأْسِهَا: نَعَمْ، قَالَ: فَأَخِذْ، فَأَعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضِخَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ.

7 - मोमिन को क़त्ल करने का गुनाह

1395 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, "दुनिया का ख़त्म हो जाना अल्लाह तआला पर एक मुसलमान के क़त्ल से ज़्यादा आसान है।"

सहीह: अत्तरगोब: निसाई: 3986. बैहकी: 8/22.

7 بَابُ مَا جَاءَ فِي تَشْدِيدِ قَتْلِ الْمُؤْمِنِ

1395 - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلْفٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيْعٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَرِوَالِ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ.

वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं:) हमें मुहम्मद बिन वशशार ने शोबा से उन्होंने याला बिन अता से उनके बाप के ज़रिए अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) से इसी तरह रिवायत की है और वह मफू नहीं है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस इब्ने अबी अदी की हदीस से ज़्यादा सहीह है। और इस मसले में साद, इब्ने अब्बास, अबू सईद, अबू हुरैरा, उक्बा बिन आमिर, इब्ने मसऊद और बुरैदा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) की इस हदीस को इसी तरह इब्ने अबी अदी ने बवास्ता शोबा याला बिन अता से उन्होंने अपने बाप के ज़रिए अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) से और उन्होंने नबी (ﷺ) से रिवायत किया है। जबकि मुहम्मद बिन जाफ़र और दीगर रावियों ने शोबा से बवास्ता याला बिन अता रिवायत करते वक़्त मफू ज़िक्र नहीं की। इसी तरह सुफ़ियान सौरी ने भी याला बिन अता से मौकूफ़ रिवायत की है। और यह मफू रिवायत से ज़्यादा सहीह है।

8 - क़त्ल का फ़ैसला.

1396 - सय्यदना अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "(क़यामत के दिन) बन्दों के दर्मियान पहला फ़ैसला खून (क़त्ल) के बारे में होगा।"

बुखारी: 6533. मुस्लिम: 1678. इब्ने माजा: 2615. निसाई: 3991, 3993.

8 بَابُ الْحُكْمِ فِي الدِّمَاءِ

1396 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَوْلَ مَا يُحْكَمُ بَيْنَ الْعِبَادِ فِي الدِّمَاءِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (रह) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह (रह) की हदीस हसन सहीह है और बहुत से रावियों ने आमश से इसी तरह मफू रिवायत की है। और बाज़ (कुछ) ने आमश से मौकूफ रिवायत की है।

अबू ईसा (रह) कहते हैं:) हमें अबू कुरैब ने (वह कहते हैं:) हमें वकीअ ने आमश से बवास्ता अबू वाइल सय्यदना अब्दुल्लाह (रह) से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह (रह) ने फ़रमाया, बेशक बन्दों के दर्मियान सब से पहला फ़ैसला खून (क़त्ल) के बारे में होगा। ”

1397 - सय्यदना अब्दुल्लाह (रह) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (रह) ने फ़रमाया, “बेशक बन्दों के दर्मियान पहला फ़ैसला खून (क़त्ल) के बारे में होगा। ”

सहीह: तख़रीज के लिए पिछली हदीस मुलाहज़ा फ़रमाएं.

1398 - सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी और अबू हुरैरा (रह) दोनों रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (रह) ने फ़रमाया, “अगर आसमान और ज़मीन वाले एक मोमिन आदमी के क़त्ल में शरीक हों तो अल्लाह तआला उन सबको उलटा करके जहन्नम में फ़ेंक देगा। ”

सहीह.

1397 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فِي الدَّمَاءِ.

1398 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَقْدٍ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَكَمِ الْبَجَلِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ يَذْكُرَانِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لَأَكْبَهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (रह) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है और अबुल हकम अल बजली, अब्दुर्रहमान बिन अबी नुअम कूफी ही है।

9 - अगर कोई शख्स अपने बेटे को क़त्ल कर दे तो क्या उससे क्रिसास लिया जाएगा?

9 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ يُقَادُ مِنْهُ أَمْ لَا

1399 - सय्यदना सुराका बिन मालिक (रह) रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (रह) को

1399 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُتَنَّى بْنُ

देखा आप बाप को बेटे से किसास दिलाते थे
और बेटे को बाप से किसास नहीं दिलाते थे।

ज़ईफ़.

الصَّبَّاحُ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
جَدِّهِ، عَنْ سُرَّاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشَمٍ قَالَ:
خَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقِيدُ الْأَبَ مِنْ ابْنِهِ، وَلَا يَقِيدُ الْإِبْنَ مِنْ أَبِيهِ.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: हम इस हदीस को सुराका (رضي الله عنه) से सिर्फ़ इसी सनद के साथ पहचानते हैं, और इसकी सनद सहीह नहीं है। इसे इस्माइल बिन अयाश ने मुसन्ना बिन सबाह से रिवायत किया है और मुसन्ना बिन सबाह हदीस में ज़ईफ़ है। नीज़ अबू ख़ालिद अहमर ने भी हज्जाज बिन अर्तात से बवास्ता अम्र बिन शोएब अन अबीह अन जद्विही इस हदीस को नबी (ﷺ) से रिवायत किया है और यह हदीस अम्र बिन शोएब से मुर्सल भी मर्वी है। इस हदीस में इज़्तिराब है। और अहले इल्म का इसी बात पर अमल है कि बाप अगर अपने बेटे को क़त्ल कर दे (तो) उसे क़त्ल नहीं किया जाएगा और जब अपने बेटे पर तोहमत लगाए तो उसे हद नहीं लगाई जाएगी।

1400 - सय्यदना सुराका बिन मालिक (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “बाप को बेटे के किसास में क़त्ल न किया जाए।”

सहीह: इब्ने माजा: 2662. मुसनाद अहमद: 1/22.
बैहकी: 8/72.

1400 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا
أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ
عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُمَرَ
بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَالِدِ.

1401 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “मस्जिदों में हर्दे न लगाई जाएँ और न ही बाप को बेटे के किसास में क़त्ल किया जाए।”

हसन: इब्ने माजा: 2599. दारमी: 2368.

1401 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا
إِبْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ
عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُقَامُ
الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَلَا يَقْتُلُ الْوَالِدُ بِالْوَالِدِ.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस सिर्फ़ इस्माइल बिन मुस्लिम की सनद से ही मफू है और इस्माइल बिन मुस्लिम मक्की के हाफ़िज़े की वजह से बाज़ (कुछ) उलमा ने इस में गुफ्तगू की है।

10 - तीन सूरतों के अलावा मुसलमान को क़त्ल करना हलाल नहीं है।

1402 - सय्यदना अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "जो मुसलमान शख्स गवाही देता हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मैं अल्लाह का रसूल हूँ उसको सिवाए तीन सूरतों के क़त्ल करना हलाल नहीं है। (वह तीन यह हैं:) शादी शुदा होकर जिना करने वाला, क़त्ल के बदले क़त्ल और दीन को छोड़ने और जमात से अलाहिदा होने वाला (यानी मुर्तद)।

बुखारी: 6878. मुस्लिम: 1676. अबू दाऊद : 4352.
इब्ने माजा: 2534. निसाई: 4016.

वज़ाहत: इस मसले में उस्मान, आयशा और इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: इब्ने मसऊद (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

11 - जो शख्स किसी ज़िम्मी को क़त्ल करता है।

1403 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, "ख़बरदार! जिसने किसी ऐसे ज़िम्मी⁽¹⁾ (मुआहिद) शख्स को क़त्ल किया जिसके लिए अल्लाह और उसके रसूल के ज़िम्मा (के साथ अहद किया) था। यकीनन उस ने अल्लाह का ज़िम्मा तोड़ दिया तो वह जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा

10 بَابُ مَا جَاءَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِيٍّ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ

1402 - حَدَّثَنَا هَذَا، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِيٍّ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّارِكُ لِذِيهِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ.

11 بَابُ مَا جَاءَ فِي مَنْ يَقْتُلُ نَفْسًا مُعَاهِدَةً

1403 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْدِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ هُوَ الْبَصْرِيُّ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدًا لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَقَدْ أَحْفَرَ

और बेशक उसकी खुशबू सत्तर (70) साल की मसाफ़त (दूरी) से महसूस की जाएगी।”

بِذِمَّةِ اللَّهِ، فَلَا يَرِيحُ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنْ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ خَرِيفًا.

सहीह: इब्ने माजा: 2687. अबू याला: 6452.

तौज़ीह: (1) जो मुसलमान हुकूमत के साथ सालाना जिज़्या पर मुआहिदा करके उनके मुल्क में रहता हो उसे जिम्मी कहा जाता है। उन लोगों की जान व माल का तहफ़फ़ज़ (सुरक्षा) फिर इस्लामी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है।

वज़ाहत: इस मसले में अबू बकर (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (ﷺ) की हदीस हसन सहीह है और कई सनदों के साथ अबू हुरैरा (ﷺ) से मर्वी है।

इसी के मुताल्लिका

1404 - सय्यदना इब्ने अब्बास (ﷺ) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने बनू आमिर के दो आदमियों की मुसलमानों के बराबर दियत दिलवायी थी उनका अल्लाह के रसूल (ﷺ) से अहद था।

ज़ईफ़ुल इस्नाद: अल- कामिल: 3/ 1221.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे सिर्फ़ इसी तरीक़े से पहचानते हैं, और अबू साद बक़ाल का नाम सईद बिन मर्ज़बान है।

12 بَابُ

1404 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عِيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَى الْعَامِرِيَيْنِ بِدِيَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ لهُمَا عَهْدٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

13 - किसान या माफ़ी में मक्तूल के वारिस का फैसला तस्लीम होगा.

1405 - सय्यदना अबू हुरैरा (ﷺ) रिवायत करते हैं कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मक्का फतह किया (तो) आप लोगों के सामने खड़े हुए। अल्लाह की हम्दो सना की। फिर

13 بَابُ مَا جَاءَ فِي حُكْمِ وَلِيِّ الْقَتِيلِ فِي الْقِصَاصِ وَالْعَفْوِ

1405 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، وَيَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي

फ़रमाया, "और जिसका कोई आदमी क़त्ल हो जाए तो वह दो बातों का इख़्तियार रखता है या तो वह माफ़ कर दे या क़त्ल कर दे।"

बुखारी: 112. मुस्लिम: 1355. अबू दाऊद: 2017. इब्ने माजा: 2624. निसाई: 4785.

वज़ाहत: इस मसले में वाइल बिन हुज़्र, अनस और अबू शुरैह खुवैलिद बिन अम्र (رضي الله عنه) से भी हदीस मवीं है।

1406 - सय्यदना अबू शुरैह काबी (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "बेशक अल्लाह तआला ने मक्का को हुर्मत वाला बनाया और लोगों ने उसे हुर्मत वाला नहीं समझा। जो शख्स अल्लाह और आख़िरत के दिन पर यकीन रखता है वह इस (मक्का) में न खून बहाए और न ही दरख़त काटे, अगर कोई रुख़सत देने वाला रुख़सत देते हुए कहे कि उसे रसूलुल्लाह के लिए हलाल किया गया था (तो सुन लो) अल्लाह ने इसे मेरे लिए हलाल किया है। आम लोगों के लिए नहीं और मेरे लिए भी सिर्फ़ दिन की एक घड़ी में हलाल किया गया था, फिर यह क़यामत तक के लिए हाराम है। फिर फ़रमाया, ऐ खुज़ाआ के लोगो! तुमने हुज़ैल कबीले का आदमी क़त्ल किया है। मैं उसकी दियत दिलाता हूँ, पस आज के बाद जिसका कोई शख्स क़त्ल हो जाए उसे दो बातों का इख़्तियार है: या तो वह (मक्तूल के वारिस) क़त्ल कर दें या दियत ले लें।

बुखारी: 104. मुस्लिम: 1354. निसाई: 2876.

كثير قال: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مَكَّةَ قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: وَمَنْ قَتَلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا أَنْ يَغْفُو، وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ.

1406 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْفِكَنَّ فِيهَا دَمًا، وَلَا يَعْضِدَنَّ فِيهَا شَجْرًا، فَإِنْ تَرَحَّصَ مُتَرَحِّصٌ، فَقَالَ: أُحِلَّتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ اللَّهَ أَحَلَّهَا لِي وَلَمْ يُحَلِّهَا لِلنَّاسِ، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ هِيَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ إِنَّكُمْ مَعْشَرَ خُرَاعَةَ قَتَلْتُمْ هَذَا الرَّجُلَ مِنْ هَذِيلٍ وَإِنِّي عَاقِلُهُ، فَمَنْ قَتَلَ لَهُ قَتِيلٌ بَعْدَ الْيَوْمِ، فَأَهْلُهُ بَيْنَ خَيْرَتَيْنِ، إِمَّا أَنْ يَقْتُلُوا، أَوْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस भी हसन सहीह है। शैबान ने भी यइया बिन अबी कसीर से इसी तरह रिवायत की है।

अबू शुरैह ख़ुज़ाई (رضي الله عنه) से मर्वी है कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़रमाया, “जिसका कोई आदमी क़त्ल कर दिया जाए तो उसे इख़्तियार है: चाहे क़त्ल कर दे चाहे दियत ले ले।” बाज़ (कुछ) अहले इल्म का भी यही मज़हब है। नीज़ अहमद और इस्हाक़ भी यही कहते हैं।

1407 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में एक आदमी क़त्ल हो गया तो कातिल को उस मक़तूल के वारिस के हवाले कर दिया गया, कातिल कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह की क़सम मैंने उसे क़त्ल करने का इरादा नहीं किया था। अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने (मक़तूल के वारिस से) फ़रमाया, “अगर इसकी बात सच्ची हुई और तुमने इसे क़त्ल कर दिया तो तुम जहन्नम में जाओगे।” तो उस आदमी ने उसे छोड़ दिया। रावी कहते हैं: वह एक रस्सी के साथ बंधा हुआ था वह अपनी रस्सी को खींचता हुआ भागा उसका नाम ही जुन्निस्आ (रस्सी वाला) पड़ गया।

सहीह: अबू दाऊद : 4498. इब्ने माजा: 2690.
निसाई: 4722.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और नसे रस्सी को कहते हैं।

14 - मुस्ला कटना मजा है.

1408 - सुलैमान बिन बुरैदा अपने बाप से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब किसी को अमीर लश्कर बना कर भेजते तो उसे वसीयत करते कि ख़ुद अल्लाह से डरता रहे

1407 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قُتِلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَفَعَ الْقَاتِلُ إِلَيَّ وَليِهِ، فَقَالَ الْقَاتِلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ قَوْلُهُ صَادِقًا فَقَتَلْتُهُ دَخَلْتَ النَّارَ، فَخَلَى عَنْهُ الرَّجُلُ، وَكَانَ مَكْتُوفًا بِنِسْعَةٍ، فَخَرَجَ يَجْرُ نِسْعَتَهُ، فَكَانَ يُسَمَّى ذَا النِّسْعَةِ.

14 بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمَثَلَةِ

1408 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بَرِيْدَةَ،

और अपने मुसलमान साथियों की खैरख्वाही करे। आप (ﷺ) फ़रमाते: “अल्लाह के नाम के साथ अल्लाह के रास्ते में जंग करो, जो अल्लाह के साथ कुफ़र करे उससे लड़ाई करो, जंग करो, ख़यानत न करना, अहद न तोड़ना, मुस्ला⁽¹⁾ न करना और किसी बच्चे को क़त्ल न करना।” इस हदीस में एक किस्सा भी है।”

मुस्लिम: 1731. अबू दाऊद: 2612. इब्ने माजा: 2858.

तौज़ीह: (1) क़त्ल करने के बाद मक्त्रूल के आज़ाए जिस्म (जिस्म के अंगों) को काट देना मुस्ला कहा जाता है।

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन मसऊद, शद्दाद बिन औस, इमरान बिन हुसैन, समुरा, मुग़ीरह, याला बिन मुर्दा और अबू अय्यूब (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: बुरैदा (ﷺ) की हदीस हसन सहीह है और उलमा मुस्ला को मकरूह कहते हैं।

1409 - सय्यदना शद्दाद बिन औस (ﷺ) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “बेशक अल्लाह तआला ने हर चीज़ पर एहसान करना फ़र्ज़ किया है जब तुम (बतौर किसास किसी को) क़त्ल करो तो उसे अच्छे अंदाज़ से क़त्ल करो, जब जानवर ज़बह करो तो उसे अच्छे अंदाज़ से ज़बह करो और आदमी अपनी छुरी तेज़ कर ले और अपने जानवर को आराम पहुंचाए।”

मुस्लिम: 1955. अबू दाऊद: 2815. इब्ने माजा: 3170. निसाई: 4405

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अबू अशअस सनआनी का नाम शराहील बिन आदह है।

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، فَقَالَ: اغْرُؤُوا بِسْمِ اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، اغْرُؤُوا وَلَا تَعْلُوا، وَلَا تَعْدِرُوا، وَلَا تُمْتَلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ.

1409 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنَعَانِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ، وَلْيُجِدْ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ.

15 - हमल की दियत.

1410 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने जनीन⁽¹⁾ (गिराने के मामले) में एक गुलाम या लौंडी देने का फ़ैसला किया। जिसके खिलाफ़ फ़ैसला किया था वह कहने लगा: क्या हम इसकी दियत दें, जिस ने न पिया, न खाया और न ही आवाज़ निकाल के चीख मारी! ऐसा तो रायगों जाता है! नबी करीम (ﷺ) ने फ़रमाया, “बेशक यह शख्स शाइरों जैसी बात कर रहा है, क्यों नहीं? इस में एक गुलाम या लौंडी देनी पड़ेगी।”

बुखारी: 5758. मुस्लिम: 1681. अबू दारुद : 4576.
इब्ने माजा: 2639. निसाई: 4817, 4819.

तौज़ीह: **जिन:** पेट का बच्चा, अतिब्बा (डाक्टरों) के नज़दीक हमल का वह इब्तिदाई तख़म जो आठवें हफ़ता तक रहता है फिर इसके बाद हमल कहलाता है। (अल-मोज़मुल वसीत: पृ. 166 अल्क़ामूसुल वहीद: पृ. 289)

वज़ाहत: इस मसले में हमल बिन मालिक बिन नाबिगा और मुगीरह बिन शोबा (رضي الله عنه) से भी हदीस मवीं है। इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और उलमा का इसी पर अमल है। बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं कि गुलाम या लौंडी दे या फिर पांच सौ दिरहम दे और बाज़ (कुछ) कहते हैं: घोड़ा या खच्चर भी दे सकता है।

1411 - सय्यदना मुगीरह बिन शोबा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि दो औरतें आपस में सौतनें थीं एक दूसरे को पत्थर या खेमे की लकड़ी मारी और उसका हमल गिरा दिया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसके पेट के बच्चे के बारे में फ़ैसला किया कि एक गुलाम या लौंडी दे और उसे औरत के अस्बात पर मुकरर किया।

15 بَابُ مَا جَاءَ فِي دِيَّةِ الْجَنِينِ

1410 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ: أَيْعُطَى مَنْ لَا شَرِبَ، وَلَا أَكَلَ، وَلَا صَاحَ، فَاسْتَهَلَ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ هَذَا لَيَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، بَلْ فِيهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ.

1411 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُيَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا صَرْتَيْنِ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ أَوْ

बुखारी: 6906. मुस्लिम: 1682. अबू दाऊद : 4568.
इब्ने माजा: 2540. निसाई: 4826.

عَمُودٍ فُسْطَاطٍ، فَأَلْقَتْ جَبِينَهَا، فَقَضَى رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ عُرَّةً
عَبْدًا، أَوْ أُمَّةً، وَجَعَلَهُ عَلَى عَصَبَةِ الْمَرْأَةِ

वज़ाहत: हसन कहते हैं: हमें जैद बिन हुबाब ने बवास्ता सुफियान, मंसूर से इस हदीस को इसी तरह बयान किया है। इमाम तिर्मिजी (रह) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

16 - मुसलमान को काफ़िर के बदले क़त्ल नहीं किया जा सकता.

1412 - सय्यदना अबू जुहैफ़ा बयान करते हैं कि मैंने अली (रह) से कहा: ऐ अमीरुल मोमिनीन! क्या आपके पास सफ़ेद में कोई सियाह चीज़ है।⁽¹⁾ जो अल्लाह की किताब में न हो? उन्होंने फ़रमाया, नहीं, उस ज़ात की क़सम जिसने दाने को फाड़ा और रूहों को पैदा किया! मैं नहीं जानता मगर फहम (समझ बूझ) जो अल्लाह तआला किसी आदमी को कुरआन के मुताल्लिक अता कर दे और जो इस सहीफे (किताबचे) में है। मैंने कहा: इस किताबचे में क्या है? उन्होंने फ़रमाया, “दियत (के अहकामात) कैदियों को रिहा करने का हुक्म और यह कि मोमिन को काफ़िर के बदले क़त्ल न किया जाए।

बुखारी: 111. मुस्लिम: 1370. अबू दाऊद : 4530. इब्ने माजा: 2658. निसाई: 4734.

तौज़ीह: (1) सियाह से मुराद लिखने वाली सियाही (रोशनाई, Ink) और सफ़ेद से मुराद कागज़ वगैरह यानी कोई ऐसी चीज़ लिखी हुई है जिसका ज़िक्र कुरआन में न हो।

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन उमर (रह) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिजी (रह) फ़रमाते हैं: अली (रह) की हदीस हसन सहीह है और बाज़ (कुछ) उलमा का इसी पर अमल है। नीज़

16 بَابُ مَا جَاءَ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

1412 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ:
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جُحَيْفَةَ، قَالَ:
قُلْتُ لِعَلِيِّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَلْ عِنْدَكُمْ
سَوْدَاءٌ فِي بَيْضَاءٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟
قَالَ: لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ،
مَا عَلِمْتُهُ إِلَّا فَهْمًا يُعْطِيهِ اللَّهُ رَجُلًا فِي
الْقُرْآنِ، وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ، قُلْتُ: وَمَا فِي
الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفِكَاكَ الْأَسِيرِ،
وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ.

सुफ्रियान सौरी, मालिक बिन अनस, शाफेई, अहमद और इस्हाक (रहमतेमा) भी इसी के कायल हैं कि मोमिन को काफिर के बदले क़त्ल न किया जाए। और बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं: मुसलमान को जिम्मी आदमी के बदले क़त्ल किया जा सकता है। लेकिन पहला कौल ज़्यादा सहीह है।

काफ़िरों की दियत.

1413 - अग्र बिन शोएब अपने बाप से वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "मुसलमान को काफ़िर के बदले क़त्ल न किया जाए।" इसी सनद के साथ यह भी मर्वी है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, "काफ़िर की पूरी दियत मोमिन की आधी दियत के बराबर है।"

हसन सहीह: अबू दाऊद : 2751. इब्ने माजा: 2659.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (रहमतेमा) फ़रमाते हैं: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन उमर (रहमतेमा) की हदीस हसन है। और उलमा ने यहूदी और ईसाई के दियत के बारे में इख़ितलाफ़ किया है। बाज़ (कुछ) उलमा का मज़हब यहूदी और ईसाई की दियत के बारे में नबी करीम (ﷺ) से मर्वी हदीस के मुताबिक़ है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ फ़रमाते हैं: यहूदी और ईसाई की दियत मुसलमान की दियत से आधी है। इमाम अहमद बिन हंबल भी यही कहते हैं।

उमर बिन खत्ताब (रहमतेमा) फ़रमाते हैं: यहूदी और ईसाई की दियत 4000 दिरहम और मजूसी की दियत 800 दिरहम है। मालिक बिन अनस, शाफ़ेई और इस्हाक़ भी इसी के कायल हैं।

जबकि कुछ उलमा कहते हैं: यहूदी और ईसाई की दियत भी मुसलमान की दियत जितनी है। यह कौल सुफ़्रियान सौरी (रहमतेमा) और अहले कूफ़ा का है।

17 - अगर कोई शख्स अपने गुलाम को क़त्ल कर दे.

1414 - सय्यदना समुरा (रहमतेमा) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "जो शख्स अपने गुलाम को क़त्ल करेगा हम

بَابُ مَا جَاءَ فِي دِيَةِ الْكُفَّارِ

1413 - حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: دِيَةُ عَقْلِ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ عَقْلِ الْمُؤْمِنِ.

17 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجْلِ يَفْتُلُ عَبْدَهُ

1414 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ

(किसास के तौर पर) उसे क़त्ल कर देंगे और जो अपने गुलाम की नाक काटेगा हम (किसास के तौर पर) उसकी नाक काट देंगे।

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَا، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَا.

ज़ईफ़: अबू दाऊद : 4515, 4517. इब्ने माजा: 2663. निसाई: 4736, 4738.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है और इब्राहीम नखई समेत बाज़ (कुछ) ताबेईन का भी यही मज़हब है।

जबकि बाज़ (कुछ) उलमा; जिन में हसन बसरी और अता बिन अबी रवाह भी हैं, कहते हैं कि आज़ाद और गुलाम में जान या उस से छोटी चीज़ में किसास नहीं होगा। अहमद और इस्हाक़ का भी यही कौल है।

बाज़ (कुछ) कहते हैं: अगर अपने गुलाम को क़त्ल करे तो किसास के तौर पर उसे क़त्ल नहीं किया जाए लेकिन किसी और के गुलाम को क़त्ल करे तो उसे क़त्ल किया जाएगा, यह कौल सुफ़ियान सौरी और अहले कूफ़ा का है।

18 - क्या औरत अपने खाविंद की दियत की वारिस बनेगी?

1415 - सईद बिन मुसय्यब (رحمته الله) बयान करते हैं कि उमर (رضي الله عنه) फ़रमाया करते थे कि दियत असबात पर है और औरत अपने खाविंद की दियत की वारिस नहीं बन सकती। यहाँ तक कि ज़हहाक बिन सुफ़ियान किलाबी (رحمته الله) ने उन्हें बताया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें खत लिखा कि अश्यम ज़बाबी की बीवी को उसके खाविंद की दियत से विरोसत दो।

सहीह: अबू दाऊद : 2927. इब्ने माजा: 2642. मुसनद अहमद: 3/452.

18 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ هَلْ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا؟

1415 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَأَبُو عَمَّارٍ، وَعَبْدُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا، حَتَّى أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ: وَرِثَ امْرَأَةً أَشِيمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और उलमा का इसी पर अमल है।

19 - किसास का बयान.

19 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِصَاصِ

1416 - सय्यदना इमरान बिन हुसैन (رضي الله عنه) से रिवायत है कि एक आदमी ने दूसरे आदमी का हाथ अपने दांतों से काटा, उस ने अपना हाथ खींचा तो उस काटने वाले के सामने वाले दो दांत गिर गए। वह झगड़ा ले कर नबी (ﷺ) के पास आए तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, "तुम में से एक आदमी अपने भाई को ऐसे काटता है जैसे ऊँट काटता है। तुम्हारे लिए कोई दियत नहीं फिर अल्लाह तआला ने यह आयत उतारी। "और ज़ख्मों का किसास है।" (अल-मायदा: 45)

1416 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَشْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ زُرَّارَةَ بْنَ أَوْفَى يُحَدِّثُ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَنَزَعَ يَدَهُ فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَعْضُّ أَحَدَكُمُ أَحَاهُ كَمَا يَعْضُّ الْفَحْلُ، لَا دِيَةَ لَكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {وَالْجُرُوحُ قِصَاصٌ}.

बुखारी: 6792. मुस्लिम: 1673. इब्ने माजा: 2657. निसाई: 4758. 4762.

वज़ाहत: इस मसले में याला बिन उमय्या और सलमा बिन उमय्या (رضي الله عنه) दोनों भाइयों से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: इमरान बिन हुसैन (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

20 - मुल्जम (जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया हो) को कैद करना.

20 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَبْسِ فِي التُّهْمَةِ

1417 - बहज़ बिन हकीम अपने बाप के वास्ते के साथ अपने दादा से रिवायत करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने एक आदमी को इल्ज़ाम में कैद किया फिर उसे छोड़ दिया।

1417 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِي تُّهْمَةٍ ثُمَّ خَلَّى عَنْهُ.

हसन: अबू दाऊद : 4772. इब्ने माजा: 2580. निसाई: 4090.

वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: बहज़ बिन हकीम की अपने बाप के ज़रिए अपने दादा से रिवायतकर्दा हदीस हसन है नीज़ इस्माईल बिन इब्राहीम ने बहज़ बिन हकीम से इस हदीस को मुकम्मल और मुतव्वल (लम्बी) बयान किया है।

21 - जो शख्स अपने माल की हिफाज़त करता हुआ क़त्ल हो जाए वह शहीद है.

1418 - सय्यदना सईद बिन ज़ैद बिन अग्र बिन नुफ़ैल (رحمته الله) से रिवायत है कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़रमाया, “जो शख्स अपने माल के लिए क़त्ल कर दिया जाए वह शहीद है। और जिसने एक बालिशत बराबर ज़मीन चोरी की (तो अल्लाह तआला) क़यामत के दिन उसे सात ज़मीनों का तौक पहनायेगा।” हातिम बिन सियाह अल- मर्वज़ी इस हदीस में यह अल्फ़ाज़ ज़्यादा करते हैं कि मामर कहते हैं: मुझे जोहरी की तरफ़ से यह बात पहुंची है मैंने ख़ुद उनसे नहीं सुना, इसमें यह ज़्यादा है कि जो अपने माल की हिफाज़त करते क़त्ल हो गया वह शहीद है। और शोएब बिन अबी हम्ज़ा के साथी इस हदीस को जोहरी से बवास्ता तल्हा बिन उबैदुल्लाह, अब्दुर्इरहमान बिन नम्र बिन सुहैल से और उन्होंने बवास्ता सईद बिन ज़ैद, नबी (ﷺ) से इसी तरह रिवायत किया है। और सुफ़ियान बिन उयय्या ने जोहरी से उन्होंने तल्हा बिन उबैदुल्लाह से बवास्ता सईद बिन ज़ैद, नबी (ﷺ) से रिवायत की है और सुफ़ियान ने इस में अब्दुर्इरहमान बिन सहल का ज़िक्र नहीं किया।

सहीह: अबू दाऊद : 4772. इब्ने माजा: 2580. निसाई: 4090.

21 بَابُ مَا جَاءَ فِيَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

1418 - حَدَّثَنَا سَلْمَةُ بْنُ شَيْبٍ، وَخَاتِمُ بْنُ سَيَّاهِ الْمُرُوزِيُّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ سَهْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ نُفَيْلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. وَزَادَ خَاتِمُ بْنُ سَيَّاهِ الْمُرُوزِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ مَعْمَرٌ بَلَعْنِي، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ زَادَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. وَهَكَذَا رَوَى شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ سَهْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ سَهْلٍ.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

1419 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़रमाया, "जो शरख़स अपने माल की हिफ़ाज़त करते हुए क़त्ल हो जाए वह शहीद है।"

बुख़ारी: 2480. मुस्लिम: 141. अबू दारुद : 4771.
निसाई: 4084, 4089.

1419 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.

वज़ाहत: इस मसले में अली, सईद बिन ज़ैद, अबू हुरैरा, इब्ने उमर, इब्ने अब्बास और जाबिर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) की हदीस हसन है और उनसे कई सनदों से मर्वी है। और बाज़ (कुछ) उलमा ने अपनी जान और माल की हिफ़ाज़त के लिए लड़ने की रूख़सत दी है। इब्ने मुबारक फ़रमाते हैं: अपने माल के लिए लड़ सकता है अगरचे दो दिरहम ही हों।

1420 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़रमाया, जिसका माल कोई शरख़स नाहक़ छीनने का इरादा करे तो वह लड़ाई करे और क़त्ल हो जाए तो वह शहीद है।"

सहीह: तख़रीज के लिए पिछली हदीस मुला हज़ा फ़रमाएं.

1420 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْكُوفِيُّ، شَيْخُ ثِقَةٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: سُفْيَانُ وَأَتَنِي عَلَيْهِ خَيْرًا، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। अबू ईसा कहते हैं: हमें मुहम्मद बिन बश़ार ने (वह कहते हैं:) हमें अब्दुर्रहमान बिन महदी ने उन्हें सुफ़ियान ने उन्हें अब्दुल्लाह बिन हसन ने इब्राहीम बिन मुहम्मद बिन तल्हा से बवास्ता अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) नबी (ﷺ) से इसी तरह हदीस बयान की है।

1421 - सय्यदना सईद बिन ज़ैद (رضي الله عنه) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना: “जो शख्स अपने माल की हिफाज़त की वजह से क़त्ल हो गया वह शहीद है, जो अपने दीन की खातिर क़त्ल हो गया वह भी शहीद है, जो अपने ख़ूद जान की हिफाज़त करते हुए क़त्ल हुआ वह भी शहीद है और जो अपने अहलो अयाल की हिफाज़त करते क़त्ल हो गया वह भी शहीद है।”

सहीह: अबू दाऊद : 4772. निसाई: 4094. तयालिसी: 233.

वज़ाहत: यह हदीस हसन सहीह है। कुछ रावियों ने इब्राहीम बिन साद से भी ऐसी ही हदीस रिवायत की है। और याकूब बिन इब्राहीम बिन साद बिन इब्राहीम बिन अब्दुरहमान बिन औफ़ ज़ोहरी हैं।

22 - क़सामत (1) का बयान.

1422 - सय्यदना राफ़े बिन ख़दीज (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि अब्दुल्लाह बिन सहल बिन ज़ैद और मुहय्यिसा बिन मसऊद बिन ज़ैद निकले यहाँ तक कि ख़ैबर में एक जगह एक दूसरे से अलग हो गए फिर मुहय्यिसा ने अब्दुल्लाह बिन ज़ैद को मन्नतूल पाया और उन्हें दफ़न कर दिया, फिर वह और हुवय्यिसा बिन मसऊद और अब्दुरहमान बिन सहल, नबी करीम (ﷺ) के पास आए और अब्दुरहमान जो सब से छोटे थे वह अपने दोनों साथियों से पहले बात करने लगे तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उस से फ़रमाया, “बड़े को बड़ा समझ” तो वह

1421 - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ قَتَلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قَتَلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قَتَلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قَتَلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.

22 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَسَامَةِ

1422 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَنَمَةَ، قَالَ يَحْيَى: وَحَسِبْتُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّهُمَا قَالَا: خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ حَتَّى إِذَا كَانَا بِحَيْثَرٍ تَفَرَّقَا فِي بَعْضِ مَا هُنَاكَ، ثُمَّ إِنَّ مُحَيِّصَةَ وَجَدَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلِ قَتِيلًا قَدْ قَتِلَ فَدَفَنَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ وَحُوَيْصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلِ

खामोश हो गए और उनके दोनों साथियों ने बात की और रसूलुल्लाह (ﷺ) को अब्दुल्लाह बिन सहल के कत्ल से आगाह किया। आप (ﷺ) ने उन से फ़रमाया, "क्या तुम पच्चास क़समें उठा सकते हो? फिर तुम अपने क़ातिल (से क़िसास या दियत लेने) के हक़दार बन जाओगे।" उन्होंने कहा : हम कैसे क़सम उठा सकते हैं? जबकि हम मौजूद नहीं थे, आप (ﷺ) ने फ़रमाया, "यहूदी तुम्हें अपने पच्चास क़समों के साथ सफ़ाई पेश करेंगे" उन्होंने कहा, हम काफ़िर लोगों की क़समें कैसे कुबूल कर लें? जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने यह देखा तो आप (ﷺ) ने ख़ुद दियत दे दी।

बुख़ारी: 3173. मुस्लिम: 1669. अबू दाऊद : 4520.
इब्ने माजा: 2677. निसाई: 4713, 4716.

तौज़ीह: (1) क़सामत: का मतलब क़समें उठाना: इस की तारीफ़ यह है कि किसी इलाक़े से किसी आदमी की लाश बरामद हो, लेकिन वह इस क़त्ल का इनकार कर दें तो उनके पच्चास आदमियों से क़सम ली जायेगी अगर वह क़समें उठा दें कि हमने उसे क़त्ल नहीं किया तो उनसे खून और दियत माफ़ हो जाएगी।

वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें हसन बिन अली अल खल्लाल ने वह कहते हैं: हमें यज़ीद बिन हारून ने उन्हें यह्या बिन सईद ने बशीर बिन यसार से बवास्ता सहल बिन अबी हस्मा और राफ़े बिन ख़दीज (ﷺ) ने इसी हदीस के मफहूम की हदीस रिवायत की है।

इमाम तिमिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और क़सामत के बारे में उलमा का इसी पर अमल है। बाज़ (कुछ) फ़ुकहाए मदीना ने क़सामा के साथ क़िसास को तजवीज़ किया है। और कूफ़ा के बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं कि क़सामा क़िसास को नहीं बल्कि दियत को वाजिब करती है।

وَكَانَ أَصْغَرَ الْقَوْمِ ذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِيَتَكَلَّمَ
قَبْلَ صَاحِبَيْهِ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَبِيرَ الْكَبِيرِ فَصَمَتَ وَتَكَلَّمَ
صَاحِبَاهُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مَعَهُمَا، فَذَكَرُوا رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتَلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
سَهْلٍ، فَقَالَ لَهُمْ: أَنْخَلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا
فَتَسْتَجِيقُونَ صَاحِبِكُمْ أَوْ قَاتِلِكُمْ؟ قَالُوا:
وَكَيْفَ نَخْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ؟ قَالَ: فَتَبَرُّكُمْ يَهُودُ
بِخَمْسِينَ يَمِينًا، قَالُوا: وَكَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ
كُفَّارٍ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى عَقْلَهُ.

खुलासा..

- कत्ल की दियत एक सौ ऊँट है।
- जिस ज़ख्म से हड्डी ज़ाहिर हो जाए उसकी दियत पांच ऊँट हैं।
- क्रातिल जिस तरह कत्ल करे उसे उसी तरह किसास में कत्ल किया जाएगा।
- मोमिन की जान बहुत क्रीमती है।
- मुसलमान कौम सिर्फ़ तीन जराइम की बिना पर कत्ल किया जा सकता है: शादी शुदा हो कर जिना करे, किसी को कत्ल कर दे या मुर्तद हो जाए।
- किसास, माफ़ी या दियत में मक्तूल के वारिस का फ़ैसला तस्लीम होगा।
- मक्तूल के नाक, कान या दीगर आज़ा (अंगों) को काटना मना है।
- अगर किसी औरत का हमल गिरा दिया जाए तो एक गुलाम या लौंडी बतौर दियत दी जाएगी।
- मुसलमान को काफ़िर के बदले कत्ल नहीं किया जा सकता।
- मुल्जम को जेल भेजा जा सकता है लेकिन जुर्म साबित न हो तो रिहा किया जाएगा।
- अपने माल और इज़्ज़त को बचाने की खातिर कत्ल होने वाला शहीद है।
- कसामत का जो तरीका दौरे जाहिलियत में था इस्लाम में भी वही है।

मजमून नम्बर 15

أَبْوَابُ الْحُدُودِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 रसूलुल्लाह(ﷺ) से मर्वी हुदूद के अहकाम व मसाइल.

तआरुफ़

30 अबवाब के साथ 41 अहादीस पर मुश्तमिल यह उन्वान इन मजामीन पर मुहीत है:

- किन- किन गुनाहों की वजह से हद कायम की जाती है?
- किन लोगों पर हद वाजिब नहीं है?
- हुदूद नाफ़िज़ लागू करने की क्या शर्तें हैं?
- ताज़ीरन कितनी सज़ा दी जा सकती है?

1 - किन लोगों पर हद वाजिब नहीं है.

1423 - सय्यदना अली (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, " तीन आदमियों से क़लम उठा लिया गया है।⁽¹⁾ सोए हुए से, यहाँ तक कि वह बेदार हो जाए, बच्चे से, यहाँ तक कि वह जवान (बालिग़) हो जाए और मजनून (पागल) से, यहाँ तक कि उसे अक्ल आ जाए।

सहीह: अबू दाऊद: 4401, 4403. इब्ने माजा: 2042.

तौज़ीह: (1) क़लम उठा लेने का मतलब है कि वह अहकामे शरिया के मुक़ल्लफ़ (जिम्मेदार) नहीं हैं। इसी तरह गुनाह लिखने वाला क़लम भी उन से उठा लिया गया है, ऐसी हालतों में उनका गुनाह नहीं लिखा जाता।

वज़ाहत: इस मसले में आयशा (رضي الله عنها) से भी हदीस मर्वी है।

1 بِأَبِ مَا جَاءَ فِيْمَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ

1423 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقَطَعِيُّ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ.

इमाम तिर्मिजी (रह. फ. ३) फ़रमाते हैं: सय्यदना अली (रह. फ. ३) की हदीस इस सनद के साथ हसन ग़रीब है। नीज़ अली (रह. फ. ३) से कई सनदों के साथ नबी (रह. फ. ३) से मर्वी है और बाज़ (कुछ) ने यह ज़िक्र किया है कि लड़के से क़लम उठा लिया गया है यहाँ तक कि वह जवान हो जाए और हसन का अली बिन अबी तालिब (रह. फ. ३) से सिमा (सुनना) हमारे इल्म में नहीं है।

यह हदीस अता बिन साइब से भी बवास्ता अबू ज़िब्यान, सय्यदना अली बिन अबी तालिब (रह. फ. ३) से इसी तरह मर्वी है और उन्होंने आमश से बवास्ता अबू ज़िब्यान, सय्यदना इब्ने अब्बास और अली (रह. फ. ३) से मौकूफ़ रिवायत की है मर्फू ज़िक्र नहीं की। नीज़ बाज़ (कुछ) उलमा का इसी हदीस पर अमल है।

इमाम तिर्मिजी (रह. फ. ३) फ़रमाते हैं: हसन बसरी (रह. फ. ३), अली (रह. फ. ३) के दौर में थे, उनका ज़माना पाया लेकिन उन से सिमा (सुनना) करना हमारे इल्म में नहीं है। और अबू ज़िब्यान का नाम हुसैन बिन जुन्दुब है।

2 - हुदूद को साकित करना.

1424 - सय्यदा आयशा (रह. फ. ३) रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह (रह. फ. ३) ने फ़रमाया, "हस्बे इस्तिताअत मुसलमानों से हदों को दूर करो।⁽¹⁾ पस अगर उसके लिए कोई निकलने का रास्ता हो तो उसका रास्ता छोड़ दो बेशक हाकिम का माफ़ करने में ग़लती करना सज़ा देने में ग़लती करने से बेहतर है।"

ज़ईफ़: बैहक्की: 8/238.

2 بَابُ مَا جَاءَ فِي ذَرِّهِ الْحُدُودِ

1424 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ أَبُو عَمْرٍو الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَيْبَعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ الدَّمَشْقِيُّ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْرَعُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُحْطَى فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُحْطَى فِي الْعُقُوبَةِ.

तौज़ीह: (1) यानी हाकिम के पास जाने से पहले आपस में सुलह वग़ैरह की कोशिश करो।

वज़ाहत: अबू ईसा (रह. फ. ३) कहते हैं: हमें हन्नाद ने वह कहते हैं: हमें वकीअ ने यज़ीद बिन ज़ियाद से मुहम्मद बिन रबीआ की हदीस जैसी हदीस बयान की है लेकिन वह मर्फू नहीं है।

इस मसले में अबू हुरैरा और अब्दुल्लाह बिन अम्म (रह. फ. ३) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिजी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: आयशा (رضي الله عنها) की हदीस सिर्फ़ मुहम्मद बिन रबीआ की सनद से यज़ीद बिन ज़ियाद दमिश्की से बवास्ता ज़ोहरी, उर्वा से बवास्ता आयशा नबी (ﷺ) से मफू मर्वी है।

वकीअ ने यज़ीद बिन ज़ियाद से इसी तरह रिवायत की है लेकिन वह मफू नहीं है और वकीअ की रिवायत ज़्यादा सहीह है क्योंकि नबी (ﷺ) के कई सहाबा से मर्वी है कि वह ऐसे ही कहते हैं।

नीज़ यज़ीद बिन ज़ियाद दमिश्की हदीस में ज़ईफ़ है और यज़ीद बिन अबी ज़ियाद अल-कूफी ज़्यादा बेहतर और पहले का रावी है।

3 - मुसलमान के ऐब छिपाना.

3 بَابُ مَا جَاءَ فِي السِّرِّ عَلَى الْمُسْلِمِ

1425 - सय्यदना अबू हरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "जिसने किसी मुसलमान की दुनिया की तकलीफ़ों में से किसी तकलीफ़ को दूर किया अल्लाह तआला उसकी आख़िरत की तकलीफ़ों में से कोई तकलीफ़ दूर कर देगा और जिसने किसी मुसलमान के ऐब छिपाए अल्लाह तआला उसके ऐबों को दुनिया और आख़िरत में छिपाएगा और अल्लाह तआला बन्दे की मदद में होता है जब तक बन्दा अपने भाई की मदद में होता है।"

1425 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ، مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

मुस्लिम: 2699. अबू दाऊद: 4946. इब्ने माजा: 225.

वज़ाहत: इस मसले में उक़बा बिन आमिर और इब्ने उमर (رضي الله عنهما) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिजी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: अबू हरैरा (رضي الله عنه) की हदीस को कई रावियों ने आमश से बवास्ता अबू सालेह, सय्यदना अबू हरैरा (رضي الله عنه) से अबू अवाना की हदीस की तरह रिवायत की है।

और अस्बात बिन मुहम्मद ने आमश से रिवायत करते वक़्त कहा है कि मुझे अबू सालेह की तरफ़ से बवास्ता अबू हरैरा (رضي الله عنه) नबी (ﷺ) से हदीस बयान की गई है। और यह पहली हदीस से ज़्यादा सहीह है।

हमें यही हदीस अस्बात बिन मुहम्मद ने बयान की कि मुझे मेरे बाप ने आमश से रिवायत की है।

1426 - सालिम अपने बाप से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "मुसलमान, मुसलमान का भाई है। न उस पर जुल्म करता है और न उसे किसी दुश्मन के हवाले करता है और जो शरूअ अपने भाई की ज़रूरत को पूरा करने में रहता है अल्लाह तआला उसकी ज़रूरत को पूरा करने में रहता है और जिसने किसी मुसलमान से तकलीफ़ हटाई अल्लाह तआला क़यामत के दिन उस की तकलीफ़ को हटा देगा और जिसने किसी मुसलमान की पर्दापोशी की अल्लाह तआला क़यामत के दिन उसके ऐब छिपाएगा।

बुखारी: 2442. मुस्लिम: 2580. अबू दाऊद: 4893.

वज़ाहत: इमाम तिमिजी (رحمته) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर (رضي الله عنه) की सनद से यह हदीस हसन सहीह गरीब है।

4 - हद नाफ़िज़ करने से पहले⁽¹⁾ तल्फ़ीन करना.

1427 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने माइज़ बिन मालिक (رضي الله عنه) से फ़रमाया, "तुम्हारी जो बात मुझे पहुंची है क्या वह सच है? उसने कहा: मेरी तरफ़ से क्या बात आपको पहुंची है? आप (ﷺ) ने फ़रमाया, "मुझे पता चला है कि तूने आले फुलों की लड़की से ज़िना किया है?" उसने कहा: "जी हाँ" फिर उसने चार गवाहियां दी तो आप (ﷺ) ने हुक्म दिया तो उसे रज्म कर दिया गया।

मुस्लिम: 1693. अबू दाऊद: 4425.

1426 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

4 بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّلْفِينِ فِي الْحَدِّ

1427 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ: أَحَقُّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ؟ قَالَ: وَمَا بَلَغَكَ عَنِّي؟ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّكَ وَقَعْتَ عَلَى جَارِيَةِ آلِ فُلَانٍ، قَالَ: نَعَمْ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ فَرَجِمَ.

तौज़ीह: (1) तल्कीन: कोई बात समझाना, याद देहानी कराना, तहकीक के तौर पर इस्तिफसार करना।

वज़ाहत: इस मसले में साइब बिन यज़ीद (رضی اللہ عنہ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तर्मिज़ी (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) की हदीस हसन सहीह है। और शोबा ने इस हदीस को सिमाक बिन हर्ब के ज़रिए सईद बिन जुबैर से मुसल रिवायत किया है इसमें इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) का ज़िक्र नहीं किया।

5 - गुनाह का एतराफ़ करने वाला अपनी बात से फिर जाए तो हद खत्म हो जाती है.

5 بَابُ مَا جَاءَ فِي ذَرْءِ الْحَدِّ عَنِ الْمُعْتَرِفِ إِذَا رَجَعَ

1428 - अबू हुरैरा (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि माइज़ अल अस्लमी रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आकर कहने लगे कि उसने ज़िना किया है, तो आप (ﷺ) ने उस से चेहरा फेर लिया, फिर वह दूसरी जानिब से आए कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! उस ने ज़िना किया है। तो आप ने चेहरा फेर लिया, फिर वह दूसरी जानिब से आए और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! उसने ज़िना किया है। तो चौथी मर्तबा आपने उनके बारे में हुक्म दिया, उन्हें हर्रा की तरफ़ निकाला गया और पत्थरों से रज्म किया गया जब उन्होंने पत्थरों की तकलीफ़ महसूस की तो भागे, यहाँ तक कि एक आदमी के पास से गुज़रे उसके पास ऊँट की ठोड़ी⁽¹⁾ की हड्डी थी तो उसने उनको वह दे मारी और लोगों ने भी मारा, यहाँ तक कि वह फौत हो गए। फिर लोगों ने नबी (ﷺ) से ज़िक्र किया कि जब उनको मौत और पत्थरों की तकलीफ़ हुई थी तो वह भागे थे। अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया, "तुमने उसे छोड़ क्यों नहीं दिया?"

1428 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ مَا عَزَّ الْأَسْلَمِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ زَنَى، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَ مِنْ شِقِّهِ الْآخِرِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ قَدْ زَنَى، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَ مِنْ شِقِّهِ الْآخِرِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ قَدْ زَنَى، فَأَمَرَ بِهِ فِي الرَّابِعَةِ، فَأُخْرِجَ إِلَى الْحَرَّةِ فَرَجِمَ بِالْحِجَارَةِ، فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ فَرَّ يَسْتَدُّ، حَتَّى مَرَّ بِرَجُلٍ مَعَهُ لُحْيٌ جَمَلٍ فَضَرَبَهُ بِهِ، وَضَرَبَهُ النَّاسُ حَتَّى مَاتَ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَرَّ حِينَ وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ وَمَسَّ الْمَوْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلَّا تَرَكَتُمُوهُ.

सहीह: इब्ने माजा: 2554. अबू दाऊद: 4428.

तौजीह: لَحْيُ : हर दाढ़ वाले इंसान या जानवर की दो हड्डियां; जिन में दांत होते हैं और जَمَل ऊंट को कहते हैं। (देखिये अल-मोजमुल वसीत: पृ. 991)

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अबू हुरैरा (رضي) से कई सनदों के साथ मर्वी है। नीज़ यह हदीस ज़ोहरी से भी बवास्ता अबू सलमा, सय्यदना जाबिर (رضي) के ज़रिए नबी(ﷺ) से इसी तरह मर्वी है।

1429 - सय्यदना जाबिर (رضي) से रिवायत है कि असलम कबीले के एक आदमी ने नबी(ﷺ) के पास आकर ज़िना का एतराफ़ किया तो आप(ﷺ) ने उससे अपना चेहरा फेर लिया उसने फिर एतराफ़ किया, आप(ﷺ) ने अपना चेहरा फेर लिया। यहाँ तक कि उसने अपने ख़िलाफ़ चार गवाहियां दीं तो नबी(ﷺ) ने फ़रमाया; क्या तुम पागल हो? उसने कहा: "नहीं" आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "शादी शुदा हो? उसने कहा: "जी हाँ" तो आप(ﷺ) ने उसके बारे में हुक्म दिया, तो उसे इंदगाह में रज्म (संगसार) किया गया जब उसे पत्थर लगे वह भागा तो उसे पकड़ा गया और पत्थर मारे गये यहाँ तक कि वह मर गया। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उसके बारे में भलाई के कलिमात (बातें) कहे और उसकी नमाज़े जनाज़ा नहीं पढ़ी।⁽¹⁾

मुस्लिम: 1691. अबू दाऊद: 4430. निसाई: 1956.

तौजीह: (1) यह किस्सा भी सय्यदना माइज़ बिन मालिक अल अस्लमी (رضي) का ही है जिसका ज़िक्र पिछली हदीस में भी हुआ है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और बाज़ (कुछ) उलमा का इसी पर अमल है कि ज़िना का एतराफ़ करने वाला जब अपने ख़िलाफ़ चार मर्तबा इकरार करे तो उस पर हद क़ायम हो जाएगी। यह कौल अहमद और इस्हाक़ का है।

जबकि बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं: अपने ख़िलाफ़ एक मर्तबा इकरार कर ले तो उसको हद

1429 - حَدَّثَنَا بِذَلِكَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْتَرَفَ بِالزُّنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ اعْتَرَفَ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبُكَ جُنُونٌ، قَالَ: لَا، قَالَ: أَحْصَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ، فَرَجِمَ بِالْمُصَلَى، فَلَمَّا أَدْلَقْتَهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ، فَأَذْرَكَ، فَرَجِمَ حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ.

लगा दी जाएगी। यह कौल मालिक बिन अनस और शाफेई का है। और उनकी दलील सय्यदना अबू हुरैरा (رضی اللہ عنہ) और जैद बिन खालिद (رضی اللہ عنہ) की हदीस है कि दो आदमी रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास मुकद्दमा लेकर आए एक ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे बेटे ने उसकी बीवी के साथ ज़िना किया है। यह तवील (लम्बी) हदीस है।

और नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, ऐ उनैस! तुम सुबह जल्दी उस आदमी की बीवी के पास जाओ। अगर वह एतराफ़ कर ले तो उसे रज्म कर देना” और आप(ﷺ) ने यह नहीं फ़रमाया कि अगर वह चार मर्तबा एतराफ़ करे।

6-अल्लाह की हदों में सिफ़ारिश करना मना है

1430 - सय्यदा आयशा (رضی اللہ عنہا) बयान करती हैं कि कुरैशियों को उस मखज़ूमिया औरत की फ़िक्र लाहिक हुई जिसने चोरी की थी। उन्होंने आपस में कहा: इस बारे में रसूलुल्लाह(ﷺ) से कौन बात कर सकता है? तो वह कहने लगे: इसकी हिम्मत रसूलुल्लाह(ﷺ) का महबूब उसामा बिन जैद (رضی اللہ عنہ) ही कर सकता है तो उसामा ने आप से बात की। अल्लाह के रसूल(ﷺ) ने फ़रमाया, “क्या तुम अल्लाह के हदों में से एक हद में सिफ़ारिश करते हो?” फिर आप खड़े हुए खुत्बा दिया और फ़रमाया, “तुम से पहले लोग इसी लिए हलाक हुए कि जब उन में से कोई बड़ा आदमी चोरी कर लेता उसे छोड़ देते और जब कोई कमज़ोर आदमी चोरी करता तो उस पर हद कायम कर देते और अल्लाह की क़सम! अगर फातिमा बिनते मुहम्मद भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट देता।”

बुखारी: 3733. मुस्लिम: 1688. अबू दाऊद: 4373.
इब्ने माजा: 2547. निसाई: 4895.

6 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يُشْفَعَ فِي الْحُدُودِ

1430 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْرُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالُوا: مَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حُبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَلَّمَهُ أَسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَشْفَعُ فِي خَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِيمَ اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا.

वज़ाहत: इस मसले में मसऊद बिन अज्मा, इब्ने उमर और जाबिर (رضی اللہ عنہ) से भी मर्वी है।

वज़ाहत: इमाम तिरमिजी (رحمۃ اللہ علیہ) فرमाते हैं: आयशा (رضی اللہ عنہا) की हदीस हसन सहीह है और मसऊद बिन अज्मा को मसऊद बिन आजम भी कहा जाता है उनकी यही एक हदीस है।

7 - रज्म करना साबित है.

1431 - सय्यदना उमर बिन खत्ताब (رضی اللہ عنہ) ने फ़रमाया, "रसूलुल्लाह (ﷺ) और अबू बकर ने रज्म किया और मैंने भी रज्म किया। अगर मैं किताबुल्लाह में कोई चीज़ बढ़ाने को नापसंद न करता तो मैं इसको कुरआन में लिख देता। बेशक मुझे डर है कि कुछ लोग आयें वह इस रज्म को किताबुल्लाह में न पाएँ तो इसका इनकार कर दें।"

सहीह: मुसनद अहमद: 1/36. इब्ने अबी शैबा: 10/77.

वज़ाहत: इस मसले में सय्यदना अली (رضی اللہ عنہ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिरमिजी (رحمۃ اللہ علیہ) फ़रमाते हैं: उमर बिन खत्ताब (رضی اللہ عنہ) की हदीस हसन सहीह है और दीगर सनदों से भी उमर (رضی اللہ عنہ) से मर्वी है।

1432 - सय्यदना उमर बिन खत्ताब (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है उन्होंने फ़रमाया, बेशक अल्लाह तआला ने मुहम्मद (ﷺ) को हक़ देकर भेजा और उन पर किताब (कुरआन हकीम) नाजिल फ़रमाई जो आप (ﷺ) पर नाजिल किया उस में रज्म की आयात भी थी तो अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने रज्म भी किया आप के बाद हमने भी रज्म किया और मुझे डर है कि लोगों में तवील (लम्बा) वक्त गुज़र जाए तो कोई कहने

7 بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْقِيقِ الرَّجْمِ

1431 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُونُسَ الْأَزْرَقِيُّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَجَمَ أَبُو بَكْرٍ، وَرَجَمْتُ، وَلَوْلَا أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُزِيدَ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَكُنْتُ فِي الْمُصْحَفِ، فَإِنِّي قَدْ خَشِيتُ أَنْ تَحِيءَ أَقْوَامٌ فَلَا يَجِدُونَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَكْفُرُونَ بِهِ.

1432 - حَدَّثَنَا سَلْمَةُ بْنُ شَيْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، وَعُمَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُيَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ فِيهَا أَنْزَلَ

वाला कहे: हम किताबुल्लाह में रज्म का हुक्म नहीं पाते तो वह अल्लाह के नाज़िलकर्दा फ़रीज़े को छोड़ने की वजह से गुमराह हो जायेंगे।

बुखारी: 6829. मुस्लिम: 1691. अबू दाऊद: 4418. इब्ने माजा: 2553.

عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ، فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، وَإِنِّي خَائِفٌ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ، فَيَقُولَ قَائِلٌ: لَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، أَلَّا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ، وَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ حَمْلٌ أَوْ اعْتِرَافٌ.

खबरदार! रज्म शादी शुदा जानी पर साबित है जब दलील कायम हो जाए या हमल वाज़ेह हो जाए या एतराफ़ कर ले।

वज़ाहत: इस मसले में अली (ؓ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तर्मिज़ी (ؒ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और दीगर सनदों से भी उमर (ؓ) से मर्वी है।

8 - रज्म शादी शुदा पर है.

1433 - अबूदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उतबा (ؓ) से रिवायत है कि उन्होंने अबू हुरैरा, ज़ैद बिन ख़ालिद और शिब्ल (ؓ) से सुना कि वह नबी करीम (ﷺ) के पास थे तो आप के पास दो आदमी मुकद्दमा लेकर आए एक आप (ﷺ) के सामने खड़ा हुआ और कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! मैं आपको अल्लाह की क़सम देता हूँ, आप हमारे दर्मियान किताबुल्लाह के साथ फ़ैसला कीजियेगा। उसके मुहड़ ने कहा जो उससे ज़्यादा समझदार था। जी हौं, ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! आप हमारे दर्मियान किताबुल्लाह के साथ फ़ैसला कीजियेगा और मुझे इजाज़त दीजिये मैं बात

8 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجْمِ عَلَى النَّبِيِّ

1433 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ، سَمِعَهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَشِبْلٍ، أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ، فَقَامَ إِلَيْهِ أَحَدُهُمَا، وَقَالَ: أَتَشُدُّكَ اللَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمَا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ؟ فَقَالَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهُ مِنْهُ: أَجَلُ يَا رَسُولَ

करता है: मेरा बेटा इस आदमी के पास मजदूर था तो उसने उसकी बीवी के साथ ज़िना किया तो लोगों ने मुझे बताया कि मेरे बेटे पर रज्म वाजिब है। मैंने उसकी तरफ से एक सौ बकरियों और एक खादिम का फिदया दिया फिर मैं कुछ उलमा से मिला तो उन्होंने बताया कि मेरे बेटे पर सौ कोड़े और एक साल की जला वतनी है। रज्म इसकी बीवी पर है। नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, "उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं तुम दोनों के दर्मियान ज़रूर किताबुल्लाह के साथ फ़ैसला करूंगा, सौ बकरियां और खादिम तुम्हें वापस गए, और तुम्हारे बेटे पर सौ कोड़े और एक साल की जला वतनी है, और उनैस! तुम सुबह जल्दी उस आदमी की बीवी के पास जाओ अगर वह ज़िना का एतराफ़ कर ले तो उसे रज्म कर देना। उनैस सुबह जल्दी उस के पास गए उस ने एतराफ़ कर लिया तो उन्होंने उसे रज्म कर दिया।

اللّٰهُ، اَقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ، وَاثَدُنْ لِي فَاَتَكَلَّمُ: اِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيْفًا عَلٰى هٰذَا، فَرَزْنِيْ بِاَمْرَاتِهِ، فَاخْبِرُونِيْ اَنْ عَلٰى ابْنِي الرَّجْمُ، فَقَدِيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، ثُمَّ لَقِيْتُ نَاسًا مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ، فَرَعَمُوا اَنْ عَلٰى ابْنِيْ جَلْدٌ مِّائَةٌ، وَتَغْرِيْبٌ عَامٍ، وَاِنَّمَا الرَّجْمُ عَلٰى اِمْرَاةٍ هٰذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، لَا اَقْضِيْنَ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّٰهِ، الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلٰى ابْنِكَ جَلْدٌ مِّائَةٌ، وَتَغْرِيْبٌ عَامٍ، وَاَعْدُ يَا اُنَيْسُ عَلٰى اِمْرَاةٍ هٰذَا، فَاِنْ اعْتَرَفْتَ فَاَرْجُمُهَا، فَعَدَا عَلَيْهَا، فَاَعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا.

बुख़ारी: 2314. मुस्लिम: 1697. अबू दाऊद: 2445.
इब्ने माजा: 2549. निसाई: 5410.

वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें इस्हाक़ बिन मूसा अंसारी (ﷺ) ने वह कहते हैं: हमें मअन ने वह कहते हैं: मालिक ने इब्ने शिहाब से उन्होंने उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह से बवास्ता अबू हुरैरा और ज़ैद बिन ख़ालिद जुहनी (ﷺ) नबी करीम (ﷺ) से इसी मफहूम की हदीस बयान की है।

अबू ईसा कहते हैं: हमें कुतैबा ने वह कहते हैं हमें लैस ने इब्ने शिहाब से उनकी सनद के साथ मालिक की बयान कर्दा हदीस की तरह रिवायत की है।

इस मसले में अबू बकर, उबादा बिन सामित, अबू हुरैरा, अबू सईद, इब्ने अब्बास, जाबिर बिन समुरा, हज़ाल, बुरैदा, सलमा बिन महबक़ अबू ज़र और इमरान बिन हुसैन (ﷺ) से भी मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा और ज़ैद बिन ख़ालिद (ﷺ) की हदीस हसन सहीह है। नीज़ मालिक बिन अनस और मामर वगैरह ने भी ज़ोहरी से बवास्ता उबैदुल्लाह बिन

अब्दुल्लाह बिन उत्बा, अबू हुरैरा और जैद बिन खालिद (رضي الله عنه) के जरिए नबी करीम (ﷺ) से रिवायत की है। और उन्होंने इसी सनद के साथ नबी करीम (ﷺ) ने यह रिवायत भी की है कि आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “ जब लौंडी ज़िना करे तो उसे कोड़े मारो अगर वह चौथी दफ़ा ज़िना करे तो उसे बेच दो ख़्वाह बालों की एक रस्सी के एवज़ ही। ”

और सुफ़ियान बिन उयय्ना ज़ोहरी से बवास्ता अबैदुल्लाह, अबू हुरैरा, जैद बिन ख़ालिद और शहल (رضي الله عنه) से रिवायत की है। यह फ़रमाते हैं: हम नबी (ﷺ) के पास थे। इसी तरह इब्ने उयय्ना ने दोनों हदीसों अबू हुरैरा, जैद बिन ख़ालिद और शिब्ल (رضي الله عنه) से रिवायत की हैं और इब्ने उयय्ना की हदीस वहम है इस में सुफ़ियान बिन उयय्ना ने वहम करते हुए एक हदीस को दूसरी हदीस में दाखिल कर दिया है।

सहीह हदीस वह है जिसे मुहम्मद बिन वलीद अज्जुबैदी, यूनुस बिन यज़ीद और जोहरी के भतीजे ने ज़ोहरी से बवास्ता अबैदुल्लाह, सय्यदना अबू हुरैरा और सय्यदना जैद बिन ख़ालिद (رضي الله عنه) से रिवायत किया है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “ जब लौंडी ज़िना करे तो उसे कोड़े मारो। ” और ज़ोहरी ने अबैदुल्लाह से बवास्ता शिब्ल बिन ख़ालिद, अब्दुल्लाह बिन मालिक औसी से रिवायत की है कि नबी (ﷺ) से रिवायत करते हैं, यह बात सहीह है और इब्ने उयय्ना की हदीस ग़ैर महफूज़ है।

उन (इब्ने उयय्ना) से यह भी मर्वी है कि उन्होंने शिब्ल बिन हामिद कहा यह भी ग़लती है क्योंकि वह शिब्ल बिन ख़ालिद हैं। इसी तरह उन्हें शिब्ल बिन खुलैद भी कहा जाता है।

1434 - सय्यदना उबादा बिन सामित (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया: “ मुझ से यह बात ले लो यकीनन अल्लाह तआला ने उन औरतों के लिए रास्ता बना दिया है: शादी शुदा, शादी शुदा से ज़िना करे तो सौ कोड़े फिर रज्म कर दिया जाए और कुंवारा कुंवारी से ज़िना करे तो सौ कोड़े और एक साल की जला वतनी है। ”

मुस्लिम: 1690। अबू दाऊद: 4415। इब्ने माजा: 2550।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और नबी (ﷺ) के बाज़ (कुछ) उलमा सहाबा जिन में अली बिन अबी तालिब, उबय बिन काब और अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) वग़ैरह भी शामिल हैं, इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि शादी शुदा को कोड़े लगा कर रज्म किया

1434 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُثَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذُوا عَنِّي، فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جُلْدٌ مِائَةٍ، ثُمَّ الرَّجْمُ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جُلْدٌ مِائَةٍ وَتَفِي سَنَةً.

जाए कुछ उलमा भी इस तरफ गए हैं, इस्हाक का भी यही कौल है।

जब कि नबी (ﷺ) के बाज़ (कुछ) उलमा सहाबा (رضي الله عنهم) जिन में अबू बकर व उमर (رضي الله عنهما) भी हैं, कहते हैं कि शादी शुदा पर सिर्फ रज्म है उसे कोड़े न मारे जाएँ और ऐसी ही चीज़ नबी (ﷺ) से माइज वगैराह के वाकियात में से कई अहादीस के अन्दर मर्वी है कि आपने रज्म का हुक्म दिया था और रज्म से पहले कोड़े के मारने का हुक्म नहीं दिया।

नीज़ बाज़ (कुछ) उलमा का इसी पर अमल है, सुफ़ियान सौरी, इब्ने मुबारक, शाफेई और अहमद (رضي الله عنهم) का भी यही कौल है।

9 - हामिला को रज्म करने से पहले बच्चा जन्म देने का इन्तिज़ार किया जाए.

1435 - सय्यदना इमरान बिन हुसैन (رضي الله عنه) से रिवायत है कि जुहैना कबीले की एक औरत ने नबी (ﷺ) के सामने ज़िना का एतराफ़ किया और उसने कहा मैं हामिला हूँ तो नबी (ﷺ) ने उसके बली (वारिस) को बुलाया और फ़रमाया, "इससे अच्छा सुलूक करो जब यह अपना हमल जन्म दे दे तो मुझे बताना तो उसने ऐसे ही किया, आप (ﷺ) ने उस औरत के बारे में हुक्म दिया उस पर उसके कपड़े अच्छी तरह बाँध दिए गए, फिर आप (ﷺ) ने उसे रज्म करने का हुक्म दिया तो उसे रज्म कर दिया गया। फिर आप (ﷺ) ने उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ी तो उमर बिन खत्ताब (رضي الله عنه) ने आप से कहा: हे अल्लाह के रसूल! आपने इसे रज्म किया, फिर आप उसकी नमाज़े जनाज़ा भी पढ़ रहे हैं? तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, " इस ने ऐसी सच्ची तौबा की है कि अगर मदीना के सत्तर आदमियों

9 بَابُ تَرْبُصِ الرَّجْمِ بِالْحُبْلَى حَتَّى تَضَع

1435 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ اعْتَرَفَتْ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّزَا، فَقَالَتْ: إِنِّي حُبْلَى، فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَّهَا، فَقَالَ: أَحْسِنِ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَأَخْبِرْنِي، ففَعَلَ، فَأَمَرَ بِهَا، فَشَدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِرَجْمِهَا، فَرَجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَجِمْتَهَا ثُمَّ تَصَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ: لَقَدْ

के दर्मियान भी तक्सीम की जाए तो उनको काफी होगी। " क्या तुमने इस से बढ़कर कोई चीज़ पायी है कि उस औरत ने अपनी जान उस अल्लाह की बख्शिाश हासिल करने के लिए कुर्बान कर दी।

मुस्लिम: 1696. अबू दारुद: 4440. इब्ने माजा: 2555. निसाई: 1957.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (रह. फ. क.) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है

10 - अहले किताब को रज्म करना.

1436 - सय्यदना इब्ने उमर (रह. फ. क.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (रह. फ. क.) ने एक यहूदी मर्द और औरत को रज्म किया था।

बुखारी: 1329. मुस्लिम: 1699. अबू दारुद: 4446. इब्ने माजा: 2556.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (रह. फ. क.) फ़रमाते हैं: इस हदीस में एक वाक़िया भी है। यह हदीस हसन सहीह है।

1437 - सय्यदना जाबिर बिन समुरा (रह. फ. क.) से रिवायत है कि नबी (रह. फ. क.) ने एक यहूदी मर्द और औरत को रज्म किया था।

सहीह: इब्ने माजा: 2557. मुसनद अहमद: 5/91. इब्ने अबी शैबा: 5006.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने उमर, बराअ, जाबिर, इब्ने अबी औफ़ा, अब्दुल्लाह बिन हारिस बिन जुज़ और इब्ने अब्बास (रह. फ. क.) से भी मर्वी है।

इमाम तिर्मिजी (रह. फ. क.) फ़रमाते हैं: जाबिर बिन समुरा (रह. फ. क.) की हदीस हसन गरीब है और जुमहूर उलमा इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि अगर अहले किताब अपने मुक़द्दमात मुसलमानों के हाकिमों के पास ले कर आयें तो वह उनके दर्मियान किताब और सुन्नत और मुसलमानों वाले अहकाम के साथ फ़ैसला करेंगे। इमाम अहमद और इस्हाक़ (रह. फ. क.) का भी यही कौल है।

تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قَسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ
الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ شَيْئًا أَفْضَلَ
مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ.

10 بَابُ مَا جَاءَ فِي رَجْمِ أَهْلِ الْكِتَابِ

1436 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ،
قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ،
عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً.

1437 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ
سِمَاكِ بْنِ خَرَبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا
وَيَهُودِيَّةً.

जबकि बाज़ (कुछ) कहते हैं: जिना में उनके ऊपर हद कायम नहीं की जाएगी। लेकिन पहला कौल सहीह है।

11 - जला वतन करना

1438 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने (कुंवारे जानी को) कोड़े मारे और जला वतन किया, अबू बकर (رضي الله عنه) ने भी कोड़े मारे और जला वतन किया और उमर (رضي الله عنه) ने भी कोड़े मारे और जला वतन किया। सहीह.

11 بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّفْيِ

1438 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَيَحْيَى بْنُ أَكْثَمٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ.

वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरैरा, ज़ैद बिन ख़ालिद और उबादा बिन सामित (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर (رضي الله عنه) की हदीस ग़रीब है। कई रावियों ने इसे अब्दुल्लाह बिन इदरीस से मर्फू बयान किया है।

और बाज़ (कुछ) ने इस हदीस को अब्दुल्लाह बिन इदरीस से बवास्ता अब्दुल्लाह, नाफ़े के ज़रिए इब्ने उमर (رضي الله عنه) से रिवायत किया है कि अबू बकर (رضي الله عنه) ने कोड़े मारे और जला वतन किया और उमर (رضي الله عنه) ने भी कोड़े मारे और जला वतन किया।

अबू ईसा कहते हैं: यही रिवायत हमें अबी सईद अशज ने अब्दुल्लाह बिन इदरीस से बयान की है और यह हदीस इब्ने इदरीस से कई इस्नाद के साथ इब्ने उमर (رضي الله عنه) से इसी तरह मर्वी है।

मुहम्मद बिन इस्हाक़ ने भी नाफ़े से रिवायत की है कि इब्ने उमर (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: बेशक अबू बकर (رضي الله عنه) ने कोड़े मारे और जला वतन किया और उमर (رضي الله عنه) ने भी कोड़े मारे और जला वतन किया, और इसमें नबी (ﷺ) का जिक्र नहीं किया, लेकिन रसूलुल्लाह (ﷺ) से सहीह सनद के साथ जला वतनी साबित है। इसे अबू हुरैरा, ज़ैद बिन ख़ालिद और उबादा बिन सामित (رضي الله عنه) वग़ैरह ने नबी (ﷺ) से रिवायत किया है। नीज़ नबी (ﷺ) के उलमा सहाबा का, जिन में अबू बकर, उमर, अली, अली बिन काब और अब्दुल्लाह बिन मसऊद और अबू ज़र (رضي الله عنه) वग़ैरह भी शामिल हैं, इसी पर अमल है। और बहुत से फुक्रहा तावेईन से भी इसी तरह मर्वी है। सुफ़ियान सौरी, मालिक बिन अनस, अब्दुल्लाह बिन मुबारक, शाफ़ेई अहमद और इस्हाक़ (رحمته الله) भी इसी के कायल हैं।

12 - जिस को हद लग जाए वह हद उस के लिए गुनाह का कफ़ारा है.

12 بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْحُدُودَ كَفَّارَةٌ لِأَهْلِهَا

1439 - सय्यदना उबादा बिन सामित (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि हम एक मजलिस में नबी (ﷺ) के पास थे तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “मुझ से इस शर्त पर बैअत करो कि तुम अल्लाह के साथ कुछ भी शरीक नहीं करोगे और न ज़िना करोगे आप ने उन्हें आयत भी पढ़ कर सुनाई। “पस तुम में से जो शख्स इस अहद को पूरा करेगा उसका अज़्र अल्लाह के ज़िम्मे है।” और जिसने इनमें से कोई काम किया और उसे सज़ा दे दी गई तो वह उसका कफ़ारा है और जिसने उनमें से कोई काम किया और अल्लाह तआला ने उस पर पर्दा रखा तो वह मामला अल्लाह की तरफ़ है अगर चाहे उसे अज़ाब दे और अगर चाहे उसे बख़्श दे।

1439 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ، فَقَالَ: تَبَايَعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تُسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، قَرَأَ عَلَيْهِمُ الْآيَةَ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ عَلَيْهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَذِّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ.

बुखारी: 18. मुस्लिम: 1709. इब्ने माज़ा: 2603. निसाई: 4161.

वज़ाहत: इस मसले में अली, जरीर बिन अब्दुल्लाह और खुजैमा बिन साबित (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: उबादा बिन सामित (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

इमाम शाफ़ेई (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: हद के कफ़ारा होने के मसले में मैंने इस से उम्दा हदीस नहीं सुनी। और फ़रमाते हैं: मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि जिससे गुनाह हो जाए अल्लाह तआला उस पर पर्दा रखे तो उसे भी अपने आप पर पर्दा रखना चाहिए और तन्हाई में अपने रब से तौबा कर ले। नोज़ अबू बकर और उमर (رضي الله عنه) से भी मर्वी है कि इन दोनों ने एक आदमी को हुक्म दिया था कि अपने ऊपर पर्दा रखे।

13 - लौंडियों पर हद कायम करना.

1440 - सख्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, " तुम में से किसी शख्स की लौंडी जब ज़िना करे तो वह उसे तीन मर्तबा तक किताबुल्लाह के हुक्म के मुताबिक़ कोड़े मारे, पस अगर चौथी मर्तबा फिर ज़िना करे तो उसे बेच दे अगरचे बालों की रस्सी के एवज़ ही फ़रोख़्त करनी पड़े। "

बुख़ारी: 2152. मुस्लिम: 1703. अबू दारूद: 4969, 4971. इब्ने माजा: 2565.

वज़ाहत: इस मसले में अली, अबू हुरैरा, ज़ैद बिन ख़ालिद और शिब्ल की अब्दुल्लाह बिन मालिक अल औसी (رضي الله عنه) से भी रिवायत है।

इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और कई इस्नाद से मर्वी है।

नीज़ नबी (ﷺ) के सहाब-ए-किराम (رضي الله عنهم) और दीगर लोगों में से बाज़ (कुछ) उलमा इसी पर अमल करते हुए राय देते हैं कि आदमी सुल्तान (क्त के बादशाह) के पास ले जाए बौर अपने गुलाम पर हद कायम कर सकता है। इमाम अहमद और इस्हाक़ (رحمته الله) का भी यही कौल है। जबकि बाज़ (कुछ) कहते हैं कि उसका मुक़द्दमा हाकिम के सामने पेश किया जाए और वह खुद हद न लगाए लेकिन पहला कौल सहीह है।

1441 - अबू अब्दुर्रहमान सुलामी रिवायत करते हैं कि अली (رضي الله عنه) ने खुत्बा देते हुए फ़रमाया, " ऐ लोगो! अपने शादी शुदा और ग़ैर शादी शुदा गुलामों पर हदें कायम करो, बेशक रसूलुल्लाह (ﷺ) की एक लौंडी ने ज़िना किया था तो आप (ﷺ) ने मुझे हुक्म दिया था कि मैं उसे कोड़े मारूं। मैं उसके पास गया तो उसने करीब ही वक्त बच्चा जना था मैं डरा कि अगर मैंने उसे कोड़े मारे तो यह मर जाएगी। मैं

13 بَابُ مَا جَاءَ فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى الْإِمَاءِ

1440 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا زَنَتْ أُمَّةٌ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا ثَلَاثًا بِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَبْعِهَا، وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَعْرٍ.

1441 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: خَطَبَ عَلِيُّ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى أَرْقَائِكُمْ مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ، وَإِنَّ أُمَّةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

अल्लाह के रसूल (ﷺ) के पास गया और आप से इस बात का तजकिया किया तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, तुमने अच्छा किया।”

मुस्लिम: 1705. अबू दाऊद: 4473.

وَسَلَّمَ زَنْتٌ فَأَمَرَنِي أَنْ أُجَلِّدَهَا، فَأَتَيْتُهَا فَأَذَا هِيَ حَدِيثُهُ عَهْدٌ بِنِيفَاسٍ، فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا، أَوْ قَالَ: تَمُوتُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: أَحْسَنْتَ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और सुद्दी का नाम इस्माईल बिन अब्दुर्रहमान है उनका शुमार ताबेईन में होता है। उन्होंने अनस बिन मालिक (رضي) से अहादीस सुनीं और हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब (رضي) को देखा था।

14 - नशा करने वाले की हद.

14 بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ السُّكْرَانِ

1442 - सय्यदना अबू सईद खुदरी (رضي) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने चालीस जूते मार कर हद लगाई। मिस्रर कहते हैं: मेरे ख़याल में शराब पीने की वजह से।

ज़ईफ़: मुसनद अहमद: 323. इब्ने अबी शैबा: 9/ 548.

1442 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ زَيْدِ الْعَمِيِّ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ الْحَدَّ بِنِغْلَيْنِ أَرْبَعِينَ، قَالَ مِسْعَرٌ: أَظُنُّهُ فِي الْخَمْرِ.

वज़ाहत: इस मसले में अली, अब्दुर्रहमान बिन अज़हर, अबू हुरैरा, साइब, इब्ने अब्बास, और उक्बा बिन हारिस (رضي) से भी हदीस मवीं है।

इमाम तिर्मिजी (رحمته) फ़रमाते हैं: अबू सईद खुदरी (رضي) की हदीस हसन है। और अबू सिद्दीक नाजी का नाम बक्र बिन अग्र है। उन्हें बक्र बिन कैस भी कहा जाता है।

1443 - सय्यदना अनस (رضي) से रिवायत है कि नबी करीम (ﷺ) के पास एक आदमी लाया गया जिसने शराब पी थी तो आप (ﷺ) ने दो छड़ियों के साथ चालीस के करीब हद लगायी और अबू बकर (رضي) ने भी इसी तरह किया। जब उमर (رضي) खलीफ़ा बने तो

1443 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ

उन्होंने लोगों से मशवरा किया अब्दुरहमान बिन आफ्र (ؓ) ने कहा: सब से कम हद अस्सी कोड़ों के मुताबिक सज़ा होनी चाहिए तो उमर (ؓ) ने इसका हुक्म दे दिया।⁽¹⁾

बुखारी: 6773. मुस्लिम: 1706. अबू दाऊद: 4479.
इब्ने माजा: 2570.

तौज़ीह: (1) सज़ा के तौर पर जितनी हदें कुरआन में मौजूद हैं उन में सब से कम सज़ा अस्सी कोड़ों की है जो तोहमत लगाने वालों के लिए है। इसी सबब से कम सज़ा को शराब नोशी करने वाले के लिए तजवीज़ किया गया।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (ؒ) फ़रमाते हैं: अनस (ؓ) की हदीस हसन है नीज़ नबी (ﷺ) के सहाबा किराम (ؓ) और दीगर लोगों में से अहले इल्म का इसी पर अमल है कि नशा करने वाले की सज़ा अस्सी कोड़े हैं।

**15 - शराबी को कोड़े मारो अगर चौथी
मर्तबा पिए तो उसे क़त्ल कर दो.**

1444 - सय्यदना मुआविया (ؓ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "जो शराब पिए उसे कोड़े लगाओ, पस अगर चौथी मर्तबा पिए तो उसे क़त्ल कर दो।"

सहीह: अबू दाऊद: 4482. इब्ने माजा: 2573.

वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरैरा, शरीद, शुरहबील बिन औस, जरीर, अबू रमद बलवी और अब्दुल्लाह बिन अम्र (ؓ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिजी (ؒ) फ़रमाते हैं: मुआविया (ؓ) की हदीस को इसी तरह सौरी ने आसिम से बवास्ता अबू सालेह, सय्यदना मुआविया (ؓ) के ज़रिए नबी (ﷺ) से रिवायत किया है।

नीज़ इब्ने जुरैज और मामर ने सुहैल बिन अबी सालेह से उन्होंने अपने बाप से ब वास्ता अबू हुरैरा (ؓ) नबी (ﷺ) से रिवायत किया है।

فَضْرَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوِ الْأَرْبَعِينَ، وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمُرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: كَأَخْفِ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ.

15 بَابُ مَا جَاءَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ
فَأَجْلِدُوهُ. وَمَنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَأَقْتُلُوهُ

1444 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَأَجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَأَقْتُلُوهُ.

और मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुखारी से सुना वह कहते थे कि इस मसले में अबू सालेह की बवास्ता मुआविया नबी करीम (ﷺ) से रिवायतकर्दा हदीस अबू सालेह की बा वास्ता अबू हुरैरा (رضی اللہ عنہ) नबी करीम (ﷺ) से रिवायतकर्दा हदीस से ज्यादा सहीह है और यह मामला भी शुरू में था बाद में मसूख हो गया।

मुहम्मद बिन इस्हाक ने भी बवास्ता मुहम्मद बिन मुन्कदिर सय्यदना जाबिर (رضی اللہ عنہ) से इसी तरह रिवायत की है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, "जो शख्स शराब पिए उसे कोड़े मारो। अगर चौथी दफ़ा और पिए तो उसे क़त्ल कर दो।" जाबिर कहते हैं: फिर उसके बाद नबी (ﷺ) के पास एक आदमी लाया गया जिस ने चौथी मर्तबा शराब पी थी, आप (ﷺ) ने उसे हद लगाई और क़त्ल नहीं किया। जोहरी ने भी बवास्ता क़बीसा बिन जुऐब नबी (ﷺ) से ऐसी ही रिवायत की है। कहते हैं: और वह क़त्ल का हुक्म उठा लिया गया और वह रूख़सत थी।

नीज़ तमाम उलमा का इसी पर अमल है। हम पिछले और बाद वाले उलमा में भी इस पर इख़्तिलाफ़ नहीं जानते। इसको मज़बूत करने की एक और दलील भी है जो नबी अकरम (ﷺ) से कई सनदों से मर्वी है कि आप (ﷺ) ने फ़रमाया, "जो मुसलमान शख्स यह गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है और मैं अल्लाह का रसूल हूँ उसे इन तीन चीज़ों के अलावा क़त्ल करना हलाल नहीं है: क़त्ल के बदले, शादीशुदा ज़ानी और दीन छोड़ने वाला।"

16 - कितने माल की चोरी में हाथ काटा जाए?

16 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَمِّ تَقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ

1445 - सय्यदा आयशा (رضی اللہ عنہا) से रिवायत है कि नबी करीम (ﷺ) दीनार के चौथे हिस्से या उस से ज्यादा में हाथ काटते थे।

बुखारी: 6789. मुस्लिम: 1684. अबू दाऊद: 4383. इब्ने माजा: 2585. निसाई: 4923, 4940.

1445 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرْتُهُ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْطَعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رحمته اللہ علیہ) फ़रमाते हैं आयशा (رضی اللہ عنہا) की हदीस हसन सहीह है और यही हदीस कई सनदों से उम्मा के ज़रिए आयशा (رضی اللہ عنہا) से मफू भी मर्वी है। जब कि बाज़ (कुछ) ने आयशा (رضی اللہ عنہا) से मौकूफ़ रिवायत की है।

1446 - सय्यदना इब्ने उमर (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक ढाल की चोरी में हाथ काटा जिसकी कीमत तीन दिरहम थी।

बुखारी: 6795. मुस्लिम: 1686. अबू दाऊद: 4358. इब्ने माजा: 2584. निसाई: 4906.

वज़ाहत: इस मसले में साद, अब्दुल्लाह बिन उमर, इब्ने अब्बास, अबू हुरैरा और ऐमन (رضی اللہ عنہ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिजी (رحمۃ اللہ علیہ) فرमाते हैं: इब्ने उमर (رضی اللہ عنہ) की हदीस हसन सहीह है और नबी करीम (ﷺ) के बाज़ (कुछ) उलमा सहाबा का इसी पर अमल है। इन में अबू बकर (رضی اللہ عنہ) भी हैं, जिन्होंने पांच दिरहम चोरी करने की वजह से हाथ काटा था। और उस्मान और अली (رضی اللہ عنہ) से मर्वी है कि उन्होंने एक चौथाई दीनार की वजह से हाथ काटा था।

नीज़ अबू हुरैरा और अबू सईद (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं: पांच दिरहम चोरी में हाथ काटा जाएगा। और फुकहा ताबेईन का इसी पर अमल है। नीज़ मालिक बिन अनस, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक (رحمۃ اللہ علیہ) भी यही कहते हैं कि चौथाई दीनार या इस से ज्यादा में हाथ काटा जाएगा।

जबकि इब्ने मसऊद (رضی اللہ عنہ) से मर्वी है कि एक दीनार या दस दिरहम में काटा जाएगा लेकिन यह हदीस मुसल है। क़ासिम बिन अब्दुरहमान ने इब्ने मसऊद (رضی اللہ عنہ) से रिवायत किया है और क़ासिम बिन अब्दुरहमान ने इब्ने मसऊद से सिमा (सुनना) नहीं किया।

और बाज़ (कुछ) उलमा का इस पर अमल भी है, सुफ़ियान सौरी और अहले कूफ़ा भी यही कहते हैं कि दस दिरहम से कम में हाथ नहीं काटा जाएगा। नीज़ अली (رضی اللہ عنہ) से मर्वी है कि दस दिरहम से कम में क़ता (हाथ काटना) नहीं है। लेकिन इसकी सनद भी मुत्तसिल नहीं है।

17 - चोर का हाथ काट कर उसके गले में लटकाना.

1447 - अब्दुरहमान बिन मुहैरीज़ (رحمۃ اللہ علیہ) कहते हैं: मैंने फज़ाला बिन उबैद (رضی اللہ عنہ) से चोर का हाथ उसकी गर्दन में लटकाने के बारे में पूछा कि क्या यह सुन्नत है? उन्होंने फ़रमाया,

17 بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْلِيْقِ يَدِ السَّارِقِ

1447 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُخَيْرِيزٍ، قَالَ:

“रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास एक चोर को लाया गया तो उसका हाथ काट दिया गया फिर आप(ﷺ) ने हुक्म दिया उसे उसकी गर्दन में लटका दिया गया।

ज़रईफ़: अबू दाऊद: 4411. इब्ने माजा: 2587. निसाई: 4982.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे हज़ाज बिन अर्तात से सिर्फ़ उमर बिन अली मुकद्दिमी की सनद से ही जानते हैं। और अब्दुरहमान मुहैरीज़ शामी हैं जो कि अब्दुल्लाह बिन मुहैरीज़ के भाई हैं।

سَأَلَتْ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ عَنْ تَغْلِيْقِ الْيَدِ فِي عُنُقِ السَّارِقِ أَمِنْ السُّنَّةِ هُوَ؟ قَالَ: أَبِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَارِقٍ فَقُطِعَتْ يَدُهُ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا، فَفُلِقَتْ فِي عُنُقِهِ.

18 - ख़यानत करने वाले, छीनने वाले और डाकू का बयान.

1448 - सय्यदना जाबिर (رحمته الله) से रिवायत है कि नबी करीम(ﷺ) ने फ़रमाया, “ख़यानत करने वाले, डाकू⁽¹⁾ और छीनने⁽²⁾ वाले पर क़ता (हाथ काटना) नहीं है।”

सहीह: अबू दाऊद: 4391. इब्ने माजा: 2591. निसाई: 4971-4975.

वज़ाहत: مُنْتَهَبٌ : लुटेरा, डाकू, लूट खसोट करने वाला। (अल-मोज़मुल वसीत: पृ. 1165)
مُخْتَلِسٌ : धोके से छीन लेना उचक लेना और यह इस्मे फ़ाइल है। (अल-मोज़मुल वसीत: पृ. 239)

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अहले इल्म का इसी पर अमल है।

नीज़ मुग़ीरह बिन मुस्लिम ने भी अबू जुबैर के वास्ते के साथ जाबिर (رحمته الله) से नबी(ﷺ) की हदीस इब्ने जुरैज की तरह रिवायत की है और मुग़ीरह बिन मुस्लिम बसरह का रहने वाला और अब्दुल अज़ीज़ अल कस्मल्ली का भाई है, अली बिन मदीनी ने भी ऐसे ही कहा है।

18 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخَائِنِ وَالْمُخْتَلِسِ وَالْمُنْتَهَبِ

1448 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ، وَلَا مُنْتَهَبٍ، وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطُّعٌ.

19 - फल और खुजूरों के शगूफों को तोड़ने पर हाथ नहीं काटा जाएगा.

1449 - सय्यदना राफे बिन खदीज (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना फल और खुजूर के खोशों (शगूफों को तोड़ने) पर हाथ नहीं काटा जाएगा।

सहीह: इब्ने माजा: 2593. दारमी: 2311. इब्ने हिब्बान: 4466.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رحمۃ اللہ علیہ) फ़रमाते हैं: बाज़ (कुछ) ने यह हदीस यह्या बिन सईद से बवास्ता मुहम्मद बिन यह्या बिन हिब्बान, उनके चचा वासे बिन हिब्बान से उन्होंने ने बवास्ता राफे बिन खदीज (رضی اللہ عنہ) नबी करीम (ﷺ) से लैस बिन साद को तरह रिवायत की है।

और मालिक बिन अनस और दीगर रावियों ने इस हदीस को यह्या बिन सईद से मुहम्मद बिन हिब्बान के वास्ते से राफे बिन खदीज के ज़रिए नबी करीम (ﷺ) से रिवायत किया है इस में वासे बिन हिब्बान का ज़िक्र नहीं है।

20 - जिहाद में हाथ न काटे जाएँ.

1450 - बुस् बिन अर्तात (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि मैंने नबी (ﷺ) से सुना आप फ़रमा रहे थे: "जिहाद में (चोरी करने वाले के) हाथ न काटे जाएँ।"

सहीह: अबू दाऊद: 4408. निसाई: 4979. मुसनद अहमद: 4/81.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رحمۃ اللہ علیہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है इसे इब्ने लहीया के अलावा और रावियों ने भी इसी सनद के साथ इसी तरह रिवायत किया है। (बुस् बिन अर्तात को) बुस् बिन अबी अर्तात भी कहा जाता है।

19 بَابُ مَا جَاءَ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرٍ

1449 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرٍ.

20 بَابُ مَا جَاءَ أَنْ لَا تُقَطَّعَ الْأَيْدِي فِي الْغَزْوِ

1450 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ، عَنْ عِيَّاشِ بْنِ عَبَّاسِ الْمِصْرِيِّ، عَنْ شَيْمِ بْنِ بَيْتَانَ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تُقَطَّعُ الْأَيْدِي فِي الْغَزْوِ.

नीज़ औज़ाई समेत बाज़ (कुछ) उलमा इसी पर अमल करते हुए जिहाद में दुश्मन की मौजूदगी में हद कायम करने को दुरुस्त नहीं कहते क्योंकि खतरा है कि कहीं यह शाख्स जिस पर हद लगी है दुश्मन के साथ न मिल जाए। जब अमीर जंग के इलाका से निकल कर दारुल इस्लाम में आ जाए तो उस गुनाहगार पर हद लगाए। ऐसे ही औज़ाई ने भी कहा है।

21 - जो आदमी अपनी बीवी की लौंडी से जिना कर ले.

1451 - हबीब बिन सालिम (رضي الله عنه) कहते हैं: नौमान बिन बशीर के पास एक आदमी को लाया गया जिसने अपनी बीवी की लौंडी से जिना किया था तो उन्होंने फ़रमाया, मैं इस वाकिए में रसूलुल्लाह (ﷺ) के फ़ैसला के मुताबिक फ़ैसला करूंगा अगर उस (की बीवी) ने उस लौंडी को उसके लिए हलाल किया था तो मैं उसे सौ कोड़े मारूंगा और अगर उसने हलाल नहीं किया था तो मैं उसे रज्म करूंगा।"

ज़ईफ़: अबू दारुद: 4458. इब्ने माजा: 2551. निसाई: 3360.

1452 - (अबू ईसा (رضي الله عنه) कहते हैं:) हमें अली बिन हुज्र ने उन्हें हैसम ने अबू बिश्र से बवास्ता हबीब बिन सालिम, सय्यदना नौमान बिन बशीर (رضي الله عنه) से इसी तरह रिवायत की है और क़तादा से मर्वी है कि उन्होंने कहा: मुझे यह बात हबीब बिन सालिम ने लिख कर भेजी थी। और अबू बिश्र ने हबीब बिन सालिम से सिमा (सुनना) नहीं किया। उसने ख़ालिद बिन उफ़ुता से रिवायत की है।

ज़ईफ़: अबू दारुद: 4458. इब्ने माजा: 1552. निसाई: 3360.

21 باب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ

1451 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، وَأَيُّوبَ بْنِ مَسْكِينٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: رُفِعَ إِلَى النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ: لَا قُضِيَ فِيهَا بِقِضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَئِنْ كَانَتْ أَخْلَتْهَا لَهُ لِأَجَلِذَنَّةِ مَائَةٍ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَخْلَتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ.

1452 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ نَحْوَهُ، وَيُرْوَى عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ: كُتِبَ بِهِ إِلَى حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ.

वज़ाहत: इस मसले में सलमा बिन मोहबक़ (رضي الله عنه) से भी इसी तरह मर्वी है।

इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: नौमान की हदीस की सनद में इज़्तिराब है। मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुखारी (رحمته الله) को फ़रमाते हुए सुना कि क़तादा ने इस हदीस को हबीब बिन सालिम से नहीं सुना। उन्होंने तो ख़ालिद बिन उफ़ता के ज़रिए रिवायत की है।

इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: अपनी बीवी की लौंडी से ज़िना करने के बारे में उलमा का इख़्तिलाफ़ है: अली और इब्ने उमर (رضي الله عنه) समेत नबी करीम (ﷺ) के कई सहाबा (رضي الله عنهم) से मर्वी है कि उसे रज्म किया जाएगा। इब्ने मसऊद (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: उस पर कोई हद नहीं लेकिन कुछ सज़ा दी जाए। अहमद और इस्हाक (رحمته الله) का मज़हब नौमान बिन बशीर (رضي الله عنه) की नबी (ﷺ) से रिवायतकर्दा हदीस के मुताबिक है।

22 - जिस औरत के साथ ज़बरदस्ती ज़िना किया जाए.

1453 - सय्यदना वाइल बिन हुज़ (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में एक औरत से ज़बरदस्ती ज़िना किया गया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उस से हद दूर कर दी और उसे उस आदमी पर कायम किया जिसने उससे ज़िना किया था और रावी ने यह ज़िक्र नहीं किया कि आप (ﷺ) ने उसके लिए महर मुक़रर किया था।

ज़इफ़: अल- इर्वा: 7/341. इब्ने माज़ा: 2598. मुसनद अहमद: 4/318.

22 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا اسْتُكْرِهَتْ عَلَى الزِّنَا

1453 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِيُّ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: اسْتُكْرِهَتْ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَرَأَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَدَّ، وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا، وَلَمْ يُدْكَرْ أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَهْرًا.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है और इसकी सनद भी मुत्तसिल नहीं है। नौज़ यह हदीस दीगर इस्नाद के साथ भी मर्वी है।

फ़रमाते हैं: मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल को फ़रमाते हुए सुना कि अब्दुल जब्बार बिन वाइल बिन हुज़ ने अपने बाप से हदीस नहीं सुनी और न ही उन्हें पाया है। कहा जाता है कि वह अपने बाप की वफ़ात के कुछ माह बाद पैदा हुए थे।

नीज़ नबी करीम(ﷺ) के सहाबा और दीगर उलमा में से अहले इल्म का इसी हदीस पर अमल है कि मजबूर किए गए पर हद नहीं होती।

1454 - अल्कमा बिन वाइल किंदी अपने बाप से रिवायत करते हैं कि नबी करीम(ﷺ) के दौर में एक औरत नमाज़ के इशारे से बहार निकली, उसे एक आदमी मिला उसने उसे ढाँप लिया और उससे अपनी ख्वाहिश को पूरा किया तो वह चीखने लगी (और) वह आदमी चला गया, उस औरत के पास से एक आदमी गुज़रा तो कहने लगी: इस आदमी ने मेरे साथ इस तरह किया और वह औरत मुहाजिर सहाबा के एक गिरोह के पास से गुजरी तो कहने लगी: इस आदमी ने मेरे साथ यह यह किया है। वह (सहाबा (ﷺ)) गए और उस आदमी को पकड़ लाये जिसके बारे में औरत ने कहा था कि उसने उस से ज़िना किया है और औरत के पास आए उस ने कहा, हाँ यह वही है। तो सहाबा उसे रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास ले आए, जब आप ने उसे रज्म करने का हुक्म दिया तो उस औरत से ज़िना करने वाला खड़ा हो कर कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल(ﷺ)! मैंने उस से ज़िना किया है। आप(ﷺ) ने उस औरत से कहा: तुम चली जाओ अल्लाह ने तुम्हें माफ़ कर दिया है और उस (पहले पकड़े जाने वाले) से भलाई की बात कही और ज़िना करने वाले आदमी के बारे में फ़रमाया, “इसे रज्म कर दो।” नीज़ आप(ﷺ) ने फ़रमाया, “उसने ऐसी तौबा की है कि अगर सारे मदीने वाले यह तौबा करते तो उनसे कुबूल की जाती।”

1454 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ الْكِنْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً خَرَجَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُرِيدُ الصَّلَاةَ، فَتَلَقَّاهَا رَجُلٌ فَتَجَلَّلَهَا، فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا، فَصَاحَتْ، فَانْطَلَقَ، وَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ، فَقَالَتْ: إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا، وَمَرَّتْ بِعِصَابَةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، فَقَالَتْ: إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا، فَانْطَلَقُوا، فَأَخَذُوا الرَّجُلَ الَّذِي ظَنَنْتُ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا وَأَتَوْهَا، فَقَالَتْ: نَعَمْ هُوَ هَذَا، فَأَتَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَمَرَ بِهِ لِيُرْجَمَ قَامَ صَاحِبُهَا الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا صَاحِبُهَا، فَقَالَ لَهَا: اذْهَبِي فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ، وَقَالَ لِلرَّجُلِ قَوْلًا حَسَنًا، وَقَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا: ارْجُمُوهُ، وَقَالَ: لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَقَبِلَ مِنْهُمْ.

हसन: इसके अलावा इस हदीस में रज्म कर दो वाला टुकड़ा दुरूस्त नहीं है क्योंकि उसको रज्म नहीं किया गया था।

अस- सिलसिला अस- सहीहा: 900. अबू दाऊद: 4379.

मुसनद अहमद: 6/ 399.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है।

और अलक़मा बिन वाइल ने अपने बाप से अहादीस सुनी हैं: यह अब्दुल जब्बार से बड़े थे और अब्दुल जब्बार ने अपने बाप से समाअत नहीं की।

23 - जो शख्स जानवर से बदकारी करे.

1455 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رحمته الله) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "अगर तुम ऐसे शख्स को पाओ जिसने जानवर से बदकारी की हो तो उसे क़त्ल कर दो और जानवर को भी क़त्ल कर दो, तो इब्ने अब्बास (رحمته الله) से कहा गया: चौपाये को किस लिए? उन्होंने फ़रमाया, मैंने इस के बारे में रसूलुल्लाह (ﷺ) से कुछ नहीं सुना लेकिन मेरा ख़याल है रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उस के गोश्त को खाए जाने या उस से नफ़ा लेने को मकरूह समझा क्योंकि उस के साथ ऐसा अमल किया गया है।

हसन सहीह: अबू दाऊद: 4464. इब्ने माजा: 2564.
मुसनद अहमद: 1/ 269.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: इस हदीस को हम अम्र बिन अबी अम्र से ही बवास्ता इकिमा, इब्ने अब्बास (رحمته الله) से मफू जानते हैं, जबकि सुफ़ियान सौरी ने आसिम से बवास्ता अबूरजीन इब्ने अब्बास (رحمته الله) से रिवायत किया है वह फ़रमाते हैं: जो शख्स जानवर से बदफेली करे उस पर कोई हद नहीं है।

23 بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ يَقَعُ عَلَى الْبَهِيْمَةِ

1455 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيْمَةٍ فَاقْتُلُوهُ، وَاقْتُلُوْا الْبَهِيْمَةَ، فَقِيْلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا شَأْنُ الْبَهِيْمَةِ؟ قَالَ: مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ ذَلِكَ شَيْئًا، وَلَكِنْ أَرَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْ لَحْمِهَا، أَوْ يُنْتَفَعَ بِهَا، وَقَدْ عُْمِلَ بِهَا ذَلِكَ الْعَمَلُ.

यह हदीस हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने (वह कहते हैं:) हमें अब्दुरहमान बिन महदी ने और उन्हें सुफ्रियान सौरी ने बयान की है। और यह पहली हदीस से ज्यादा सहीह है और अहले इल्म का इसी पर अमल है। इमाम अहमद और इस्हाक़ (रह) भी इसी के कायल हैं।

24 - लवातत करने वाले की सजा (समलैंगिकता की सजा)

24 بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ اللُّوَطِيِّ

1456 - सय्यदना इब्ने अब्बास (रह) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (रह) ने फ़रमाया, "जिस को तुम कौमे लूत का अमल करते हुए पाओ तो करने वाले और जिसके साथ किया जा रहा है दोनों को क़त्ल कर दो।"

सहीह: अबू दाऊद: 4462. इब्ने माजा: 2561.

1456 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ.

वज़ाहत: इस मसले में जाबिर और अबू हुरैरा (रह) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (रह) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (रह) से मर्वी नबी करीम (रह) की हदीस हम सिफ़्र इसी सनद से ही जानते हैं।

और मुहम्मद बिन इस्हाक़ ने अम्र बिन अबी अम्र से रिवायत किया है कि जो शख्स कौमे लूत का अमल करे वह मलउन (लानती) है। इस में क़त्ल का ज़िक्र नहीं है। इस में यह भी है कि लानत है उस पर जो चौपाये से बदफेली करे। नीज़ यह हदीस आसिम बिन उमर से सुहैल बिन अबी सालेह के वास्ते से उनके बाप के ज़रिए अबू हुरैरा (रह) से भी मर्वी है कि नबी (रह) ने फ़रमाया, "ऐसा अमल करने वाले और करवाने वाले दोनों को क़त्ल कर दो।"

इमाम तिर्मिज़ी (रह) फ़रमाते हैं: इस हदीस की सनद में भी गुफ्तगू की गई है। हमारे इल्म के मुताबिक़ इसे सुहैल बिन अबी सालेह से आसिम बिन उमर अल उमरी के अलावा किसी और ने बयान नहीं किया और आसिम बिन उमर को हदीस में हाफ़िज़े की कमज़ोरी की वजह से ज़ईफ़ कहा गया है।

नीज़ लवातत करने वाले की हद के बारे में उलमा का इख़्तिलाफ़ है: बाज़ (कुछ) के मुताबिक़ उस पर रज्म है शादी शुदा हो या ग़ैर शादी शुदा, यह कौल मालिक शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (रह) का है।

और फुकहा ताबेईन में से बाज़ (कुछ) उलमा जैसे हसन बसरी, इब्राहीम नखई और अता बिन अबी रबाह (رضی اللہ عنہ) वगैरह कहते हैं लवातत करने वाले की हद जानी की हद ही है। सौरी और अहले कूफा का भी यही कौल है।

1457 - सय्यदना जाबिर (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “सबसे ज्यादा ख़ौफनाक चीज़ जिससे मैं अपनी उम्मत पर डरता हूँ वह कौमे लूत का अमल (समलैंगिकता) है।”

हसन: 2563. मुसनद अहमद: 3/382. हाकिम: 4/357.

1457 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन अक़ील बिन अबी तालिब की सनद से ही जाबिर (رضی اللہ عنہ) से जानते हैं।

25 - दीने इस्लाम से फिट जाने वाला.

1458 - इकिमा (رضی اللہ عنہ) बयान करते हैं कि अली (رضی اللہ عنہ) ने इस्लाम से मुर्तद हो जाने वालों को जला दिया, इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) को यह ख़बर पहुंची तो उन्होंने फ़रमाया, “अगर मैं होता रसूलुल्लाह (ﷺ) के फ़रमान के मुताबिक़ उनको क़त्ल करता, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “जो अपना दीन बदल दे उसे क़त्ल कर दो” और मैं उन्हें न जलाता क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “अल्लाह के अज़ाब के साथ सज़ा न दो।” यह बात अली (رضی اللہ عنہ) तक पहुंची तो उन्होंने फ़रमाया, “इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) ने सच कहा।”

बुखारी: 3017. अबू दाऊद: 4351. इब्ने माजा: 2535. निसाई: 4059.

25 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُرْتَدِّ

1458 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّبِيِّ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرَمَةَ، أَنَّ عَلِيًّا حَرَّقَ قَوْمًا ارْتَدَوْا عَنِ الْإِسْلَامِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَقَتَلْتُهُمْ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ. وَلَمْ أَكُنْ لِأَحْرَقَهُمْ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَعَذَّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا، فَقَالَ: صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (रह) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और मुर्तद के बारे में अहले इल्म का इसी पर अमल है। नोज़ इस्लाम से फिरने वाली औरत के बारे में इब्तिलाफ़ है।

अहले इल्म का एक गिरोह कहता है: उसे भी क़त्ल कर दिया जाए। यह कौल औज़ाई, अहमद और इस्हाक (रह) का है।

जबकि एक गिरोह कहता है: उसे क़त्ल न किया जाए। यह कौल सुफ़ियान और दीगर अहले कूफ़ा का है।

26 - जो शस्त्र हथियार की नुमाइश करे.

1459 - सय्यदना अबू मूसा (रह) से रिवायत है कि नबी करीम (रह) ने फ़रमाया, “जिसने हमारे ऊपर अस्लहा (हथियार) उठाया वह हम में से नहीं है।”

बुखारी: 7071, मुस्लिम: 100, इब्ने माजा: 2577

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने उमर, इब्ने जुबैर, अबू हुरैरा और सलमा बिन अक्का (रह) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिजी (रह) फ़रमाते हैं: अबू मूसा (रह) की हदीस हसन सहीह है।

27 - जादूगर की हद.

1460 - सय्यदना जुन्दुब (रह) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (रह) ने फ़रमाया, “जादूगर की सज़ा तरवार की ज़र्ब है।”

ज़ईफ़: अस-सिलसिला अज़-ज़ईफ़ा: 1446. दार कुत्नी: 3/ 114. हाकिम: 4/ 360. बैहक्की: 8/ 136.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (रह) फ़रमाते हैं: यह हदीस सिर्फ़ इसी सनद से मर्फू है और इस्माईल बिन मुस्लिम मक्की को हाफ़िज़े की वजह से हदीस में ज़ईफ़ कहा गया है और इस्माईल बिन मुस्लिम अब्दी बसरी के बारे में वकी कहते हैं: वह सिक़ह हैं। हसन बसरी से भी ऐसे ही मर्वी है, और सहीह जुन्दुब (रह) से मौकूफ़ रिवायत है।

26 بَابُ مَا جَاءَ فِيهِ مِنْ شَهْرِ السِّلَاحِ

1459 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَأَبُو السَّائِبِ سَلَّمَ
بْنُ جُنَادَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَرْدَةَ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي بَرْدَةَ،
عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا.

27 بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ السَّاحِرِ

1460 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو
مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ،
عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ.

नोज़ नबी करीम (ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ (कुछ) उलमा का इसी पर अमल है, मालिक का भी यही कौल है।

शाफ़ेई कहते हैं: जादूगर को उस वक़्त क़त्ल किया जाएगा जब वह कुफ़्र तक पहुँचने वाला जादू करता हो। अगर कुफ़्र से छोटा काम करता है तो उस पर क़त्ल नहीं है।

28 - माले ग़नीमत से चोरी करने वाले के साथ क्या किया जाए?

1461 - सय्यदना उमर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "जिसे तुम अल्लाह के रास्ते में ग़नीमत के माल से चोरी करते हुए पाओ तो उसका सामान जला दो।" सालेह कहते हैं: मैं मस्लमा के पास गया और उनके साथ सालिम बिन अब्दुल्लाह भी थे, उन्होंने एक आदमी को पाया जिसने ग़नीमत के माल से ख़यानत की थी तो सालिम ने यह हदीस बयान की फिर उसके सामान के बारे में हुक्म दिया उसे जला दिया गया उसके सामान में एक कुरआन भी था। सालिम ने कहा: इसे बेच कर इसकी कीमत सदका कर दो।

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 2713. मुसनद अहमद: 1/22.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे सिर्फ़ इसी तरीक़ से जानते हैं और बाज़ (कुछ) अहले इल्म का इसी पर अमल है। औज़ाई, अहमद और इस्हाक़ का भी यही कौल है।

अबू ईसा कहते हैं: मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (رحمته الله) से इस हदीस के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया, इसे सालेह बिन मुहम्मद जायदा ने रिवायत किया है। यह अबू वाकिद लैसी ही है जो मुन्किरे हदीस है। मुहम्मद (ﷺ) फ़रमाते हैं: इस हदीस के अलावा भी कुछ अहादीस में ग़नीमत के माल से चोरी करने वाले के बारे में नबी (ﷺ) से पर्वी है। इन में आप ने सामान जलाने का हुक्म नहीं दिया। इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है।

28 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَالِ مَا يُصْنَعُ بِهِ

1461 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَأِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ وَجَدْتُمُوهُ غَلًّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَحْرَقُوا مَتَاعَهُ قَالَ صَالِحٌ: فَدَخَلْتُ عَلَى مَسْلَمَةَ وَمَعَهُ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، فَوَجَدَ رَجُلًا قَدْ غَلَّ، فَحَدَّثَ سَالِمٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ، فَأَمَرَ بِهِ، فَأَحْرَقَ مَتَاعَهُ، فَوُجِدَ فِي مَتَاعِهِ مُصْحَفٌ، فَقَالَ سَالِمٌ: بَعْ هَذَا وَتَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ.

29 - जो शरक्स किसी दूसरे को हिजड़ा कहकर पुकारे.

1462 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, "जब कोई आदमी किसी को कहे: ऐ यहूदी! तो उसे बीस कोड़े मारो, और जब कहे: ऐ मुखन्नस! तो उसे भी बीस कोड़े मारो और जो किसी महरम औरत से ज़िना करे उसे क़त्ल कर दो।"

ज़ईफ़: इब्ने माजा: 2564. मुसन्द अहमद: 3/466. दारमी: 2319.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمۃ اللہ علیہ) फ़रमाते हैं: इस हदीस को हम सिर्फ़ इसी तरीक़ से ही जानते हैं और इब्राहीम बिन इस्माईल को हदीस के मामले में ज़ईफ़ कहा जाता है।

नीज़ नबी (ﷺ) से कई तुरूक़ से मर्वी है जिसे बराअ बिन आजिब और कुरा बिन यास मुज़नी रिवायत करते हैं कि एक आदमी ने अपने बाप की बीवी से निकाह कर लिया तो नबी (ﷺ) ने उसे क़त्ल करने का हुक्म दिया। हमारे अस्हाब इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि जो शरक्स जानते बूझते महरम औरत से ज़िना करे वह वाजिबुल क़त्ल है।

इमाम अहमद फ़रमाते हैं: जो अपनी मां से निकाह कर ले उसे क़त्ल किया जाएगा। इस्हाक़ फ़रमाते हैं: जो किसी महरम औरत से ज़िना करे उसे क़त्ल किया जाएगा।

30 - ताज़ीर⁽¹⁾ का बयान.

1463 - सय्यदना अबू बुर्दा बिन नियार (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, "दस कोड़ों से ज़्यादा कोड़े न मारे जाएँ मगर अल्लाह की हदों में से किसी हद के अन्दर ही।"

29 بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ يَقُولُ لِأَخْرِيَا مُخَنَّثٌ

1462 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: يَا يَهُودِيٌّ، فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ، وَإِذَا قَالَ: يَا مُخَنَّثٌ، فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ، وَمَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ.

30 بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّغْزِيرِ

1463 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشْجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

बुखारी: 6848. मुस्लिम: 1708. अबू दाऊद: 4491. इब्ने
माजा: 2601.

بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُجْلَدُ
فَوْقَ عَشْرِ جَلْدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ.

तौज़ीह: (1) **التَّعْزِيرُ**: शरअन हद्दे शरई से कम सज़ा देना। जैसे गाली देने वाले को हद्दे क़ज़फ़ के बग़ैर सज़ा देना। (अल-मोजमुल वसीत: पृ. 709)

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: इब्ने लहीया ने भी इस हदीस को बुकैर से रिवायत किया है लेकिन इस में ग़लती की है। उस ने कहा कि अब्दुरहमान बिन जाबिर बिन अब्दुल्लाह अपने बाप के ज़रिए नबी (ﷺ) से रिवायत करते हैं। यह ग़लत है। और सहीह हदीस लैस बिन साद की है कि अब्दुरहमान बिन जाबिर बिन अब्दुल्लाह बवास्ता अबू बुर्दा बिन नियार नबी (ﷺ) से रिवायत करते हैं।

अबू ईसा (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे सिर्फ़ बुकैर बिन अशज्ज के तरीक़ से ही जानते हैं। नीज़ ताज़ीर के बारे में उलमा का इख़्तिलाफ़ है और ताज़ीर के बारे में सब से उम्दा रिवायत यही हदीस है।

ख़ुलासा

- तीन किस्म के लोग मर्फूउल क़लम हैं: बच्चा, सोया हुआ और पागल।
- मुसलमान के ऐबों को ज़ाहिर न किए जाएँ।
- हद क़ायम करने से पहले एतराफ़ ज़रूरी है।
- हुदुदुल्लाह में सिफ़ारिश करना सख़्ती से मना है।
- शादी शुदा जानी को रज्म (संगसार) किया जाएगा।
- औरत अगर ज़िना से हामिला हो जाए तो वज़ए हमल के बाद उसे रज्म किया जाएगा।
- कुंवारा अगर ज़िना करे तो उसको एक साल की जलावतनी और एक सौ कोड़े लगाए जायेंगे।
- हद लगने से गुनाह का बोझ ख़त्म हो जाता है।
- सहाबए किराम (رضي الله عنهم) के मशवरे से शराबी की हद अस्सी कोड़े मुकर्रर की गई है।
- चोर का हाथ काट दिया जाए।
- अगर किसी औरत के साथ ज़िना बिल ज़न्न किया जाए तो वह औरत सज़ा से बरी होगी।
- जानवर से बदकारी करने वाले और लवातत करने वाले की सज़ा क़त्ल है।
- दीने इस्लाम से फिर जाने वाला वाजिबुल क़त्ल है।
- ताज़ीरन दस कोड़ों से ज़्यादा सज़ा नहीं दी जा सकती।

मज़मून नम्बर 16.

أَبْوَابُ الصَّيْدِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

रसूलुल्लाह (ﷺ) से मर्वी शिकार के अहकाम व मसाइल.

तआरुफ़

29 अहादीस के साथ 19 अबवाब पर मुश्तमिल यह उन्वान इन मसाइल पर मुश्तमिल है:

- शिकारी कुत्ते के साथ शिकार करने की क्या शर्तें हैं?
- शिकार के कौन से जानवर हलाल और कौन से हराम हैं?
- किन जानवरों को मारना जायज़ है?
- कुत्तों के बारे में किया अहकामात हैं?

1 - कुत्ते का किया हुआ कौन सा शिकार
ख्याया जाए और कौन सा नहीं?

1 بَابُ مَا جَاءَ مَا يُؤْكَلُ مِنْ صَيْدِ الْكَلْبِ
وَمَا لَا يُؤْكَلُ

1464 - सय्यदना अबू सअलबा ख़ुशनी (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हम शिकार करने वाले लोग हैं आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “जब तुम अपने शिकारी कुत्ते को छोड़ो और उस पर अल्लाह का नाम ले लो, वह कुत्ता तुम्हारे लिए शिकार को रोक ले तो खा लो।” मैंने कहा अगर वह मार दे? आप (ﷺ) ने फ़रमाया, अगर वह मार भी दे। मैंने कहा : हम तीर अंदाजी करने वाले हैं। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “जो चीज़ तुम्हारी

1464 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ. وَالْحَجَّاجُ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ عَائِذِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْحُشَنِيَّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَهْلُ صَيْدٍ، إِذَا أُرْسِلْتُ كَلْبِكَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَأَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ، وَإِنْ قَتَلَ؟ قَالَ: وَإِنْ قَتَلَ، قُلْتُ:

कमान ले कर आए⁽¹⁾ उसे खा लो।" रावी कहते हैं: मैंने कहा: हम सफ़र करने वाले हैं। हम यहूदियों, ईसाइयों और मजूसियों के पास से गुज़रते हैं तो उनके बर्तनों के अलावा कुछ नहीं मिलता। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, "अगर तुम्हें उनके बरतनों के अलावा कुछ न मिले तो उन्हें पानी से धो लो। फिर उनमें खा पी लो।"

बुखारी: 5478. मुस्लिम: 1930. अबू दाऊद: 2852.
इब्ने माजा: 3207. निसाई: 4266.

तौज़ीह: (1) यानी जो चीज़ तुम्हारे तीर से गिरे उसे खा लो।

वज़ाहत: इस मसले में अदी बिन हातिम (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिजी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और आइजुल्लाह बिन अब्दुल्लाह, अबू इदरीस खौलानी ही हैं जबकि अबू सअलबा खुशानी का नाम जुसूम है। या जुशुम बिन नाशिम भी कहा जाता है और इब्ने कैस भी कहा जाता है।

1465 - सय्यदना अदी बिन हातिम (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! हम अपने सधाए हुए कुत्तों को शिकार पर छोड़ते हैं। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, "जो शिकार वह तुम्हारे लिए रख लें उसे खा लो।" मैंने कहा: "ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! अगरचे वह मार भी दें?, आप (ﷺ) ने फ़रमाया, अगरचे वह मार भी दें बशर्ते कि उनके साथ कोई दूसरा कुत्ता शरीक न हुआ हो।" रावी कहते हैं: मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! हम मेराज़⁽¹⁾ वाले तीर फेंकते हैं, आप (ﷺ) ने उनसे फ़रमाया, "जो शिकार उनसे ज़ख्मी हो जाए (फट जाए) उसे खा लो और जो चौड़ाई की तरफ़ से लगे उसे मत खाओ।"⁽²⁾

बुखारी: 5477. मुस्लिम: 1929. अबू दाऊद: 2847.
इब्ने माजा: 3215. निसाई: 4265.

إِنَّا أَهْلُ رَمِي، قَالَ: مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ فَكُلْ قَالَ: قُلْتُ: إِنَّا أَهْلُ سَفَرٍ نَمُرُّ بِالْيَهُودِ، وَالنَّصَارَى، وَالْمَجُوسِ، فَلَا نَجِدُ غَيْرَ آبِيئِهِمْ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَاغْسِلُوهَا بِالْمَاءِ، ثُمَّ كُلُوا فِيهَا وَأَشْرَبُوا.

1465 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَامِ بْنِ الْخَارِثِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نُرْسِلُ كِلَابَنَا لَنَا مُعَلَّمَةً، قَالَ: كُلْ مَا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ: وَإِنْ قَتَلْنَ، مَا لَمْ يَشْرِكْهَا كَلْبٌ غَيْرُهَا، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا تَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ، قَالَ: مَا خَرَقَ فَكُلْ، وَمَا أَصَابَ بِعَرَضِهِ فَلَا تَأْكُلْ.

तौज़ीह: (1) **مغراض:** तीर का दर्मियानी मोटा हिस्सा (अल-कामूसुल वहीद: पृ. 1069) (2) जो जानवर लकड़ी के साथ मरे और उसमें ज़ख्म न हो वह **موقوذة** (लाठी लगने से मरा हुआ) है। उसे अल्लाह तआला ने हराम किया है।

वज़ाहत: अबू ईसा (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: हमें मुहम्मद बिन यहया ने (वह कहते हैं:) हमें मुहम्मद बिन यूसुफ़ ने बवास्ता सुफ़ियान, मंसूर से इसी तरह हदीस बयान की लेकिन उन्होंने यह कहा कि आप से मेराज़ के बारे में पूछा गया।

इमाम तिमिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है

2 - मजूसी के शिकारी कुत्ते के शिकार का बयान.

1466 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) बयान करते हैं हमें मजूसी के कुत्ते के शिकार से मना किया गया है।

ज़ईफ़: इब्ने माज़ा: 3209. बैहकी: 9/245.

2 بَابُ مَا جَاءَ فِي صَيْدِ كَلْبِ الْمَجُوسِ

1466 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَيْسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَرَّةَ، عَنِ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نُهَيْتَنَا عَنْ صَيْدِ كَلْبِ الْمَجُوسِ.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे सिर्फ़ इसी सनद से जानते हैं। नौज़ जुम्हूर उलमा इसी पर अमल करते हुए मजूसियों के कुत्ते की शिकार की रुख़सत नहीं देते। क़ासिम बिन अबी बज़ज़ा, क़ासिम बिन नाफ़े मक्की हैं।

3 - बाज़ के शिकार का बयान.

1467 - सय्यदना अदी बिन हातिम (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से बाज़⁽¹⁾ के शिकार के बारे में पूछा तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया; "जो तुम्हारे लिए रोके उसे खा लो।"

मुन्कर: अबू दारूद: 2851. मुसनद अहमद: 4/257.

3 بَابُ مَا جَاءَ فِي صَيْدِ الْبُرَّاقِ

1467 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، وَهَنَّادٌ، وَأَبُو عَمَّارٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ مَخَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَانِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْبَارِزِيِّ، فَقَالَ: مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ.

तौजीह: البازي: बाज़्र, उसके पर चौड़ाई माइल जबकि पाँव और दुम लम्बाई माइल होते हैं इसकी जमा बाज़्र और بواز आती है। (अल-मोजमुल वसीत:पृ. 69)

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: हम इस हदीस को मुजालिद से बवास्ता शाबी ही जानते हैं और अहले इल्म इसी पर अमल करते हुए बाज़्रों और शक़रों के शिकार को गुनाह नहीं समझते।

मुजालिद फ़रमाते हैं: बाज़्र उन्हीं जानवरों में से है जिनसे शिकार किया जाता है। जिनके बारे में अल्लाह तआला फ़रमाते हैं: "और जिन जानवरों को तुम सिखाते (और सधाते) हो।" (अल-माइदा:4) उन्होंने इस आयत की तफ़सीर उन कुत्तों और परिंदों से की है जिनसे शिकार किया जाता है, और बाज़्र (कुछ) उलमा ने बाज़्र के शिकार की इजाज़त इस सूत्र में भी दी है कि अगर वह इस में से खा भी ले तो ठीक है और वह कहते हैं: उसकी तालीम यह है कि बात माने (यानी जब छोड़े तो शिकार की तरफ़ जाए)

जबकि बाज़्र (कुछ) उलमा इसे मकरूह समझते हैं लेकिन अक्सर फुक़हा कहते हैं: अगर वह इस से खा भी ले तब भी खाना जायज़ है।

4 - आदमी शिकार करे फिर शिकार किया हुआ जानवर ग़ायब हो जाए.

1468 - सय्यदना अदी बिन हातिम (رحمته الله عليه) रिवायत करते हैं कि मैंने कहा: " ऐ अल्लाह के रसूल! मैं शिकार को तीर मारता हूँ फिर अगले रोज़ उसमें अपना तीर पाता हूँ। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, "जब तुम्हें इल्म हो कि तुम्हारे तीर ने ही जानवर को मारा है और इसमें किसी दरिन्दे के निशान भी न देखो तो उसे खा लो।"

सहीह: निसाई: 4300,4302. मुसनद अहमद: 4/377. तयालिसी: 1041.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और उलमा का इसी पर अमल है। नीज़ शोबा ने इस हदीस को अबू बिशर और अब्दुल मलिक बिन मैसरा से बवास्ता सईद बिन जुबैर, सय्यदना अदी बिन हातिम (رحمته الله عليه) और सय्यदना अबू सअलबा (رحمته الله عليه) से इसी तरह रिवायत किया है। और दोनों हदीसों सहीह हैं। इस मसले में अबू सअलबा खुशानी (رحمته الله عليه) से भी मर्वी है।

4 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَغِيبُ عَنْهُ

1468 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُرْمِي الصَّيْدَ فَأَجِدُ فِيهِ مِنَ الْغَدِ سَهْمِي؟ قَالَ: إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ وَلَمْ تَرَ فِيهِ أَثَرَ سَبْعٍ فَكُلْ.

5 - जो शय्ख शिकार की तरफ तीर फेंके फिर उसे मुर्दा हालत में पानी के अन्दर देखे।

1469 - सय्यदना अदी बिन हातिम (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से शिकार के बारे में पूछा तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “ जब तुम अपना तीर फेंको तो अल्लाह का नाम लो फिर अगर तुम उसे क़त्लशुदा हालत में पाओ तो खा लो, अगर तुम देखो कि वह पानी में गिर गया है तो मत खाओ क्योंकि तुम नहीं जानते कि उसे पानी ने मारा है या तुम्हारे तीर ने।

मुस्लिम: 1929. अबू दाऊद: 2849. निसाई: 4298.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

6 - कुत्ता अगर शिकार में से कुछ खा ले।

1470 - सय्यदना अदी बिन हातिम (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सिखाये हुए कुत्ते के शिकार के मुताल्लिक पूछा? आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “जब तुमने अपने सिखाये हुए कुत्ते को छोड़ा और उस पर अल्लाह का नाम लिया तो जो वह तुम्हारे लिए रोके उसे खा लो। पस अगर वह ख़ुद खाता है तो तुम मत खाओ, क्योंकि उसने अपने लिए शिकार किया है। मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! आप बतलाइए अगर हमारे कुत्तों के साथ दूसरे कुत्ते मिल जाएँ? तो आप (ﷺ)

5 بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَزُومِي الصَّيْدَ فَيَجِدُهُ مَيِّتًا فِي الْمَاءِ

1469 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَاصِمُ الْأَخْوَلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّيْدِ، فَقَالَ: إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَادْكُرْ اسْمَ اللَّهِ، فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قَتِلَ فَكُلْ إِلَّا أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي الْمَاءَ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ.

6 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَلْبِ يَأْكُلُ مِنَ الصَّيْدِ

1470 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّيْدِ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ، قَالَ: إِذَا أُرْسِلَتْ كَلْبُكَ الْمُعَلَّمِ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ، فَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ خَالَطَتْ كِلَابَنَا كِلَابٌ أُخْرَى؟ قَالَ:

ने फ़रमाया, "तुमने अल्लाह का नाम अपने कुत्ते पर लिया है किसी दूसरे पर नहीं," सुफ़ियान कहते हैं आपने इसे खाना मकरूह समझा।

إِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تَذْكُرْ عَلَى غَيْرِهِ قَالَ سُفْيَانُ: أَكْرَهُ لَهُ أَكْلَهُ.

बुखारी: 175. मुस्लिम: 1929. अबू दाऊद: 2847, 2849. इब्ने माजा: 3208. निसाई: 4263.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: नबी (ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ (कुछ) उलमा का इसी पर अमल है कि शिकार और ज़बह किया गया जानवर जब पानी में गिर जाएँ तो उसे न खाये। ज़बीहा के बारे में बाज़ (कुछ) कहते हैं: जब उसकी शहे रग कट जाए फिर पानी में गिर कर मर जाए तो उसे खाया जा सकता है यह कौल अब्दुल्लाह बिन मुबारक (رحمته الله) का है। कुत्ता जब शिकार में से खा ले तो इस बारे में उलमा का इख़्तिलाफ़ है।

अक्सर अहले इल्म कहते हैं: जब कुत्ता उस में से कुछ खाले तो उसे न खाए। यह कौल सुफ़ियान, अब्दुल्लाह बिन मुबारक, अहमद और इस्हाक़ का है। जब कि नबी (ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से कुछ उलमा रूख़सत देते हैं कि अगर कुत्ता खा भी ले तो आदमी खा सकता है।

7 - मेराज़ का बयान.

7 بَابُ مَا جَاءَ فِي صَيْدِ الْمِعْرَاضِ

1471 - सय्यदना अदी बिन हातिम (رحمته الله) रिवायत करते हैं कि मैंने नबी (ﷺ) से मेराज़ के शिकार के बारे में सवाल किया तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, "जिसे तुम नोक के साथ मारो तो (उसे) खा लो और लकड़ी की तरफ़ से लगे तो वह मौकूज़ा है।"⁽¹⁾

1471 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَيْسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ، فَقَالَ: مَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَمَا أَصَبْتَ بِغَرَضِهِ فَهُوَ وَقِيدٌ.

बुखारी: 2054. मुस्लिम: 1929. अबू दाऊद: 2847. इब्ने माजा: 3215. निसाई: 4265.

तौज़ीह: (1) मेराज़ और मौकूज़ा का मानी हदीस नम्बर 1465 के तहत मुलाहज़ा फ़रमाएं।

वज़ाहत: अबू ईसा फ़रमाते हैं: हमें इब्ने अबी उमर ने वह कहते हैं: हमें सुफ़ियान ने ज़क़रिया से उन्होंने शाबी से बवास्ता अदी बिन हातिम (رحمته الله) नबी करीम (ﷺ) से ऐसे ही हदीस बयान की है।

इमाम तिमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और उलमा का इसी पर अमल है।

8 - पत्थर से जबह करना.

1472 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) से रिवायत है कि उनकी कौम के एक आदमी ने एक या दो खरगोशों का शिकार किया और उन्हें एक सफ़ेद⁽¹⁾ पत्थर से जबह किया फिर उन्हें लटकाया, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से मिले तो आप (ﷺ) से सवाल किया, आप (ﷺ) ने उसको उनके खाने का हुक्म दिया।

सहीह: बैहकी: 9/321. अब्दुर्रजाक: 8692.

तौज़ीह: المَرْوَة : सफ़ेद चमकदार या बारीक पत्थर जिससे आग निकाली जाती है, नीज़ मक्का में एक पहाड़ी का नाम भी मर्वा है लेकिन यहाँ पहला मानी मुराद है। (देखिये : अल-मोज़मुल वसीत:पृ. 1047)

वज़ाहत: इस मसले में मुहम्मद बिन सफ़वान, राफ़े और अदी बिन हातिम (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिरमिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: बाज़ (कुछ) उलमा ने पत्थर (मर्वा) के साथ जानवर जबह करने की रूख़सत दी है और खरगोश खाने में भी कोई क़बाहत नहीं समझते और यह जुम्हूर उलमा का कौल है। जबकि बाज़ (कुछ) उलमा खरगोश खाने को मकरूह कहते हैं।

नीज़ शाबी के शागिर्दों ने इस हदीस में इख़िलाफ़ किया है। दाऊद बिन अबी हिन्द ने बवास्ता शाबी, मुहम्मद बिन सफ़वान से रिवायत की है।

जबकि आसिम अहवल ने बवास्ता शाबी, सफ़वान बिन मुहम्मद या मुहम्मद बिन सफ़वान ज़िक्र किया है लेकिन मुहम्मद बिन सफ़वान ज़्यादा सहीह है। और जाबिर जोफ़ी बवास्ता शाबी सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) से क़तादा की शाबी से रिवायतकर्दा हदीस की तरह रिवायत की है। मुहम्मद बिन इस्माईल बुखारी फ़रमाते हैं: शाबी की जाबिर (رضي الله عنه) से रिवायतकर्दा हदीस ग़ैर महफूज़ है।

9 - बंधे हुए जानवर को तीर वगैरह से मार कर खाना मना है.

1473 - सय्यदना अबू दर्दा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुजस्समा को खाने

8 بَابُ مَا جَاءَ فِي الدَّبِيحَةِ بِالمَرْوَةِ

1472 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَيْبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ صَادَ أَرْبَعًا أَوْ اثْنَيْنِ، فَذَبَحَهُمَا بِمَرْوَةٍ، فَتَعَلَّقَهُمَا، حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ، فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهِمَا.

9 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَكْلِ المَصْبُورَةِ

1473 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَفْرَيْقِيِّ،

से मना फ़रमाया और यह वह (जानवर) है जिसे बाँध कर तीर मारे जाएँ।

सहीह: अस-सिलसिला अस-सहीहा: 2391.

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْمُجْتَمَةِ، وَهِيَ الَّتِي تُصَيَّرُ بِالتَّبَلِ.

वज़ाहत: इस मसले में इब्नाज़ बिन सारिया, अनस, इब्ने उमर, इब्ने अब्बास, जाबिर और अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिमिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: अबू दर्दा (رضي الله عنه) की हदीस हसन ग़रीब है।

1474 - उम्मे हबीबा बिनते इब्नाज़ बिन सारिया (رضي الله عنه) अपने बाप से रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ैबर के दिन हर कुचली⁽¹⁾ वाले दरिन्दे, हर पंजे⁽²⁾ वाले परिदे, पालतू गधों, मुजस्समा और खलीसा के गोशत को खाने से मना फ़रमाया और इससे भी मना फ़रमाया कि हामिला औरतों से सोहबत की जाए यहाँ तक कि वह अपने पेटों के बच्चों को जन्म दे दें।

सहीह: लेकिन खलीसा वाली बात सहीह नहीं है. मुसनद अहमद: 4/ 127.

1474 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَعَمِيرٌ وَاحِدٌ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ وَهَبِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ الْعُرَيْضِ وَهُوَ ابْنُ سَارِيَةَ، عَنْ أَبِيهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبْعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَعَنْ الْمُجْتَمَةِ، وَعَنْ الْخَلِيْسَةِ، وَأَنْ تُوَطَّأَ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ

तौज़ीह: ذِي نَاب: हर वह जानवर जिसके दो दांत नुकीले हों जैसे कुत्ता, हाथी, शेर, चीता वगैरह। ذِي مِخْلَب: पंजे वाला परिदा, जैसे बाज़ कव्वा, चील और ऐसे दीगर परिदे।

वज़ाहत: मुहम्मद बिन यहया अल क़तई कहते हैं: अबू आसिम से मुजस्समा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फ़रमाया कि किसी परिदे या किसी और जानवर को खड़ा करके बाँध कर तीर मारा जाए। खलीसा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भेड़िए या दरिन्दे के पास कोई आदमी जानवर पाए वह उसे उस दरिन्दे से छीन ले और उसको ज़बह करने से पहले उसके हाथ में वह जानवर मर जाए (उसे खलीसा कहते हैं)

1475 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने किसी रूह वाली चीज़ को निशाना बनाने से मना फ़रमाया।

सहीह: मुस्लिम: 1957. इब्ने माजा: 3177. निसाई: 4443. तोहफतुल अशराफ़: 6112.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं: अबू दर्दा (رضی اللہ عنہ) की हदीस हसन सहीह है और अहले इल्म का इसी पर अमल है।

1475 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّخَذَ شَيْءٌ فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا.

10 - जानवर के पेट के बच्चे का ज़बीहा.

1476 - सय्यदना अबू सईद (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया, "पेट के बच्चे का हलाल करना उसकी मां का हलाल (ज़बह) करना ही है।" (1)

सहीह: अबू दाऊद: 2827. इब्ने माजा: 3199.

तौज़ीह: (1) यानी अगर ज़बह किए जाने वाले जानवर के पेट से बच्चा निकले तो उसे ज़बह करने की ज़रूरत नहीं है।

वज़ाहत: इस मसले में जाबिर, अबू उमामा, अबू दर्दा और अबू हुरैरा (رضی اللہ عنہ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिजी (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और अबू सईद (رضی اللہ عنہ) से और सनद के साथ भी मर्वी है।

नीज़ नबी (ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से अहले इल्म का इसी पर अमल है। सुफ़ियान सौरी, इब्ने मुबारक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رضی اللہ عنہ) भी इसी के कायल हैं। अबू वदाक़ का नाम जबर बिन नौफ़ है।

10 بَابُ مَا جَاءَ فِي ذِكَاةِ الْجَنِينِ

1476 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُجَالِدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خُفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاعِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ذِكَاةُ الْجَنِينِ ذِكَاةُ أُمِّهِ.

11 - हर नुकीले दांतों वाला और पंजे वाला जानवर मकरुह है।

1477 - सय्यदना अबू सअलबा खुशनी (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हर कुचली (नुकीले दांतों) वाले दरिन्दे (को खाने) से मना फ़रमाया है।

बुखारी: 5530. मुस्लिम: 1932. अबू दाऊद: 3802. इब्ने माज़ा: 3232. निसाई: 4325.

वज़ाहत: (अबू ईसा رضي الله عنه) कहते हैं:) हमें सईद बिन अब्दुरहमान मरख़जूमी और दीगर मुहद्दिसीन ने रिवायत बयान करते हुए कहा कि हमें सुफ़ियान बिन उययना ने ज़ोहरी से इसी सनद के साथ अबू इदरीस खौलानी से ऐसी ही हदीस बयान की है।

इमाम तिर्मिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अबू इदरीस खौलानी का नाम आइज़ुल्लाह बिन अब्दुल्लाह है।

1478 - सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने खैबर के दिन पालतू गधों, खच्चरों, कुचली वाले दरिदों और पंजे वाले परिदों के गोशत को हराम करार दिया।

मुस्लिम: 1941. अबू दाऊद: 3788, 3789. इब्ने माज़ा: 3197. निसाई: 4327, 4329.

वज़ाहत: इस मसले में अबू हरैरा, इबाज़ बिन सारिया और इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: जाबिर (رضي الله عنه) की हदीस हसन गरीब है।

11 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ كُلِّ ذِي نَابٍ

وَذِي مِخْلَبٍ

1477 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَيْنِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ.

1478 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَغْنِي يَوْمَ خَيْبَرَ، الْخُمُرَ الْإِنْسِيَّةَ، وَالْخُومَ الْبِغَالِ، وَكُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ، وَذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ.

1479 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने हर कुचली (नुकीले दांतों) वाले दरिन्दे को हराम कहा है।

मुस्लिम: 1933. इब्ने माजा: 3233. निसाई: 4324.

1479 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। और नबी (ﷺ) के सहाबा व ताबेईन में से अक्सर उलमा का इसी पर अमल है। नीज़ इब्ने मुबारक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक (رضي الله عنه) का भी यही कौल है।

12 - जिंदा जानवर का जो हिस्सा काटा जाए वह मुर्दार के हुक्म में है।

12 بَابُ مَا قُطِعَ مِنَ الْحَيِّ فَهُوَ مَيْتٌ

1480 - सय्यदना अबू वाकिद लैसी (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) मदीना में आए तो वह लोग जिंदा ऊंटों की कोहानें और जिंदा बकरियों की सुरीन काट लेते थे तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “जिंदा जानवर का जो आज्ञा काटा जाए वह मुर्दार की तरह है।”

सहीह: अबू दाऊद: 2858. मुसनद अहमद: 5/218. दारमी: 2024.

1480 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنَعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي وَاكِدِ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَجُبُّونَ أَسْنِمَةَ الْإِيلِ، وَيَقْطَعُونَ الْيَابِاتِ الْغَنَمِ، فَقَالَ: مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ.

वज़ाहत: अबू ईसा (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: हमें इब्राहीम बिन याकूब जौज़ानी ने, वह कहते हैं: हमें अबू नज़र ने अब्दुरहमान बिन अब्दुल्लाह बिन दीनार से ऐसी ही हदीस बयान की है।

इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे ज़ैद बिन असलम की सनद से ही जानते हैं और अहले इल्म का इसी पर अमल है। नीज़ अबू वाकिद लैसी का नाम हारिस बिन औफ़ है।

13 - हलक़ और लब्बा में ज़बह करना चाहिए.

1481 - अबी उशरा अपने बाप से रिवायत करते हैं कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या ज़बह सिर्फ़ हलक़ और लब्बा⁽¹⁾ में ही होता है? आप (ﷺ) ने फ़रमाया, "अगर तुम उस जानवर के रान में नेजा मार दो फिर भी जायज़ होगा।"

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 2825. इब्ने माज़ा: 3184.

तौज़ीह: (1) اللبّة: गर्दन में हार बाँधने की जगह। (अल-मोज़मुल वसीत: पृ. 981)

वज़ाहत: अहमद बिन मुनीअ कहते हैं: यज़ीद बिन हारून का कौल है कि यह (रान में नेजा मारना) ज़रूरत के वक़्त है। इस मसले में राफ़े बिन ख़दीज़ (رضي الله عنه) से भी मर्वा है।

इमाम तिर्मिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे हम्माद बिन ज़ैद की सनद से ही जानते हैं और अबू उशरा की भी अपने बाप से यह एक ही हदीस मर्वा है। अबू उशरा के नाम में इख़्तिलाफ़ है: बाज़ (कुछ) कहते हैं: उसका नाम उसामा बिन क्रहतम है, यसार बिन बरज़ और इब्ने बलज़ भी कहा गया है। यह भी कहा जाता है कि उसका नाम उतारिद है और दादा की तरफ़ निस्बत है।

14 - छिपकली को मारना.

1482 - सय्यदना अबू हु़रैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "जिसने छिपकली को पहली ज़रब के साथ मारा उसके इतनी नेकियाँ हैं, अगर दूसरी ज़रब से मारा तो इतनी- इतनी नेकियाँ हैं और अगर तीसरी ज़रब से मारा तो उसे इतनी नेकियाँ मिलेंगी।"

13 بَابُ مَا جَاءَ فِي الذَّكَاةِ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ

1481 - حَدَّثَنَا هَنَادٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ (ح) وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْعُشْرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ؟ قَالَ: لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لِأَجْزَأَ عَنْكَ

14 بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْوَرِغِ

1482 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَتَلَ وَرَغَةً بِالضَّرْبَةِ الْأُولَى كَانَ لَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، فَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ

मुस्लिम: 2240. अबू दाऊद: 5263. इब्ने माजा: 3229.

الثَّانِيَةَ كَانَ لَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، فَإِنْ قَتَلَهَا فِي
الصَّرِيَةِ الثَّلَاثَةِ كَانَ لَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने मसऊद, साद, आयशा और उम्मे शरीक (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

15 - सांप मारना.

1483 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "सांपों को मारो, और खुसूसन दो नुक्तों वाले और दुम कटे⁽¹⁾ सांप को मारो, यह नज़र को ख़त्म और हमल को गिरा देते हैं।"

बुखारी: 3297. मुस्लिम: 2233. अबू दाऊद: 4242.
इब्ने माजा: 3535.

तौज़ीह: الأُتْر: दुम कटा यानी उस सांप की दुम बहुत छोटी होती है और الطُّفَيْتَيْنِ: एक खबीस किसम का लचकदार सांप है जिसकी पीठ पर खजूर के पत्तों की मानिंद दो धारियां होती हैं। यह दोनों बहुत खतरनाक सांप हैं।

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने मसऊद, आयशा, अबू हुरैरा और सहल बिन साद (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है नीज़ इब्ने उमर (رضي الله عنه) अबू लुबाबा से रिवायत करते हैं, नबी (ﷺ) ने उसके बाद घरों में रहने वाले पतले साँपों को जिन्हें अवामिर कहा जाता है मारने से मना कर दिया था और इब्ने उमर, ज़ैद बिन खत्ताब (رضي الله عنه) से भी ऐसे ही रिवायत करते हैं।

अब्दुल्लाह बिन मुबारक फ़रमाते हैं: साँपों में से उस साँप को मारना मकरूह है जो बहुत बारीक होता है और चांदी की तरह लगता है और चलते हुए बल नहीं खाता।

1484 - सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "तुम्हारे घरों में आबादी में रहने

1484 - حَدَّثَنَا هَنَادُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُهُ، عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي
سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

वाले सांप रहते हैं, उन्हें तीन बार आगाह करो अगर उसके बाद भी कोई चीज़ ज़ाहिर हो तो उसे मार दो।”

मुस्लिम:2236. अबू दाऊद:5256. 5259.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (रह) फ़रमाते हैं: उबैदुल्लाह बिन उमर ने बवास्ता सैफी अबू सईद खुदरी (रह) से इस हदीस को इसी तरह रिवायत किया है।

जबकि मालिक बिन अनस ने इस हदीस को सैफी से हिशाम बिन उर्वा के गुलाम अबू साइब के वास्ते के साथ अबू सईद खुदरी (रह) से बयान किया है तो इस में एक किस्सा भी बयान किया है। यह हदीस हमें अंसारी ने भी मअन से बवास्ता मालिक बयान की है और यह उबैदुल्लाह बिन उमर की हदीस से ज़्यादा सहीह है। नीज़ मुहम्मद बिन अजलान ने सैफी से मालिक की रिवायत जैसी रिवायत बयान की है।

1485 - सय्यदना अबू लैला (रह) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (रह) ने फ़रमाया, “जब किसी घर में सांप निकल आए तो तुम उस से कहो: हम तुम से नूह और सुलैमान बिन दाऊद (रह) के अहद से सवाल करते हैं कि तुम हमें तकलीफ़ नहीं दोगे, अगर दोबारा फिर आए तो उसे क़त्ल कर दो।

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 5260.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (रह) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है और साबित बुनानी से बतरीक़ अब्दुरहमान बिन अबी लैला ही हमें मिलती है।

16 - कुत्तों को मारना.

1486 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मुग़ाफ़ल (रह) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (रह) ने फ़रमाया, “अगर कुत्ते अल्लाह की मख़लूक में से एक मख़लूक न होते तो मैं उन तमाम कुत्तों

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِبَيْوتِكُمْ عُمَارًا، فَحَرِّجُوا عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا، فَإِنْ بَدَأَ لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَاقْتُلُوهُنَّ.

1485 - حَدَّثَنَا هَنَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَائِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: قَالَ أَبُو لَيْلَى: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا ظَهَرَتِ الْحَيَّةُ فِي الْمَسْكَنِ فَقُولُوا لَهَا: إِنَّا نَسْأَلُكَ بِعَهْدِ نُوحٍ، وَبِعَهْدِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، أَنْ لَا تُؤْذِينَا، فَإِنْ عَادَتْ فَاقْتُلُوهَا.

16 بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْكِلَابِ

1486 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنصُورُ بْنُ زَادَانَ، وَيُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ

को मारने का हुक्म देता, पस तुम हर सियाह रंग के कुत्ते को मारो। ”

सहीह: अबू दाऊद: 2845. इब्ने माजा:3205.
निसाई:4280.

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَّمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا كُلِّهَا، فَأَقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بِهِمِ.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने उमर, जाबिर, अबू राफे और अबू अय्यूब (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन मुग़ाफ़ल (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और बाज़ (कुछ) अहादीस में मर्वी है कि सियाह कुत्ता शैतान है। और सियाह कुत्ता वह होता है जिसमें कुछ सफ़ेद रंग न हो। नीज़ बाज़ (कुछ) उलमा ने सियाह कुत्ते से शिकार करना मकरूह कहा है।

17 - कुत्ता रखने वाले का कितना अज़्र कम होता है?

1487 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “जिसने कुत्ता पाला या रखा जो न शिकार करता हो और न मवेशियों की रखवाली के लिए हो तो उसके आमाल से हर दिन दो क़ीरात की कमी की जाती है। ”

बुख़ारी:5480. मुस्लिम: 1574. निसाई:4284.

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन मुग़ाफ़ल, अबू हुरैरा और सुफ़ियान बिन अबी ज़ुहैर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। नीज़ नबी (ﷺ) से यह भी मर्वी है कि आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “या खेत के लिए रखा गया कुत्ता। ”

1488 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कुत्तों को मारने का हुक्म दिया सिवाए शिकार या मवेशियों की रखवाली वाले कुत्तों के। अग्र बिन दीनार कहते

17 بَابُ مَا جَاءَ مِنْ أَمْسَاكِ كَلْبًا مَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ

1487 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَقْتَنَى كَلْبًا أَوْ اتَّخَذَ كَلْبًا لَيْسَ بِضَارٍ وَلَا كَلَبَ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ فَيْرِطَانٍ.

1488 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ

हैं: इब्ने उमर से कहा गया कि अबू हरैरा (رضي الله عنه) कहा करते थे क्या खेत की हिफाज़त करने वाला कुत्ता। तो उन्होंने फ़रमाया कि अबू हरैरा (رضي الله عنه) के खेत जो थे।

बुखारी: 3323. मुस्लिम: 1571. इब्ने माजा: 3202. निसाई: 4277.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

1489 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़ल (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैं उन लोगों में था जो रसूलुल्लाह (ﷺ) के ख़ुत्बे के दौरान आप के चेहरे से दरख़्तों की शाखें हटा रहे थे। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “अगर कुत्ते गिरोहों में से एक गिरोह न होते तो मैं उनको मारने का हुक्म देता, उनमें से हर काले सियाह को मारो, और जो घर वाले कुत्ता बांधते हैं उनके अमल में से हर दिन एक कीरात कम होता है सिवाए शिकारी कुत्ते या खेत और बकरियों की रखवाली वाले कुत्ते के।

सहीह: अबू दाऊद: 2848. इब्ने माजा: 3205. निसाई: 4280.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है नीज़ नबी (ﷺ) की यह हदीस कई तुरूक से बवास्ता हसन, सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़ल (رضي الله عنه) से मर्वी है।

1490 - अबू हरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “जिसने मवेशियों की रखवाली, शिकार या खेत की रखवाली वाले कुत्ते के अलावा कोई कुत्ता रखा तो हर दिन उसके अमल से एक कीरात कम होता है।”

الْكِلَابِ، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ، قَالَ: قِيلَ لَهُ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ: أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ، فَقَالَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَهُ زَرْعٌ.

1489 - حَدَّثَنَا عُيَيْدُ بْنُ أُسْبَاطٍ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ قَالَ: إِنِّي لَمِنَ يَرْفَعُ أَغْصَانَ الشَّجَرَةِ عَنْ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ، فَقَالَ: لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَّةِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ، وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَرْتَبِطُونَ كَلْبًا إِلَّا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ، أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ.

1490 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ

बुखारी: 2322. मुस्लिम: 1575. इब्ने माजा: 3204.
निसाई: 4289.

مَاشِيَةٍ، أَوْ صَيْدٍ، أَوْ زَّرَعٍ، انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ
كُلَّ يَوْمٍ قَبْرَاطٍ.

तौज़ीह: वज़्र ाط: वज़न और पैमाइश की एक मित्रदार (मात्रा) जो मुख्तलिफ़ अदवार में बदलती रहती है। वज़न में लगभग आधा ग्राम बनता है। (अल-कामूसुल वहीद: पृ. 1300) लेकिन याद रहे हदीस में एक कीरात को उहुद पहाड़ के बराबर भी कहा गया है।

वज़ाहत: इमाम तिमिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

और अता बिन अबी रबाह से मर्वी है उन्होंने इजाज़त दी है कि अगर किसी की एक बकरी भी हो तो कुत्ता रख सकता है। यह बात हमें इस्हाक़ बिन मंसूर ने उन्हें हज्जाज बिन मुहम्मद ने बवास्ता इब्ने जुरैज अता से बयान की है।

18 - बांस वगैरह से ज़बह करना.

18 بَابُ مَا جَاءَ فِي الذَّكَاءِ بِالْقَصَبِ وَعَظْمِهِ

1491 - सय्यदना राफ़े बिन ख़दीज बयान करते हैं कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हम कल दुश्मन से मिलेंगे और हमारे पास जानवर ज़बह करने के लिए छुरियाँ नहीं हैं तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, " जो चीज़ खून वहा दे और उस पर अल्लाह का नाम लिया जाए तो अगर ज़बह के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज़ दांत या नाखून नहीं है तो उस ज़बीहा को खालो, इस बारे में भी मैं तुम्हें बताता हूँ: दांत तो हड्डी है और नाखून हड्डियों की छुरियाँ हैं। "

1491 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَّادَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَنَيْسَتْ مَعَنَا مِذْي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ مَا لَمْ يَكُنْ سِنًّا أَوْ ظَفْرًا، وَسَأَخَذْتُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، أَمَّا السِّنُّ: فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظَّفْرُ: فَمِذْيُ الْحَبَشَةِ.

बुखारी: 2488. मुस्लिम: 1968. अबू दारुद: 2821.
इब्ने माजा: 3178. निसाई: 4403.

वज़ाहत: अबू ईसा (رحمته الله) कहते हैं: हमें मुहम्मद बिन बरशार ने वह कहते हैं: हमें यह्या बिन सईद ने सुफ़ियान सौरी से वह कहते हैं मुझे मेरे बाप ने बवास्ता अबाय्या बिन रिफ़ाआ बिन राफ़े बिन ख़दीज नबी (ﷺ) से ऐसे ही हदीस बयान की है और इसमें अबाय्या के बाप का तज्किरा नहीं है और यह ज़्यादा

सहीह है और अबाय्या ने अपने दादा राफे बिन खदीज (رضی اللہ عنہ) से हदीस की समाअत (सुनना) की है। नीज़ अहले इल्म इसी पर अमल करते हुए दांत या हड्डी से ज़बह करने को दुरुस्त नहीं समझते।

19 - ऊँट, गाय, बकरी जब वहशी जानवर की तरह भाग जाएँ तो उन्हें तीर मारा जा सकता है या नहीं?

19 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبَعِيرِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ إِذَا نَدَّ فَصَارَ وَحْشِيًّا يُرْمَى بِسَهْمٍ أَمْ لَا؟

1492 - सय्यदना राफे बिन खदीज (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि हम नबी (ﷺ) के साथ एक सफ़र में थे कि लोगों के ऊँटों में से एक ऊँट भाग खड़ा हुआ और लोगों के पास घोड़े नहीं थे तो एक आदमी ने उसे तीर मारा तो अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने उसे रोक दिया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, " बेशक उन चौपायों में से कुछ वहशी⁽¹⁾ जानवरों की तरह भाग जाने वाले हैं जो जानवर ऐसे करे तो तुम भी उसके साथ ऐसे ही करो। "

1492 - حَدَّثَنَا هَنَّادُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عُبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَنَدَّ بَعِيرٌ مِنْ إِبِلِ الْقَوْمِ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ خَيْلٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ، فَحَبَسَهُ اللَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوْلَادَ كَأَوْلَادِ الْوَحْشِ فَمَا فَعَلَ مِنْهَا هَذَا فَاَفْعَلُوا بِهِ هَكَذَا.

बुखारी: 2488. मुस्लिम: 1968. अबू दारूद: 2821. इब्ने माजा: 3183. निसाई: 4410.

तौज़ीह: इंसानों से ख़ौफ़ खाने वाले और भागने वाले जानवर (अलमोज़मुल वसीत: पृ. 12)

वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें महमूद बिन गैतान ने (वह कहते हैं:) हमें वकीअ ने, उन्हें सुफ़ियान ने अपने बाप से उन्होंने अबाय्या बिन रिफ़ाआ से उनके दादा के वास्ते के साथ नबी (ﷺ) से ऐसी ही हदीस बयान की है और उस में अबाय्या के वालिद का ज़िक्र नहीं है और यह ज़्यादा सहीह है।

नीज़ अहले इल्म का इसी पर अमल है, और शोब़ा ने भी सईद बिन मसरूक से बतरीक़ सुफ़ियान इसी तरह रिवायत की है।

खुलासा..

- सधाए हुए शिकारी कुत्ते से शिकार करना जायज़ है बशर्ते कि वह शिकार खुद न खाए।
- बाज़ और उकाब वगैरह से शिकार किया जा सकता है।
- लकड़ी लग के मरने वाला जानवर खाना जायज़ नहीं है।
- जो चीज़ खून बहा दे उसे ज़बह किया जा सकता है।
- जानवर को बाँध कर उसे तीर मारना मना है और इस तरीक़े से किया जाने वाला शिकार हराम है।
- नुकीले दांतों वाला दरिदा और पंजे वाला परिदा हराम है।
- छिपकली, सांप और कुत्तों को मारना जायज़ है।
- बिला मक़सद कुत्ता रखना हराम है और उसकी वजह से हर दिन सवाब में एक कीरात की कमी होती है।
- तेज़ धार वाले बांस से जानवर ज़बह किया जा सकता है।
- भाग जाने वाले चौपाये को तीर वगैरह मार कर रोका जा सकता है।

मज़मून नम्बर 17

أَبْوَابُ الْأَضَاحِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ रसूलुल्लाह (ﷺ) से मर्वी कुर्बानियों के अहकाम व मसाइल तआरुफ़

22 अबवाब और 31 अहादीस पर मुश्तमिल यह उन्वान इन मसाइल पर मुश्तमिल है:

- कुर्बानी क्या है और इसके कौनसे जानवर हैं?
- किन जानवरों को कुर्बानि करना जायज़ नहीं है.
- फ़रा और अतीरा किया हैं?
- नौ मौलूद के अहकाम और अकीका?

1 - कुर्बानी⁽¹⁾ की फ़ज़ीलत.

1493 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "आदमी के कुर्बानी के दिन खून बहाने से ज़्यादा अल्लाह को महबूब अमल कोई नहीं। बेशक यह कुर्बानी का जानवर क़यामत के दिन अपने सींगों, बालों और खुरों के साथ आयेगा और बेशक खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह के यहाँ मकाने कुबूलियत में गिरता है, सो तुम इस बशारत के साथ अपने दिल को खुश कर लो।"

ज़ईफ़: इब्ने माजा:3126. हाकिम:4/221.

1 بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْأَضْحِيَّةِ

1493 - حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو مُسْلِمٌ بْنُ عَمْرٍو بْنُ مُسْلِمٍ الْحَذَّاءُ الْمَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعِ الصَّائِغِ أَبُو مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا عَمِلَ أَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ الْإِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهُ لِيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَطْلَافِهَا، وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، فَطَيَّبُوا بِهَا نَفْسًا

तौजीह: الأضحیة: कुर्बानी किए जाने वाले जानवर ऊँट, गाय व गोरु को الأضحیة कहा जाता है। इसकी जमा الأضاحی है।

वज़ाहत: इस मसले में इमरान बिन हुसैन और ज़ैद बिन अरक़म (رضی اللہ عنہ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिमिजी (رحمۃ اللہ علیہ) فرमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है। हमें हिशाम बिन उर्वा से सिर्फ़ इसी सनद के साथ मिलती है और अबू मुसन्ना का नाम सुलैमान बिन यज़ीद है। जिससे इब्ने अबी फुदैक रिवायत करते हैं।

नीज़ फ़रमाते हैं: नबी (ﷺ) से कुर्बानी के बारे में मर्वी है कि कुर्बानी करने वाले के लिए हर बाल के बदले नेकी है और सींगों का भी ज़िक्र है।

2 - दो मेंटों की कुर्बानी करना.

1494 - अनस बिन मालिक (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सींगों वाले, चितकबरे⁽¹⁾ दो मेंटों की कुर्बानी की, आप (ﷺ) ने उन्हें अपने हाथ से ज़बह किया, बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर कहा, और अपना पाँव उनके पहलुओं पर रखा।

बुखारी: 5558. मुस्लिम: 1966. अबू दाऊद: 2794. इब्ने माजा: 3120. निसाई: 4387.

तौजीह: أُلْحَاحُ : उस मेंटे को कहते हैं जिसकी सफेदी के साथ सियाही की आमेज़िश हो। तस्निया का लफ़्ज़ أُمْلَحِين है। (अल- कामूसुल वहीद: पृ. 1576)

वज़ाहत: इस मसले में अली, आयशा, अबू हुरैरा, जाबिर, अबू अय्यूब, अबू दर्दा, अबू राफ़े, इब्ने उमर और अबू बकर (رضی اللہ عنہ) से भी इसी तरह मर्वी है। इमाम तिमिजी (رحمۃ اللہ علیہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

3 - फौत शुदा की तरफ़ से कुर्बानी करना.

1495 - हनश (رحمۃ اللہ علیہ) बयान करते हैं कि सय्यदना अली (رضی اللہ عنہ) दो मेंटों की कुर्बानी किया करते थे एक नबी (ﷺ) की तरफ़ से और

2 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأُضْحِيَّةِ بِكَبْشَيْنِ

1494 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَبَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا.

3 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأُضْحِيَّةِ عَنِ الْمَيْتِ

1495 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ، عَنْ أَبِي

एक अपनी तरफ से, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा: मुझे नबी (ﷺ) ने इसका हुक्म दिया था, मैं इस काम को कभी नहीं छोड़ूंगा।

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 2790. मुसनद अहमद: 1/107.
हाकिम: 4/229.

الْحُسَيْنَاءُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ حَنْشٍ، عَنْ عَلِيٍّ،
أَنَّهُ كَانَ يُضْحِي بِكَبْشَيْنِ أَخَذَهُمَا عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْآخَرَ عَنْ نَفْسِهِ،
فَقِيلَ لَهُ: فَقَالَ: أَمَرَنِي بِهِ، يَعْنِي النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَا أَدْعُهُ أَبَدًا.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: यह हदीस शरीब है। हम इसे सिफ़्र शरीक की रिवायत से जानते हैं। नीज़ याज़ (कुछ) उलमा ने मय्यत की तरफ़ से कुर्बानी करने की रूख़सत दी है जबकि बाज़ (कुछ) मय्यत की तरफ़ से कुर्बानी को सहीह नहीं समझते।

अब्दुल्लाह बिन मुबारक (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि मय्यत की तरफ़ से सदका कर दे और कुर्बानी न करे और अगर कुर्बानी करता है तो उस से कुछ भी न खाए बल्कि सारा गोशत सदका कर दे।

मुहम्मद बिन इस्माइल बुखारी (رحمته الله عليه) कहते हैं: कि अली बिन मदीनी (رحمته الله عليه) ने फ़रमाया, इसे शरीक के अलावा दीगर रावियों ने भी रिवायत किया है। मैंने उन से कहा: अबू हसना का नाम क्या है? तो वह उसे नहीं जानते थे। मुस्लिम फ़रमाते हैं: उनका नाम हसन था।

4 - जिन जानवरों की कुर्बानी मुस्तहब (बेहत) है.

1496 - अबू सईद खुदरी (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सींगों वाले नर मेंढे की कुर्बानी की जो सियाही में खाता था, सियाही में चलता था, और सियाही में देखता था।⁽¹⁾

सहीह: अबू दाऊद: 2786. इब्ने माजा: 3128. निसाई: 4390.

4 بَابُ مَا جَاءَ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْأَضَاحِيِّ

1496 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا
حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: ضَحَى
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ
فَحِيلٍ، يَأْكُلُ فِي سَوَادٍ، وَيَمْشِي فِي سَوَادٍ،
وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ.

तौजीह: (1) यानी उसका मुंह, पाँव और आँखों के किनारे सियाह थे।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। हम इसे सिर्फ़ हफ़स बिन गियास की रिवायत से ही जानते हैं।

5 - किन जानवरों की कुर्बानी जायज़ नहीं है?

1497 - सय्यदना बराअ बिन आज़िब (رضي الله عنه) रसूलुल्लाह (ﷺ) से मफू हदीस बयान करते हैं: "लंगड़ा जानवर जिसका लंगड़ापन ज़ाहिर हो उसकी कुर्बानी न की जाए, न काना जिसका कानापन ज़ाहिर हो, न बीमार जिसकी बीमारी वाज़ेह हो और न ही दुबला जानवर जिसकी हड्डी में गूदा न हो।"

सहीह: अबू दाऊद: 2802. इब्ने माजा: 3144. निसाई: 4369, 4371.

वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें हनाद ने वह कहते हैं: हमें इब्ने अबी ज़ायदा ने वह कहते हैं हमें शोबा ने सुलैमान बिन अब्दुरहमान से उन्हें उबैद बिन फ़ैरूज़ ने बवास्ता बराअ बिन आज़िब (رضي الله عنه) नबी (ﷺ) से इसी मफ़हूम की हदीस बयान की है।

इमाम तिर्मिजी (رحمته) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है हम इसे उबैद बिन फ़ैरूज़ की सनद से ही बराअ बिन आज़िब (رضي الله عنه) से जानते हैं। नीज़ उलमा का इसी हदीस पर अमल है।

6 - कौन से जानवरों की कुर्बानी मकरूह है?

1498 - सय्यदना अली (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि हमें रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हुक्म दिया कि हम आँख और कान अच्छी तरह से देख लें और हम मुकाबला, मुदाबरा, शरका और खरका की कुर्बानी न करें।

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 2804. इब्ने माजा: 3142.

5 بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الْأَصْحَابِ

1497 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ خَازِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، رَفَعَهُ قَالَ: لَا يُصَحَّى بِالْعَرَجَاءِ بَيْنَ ظَلْعَيْهَا، وَلَا بِالْعَوْرَاءِ بَيْنَ عَوْرَتِهَا، وَلَا بِالْمَرِيضَةِ بَيْنَ مَرَضَتِهَا، وَلَا بِالْعَجْفَاءِ الَّتِي لَا تَنْقِي.

6 بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْأَصْحَابِ

1498 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانَ الصَّائِدِيِّ وَهُوَ الْهَمْدَانِيُّ،

निसाई:4372.

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأَذْنَ، وَأَنْ لَا نُضْحِيَ بِمُقَابِلَتِهِ، وَلَا مُدَابِرَةَ، وَلَا شَرْفَاءً، وَلَا خَرْفَاءً.

वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें हसन बिन अली ने वह कहते हैं, हमें उबैदुल्लाह बिन मूसा (ﷺ) ने उन्हें इस्त्राईल बिन अबू इस्हाक़ से उन्हें शुरैह बिन नौमान ने बवास्ता अली (ﷺ) नबी (ﷺ) से ऐसी ही हदीस बयान की इस में यह अल्फ़ाज़ ज़्यादा किए हैं कि, मुक्राबला: वह जानवर है जिसके कान का किनारा काटा गया हो, मुदाबरा: वह जिस के कान के किनारे की तरफ़ से कुछ हिस्सा कटा हुआ हो, शरका: वह जिस का कान फटा हुआ हो और खरका: वह जिस के कान में सुराख हो।

इमाम तिमिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ फ़रमाते हैं कि शुरैह बिन नौमान साइदी कूफी है और शुरैह बिन हारिस किंदी कूफी काज़ी की कुनियत अबू उमय्या थी, उन्होंने अली (ﷺ) से रिवायत लीं हैं, और शुरैह बिन हानी भी कूफी है और हानी सहाबी थे। जब कि यह सब (शुरैह नामी आदमी) एक ही वक़्त में हुए हैं और अली (ﷺ) के शागिर्द हैं। और **أَنْ نَسْتَشْرِفَ** का मानी है कि हम अच्छी तरह से देख लें।

7 - कुर्बानी में भेड़ की नस्ल से जज़अ करना.

1499 - अबू किबाश (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं बकरियों के आठ माह के बच्चे मदीना में बेचने के लिए लाया तो मुझे उनके ग्राहक न मिले, मैं अबू हुरैरा (ﷺ) से मिला उन से पूछा तो उन्होंने फ़रमाया, "मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना: "भेड़ की नस्ल जज़अ⁽¹⁾ बेहतरीन कुर्बानी है।" रावी कहते हैं: लोग उन्हें जल्दी-जल्दी ख़रीद कर ले गए।

ज़ईफ़: अज़-ज़ईफ़ा: 46. बेहकी: 9/271.

7 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجَذَعِ مِنَ الضَّأْنِ فِي الْأَصْحَابِ

1499 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَيْسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَثْمَانُ بْنُ وَقِيدٍ، عَنْ كِدَامِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي كِبَاشٍ قَالَ: جَلَبْتُ عَنَّمَا جُدَعَانَا إِلَى الْمَدِينَةِ فَكَسَدَتْ عَلَيَّ، فَلَقَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: نِعْمَ الْأَصْحِيَّةُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ، قَالَ: فَاتَّبَعْتُهُ النَّاسَ.

वज़ाहत: الْجَذَعُ : जानवरों की जिन्स के एतबार से जज़अ की उम्र भी मुख्तलिफ़ होती है। ऊँट का वह बच्चा जिसकी उम्र का पांचवां साल शुरू हो चुका हो जज़अ कहलाता है, घोड़े और गाय वगैरह में वह बच्चा जिसकी उम्र का तीसरा साल शुरू हो गया हो जब कि भेड़ और बकरी में वह बच्चा जो आठ या नौ माह का हो गया उसे जज़अ कहा जाता है। इसकी जमा جذاع और جذعان आती है। (तफ़्सील के लिए देखिये: अल-मोज़मुल वसीत:पृ. 133)

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास, उम्मे बिलाल बन्ते बिलाल की अपने बाप से, जाबिर, उक्रबा बिन आमिर (رضي الله عنه) और नबी (ﷺ) के एक सहाबी (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

नीज़ यह हदीस अबू हुरैरा से मौकूफ़न भी मर्वी है। और उस्मान बिन वाकिद, यह वाकिद बिन मुहम्मद बिन जियाद बिन अब्दुल्लाह बिन उमर बिन खत्ताब के बेटे हैं, नीज़ नबी (ﷺ) के सहाबा (رضي الله عنه) और दीगर लोगों में से अहले इल्म का इसी पर अमल है कि भेड़ की नस्ल के जज़अ की कुर्बानी जायज़ है।

1500 - उक्रबा बिन आमिर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसको कुछ बकरियां दीं कि आप सहाबा में बतौर कुर्बानी तक्सीम कर दें तो बकरी का एक⁽¹⁾ बच्चा बच गया, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से इसका ज़िक्र किया तो आप ने फ़रमाया, “ इसकी तुम खुद कुर्बानी कर लो। ”

बुख़ारी: 2300. मुस्लिम: 1965. इब्ने माजा:3138. निसाई: 4379, 4381.

तौज़ीह: عَتُوْدٌ : बकरी का एक साल का क़वी (सेहतमन्द) बच्चा। (अल-मोज़मुल वसीत:पृ. 688)

वज़ाहत: वकी कहते हैं: भेड़ की नस्ल का जज़अ सात या छः महीने की उम्र का होता है।

इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं यह हदीस हसन सहीह है और उक्रबा बिन आमिर (رضي الله عنه) से दूसरी सनद के साथ मर्वी है कि नबी (ﷺ) ने कुर्बानियाँ तक्सीम की तो एक जज़अ रह गया मैंने नबी (ﷺ) से सवाल किया तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “ तुम इसकी कुर्बानी कर लो। ”

अबू ईसा कहते हैं: यह हदीस हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने वह कहते हैं: हमें यज़ीद बिन हारून और अबू दाऊद ने वह दोनों कहते हैं: हमें हिशाम दस्तवाई ने उन्हें यट्या बिन अबी कसीर ने बअजा बिन अब्दुल्लाह बिन बद्र से बवास्ता उक्रबा बिन आमिर (رضي الله عنه) नबी (ﷺ) से रिवायत किया है।

1500 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ
يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْحَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ
بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَعْطَاهُ غَنَمًا يَفْسِمُهَا عَلَى أَصْحَابِهِ ضَحَايَا،
فَبَتِّي عَتُوْدًا أَوْ جَدِي، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ضَحَّ بِهِ أَنْتَ.

8 - कुर्बानी के जानवरों में शरीक होना.

1501 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है वह फ़रमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ एक सफ़र में थे कि कुर्बानी आ गई तो हमने गाय में सात और ऊँट में दस अफ़राद को शरीक किया।

सहीह: इब्ने माजा: 3131. निसाई:4392.

वज़ाहत: इस मसले में अबू अशद अल अस्लमी अपने बाप के वास्ते के साथ अपने दादा से और अबू अय्यूब (رضي الله عنه) से भी रिवायत करते हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) की हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे फ़ज़ल बिन मूसा के तरीक़ से ही जानते हैं।

1502 - सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि हमने रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ ऊँट और गाय को सात-सात अफ़राद की तरफ़ से कुर्बान किया।

मुस्लिम: 1318. अबू दाऊद: 2808, 2809. इब्ने माजा:3132. निसाई:4393.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से उलमा का इसी पर अमल है। सुफ़ियान सौरी, इब्ने मुबारक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक (رحمته الله) का भी यही कौल है।

9 - झींग टूटे और कान कटे जानवर का बयान.

1503 - हुज़य्या बिन अदी (رضي الله عنه) से रिवायत है कि अली (رضي الله عنه) ने फ़रमाया, "गाय सात

8 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِشْتِرَاكِ فِي الْأُضْحِيَّةِ

1501 - حَدَّثَنَا أَبُو عَمَارٍ الْحُسَيْنِيُّ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ عَلِيَاءِ بْنِ أَحْمَرَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ الْأُضْحَى فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقْرَةِ سَبْعَةً، وَفِي الْبَعِيرِ عَشْرَةً.

1502 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.

9 بَابُ فِي الضَّحِيَّةِ بِعَضْبَاءِ الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ

1503 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ، عَنْ حُجَيَّةِ بْنِ

आदमियों की तरफ़ से है। मैंने कहा: अगर वह बच्चा जन्म दे दे तो? उन्होंने फ़रमाया, उस के साथ उसके बच्चे को ज़बह कर दो। मैंने कहा: लंगड़ा जानवर कैसा है? उन्होंने फ़रमाया, जब वह कुर्बानगाह तक पहुँच गया हो तो ठीक है। मैंने कहा: जिसका सींग टूटा हुआ हो? तो उन्होंने फ़रमाया, कोई हर्ज नहीं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हमें हुक्म दिया कि हम आँखें और कानों को अच्छी तरह से देख लें।

हसन: इब्ने माजा: 3143. तयालिसी: 160. मुसनद अहमद: 1/95.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ सुफ़ियान सौरी (ﷺ) ने भी इसे सलमा बिन कुहैल से रिवायत किया है।

1504 - सय्यदना अली (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मना फ़रमाया कि सींग टूटे या कान कटे जानवर की कुर्बानी की जाए, क़तादा कहते हैं: मैंने सईद बिन मुसय्यब से यह रिवायत ज़िक्र की तो उन्होंने फ़रमाया, "टूटना वह माने (रूकावट) है जो आधे (सींग या कान) तक या ऊपर हो।

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 2805. इब्ने माजा: 3145. निसाई: 4377.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

10 - एक घराने की तरफ़ से एक बकरी की कुर्बानी जायज़ है.

1505 - अता बिन यसार (ﷺ) कहते हैं: मैंने सय्यदना अबू अय्यूब अंसारी (ﷺ) से सवाल

عَدِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: الْبَقْرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ، قُلْتُ: فَإِنْ وَلَدَتْ؟ قَالَ: أَذْبَحُ وَلَدَهَا مَعَهَا، قُلْتُ: فَالْعَرَجَاءُ، قَالَ: إِذَا بَلَغَتِ الْمَنَسِكَ، قُلْتُ: فَمَكْسُورَةُ الْقَرْنِ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَمْرَنَا، أَوْ أَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَيْنِ وَالْأذُنَيْنِ.

1504 - حَدَّثَنَا هَذَا، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُهُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جُرَيْبِ بْنِ كَلَيْبِ السَّدُوسِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُضْحَى بِأَعْضَبِ الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ، قَالَ قَتَادَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، فَقَالَ: الْعَضْبُ، مَا بَلَغَ النُّصْفَ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ.

10 بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الشَّاةَ الْوَاحِدَةَ تُجْزَى عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ

1505 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْخَنْفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ

किया कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) के दौर में कुर्बानियाँ कैसे होती थी? तो उन्होंने फ़रमाया, "एक आदमी अपनी और अपने घर वालों की तरफ़ से एक बकरी करता उसे खुद भी खाता और मसाकीन को भी खिलाता यहाँ तक कि लोग फख्र करने लगे और कुर्बानी ऐसे हो गई जैसे तुम देखते हो।

सहीह: इब्ने माजा: 3147. बैहकी: 9/268.

عُمَانٌ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ: كَيْفَ كَانَتْ الصَّحَابِيَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَصْحِي بِالشَّأَةِ عَنَّهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعَمُونَ حَتَّى تَبَاهِيَ النَّاسُ، فَصَارَتْ كَمَا تَرَى.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और उमारा बिन अब्दुल्लाह मदनी हैं। उन से मालिक बिन अनस भी रिवायत करते हैं। नीज़ बाज़ (कुछ) उलमा का इसी पर अमल है, यह कौल अहमद और इस्हाक़ का भी है। उन्होंने नबी (ﷺ) की इस हदीस से दलील ली है कि आप ने एक मेंढे की कुर्बानी की तो फ़रमाया, यह उसकी तरफ़ से है जो मेरी उम्मत में कुर्बानी न कर सके।

जबकि बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं: एक बकरी सिर्फ़ एक फर्द की तरफ़ से ही हो सकती है। यह कौल अब्दुल्लाह बिन मुबारक और दीगर उलमा का है।

11 - इस बात की दलील कि कुर्बानी सुन्नत है.

1506 - जबला बिन सुहैम (رحمته الله) से रिवायत है कि एक आदमी ने इब्ने उमर (رضي الله عنه) से कुर्बानी के बारे में पूछा कि क्या यह वाजिब है? तो उन्होंने फ़रमाया, रसूलुल्लाह (ﷺ) और मुसलमानों ने कुर्बानी की है। उसने दोबारा पूछा तो उन्होंने फ़रमाया, क्या तुम्हें समझ आती है? रसूलुल्लाह (ﷺ) और मुसलमानों ने कुर्बानी की है।

ज़ईफ़: इब्ने माजा: 3124.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और उलमा का इसी पर अमल है

11 بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ سُنَّةٌ

1506 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سَحِيمٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، عَنِ الْأُضْحِيَّةِ أَوْاجِبَةٌ هِيَ؟ فَقَالَ: ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ، فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: أَتَغْقِلُ؟ ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ.

कि कुर्बानी वाजिब नहीं बल्कि नबी (ﷺ) की सुन्नतों में से एक सुन्नत है। इस पर अमल करना मुस्तहब है। यह कौल सुफ़ियान और इब्ने मुबारक का है।

1507 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मदीना में दस साल रहे, आप कुर्बानी करते थे।

जईफ़: मुसनद अहमद: 2/ 38.

1507 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَهَذَا، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ يَضْحِي كُلَّ سَنَةٍ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है।

12 - नमाज़े ईद के बाद जानवर ज़बह किया जाए

1508 - सय्यदना बराअ बिन आज़िब (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कुर्बानी के दिन हमें खुल्बा दिया और फ़रमाया, तुममें से कोई भी शरख्स कुर्बानी का जानवर ज़बह न करे यहाँ तक कि नमाज़ पढ़ ले। रावी कहते हैं: मेरे मामूँ खड़े हो कर कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! यह ऐसा दिन है कि इस में गोशत को पसंद नहीं किया जाता और मैंने अपनी कुर्बानी में जल्दी की ताकि मैं अपने घर वालों और अहले मोहल्ला या पड़ोसियों को खिलाऊँ। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “एक कुर्बानी और करो” उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे पास एक साल की उग्र के करीब एक बकरी है जो गोशत वाली दो बकरियों से बेहतर है। क्या मैं उसे जबह कर लूँ? आपने फ़रमाया: ,

12 بَابُ مَا جَاءَ فِي الذَّبْحِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

1508 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ نَحْرِ، فَقَالَ: لَا يَذْبَحَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُصَلِّيَ، قَالَ: فَقَامَ خَالِي، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا يَوْمُ اللَّحْمِ فِيهِ مَكْرُوهٌ، وَإِنِّي عَجَلْتُ نُسُكِي لِأَطْعَمَ أَهْلِي وَأَهْلَ دَارِي أَوْ جِيرَانِي، قَالَ: فَأَعِدْ ذَبْحَكَ بَآخِرٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي عَنَاقُ لَبْنٍ، وَهِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتِي لَحْمٍ، أَفَأَذْبَحُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، وَهِيَ خَيْرٌ نَسِيكَتِكَ، وَلَا تُجْرِي جَذْعَةٌ بَعْدَكَ.

हाँ वह बेहतर है। तुम्हें क़िफ़ायत कर जायेगी, और तुम्हारे बाद जज़आ किसी के लिए जायज़ नहीं होगा। ”

बुख़ारी: 955. मुस्लिम: 1961. अबू दाऊद: 2800.
निसाई: 1563.

वज़ाहत: इस मसले में जाबिर, जुन्दुब, अनस, उवैमिर बिन अशकर, इब्ने उमर और अबू ज़ैद अंसारी (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और जुम्हूर उलमा का इसी पर अमल है कि शहर में उस वक़्त तक कुर्बानी न की जाए जब तक इमाम नमाज़ न पढ़ ले। जबकि उलमा की एक जमात ने बस्तियों वालों को तुलूए फ़ज़ के बाद ज़बह करने की इजाज़त दी है। यह कौल इब्ने मुबारक का है।

अबू ईसा तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: उलमा का इस बात पर इत्तेफ़ाक़ है कि बकरी की नस्ल का जज़आ जायज़ नहीं है वह कहते हैं: सिर्फ़ भेड़ की नस्ल का जज़आ हो सकता है।

13 - तीन दिन से ज़्यादा कुर्बानी के गोश्त खाने की मुमानिअत (मनाही)

1509 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “ तुम में से कोई भी शरख़ अपनी कुर्बानी के जानवर का गोश्त तीन दिन से ऊपर ना खाए। ”

बुख़ारी: 5574. मुस्लिम: 1970. निसाई: 4423.

वज़ाहत: इस मसले में आयशा और अनस (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। और नबी (ﷺ) की तरफ़ से यह मुमानिअत पहले थी फिर उसके बाद आप ने रूख़सत दे दी थी।

13 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَكْلِ الْأَضْحِيَّةِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

1509 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

14 - तीन दिन के बाद खाने की छुट्टत

1510 - सुलैमान बिन बुरैदा अपने बाप (बुरैदा (رضی اللہ عنہ)) से रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया, "मैंने तुम्हें कुर्बानियों का गोश्त तीन दिन के बाद खाने से रोका था ताकि फराखी वाला इस पर वुस्तत करे जिसके पास ताक़त नहीं है पस अब जब तक चाहो खाओ, खिलाओ और जमा करो।"

मुस्लिम: 977. अबू दाऊद: 3698. निसाई: 2032.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने मसऊद, आयशा, नुबैशा, अबू सईद, क़तादा बिन नौमान, अनस और उम्मे सलमा (رضی اللہ عنہا) से भी मर्वी है।

इमाम तिमिज़ी (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं: सुलैमान बिन बुरैदा (رضی اللہ عنہ) की हदीस हसन सहीह है और नबी (ﷺ) के सहाबा व ताबेईन में से अहले इल्म का इसी पर अमल है।

1511 - आबिस बिन रबीआ (رضی اللہ عنہ) कहते हैं: मैंने उम्मुल मोमिनीन आयशा (رضی اللہ عنہ) से कहा: क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) कुर्बानियों के गोश्त खाने से मना करते थे? उन्होंने फ़रमाया, नहीं, लेकिन कुर्बानियाँ बहुत कम लोग करते थे सो आप ने चाहा कि उसे भी खिला दें जो कुर्बानी नहीं कर सका, और अलबत्ता तहक़ीक़ हम पाए रख लेते थे तो दस दिन बाद उसे खाते थे।

बुखारी: 5423. मुस्लिम: 1971. अबू दाऊद: 2812. इब्ने माजा: 3159. निसाई: 4432.

14 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّحْصَةِ فِي أَكْلِهَا بَعْدَ ثَلَاثِ

1510 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمَحْمُودُ بْنُ غِيْلَانَ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيْتَسِعَ ذُو الطَّوْلِ عَلَى مَنْ لَا طَوْلَ لَهُ، فَكُلُوا مَا بَدَأَ لَكُمْ، وَأَطِعُوا وَادَّخِرُوا.

1511 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَيْعَةَ، قَالَ: قُلْتُ لَأُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ؟ قَالَتْ: لَا، وَلَكِنْ قُلَّ مَنْ كَانَ يُضْحِي مِنَ النَّاسِ فَأَحَبَّ أَنْ يَطْعَمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ يُضْحِي، وَلَقَدْ كُنَّا نَرْفَعُ الْكِرَاعَ فَتَأْكُلُهُ بَعْدَ عَشْرَةِ أَيَّامٍ.

वाज़हत: इमाम तिरमिज़ी (रह) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और उम्मुल मोमिनीन यह नबी (रह) की जौजा मोहतरमा आयशा (रह) थीं। नीज़ यह हदीस उन से कई तुरूक से मर्वी है।

15 - फ़रा और अतीरा का बयान.

1512 - सय्यदना अबू हुरैरा (रह) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (रह) ने फ़रमाया, "इस्लाम में न फ़रा है और न ही अतीरा।" और फ़रा यह जानवर का पहला बच्चा होता था जो पैदा होता तो वह उसे बुतों के नाम पर ज़बह कर देते।

बुखारी: 5473. मुस्लिम: 1967. अबू दारुद: 2831.
इब्ने माजा: 3168. निसाई: 4222.

वज़ाहत: इस मसले में नुबैशा, मिस्नफ़ बिन सुलैम (रह) और अबू अशरा की अपने बाप से भी रिवायत है।

इमाम तिरमिज़ी (रह) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

अतीरा: वह ज़बीहा था जिसे वह लोग माहे रमजान की ताज़ीम करते हुए रजब में ज़बह करते थे क्योंकि यह हुमंत वाले महीनों में से पहला महीना है। और हुमंत वाले महीने, रजब, ज़ी कादा, ज़ुल हिज्जा और मुहर्रम हैं और हज के महीने शव्वाल, ज़ी कादा और ज़ुल हिज्जा के दस दिन हैं। हज के महीनों के बारे में नबी (रह) के सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ (कुछ) से इसी तरह मर्वी है।

16 - अक्कीका का बयान.

1513 - यूसुफ़ बिन माहक (रह) बयान करते हैं वह लोग हफ़सा बिनते अब्दुरहमान (रह) के पास गए और उनसे अक्कीका के बारे में सवाल किया तो उन्होंने उनको बताया कि सय्यदा आयशा (रह) ने उन्हें बयान किया कि रसूलुल्लाह (रह) ने उनको लड़के की तरफ़ से

15 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ

1512 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ وَالْفَرَعُ: أَوَّلُ التَّنَاجِ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ فَيُدْبَحُونَهُ.

16 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَقِيقَةِ

1513 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلْفِ بْنِ النَّصْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حُثَيْمٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ، أَنَّهُمْ دَخَلُوا عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَسَأَلُوهَا عَنِ الْعَقِيقَةِ، فَأَخْبَرَتْهُمْ أَنَّ عَائِشَةَ

दो बराबर उम्र की बकरियों और लड़की की तरफ़ से एक बकरी का हुक्म दिया था।

सहीह: इब्ने माजा: 3163. अब्दुर्रजाक़: 7906. मुसनद अहमद: 6/31.

أُخْبِرْتُمْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَمَرَهُمْ عَنِ الْعِلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ
الْجَارِيَةِ شَاةً.

वज़ाहत: इस मसले में अली, उम्मे कुर्ज़, समुरा, अबू हुरैरा, अब्दुल्लाह बिन अम्र, अनस, सलमान बिन आमिर और इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: आयशा (رضي الله عنها) की हदीस हसन सहीह है और हफ़सा (رضي الله عنها) सय्यदना अब्दुर्रमान बिन अबू बकर सिद्दीक (رضي الله عنه) की बेटी हैं।

बच्चे के कान में अज़ान देना.

1514 - अबू राफ़े (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा आप (ﷺ) ने हसन बिन अली (رضي الله عنه) के कान में उस वक़्त नमाज़ वाली अज़ान दी जब उन्हें फातिमा (رضي الله عنها) ने जन्म दिया।

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 5150. मुसनद अहमद: 6/9.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अक़ीका के बारे में इसी पर अमल है। नीज़ अक़ीका के बारे में नबी (ﷺ) से कई सनदों से मर्वी है कि लड़के की तरफ़ से बराबर उम्र की दो बकरियां और लड़की की तरफ़ से एक बकरी है। इसी तरह नबी (ﷺ) से यह भी मर्वी है, आप (ﷺ) ने हसन बिन अली (رضي الله عنه) की तरफ़ से एक बकरी का अक़ीका किया था। जबकि बाज़ (कुछ) उलमा इस तरफ़ भी गए हैं।

1515 - सय्यदना सलमान बिन आमिर अज़्ज़बी (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, " लड़के के साथ अक़ीका है। सो तुम उसकी तरफ़ से खून

بَابُ الْأَذَانِ فِي أُذُنِ الْمَوْلُودِ

1514 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ،
قَالَا: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ،
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُذُنَ فِي أُذُنِ
الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ.

1515 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ
حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّيَّابِ،
عَنْ سَلْمَانَ بْنِ غَامِرِ الضَّبِّيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

बहाओ और उस से तकलीफ़ देह चीज़ को हटाओ। ”

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَعَ الْعَلَامِ عَقِيْقَةً، فَأَهْرِيْقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيْطُوا عَنْهُ الْأَدْيَى.

बुख़ारी: 5471. अबू दाऊद: 2839. इब्ने माजा: 3164. निसाई: 4241.

वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें हसन बिन आयुन ने, वह कहते हैं हमें अब्दुरज़ाक ने वह कहते हैं: हमें इब्ने उययना ने आसिम बिन अहवल अज हफ़सा बिन्ते सीरीन अज रबाब बवास्ता सलमान बिन आमिर (رضي الله عنه), नबी (ﷺ) से इस जैसी हदीस बयान की है।

इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

1516 - सय्यदा उम्मे कुर्ज़ (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से अक़ीका के बारे में पूछा तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “लड़के की तरफ़ से दो बकरियां और लड़की की तरफ़ से एक, तुम्हें इसका नुक़सान नहीं है कि वह बकरियां मुज़क्कर (मेल) हो या मुअन्नस (फिमेल) ”

1516 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ سَبَّاحِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ ثَابِتِ بْنِ سَبَّاحٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ أُمَّ كُرْزٍ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَقِيْقَةِ، فَقَالَ: عَنِ الْعَلَامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الْأُنْثَى وَاحِدَةٌ، وَلَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا.

सहीह: अबू दाऊद: 2834. इब्ने माजा: 3162. निसाई: 4215, 4218.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

17 - मेंढा कुर्बानी के लिए बेहतरीन जानवर है

1517- सय्यदना अबू उमामा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “कुर्बानी का बेहतरीन जानवर मेंढा है और बेहतरीन कफ़न तहबन्द और ऊपर वाली चादर है।”

ज़ईफ़: इब्ने माजा: 3130. बेहक्की: 9/ 273.

17- بَابُ خَيْرِ الْأَضْحِيَةِ الْكَبْشُ

1517 - حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيْرَةِ، عَنْ عَفِيْرِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ الْأَضْحِيَةِ الْكَبْشُ، وَخَيْرُ الْكَفْنِ الْخُلَّةُ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है और यह हदीस हमें सिर्फ़ इब्ने औन की सनद से ही मिलती है।

18 - हर साल कुर्बानी करना

1518 - सय्यदना मिख़्नफ़ बिन सुलैम (رحمته الله) रिवायत करते हैं कि हम नबी (ﷺ) के साथ अरफ़ात में ठहरे हुए थे तो मैंने आप (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना : “ऐ लोगो! हर घराने पर हर साल कुर्बानी और अतीरा है, क्या तुम जानते हो कि अतीरा क्या है? यह वही है जिसे तुम रजबिया कहते हो।”

सहीह: अबू दाऊद: 2788. इब्ने माजा:3125. निसाई: 4224. तोहफतुल अशराफ़: 11244.

19 - अक्कीका में एक बकरी करना.

1519 - अली बिन अबी तालिब (رحمته الله) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हसन की तरफ़ से एक बकरी का अक्कीका किया और फ़रमाया, ऐ फ़ातिमा! इसका सर मूंडो और इसके बालों के बराबर चांदी सदका करो।” रावी कहते हैं: सय्यदा फ़ातिमा ने उन (बालों) का वज़न किया तो उनका वज़न एक दिरहम या उसका कुछ हिस्सा था।

हसन: इब्ने अबी शैबा: 8/ 230.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है और इसकी सनद मुत्तसिल नहीं क्योंकि अबू जाफ़र मुहम्मद बिन अली बिन हुसैन ने अली बिन अबी तालिब (رحمته الله) को नहीं पाया।

18 - بَابُ خَيْرِ الْأَضْحِيَّةِ فِي كُلِّ عَامٍ

1518 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَمْلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: كُنَّا وَفُوقًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةٌ وَعَتِيرَةٌ، هَلْ تَذَرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ؟ هِيَ الَّتِي تُسَمُّونَهَا الرَّجِيَّةَ.

19 بَابُ الْعَقِيْقَةِ بِشَاةٍ

1519 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقَطَعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحَسَنِ بِشَاةٍ وَقَالَ " يَا فَاطِمَةُ اخْلُقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِرَنَةِ شَعْرِهِ فَضَّةً

दो मेंढे की कुर्बानी करना.

1520 - सय्यदना अबू बकर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने ईद का खुत्बा दिया फिर आप (ﷺ) उतरे, आप (ﷺ) ने दो मेंढे मंगवाए और उन्हें ज़बह किया।

मुस्लिम: 1679. निसाई: 4389.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

20 - जबह की दुआ.

1521 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि वह ईदुल अज़हा में नबी (ﷺ) के साथ ईदगाह में मौजूद थे, जब आप (ﷺ) ने अपना खुत्बा मुकम्मल किया तो आप अपने मिम्बर से उतरे फिर एक मेंढा लाया गया तो अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने उसे अपने हाथ से ज़बह किया और आप (ﷺ) ने " بِسْمِ اللَّهِ " कहा और फ़रमाया, " यह मेरे और मेरी उम्मत के उस आदमी की तरफ़ से है जो कुर्बानी न कर सका।

सहीह: अबू दाऊद: 2810. इब्ने माजा: 1321.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: इस सनद के साथ यह हदीस शरीब है। नीज़ नबी (ﷺ) के सहाबा (رضي الله عنهم) और दीगर लोगों में से अहले इल्म का इसी पर अमल है कि आदमी ज़बह करते वक़्त : وَاللّٰهُ اَكْبَرُ कहे इब्ने मुबारक का भी यही कौल है।

और मुत्तलिब बिन अब्दुल्लाह बिन हुताब के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जाबिर (رضي الله عنه) से हदीस का सिमा (सुनना) नहीं किया।

بَابُ الْأَضْحِيَةِ بِكَبْشَيْنِ

1520 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدِ السَّمَّانِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ، ثُمَّ نَزَلَ فَذَعَا بِكَبْشَيْنِ فَذَبَحَهُمَا.

20- بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا ذَبَحَ

1521 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَضْحَى بِالْمُضَلَّى، فَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ نَزَلَ عَنْ مِنْبَرِهِ، فَأَتَى بِكَبْشَيْنِ، فَذَبَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ، وَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، وَاللّٰهُ اَكْبَرُ، هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضْعَ مِنْ أُمَّتِي.

21 - अक्रीका के मुताल्लिक.

1522 - सय्यदना समुरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, " लड़का अपने अक्रीका के बदले गिरवी होता है सातवें दिन उसकी तरफ़ से जानवर ज़बह किया जाए, नाम रखा जाए और उसका सर मुंडा जाए। "

सहीह: अबू दाऊद: 2837. इब्ने माजा: 3165. निसाई: 4220.

वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें हसन बिन अली खल्लाल ने वह कहते हैं: हमें यज़ीद बिन हारून ने वह कहते हैं: हमें सईद बिन अबी अरूबा ने क़तादा से उन्होंने हसन से बवास्ता समुरा बिन जुन्दुब (رضي الله عنه) नबी करीम (ﷺ) से इसी तरह हदीस बयान की है।

इमाम तिमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और उलमा इसी पर अमल करते हुए लड़के की तरफ़ से सातवें दिन अक्रीका करने को मुस्तहब कहते हैं। अगर सातवें दिन न हो सके तो चौदहवें दिन, अगर उस वक़्त भी न हो सके तो फिर इक्कीसवीं दिन अक्रीका किया जाए और वह कहते हैं कि अक्रीका में वही बकरी क़िफ़ायत करेगी जो कुर्बानी में जायज़ होती है।

22 - जो शख्स कुर्बानी करना चाहता है वह बाल न उतारे.

1523 - सय्यदा उम्मे सलमा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, " जो शख्स जुल हिज़ा का चाँद देख ले और वह कुर्बानी करना चाहता हो तो कुर्बानी करने तक अपने बाल और नाखून न उतारे। "

मुस्लिम: 1977. अबू दाऊद: 2791. इब्ने माजा: 3149, 3150. निसाई: 4361.

21 بَابُ مِنَ الْعَقِيقَةِ

1522 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعِلَاقُ مَرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُدْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّبَاعِ، وَيُسَمَّى، وَيُخْلَقُ رَأْسُهُ

22 بَابُ تَرْكِ اخْتِذِ الشَّعْرِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ

1523 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَكَمِ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَمْرٍو أَوْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْأُسَيْبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ رَأَى هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ، وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और सही नाम अम्र बिन मुस्लिम है। (इस्माईल बिन मुलिम नहीं) इनसे मुहम्मद बिन अम्र बिन अल्क़मा और दीगर मुहद्दिसीन रिवायत लेते हैं। नीज़ यह हदीस इसके अलावा और इस्नाद के साथ सईद बिन मुसय्यब से भी बवास्ता उम्मे सलमा (رضي الله عنها), नबी (ﷺ) से मर्वी है।

बाज़ (कुछ) उलमा इसी के कायल हैं और सईद बिन मुसय्यब (رحمته الله) भी यही कहते हैं कि बाल या नाखून उतारने में कोई क़बाहत नहीं है। यह कौल शाफ़ेई का है। उनकी दलील आयशा (رضي الله عنها) की हदीस है कि नबी (ﷺ) मदीना से कुर्बानी रवाना करते फिर आप हर उस काम से परहेज़ नहीं करते थे जिस से एहराम वाला बचता है।

खुलासा

- कुर्बानी सुन्नते मुअक़दा है कुर्बानी अल्लाह को बहुत महबूब अमल है।
- ऐब वाले और बीमार जानवरों को कुर्बान नहीं किया जा सकता है।
- ज़रूरत के वक़्त भेड़ की नस्ल का जज़अ कुर्बानी किया जा सकता है।
- ऊँट में सात या दस और गाय में सात अफ़राद शरीक हो सकते हैं।
- एक घराने की तरफ़ से एक बकरी ही काफी है।
- कुर्बानी का जानवर नमाज़े ईदुल अज़हा के बाद ज़बह किया जाए।
- फ़रा और अतीरा हराम हैं। अक़ीक़ा मस्नून अमल है और सातवें दिन करना बेहतर है।
- नौ मौलूद के बाल उतार कर उनके बराबर चांदी सदक़ा की जाए।
- जानवर ज़बह करते वक़्त " بِسْمِ اللّٰهِ، وَاللّٰهُ اَكْبَرُ : " कहना ज़रूरी है।
- जो कुर्बानी करना चाहता हो वह जुल हिज्जा का चाँद देखने के बाद कुर्बानी करने तक अपने बाल और नाखून वग़ैरह न उतारे।

मज़मून नम्बर 18.

أَبْوَابُ النُّذُورِ وَالْأَيْمَانِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
रसूलुल्लाह(ﷺ) से मर्वी नज़्मों और क़समों के अहकामो-मसाइल

तआरुफ़

24 अहादीस के साथ 20 अबवाब पर मुहीत इस उन्वान के तहत आप पढ़ेंगे:

- नज़्म की हकीकत क्या है?
- नज़्म का क़फ़ारा क्या है?
- कौन सी क़समों को पूरा किया जा सकता है?
- गुलाम आज़ाद करने का अच्छो सवाब क्या है?

1- रसूलुल्लाह(ﷺ) का फ़रमान है कि (अल्लाह और रसूल) की नाफ़रमानी में नज़्म मानना जायज़ नहीं है.

1 بَابُ مَا جَاءَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَذَرَنِي مَعْصِيَةٍ

1524 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "नाफ़रमानी में नज़्म मानना जायज़ नहीं है और इसका क़फ़ारा क़सम वाला ही है।"

सहीह: अबू दाऊद: 3289. इब्ने माजा: 2125. निसाई: 3807.

1524 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَذَرَنِي فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने उमर, जाबिर और इमरान बिन हुसैन (رضي الله عنهم) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिमिज़ी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह नहीं है क्योंकि ज़ोहरी ने अबू सलमा से यह हदीस

नहीं सुनी, फ़रमाते हैं: मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुखारी (ﷺ) को सुना वह फ़रमा रहे थे: यह हदीस बहुत से रावियों से मवीं है जिनमें मूसा बिन उक्बबा और इब्ने अबी अतीक भी है। यह ज़ोहरी से वह सुलैमान बिन अर्कम से वह यह्या बिन अबी कसीर से बवास्ता अबू सलमा, सय्यदा आयशा (ﷺ) के ज़रिए नबी (ﷺ) से रिवायत करते हैं। मुहम्मद (ﷺ) फ़रमाते हैं: हदीस की यह सनद सहीह है।

1525 - सय्यदा आयशा (ﷺ) रिवायत करती है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “ अल्लाह की नाफ़रमानी वाले काम में नज़्ज मानना दुस्त नहीं और इसका कफ़ारा कसम वाला कफ़ारा है। ”

पिछली हदीस की तरह: अबू दाऊद: 3289, 3292. इब्ने माजा: 2125. निसाई: 3806.

1525 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَةَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَذَرُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَكُفَّارَتُهُ كُفَّارَةً يَمِينٍ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है और अबू सफ़वान की यूनुस से रिवायतकर्दा हदीस से ज़्यादा सहीह है। नीज़ अबू सफ़वान मक्का के रहने वाले थे। उनका नाम अब्दुल्लाह बिन सईद बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान था उनसे हुमैदी और दीगर बड़े-बड़े मुहद्दिसीन ने रिवायत की है।

नबी (ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से अहले इल्म भी यही कहते हैं कि अल्लाह की नाफ़रमानी में नज़्ज नहीं मानी जा सकती और इसका कफ़ारा कसम वाला ही है।

इमाम अहमद और इस्हाक (ﷺ) का भी यही कौल है। उन्होंने अबू सलमा की आयशा (ﷺ) से बयान कर्दा हदीस से दलील ली है। जब कि नबी (ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं कि अल्लाह तआला की नाफ़रमानी वाले काम की नज़्ज नहीं मानी जा सकती और इसमें कफ़ारा भी नहीं है। इमाम मालिक और शाफ़ेई (ﷺ) का भी यही कौल है।

2 - जो शख्स अल्लाह की इताअत की नज़्र माने वह उसकी इताअत करे.

1526 - सय्यदा आयशा (رضی اللہ عنہا) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, "जो शख्स नज़्र माने कि वह अल्लाह की इताअत करेगा तो वह उसकी इताअत करे और जो यह नज़्र माने कि वह उसकी नाफ़रमानी करेगा तो वह उसकी नाफ़रमानी न करे।"

बुखारी: 6696. अबू दारूद: 3289. इब्ने माजा: 2126. निसाई: 3806.

वज़ाहत: अबू ईसा (رضی اللہ عنہ) कहते हैं: हमें हसन बिन अली खल्लाल ने वह कहते हैं, हमें अब्दुल्लाह बिन नुमैर ने अबैदुल्लाह बिन उमर से, उन्होंने तल्हा बिन अब्दुल मलिक ऐली से उन्होंने क़ासिम बिन मुहम्मद से रिवायत किया है। नीज़ नबी (ﷺ) से इसी तरह हदीस बयान की है।

इमाम तिर्मिजी (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और इसे यह्या बिन अबी कसीर ने भी क़ासिम बिन मुहम्मद से रिवायत किया है। नीज़ नबी (ﷺ) के सहाबा और ताबेईन में से बाज़ (कुछ) का यही कौल है।

इमाम मालिक और शाफ़ेई (رضی اللہ عنہ) भी इसी के क़ायल हैं। वह मज़ीद कहते हैं कि वह अल्लाह की नाफ़रमानी न करे लेकिन जब नाफ़रमानी की नज़्र हो तो इसमें क़सम का क़फ़ारा नहीं है।

3 - इब्ने आदम जिस चीज़ का मालिक ही नहीं है उसमें नज़्र नहीं होती.

1527 - सय्यदना साबित बिन ज़ह्हाक (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, "बन्दे पर वह नज़्र पूरी करना वाज़िब नहीं है जिसका वह मालिक ही नहीं है।"

2 بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ

1526 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَيْلِيِّ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ.

3 بَابُ مَا جَاءَ لِأَنْذَرٍ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ

1527 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُونُسَ الْأَزْرَقِيُّ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي

बुखारी: 6047. मुस्लिम: 110. अबू दाऊद: 3257. निसाई: 3813.

قَلَابَةٌ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ.

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन अम्र और इमरान बिन हुसैन (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

4 - ग़ैर मुअय्यन नज़र का क़फ़ारा.

1528 - सय्यदना उक्बा बिन आमिर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "जिस नज़र का नाम न ले उसका क़फ़ारा क़सम वाला क़फ़ारा ही है।"

إذا لم يسم के अलावा बाकी सब सहीह है. मुस्लिम: 1645. अबू दाऊद: 3223. इब्ने माजा: 2127. निसाई: 3832.

4 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَفَّارَةِ النَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ

1528 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ، مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عُلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَفَّارَةُ النَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ كَفَّارَةٌ يَمِينٍ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है।

5 - एक शख्स किसी काम की क़सम उठाए, फिर कोई और काम बेहतर समझे.

1529 - सय्यदना अब्दुरहमान बिन समुरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "ऐ अब्दुरहमान! इमारत हुकूमत वग़ैरह मत मांगना, अगर मांगने की वजह से तुम्हें मिली तो तुम्हें उसके सुपुर्द कर दिया जाएगा और अगर बग़ैर मांगे तुम्हें मिली तो उस पर तुम्हारी मदद की जाएगी और जब तुम कोई

5 بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ

فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا

1529 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنَعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يُونُسَ هُوَ ابْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

कसम उठा लो फिर कोई दूसरा काम इस काम से बेहतर समझो तो वही करो जो बेहतर है और अपनी कसम का कफ़ारा दे दो। ”

बुखारी: 6622. मुस्लिम: 1652. अबू दाऊद: 3277. निसाई: 3732.

يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أَتَيْتَكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكَلْتِ إِلَيْهَا، وَإِنْ أَتَيْتَكَ عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أَعْنَيْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَتَشْكُرْ عَنْ يَمِينِكَ.

वज़ाहत: इस मसले में अली, जाबिर, अदी बिन हातिम, अबू दर्दा, अनस, आयशा, अब्दुल्लाह बिन अम्र, अबू हरैरा, उम्मे सलमा और अबू मूसा (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिमिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: अब्दुरहमान बिन समुरा (ﷺ) की हदीस हसन सहीह है।

6 - कसम तोड़ने से पहले कफ़ारा अदा करना.

6 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكُفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْتِ

1530 - सय्यदना अबू हरैरा (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “जिसने किसी काम की कसम उठाई फिर उसके अलावा को उससे बेहतर समझे तो वह अपनी कसम का कफ़ारा दे दे और वह काम कर ले। ”

मुस्लिम: 1650. मुसनद अहमद: 2/361.

1530 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكْفِرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلْ.

वज़ाहत: इस मसले में उम्मे सलमा (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिमिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: अबू हरैरा (ﷺ) की हदीस हसन सहीह है और नबी (ﷺ) के सहाबा व ताबे'रिन में से अक्सर लोगों का इसी पर अमल है कि कफ़ारा कसम तोड़ने से पहले ही होता है। मालिक बिन अनस, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (ﷺ) का भी यही कौल है।

बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं कि कसम तोड़ने के बाद ही कफ़ारा होगा। सुफ़ियान सौरी फ़रमाते हैं: अगर कसम तोड़ने के बाद कफ़ारा अदा करे तो मुझे यह ज़्यादा पसंद है और अगर कसम तोड़ने से पहले दे दे तो जायज़ है।

7 - कसम में इंशा अल्लाह कहना.

1531 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "जिसने कसम उठाते वक़्त इंशा अल्लाह कह दिया उस पर कसम का इन्डकाद नहीं होता।"

सहीह: अबू दाऊद: 3261. इब्ने माजा: 2105. निसाई: 3793.

वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। उबैदुल्लाह बिन अम्र वग़ैरह ने बवास्ता नाफ़े सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) से मौक़फ़ रिवायत की है। इसी तरह सालिम ने भी इब्ने उमर (رضي الله عنه) से मौक़फ़ रिवायत की है। और अय्यूब सख़ितयानी के अलावा किसी ने भी इसे मफू रिवायत नहीं किया।

इस्माईल बिन इब्राहीम फ़रमाते हैं: अय्यूब कभी इस को मौक़फ़ और कभी मफू रिवायत करते थे। नीज़ नबी (ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से जुम्हूर उलमा का इसी पर अमल है कि अगर इंशा अल्लाह कसम के साथ मुत्तसिल (मिला हुआ) हो तो वह कसम नहीं होती।

सुफ़ियान सौरी, औज़ाई, मालिक बिन अनस, अब्दुल्लाह बिन मुबारक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ रज़ी का भी यही कौल है।

1532 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "जिसने कसम उठाई और उस में इंशा अल्लाह कह दिया तो (वह काम न करने पर) उसकी कसम नहीं टूटेगी।"

सहीह: इब्ने माजा: 2104. निसाई: 3855.

वज़ाहत: इमाम तिमिजी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुखारी (رحمته الله عليه) से इस हदीस के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया, इस हदीस में अब्दुरज़ाक ने ख़ता की है। उन्होंने मामर से इब्ने ताऊस के ज़रिए उनके बाप के वास्ते से बयान की गई अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की रिवायत का इख़्तिसार किया है। वह

7 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ

1531 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، وَحَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ خَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدْ اسْتَنْتَى، فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ.

1532 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ خَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَخْنَثْ.

हदीस यह है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “सुलैमान बिन दाऊद (अलैहिस्सला) ने कहा: आज मैं सत्तर बीवियों से हमबिस्तरी करूंगा, हर औरत एक लड़का जनेगी फिर वह उनके पास गए तो उनमें से किसी औरत ने भी बच्चा न जना सिवाये एक औरत के, उसने भी नाकिसुल खिल्कत बच्चा जना।” अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया, “अगर वह इंशा अल्लाह कह देते तो जैसे उन्होंने कहा था वैसे ही होता।”

अब्दुरज़ाक ने बवास्ता मामर, इब्ने ताऊस से उन्होंने अपने बाप से यह लम्बी हदीस बयान की है और सत्तर औरतों का ही जिक्र किया है। जबकि अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से यह हदीस और इस्नाद से भी मर्वी है। नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “सुलैमान बिन दाऊद (عليه السلام) ने कहा: आज रात मैं एक सौ बीवियों के पास जाऊंगा।”

8-गैरुल्लाह के नाम की क़सम उठाना मना है

1533 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने उमर (رضي الله عنه) को सुना वह कह रहे थे: मेरे बाप की क़सम! मेरे बाप की क़सम! तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “ख़बरदार! बेशक अल्लाह तुम्हें तुम्हारे आबा के नाम की क़सम उठाने से मना फ़रमाता है।” उमर (رضي الله عنه) कहते हैं: अल्लाह की क़सम उस के बाद मैंने अपनी या किसी की तरफ़ से ऐसी क़सम नहीं उठाई।

बुख़ारी: 6108, मुस्लिम: 1646, अबू दाऊद: 3249
इब्ने माजा: 2094 निसाई: 3764

वज़ाहत: इस मसले में साबित बिन ज़हहाक, इब्ने अब्बास, अबू हुरैरा, कतीला और अब्दुरहमान बिन समुरा (رضي الله عنه) से भी मर्वी है। और यह हदीस हसन सहीह है।

इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: अबू उबैद कहते हैं: وَلَا أَيْرًا का मानी है कि मैंने किसी दूसरे की तरफ़ से नक़ल भी नहीं की यानी किसी दूसरे की क़सम का जिक्र भी नहीं किया।

1534 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सय्यदना उमर (رضي الله عنه) को काफिले में इस हालत में पाया

8 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْحَلْفِ بِغَيْرِ اللَّهِ

1533 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ وَهُوَ يَقُولُ: وَأَبِي، وَأَبِي، فَقَالَ: أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَقَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ ذَاكِرًا وَلَا أَيْرًا.

1534 - حَدَّثَنَا هَنَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُهُ، عَنْ عُيَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ،

कि वह अपने बाप की कसम उठा रहे थे तो अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया, “बेशक अल्लाह तआला तुम्हें अपने आबा के नाम की कसम उठाने से मना करता है। कसम उठाने वाला अल्लाह के नाम की कसम उठाए या खामोश रहे।”

बुखारी: 6108. मुस्लिम: 1646. अबू दाऊद: 3251.
इब्ने माजा: 2094. निसाई: 3764.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

9 - जिस ने गैरुल्लाह के नाम की कसम उठाई उसने शिर्क किया.

1535 - सईद बिन उबैदा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) ने फ़रमाया, “गैरुल्लाह के नाम की कसम न उठाई जाए। मैंने अल्लाह के रसूल (ﷺ) से सुना आप फ़रमा रहे थे: “जिस ने गैरुल्लाह की कसम उठाई तो यकीनन उसने कुफ़ किया।”

सहीह: अबू दाऊद: 3251. मुसनद अहमद: 2/34. अबू याला: 5668.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है और बाज़ (कुछ) उलमा इस हदीस की तफ़सीर में फ़रमाते हैं कि कुफ़ और शिर्क का फ़रमान सख्ती के लिए है और इसकी दलील इब्ने उमर (رضي الله عنه) की हदीस है कि नबी (ﷺ) ने उमर (رضي الله عنه) को सुना वह कह रहे थे: मेरे बाप की कसम! मेरे बाप की कसम! तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “ख़बरदार! अल्लाह तआला तुम्हें अपने आबा के नाम की कसम उठाने से मना करता है।”

और दूसरी दलील अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “जिसने अपनी कसम में यह कहा कि लात की कसम! उज्जा की कसम! तो वह لا اله الا الله काहे।”

इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह इसी तरह ही है जैसा कि नबी (ﷺ) से मर्वी है कि आप ने

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْرَكَ عُمَرَ وَهُوَ فِي رَكْبٍ وَهُوَ يَخْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ يَنْهَأكُمْ أَنْ تَخْلِفُوا بِآبَائِكُمْ لِيَخْلِفَ خَالِفٌ بِاللَّهِ أَوْ لَيْسَ كُنْتُ.

9 بَابُ مَا جَاءَ فِي أَنْ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ

1535 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَا وَالْكَفْبَةِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا يَخْلِفُ بِغَيْرِ اللَّهِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ.

फ़रमाया, “दिखलावा शिक है।” जबकि बाज़ (कुछ) उलमा ने इस आयत “जो शख्स अल्लाह से मुलाकात करना चाहता है वह अच्छे आमाल करे।” (अल-कहफ़: 110) की तफ़सीर में कहा है कि वह दिखलावे के लिए अमल न करे।

10 - अगर कोई शख्स पैदल चलने की कसम उठा ले लेकिन उसकी ताक़त न हो.

1536- एक औरत ने नज़र मानी कि वो बैतुल्लाह तक (पैदल) चल कर जाएगी, नबी अकरम (ﷺ) से इस सिलसिले में सवाल किया गया तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया: “अल्लाह तआला उसके (पैदल) चलने से बेनियाज़ है, उसे हुक्म दो कि वो सवार हो कर जाये।”

हसन सहीह.

वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरैरा, उक्बा बिन आमिर और इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

1537 - सय्यदना अनस (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) एक बूढ़े शख्स के पास से गुज़रे जो अपने बेटों के दर्मियान चल रहा था, आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “उसे क्या हुआ है?” उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! इस ने पैदल चलने की नज़र मानी है, आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “बेशक अल्लाह तआला उसके अपने आप को तक्लीफ़ देने से बे परवाह है।” रावी कहते हैं: आप (ﷺ) ने उसे सवार होने का हुक्म दिया।

बुखारी: 1865. मुस्लिम: 1642. अबू दाऊद: 3301. निसाई: 3854.

वज़ाहत: अबू ईसा (رضي الله عنه) कहते हैं: हमें मुहम्मद बिन मुसन्ना ने वह कहते हैं: हमें इब्ने अबी अदी ने

10 بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ يَخْلِفُ بِالسَّيْرِ
وَلَا يَسْتَطِيعُ

1536 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارُ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ. عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ نَذَرَتْ امْرَأَةٌ أَنْ تَمْشِيَ، إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فَسُئِلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ " إِنْ اللَّهُ لَغَنِيٌّ عَنْ مَشْيِهَا مُرُوهَا فَلْتَرْكَبْ "

1537 - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْخٍ كَبِيرٍ يَتَهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ، فَقَالَ: مَا بَالُ هَذَا؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ، قَالَ: إِنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَغَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ، قَالَ: فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ.

बवास्ता हुमेद, सय्यदना अनस (رضي الله عنه) से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक आदमी को देखा, फिर इसी तरह जिज़्र किया, यह हदीस सहीह है। और बाज़ (कुछ) उलमा का इसी पर अमल है। वह मजोद कहते हैं कि औरत अगर पैदल चलने की नज़्र माने तो वह सवार हो जाए और एक बकरी की कुर्बानी दे दे।

11 - नज़्र मानने की कड़ाहत.

1538 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "नज़्र मत मानो, बेशक नज़्र तकदीर के आगे कुछ नहीं कर सकती इस से तो सिर्फ़ बखील से कुछ निकाल लिया जाता है।"

बुखारी: 6609. मुस्लिम: 1640. अबू दाऊद: 3238. इब्ने माजा: 2123. निसाई: 3804.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने उमर (رضي الله عنه) से भी हदीस मवी है।

इमाम तिमिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। नीज़ नबी (ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ (कुछ) उलमा इसी पर अमल करते हुए नज़्र को नापसंद करते हैं। अब्दुल्लाह बिन मुबारक (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: नज़्र इताअत की हो या नाफ़रमानी की दोनों में कराहत है। अगर आदमी इताअते इलाही की नज़्र मानता है, उसे पूरा कर ले तो उसमें अज़्र है लेकिन नज़्र मानना फिर भी मकरूह है।

12 - नज़्र को पूरा किया जाए.

1539 - सय्यदना उमर (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने जाहिलियत में नज़्र मानी थी कि मस्जिदे हराम (बैतुल्लाह) में एक रात का एतकाफ़ करूंगा, आप (ﷺ) ने फ़रमाया: "अपनी नज़्र को पूरा करो।"

बुखारी: 3202. मुस्लिम: 1656. अबू दाऊद: 3325. इब्ने

11 بَابُ فِي كَرَاهِيَةِ النَّذْرِ

1538 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَنْذَرُوا فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يُغْنِي مِنَ الْقَدْرِ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَحْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ.

12 بَابُ مَا جَاءَ فِي وَقَاءِ النَّذْرِ

1539 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ عُيَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ أَنْ أَغْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِي

माजा: 1772. निसाई: 3820.

الجاهليّة، قَالَ: أَوْفِ بِنَذْرِكَ.

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन अग्र और इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: उमर (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और बाज़ (कुछ) उलमा इसी पर मज़हब रखते हुए कहते हैं कि जब आदमी मुसलमान हो जाए और उसके ज़िम्मा इताअत वाली नज़्र हो तो वह उसे पूरा करे।

नीज़ नबी (ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं: एतकाफ़ रोज़े के साथ ही हो सकता है। जबकि दूसरे उलमा कहते हैं: एतकाफ़ करने वाले पर रोज़ा रखना ज़रूरी नहीं है। अगर वह अपने ऊपर वाजिब कर ले (तो और बात है) उन्होंने उमर (رضي الله عنه) की हदीस से दलील ली है कि उन्होंने जाहिलियत में एक रात के एतकाफ़ की नज़्र मानी थी तो नबी (ﷺ) ने पूरा करने का हुक्म दिया था, अहमद और इस्हाक (رضي الله عنه) का भी यही कौल है।

13 - नबी (ﷺ) की क़सम कैसी होती थी?

1540 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अक्सर यह क़सम उठाते थे। "दिलों को फेरने वाले की क़सम।"

बुखारी: 6617. अबू दाऊद: 3263. इब्ने खुज़ैमा: 2092. निसाई: 3761.

13 بَابُ مَا جَاءَ كَيْفَ كَانَ يَمِينُ النَّبِيِّ ﷺ

1540 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقَبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَثِيرًا مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْلِفُ بِهَذِهِ الْيَمِينِ: لَا وَمَقَلِّبِ الْقُلُوبِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

14 - गुलाम आज़ाद करने वाले का अज़्र.

1541 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना: "जिस ने किसी मोमिन गर्दन

14 بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً

1541 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ

(गुलाम) को आज़ाद किया अल्लाह तआला उस गुलाम के हर अज्व (अंग) के बदले उस आज़ाद करने वाले के हर अज्व (अंग) को जहन्नम से आज़ाद कर देगा यहाँ तक कि उसकी शर्मगाह उसकी शर्मगाह के बदले।”

बुखारी: 2517. मुस्लिम: 1509.

عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْجَانَةَ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً،
أَعْتَقَ اللَّهُ مِنْهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ
النَّارِ، حَتَّى يَغْتِقَ فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ.

वज़ाहत: इस मसले में आयशा, अम्र बिन अब्सा, इब्ने अब्बास, वासिला बिन अस्क़ा, अबू उमामा, उक्बा बिन आमिर और काब बिन मुरा (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिरमिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (ﷺ) की हदीस इस सनद के साथ हसन सहीह शरीब है। और इब्ने अल हाद का नाम यज़ीद बिन अब्दुल्लाह बिन उसामा बिन अल हाद है। यह मदीना के रहने वाले सिक़ह रावी थे। उन से मालिक बिन अनस और दीगर कई उलमा ने रिवायत ली है।

15 - जो शख्स अपने खादिम को तमाचा मारे.

1542 - सय्यदना सुवैद बिन मुकर्रिन मुज़नी (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने देखा हम सात भाई थे और हमारी एक ही खादिमा थी, हम में से किसी ने उसे तमाचा मारा तो नबी (ﷺ) ने उन्हें हुक्म दिया कि हम उसे आज़ाद कर दें।

मुस्लिम: 1657. अबू दाऊद: 5166.

15 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَلْطُمُ خَادِمَهُ

1542 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا
الْمُخَارِبِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلَالِ
بْنِ يَسَافٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ مِقْرَانَ الْمُرَزِيِّ، قَالَ:
لَقَدْ رَأَيْتُنَا سَبْعَةَ إِخْوَةٍ مَا لَنَا خَادِمٌ إِلَّا وَاحِدَةٌ
فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا، فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنْ نُعْتِقَهَا.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने उमर (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिरमिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ कई रावियों ने इस हदीस को हुसैन बिन अब्दुरहमान से रिवायत किया है और बाज़ (कुछ) ने इस हदीस में ज़िक्र किया है कि “उसने उस खादिमा के चेहरे पर तमाचा मारा था।

16 - दीने इस्लाम के अलावा किसी और मज़हब की क़सम खाना मना है।

1543 - सय्यदना साबित बिन ज़हहाक (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “जिस ने इस्लाम के अलावा किसी और मिल्लत (मज़हब) की झूठी क़सम उठाई तो वह ऐसे ही होता है जैसा उसने कहा है।”

बुख़ारी: 1363. मुस्लिम: 110. अबू दारूद: 3257. इब्ने माजा: 2098. निसाई: 3770.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ इस बारे में अहले इल्म का इख़्तिलाफ़ है कि जब आदमी दीने इस्लाम के अलावा किसी और मज़हब की क़सम उठाए कि अगर वह इस इस तरह करे तो वह यहूदी या ईसाई हो फिर उनमें से कोई काम भी कर ले तो बाज़ (कुछ) कहते हैं: उसने बहुत बड़ा गुनाह किया लेकिन उस पर क़फ़ारा नहीं है, यह कौल अहले मदीना का है और मालिक बिन अनस (رضي الله عنه) भी इसी के कायल हैं। अबू उबैद का भी यही मज़हब है। जबकि नबी (ﷺ) के सहाबा, ताबेईन, और दीगर लोगों में से बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं कि उसमें क़फ़ारा होगा। सुफ़ियान, अहमद और इस्हाक (رضي الله عنه) का भी यही कौल है।

17 - जो शय्ख़ पैदल हज़ करने की नज़्र माने

1544 - सय्यदना उक्रबा बिन आमिर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी बहन ने नंगे पाँव और बग़ैर चादर पैदल चल कर बैतुल्लाह तक जाने की नज़्र मानी है। तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “अल्लाह तआला को तुम्हारी बहन की मशक्कत की कोई ज़रूरत नहीं है, वह सवार हो जाए, पर्दा करे

16 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْحَلْفِ بِغَيْرِ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ

1543 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُونُسَ الْأَزْرَقِيُّ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ.

17 بَابُ مَا جَاءَ فِيهِمْ نَذْرٌ أَنْ يَحْجَّ مَاشِيًا.

1544 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الرَّعِينِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ الْيَحْصَبِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ أُحْتَبِيَ

और तीन रोज़े रख ले।”

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 3293. इब्ने माजा: 2134. निसाई: 3815.

تَدْرَثُ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ خَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا، فَلْتَرْكَبْ، وَلْتُخْتَمِرْ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। और बाज़ (कुछ) उलमा का इसी पर अमल है, नीज़ इमाम अहमद और इस्हाक़ (رحمته الله) का भी यही कौल है।

18 - अगर कोई शख्स लात व उज्जा की कसम उठा ले तो उसे ख़त्म कर दे.

1545 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “तुम में से जिसने कसम उठाते वक़्त कहा लात व उज्जा की कसम! तो उसे : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ : कहना चाहिए। और जिसने किसी दूसरे से कहा: आओ मैं तुम्हारे साथ जुआ खेलता हूँ तो वह सदका करे।”

बुखारी: 4860. मुस्लिम: 1647. अबू दाऊद: 3247. इब्ने माजा: 2096.

18- بَابُ ذِكْرِ مَا يَلْغِي الْحَلْفَ وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى

1545 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّهْرِيُّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ، فَقَالَ فِي حَلْفِهِ: وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ: تَعَالَى أَقَامِرُكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अबू मुगीरह का नाम खौलानी हिम्सी है इनका नाम अब्दुल कुद्दूस बिन हज़्जाज था।

19 - मय्यत की तरफ़ से नज़र को पूरा करना.

1546 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है कि साद बिन उबादा (رضي الله عنه) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से उस नज़र के बारे में

19 بَابُ مَا جَاءَ فِي قَضَاءِ النَّذْرِ عَنِ النَّبِيِّ

1546 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

मसला दरियाफ्त किया जो उनकी मां के ज़िम्मे थी और उसे पूरा करने से पहले फौत हो गयीं, तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “उनकी तरफ़ से तुम इसे पूरा करो।”

बुखारी: 2761. मुस्लिम: 1638. अबू दारूद: 3307.
इब्ने माजा: 2132. निसाई: 3657.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

20 - गुलाम आज़ाद करने वाले की फ़ज़ीलत.

1547 - सय्यदना अबू उमापा और नबी (ﷺ) के दीगर सहाबा (رضي الله عنهم) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “जो मुसलमान आदमी किसी मुसलमान आदमी को आज़ाद करे तो वह उसकी जहन्नम से निजात का बाइस होगा। उसका हर अज्व उसके हर अज्व (अंग) से किफ़ायत करेगा। और जो मुसलमान आदमी दो मुसलमान औरतों को आज़ाद करे वह दोनों उसकी जहन्नम से निजात का बाइस होंगी उनका हर अज्व (अंग)उसके हर अज्व (अंग)किफ़ायत करेंगे। और जो मुसलमान औरत किसी मुसलमान औरत को आज़ाद करे तो वह उसके लिए जहन्नम से निजात का बाइस होगी उसका हर अज्व (अंग)उसके हर अज्व (अंग)से किफ़ायत करेगा।

सहीह.

20 بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ مَنْ أَعْتَقَ

1547 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَهُوَ أَخُو سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، وَعَبِيرِهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ، أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا، كَانَ فَكَاهُهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزِي كُلُّ عَضْوٍ مِنْهُ عَضْوًا مِنْهُ، وَأَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ، أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ، كَانَتَا فَكَاهَهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزِي كُلُّ عَضْوٍ مِنْهُمَا عَضْوًا مِنْهُ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ، أَعْتَقَتْ امْرَأَةً مُسْلِمَةً، كَانَتْ فَكَاهَهَا مِنَ النَّارِ، يُجْزِي كُلُّ عَضْوٍ مِنْهَا عَضْوًا مِنْهَا.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (रह) फ़रमाते हैं: इस सनद के साथ यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। इमाम तिमिज़ी (रह) फ़रमाते हैं: इस हदीस में यह दलील है कि मर्दों का मर्दों को आज़ाद करना औरतों के आज़ाद करने से ज़्यादा अफ़ज़ल है। क्योंकि रसूलुल्लाह (रह) ने फ़रमाया, “जिसने किसी मुसलमान आदमी को आज़ाद किया वह उसकी जहन्नम से निजात का बाइस होगा उसका हर अज्व (अंग) उसके हर अज्व (अंग) से क़िफ़ायत करेगा। यह हदीस अपनी इस्नाद के लिहाज़ से सहीह है।

खुलासा

- अल्लाह और उसके रसूल की नाफ़रमानी करने की नज़र मानना हराम है।
- जो चीज़ मिल्कियत में न हो उस में नज़र नहीं होती।
- इंशा अल्लाह कहने से क़सम नहीं होती।
- गैरुल्लाह के नाम की क़सम उठाना शिर्क है।
- अगर कोई पैदल चल कर बैतुल्लाह जाने की नज़र माने तो वह सवार हो जाए।
- नज़र से तकदीर नहीं बदल सकती।
- इताअते इलाही की नज़र को पूरा किया जाए।
- किसी गुलाम को आज़ाद करना जहन्नम से आज़ादी का सबब है।
- अपने आपको यहूदी या ईसाई कहना मना है।
- गैरुल्लाह के नाम की क़सम उठाने के बाद لا إله إلا الله पढ़ा जाए।
- मय्यत की जायज़ नज़र को पूरा किया जाए।

मज़मून नम्बर 19

أَبْوَابُ السِّيَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

रसूलुल्लाह(ﷺ) से मर्वी जंग करने के उसूलो- ज़वाबित

तआरुफ़

48 अबवाब और 71 अहादीस पर मुशतमिल यह बयान इन मसाइल पर मुशतमिल है कि:

- जंग किस सूरत में की जाएगी ?
- ग़नीमत के माल की तक्सीम कैसे की जाएगी ?
- मुश्रिकीन और अहले किताब से दुनियावी मामलात कैसे हो सकते हैं ?
- मुआहिदा के उसूल और क़वानीन ?
- और दीगर मसाइल।

1 - लड़ाई से पहले इस्लाम की दावत दी जाए

1548 - अबुल बख्तरी (رضي الله عنه) से रिवायत है कि मुसलमानों के लश्क़ों में एक लश्कर ने, जिसके अमीर सलमान फारसी थे, फारस के महल्लात में से एक महल को घेरा डाला, तो उन्होंने कहा: ऐ अब्दुल्लाह! क्या हम इन पर धावा न बोल दें, उन्होंने कहा मुझे छोड़ो मैं उनको ऐसे ही दावत दुंगा, जैसे मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को दावत देते हुए सुना है। सलमान (رضي الله عنه) उनके पास गये और उनसे कहा: मैं भी तुम में से एक फ़ारसी शख्स हूँ लेकिन तुम देख रहे हो अरब लोग मेरी इताअत

1 بَابُ مَا جَاءَ فِي الدَّعْوَةِ قَبْلَ الْقِتَالِ

1548 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، أَنَّ جَيْشًا مِنْ جُيُوشِ الْمُسْلِمِينَ كَانَ أَمِيرَهُمْ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ حَاصِرُوا قَصْرًا مِنْ قُصُورِ فَارِسَ، فَقَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، أَلَا نَنْهَدُ إِلَيْهِمْ؟ قَالَ: دَعُونِي أَدْعُهُمْ كَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ

कर रहे हैं, अगर तुम इस्लाम ले आओ तुम्हारे लिये वही कुछ होगा जो हमारे लिये है, और तुम्हारे जिम्मे भी वही काम होगा जो हमारे जिम्मे हैं, अगर तुम अपने दीन को छोड़ने से इनकार करो तो हम तुम्हें उस पर छोड़ देंगे और अपने हाथों ज़लील हो कर हमें जिज्या दोगे, रावी कहते हैं: उन्होंने उन फारसियों से फारसी ज़बान में बात की, कि तुम्हारी तारीफ़ भी नहीं की जाएगी और अगर तुम इसका भी इनकार करो तो बराबरी के साथ लड़ाई का चेलेंज करते हैं। उन्होंने कहा: हम जिज्या तो नहीं दे सकते लेकिन हम तुम्हारे साथ लड़ाई करेंगे। तो उन मुजाहिदीन ने कहा: ऐ अबू अब्दुल्लाह! क्या हम इनकी तरफ़ पेश कदमी न करें? उन्होंने फ़रमाया, "नहीं, रावी कहते हैं कि उन्होंने तीन दिन इसी तरह उन्हें दावत दी, फिर फ़रमाया, उन पर धावा बोल दो। कहते हैं: हमने उन पर हमला किया और उस क़िला (महल) को फतह कर लिया।

ज़ईफ़: मुसनद अहमद: 5/440. अमवाल ले अबी उबैद: 61.

तौज़ीह: سير: सीन के ज़ेर और या के ज़बर के साथ सيرة की जमा है। जिसका मानी है तरीक़ा और आदत वग़ैरह लेकिन अहले शरअ की ज़बान में यह लफ़्ज़ ग़ज़वात पर बोला जाता है।

वज़ाहत: इस मसले में बुरैदा, नौमान बिन मुकर्रिन, इब्ने उमर और इब्ने अब्बास(رضي الله عنه) से भी हदीस मवी है और सलमान (رضي الله عنه) की हदीस हसन है। हम इसे सिर्फ़ बतरीक अता बिन साइब ही जानते हैं।

नीज़ मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल को फ़रमाते हुए सुना कि अबुल बख़्तरी ने सलमान फारसी (رضي الله عنه) को नहीं पाया क्योंकि अबुल बख़्तरी ने अली (رضي الله عنه) को नहीं पाया जबकि सलमान, अली (رضي الله عنه) से पहले फौत हुए हैं।

नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से कुछ उलमा इस तरफ़ गए हैं और उनका खयाल है

اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوهُمْ فَأَتَاهُمْ سَلْمَانُ، فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّمَا أَنَا رَجُلٌ مِنْكُمْ فَارِسِيٌّ، تَرَوْنَ الْعَرَبَ يُطِيعُونَنِي، فَإِنْ أَسَلْتُمْتُمْ فَلَكُمْ مِثْلُ الَّذِي لَنَا وَعَلَيْكُمْ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَا، وَإِنْ أَبِيْتُمْ إِلَّا دِينَكُمْ تَرَكَنَاكُمْ عَلَيْهِ وَأَعْطَوْنَا الْجَزِيَّةَ عَنْ يَدٍ وَأَنْتُمْ صَاغِرُونَ، قَالَ: وَرَطْنٌ إِلَيْهِمْ بِالْفَارِسِيَّةِ، وَأَنْتُمْ غَيْرُ مَحْمُودِينَ، وَإِنْ أَبِيْتُمْ نَابِدْنَاكُمْ عَلَى سَوَاءٍ، قَالُوا: مَا نَحْنُ بِالَّذِي نُعْطِي الْجَزِيَّةَ، وَلَكِنَّا نَقَاتِلُكُمْ، فَقَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ اللّٰهِ، أَلَا نَنْهَدُ إِلَيْهِمْ؟ قَالَ: لَا، فَدَعَاهُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَى مِثْلِ هَذَا، ثُمَّ قَالَ: انْهَدُوا إِلَيْهِمْ، قَالَ: فَانْهَدْنَا إِلَيْهِمْ، فَفَتَحْنَا ذَلِكَ الْقَصْرَ.

कि किताल से पहले दावत दी जाए, इस्हाक़ बिन इब्राहीम का भी यही कौल है। वह कहते हैं: अगर पेश कदमी से पहले दावत दी जाए तो बेहतर है। यह चीज़ उन्हें डराने के लिए ज़्यादा मौजू है।

जबकि बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं: आज दावत न दी जाएगी।

इमाम अहमद (रह) फ़रमाते हैं: आज के दिन मैं किसी को नहीं जानता जिसे दावत दी जाए। इमाम शाफ़ेई (रह) फ़रमाते हैं: अगर दुश्मन जल्दी ना करे तो दावत से पहले उन से किताल न किया जाए, अगर दावत न भी दे तो कोई हर्ज नहीं क्योंकि उन्हें दावत पहुँच चुकी है।

2 - मस्जिद देखकर या अज्ञान सुनकर हमला करना मना है।

2- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْإِغَارَةِ أَذَارَايِ مَسْجِدًا أَوْ سَمِعَ أَذَانًا

1549 - इब्ने इसाम मुज़नी अपने बाप से जो कि सहाबी (रह) हैं रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (रह) जब कोई बड़ा या छोटा लश्कर खाना करते तो उन से फ़रमाते: "जब तुम मस्जिद देखो या मुअज़्ज़िन को सुनो तो किसी को क़त्ल ना करो।"

जईफ़: अबू दारुद: 2635.

1549 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَدَنِيُّ الْمَكِّيُّ وَكُنِيَ بِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ هُوَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ مُسَاحِقٍ، عَنْ ابْنِ عِصَامِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ جَيْشًا أَوْ سَرِيَّةً يَقُولُ لَهُمْ: إِذَا رَأَيْتُمْ مَسْجِدًا، أَوْ سَمِعْتُمْ مُؤَذِّنًا، فَلَا تَقْتُلُوا أَحَدًا

वज़ाहत: यह हदीस ग़रीब है और यह इब्ने उयय्ना की हदीस है।

3 - शव खून मारना और हमला करना

3 بَابُ فِي الْبَيِّنَاتِ وَالْغَارَاتِ

1550 - सय्यदना अनस (रह) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (रह) जब खैबर की तरफ़ निकले तो रात के वक़्त वहाँ पहुँचे और आप जब किसी क़ौम के पास रात को पहुँचते तो

1550 - حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

सुबह तक उन पर हमला न करते, सो जब सुबह हुई तो यहूदी अपनी कुदालें और टोकरे लेकर निकले जब उन्होंने आप (ﷺ) को देखा तो कहने लगे: मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह की क़सम! लश्कर लेकर आ गए। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: : **أَكْبَرُ** : ख़बर बर्बाद हो गया, बेशक हम जब किसी कौम के सेहन में उतरते हैं तो डराये गए लोगों की सुबह बुरी हो जाती है। ”

बुखारी: 2945. मुसनद अहमद: 3/159. इब्ने हिब्बान:4745.

तौज़ीह: **الْخَمِيسَ** : लफ़्ज़ **خميس** से निकला है जिसका मानी होता है “पांच” जुमेरात के दिन को भी यौमुल खमीस कहते हैं। क्योंकि यह हफ्ते का पांचवां दिन है। लश्कर को **خَمِيسَ** इस लिए कहा जाता है कि इस्लामी लश्कर पांच दस्तों पर मुश्तमिल होता था। (1) मुक़द्दमा (2)मैमना (3)मैसरह (4)साक्का (5)कल्ब मुक़द्दमा आगे चलता है जिसे हर अब्बल दस्ता कहा जाता है, मैमना दायें, मैसरह बाएं, साक्का पीछे, और कल्ब दर्मियान में। इन दस्तों के चलने की सूत यह बनती है।

1551 - सय्यदना अबू तल्हा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) जब किसी कौम पर ग़ालिब आते तो आप तीन दिन तक उनके मैदान में ठहरते।

बुखारी: 3065. अबू दारुद: 2695.

حِينَ خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ أَتَاهَا لَيْلًا، وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَوْمًا بَلِيلٍ لَمْ يُعْرِ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُصْبِحَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ، خَرَجَتْ يَهُودُ بِمَسَاجِيهِمْ، وَمَكَاتِلِهِمْ، فَلَمَّا رَأَوْهُ، قَالُوا: مُحَمَّدٌ وَآفَقٌ وَاللَّهِ مُحَمَّدٌ الْخَمِيسَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ.

1551 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِعَرَضَتِهِمْ ثَلَاثًا.

वज़ाहत: यह हदीस हसन सहीह है। और हुमैद की अनस (رضي الله عنه) से बयान कर्दा (ऊपर वाली) हदीस भी हसन सहीह है। और बाज़ (कुछ) उलमा ने रात के वक़्त हमला करने और शबखून मारने की रूख़सत दी है। जबकि बाज़ (कुछ) ने इसे मकरूह कहा है। इमाम अहमद और इस्हाक (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: रात के वक़्त दुश्मन पर शबखून मारने में कोई हर्ज नहीं है। और **الْخَمِيسَ وَآفَقٌ مُحَمَّدٌ** का मानी है कि उनके साथ लश्कर है।

4 - काफिरों के मालों को जलाना और घरों को तबाह करना

1552 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बनू नजीर के खजूरों के दरख्त जलाए और कटवाए (यह वही जगह थी) जिसे बुवैरह कहते हैं। फिर अल्लाह तआला ने यह आयत उतारी: "तुमने खजूरों के जो दरख्त काट डाले या जिन्हें तुमने उनकी जड़ों पर बाकी रहने दिया, यह सब अल्लाह तआला के हुक्म से था और इस लिए भी कि फासिकों को अल्लाह तआला रूसवा करे।" (अल- हशर : 5)

बुखारी: 4031. मुस्लिम: 1746. अबू दाऊद: 2615. इब्ने माजा: 2844.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है और यह हदीस हसन सहीह है। और उलमा की एक जमात इस तरफ भी गई है। दरख्तों को काटने और किलों को तबाह करने में कोई कबाहत नहीं समझते। जबकि बअज़ इसे मकरूह समझते हैं औज़ाई भी इसी के कायल है।

नीज़ सय्यदना अबू बकर (رضي الله عنه) ने यज़ीद (बिन अबी सुफ़ियान) को फलदार दरख्त काटने और आबाद किलों को उजाड़ने से मना किया था और उनके बाद मुसलमानों ने भी इसी पर अमल किया।

इमाम शाफ़ेई (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: दुश्मन के इलाक़े में अमवाल (मालों को) जलाने और दरख्त और फल वगैरह काटने में कोई हर्ज नहीं है।

इमाम अहमद (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: बाज़ (कुछ) दफ़ा यह दरख्त ऐसी जगह होते हैं जिन्हें काटना जरूरी हो जाता है लेकिन फुज़ूल और बिला मकसद इन्हें न जलाया जाए।

इस्हाक (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: जब उसमें काफ़िरों की ज़िल्लत हो तो दरख्त जलाना सुन्नत है।

5 - ग़नीमत का बयान

1553 - सय्यदना अबू उमामा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, "बेशक अल्लाह तआला ने मुझे अंबिया पर फ़ज़ीलत

4 بَابُ فِي التَّخْرِيقِ وَالتَّخْرِيبِ

1552 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ، وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْرِجَ الْفَاسِقِينَ}.

5 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغَنِيْمَةِ

1553 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُخَارِبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ

दी है” या यह फ़रमाया, “मेरी उम्मत को बाकी उम्मतों पर फज़ीलत दी है और हमारे लिए ग़नीमतों को हलाल किया है।”

सहीह: मुसनद अहमद: 5/248. बैहकी: 1/112.

التَّيْمِي، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَضَّلَنِي عَلَى الْأَنْبِيَاءِ، أَوْ قَالَ: أُضْتِيَ عَلَيَّ عَلَى الْأُمَّمِ، وَأَحَلَّ لَنَا الْغَنَائِمَ.

वज़ाहत: इस मसले में अली, अबू ज़र, अब्दुल्लाह बिन अग्र, अबू मूसा और इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: अबू उमामा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। और सय्यार को मौला बनी मुआविया भी कहा जाता है। उनसे सुलैमान अतैमी, अब्दुल्लाह बिन बुहेर और दीगर लोगों ने रिवायत ली है।

अबू ईसा कहते हैं: हमें अली बिन हुज़्र ने वह कहते हैं: हमें इस्माईल बिन जाफ़र ने, उन्हें अला बिन अब्दुरहमान ने अपने बाप के ज़रिए अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत की है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “मुझे छ: चीजों के साथ अंबिया पर फ़ज़ीलत दी गयी है: मुझे जामे क़लिमात दिए गए हैं, रौब के साथ मेरी मदद की गई है, मेरे लिए ग़नीमतों को हलाल किया गया है, ज़मीन को मेरे लिए सज़दागाह और तहूर (पाकी हासिल करना) बनाया गया है, मुझे तमाम मख़लूक की तरफ़ रसूल बना कर भेजा गया है और मेरे साथ अंबिया का इख़िताम हुआ है।” यह हदीस हसन सहीह है।

6 - घोड़े का हिस्सा,

1554 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ग़नीमत में घोड़े के दो और पैदल आदमी का एक हिस्सा तक्सीम किया।

बुखारी: 2863. मुस्लिम: 1762. अबू दारुद: 2733. इब्ने माज़ा: 2854.

6 بَابُ فِي سَهْمِ الْخَيْلِ

1554 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّبِيِّ، وَحَمِيدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَحْضَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ فِي الثَّقَلِ لِلْفَرَسِ بِسَهْمَيْنِ، وَلِلرَّجُلِ بِسَهْمٍ.

वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने वह कहते हैं: हमें अब्दुरहमान बिन महदी ने सुलैम बिन अख़ज़र से इसी तरह रिवायत की है।

इस मसले में मजमा बिन जारिया, इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) और इब्ने अबी उमरा की अपने बाप से भी

रिवायत है और अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। नीज़ नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से जुम्हूर उलमा का इसी पर अमल है। सुफ़ियान सौरी, औज़ाई, मालिक बिन अनस, इब्ने मुबारक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक (رضي الله عنه) भी यही कहते हैं कि घुड़सवार के तीन हिस्से होंगे। एक उसका अपना और दो घोड़े के और पैदल को एक हिस्सा मिलेगा।

7 - लश्करों का बयान.

1555 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, “बेहतरीन साथी चार हैं: बेहतरीन छोटा लश्कर (सरिय्या) चार सौ का है। और बेहतरीन बड़ा लश्कर (जैश) चार हज़ार का है और बारह हज़ार तादाद की कमी की वजह से मग़्लूब (पराजय) नहीं हो सकते।”

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 2611. मुसनद अहमद: 1/294.
दारमी: 2443.

वज़ाहत: यह हदीस हसन ग़रीब है। जरिर बिन हाजिम के अलावा किसी बड़े रावी ने इसे मुत्तसिल बयान नहीं किया, इसे ज़ोहरी ने नबी(ﷺ) से मुर्सल भी रिवायत किया है।

नीज़ इस हदीस को हिब्बान बिन अली अन्ज़ी ने अकील से उन्होंने ज़ोहरी से उन्होंने उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह से बवास्ता इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) नबी(ﷺ) से रिवायत किया है। और लैस बिन साद ने इसे अकील से बवास्ता ज़ोहरी नबी(ﷺ) से मुर्सल रिवायत किया है।

8 - ग़नीमत का माल कैसे दिया जाए?

1556 - यज़ीद बिन हुर्मज़ (رضي الله عنه) से रिवायत है नज्दा हस्री ने इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) को ख़त लिख कर पूछा कि क्या रसूलुल्लाह(ﷺ) जंग के लिए औरतों को साथ ले जाया करते थे?

7 بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّرَايَا

1555 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ الْبَصْرِيُّ، وَأَبُو عَمَّارٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعٌ مِائَةً، وَخَيْرُ الْجِيُوشِ أَرْبَعَةٌ أَلَا، وَلَا يُغْلَبُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ.

8 بَابُ مَنْ يُعْطَى الْفَيْءَ

1556 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمَزٍ، أَنَّ نَجْدَةَ الْحَرُورِيَّ كَتَبَ

और क्या आप उनके लिए ग़नीमत के माल से हिस्सा भी निकालते थे? तो इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) ने उन्हें जवाब देते हुए खत लिखा कि तुमने मुझे खत लिख कर पूछा है कि क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) औरतों को लेकर जिहाद करते थे? आप (ﷺ) उन्हें साथ ले जाकर जिहाद करते थे वह बीमारों का इलाज करतीं और ग़नीमत में से कुछ उन्हें बतौर तोहफ़ा दिया जाता लेकिन आप (ﷺ) ने उनका हिस्सा नहीं निकाला।

मुस्लिम: 1812. अबू दाऊद: 2727. मुसनद अहमद: 1/248.

वज़ाहत: इस मसले में अनस और उम्मे अतिय्या (رضي الله عنها) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ यह हदीस हसन सहीह है और जुम्हूर उलमा का इसी पर अमल है। सुफ़ियान सौरी और शाफ़ेई का भी यही कौल है। जबकि बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं: औरत और बच्चे का हिस्सा निकाला जाएगा यह कौल औज़ाई का है। औज़ाई कहते हैं: नबी (ﷺ) ने खैबर में से बच्चों का हिस्सा निकाला था और मुसलमानों के हाकिमों ने भी जंग के इलाक़े में पैदा होने वाले हर बच्चे का हिस्सा निकाला था।

औज़ाई कहते हैं: नबी (ﷺ) ने खैबर में औरतों का हिस्सा निकाला था और आप (ﷺ) के बाद मुसलमानों ने भी इसी बात को लिया।

अबू ईसा कहते हैं: हमें यह बात अली बिन खुर्रम ने बवास्ता ईसा अन यूनुस, औज़ाई से इसी तरह बयान की है और ग़नीमत से तोहफ़े दिए जाने का मतलब है कि उन्हें ग़नीमत के माल से कुछ न कुछ बतौर तोहफ़ा इनाम दे दिया जाता था।

9 - क्या गुलाम का हिस्सा निकाला जाएगा?

1557 - सय्यदना उमैर मौला आबिल लहम (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैं खैबर में अपने मालिकों के साथ शरीक हुआ तो उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से मेरे बारे में बात की और

9 بَابُ هَلْ يُسْهَمُ لِلْعَبْدِ

1557 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمِيرِ، مَوْلَى أَبِي اللَّحْمِ قَالَ: شَهِدْتُ خَيْبَرَ مَعَ

उन्होंने यह भी बात की कि मैं गुलाम हूँ, रावी कहते हैं: आप (ﷺ) ने हुक्म दिया एक तलवार मेरे गले में डाली गई तो मैं उसे खींचता था यानी तलवार बड़ी और मेरा क़द छोटा था फिर आप (ﷺ) ने मेरे लिए कुछ घरेलू सामान का हुक्म दिया और मैंने आप पर एक दम पेश किया जिसके साथ मैं दीवानों (पागलों) को दम किया करता था। आप (ﷺ) ने मुझे कुछ हिस्से को छोड़ने और कुछ हिस्से को रखने का हुक्म दिया।

सहीह: अबू दाऊद: 2730, इब्ने माजा: 2855.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ यह हदीस हसन सहीह है और बाज़ (कुछ) उलमा का इसी पर अमल है कि गुलाम का हिस्सा न निकाला जाए बल्कि उसे बतौर तोहफ़ा कुछ दे दिया जाए, सौरी, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رضي الله عنه) भी इसी के कायल हैं।

10 - अगर जिम्मी लोग मुसलमानों के साथ मिलकर जंग करे तो क्या उन्हें हिस्सा दिया जाएगा?

1558 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) बद्र की तरफ़ निकले, यहाँ तक कि जब हरतुल वबरा पहुंचे तो आप को एक मुश्रिक आदमी मिला जिसकी दिलेरी और शुजाअत मशहूर थी, नबी (ﷺ) ने उस से फ़रमाया, क्या तु अल्लाह और उसके रसूल के साथ ईमान रखता है? उस ने कहा: नहीं” आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “वापस चले जाओ, मैं मुश्रिक से हरगिज़ तआवुन नहीं लूंगा। ”

मुस्लिम: 1817, अबू दाऊद: 2332.

10 باب ما جاء في أهل الذمّة يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم؟

1558 - حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَبَارٍ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى بَدْرٍ حَتَّى إِذَا كَانَ بِحَرَّةِ الْوَيْرَةِ لِحَقِّهِ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَذْكُرُ مِنْهُ جُرْأَةً وَتَجَدَّةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ؟، قَالَ: لَا، قَالَ: ازْجِعْ، فَلَنْ أُسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ.

तौज़ीह: نَجْدَةٌ: जंग में बहादुरी और शुजाअत ऐसी हिम्मत जिसकी वजह से हर काम कर गुजरने का हौसला हो। (अल- कामसुल वहीद:पृ. 1612)

वज़ाहत: इस हदीस में और भी तफ़्सील है। यह हदीस हसन ग़रीब है। और बाज़ (कुछ) उलमा इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि ज़िम्मियों का हिस्सा न निकाला जाए, अगरचे वह मुसलमानों के साथ मिलकर दुश्मनों से लड़ाई भी करें।

जबकि बाज़ (कुछ) उलमा की राय यह यह है कि जब वह मुसलमानों के साथ मिलकर किताल करे तो उन्हें हिस्सा दिया जाए। और ज़ोहरी से मर्वी है कि नबी (ﷺ) ने यहूदियों को हिस्सा दिया था जिन्होंने आप के साथ मिलकर किताल किया था, हमें यह हदीस कुतैबा बिन सईद ने उन्हें अब्दुल वारिस बिन सईद ने बवास्ता अजरह बिन साबित, ज़ोहरी से बयान की है। यह हदीस हसन ग़रीब है।

1559 - सय्यदना अबू मूसा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मैं अश़अरी लोगों की जमात में नबी (ﷺ) के साथ ख़ैबर गया तो आप (ﷺ) ने फातिहीन के साथ हमें भी हिस्सा दिया था।

बुखारी: 4233. मुस्लिम: 2502. अबू दाऊद: 2725.

1559 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَرِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَرْدَةَ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي بَرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ حَيْبَرَ، فَأَسْهَمَ لَنَا مَعَ الَّذِينَ افْتَتَحُوهَا.

वज़ाहत: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है और बाज़ (कुछ) उलमा का इसी पर अमल है। औज़ाई कहते हैं: लश्कर में तक्रसीम से पहले जो शख्स मुसलमानों से मिल जाए उसे भी हिस्सा दिया जाएगा।

बुरैदा की कुनियत अबू बुर्दा है यह सिक़ह रावी है। इन से सुफ़ियान सौरी, इब्ने उयय्या और दीगर रावियों ने रिवायत की है।

11 - मुश्रिकीन के बर्तनों से फ़ायदा लेना.

1560 - सय्यदना अबू सअलबा इबुशनी (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से मज़ूसियों की हांडियों के बारे में पूछा गया तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, "उन्हें धो कर साफ़ कर

11 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِنْتِفَاعِ بِأَيِّئَةِ الْمُشْرِكِينَ

1560 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَرْحَمٍ الطَّائِي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ سَلْمٌ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي

लो और उनमें पका लो और आप(ﷺ) ने हर दरिन्दे और कुचली वाले जानवर का गोशत खाने से मना फ़रमाया।”

सहीह: मुसनद अहमद: 4/ 193

نُعَلِبَةُ الْحُسَيْنِي، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قُدُورِ الْمَجُوسِ، فَقَالَ: أَتَقُوها عَسَلًا، وَاطْبُخُوا فِيهَا، وَنَهَى عَنْ كُلِّ

سَبْعِ ذِي نَابٍ.

वज़ाहत: यह हदीस और इस्नाद से भी अबू सअलबा (رضي الله عنه) से मर्वी है। इसे अबू इदरीस खौलानी ने भी अबू सअलबा से रिवायत किया है। नीज़ अबू किलाबा ने अबू सअलबा (رضي الله عنه) से हदीस का सिमा (सुनना) नहीं किया। उन्होंने बवास्ता अबू अस्मा, सय्यदना अबू सअलबा (رضي الله عنه) से रिवायत की है।

अबू ईसा फ़रमाते हैं: हमें हनाद ने वह कहते हैं हमें इब्ने मुबारक ने वुहैब बिन शरीक से रिवायत की है वह कहते हैं: मैंने रबीआ बिन यज़ीद दमिशकी को सुना वह कहते थे: मुझे इदरीस खौलानी से आइज़ुल्लाह बिन उबैदुल्लाह ने बताया कि मैंने अबू सअलबा खुशानी को सुना फ़रमा रहे थे: मैं अल्लाह के रसूल(ﷺ) के पास गया, मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल(ﷺ) हम अहले किताब के इलाक़े में रहते हैं उनके बर्तनों में खाते हैं। आप(ﷺ) ने फ़रमाया; “ अगर तुम्हें उनके बर्तनों के अलावा और बर्तन मिल जाएँ तो उनके बर्तनों में मत खाओ, अगर और बर्तन न मिलें तो उन्हें धो कर उनमें खा लो(1)

इमाम तिर्मिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

12 - नफ़ल का बयान.

1561 - उबादा बिन सामित (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) इब्तिदा में चौथा और लौटते वक़्त तीसरा हिस्सा बतौर नफ़ल देते थे।

ज़ईफ़: इब्ने माजा: 2852. मुसनद अहमद: 5/319. अब्दुरज़ाक:9334.

12 بَابُ فِي النَّفْلِ

1561 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي سَلَامٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُنْفِلُ فِي الْبَدَاةِ الرَّبْعَ، وَفِي الْقُقُولِ الثَّلَاثَ.

तौज़ीह: نفل : ज़ायद चीज़ देना, यानी इमाम किसी की बहादुरी, दिलेरी और खतरनाक काम करने की वजह से उसके हिस्से के अलावा कोई चीज़ दे दे तो उसे नफ़ल कहा जाता है।

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास, हबीब बिन मस्लमा, मअन बिन यज़ीद, इब्ने उमर और सलमा बिन अक्का (رضی اللہ عنہ) से भी हदीस मर्वी है। और उबादा (رضی اللہ عنہ) की हदीस हसन है। नीज़ यह हदीस अबू सलाम ने भी नबी (ﷺ) के एक सहाबी (رضی اللہ عنہ) से भी रिवायत की है।

अबू ईसा कहते हैं: हमें हन्नाद ने वह कहते हैं: हमें इब्ने अबी ज़िनाद ने अपने बाप से बवास्ता उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उत्बा सय्यदना इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने बद्र के दिन अपनी ज़ुल्फ़िकार तलवार बतौर नफ़ल ली थी यही वह तलवार थी जिसके बारे में आपने उहुद के दिन ख़्वाब देखा था।

यह हदीस हसन गरीब है। हम इसे सिर्फ़ इब्ने अबी ज़िनाद से इसी सनद के साथ जानते हैं।

नीज़ अहले इल्म ने माले ख़ुम्स के नफ़ल के बारे में इख़्तिलाफ़ किया है। मालिक बिन अनस कहते हैं: मुझे ऐसी कोई बात नहीं पहुंची जिसमें यह ज़िक्र हो कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने किसी ग़ज़वह में बतौर नफ़ल कुछ दिया हो और मुझे यह हदीस भी पहुंची है कि आप (ﷺ) ने बाज़ (कुछ) ग़ज़वात में बतौर नफ़ल दिया भी है और यह बात इमाम के इज्तिहाद पर है। ग़नीमत तक्सीम करने से पहले दे दे या बाद में।

इब्ने मंसूर कहते हैं: मैंने इमाम अहमद (رضی اللہ عنہ) से कहा कि नबी (ﷺ) ने ख़ुम्स के बाद चौथा हिस्सा बतौर नफ़ल दिया था और जब लौटे तो ख़ुम्स के बाद तीसरा हिस्सा दिया था तो उन्होंने फ़रमाया, पांचवां हिस्सा निकाले फिर बाकी में तक्सीम कर दे और इस से आगे न बढ़े।

इमाम तिर्मिज़ी (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं: इब्ने मुसय्यब (رضی اللہ عنہ) का कौल इसी हदीस के मुताबिक है कि नफ़ल ख़ुम्स से होगा। इस्हाक़ (رضی اللہ عنہ) भी ऐसे ही कहते हैं।

13 - जो मुजाहिद किसी काफ़िर को क़त्ल करे उसका सामान उसे ही मिलेगा.

1562 - सय्यदना अबू क़तादा (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "जिसने किसी काफ़िर को क़त्ल किया उसके पास उसकी दलील (सबूत) भी हो तो मक्त्तूल का सामान उसी का है।"

बुख़ारी: 3142. मुस्लिम: 1751. अबू दाऊद: 2717. इब्ने माज़ा: 2838.

13 بَابُ مَا جَاءَ فِي مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلْبُهُ

1562 - حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيْتَةٌ فَلَهُ سَلْبُهُ.

तौज़ीह: سَلْبُ: काफ़िर को क़त्ल करने के बाद उसकी ज़िरह और अस्लहा वग़ैरह जो क़त्ल करने वाला मुजाहिद उतारे उसे सलब कहते हैं।

मज़ाहत: इस हदीस में एक वाक़िया भी है।

अबू ईसा कहते हैं: हमें इब्ने उमर ने भी बवास्ता सुफ़ियान, यहया बिन सईद से इसी सनद के साथ ऐसे ही हदीस बयान की है। और इस मसले में औफ़ बिन मालिक, ख़ालिद बिन वलीद, अनस और समुरा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

यह हदीस हसन सहीह है और अबू मुहम्मद, नाफ़े ही हैं जो अबू क़तादा के आज़ादकर्दा थे। नीज़ नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ (कुछ) उलमा का इसी पर अमल है। औज़ाई, शाफ़ेई और अहमद (رضي الله عنه) का भी यही कौल है।

जबकि बाज़ (कुछ) अहले इल्म कहते हैं कि इमाम सलब के माल से पांचवां हिस्सा बैतूल माल के लिए निकाल सकता है। सौरी फ़रमाते हैं: नफ़ल यह है कि इमाम कह दे जिसे कोई चीज़ मिल जाए वह उसी की है और जिसने किसी दुश्मन को क़त्ल किया हो उसका सामान उसी का है। यह जायज़ है और उसमें से पांचवां हिस्सा नहीं होगा।

इस्हाक़ (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: माले सलब क़त्ल करने वाले मुजाहिद का होगा। अगर वह ज़्यादा माल न हो और इमाम अगर देखे तो उस से पांचवां हिस्सा निकाल सकता है जैसा कि उमर बिन ख़त्ताब (رضي الله عنه) ने किया था।

14 - तक्सीम से पहले माले ग़नीमत को बेचना मना है।

1563 - सय्यदना अबू सईद खुदरी (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने तक्सीम से पहले ग़नीमतों का माल ख़रीदने से मना फ़रमाया है।

सहीह: इब्ने माजा: 2196. मुसनद अहमद: 3/42. दार कुल्नी: 3/15.

14 بَابُ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقَسَمَ

1563 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جُهَيْثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقَسَمَ.

वज़ाहत: इस मसले में सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है।

15 - फ़ैद में आने वाली हामिला औरतों से मुबाशिरत करना मना है।

1564 - उम्मे हबीबा (رضي الله عنها) बिनते इब्ज़ाज़ बिन सारिया (رضي الله عنه) रिवायत करती हैं कि उन के बाप ने उन्हें बताया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कैदी औरतों से हमबिस्तरी करने से मना फ़रमाया यहाँ तक कि वह अपने पेटों के हमल जन्म दें।

सहीह: 1474 नम्बर हदीस देखें।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: इस मसले में रुवैफे बिन साबित (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है और इब्ज़ाज़ बिन सारिया (رضي الله عنه) की हदीस ग़रीब है नीज़ उलमा का इसी पर अम्ल है।

औज़ाई फ़रमाते हैं: जब कोई शख्स कैदी ख्वातीन में से कोई लौंडी खरीदे और वह हामिला हो तो उमर बिन खत्ताब (رضي الله عنه) से मर्वी है कि हामिला औरत से बच्चा जन्म देने तक हमबिस्तरी न की जाए। औज़ाई फ़रमाते हैं: कि आज़ाद औरतों के बारे में सुन्नत तरीका गुज़र चुका है कि उन्हें इद्दत का हुक्म दिया जाएगा (अबू ईसा कहते हैं:) मुझे यह सब रिवायत अली बिन ख़थ्रम ने बवास्ता ईसा बिन यूनुस, औज़ाई से बयान की है।

16 - मुश्रिकों के खाने के बारे में।

1565 - क़बीसा बिन हुल्ब अपने बाप (सय्यदना हुल्ब (رضي الله عنه) से रिवायत करते हैं कि मैंने नबी (ﷺ) से ईसाइयों के खाने के बारे में पूछा तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, "तुम्हारे दिल वह खाना शक पैदा न करे जिसमें तुमने ईसाइयों की मुशाबिहत की है।"

15 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ وَطْءِ الْحَبَالَى مِنَ السَّبَايَا

1564 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ، عَنْ وَهْبِ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ عِرْبَانِ بْنِ سَارِيَةَ، أَنَّ أَبَاهَا، أَخْبَرَهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُوطَأَ السَّبَايَا حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ.

16 بَابُ مَا جَاءَ فِي طَعَامِ الْمُشْرِكِينَ

1565 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ قَبِيصَةَ بِنَ هَلْبٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ طَعَامِ النَّصَارَى؟

हसन: अबू दाऊद: 3784. इब्ने माजा: 2830. मुसनद
अहमद: 5/226.

فَقَالَ: لَا يَتَخَلَّجَنَّ فِي صَدْرِكَ طَعَامٌ صَارَعَتْ
فِيهِ النَّصْرَانِيَّةَ.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। महमूद कहते हैं: उबैदुल्लाह बिन मूसा इख़्राईल से बवास्ता सिमाक, क़बीसा से उनके बाप के ज़रिए रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने ऐसे ही फ़रमाया। महमूद कहते हैं: वहब बिन जरीर ने शोबा से उन्होंने सिमाक से उन्होंने मुरी बिन कतरी से बवास्ता अदी बिन हातिम (رحمته الله) नबी (ﷺ) से ऐसे ही रिवायत की है। और उलमा का इसी पर अमल है कि अहले किताब का खाना खाने की रूख़सत है।

17 - कैदियों के दर्मियान जुदाई डालना मना है

1566 - अबू अय्यूब (رحمته الله) रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना: "जो श़ख्स मां और उसके बच्चे के दर्मियान जुदाई करे तो अल्लाह तआला क़यामत के दिन उसके और उसके महबूब श़ख्स के दर्मियान जुदाई डाल देगा।"

हसन: तयालिसी: 1033. मुसनद अहमद: 258/4. इब्ने हिब्बान: 322.

17 بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ السَّبْيِ

1566 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُبَيْبٌ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: इस मसले में अली (رحمته الله) से भी मर्वी है और यह हदीस हसन ग़रीब है। नीज़ नबी (ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से अहले इल्म इसी पर अमल करते हुए कैदियों के दर्मियान जुदाई को नापसंद करते हैं यानी मां, औलाद, बाप, बेटे और बहन भाइयों के दर्मियान।

18 - कैदियों को क़त्ल करने और फिदया लेकर छोड़ने का बयान.

1567 - सय्यदना अली (رحمته الله) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "जिब्रील (رحمته الله) उन पर नाजिल हुए और उन से

18 بَابٌ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْأَسَارِيِّ وَالْفِدَاءِ

1567 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ، وَاسْمُهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَمْدَانِيُّ، وَمَحْمُودُ

फ़रमाया, " अपने सहाबा को बद्र के कैदियों के बारे में इख्तियार दे दीजिए। क़त्ल करें या फिदया ले लें लेकिन इस शर्त पर कि अगले साल उतने ही क़त्ल (शहीद) होंगे। " उन्होंने कहा: फिदया कुबूल करते हैं और हम में से शहीद हो जाएँ।

सहीह: इब्ने शैबा: 14/368. बेहकी: 16/321. हाकिम: 2/140.

بُنْ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامِ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنْ جِبْرَائِيلَ هَبَطَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: خَيْرُهُمْ، يَعْنِي أَصْحَابَكَ، فِي أُسَارَى بَدْرِ الْقَتْلِ أَوْ الْفِدَاءِ عَلَى أَنْ يُقْتَلَ مِنْهُمْ قَابِلًا مِثْلَهُمْ، قَالُوا: الْفِدَاءُ وَيُقْتَلُ مِنَّا.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने मसऊद, अनस, अबू बर्जा और जुबैर बिन मुतइम (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस बतरीक सौरी हसन ग़रीब है। हम इसे इब्ने अबी ज़ायदा की सनद से ही जानते हैं। नीज़ अबू उसामा ने हिशाम से उन्होंने इब्ने सीरीन से बवास्ता उबैदा, सय्यदना अली (رضي الله عنه) से नबी (ﷺ) की हदीस ऐसे ही रिवायत की है।

जबकि इब्ने औन ने इब्ने सीरीन से बवास्ता उबैदा, सय्यदना अली (رضي الله عنه) से मुसल रिवायत भी की है। और अबू दाऊद हज़रमी का नाम उमर बिन साद है।

1568 - सय्यदना इमरान बिन हुसैन (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने दो मुसलमानों के बदले एक मुशरिक को छोड़ा था।

मुस्लिम: 1641. अबू दाऊद: 3316.

1568 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُمَرَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَى رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और अबू किलाबा के चचा अबू मुहल्लब हैं। जिनका नाम अब्दुरहमान बिन अम्र है जिन्हें मुआविया बिन अम्र भी कहा जाता है और अबू किलाबा का नाम अबू ज़ैद अल-जरी है।

नीज़ नबी (ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से जुम्हूर उलमा का इसी पर अमल है। इमाम कैदियों में से जिस पर चाहे एहसान करे और जिसे चाहे क़त्ल करे और जिसे चाहे फिदया लेकर रिहा कर

दे और बाज़ (कुछ) उलमा ने फिदया के बजाये क़त्ल करने को बेहतर कहा है।

औज़ाई कहते हैं: मुझे यह बात पहुंची है कि यह आयात मंसूख है : “एहसान करके छोड़ दो या फिदया लेकर;” (मुहम्मद:4) इसे इस आयात ने मंसूख किया है : “जहां भी उन काफ़िरों को पाओ उन्हें क़त्ल कर दो।” (अल- बकरा: 191) यह बात हमें हनाद ने बवास्ता इब्ने मुबारक, औज़ाई से बयान की है। इस्हाक़ बिन मंसूर कहते हैं: मैंने इमाम अहमद (रह) से कहा जब कैदी को कैद कर लिया जाए उसे क़त्ल किया जाना आप को ज़्यादा पसंद है या फिदया लेकर छोड़ देना? उन्होंने फ़रमाया, अगर कुफ़ार में फिदया देने की ताक़त हो तो उसे फिदया लेकर छोड़ने में कोई हर्ज नहीं और अगर उसे क़त्ल कर दिया जाए तो मेरे इल्म के मुताबिक इस में भी कोई हर्ज नहीं है।

इस्हाक़ (रह) फ़रमाते हैं: कुफ़ार की ख़ूरी मुझे ज़्यादा पसंद है इल्ला (मगर) यह कि मारूफ़ हो तो मैं इस से कसरत की तमा करूं।

19 - दुश्मन की औरतों और बच्चों को क़त्ल करना मना है।

19 بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّهْمِي عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

1569 - सय्यदना इब्ने उमर (रह) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (रह) के किसी गज्वा में एक औरत क़त्ल की गई तो रसूलुल्लाह (रह) ने उसके क़त्ल को नागवार समझा और बच्चों और औरतों को क़त्ल करने से मना फ़रमा दिया।

खुवारी: 3014. मुस्लिम: 1744. अबू दाऊद: 2668. इब्ने माजा: 2841.

वज़ाहत: इस मसले में बुरैदा, रबाह- रियाह बिन रबी भी कहा जाता है। अस्वद बिन सुरैअ, इब्ने अब्बास और सअब बिन जस्सामा (रह) से भी मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (रह) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और नबी (रह) के सहाबा व दीगर लोगों में से कुछ अहले इल्म इसी पर अमल करते हुए औरतों और बच्चों को क़त्ल करना मकरूह कहते हैं। सुफ़ियान सौरी और शाफ़ेई (रह) का भी यही कौल है।

जबकि बाज़ (कुछ) शब्खून मारने और इसमें औरतों और बच्चों को क़त्ल करने की रूख़सत देते हैं। यह कौल इमाम अहमद और इस्हाक़ (रह) का है। यह दोनों रात को हमला करने की रूख़सत देते हैं।

1569 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ امْرَأَةً وَجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ، وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ.

1570 - इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि मुझे सअब बिन जस्सामा (رضی اللہ عنہ) ने बताया कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल हमारे लश्कर ने मुश्रिकों की औरतों और उनकी औलाद को रौंद डाला, आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “वह अपने बापों से ही हैं।”

बुखारी: 3012. मुस्लिम: 1745. अबू दारूद: 2673.
इब्ने माजा: 2839.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته اللہ علیہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

20 - दुश्मन को आग से जलाना मना है

1571 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें एक लश्कर में भेजा तो फ़रमाया, “अगर तुम फुलां फुलां को पा लो।” कुरैश के दो आदमियों का नाम लिया “तो उन दोनों को आग से जला देना” फिर जब हम रवाना होने लगे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, मैंने तुम्हें हुक्म दिया था कि फुलां फुलां शख्स को आग से जला देना लेकिन आग से सिर्फ़ अल्लाह तआला ही अज़ाब दे सकता है अगर तुम उनको पा लो तो उन्हें क़त्ल कर देना।”

बुखारी: 2954. अबू दारूद: 2674.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास और हमज़ा बिन अम्र अल अस्लमी (رضی اللہ عنہ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمته اللہ علیہ) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضی اللہ عنہ) की हदीस हसन सहीह है और अहले इल्म का इसी पर अमल है, नीज़ मुहम्मद बिन इस्हाक़ ने सुलैमान बिन यसार और अबू हुरैरा (رضی اللہ عنہ) के दर्मियान एक और आदमी का भी ज़िक्र किया है। जबकि कई रावियों ने लैस की तरह रिवायत की है। लेकिन लैस बिन साद की हदीस ज़्यादा बेहतर और सहीह है।

1570 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْظِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الصَّعْبُ بْنُ جَثَامَةَ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ خِيلَنَا أَوْطَأْتُ مِنْ نِسَاءِ الْمُشْرِكِينَ وَأَوْلَادِهِمْ، قَالَ: هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ.

20 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْإِحْرَاقِ بِالنَّارِ

1571 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْثٍ، فَقَالَ: إِنْ وَجَدْتُمْ فُلَاتًا وَفُلَاتًا لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ فَأَحْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَرَدْنَا الْخُرُوجَ: إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوا فُلَاتًا وَفُلَاتًا بِالنَّارِ وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذَّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ، فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا.

21 - माले गनीमत से खयानत करना.

1572 - सय्यदना सौबान (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "जिस शख्स को इस हाल में मौत आई कि वह तीन चीजों; तकब्बुर, खयानत और कर्ज़ से बरी था तो वह जन्नत में दाखिल हो गया।"

सहीह: इब्ने माजा: 2412.

वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरैरा और ज़ैद बिन ख़ालिद जुहनी (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

1573 - सय्यदना सौबान (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "जिसकी रूह ने जिस्म को इस हाल में छोड़ा कि वह तीन चीजों; कंज़, खयानत और कर्ज़ से बरी था तो वह जन्नत में दाखिल हो गया।"

इन अल्फ़ाज़ के साथ शाज़ है. मुसनद अहमद: 5/276.
इब्ने माजा: 2412. इब्ने हिब्बान: 198.

तौज़ीह: الكنز : इस्तिलाहे शरीयत में वह माल जिसकी ज़कात न अदा की जाए, पहली रिवायत में यह लफ़ज़ किज़्र के साथ आया है जिसका मानी तकब्बुर है।

वज़ाहत: साद ने भी कंज़ जबकि अबू अवाना ने अपनी हदीस में क़िर कहा है और इसमें मेअदान का भी ज़िक्र नहीं किया। नीज़ सईद की रिवायत ज़्यादा सहीह है।

1574 - सय्यदना उमर बिन खत्ताब (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि कहा गया: ऐ अल्लाह के रसूल फुलां शख्स शहीद हो गया है। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, "हरगिज़ नहीं यकीनन मैंने उसे एक चादर की वजह से जहन्नम में देखा

21 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغُلُولِ

1572 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ مَاتَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثِ: الْكَبْرِ، وَالْغُلُولِ، وَالذَّيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

1573 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ فَارَقَ الرُّوحَ الْجَسَدَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثِ: الْكَنْزِ، وَالْغُلُولِ، وَالذَّيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

1574 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ أَبُو زُمَيْلٍ الْخَتَمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ:

है जो उसने चोरी की थी।" आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "ऐ उमर! खड़े होकर तीन दफ़ा ऐलान कर दो जन्नत में सिर्फ़ ईमान वाले ही जायेंगे।

सहीह: मुस्लिम: 114. मुसनद अहमद: 1/30.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है।

22 - औरतों का जंग में जाना

1575 - सय्यदना अनस (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) उम्मे सुलैम और अंसारी की दीगर ख्वातीन को जंग में साथ ले जाते थे वह पानी पिलातीं और ज़ख़िमयों का इलाज करतीं थीं।

मुस्लिम: 1810. अबू दाऊद: 2531. इब्ने हिब्बान: 4723.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: इस मसले में रुबै बिनते मुअव्विज़ (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है और यह हदीस हसन सहीह है।

23 - मुश्रिकों के तोहफ़े कुबूल करना

1576 - सय्यदना अली (ﷺ) से रिवायत है कि किसरा ने नबी(ﷺ) को तोहफ़ा भेजा तो आप(ﷺ) ने कुबूल किया और बादशाह आपको तोहफ़े भेजते थे तो आप उन से कुबूल करते थे।

ज़ईफ़: जिद्दा: मुसनद अहमद: 1/96. बेहक्की: 9/215.

वज़ाहत: इस मसले में जाबिर (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है और यह हदीस हसन ग़रीब है। सुवैर, अबू फ़ाख़ता के बेटे हैं। उनका नाम सईद बिन इलाका और कुनियत अबू जहम है।

حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فُلَانًا قَدْ اشْتَهَدَ، قَالَ: كَلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ بِعِبَاءَةٍ قَدْ غَلَّهَا، قَالَ: فَمَ يَا عُمَرُ فَتَادِ إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ ثَلَاثًا.

22 بَابُ مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْحَرْبِ

1575 - حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافِ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَيْعِيُّ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِأُمَّ سَلِيمٍ وَنِسْوَةٍ مَعَهَا مِنَ الْأَنْصَارِ يَسْقِينَ الْمَاءَ وَيُدَاوِينِ الْجَرْحَى.

23 بَابُ مَا جَاءَ فِي قُبُولِ هَدَايَا الْمُشْرِكِينَ

1576 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ كِسْرَى أَهْدَى لَهُ، فَقَبِلَ، وَأَنَّ الْمُلُوكَ أَهْدَوْا إِلَيْهِ، فَقَبِلَ مِنْهُمْ.

24 - मुश्रिकीन के तोहफे की कराहत.

1577 - इयाज़ बिन हिमार से रिवायत है कि उस ने नबी (ﷺ) को कोई तोहफ़ा या कंटनी दी तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, "क्या तुम इस्लाम ले आए हो? उसने कहा, नहीं" आप (ﷺ) ने फ़रमाया, मुझे मुश्रिकीन के तोहफ़े कुबूल करने से मना किया गया है।"

सहीह: अबू दाऊद: 3075. बैहकी: 9/216.

तौज़ीह: अतिय्या तोहफ़ा वग़ैरह। अगर ब के ऊपर ज़बर के साथ हो तो इसका मानी ज़ाग वग़ैरह होता है। (देखिये अल- मोज़मुल वसीत: पृ. 459)

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और रब्द से मुराद तोहफ़े हैं।

नीज़ नबी (ﷺ) से यह भी मर्वी है कि आप मुश्रिकीन के तोहफ़े कुबूल कर लिया करते थे जबकि इस हदीस में कराहत का ज़िक्र है। हो सकता है कि पहले कुबूल करते हों और बाद में इस से मना कर दिया हो।

25 - सज्द-ए-शुक्र का बयान.

1578 - सय्यदना अबू बक्कह (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) के पास कोई ख़बर आयी आप इस से खुश हुए तो अल्लाह के लिए सज्दे में गिर पड़े।

हसन: अबू दाऊद: 2774. इब्ने माजा: 1394. दार कुत्नी: 1/410.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। हम इसे बक्कार बिन अब्दुल अज़ीज़ के तरीक से ही जानते हैं। नीज़ जुम्हूर उलमा का इसी पर अमल है कि सज्द-ए-शुक्र जायज़ है। और बक्कार बिन अब्दुल अज़ीज़ बिन अबी बक्र मुकारिबुल हदीस हैं।

24 بَابُ فِي كَرَاهِيَةِ هَدَايَا الْمُشْرِكِينَ

1577- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ، عَنْ عِيَّاضِ بْنِ حِمَارٍ، أَنَّهُ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةً لَهُ أَوْ نَاقَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَسَلَّمْتُ، قَالَ: لَا، قَالَ: فَإِنِّي نَهَيْتُ عَنْ زَيْدِ الْمُشْرِكِينَ. نَهَى عَنْ هَدَايَاهُمْ.

25 بَابُ مَا جَاءَ فِي سَجْدَةِ الشُّكْرِ

1578 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ أَمْرٌ، فَسَرَّ بِهِ، فَخَرَّ لِلَّهِ سَاجِدًا.

26 - औरत और गुलाम अगर किसी को अमान दे दें

1579 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “बेशक औरत कौम के लिए पनाह लेती है। यानी मुसलमानों से अमान दिलवाती है।”

हसन: मुसनद अहमद: 2/ 365.

वज़ाहत: इस मसले में उम्मे हानी से भी हदीस मर्वी है। और यह हदीस हसन ग़रीब है और मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुखारी से पूछा तो उन्होंने फ़रमाया, यह हदीस हसन सहीह है और कसीर ने वलीद बिन रबाह से हदीस सुनी है और वलीद बिन रबाह ने अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से सिमा (सुनना) किया है और मुकारिबुल हदीस हैं। अबू ईसा कहते हैं: हमें अबू वली दमिश्की ने वह कहते हैं: हमें वलीद बिन मुस्लिम ने वह कहते हैं: हमें इब्ने उबय बिन सईद मक्बुरी से बचास्ता अबू मुरा मौला अकील बिन अबी तालिब सय्यदा उम्मे हानी (رضي الله عنها) से रिवायत की है कि उन्होंने फ़रमाया, “मैंने अपने शौहर के रिश्तेदारों में से दो आदमियों को पनाह दी तो अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया, “जिन्हें तुमने अमान दी है हमने भी उन्हें अमान दी।”

इमाम तिर्मिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और उलमा इसी पर अमल करते हुए औरत की अमान को जायज़ कहते हैं। इमाम अहमद और इस्हाक (رضي الله عنه) भी औरत और गुलाम की अमान को जायज़ कहते हैं। नीज़ उमर बिन खत्ताब (رضي الله عنه) से कई तुरूक से मर्वी है कि उन्होंने गुलाम की अमान को जायज़ कहा है। अकील बिन अबी तालिब के मौला अबू मुरा को मौला उम्मे हानी भी कहा जाता है। इसका नाम ज़ैद था।

नीज़ सय्यदना अली बिन अबी तालिब और अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “मुसलमानों का ज़िम्मा एक ही है जिसके साथ उनका अदना आदमी भी चलता है।”

अबू ईसा (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: उलमा के नज़दीक इसका मतलब यह है कि मुसलमानों में से कोई भी आदमी पनाह दे दे तो वह तमाम की तरफ़ से होगी।

26 بَابُ مَا جَاءَ فِي أَمَانِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ

1579 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَكْثَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي خَارِمٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَأْخُذُ لِلْقَوْمِ، يَعْنِي: تُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.

27 - अहद शिकजी का बयान

1580 - सुलैम बिन आमिर (رضی اللہ عنہ) فرमाते हैं कि सय्यदना मुआविया (رضی اللہ عنہ) और रूमियों के दरमियान एक मुआहिदा था और वह उनके मुल्क की तरफ चले कि जब अहद खत्म हो जाएगा उन पर हमला कर देंगे तो अचानक एक आदमी किसी चौपाये या घोड़े पर आया वह कह रहा था: **الله أكبر**: अहद को पूरा करना है धोका नहीं, वह सय्यदना अग्र बिन अब्सा (رضی اللہ عنہ) थे। मुआविया (رضی اللہ عنہ) ने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना, "जिसका किसी कौम के साथ अहद हो वह अहद को न तोड़े और न तब्दीली करे यहाँ तक कि वह मुदत खत्म हो जाए या वह उनकी बराबरी के साथ उनकी तरफ लौटा दे।" रावी कहते हैं, फिर मुआविया (رضی اللہ عنہ) लोगों को लेकर वापस आ गए।

सहीह: अबू दाऊद: 2759. तयालिसी: 1155. मुसनद अहमद: 4/111.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

28 - क़यामत के दिन हर अहद शिकन का झंडा होगा.

1581 - इब्ने उमर (رضی اللہ عنہ) रिखयत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना: "बेशक अहद तोड़ने वाले के लिए क़यामत के दिन एक झंडा बतौर अलामत गाड़ा जाएगा।"

बुखारी: 6177. मुस्लिम: 1735. अबू दाऊद: 2756.

27 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَدْرِ

1580 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْفَيْضِ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَ بْنَ غَامِرٍ، يَقُولُ: كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ أَهْلِ الرُّومِ عَهْدٌ، وَكَانَ يَسِيرُ فِي بِلَادِهِمْ، حَتَّى إِذَا انْقَضَى الْعَهْدُ أَغَارَ عَلَيْهِمْ، فَإِذَا رَجُلٌ عَلَى دَابَّةٍ أَوْ عَلَى فَرَسٍ، وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَفَاءٌ لَأَعْدُوِّ، وَإِذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ عَبْسَةَ، فَسَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَحْلُنْ عَهْدًا، وَلَا يَشُدَّهُ حَتَّى يَمْضِيَ أَمْدُهُ أَوْ يَنْبُدَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، قَالَ: فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ بِالنَّاسِ.

28 بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ لِكُلِّ عَادِرٍ لَوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ

1581 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْعَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لَوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

वज़ाहत: इस मसले में अली, अब्दुल्लाह बिन मसऊद, अबू सईद खुदरी और अनस (رضي الله عنه) से भी हदीस मवीं है।

इमाम तर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुखारी (رحمته الله) से सुवैद की रिवायत के बारे में पूछा तो उन्होंने अबू इस्हाक़ से बवास्ता उमारा बिन उमैर सय्यदना अली (رضي الله عنه) से रिवायत की है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “हर अहद शिकन के लिए झंडा होगा।” तो उन्होंने फ़रमाया, “मैं इस हदीस को मफू नहीं पहचानता।

29 - किसी के फ़ैसले पर उतरना

1582 - सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि खंदक के दिन साद बिन मुआज़ (رضي الله عنه) को तीर लगा और फेंकने वालों ने उनके बाजू की रग को काट दी तो अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने उसे आग से दाग दिया, उनका हाथ सूज गया, फिर उसे छोड़ दिया तो उस से खून बहने लगा, आप (ﷺ) ने उसे दूसरी मर्तबा दागा, फिर उनका हाथ सूज गया, जब उन्होंने उसको देखा तो कहने लगे: ऐ अल्लाह! मेरी जान उस वक़्त तक मत निकालना जब तक कि बनू कुरैज़ा की जानिब से मेरी आँख ठंडी न हो जाए। उनकी रग का खून रुक गया। उस से एक क़तरा भी न निकला यहाँ तक कि वह (बनू कुरैज़ा वाले) सय्यदना साद बिन मुआज़ के फ़ैसले पर उतरे आप (ﷺ) ने उन्हें पैगाम भेजा तो उन्होंने फ़ैसला किया कि उनके मर्दों को क़त्ल कर दिया जाए और उनकी औरतों को जिंदा रखा जाए जिनसे मुसलमान तआवुन लें। अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया, “उनके बारे में तुमने अल्लाह के हुक्म को पा लिया है।” और वह चार सौ लोग थे। जब आप उनके क़त्ल

29 بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّزُولِ عَلَى الْحُكْمِ

1582 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: رُمِيَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَطَعُوا أَكْحَلَهُ أَوْ أَبْجَلَهُ، فَحَسَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّارِ، فَانْتَفَحَتْ يَدُهُ، فَتَرَكَهُ فَتَرَفَهُ الدَّمُ، فَحَسَمَهُ أُخْرَى، فَانْتَفَحَتْ يَدُهُ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ، قَالَ: اللَّهُمَّ لَا تُخْرِجْ نَفْسِي حَتَّى تُقَرَّ عَيْنِي مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ، فَاسْتَمْسَكَ عِرْقُهُ، فَمَا قَطَرَ قَطْرَةً، حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَحَكَمَ أَنْ يُقْتَلَ رِجَالُهُمْ وَتُسْتَحْيَا نِسَاؤُهُمْ، يَسْتَعِينُ بِهِنَّ الْمُسْلِمُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَصَبْتَ حُكْمَ

से फ़ारिग़ हुए तो उनकी रग फूट पड़ी और वह फौत हो गए।

اللّه فيهم، وكانوا أربع مائة، فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه فمات.

मुस्लिम: 2208. अबू दाऊद: 3866. इब्ने माजा: 3494.

तौज़ीह: बाज़ू की मर्कजी रग को कहा जाता है जिससे खून निकाला जाता है।

वज़ाहत: इस बारे में अबू सईद और अतिय्या अल- कुज़ी (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

1583 - सय्यदना समुरा बिन जुन्दुब (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “मुश्रिकीन के बूढ़ों को क़त्ल करो और उनके बच्चों को जिंदा छोड़ दो।” और शर्ख़ वह लड़के हैं जिनके ज़ेरे नाफ बाल न उगे हो।

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 2670.

1583 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الدُّمَشَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بِشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمْرَةَ بِنِ جُنْدَبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اقْتُلُوا شَيْوَخَ الْمُشْرِكِينَ، وَاسْتَحْيُوا شَرِّخَهُمْ وَالشَّرْحُ: الْغِلْمَانُ الَّذِينَ لَمْ يَنْبُتُوا.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। और हज्जाज बिन अर्तात ने भी इसे क़तादा से ऐसे ही रिवायत किया है।

1584 - सय्यदना अतिय्या अल- कुज़ी से रिवायत है कि कुरैज़ा के दिन हमें रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने पेश किया गया तो जिसके जेरे नाफ बाल उगे थे उसे क़त्ल कर दिया गया और जिसके नहीं उगे थे उसे छोड़ दिया गया। मैं भी उन में था जिन के बाल नहीं उगे थे तो मुझे भी छोड़ दिया गया।

सहीह: अबू दाऊद: 4404. इब्ने माजा: 2541. निसाई: 3430.

1584 - حَدَّثَنَا هَنَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمِيرٍ، عَنْ عَطِيَّةِ الْقُرْظِيِّ، قَالَ: عَرَضْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ فَكَانَ مَنْ أَتَيْتَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يَنْبُتْ خُلِيَ سَبِيلَهُ، فَكُنْتُ مِمَّنْ لَمْ يَنْبُتْ فَخُلِيَ سَبِيلِي.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और बाज़ (कुछ) उलमा इसी पर अमल करते हुए बाल उगने को ही बुलूगत की शर्त कहते हैं अगर उसकी उमर या एह्तलाम का पता न चले। इमाम अहमद और इस्हाक़ का भी यही कौल है।

30 - हिल्फ का बयान.

1585 - अग्र बिन शोएब अपने बाप से और वह अपने दादा (सद्य्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه)) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने खुत्बे में फ़रमाया, "जाहिलियत के हिल्फ़ को पूरा करो, इस्लाम इसे और भी मज़बूत करता है और इस्लाम में नया हिल्फ़ ना करो।"

हसन: 1413. के तहत तख़रीज देखें.

तौज़ीह: **حِلْفٌ** : एक कौम का दूसरी कौम या कबीले से इत्तिहाद व तआवुन का मुआहदा करना दौर जाहिलियत में अरब का दुस्तूर था कि एक कबीले वाले दूसरे कबिलों से मुआहदा कर लेते और एक दूसरे के हलीफ बन जाते।

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुरहमान बिन औफ़, उम्मे सलमा, जुबैर बिन मुतइम, अबू हुरैरा, इब्ने अब्बास और कैस बिन आसिम (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

31 - मजूसियों से जिज्या लेना

1586 - बजाला बिन अब्दा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मैं मनाज़िर (शहर) में जज़अ बिन मुआविधा का कातिब था तो हमारे पास उमर (رضي الله عنه) का ख़त आया कि अपनी तरफ़ से मजूसियों को देखो और उनसे जिज्या लो, मुझे अब्दुरहमान बिन औफ़ ने बताया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हजर (शहर) के मजूसियों से जिज्या लिया था।

बुख़ारी: 3165. अबू दाऊद: 3043.

30 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحِلْفِ

1585 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلَّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي حُطْبَتِهِ: أَوْفُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُهُ، يَغْنِيهِ الْإِسْلَامُ، إِلَّا شِدَّةً، وَلَا تُحَدِّثُوا حِلْفًا فِي الْإِسْلَامِ.

31 بَابُ مَا جَاءَ فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنَ الْمَجُوسِ

1586 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ بَجَالَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنْتُ كَاتِبًا لِبَجْرَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَلَى مَنَاوِرٍ، فَجَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ: انظُرْ مَجُوسَ مَنْ قَبْلَكَ فَخُذْ مِنْهُمْ الْجِزْيَةَ، فَإِنَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ أَخْبَرَنِي، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ مَجُوسِ هَجَرَ.

तौज़ीह: एक कौम जो सूरज, चाँद और आग की पूजा करती थी, उन पर इस नाम का इत्लाक़ दूसरी सदी ईस्वी में हुआ। (अल-मोजमुल वसीत:पृ. 1033)

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (रह) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

1587 - बजाला बिन अब्दा (रह) रिवायत करते हैं कि उमर (रह) मजूसियों से जिज्या नहीं लेते थे यहाँ तक कि अब्दुरहमान बिन औफ़ (रह) ने उन्हें बताया कि नबी (रह) ने हजर (शहर) के मजूसियों से जिज्या लिया था।

सहीह: तख़रीज के लिए पिछली हदीस देखें।

वज़ाहत: इस हदीस में और बातें भी हैं। नोज़ यह हदीस हसन सहीह है।

1588 - साइब बिन यज़ीद रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (रह) ने बहरैन के मजूसियों से जिज्या लिया था, उमर (रह) ने फारस और उस्मान (रह) ने भी फारसियों से जिज्या लिया था।

मुहकिक ने इस पर तहकीक व तख़ीज ज़िक्र नहीं की।

वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: मैंने मुहम्मद बिन इस्माइल बुखारी (रह) से इस बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया, इसे मालिक ने बवास्ता ज़ोहरी नबी (रह) से मुर्सल रिवायत किया है।

1587 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ بَجَالَةَ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ لَا يَأْخُذُ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ، حَتَّى أَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ.

1588 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي كَبْشَةَ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ الْبَحْرَيْنِ، وَأَخَذَهَا عُمَرُ مِنْ فَارِسَ، وَأَخَذَهَا عُثْمَانُ مِنَ الْفُرسِ.

32 - जिम्मियों के माल में से जो चीज़ हलाल है.

1589 - सय्यदना उक्बा बिन आमिर (रह) से रिवायत है कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हम ऐसे लोगों के पास से गुज़रते हैं जो हमारी मेहमान नवाजी नहीं करते, न ही वह हक़ अदा

32 بَابُ مَا يَجِلُّ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ

1589 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهْيَعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا

करते हैं जो हमारा उनके ऊपर है और न ही हम उन से लेते हैं तो अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया, “अगर वह इनकार ही करें बजुज़ इसके कि ज़बरदस्ती लो तो तुम उनसे ज़बरदस्ती ले लो।”

बुखारी: 2461. मुस्लिम: 1727. अबू दाऊद: 3752.
इब्ने माजा: 3676.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। इसे लैस बिन साद ने भी यज़ीद बिन अबी हबीब से इस तरह रिवायत किया है।

और इस हदीस का मफहूम यह है कि सहाबा जंग के लिए जाते थे तो किसी कौम के पास गुज़रते तो उन्हें क़ीमत देने पर भी खाना नहीं मिलता था तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “अगर वह बेचने से इनकार करें तो तुम उन से ज़बरदस्ती ले लो।” बाज़ (कुछ) अहादीस में इसी तरह वज़ाहत के साथ मर्वी है। नीज़ उमर बिन खत्ताब (رضي الله عنه) से भी मर्वी है कि वह ऐसा ही हुक्म देते थे।

33 - हिजरत का बयान

1590 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़तहे मक्का के दिन फ़रमाया, “फ़तहे मक्का के बाद (मक्का से) हिजरत नहीं है लेकिन जिहाद और नीयत बाकी है और जब तुम्हें जिहाद के लिए निकलने को कहा जाए तो निकलो।”

बुखारी: 1834. मुस्लिम: 1353. अबू दाऊद: 2480.
इब्ने माजा: 2773. निसाई: 4170.

वज़ाहत: इस मसले में अबू सईद, अब्दुल्लाह बिन अम्र और अब्दुल्लाह बिन हुबशी (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिरमिज़ी (رحمته) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। नीज़ सुफ़ियान सौरी ने भी इसे मंसूर बिन मोतमिर से इसी तरह रिवायत किया है।

33 بَاب مَا جَاءَ فِي الْهَجْرَةِ

1590 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّبِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَبَيْتَةٌ، وَإِذَا اسْتَفْرَغْتُمْ فَأَنْفِرُوا.

34 - नबी (ﷺ) की बैअत का बयान.

1591 - अबू सलमा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि अल्लाह तआला के इस फ़रमान "तहकीक अल्लाह मोमिनो से राजी हो गया जब वह दरख्त के नीचे आप के हाथ पर बैअत कर रहे थे। (अल- फतह: 18) के बारे में जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) के हाथ पर इस शर्त पर बैअत की कि हम भागेंगे नहीं, हमने मौत पर बैअत नहीं की थी।

मुस्लिम: 1856. निसाई: 4:158.

वज़ाहत: इस मसले में सलमा बिन अक्वा, इब्ने उमर, उबादा और जरिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) से भी हदीस मवी है।

इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस ईसा बिन यूसु ने भी बवास्ता औज़ाई, यहया बिन अबी कसीर से रिवायत की है कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह फ़रमाते हैं। इस में अबू सलमा का ज़िक्र नहीं किया गया।

1592 - यज़ीद बिन अबी उबैद (رضي الله عنه) कहते हैं: मैंने सलमा बिन अक्वा (رضي الله عنه) से कहा: हुदैबिया के दिन आप लोगों ने किस शर्त पर रसूलुल्लाह (ﷺ) से बैअत की थी? उन्होंने कहा: मौत पर।

बुखारी: 1806. मुस्लिम: 4159.

1593 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) से आप की बात सुनने और मानने पर बैअत करते थे तो आप (ﷺ) हम से फ़रमाते: जितनी तुम में ताक़त हो। "

34 بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعَةِ النَّبِيِّ ﷺ

1591 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: [لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ] قَالَ جَابِرٌ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ لَا نَفِرَ، وَلَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ.

1592 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ لِسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ بَايَعْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ؟ قَالَ: عَلَى الْمَوْتِ.

1593 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نُبَايِعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

बुखारी: 7202. मुस्लिम: 1867. अबू दाऊद: 2940.
निसाई: 4187.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَيَقُولُ
لَنَا: فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رحمته) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है।

1594 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) से मौत पर बैअत नहीं की, हमने तो सिर्फ़ इस बात पर आप से बैअत की थी कि हम भागेंगे नहीं।

मुस्लिम: 1856. निसाई: 4158.

1594 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَمْ نُبَايِعْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَوْتِ، إِنَّمَا بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفِرَّ.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رحمته) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। और दोनों हदीसों का मफहूम सहीह है। आप (ﷺ) के कुछ सहाबा ने मौत पर बैअत की कि हम आपके सामने लड़ेंगे यहाँ तक कि हम क़त्ल हो जाएँ और दूसरों ने यह कहा कि हम नहीं भागेंगे।

35 - बैअत को तोड़ना

1595 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "तीन आदमी ऐसे हैं जिनसे क़यामत के दिन अल्लाह तआला न बात करेगा न उन्हें पाक करेगा और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा; एक वह आदमी जो इमाम से बैअत करता है अगर वह इमाम उसे कुछ देता है तो बैअत को पूरा करता है और अगर उसे नहीं देता तो अहद पूरा नहीं करता।

बुखारी: 2358. मुस्लिम: 108. अबू दाऊद: 3484. इब्ने माजा: 2207. निसाई: 4462.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رحمته) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है और बिला इख़ितलाफ़ इसी पर अमल है।

35 بَابُ مَا جَاءَ فِي تَكْثِيرِ الْبَيْعَةِ

1595 - حَدَّثَنَا أَبُو عَمَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةٌ لَا يَكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا فَإِنْ أَعْطَاهُ وَفَى لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ.

36 - गुलाम की बैअत

1596 - जाबिर (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि एक गुलाम ने आकर रसूलुल्लाह (ﷺ) से हिजरत पर बैअत कर ली और नबी (ﷺ) नहीं जानते थे कि वह गुलाम है। फिर उसका मालिक भी आ गया तो नबी (ﷺ) ने उस से फ़रमाया, “यह गुलाम मुझसे बेच दो।” आप (ﷺ) ने दो सियाह फाम गुलामों के बदले उसे ख़रीद लिया, फिर इसके बाद आप (ﷺ) ने यह पूछे बग़ैर किसी से बैअत नहीं ली कि क्या वह गुलाम तो नहीं।

मुस्लिम: 1602. निसाई: 3358. इब्ने माजा: 2869.
निसाई: 4148.

वज़ाहत: इस बारे में इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से भी मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: जाबिर (رضي الله عنه) की हदीस हसन ग़रीब सहीह है हम इसे बतरीक़ अबी जुबैर ही जानते हैं।

37 - औरतों से बैअत करना.

1597 - सय्यदा उमैमा बिनते रूकैका (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं: मैंने कुछ औरतों समेत रसूलुल्लाह (ﷺ) से बैअत की आप (ﷺ) ने हमें फ़रमाया, “जितनी तुम में कुव्वत और ताक़त हो।” मैंने कहा: अल्लाह और उसके रसूल हमारे साथ हमारी जानों से भी ज़्यादा शफ़क़त करने वाले हैं, मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! हमारे साथ बैअत कीजिये। सुफ़ियान कहते हैं: उनका मतलब था हमारे साथ मुसाफ़ा कीजिए तो आप (ﷺ) ने

36 بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعَةِ الْعَبْدِ

1596 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْهَجْرَةِ، وَلَا يَشْعُرُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَبْدٌ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَعْثِيهِ، فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ، وَلَمْ يَبَايِعْ أَحَدًا بَعْدَ حَتَّى يَسْأَلَهُ: أَعْبُدُ هُوَ؟

37 بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعَةِ النِّسَاءِ

1597 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنِّكِرِ، سَمِعَ أُمِّمَةَ بِنْتَ رُقَيْقَةَ، تَقُولُ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَنَا: فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ، قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنَّا بِأَنْفُسِنَا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَايَعْنَا، قَالَ سُفْيَانُ: تَعْنِي صَافِحْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

फ़रमाया, “मेरा एक सौ औरतों से बात करना ऐसे ही है जैसे एक औरत से बात करना।”

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِثْمًا قَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ.

सहीह: इब्ने माजा: 2874. निसाई: 4181. मुसनद अहमद: 6/357.

वज़ाहत: इस मसले में आयशा, अब्दुल्लाह बिन उमर और अस्मा बिनते यज़ीद (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। हम इसे मुहम्मद बिन मुन्कदिर के तरीक से जानते हैं। नीज़ सुफ़ियान सौरी, मालिक बिन अनस और दीगर मुहद्दिसीन ने भी इस हदीस को मुहम्मद बिन मुन्कदिर से इसी तरह रिवायत की है।

अबू ईसा कहते हैं: मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुखारी (رحمته الله) से इस हदीस के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया, “मैं उमैमा बिनते रूकैका (رضي الله عنه) की इसके अलावा कोई और हदीस नहीं जानता। नीज़ उमैमा (رضي الله عنه) एक और खातून भी हैं उनकी भी रसूलुल्लाह (ﷺ) से एक हदीस है।

38 - बद्र वालों की तादाद.

1598 - सय्यदना बराअ बिन आज़िब (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि हम गुप्तगू किया करते थे कि बद्र के दिन बद्र (की जंग करने) वालों की तादाद तालूत के साथियों जितनी (यानी) 313 अफ़राद थी।

बुखारी: 3957. इब्ने माजा: 2828.

वज़ाहत: इस बारे में इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ सौरी और दीगर रावियों ने भी इसे मुहम्मद बिन इस्हाक़ से रिवायत किया है।

39 - माले ग़नीमत का पांचवां हिस्सा (बैतूल माल के लिए है.)

1599 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने अब्दुल कैस के वफ़द से कहा: “मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि जो

38 بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ أَصْحَابِ أَهْلِ بَدْرٍ

1598 - حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ أَصْحَابَ بَدْرٍ يَوْمَ بَدْرٍ كَعِدَّةِ أَصْحَابِ طَالُوتَ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَثَلَاثَةٌ عَشَرَ رَجُلًا.

39 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُمْسِ

1599 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ عَبَّادِ الْمُهَلَّبِيُّ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنْ ابْنِ

माले गनीमत हासिल करो उसमें पांचवां हिस्सा अदा करो।" इस हदीस में एक किस्सा भी है।

बुखारी: 43. मुस्लिम: 17. अबू दारूद: 3692. निसाई: 5031.

عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْفِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ: أَمْرُكُمْ أَنْ تُوَدُّوا خُمْسَ مَا غَنِمْتُمْ. وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है नीज़ हमें कुतैबा ने वह कहते हैं, हमें हम्माद बिन ज़ैद ने बवास्ता अबू हमज़ा, इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से इसी तरह हदीस बयान की है।

40 - लूट मार करना मना है.

1600 - राफे बिन खदीज (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ सफ़र पर थे कि जल्दबाज लोग आगे बढ़े और जल्दी से माले गनीमत में से लेकर खाना पका लिया और रसूलुल्लाह (ﷺ) लोगों से पीछे थे आप (ﷺ) हांडियों के पास से गुज़रे तो आप (ﷺ) के हुकम से उन्हें उंडेल दिया गया, फिर आप ने लोगों के दर्मियान माले गनीमत तक़सीम किया तो एक ऊँट को दस बकरियों के बराबर रखा।

बुखारी: 2488. मुस्लिम: 1968. अबू दारूद: 2821. इब्ने माजा: 3137. निसाई: 4297.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: सुफ़ियान सौरी ने अपने बाप से बवास्ता अबाया उनके दादा राफे बिन खदीज (رضي الله عنه) से रिवायत की है लेकिन इसमें उनके बाप रिफ़ाआ का ज़िक्र नहीं है। हमें यह हदीस महमूद बिन गैलान ने बवास्ता वकी, सुफ़ियान से बयान की है और यह ज़्यादा सहीह है। क्योंकि अबाया बिन रिफ़ाआ ने अपने दादा राफे बिन खदीज (رضي الله عنه) से सिमाए हदीस किया है।

नीज़ इस मसले में सअलबा बिन हकम, अनस, अबू रैहाना, अबू दर्दा, अब्दुरहमान बिन समुरा, ज़ैद बिन ख़ालिद, जाबिर, अबू हुरैरा और अबू अव्यूब (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वा है।

1601 - सय्यदना अनस (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "जिसने

40 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّهْبَةِ

1600 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَّايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَتَقَدَّمَ سَرْعَانُ النَّاسِ، فَتَعَجَّلُوا مِنَ الْغَنَائِمِ، فَاطْبَحُوا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُخْرَى النَّاسِ، فَمَرَّ بِالْقُدُورِ فَأَمَرَ بِهَا، فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ بَيْنَهُمْ، فَعَدَلَ بَعِيرًا بِعَشْرِ شِيَاهٍ.

1601 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ:

लूट मार की वह हम में से नहीं है।”

सहीह: मुसनद अहमद: 3/197. इब्ने माजा: 1885.
बैहकी: 7/200.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ،
عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: अनस (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह ग़रीब है।

41 - अहले किताब को सलाम कहना.

1602 - सय्यदना अनस (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “यहूदो नसारा से सलाम करने में पहल न करो और जब तुम उन में से किसी शख्स को रास्ते में मिलो तो उसे तंग रास्ते की तरफ़ मजबूर कर दो।”

मुस्लिम:2167. अबू दाऊद: 5205.

41 بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْلِيمِ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ

1602 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ
بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَبْدُءُوا الْيَهُودَ، وَالنَّصَارَى
بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقَيْتُمْ أَحَدَهُمْ فِي الطَّرِيقِ
فَاصْطَرُّوهُمْ إِلَى أَصِيْقِهِ.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने उमर, अनस और नबी (ﷺ) के सहाबी अबू बसरा गिफ़ारी (رضي الله عنه) से भी हदीस मवी है।

इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और हदीस “ यहूदो नसारा से सलाम करने में पहल न करो।” के बारे में बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं इसमें कराहत (नापसन्दीदगी) की वजह यह है कि उनकी ताजीम बन जाती है जबकि मुसलमानों को उन्हें ज़लील करने का हुक्म दिया गया है और इसी तरह जब कोई उन्हें रास्ते में मिले तो उसके लिए रास्ता न छोड़े क्योंकि उसमें भी उनकी ताजीम है।

1603 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “बेशक यहूदियों में जब कोई शख्स तुम्हें सलाम कहता है तो वह “السَّامُ عَلَيْكُمْ” कहता है तो तुम कहो عَلَيْكَ : (तुम्हारे ऊपर भी।”

बुखारी: 6257. मुस्लिम: 2164. अबू दाऊद: 5206

1603 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدَهُمْ
فَأَتَمَّا يَقُولُ: السَّامُ عَلَيْكُمْ، فَقُلْ: عَلَيْكَ.

तौज़ीह: السَّامُ के बजाये عَلَيْكُمْ कहते हैं जिसका मतलब है तुम्हें मौत आए।

42 - मुश्रिकों के बीच रहना मकruh है.

1604 - सय्यदना जर्रीर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कबीला खस्अम की तरफ एक लश्कर रवाना किया तो लोग सज्दों के साथ बचने लगे उस लश्कर वालों ने उन्हें कत्ल करने में जल्दी की, यह बात नबी (ﷺ) को पहुंची तो आप (ﷺ) ने उनके लिए निस्फ़ दियत का फ़ैसला किया और आप ने फ़रमाया, "मैं हर उस मुसलमान से बरी हूँ जो मुश्रिकीन के बीच रहे।" सहाबा ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल! किस लिए? आप ने फ़रमाया, "मुसलमान मुश्रिकों से इतनी दूर रहें कि एक दूसरे की आग न देखें।"

निस्फ़ दियत के हुक्म के अलावा बाकी हदीस सब सहीह है. अबू दाऊद: 2645. निसाई: 4784. बैहकी: 8/ 131

1605 - अबू ईसा कहते हैं: हमें हन्नाद ने, वह कहते हैं:) हमें अब्दा ने बवास्ता इस्माईल बिन अबू ख़ालिद, कैस बिन अबी हाजिम से अबू मुआविया की रिवायत की तरह हदीस बयान की है और इसमें जर्रीर का ज़िक्र नहीं किया और यह ज़्यादा सहीह है।

इस से पहली वाली हदीस को देखें.

वज़ाहत: इस मसले में समुरा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: इस्माईल बिन अबू ख़ालिद के अक्सर शागिर्द इस्माईल से बवास्ता कैस बिन अबी हाजिम बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक लश्कर रवाना किया और उसमें भी जर्रीर (رضي الله عنه) का ज़िक्र नहीं किया।

42 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْمَقَامِ بَيْنَ أَظْهَرِ الْمُشْرِكِينَ

1604 - حَدَّثَنَا هَنَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً إِلَى خَنْعَمٍ فَأَعْتَصَمَ نَاسٌ بِالسُّجُودِ، فَأَسْرَعَ فِيهِمُ الْقَتْلُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُمْ بِنِصْفِ الْعَقْلِ وَقَالَ: أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يَقِيمُ بَيْنَ أَظْهَرِ الْمُشْرِكِينَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَمْ؟ قَالَ: لَا تَرَأَى نَارَاهُمَا.

1605 - حَدَّثَنَا هَنَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ جَرِيرٍ وَهَذَا أَصَحُّ.

नीज़ हम्माद बिन सलमा ने भी हज्जाज बिन अर्तात से बवास्ता इस्माईल बिन अबी खालिद, कैस के जरिए जरिर (رضي الله عنه) से अबू मुआविया जैसी रिवायत बयान की है।

अबू ईसा कहते हैं: मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल को फ़रमाते हुए सुना: कैस की नबी (ﷺ) से मुसल रिवायत ज़्यादा सहीह है। और समुरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “मुशिकों के साथ मत रहो और न उसके साथ मिलो, जो उनके साथ रहता है या घुल मिल के रहता है तो वह उन्हीं की तरह है।

43 - यहूदियों और ईसाइयों को जजीर-ए-अरब से निकाल देने का बयान.

1606 - सय्यदना उमर बिन खत्ताब (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “अगर मैं ज़िंदा रहा तो इंशा अल्लाह यहूदियों और ईसाइयों को जजीर- ए- अरब से ज़रूर निकाल दूंगा।”

मुस्लिम: 1767. अबू दाऊद: 3030.

1607 - सय्यदना उमर बिन खत्ताब (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना: “यकीनन मैं यहूदियों और ईसाइयों को जजीर- ए- अरब से ज़रूर निकाल दूंगा। मैं इसमें सिर्फ़ मुसलमानों को ही छोड़ूंगा।”

सहीह: तखरीज के लिए पिछली हदीस मुलाहजा फ़रमाएँ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

43 بَابُ مَا جَاءَ فِي إِخْرَاجِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ

1606 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَئِنْ عِشْتُ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ.

1607 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، فَلَا أَتْرُكُ فِيهَا إِلَّا مُسْلِمًا.

44 - रसूलुल्लाह (ﷺ) के तरका का बयान.

1608 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि सय्यदा फातिमा (رضي الله عنها) सय्यदना अबू बकर (رضي الله عنه) के पास आकर कहने लगीं: आप का वारिस कौन बनेगा? उन्होंने फ़रमाया मेरे घर वाले और मेरी औलाद। कहने लगीं: तो मैं अपने बाप की वारिस क्यों नहीं बन सकती? तो सय्यदना अबू बकर (رضي الله عنه) ने फ़रमाया, "मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना: हम (अंबिया) वारिस नहीं बनाए जाते" लेकिन मैं अबू बकर उनकी ज़रूरियात पूरी करूंगा जिनकी रसूलुल्लाह (ﷺ) किफ़ालत करते थे और मैं उन पर खर्च भी करूंगा जिन पर रसूलुल्लाह (ﷺ) खर्च किया करते थे।

सहीह: मुसनद अहमद: 1/31. शमाइल:400.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: इस मसले में उमर, तल्हा, जुबैर, अब्दुरहमान बिन औफ़, साद और आयशा (رضي الله عنها) से भी हदीस मर्वी है।

नीज़ अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस इस सनद के साथ हसन ग़रीब है। इसे सिफ़्र हम्माद बिन सलमा और अब्दुल वहहाब बिन अता ने ही मुहम्मद बिन अम्र से बवास्ता अबू सलमा, सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) तक मुसनद बयान किया है।

और मैंने मुहम्मद बिन इस्माइल बुखारी से इस हदीस के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया, मैं हम्माद बिन सलमा के अलावा किसी दूसरे को नहीं जानता जिसने इसे मुहम्मद बिन अम्र से बवास्ता अबू सलमा, सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत किया हो।

अब्दुल वहहाब बिन अता ने भी मुहम्मद बिन अम्र से बवास्ता अबू सलमा, सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से हम्माद बिन सलमा की रिवायत की तरह रिवायत की है। और यह हदीस कई तुरूक से बवास्ता सय्यदना अबू बकर सिद्दीक (رضي الله عنه) नबी (ﷺ) से मर्वी है।

44 بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

1608 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَتْ: مَنْ يَرِثُكَ؟ قَالَ: أَهْلِي، وَوَلَدِي، قَالَتْ: فَمَا لِي لَا أَرِثُ أَبِي؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تُوْرَثُ، وَلَكِنِّي أَعُولُ مَنْ كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُهُ، وَأَنْفِقُ عَلَى مَنْ كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْفِقُ عَلَيْهِ.

1609 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि सय्यदा फातिमा (رضی اللہ عنہ) सय्यदना अबू बकर (رضی اللہ عنہ) के पास आई और रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ से अपनी मीरास मांगी तो उन दोनों ने कहा: हमने अल्लाह के रसूल (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना कि मेरी विरासत नहीं होगी वह कहने लगी: अल्लाह की कसम! मैं आप दोनों से कभी इस मामले में बात नहीं करूंगी, फिर वह फौत हो गयी और उन दोनों से दोबारा बात नहीं की। अली बिन ईसा कहते हैं: "मैं आप दोनों से बात नहीं करूंगी" से उन की मुराद यह थी कि इस विरासत के बारे में दोबारा कभी बात नहीं करूंगी। आप दोनों सच कहते हैं।

सहीह: तखरीज के लिए हदीसे साबिका मुलाहजा फ़रमाएं

1610 - मालिक बिन औस बिन हदसान बयान करते हैं कि मैं उमर बिन खत्ताब (رضی اللہ عنہ) के पास गया और उनके पास उस्मान बिन अफ़फ़ान, जुबैर बिन अब्बाम, अब्दुरहमान बिन औफ़ और साद बिन अबी वक्कास (رضی اللہ عنہ) भी आए, फिर अली और अब्बास (رضی اللہ عنہ) भी एक झंडा लेकर आ गए तो उमर (رضی اللہ عنہ) ने उनसे कहा: मैं आप सब को उस अल्लाह का वास्ता दे कर पूछता हूँ जिसके हुक्म से ज़मीन व आसमान खड़े हैं क्या आप लोग जानते हो कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "हम जो कुछ छोड़ें वह सदका होता है। उन्होंने कहा: जी हाँ" उमर (رضی اللہ عنہ) ने कहा: जब रसूलुल्लाह (ﷺ) की वफ़ात हुई तो अबू बकर (رضی اللہ عنہ) ने कहा: मैं

1609 - حَدَّثَنَا بِذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ عَيْسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ جَاءَتْ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، تَسْأَلُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَا: سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنِّي لَا أُورِثُ، قَالَتْ: وَاللَّهِ لَا أَكَلُمُكُمَا أَبَدًا، فَمَاتَتْ وَلَا تُكَلِّمُهُمَا. قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَيْسَى: مَعْنَى لَا أَكَلُمُكُمَا، تَغْنِي: فِي هَذَا الْمِيرَاثِ أَبَدًا أَتُّمَّا صَادِقَانِ

1610 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْخَدَّانِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَدَخَلَ عَلَيْهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَالرُّبَيْرِيُّ بْنُ الْعَوَّامِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، ثُمَّ جَاءَ عَلِيُّ، وَالْعَبَّاسُ يَخْتَصِمَانِ، فَقَالَ عُمَرُ لَهُمْ: أَسْأَلُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي يَأْذِنُهُ تَقْوَمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نُورِثُ، مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ

रसूलुल्लाह (ﷺ) का खलीफ़ा हैं तो (ऐ अब्बास) आप और यह (अली) अबू बकर के पास आए, आप अपने भतीजे की और यह अपनी बीबी की उनके बाप की तरफ़ से विरासत चाहते थे तो अबू बकर (ﷺ) ने कहा था कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “हमारा वारिस कोई नहीं बनता। हम जो छोड़ें वह सदका होता है” और अल्लाह जानता है कि वह अबू बकर सच्चे, नेक, समझदार और हक़ की पैरवी करने वाले थे।

बुख़ारी:6728. मुस्लिम: 1757. अबू दाऊद: 2963.
निसाई: 4141.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (ﷺ) फ़रमाते हैं: इस हदीस में एक तवील किस्सा भी है। और मालिक बिन अनस के तरीक से यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है।

45 - नबी (ﷺ) ने फतहे मक्का के दिन फ़रमाया था कि आज के बाद इस शहर में जिहाद नहीं किया जाएगा।

1611 - सय्यदना हारिस बिन मालिक बिन बर्सा (ﷺ) रिवायत करते हैं कि मैंने फ़तहे मक्का के दिन नबी (ﷺ) से सुना आप फ़रमा रहे थे: “आज के बाद क़यामत तक इस शहर में जिहाद नहीं किया जाएगा।”

सहीह: मुसनद अहमद: 3/412. बेहकी: 9/249. हुमैदी: 572.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (ﷺ) फ़रमाते हैं: इस बारे में इब्ने अब्बास, सुलैमान बिन सुर्द और मुतीअ

عَمْرُ فَلَمَّا تُوْفِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجِئْتُ أَنْتَ وَهَذَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَطْلُبُ أَنْتَ مِيرَاثَكَ مِنْ ابْنِ أُخِيكَ، وَتَطْلُبُ هَذَا مِيرَاثَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نَوْرَثُ، مَا تَرَكَنَاهُ صَدَقَةٌ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ صَادِقٌ بَارٌ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ:

45 بَابُ مَا جَاءَ مَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: إِنَّ هَذِهِ لَا تُغْزَى بَعْدَ الْيَوْمِ

1611 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ الْبُرْصَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ يَقُولُ: لَا تُغْزَى هَذِهِ بَعْدَ الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

(ﷺ) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ यह हदीस हसन सहीह है और यह ज़करिया बिन अबी ज़ायदा की शाबी से बयान कर्दा हदीस है। हम इसे सिर्फ़ उनकी सनद से ही जानते हैं।

46 - यह घड़ी जिसमें किताल करना मुस्तहब है.

1612 - सय्यदना नौमान बिन मुकर्रिन (ﷺ) रिवायत करते हैं कि मैंने नबी (ﷺ) के साथ मिलकर जिहाद किया, जब फ़ज्र तुलू हुई तो आप (ﷺ) रुक गए यहाँ तक कि सूरज निकल आया, जब सूरज तुलू हुआ तो आप (ﷺ) ने लड़ाई की, जब दिन आधा हो गया तो आप रुक गए। यहाँ तक कि सूरज ढल गया, जब सूरज ढला तो आप ने अस्र तक लड़ाई की फिर आप रुके। यहाँ तक कि आप (ﷺ) ने अस्र पढ़ी, फिर लड़ाई की। रावी कहते हैं: कहा जाता है कि उस वक़्त मदद की हवाएं चलती हैं और अहले इमान अपनी नमाज़ों में अपने लश्करों के लिए दुआ करते हैं।

ज़ईफ़.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस नौमान बिन मुकर्रिन (ﷺ) से इस से मज़बूत सनद के साथ भी मर्वी है। क़तादा ने नौमान बिन मुकर्रिन (ﷺ) को नहीं पाया, नौमान बिन मुकर्रिन (ﷺ), सय्यदना उमर (ﷺ) की ख़िलाफ़त में फौत हुए थे।

1613 - सय्यदना माकिल बिन यसार (ﷺ) से रिवायत है कि उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) ने नौमान बिन मुकर्रिन (ﷺ) को हुमुज़ान की तरफ़ भेजा फिर तवील हदीस बयान की, नौमान बिन मुकर्रिन (ﷺ) ने फ़रमाया, मैं

46 بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّاعَةِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ فِيهَا الْقِتَالُ

1612 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الثُّعْمَانَ بْنِ مِقْرِنٍ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ أَمْسَكَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتْ قَاتَلَ، فَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ أَمْسَكَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَاتَلَ حَتَّى الْعَصْرِ، ثُمَّ أَمْسَكَ حَتَّى يُصَلِّيَ الْعَصْرَ ثُمَّ يُقَاتِلُ قَالَ: وَكَانَ يُقَالُ عِنْدَ ذَلِكَ: تَهْبِجُ رِيَاحُ النَّصْرِ وَيَدْعُو الْمُؤْمِنُونَ لِجَيْوشِهِمْ فِي صَلَاتِهِمْ.

1613 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَالْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ जिहाद में शरीक हुआ आप जब दिन के पहले हिस्से में लड़ाई न करते तो इन्तिज़ार करते यहाँ तक कि सूरज ढल जाता, हवाएं चलतीं और मदद उतरने लगती।

बुखारी: 3160. अबू दाऊद: 2655. मुसनद अहमद: 5/444.

الْمُرْزَبِيُّ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَ التُّعْمَانَ بْنَ مُقَرِّنٍ إِلَى الْهَرَمُزَانَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطَوِيلِهِ، فَقَالَ التُّعْمَانُ بْنُ مُقَرِّنٍ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَوْلَ النَّهَارِ انْتَتَظَرَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَتَهَبَّ الرِّيَّاحُ، وَتَزُولَ النَّصْرُ.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अल्क़मा बिन अब्दुल्लाह, बक्र बिन अब्दुल्लाह अल- मुज़नी के भाई हैं।

47 - नुहसत और फाल का बयान.

1614 - अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, “बदशुगूनी लेना शिर्क है और हम में से कोई नहीं है (जिसे बदशुगूनी का खयाल न आए) लेकिन अल्लाह उसे तवक्कुल के साथ दूर कर देता है।”

सहीह: अबू दाऊद: 3910. इब्ने माजा: 3538. मुसनद अहमद: 1/389.

तौज़ीह: नुहसत, फाल और शुगून वौरह। (अल- कामूसुल वहीद: पृ. 1027)

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुखारी को फ़रमाते हुए सुना कि सुलैमान बिन हर्ब इस हदीस में यही कहते थे और हममें से कोई ऐसा नहीं है लेकिन अल्लाह उसे तवक्कुल से दूर कर देता है। सुलैमान कहते हैं: मेरे मुताबिक यह अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) का कौल है। नीज़ इस मसले में साद, अबू हुरैरा, हाबिस अत्तैमी, आयशा और उमर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है और यह हदीस हसन सहीह है। हम इसे सलमा बिन कुहैल के तरीक़ से ही जानते हैं, इसी तरह शोबा ने भी सलमा से इस हदीस को रिवायत किया है।

47 بَابُ مَا جَاءَ فِي الطَّيْرَةِ

1614 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ، عَنْ عَيْسَى بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ زُرِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الطَّيْرَةُ مِنَ الشَّرْكِ، وَمَا مِنَّا إِلَّا، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَذْهَبُهُ بِالتَّوَكُّلِ.

1615 - सय्यदना अनस (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “बीमारी मुतअद्दी (छूत छात) है और न ही बदशुगूनी की कुछ हकीकत है और मैं फाल को पसन्द करता हूँ।” लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल फाल क्या है? आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “अच्छी बात।”

बुखारी: 5756. मुस्लिम: 2224. अबू दाऊद: 3916.
इब्ने माजा: 3737.

तौज़ीह: बीमारी मुतअद्दी नहीं होती यानी एक आदमी की बीमारी किसी दूसरे में मुन्तकिल नहीं होती जैसा कि अरबों का फासिद अक्रीदा था कि एक ऊँट खारिश ज़दा हो तो बाकी ऊंटों को बीमारी लग जाती है। और **طيرة** बदशुगूनी को कहा जाता है जैसा कि हमारे यहाँ अगर कोई अपने काम की गरज से निकले और सियाह रंग की बिल्ली रास्ता काट दे तो वापस आ जाते हैं कि यह काम नहीं हो सकता इसी को **طيرة** कहा जाता है।

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

1616 - सय्यदना अनस (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) जब अपने काम की गरज से निकलते तो आपको : **يا نجیح** : या सुनना अच्छा लगता था।

सहीह

1615 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا عَدْوَى وَلَا طِيرَةَ، وَأَجِبْتُ الْقَالَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الْقَالَ؟ قَالَ: الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ.

1616 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ أَنْ يَسْمَعَ: يَا رَاشِدُ، يَا نَجِيحَ.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है।

48 - किताल के बारे में नबी (ﷺ) की वसीयत.

48 بَابُ مَا جَاءَ فِي وَصِيَّتِهِ ﷺ فِي الْقِتَالِ

1617 - सुलैमान बिन बुरैदा अपने बाप सय्यदना बुरैदा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब आदमी को किसी

1617 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ،

लश्कर पर अमीर बना कर भेजते तो उसे अपनी ज्ञात में तक्रवा पैदा करने और साथी मुसलमानों के साथ भलाई से पेश आने की वसिय्यत करते और फ़रमाते: "अल्लाह के नाम के साथ अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो, जो अल्लाह के साथ कुफ़र करे उससे लड़ो, ग़नीमत के माल में चोरी न करना, न अहद को तोड़ो, न मुस्ला करो और न ही किसी बच्चे को क़त्ल करो," (आप अमीर से कहते:) जब तुम अपने मुश्रिकीन दुश्मनों से मिलो तो उन्हें तीन बातों की दावत दो, उनमें से जिसे भी कुबूल कर ले कुबूल करो और अपना हाथ उन से रोक लो, उन्हें इस्लाम कुबूल करने और अपने इलाके से मुहाजिरीन के इलाके की तरफ़ चले जाने की दावत दो और उन्हें बताओ कि अगर वह यह काम कर लेंगे तो उन्हें वही मिलेगा जो हिजरत करने वालों को मिलता है और उन पर वही वाजिबात होंगे जो मुहाजिरीन पर हैं। अगर वह इस तरह फिरने का इनकार करें तो उन्हें बताना कि वह देहाती मुसलमानों की तरह ही होंगे उन पर भी वही अहकामात जारी होंगे जो देहातियों पर होते हैं। ग़नीमत और फै के माल से उनका हिस्सा उस सूरात में ही होगा जब वह जिहाद करेंगे अगर उसका भी इनकार कर दे तो उनके ख़िलाफ़ अल्लाह से मदद मांगो और उनसे लड़ाई करो। और जब तुम किसी किले को घेर लो और वह चाहें कि तुम उनके लिए अल्लाह और उसके नबी का ज़िम्मा दो तो उनको

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بَرِيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، وَقَالَ: اغْزُوا بِسْمِ اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، وَلَا تَغْلُوا، وَلَا تَعْدِرُوا، وَلَا تُمْتَلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، فَإِذَا لَقَيْتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ، أَوْ خِلَالٍ، أَيُّهَا أَجَابُوكَ، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، وَادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَالتَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَإِنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، وَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ مَا يَجْرِي عَلَى الْأَعْرَابِ، لَيْسَ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا، فَإِنْ أَبَوْا، فَاسْتَعِينِ بِاللَّهِ عَلَيْهِمْ وَقَاتِلْهُمْ، وَإِذَا حَاصَرْتَ حِصْنًا فَأَرَادُوكَ أَنْ

अल्लाह और उसके नबी का अहद मत देना बल्कि उन्हें अपना और अपने साथियों का अहद देना बेशक तुम्हारा अपना और अपने साथियों का अहद तोड़ना अल्लाह और उसके रसूल के अहद तोड़ने से बेहतर है और जब तुम किसी किले वालों को घेर लो और वह यह चाहें कि तुम उन्हें अल्लाह के फ़ैसले पर उतारे तो तुम उन्हें मत उतारना बल्कि अपने साथियों के हुक्म (फ़ैसले) पर उतारना, बेशक तुम नहीं जानते कि तुम उनमें अल्लाह के फ़ैसले को पहुंचे हो या नहीं।" या आपने इसके करीब करीब फ़रमाया था।

मुस्लिम: 1731. अबू दाऊद: 2612. इब्ने माजा: 2858.

वज़ाहत: इमाम अबू ईसा फ़रमाते हैं: इस मसले में नौमान बिन मुकर्रिन (رضی اللہ عنہ) से भी हदीस मर्वी है और बुरैदा (رضی اللہ عنہ) की हदीस हसन सहीह है।

नीज़ फ़रमाते हैं: " हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने उन्हें अबू अहमद ने सुफ़ियान से बयान किया है कि अलक़मा बिन मुशदि ने हमें इसी मफहूम की हदीस बयान की और इस में यह लफज़ ज़्यादा थे कि "अगर वह इनकार करें तो उन से जिज्या लेना अगर न दें तो उनके खिलाफ़ अल्लाह से मदद मांगना। "

इमाम तिमिज़ी (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं: वकी और दीगर रावियों ने भी सुफ़ियान से इसी तरह रिवायत की है। और मुहम्मद बिन बश्शार के अलावा बाकी रुवात ने (इसे) अब्दुरहमान बिन महदी से रिवायत किया है और इस में जिज्या के हुक्म का भी ज़िक्र है।

1618 - सय्यदना अनस बिन मालिक (رضی اللہ عنہ) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) नमाज़े फ़ज्र के वक़्त ही हमला करते थे अगर आप अज़ान सुन लेते तो रुक जाते वना हमला कर देते और एक दिन आप ने गौर से सुना एक आदमी कह रहा था, : **اللّٰهُ أَكْبَرُ، اللّٰهُ أَكْبَرُ،** तो आप ने फ़रमाया,

تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلَا ذِمَّةَ نَبِيِّهِ، وَاجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ، لِأَنَّكُمْ إِنْ تَخْفَرُوا ذِمَّتَكُمْ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ أَنْ تَخْفَرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُواكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تُنْزِلُوهُمْ، وَلَكِنْ أَنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لَا، أَوْ نَحْوَ هَذَا.

1618 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُغِيرُ إِلَّا عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا

यह फ़ितरत पर है। उस ने कहा “ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ” तो आप ने फ़रमाया, “ तु जहन्नम से निकल गया। ”

मुस्लिम: 382. अबू दारूद: 2634.

أَمْسَكَ، وَإِلَّا أَعَارَ، وَاسْتَمَعَ ذَاتَ يَوْمٍ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ: عَلَى الْفِطْرَةِ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَقَالَ: خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ.

वज़ाहत: हसन फ़रमाते हैं: हमें अबू वलीद ने भी हम्माद बिन सलमा से इसी सनद के साथ ऐसे ही रिवायत बयान की है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

खुलासा

- दुश्मन को पहले इस्लाम की दावत दी जाए, फिर जिज्या का मुतालबा किया जाए, अगर दोनों बातें न मानें तो उन से जंग शुरू की जाए;
- हठधर्म दुश्मन के घरों को मिस्मार करना और मालों को जलाना जायज़ है।
- ग़नीमत का पांचवां हिस्सा बैतूल माल का और बाकी चार हिस्से मुजाहिदीन के हैं।
- कोई और बर्तन न मिलने की सूरत में मुश्रिकों के बर्तनों को धोकर इस्तेमाल किया जा सकता है।
- काफ़िर का सलब, उसे क़त्ल करने वाले मुजाहिद को मिलेगा।
- इमाम चाहे तो कैदियों को फिदया ले कर छोड़ सकता है।
- दुश्मनों के बच्चों और उनकी औरतों को क़त्ल करना मना है।
- किसी खुशाख़बरी को सुनकर सजद-ए-शुक्र अदा किया जा सकता है।
- अहद को तोड़ने वाला बहुत बड़ा गुनाहगार है।
- जब अर्से हयात तंग कर दिया जाए तो उस इलाक़े से हिज्रत करना बेहतर है।
- अहले किताब को सलाम में पहल करना मना है।
- मक्का में न किताल किया जा सकता है और न ही उस से हिज्रत की जाएगी।
- नुहूसत, बद फ़ाली और बद शुगूनी लेना जाहिल लोगों का अकीदा है। इस्लाम ने उन तमाम चीजों को नफी कर दी है।

मज़मून नम्बर - 20.

أَبْوَابُ فَضَائِلِ الْجِهَادِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

रसूलुल्लाह(ﷺ) से मर्वी जिहाद के फ़ज़ाइल.

तआरुफ़

26 अबवाब के साथ 51 अहादीस पर मुहीत इस उन्वान के तहत आप पढ़ेंगे कि..

- जिहाद और मुजाहिदीन की फ़ज़ीलत।
- जिहाद में ख़िदमत और पहेदेदारी करने वालों का अज्रो- सवाब।
- रिबात और रमी की फ़ज़ीलत।
- समुंदरी जिहाद करने वालों की फ़ज़ीलत।

1 - जिहाद की फ़ज़ीलत.

1619 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि पूछा गया: ऐ अल्लाह के रसूल! जिहाद के बराबर कौनसी चीज़ है? आप(ﷺ) ने फरमाया: "तुम उसको करने की ताकत नहीं रखते " लोगों ने दो तीन मर्तबा पूछा, आप हर दफा फरमाते: "तुम उसको करने की ताकत नहीं रखते।" तीसरी मर्तबा आप(ﷺ) ने फरमाया, "अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला उस रोज़ेदार कयाम करने वाले की तरह है जो नमाज़ और रोज़े में कोताही नहीं करता यहाँ तक कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला वापस आ जाए।

बुखारी: 2785. मुस्लिम: 1878. निसाई: 3124.

1 بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْجِهَادِ

1619 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ؟ قَالَ: إِنَّكُمْ لَا تَسْتَطِيعُونَهُ. فَرَدُّوا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: لَا تَسْتَطِيعُونَهُ، فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ: مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَثَلُ الْقَائِمِ الصَّائِمِ الَّذِي لَا يَنْقُتُ مِنْ صَلَاةٍ وَلَا صِيَامٍ، حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

वज़ाहत: इस मसले में शिफ़ा, अब्दुल्लाह बिन हुब्शी, अबू मूसा, अबू सईद, उम्मे मालिक बहज़िय्या और अनस (رضي الله عنه) से हदीस मर्वी है।

नीज़ यह हदीस हसन सही है और बवास्ता अबू हुरैरा (رضي الله عنه) कई सनदों के साथ नबी (ﷺ) से मर्वी है।

1620 - सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “अल्लाह तआला फरमाते हैं: मेरे रास्ते में जिहाद करने वाले की ज़मानत मुझ पर है।” अगर मैं उसे क़ब्ज़ कर लूं तो उसे जन्नत का वारिस बनाऊंगा और अगर वापस ले आऊँ तो उसे अज्जो- ग़नीमत के साथ वापस लौटाऊंगा। सहीह।

1620 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي مَرْزُوقُ أَبُو بَكْرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْني يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:، الْمَجَاهِدُ فِي سَبِيلِي هُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ، إِنْ قَبَضْتَهُ أَوْرَثْتَهُ الْجَنَّةَ، وَإِنْ رَجَعْتَهُ رَجَعْتَهُ بِأَجْرٍ أَوْ غَنِيْمَةٍ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رضي الله عنه) फरमाते हैं: यह हदीस इस सनद के साथ ग़रीब सही है।

2 - जिहाद करते हुए मरने वाले की फ़ज़ीलत

1621 - सय्यदना फ़ज़ाला बिन उबैद (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “हर मरने वाले के आमाँल पर मोहर लगा दी जाती है सिवाए अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले के। बेशक उसका अमल क़यामत के दिन तक बढ़ाया जाता है और वह क़ब्र के फित्ने से भी महफूज़ रहता है।” (फ़ज़ाला (رضي الله عنه) फरमाते हैं:) मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को यह फ़रमाते हुए भी सुना कि मुजाहिद वह है जो अपने नफ़्स से जिहाद करे।

सहीह: अबू दाऊद: 2500. अल-जिहाद लि इब्ने

2 بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا

1621 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَيَّوَةُ بْنُ شَرِيْحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِيءٍ الْخَوْلَانِيُّ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ مَالِكِ الْجَنْبِيَّ، أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَهَ بْنَ عُبَيْدٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ مَيِّتٍ يُحْتَمُّ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الَّذِي مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُنْمَى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَيَأْمَنُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَسَمِعْتُ

मुबारक: 174. मुसनद अहमद: 6/20. इब्ने हिब्बान: 4624.

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: इस बारे में उक्ब़ा बिन आमिर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है नीज़ फ़ज़ाला बिन उबैद (رضي الله عنه) की हदीस हसन सही है।

3 - जिहाद के दौरान रोज़ा रखने की फ़ज़ीलत.

1622 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “जिसने अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हुए एक दिन का रोज़ा रखा अल्लाह तआला उसे जहन्नम से सत्तर साल की मसाफ़त तक दूर कर देंगे।” इन दोनों (यानी उर्वा बिन जुबैर और सुलैमान बिन यसार) में से एक रावी “सत्तर” और दूसरा “चालीस” ख़यान करता है।

(सत्तर के लफ़ज़ के साथ सही है) इब्ने माज़ा: 1718. निसाई: 2244. मुसनद अहमद: 2/300.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस इस सनद के साथ ग़रीब है और अबूल अस्वद का नाम अब्दुरहमान बिन नौफल असदी मदनी है।

नीज़ इस बारे में अबू सईद, अनस, उक्ब़ा बिन आमिर और अबू उमामा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

1623 - सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “जो ख़न्दा अल्लाह के रास्ते में एक दिन का रोज़ा रखता है तो यह दिन उसके चेहरे को जहन्नम से सत्तर साल (की मसाफ़त तक) दूर कर देता है।”

3 بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّوْمِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

1622 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَيْبَعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ زَحَزَحَهُ اللَّهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا أَحَدَهُمَا يَقُولُ: سَبْعِينَ، وَالْآخَرَ يَقُولُ: أَرْبَعِينَ.

1623 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُخْرُومِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ الثُّعْمَانَ بْنِ أَبِي عِيَّاشٍ

الرُّزْقِي، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَصُومُ عَبْدٌ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا بَاعَدَ ذَلِكَ الْيَوْمَ النَّارَ عَنْ وَجْهِهِ سَبْعِينَ خَرِيفًا.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सही है।

1624 - सय्यदना अबू उमामा बाहिली (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “जो शख्स अल्लाह के रास्ते में एक रोज़ा रखे तो अल्लाह तआला उसके और जहन्नम के दर्मियान आसमान व ज़मीन के दर्मियान के फ़ासले के बराबर खंदक बना देता है।”

हसन: सहीह: इब्ने अदी: 7/ 2543. तबरानी फ़िल कबीर: 7921.

1624 - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ جَمِيلٍ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.

वज़ाहत: सय्यदना अबू उमामा बाहिली (رضي الله عنه) की बयान कर्दा यह हदीस ग़रीब है।

4 - अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने की फ़ज़ीलत.

1625 - सय्यदना ख़ुरैम बिन फ़ातिक (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “जिस ने कोई भी चीज़ अल्लाह के रास्ते में ख़र्च की उसके लिए सात सौ गुना तक लिखी जाती है।”

सहीह: निसाई: 3146. मुसनद अहमद: 4/345. इब्ने हिब्बान: 4647.

4 بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

1625 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمِيَلَةَ، عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَتَبَتْ لَهُ بِسَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفٍ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: इस बारे में अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है नोज़ यह हदीस हसन है। हम इसे रूकैन बिन रूबैअ की सनद से ही जानते हैं।

5 - अल्लाह के रास्ते में ख़िदमत करने की फ़ज़ीलत.

1626 - सय्यदना अदी बिन हातिम (رضي الله عنه) से रिवायत है कि उन्होंने अल्लाह के रसूल (ﷺ) से पूछा: कौनसा सदका सबसे बेहतर है? आप ने फ़र्माया: “अल्लाह के रास्ते में किसी गुलाम को ख़िदमत के लिए देना या खेमे का सामान मुहय्या करना या अल्लाह के रास्ते में जवान ऊंटनी देना।”

हसन.

वज़ाहत: नर ऊंट को कहते हैं और ऊंट उस जवान ऊंटनी को कहते हैं जो नर ऊंट का वज़न बर्दाश्त करने के काबिल हो जाए।

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: यह हदीस मुआविया बिन सालेह से मुसल भी मर्वी है। और ज़ैद की सनद के साथ कुछ हिस्सों में इख़ितलाफ़ किया गया है।

नीज़ वलीद बिन जमील ने इस हदीस को क़ासिम बिन अब्दुरहमान से बवास्ता उमामा (رضي الله عنه) नबी (ﷺ) से रिवायत किया है।

1627 - सय्यदना अबू उमामा बाहिली (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “बेहतरिन सदका अल्लाह के रास्ते में खेमे का साया मुहय्या करना, अल्लाह के रास्ते में खादिम अतिथ्या करना और अल्लाह के रास्ते में जवान ऊंटनी देना है।”

हसन: मुसनद अहमद: 5/269.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है और मेरे नज़दीक मुआविया बिन सालेह की रिवायत से ज़्यादा सहीह है।

5 باب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْخِدْمَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

1626 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمِ الطَّائِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: خِدْمَةُ عَبْدٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ ظِلُّ فُسْطَاطٍ، أَوْ طُرُوقَةٌ فَحُلِّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

1627 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ جَمِيلٍ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ الصَّدَقَاتِ ظِلُّ فُسْطَاطٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَنْبِيحَةُ خَادِمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ طُرُوقَةٌ فَحُلِّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

6 - जो शरूख किसी मुजाहिद को तैयार करता है.

1628 - सय्यदना ज़ैद बिन ख़ालिद अल-जुहनी (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "जिस ने अल्लाह के रास्ते में किसी मुजाहिद को सामान मुहैया किया तो गोया उसने खुद जिहाद किया और जिसने मुजाहिद के घर ख़बरगोरी रखी तो उसने भी जिहाद किया।"

बुखारी: 2843. मुस्लिम: 1895. अबू दारूद: 2509. इब्ने माजा: 2759. निसाई: 3180.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है नीज़ और सनद से भी मर्वी है।

1629 - सय्यदना ज़ैद बिन ख़ालिद अल-जुहनी (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "जिस ने अल्लाह के रास्ते में किसी मुजाहिद को सामान मुहैया किया या उसके घर का ख़याल रखा तो यकीनन उसने भी जिहाद किया।"

सहीह: पिछली हदीस की तरह: अबू दारूद: 2509.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है

1630 - अबू ईसा (رضي الله عنه) कहते हैं: हमें मुहम्मद बिन बश़ार ने वह कहते हैं: हमें यहया बिन सईद ने वह कहते हैं: हमें अब्दुल मलिक बिन अबी सुलैमान ने अता से बवास्ता ज़ैद बिन ख़ालिद जुहनी (رضي الله عنه) नबी (ﷺ) से ऐसी ही हदीस बयान की है।

सहीह: 1607. नम्बर हदीस की तख़रीज देखें.

6 بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا

1628 - حَدَّثَنَا أَبُو زَكْرِيَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتِ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَّفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ فَقَدْ غَزَا.

1629 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ فَقَدْ غَزَا.

1630 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

1631 - सय्यदना ज़ैद बिन ख़ालिद अल जुहनी (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, जिसने अल्लाह के रास्ते में किसी मुजाहिद को सामान मुहैया किया या उसके घर में ख़बरगरी की तो यकीनन उसने भी जिहाद किया।”

सहीह: 1628. के तहत तख़रीज गुज़र चुकी है.

1631 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَّفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ فَقَدْ غَزَا.

वज़ाहत: मुजाहिद को सामान मुहैया करने से मुराद है कि उसको हथियार वगैरह ख़रीद कर देना और मैदाने जिहाद तक पहुँचने के लिए जादे राह देना। इसी तरह घर में उसकी बीवी और बच्चों की ज़रूरियात का खयाल रखना।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

7 - जिसके पाँव को अल्लाह के रास्ते में गर्दो गुबार लगे उसकी फ़ज़ीलत.

1632 - यज़ीद बिन अबी मरियम (رضي الله عنه) बयान करते हैं: मैं जुमा के लिए मस्जिद की तरफ़ जा रहा था कि मुझे अबाय्या बिन रिफ़ाआ बिन राफ़ेअ मिले तो उन्होंने फ़रमाया, खुश हो जाओ, तुम्हारा यह चलना अल्लाह के रास्ते में है। मैंने अबू अब्स (رضي الله عنه) से सुना वह फ़रमाते थे कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया, जिसके दोनों क़दमों को अल्लाह के रास्ते में गर्द लगी तो वह दोनों जहन्नम की आग पर हराम हैं।”

बुखारी: 907. मुस्लिम: 3116

7 بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ مَنْ اغْتَبَرَتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

1632 - حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنِيُّ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: لَحِقَنِي عَبَّائَةُ بْنُ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، وَأَنَا مَاشٍ إِلَى الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: أُبَشِّرُ، فَإِنَّ حُطَّكَ هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، سَمِعْتُ أَبَا عَبْسٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اغْتَبَرَتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُمَا حَرَامٌ عَلَى النَّارِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। और अबू अब्स का नाम अब्दुरहमान बिन जुबैर है। नीज़ इस मसले में अबू बक्क (رضي الله عنه) और नबी (ﷺ) के एक और सहाबी से भी

हदीस मर्वी है। अबू ईसा (رضي الله عنه) कहते हैं यज़ीद बिन अबी मरियम शाम के रहने वाले थे। उन से वलीद बिन मुस्लिम, यह्या बिन हम्ज़ा और दीगर शाम वालों ने रिवायत की है। जबकि बुरैद बिन अबी मरियम ने अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) से सिमा (सुनना) किया है जबकि बुरैद बिन अबी मरियम से अबू इस्हाक़ हम्दानी, अता बिन साइब, यूनुस बिन अबी इस्हाक़ और शोबा (رضي الله عنه) ने अहादीस रिवायत की हैं।

8 - अल्लाह के रास्ते में गर्द की फ़ज़ीलत.

1633 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "अल्लाह के डर से रोने वाला शख्स जहन्नम में उस वक़्त तक नहीं जा सकता जब तक दूध थन में वापस न चला जाए। नीज़ अल्लाह के रास्ते की गर्द और जहन्नम की धुँआ इकट्ठे नहीं हो सकते।"

सहीह: इब्ने माजा:2774. निसाई: 3107, 3115. मुसनद अहमद:2/ 505.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान मदीना के रहने वाले और अबू तल्हा के आज़ादकर्दा थे।

9 - जो शख्स अल्लाह के रास्ते में बूढा हो जाए उसकी फ़ज़ीलत.

1634 - सालिम बिन अबू जअद (رضي الله عنه) कहते हैं शुरहबील बिन सिप्त ने (सय्यदना काब बिन मुरा से) कहा : ऐ काब बिन मुरा! हमें रसूलुल्लाह (ﷺ) की अहादीस बयान करें और कमी व बेशी से बचना। उन्होंने कहा: मैंने नबी (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना: "जिस शख्स

8 بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْغُبَارِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

1633 - حَدَّثَنَا هَنَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَيْسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ، وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدَخَانٌ جَهَنَّمَ.

9 بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ مَنْ شَابَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

1634 - حَدَّثَنَا هَنَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْة، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، أَنَّ شُرْحَيْلَ بْنَ السَّمْطِ، قَالَ: يَا كَعْبُ بْنُ مَرْة، حَدَّثَنَا عَنْ

पर इस्लाम में बुढ़ापा आ जाए तो क़्यामत के दिन वह उसके लिए रोशनी होगा।”

सहीह: अस-सिलसिला अस-सहीहा: 1244. निसाई: 3144. मुसनद अहमद: 4/235.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخَذَ،
قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ شَابَ شَيْئَةً فِي الْإِسْلَامِ
كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

वज़ाहत: इस बारे में फ़ज़ाला बिन उबैद और अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है और काब बिन मुरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन है। आमश ने अम्र बिन मुरा से ऐसे ही रिवायत किया है।

नीज़ यह हदीस मंसूर से भी बवास्ता सालिम बिन अबी जअद मर्वी है। और उन्होंने सनद में उनके और काब बिन मुरा के दर्मियान एक और आदमी भी दाखिल किया है। उन्हें काब बिन मुरा भी और मुरा बिन काब बहज़ी भी कहा जाता है और नबी(ﷺ) के सहाबा में से मारूफ़ मुरा बिन काब बहज़ी है उन्होंने नबी(ﷺ) से कई अहादीस रिवायत की है।

1635 - सय्यदना अम्र बिन अब्सा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, “जो शख़्स अल्लाह के रास्ते में बूढ़ा हो वह बुढ़ापा उसके लिए क़्यामत के दिन रोशनी होगा।”

सहीह: निसाई: 3142. मुसनद अहमद: 4/386.

1635 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَرْوَزِيُّ،
قَالَ: أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شَرِيحِ الْجَمْصِيِّ، عَنْ
بَقِيَّةَ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ
مَعْدَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مَرَّةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
عَبْسَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: مَنْ شَابَ شَيْئَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَتْ لَهُ
نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह गरीब है। और जीवह बिन शुरैह इब्ने यज़ीद (رضي الله عنه) हिम्स के रहने वाले थे।

10-जो शख़्स अल्लाह के रास्ते में घोड़ा बांधे

1636 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, “घोड़ों की पेशानियों में क़्यामत के दिन तक के लिए

10 بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ مَنْ ارْتَبَطَ
فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

1636 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ
بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ

भलाई बाँध दी गई है। घोड़े तीन किस्म के हैं: यह एक आदमी के लिए अज्र का बाइस होता है और एक आदमी के लिए पर्दापोशी का सबब होता है और एक आदमी पर बोझ होता है। जिसके लिए यह घोड़ा अज्र है यह वह शरख्स है जो उसे अल्लाह के रास्ते में रखता है। और उसे जिहाद के लिए तैयार करता है यह उसके लिए अज्र है। उसके पेट में जो चीज़ भी छिपती है अल्लाह उस आदमी के लिए अज्र लिख देता है। नीज़ इस हदीस में एक किस्सा भी है।

बुखारी: 2371. मुस्लिम: 987. इब्ने माजा: 2788.
निसाई: 2562.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ मालिक बिन अनस ने भी ज़ैद बिन असलम से बवास्ता सालेह, सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से नबी (ﷺ) की ऐसी ही हदीस बयान की है।

11 - अल्लाह के रास्ते में तीर अंदाजी करने की फ़ज़ीलत.

1637 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान बिन अबी हुसैन (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “बेशक अल्लाह तआला एक तीर की वजह से तीन आदमियों को जन्नत में दाखिल करेगा: एक उसे बनाने वाला जो उसे बनाने में खैर की उम्मीद रखता है। दूसरा उसे फ़ेंकने वाला और तीसरा उसे पकड़ने वाला” और आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “तीर अंदाजी करो, घुड़सवारी करो, तुम्हारा तीर अंदाजी करना मुझे तुम्हारी

أبيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخَيْلُ مَعْقُودَةٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَالْخَيْلُ لِثَلَاثَةٍ: هِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَهِيَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَهِيَ عَلَى رَجُلٍ وَزْرٌ، فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ: فَالَّذِي يَتَّخِذُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَيُعِدُّهَا لَهُ، هِيَ لَهُ أَجْرٌ لَا يَغِيْبُ فِي بَطُونِهَا شَيْءٌ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرًا، وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ.

11 بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الرَّمِيِّ فِي

سَبِيلِ اللَّهِ

1637 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَيَدْخُلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةَ الْجَنَّةِ: صَانِعُهُ يَخْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ وَالرَّامِيَ بِهِ وَالْمُمِدُّ بِهِ، وَقَالَ: ارْمُوا وَارْكَبُوا، وَلَا تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ

घुड़सवारी से भी ज्यादा पसंद है। हर वह खेल जो मुसलमान आदमी खेलता है वह बातिल है सिवाए कमान के साथ तीर फेंकने, अपने घोड़े को सधाने और अपनी बीवी के साथ खेलने के, यह चीजें हक हैं।" (ज़ईफ़.)

تَرَكُّبُوا، كُلُّ مَا يَلْهُو بِهِ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ بَاطِلٌ، إِلَّا رَمِيَهُ بِقَوْسِهِ، وَتَأَدَّبِيَهُ فَرَسَهُ، وَمَلَأَ عَيْتَهُ أَهْلَهُ، فَإِنَّهُمْ مِنَ الْحَقِّ.

वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें अहमद बिन मुनी ने वह कहते हैं: हमें यज़ीद बिन हारून ने उन्हें हिशाम दस्तवाई ने यह्या बिन अबी कसीर से उन्हें अबू सलाम ने अब्दुल्लाह बिन अज़रक से बवास्ता उत्रबा बिन आमिर जुहनी (رضي الله عنه) नबी (ﷺ) से ऐसी ही हदीस बयान की है।

इमाम तिमिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: इस बारे में काब बिन मुरा, अम्र बिन अब्सा और अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

1638 - सय्यदना अबू नजीह सुलामी (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "जिसने अल्लाह के रास्ते में तीर फेंका तो वह तीर उसके लिए एक गुलाम आज़ाद करने के बराबर है।

1638 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي نَجِيحِ السُّلَمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ لَهُ عَدْلٌ مُخَرَّرٌ.

सहीह: अबू दाऊद: 3965. इब्ने माजा: 2812. निसाई: 3143.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह है और अबू नजीह, अम्र बिन अब्सा सुलामी ही हैं जबकि अब्दुल्लाह बिन अज़रक अब्दुल्लाह बिन ज़ैद हैं।

12 - अल्लाह के रास्ते में पहरेदारी करने की फ़ज़ीलत.

12 بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْحَرَسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

1639 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना: "दो आँखें ऐसी हैं जिन्हें जहन्नम की आग नहीं छुएगी। एक वह आँख जो अल्लाह के ख़ौफ़ से रोए और दूसरी वह

1639 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ رُزَيْقٍ أَبُو شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ الْخُرَّاسَانِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِيَّاحٍ، عَنْ

आँख जो अल्लाह के रास्ते में पहरा देते हुए रात बसर करे।”

सहीह.

ابن عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَيْنَانِ لَا تَمْسُهُمَا النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: इस मसले में उस्मान और अबू रेहाना (رحمته الله) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ इब्ने अब्बास (رحمته الله) की हदीस गरीब है। हम इसे सिर्फ़ शोऐब बिन जुरैक की सनद से ही जानते हैं।

13 - शोहदा का सवाब.

1640 - सय्यदना अनस (رحمته الله) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “अल्लाह के रास्ते में शहीद होना हर गुनाह को मिटा देता है।” तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा: सिवाए क़र्ज़ के, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, सिवाए क़र्ज़ के।”

सहीह.

13 بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ الشُّهَدَاءِ

1640 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ طَلْحَةَ الزُّبَيْرِيُّ الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنْ حَمِيدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُكَفِّرُ كُلَّ خَطِيئَةٍ، فَقَالَ جَبْرِيلُ: إِلَّا الدَّيْنَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِلَّا الدَّيْنَ.

वज़ाहत: इस मसले में काब बिन अजरा, जाबिर, अबू हुरैरा और अबू कतादा (رحمته الله) से भी हदीस मर्वी है और यह हदीस गरीब है। हम इसे अबू बकर से इसी शैख के वास्ते से जानते हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुखारी (رحمته الله) से इस हदीस के बारे में सवाल किया था तो वह उसे नहीं जानते थे और उन्होंने फ़रमाया, मेरे ख़याल में इससे मुराद हुमैद की अनस से बयान कर्दा नबी (ﷺ) की हदीस ली होगी कि आप ने फ़रमाया, “जन्नत वालों में से किसी को दुनिया की तरफ़ लौटना अच्छा नहीं लगेगा सिवाए शहीद के।”

1641 - सय्यदना काब बिन मालिक (رحمته الله) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “बेशक शोहदा की रूहें सबज़ परिदों के क़ालिब में होती हैं जो जन्नत के फलों या

1641 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ابْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ،

जन्नत के दरख्तों के साथ लटकती हैं।”

सहीह: इब्ने माजा:1449. निसाई: .2073. मुसनद
अहमद:3/455.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ
أَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ فِي طَبَرٍ خُضِرَ تَعْلَقُ مِنْ ثَمَرِ
الْجَنَّةِ أَوْ شَجَرِ الْجَنَّةِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह है।

1642 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, “मुझ पर वह तीन शरइस पेश किए गए जो सब से पहले जन्नत में दाख़िल होंगे: पहला शहीद, दूसरा हराम से परहेज़ करने और शुब्हात से बचने वाला, और तीसरा वह गुलाम जो अच्छे तरीके से अल्लाह की इबादत करे और अपने मालिकों की ख़ैर ख़्वाही करे।”

ज़ईफ़: तयालिसी:2567. इब्ने ख़ुज़ैमा:2249. मुसनद
अहमद: 2/425.

तौज़ीह: وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ : हर हराम ख़्वाहिश से बचने वाला शर्मगाह को हराम जगह से बचाने वाला।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह है।

1643 - सय्यदना अनस (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, “कोई बन्दा ऐसा नहीं है जो फौत हो और अल्लाह के यहाँ उसे भलाई (जन्नत) मिले लेकिन वह दुनिया की तरफ लौटना चाहे और उसके लिए दुनिया और तमाम चीज़ें भी हो मगर शहीद के, इसलिए कि वह शहादत की फ़ज़ीलत देखता तो वह दुनिया की तरफ लौटना चाहता है ताकि दूसरी मर्तबा अल्लाह के रास्ते में क़त्ल हो जाए।”

बुख़ारी: 2795 मुस्लिम: 1887 निसाई: 3160

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह है। इब्ने अबी उमर कहते हैं: सुफ़ियान बिन उययना ने फ़रमाया कि अम्र बिन दीनार ज़ोहरी से बड़े थे। (लेकिन रिवायत ज़ोहरी से करते हैं)

1642 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا
عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ،
عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَامِرِ الْعَقِيلِيِّ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عُرِضَ عَلَيَّ أَوْلُ ثَلَاثَةٍ
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: شَهِيدٌ، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ، وَعَبْدٌ
أَحْسَنَ عِبَادَةَ اللَّهِ وَتَصَوَّحَ لِمَوْلَاهِ.

1643 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ،
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَا
مِنْ عَبْدٍ يَمُوتُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ يُحِبُّ أَنْ
يَرْجَعَ إِلَى الدُّنْيَا، وَأَنَّ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، إِلَّا
الشَّهِيدَ، لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ، فَإِنَّهُ
يُحِبُّ أَنْ يَرْجَعَ إِلَى الدُّنْيَا، فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى.

14 - अल्लाह के यहाँ शोहदा की फ़ज़ीलत.

1644 - सय्यदना उमर बिन खत्ताब (رضي الله عنه) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना: "शोहदा चार किस्म के हैं; एक वह मज़बूत ईमान वाला मोमिन जो दुश्मन से मिला तो अल्लाह की तस्दीक़ की यहाँ तक कि शहीद हो गया। यह वह शख्स है जिसकी तरफ़ क़यामत के दिन लोग इस तरह अपनी आँखें उठावेंगे" और उन्होंने अपना सर उठाया यहाँ तक उनकी टोपी गिर गई। रावी कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि बयान करने वाले ने उमर (رضي الله عنه) की टोपी मुराद ली या रसूलुल्लाह (ﷺ) की। फ़रमाया, "दूसरा वह मज़बूत ईमान वाला मोमिन जो दुश्मन से मिले तो डर और ख़ौफ़ की वजह से ऐसे लगे गोया उसके जिस्म पर बबूल का काँटा मारा गया हो उसके पास नागहानी अंधा तीर आया उसने उसे शहीद कर दिया तो यह दूसरे दर्जे में होगा। तीसरा वह मोमिन है जिसने मिले जुले आमाल किए हो कुछ अच्छे और दूसरे कुछ बुरे वह दुश्मन को मिला तो अल्लाह की तस्दीक़ की यहाँ तक कि वह शहीद हो गया। यह तीसरे दर्जे में होगा और चौथा वह मोमिन जिसने अपनी जान पर जुल्म किया हो वह दुश्मन से मिला तो अल्लाह की तस्दीक़ की। यहाँ तक कि शहीद हो गया तो यह चौथे दर्जे में होगा।"

ज़ईफ़: मुसनद अहमद: 1/22. अबू याला: 252.

14 بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الشَّهَدَاءِ عِنْدَ اللَّهِ

1644 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْخَوْلَانِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَهَ بْنَ عُيَيْدٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الشَّهَدَاءُ أَرْبَعَةٌ: رَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدٌ الْإِيمَانِ، لَقِيَ الْعَدُوَّ، فَصَدَّقَ اللَّهَ حَتَّى قُتِلَ، فَذَلِكَ الَّذِي يَرْفَعُ النَّاسَ إِلَيْهِ أُعْيُنُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَكَذَا وَرَفَعَ رَأْسَهُ حَتَّى وَقَعَتْ قَلَنْسُوتهُ، قَالَ: فَمَا أَذْرِي أَقَلَنْسُوتهُ عُمَرَ أَرَادَ أَمْ قَلَنْسُوتهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدٌ الْإِيمَانِ لَقِيَ الْعَدُوَّ فَكَأَنَّمَا ضُرِبَ جِلْدُهُ بِشَوْكٍ طَلَعَ مِنَ الْجَبَنِ أَتَاهُ سَهْمٌ غَرَبَ فَقَتَلَهُ فَهُوَ فِي الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ، وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ خَلَطَ عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا لَقِيَ الْعَدُوَّ فَصَدَّقَ اللَّهَ حَتَّى قُتِلَ فَذَلِكَ فِي الدَّرَجَةِ الثَّلَاثَةِ، وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ أَسْرَفَ عَلَى نَفْسِهِ لَقِيَ الْعَدُوَّ فَصَدَّقَ اللَّهَ حَتَّى قُتِلَ فَذَلِكَ فِي الدَّرَجَةِ الرَّابِعَةِ.

तौज़ीह: طَلْح: बबूल (केकर) के बड़े दरख्त को कहा जाता है जिस से ऊँट खाते हैं। इस से मुराद यह है कि यह आदमी पहले की तरह बहादुर नहीं है और जब मैदान में उतरा तो खौफ़ की वजह से उसके जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए।

यज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। यह सिर्फ़ अता बिन दीनार के तरीक से ही मारुफ़ है और मैंने मुहम्मद बिन इस्माइल बुखारी से सुना फ़रमाते थे: सईद बिन अय्यूब ने इस हदीस को अता बिन दीनार से रिवायत करते वक़्त खौलान के शयूख़ का ज़िक्र किया है न कि अबू यज़ीद का। और अता बिन दीनार कहते हैं: इस में कोई क़बाहत (बुराई) नहीं है।

15 - समुंद्री जहाज़ का बयान.

1645 - सय्यदना अनस बिन मालिक (رحمته الله) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) सय्यदा उम्मे हराम बिनते मिल्लहान (رحمته الله) के पास जाते थे तो वह आपको खाना खिलाती और उम्मे हराम बिनते मिल्लहान (رحمته الله), सय्यदना उबादा बिन सामित (رحمته الله) के निकाह में थीं। एक दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) उनके पास गए तो उन्होंने आप को खाना खिलाया और आपको रोक कर आप (ﷺ) का सर देखने लगीं तो रसूलुल्लाह (ﷺ) सो गए फिर आप बेदार हुए तो मुस्करा रहे थे। कहती हैं: मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आपको किस चीज़ ने हंसाया? आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “मेरी उम्मत के कुछ लोग अल्लाह के रास्तों में जिहाद करने वालों की सूत में मुझ पर पेश किए गए जो इस समुन्द्र के दरमियान जहाज़ों पर सवार हैं जैसे वह तख़्तों के ऊपर बैठे हुए बादशाह हों” मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह से दुआ कीजीये कि वह मुझे भी उनमें शामिल कर दे तो आप ने

15 بَابُ مَا جَاءَ فِي غَزْوِ الْبَحْرِ

1645 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامِ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتَطْعِمُهُ، وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتِ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَأَطْعَمْتُهُ، وَجَلَسْتُ تَقْلِي رَأْسَهُ، فَتَأَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ اسْتَيْقِظَ وَهُوَ يَضْحَكُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي غَرِضُوا عَلَيَّ غُرَاةً

उनके लिए दुआ की। फिर आप ने अपना सर रखा और सो गए। फिर बेदार हुए तो आप मुस्कुरा रहे थे। कहती हैं: मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! आपको किस चीज़ ने हंसाया? आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “मेरी उम्मत के कुछ लोग अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वालों की सूत में मुझ पर पेश किए गए।” वही बात की जो पहले की थी। कहती हैं: मैंने कहा; ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! आप अल्लाह से दुआ कीजीये कि वह मुझे भी उन में शामिल कर दे, आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “तुम पहले लोगों में होंगी।” अनस (رضي الله عنه) कहते हैं कि उम्मे हराम (رضي الله عنه) मुआविया बिन अबी सुफ़ियान के दौर में समन्दर में सवार हुई जब समन्दर से निकलीं तो अपनी सवारी से गिर कर फौत हो गयीं।

बुखारी: 2789. मुस्लिम: 1912. अबू दारुद: 2490.
निसाई: 3171.

فِي سَبِيلِ اللَّهِ، يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ
مُلُوكٌ عَلَى الْأَسْرَةِ، أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى
الْأَسْرَةِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَدْعُ اللَّهَ أَنْ
يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَدَعَا لَهَا، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ
فَنَامَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ، قَالَتْ:
فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:
نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عَرَضُوا عَلَيَّ غُرَاةً فِي
سَبِيلِ اللَّهِ، نَحْوُ مَا قَالَ فِي الْأَوَّلِ، قَالَتْ:
فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَدْعُ اللَّهَ أَنْ
يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ،
قَالَ: فَرَكِبْتُ أُمَّ حَرَامٍ الْبَحْرَ فِي زَمَانِ
مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، فَصُرِعَتْ عَن
ذَائِبَتِهَا حِينَ خَرَجْتُ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكْتُ.

तौज़ीह: البحر: समन्दर का दर्मियानी और बड़ा हिस्सा। बादशाहों की तम्सील (मिसाल) से मुराद यह है कि जैसे बादशाह अपने तख्त पर बावकार और पुरसुकून हालत में होता है। इसी तरह वह भी बावकार और पुरसुकून हालत में सफ़र कर रहे हैं उनके चेहरों पर कोई ख़ौफ़ और दहशत नहीं है।

सय्यदना उस्मान बिन अफ़फ़ान (رضي الله عنه) के दौर ख़िलाफ़त में जब मुआविया (رضي الله عنه) शाम के गवर्नर थे तो उन्होंने अमीरुल मोमिनीन की इजाज़त से बहरी बेड़ा तैयार किया और उसमें बैठ कर रूम पर हमला किया। इस लश्कर में उम्मे हराम भी थीं जो कि शहीद हुई और रसूलुल्लाह (ﷺ) की पेशीनगोई सच साबित हुई।

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ हराम बन्ते मिल्लहान (رضي الله عنه) सय्यदा उम्मे सुलैम (رضي الله عنه) की बहन और अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) की खाला थी।

16 - जो शख्स दिखलावे और दुनिया के लिए लड़ाई (जिहाद) करता है.

1646 - सय्यदना अबू मूसा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) से उस आदमी के बारे में पूछा गया जो बहादुरी के लिए लड़ता है या जो हमिय्यत के लिए और जो दिखलावे के लिए लड़ता है उन में से कौन अल्लाह के रास्ते में है? आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "जिसने इसलिए किताल किया ताकि अल्लाह का क़लिमा इस्लाम बुलन्द हो जाए वही अल्लाह के रास्ते में है।"

बुखारी: 123. मुस्लिम: 1904. अबू दारुद: 2517. इब्ने माजा: 2783. निसाई: 3136.

तौज़ीह: ग़ैरत और इज़्ज़त वग़ैरह के दिफ़ा का ज़ब्बा। (अल-मोज़मुल वसीत:प।237)

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: इस बारे में उमर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ यह हदीस हसन सहीह है।

1647 - सय्यदना उमर बिन ख़त्ताब (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया; "आमाल की कुबूलियत का दारोमदार नीयतों पर है और आदमी के लिए वही होता है जिसकी वह नीयत करे, पस जिस शख्स की हिज़रत की नीयत अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ हो तो उसकी हिज़रत अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ है और जिसकी हिज़रत दुनिया को हासिल करने या किसी औरत से निकाह करने के लिए हो तो उसकी हिज़रत उसकी तरफ़ है जिसकी तरफ़ उसने हिज़रत की नीयत की है।"

बुखारी: 1. मुस्लिम: 1907. अबू दारुद: 2201. इब्ने माजा: 4227. निसाई: 75.

16 بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ يُقَاتِلُ رِيَاءً

وَالِدُنِيَا

1646 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلْمَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، وَيُقَاتِلُ رِيَاءً، فَأَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: مَنْ قَاتَلَ لَتَكُونَ كَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

1647 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصِ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِأَمْرِي مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، فَهَاجَرَتْهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهَاجَرَتْهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ मालिक बिन अनस, सुफ़ियान सौरी और दीगर मुहद्दिसीन ने भी इसे यह्या बिन सईद से रिवायत किया है। और हम भी इसे यह्या बिन सईद अंसारी के तरीक से ही जानते हैं। अब्दुरहमान बिन महदी कहते हैं: हमें यह हदीस हर बाब में बयान करनी चाहिए।

17 - जिहाद में सुबह और शाम चलने की फ़ज़ीलत.

1648 - सय्यदना सहल बिन अदी (رحمته الله) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया; "अल्लाह के रास्ते में सुबह के वक़्त चलना दुनिया और जो कुछ इस में है तमाम चीज़ों से बेहतर है और जन्नत में एक कदम रखने की जगह दुनिया और उसकी चीज़ों से भी बेहतर है।"

बुखारी: 2794. मुस्लिम: 1881. इब्ने माजा: 2756. निसाई: 3118.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: इस बारे में अबू हुरैरा, इब्ने अब्बास, अबू अय्यूब और अनस (رحمته الله) से भी हदीस मर्वी है। और यह हदीस हसन सहीह है।

1649 - अबू हाजिम (رحمته الله) सय्यदना अबू हुरैरा (رحمته الله) और मिक्सम (رحمته الله) इब्ने अब्बास (رحمته الله) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया; "अल्लाह के रास्ते में सुबह के वक़्त चलना या शाम के वक़्त एक घड़ी चलना दुनिया और उसकी चीज़ों से बेहतर है।"

बुखारी: 2793. मुस्लिम: 1882. इब्ने माजा: 2755.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। अबू हाजिम जिन्होंने सहल बिन साद (رحمته الله) से रिवायत की है वह अबू हाजिम जाहिद हैं। जो मदीना के रहने वाले थे और उनका नाम

17 بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْغُدُوِّ وَالرَّوَاكِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

1648 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ أَبِي خَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَمَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

1649 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجَعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِيُّ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي خَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْحَجَّاجُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

सलमा बिन दीनार है। और यह अबू हाजिम जिन्होंने अबू हरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत की है। यह अबू हाजिम अशजई हैं जो कूफा के रहने वाले थे और इनका नाम सलमान है यह अज़ज़तुल अशजइया के आज़ादकर्दा थे।

1650 - सय्यदना अबू हरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) के सहाबा में से एक आदमी एक घाटी से गुजरा, उस में पीठे पानी का एक छोटा सा चश्मा था। तो वह उसे अपनी उम्दगी की वजह से बहुत पसंद आया। उसने कहा: काश मैं लोगों से अलग हो कर इस घाटी में ठहर जाऊं और मैं यह काम हरगिज़ न करूंगा यहाँ तक कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से इजाज़त ले लूं, उसने अल्लाह के रसूल (ﷺ) से इसका ज़िक्र किया तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, "ऐसे मत करो। बेशक तुम में से किसी शख्स का अल्लाह के रास्ते में एक बार खड़े होना उसकी घर में पढ़ी जाने वाली सत्तर साल की नमाज़ से अफ़ज़ल है। क्या तुम यह नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें बरख़्शा दे और तुम्हें जन्नत में दाख़िल करदे? (तो इसके लिए) तुम अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो जिसने अल्लाह के रास्ते में ऊंटनी का दो वक़्त दूध निकालने के दर्मियानी वक़्त के बराबर लड़ाई की उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई।"

हसन: मुसनद अहमद: 2/446. हाकिम: 2/68.

बैहकी: 9/160.

तौज़ीह: شعب : दो पहाड़ों के दर्मियान खुली जगह, घाटी या खाई, इसकी जमा شعاب आती है। ज़मीन के नीचे पानी की गुजरगाह को भी شعب कहा जाता है। (अल-मोजमुल वसीत:पृ. 571) लेकिन पहला मानी मुराद है। فَوَاقِ نَاقَةَ: ऊंटनी का दो दफ़ा दूध निकालने का दर्मियानी वक़्त। (अल-मोजमुल वसीत:पृ. 850)

1650 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطٍ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَعْبٍ فِيهِ عَيْنَةٌ مِنْ مَاءٍ عَذْبَةٍ فَأَعَجَبْتَهُ لَطِيبِهَا، فَقَالَ: لَوْ اعْتَرَلْتُ النَّاسَ، فَأَقَمْتُ فِي هَذَا الشُّعْبِ، وَلَنْ أَفْعَلَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لَا تَفْعَلْ، فَإِنَّ مَقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ سَبْعِينَ عَامًا، أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَعْفَرَ اللَّهُ لَكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ الْجَنَّةَ، اعْزُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَاقِ نَاقَةَ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.

1651 - सय्यदना अनस (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया; "अल्लाह के रास्ते में सुबह के वक़्त चलना या पिछले पहर चलना दुनिया और उसकी चीज़ों से बेहतर है और तुम में से किसी के क़मान के बराबर या हाथ के बराबर जन्नत की जगह दुनिया और उसकी चीज़ों से बेहतर है और अगर जन्नत वालों की औरतों में से कोई औरत ज़मीन की तरफ़ झाँक ले तो उन दोनों (ज़मीनों आसमान) के दर्मियान की जगह को रोशन करे और इन दोनों के दर्मियान खुशबू से भर दे और उसके सर का दुपट्टा दुनिया और उसकी चीज़ों से बेहतर है।"

बुखारी: 2792. मुस्लिम: 1880. इब्ने माजा: 2757.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

18 - कौन लोग बेहतर हैं?

1652 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया; "क्या मैं तुम्हें बेहतरीन आदमी के बारे में न बताऊँ? वह आदमी जो अपने घोड़े की लगाम अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने के लिए थामे हुए होता है। क्या मैं तुम्हें उस आदमी के बारे में न बताऊँ जो उसके बाद दर्जा रखता है? वह आदमी जो अपनी थोड़ी सी बकरियों को लेकर लोगों से अलाहिदा (अलग) रहता है और उन में से अल्लाह का हक़ अदा करता है। क्या मैं तुम्हें बुरे आदमियों के बारे में न बताऊँ? वह आदमी जिस से अल्लाह के नाम पर माँगा जाए और वह ना दे।

सहीह: निसाई: 2569. मुसनद अहमद: 1/237. दारमी: 2400.

1651 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعْدُوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ رَوْحَةٌ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَقَابُ قَوْسٍ أَحَدِكُمْ، أَوْ مَوْضِعُ يَدِهِ فِي الْجَنَّةِ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ لِأَصْأَتْ مَا بَيْنَهُمَا، وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا، وَلَنْصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

18 بَابُ مَا جَاءَ أَيُّ النَّاسِ خَيْرًا

1652 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهْيَعَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ؟ رَجُلٌ مُمْسِكٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالَّذِي يَتْلُوهُ؟ رَجُلٌ مُعْتَرِلٌ فِي غَنِيمَةٍ لَهُ يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ فِيهَا. أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ؟ رَجُلٌ يُسْأَلُ بِاللَّهِ وَلَا يُعْطِي بِهِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (रह) फ़रमाते हैं: यह हदीस इस सनद के साथ हसन ग़रीब है। और यह हदीस और सनदों के साथ भी बवास्ता इब्ने अब्बास नबी (रह) से मर्वी है।

19 - अल्लाह से शहादत का सवाल करने वाला

1653 - सय्यदना सहल बिन हुनैफ़ (रह) से रिवायत है कि नबी (रह) ने फ़रमाया; "जो शख्स अपने दिल के साथ अल्लाह से शहादत का सच्चा सवाल करता है तो अल्लाह तआला उसे शोहदा के मर्तबे में पहुंचा देते हैं अगरचे उसे अपने बिस्तर पर ही मौत आए।"

मुस्लिम: 1909. अबू दाऊद: 1520. इब्ने माजा: 2797.
निसाई: 3162.

19 بَابُ مَا جَاءَ فِي سَأْلِ الشَّهَادَةِ

1653 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ بْنِ عَسْكَرِ
الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ كَثِيرِ
الْمِصْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
شُرَيْحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ
بْنِ حُنَيْفٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ سَأَلَ
اللَّهَ الشَّهَادَةَ مِنْ قَلْبِهِ صَادِقًا بَلَغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ
الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (रह) फ़रमाते हैं: सय्यदना सहल बिन हुनैफ़ (रह) से मर्वी यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे अब्दुरहमान बिन शुरैह के तरीक से ही जानते हैं और अब्दुरहमान बिन शुरैह की कुनियत अबू शुरैह थी। यह इस्कंदरानी थे नीज़ इस बारे में मुआज़ बिन जबल (रह) से भी मर्वी है।

1654 - सय्यदना मुआज़ बिन जबल (रह) से रिवायत है कि नबी (रह) ने फ़रमाया; "जिसने सच्चे दिल से अल्लाह तआला से उसके रास्ते में शहीद होने का सवाल किया तो अल्लाह तआला उसे शहीद का अज़्र अता फ़रमाएंगे।"

सहीह: अबू दाऊद: 2541. इब्ने माजा: 2792.
निसाई: 3141.

1654 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا
رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَايِمِرَ
السُّكْسَكِيِّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ
ﷺ قَالَ: مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِهِ
صَادِقًا مِنْ قَلْبِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ أَجْرَ الشَّهَادَةِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (रह) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

20 - मुजाहिद निकाह करने वाले और मुकातब गुलाम की अल्लाह तआला मदद करता है.

1655 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया; "तीन आदमी ऐसे हैं जिनकी मदद करना अल्लाह पर हक़ है: अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला, मुकातिबत करने वाला गुलाम जो रक़म अदा करना चाहता हो और वह निकाह करने वाला जो पाक दामन रहना चाहता हो।"

हसन: इब्ने माजा:2518. निसाई: 3120. मुसनद अहमद:2/251.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

21 - अल्लाह के रास्ते में ज़ख्मी होने वाला.

1656 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया; "अल्लाह के रास्ते में कोई शख्स ज़ख्मी नहीं होता और अल्लाह ही ख़ूब जानता है कि उसके रास्ते में कौन ज़ख्मी होता है मगर क़यामत के दिन वह आयेगा तो रंग तो खून का ही होगा जबकि खुशबू कस्तूरी की तरह होगी।

बुखारी:237. मुस्लिम: 1876. इब्ने माजा: 2795. निसाई: 3146.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और कई सनदों से बवास्ता अबू हुरैरा (رضي الله عنه) मर्वी है।

20 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُجَاهِدِ وَالنَّكَاحِ وَالْمُكَاتَبِ وَعَوْنِ اللَّهِ إِيَّاهُمْ

1655 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةٌ حَقُّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمُ: الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ، وَالنَّكَاحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعِفَافَ.

21 بَابُ مَا جَاءَ فِي مَن يُكَلِّمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

1656 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُكَلِّمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكَلِّمُ فِي سَبِيلِهِ، إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِّ، وَالرَّيْحُ رِيحُ الْمِسْكِ.

1657 - सय्यदना मुआज़ बिन जबल (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया; “ जो मुसलमान आदमी अल्लाह के रास्ते में ऊंटनी के दो दफ़ा दुहने के दर्मियानी वक़्त के बराबर लड़ाई करता है उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है और जिसे अल्लाह के रास्ते में कोई ज़ख़्म या कोई चोट लगी तो उस ज़ख़्म या चोट से क़यामत के दिन तेज़ी से खून बह रहा होगा उसका रंग ज़ाफ़रान जैसा और उसकी खुशबू कस्तूरी जैसी होगी। ”

सहीह: अबू दाऊद: 2541. इब्ने माजा: 2792. निसाई: 3141.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह है।

22 - कौन सा अमल ज़्यादा फ़ज़ीलत वाला है?

1658 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा गया कि कौनसा अमल ज़्यादा फ़ज़ीलत वाला है? और कौनसा अमल बेहतर है? आप (ﷺ) ने फ़रमाया: “अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना। ” कहा गया: ऐ अल्लाह के रसूल! फिर कौन सी चीज़ बेहतर है? आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “जिहाद आमाल की चोटी है” कहा गया: फिर कौनसा अमल? आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “हज़े मबरूर। ”

बुखारी: 26. मुस्लिम: 83.

तौज़ीह: सनाम: कोहान, हर चीज़ का बालाई हिस्सा, बलंदी। (अल-मोजमुल वसीत: पृ. 537)

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह है। और कई सनदों से बवास्ता अबू हुरैरा (رضی اللہ عنہ) नबी (ﷺ) से मर्वा है।

1657 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَالِكِ بْنِ يُعَامِرٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَوَاقٍ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ نُكِبَتْ نَكْبَةً، فَإِنَّهَا تَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَغْزَرٍ مَا كَانَتْ لَوْهَا الرُّعْفَرَانُ وَرِيحُهَا كَالْمِسْكِ.

22 بَابُ مَا جَاءَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلَ

1658 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ، أَوْ أَيُّ الْأَعْمَالِ خَيْرٌ؟ قَالَ: إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، قِيلَ: ثُمَّ أَيُّ شَيْءٍ؟ قَالَ: الْجِهَادُ سَنَامَ الْعَمَلِ، قِيلَ: ثُمَّ أَيُّ شَيْءٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ثُمَّ حَجٌّ مَبْرُورٌ.

23 - जन्नत के दरवाजे तलवारों के साथ तले हैं.

1659 - अबू बकर बिन अबू मूसा अशअरी (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मैंने दुश्मन की मौजूदगी में अपने वालिदे मोहतरम से सुना वह फरमा रहे थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फरमाया, "बेशक जन्नत के दरवाजे तलवारों के साथ के नीचे हैं।" तो लोगों में से एक मैली कुचैली हालत वाले आदमी ने कहा: क्या आप ने खुद रसूलुल्लाह (ﷺ) को इसका तजकिरा करते हुए सुना है? उन्होंने कहा: "जी हाँ" तो वह आदमी अपने साथियों के पास जाकर कहने लगा: मैं तुम्हें आखिरी सलाम कहता हूँ और उसने अपनी तलवार की मियान तोड़ी फिर उस तलवार से काफ़िरों को मारा यहाँ तक कि शहीद हो गया।

सहीह: मुस्लिम: 1902. मुसन्द अहमद: 4/ 396.

बज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رحمته الله) फरमाते हैं: यह हदीस सहीह ग़रीब है। हम इसे जाफ़र बिन सुलैमान अज़ज़बई के तरीक से ही जानते हैं। और अबू इमरान अल जौफ़ी का नाम अब्दुल मलिक बिन हबीब है जबकि अबू बकर बिन अबी मूसा के बारे में अहमद बिन हंबल कहते हैं, उनका नाम यही था।

24 - कौनसा आदमी अफ़ज़ल है?

1660 - सय्यदना अबू सईद खुदरी (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा गया कि कौनसा आदमी ज़्यादा फ़ज़ीलत वाला है? आप (ﷺ) ने फरमाया, "वह आदमी जो

23 بَابُ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ

1659 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الصُّبُعِيُّ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ رَثُ الْهَيْئَةِ: أَأَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: أَقْرَأُ عَلَيْكُمْ السَّلَامَ، وَكَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ، فَضْرَبَ بِهِ حَتَّى قُتِلَ.

24 بَابُ مَا جَاءَ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ

1660 - حَدَّثَنَا أَبُو عَمَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي

अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता है।" लोगों ने कहा: फिर कौन? आप ने फर्माया: "फिर वह मोमिन जो घाटियों में किसी घाटी में रहता हो अपने ख से डरता हो और लोगों को अपने शर से बचाता हो।"

बुखारी: 2886. मुस्लिम: 1888. अबू दाऊद: 2485. इब्ने माजा: 3978. निसाई: 3105.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह है।

25 - शहीद का सवाब.

1661 - सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "अहले जन्नत में से कोई शख्स ऐसा नहीं है जो दुनिया की तरफ़ वापस आना चाहता हो सिवाए शहीद के। बेशक वह चाहेगा कि दुनिया की तरफ़ वह वापस आजाए। इस बिना पर कि जब वह देखेगा कि उसको कितनी करामत दी गई है तो वह कहेगा: यहाँ तक कि मैं दस मर्तबा अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाऊँ।"

बुखारी: 2795. मुस्लिम: 1877. निसाई: 3160.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह है।

1662 - अबू ईसा कहते हैं हमें मुहम्मद बिन अशशार ने वह कहते हैं हमें मुहम्मद बिन जाफ़र ने उन्हें शोबा ने क़त्तादा से बवास्ता सय्यदना अनस बिन मालिक नबी (ﷺ) से इसी मफ़हूम की हदीस बयान की है। (सहीह.)

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह है।

سَعِيدُ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: رَجُلٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالُوا: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشَّعَابِ يَتَّقِي رَبَّهُ وَيَدْعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ.

25 باب في ثواب الشهيد

1661 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَسْرُهُ أَنْ يَرْجَعَ إِلَى الدُّنْيَا غَيْرَ الشَّهِيدِ، فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يَرْجَعَ إِلَى الدُّنْيَا، يَقُولُ: حَتَّى أَقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مِمَّا يَرَى مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنَ الْكِرَامَةِ.

1662 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ.

1663 - सय्यदना मिक्दाम बिन मादीकरिब (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "शहीद के लिए अल्लाह के यहाँ छः इनाम होते हैं, पहली दफ़ा खून गिरते ही उसके गुनाह बख़्श दिए जाते हैं और उसका जन्नती ठिकाना उसे दिखा दिया जाता है उसे अज़ाबे क़ब्र से बचाया जाता है वह क़यामत की बड़ी घबराहट से अमन में रहेगा, उसके सर पर वक़ार का ताज रखा जाएगा जिसका एक मोती दुनिया और उसकी चीजों से बेहतर होगा, बड़ी आँखों वाली 72 हूरों से उसकी शादी की जाएगी और उसके रिश्तेदारों में से सत्तर लोगों के बारे में उसकी सिफ़ारिश कुबूल की जाएगी।"

सहीह: इब्ने माजा: 2799. मुसनद अहमद: 4/ 131.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह ग़रीब है।

26-जिहाद के लिए तैयारी रखने वाले की फ़ज़ीलत

1664 - सय्यदना सहल बिन साद (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "अल्लाह के रास्ते में एक दिन की पहरेदारी दुनिया और उसकी तमाम चीजों से बेहतर है और पिछले पहर की वह घड़ी जिसमें बन्दा अल्लाह के रास्ते में चलता है या सुबह की घड़ी दुनिया और जो कुछ इसके ऊपर है उन तमाम चीजों से बेहतर है और कोड़े के बराबर जन्नत में तुम्हारी जगह दुनिया और जो कुछ इसके ऊपर है उन तमाम चीजों से बेहतर है।"

बुखारी: 2892. मुस्लिम: 1881. इब्ने माजा: 2756. निसाई: 3118.

1663 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ سِتُّ خِصَالٍ: يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ، وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَرْعِ الْأَكْبَرِ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، الْيَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْخُورِ الْعَيْنِ، وَيُسْفَعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ.

26 بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْمُرَاطِطِ

1664 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي النُّضْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النُّضْرِ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَمَوْضِعٌ سَوَّطٍ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَرَوْحَةٌ يَرُوحُهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لَعْدُوةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

तौज़ीह: यहा मसदर है रबाط ,و مرابط ,م رابط सरहद पर पडाव डालना या सरहद पर मुकीम होना مرابط उस मुजाहिद को कहा जाता है जो दुश्मन के सरहद के करीब पडाव डालता है। (तफ़सील के लिए देखिये अल-मोजमुल वसीत:पृ. 382)

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (र) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह है।

1665 - मुहम्मद बिन मुन्कदिर (र) बयान करते हैं कि सय्यदना सलमान फारसी (र) शुरहबील बिन सिम्त के पास से गुज़रे और वह अपने सरहदी मोर्चे पर थे, उन पर और उनके साथियों पर बड़ी मशक्कत थी तो उन्होंने फ़रमाया, ऐ इब्ने सिम्त मैं आपको वह हदीस न सुनाऊँ जो मैंने रसूलुल्लाह(र) से सुनी है? उन्होंने कहा: क्यों नहीं कहने लगे: मैंने रसूलुल्लाह(र) को फ़रमाते हुए सुना कि अल्लाह के रास्ते में एक दिन सरहद पर पहरा देना महीने के रोज़ों और कयाम से अफ़ज़ल या बेहतर है और जो इस हालत में फौत हुआ उसे कब्र के फिल्ले से बचाया जाएगा और उसके आमाल कयामत तक जारी रहेंगे। "

सहीह: मुस्लिम: 1913. निसाई: 3167.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (र) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह है।

1666 - सय्यदना अबू हुरैरा (र) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(र) ने फ़रमाया, "जो शख्स अल्लाह से जिहाद के निशान के बगैर मिला तो वह अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि उसमें सूराख होगा। "

ज़ईफ़: इब्ने माजा:3763. हाकिम: 2/79.

1665 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: مَرَّ سَلْمَانَ الْفَارِسِيُّ بِشَرْحِبِيلِ بْنِ السَّمْطِ وَهُوَ فِي مَرَابِطٍ لَهُ، وَقَدْ شَقَّ عَلَيْهِ وَعَلَى أَصْحَابِهِ، قَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكَ يَا ابْنَ السَّمْطِ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: رِبَاطٌ يَوْمٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ، وَرَبْمَا قَالَ: خَيْرٌ، مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَمَنْ مَاتَ فِيهِ وَقِيَ فَتَنَةَ الْقَبْرِ، وَنَمِيَ لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

1666 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَقِيَ اللَّهَ بِغَيْرِ أَثَرٍ مِنْ جِهَادٍ لَقِيَ اللَّهَ وَفِيهِ ثَلْمَةٌ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: वलीद बिन मुस्लिम इस्माईल बिन राफ़ेअ के वास्ते से बयान कर्दा यह हदीस ग़रीब है। और इस्माईल बिन राफ़ेअ को बाज़्र मुहद्दीसीन ने ज़ईफ़ कहा है। नीज़ फ़रमाते हैं: मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल को यह कहते हुए सुना कि वह सिक़ह और मुकारिबुल हदीस रावी है।

और यह हदीस कई तुरूक (सनदों) से बवास्ता अबू हुरैरा (رضي الله عنه) नबी (ﷺ) से मर्वी है। नीज़ सलमान (رضي الله عنه) की हदीस की सनद मुत्सिल नहीं है क्योंकि मुहम्मद बिन मुन्कदिर ने सलमान फारसी (رضي الله عنه) को नहीं पाया।

जबकि यह हदीस अय्यूब बिन मूसा से मक्हूल के ज़रिए बवास्ता शुरहबील बिन सिम्त भी सय्यदना सलमान फ़ारसी (رضي الله عنه) के ज़रिए नबी (ﷺ) से मर्वी है।

1667 - अबू सालेह मौला उस्मान बयान करते हैं कि मैंने उस्मान (رضي الله عنه) को मिय़्बर पर बयान करते हुए सुना वह कह रहे थे: मैंने तुम से एक हदीस छिपाई थी जो मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुनी इस बात के डर से कि यह बात तुम्हें मुझ से जुदा कर देगी, फिर मेरे दिल में ख़याल आया कि मैं तुम्हें वह बता दूँ ताकि हर आदमी अपने लिए वह इज़्तियार कर सके जो उसे अच्छा लगे मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना कि अल्लाह के रास्ते में एक दिन सरहद पर पहरेदारी करना और जगहों पर एक हज़ार दिन पहरे देने से बेहतर है। "

हसन: निसाई: 3169. मुसनद अहमद: 1/62. इब्ने हिब्बान: 4609.

1667 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَقِيلٍ، زُهْرَةُ بْنُ مَعْبُدٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: إِنِّي كَتَمْتُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرَاهِيَةً تَفْرُقُكُمْ عَنِّي، ثُمَّ بَدَأَ لِي أَنْ أُحَدِّثَكُمْوَهُ لِيخْتَارَ امْرُؤٌ لِنَفْسِهِ مَا بَدَأَ لَهُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: رِبَاطٌ يَوْمَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَنَازِلِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह ग़रीब है। इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल (बुख़ारी) फ़रमाते हैं: उस्मान (رضي الله عنه) के आज़ादकर्दा अबू सालेह का नाम बुर्कान है।

1668 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "शहीद क़त्ल होने की इतनी ही तकलीफ़ महसूस करता

1668 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا:

हे जैसे तुम में से कोई शख्स चींटी काटने से तकलीफ़ महसूस करता है।”

हसन: सहीह: इब्ने माजा: 2802. निसाई: 3161. मुसनद अहमद: 2/ 297.

حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَيْسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ مَسِّ الْقَتْلِ إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَسِّ الْقَرْصَةِ.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है।

1669 - सव्यदना अबू उमामा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “अल्लाह तआला को दो कत्तों और दो निशानियों से ज़्यादा कोई चीज़ महबूब नहीं है: एक उन आंसुओं का कत्ता जो अल्लाह के ख़ौफ़ से गिरे, और दूसरा खून का वह कत्ता जो अल्लाह के रास्ते में बहाया जाए और रहे दो निशान तो : एक अल्लाह के रास्ते में (लगने वाला) निशान और (दूसरा) अल्लाह के फ़राइज़ में से किसी फ़रीज़ा (को अदा करने) में लगने वाला निशान।”

हसन.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है।

1669 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ جَمِيلٍ الْفِلَسْطِينِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ قَطْرَتَيْنِ وَأَثَرَيْنِ، قَطْرَةٌ مِنْ دُمُوعٍ فِي خَشْيَةِ اللَّهِ، وَقَطْرَةٌ مِنْ تَهْرَاقٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَمَّا الْأَثَرَانِ: فَأَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ.

ख़ुलासा

- जिहाद के बराबर और कोई अमल नहीं है।
- अल्लाह के रास्ते में खर्च किया हुआ माल सात सौ गुना तक बढ़ा दिया जाता है।
- जिहाद में ख़िदमत करना सब से अफज़ल सदक़ा है।
- मुजाहिद को अस्लहा (सामाने- जंग) मुहैया करने वाला भी मुजाहिद है।

- जिन पैरों पर अल्लाह के रास्ते की गर्द लग जाए उन पर जहन्नम की आग़ हराम हो जाती है।
- तीर अंदाजी करना हक़ का काम है।
- जिहाद में पहरा देने वाली आँख जहन्नम में नहीं जा सकती।
- शहादत तमाम गुनाहों का कफ़ारा है।
- रियाकारी के लिए किया जाने वाला जिहाद क़ाबिले कुबूल नहीं. जिहाद वही होता है जो इस्लाम की सर बलंदी के लिए हो।
- मुजाहिदीन कायनात के बेहतरीन लोग हैं।
- शहादत मांगने वाले को अल्लाह तआला शहीद का दर्जा अता फ़रमा देते हैं।
- जन्नत तलवारों के साए में है।
- इस्लामी सरहद पर पहरा देना बहुत फ़ज़ीलत वाला अमल है।

मज़मून नम्बर 21.

أَبْوَابُ الْجِهَادِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) से मर्वी जिहाद के अहकाम व मसाइल

तआरुफ़

40 अबताब और 50 अहादीसे रसूल पर मुश्तमिल यह बयान इन बातों पर मुश्तमिल है कि..

- जिहाद किन लोगों पर फ़र्ज़ है?
- जिहाद के लिए क्या कुछ ज़रूरी है?
- जिहादी घोड़े कैसे होने चाहियें?
- शोहदा के बारे में क्या अहकाम हैं?

1 - माजूर अफ़राद को जिहाद करने की
 रुख़्सत है.

1670 - सय्यदना बराअ बिन आज़िब (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "मेरे पास कैंट के कंधे की हड्डी या तख्ती ले कर आओ फिर आप ने आयत लिखी: "मोमिनों में से बैठने वाले जिहाद करने वालों के बराबर नहीं हो सकते।" और अग्र बिन उम्मे मक्त्तूम (رضي الله عنه) आप (ﷺ) के पीछे बैठे हुए थे तो वह कहने लगे: क्या मुझे रुख़्सत है? क्योंकि वह नाबीना थे तो यह अल्फ़ाज़ नाज़िल हुए: "सिवाए माजूरो के।" (अन्निसा: 95)

बुखारी: 2831. मुस्लिम: 1898. निसाई: 3101.

1 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّحْصَةِ لِأَهْلِ الْعُدْرِ
 فِي الْقُعُودِ

1670 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ائْتُونِي بِالْكَتِيفِ، أَوْ اللَّوْحِ، فَكُتِبَ: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}، وَعَمْرُو بْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ خَلَفَ ظَهْرَهُ، فَقَالَ: هَلْ لِي مِنْ رُحْصَةٍ؟ فَتَرَلَّتْ: {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ}.

तौज़ीह: الكَيْف: कंधे के पीछे चौड़ी हड्डी जो कि इंसान और हैवान दोनों में होती है। जरबुल मसल है। |
انه ليعلم أين توكل الكف: वह खूब जानता है कि कंधे की हड्डियां कहाँ से खाई जाती है। यह ऐसे चालाक आदमी के बारे में कहा जाता है जो उमूर को अच्छी तरह निपटाना जानता हो। (अल-मोजमुल वसीत:पृ. 937).

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास, जाबिर और ज़ैद बिन साबित (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। यह हदीस हसन सहीह है और सुलैमान अत्तैमी के वास्ते अबू इस्हाक़ से बयान की गई यह हदीस ग़रीब है। नीज़ शोबा और सौरी ने भी अबू इस्हाक़ से इस हदीस को रिवायत किया है।

2 - जो शत्रु अपने मां बाप को छोड़ कर जिहाद पर निकल जाए.

1671 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अग्र (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि एक आदमी नबी (ﷺ) के पास आकर जिहाद की इजाज़त मांगने लगा तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “क्या तुम्हारे वालिदैन जिंदा हैं?” उसने कहा: जी हाँ” तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “तुम उन दोनों की ख़िदमत में ही जिहाद करो।”

बुखारी: 3004. मुस्लिम: 2549. अबू दारुद: 2529. इब्ने माजा: 2782. निसाई: 3103

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: इस मसले में इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। और यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ अबुल अब्बास नाबीना शायर थे। मक्का के रहने वाले थे। उनका नाम साइब बिन फरूख़ था।

3 - एक आदमी को अकेले लश्कर पर अमीर बना कर भेजना.

1672 - सय्यदना इब्ने जुरैज (رضي الله عنه) अल्लाह तआला के फ़रमान: “अल्लाह की इताअत

2 بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ حَرَجَ فِي الْعَرُو وَتَرَكَ أَبَوَيْهِ

1671 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، وَشُعْبَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ: أَلَاكَ وَالِدَانِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ.

3 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُبْعَثُ وَحْدَهُ سَرِيَّةً

1672 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ

करो, रसूल की इताअत करो और हाकिमों की।” (अन्निसा: 59) के बारे में फ़रमाते हैं कि अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफ़ा कैस बिन अदी सहमी को रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक लश्कर का अमीर बना के रवाना किया।⁽¹⁾ इब्ने जुरैज कहते हैं: मुझे यह बात याला बिन मुस्लिम ने बवास्ता सईद बिन जुबैर इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से बयान की है।

बुखारी: 4584. मुस्लिम: 1834. अबू दारुद: 2624.
निसाई: 4194.

वज़ाहत: (1) जाहिरन यह बात बाब के साथ मुनासिबत नहीं रखती लेकिन इसकी तहकीक़ यह है कि आप (ﷺ) ने लश्कर को रवाना किया था फिर उनके पीछे अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफ़ा (رضي الله عنه) को अमीर बनाकर भेज दिया था।

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। हम इसे इब्ने जुरैज के तरीक़ से ही जानते हैं।

4-आदमी के अकेले सफ़र करने की क़राहत.

1673 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “अगर लोग वह बात जान लें जो मैं तन्हाई के मुताल्लिक़ जानता हूँ तो कोई ऊँट सवार रात रात अकेला न चले।”

बुखारी: 2998. इब्ने माज़ा: 3768.

1674 - अम्र बिन शोएब अपने बाप से, वह अपने दादा (सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) से रिवायत करते हैं कि

مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، فِي قَوْلِهِ: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}، قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُدَّافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيِّ السَّهْمِيِّ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَرِيَّةٍ أَخْبَرَنِيهِ يَغْلَى بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

4 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يُسَافِرَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ

1673 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّبِيِّ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ أَنَّ النَّاسَ يَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ مِنَ الْوَحْدَةِ مَا سَارَ رَاكِبٌ بَلِيلٍ يَغْنِي: وَحْدَهُ.

1674 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ

रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, “एक ऊँट सवार एक शैतान है।⁽¹⁾ दो ऊँट सवार दो शैतान हैं और तीन आदमी काफ़िला हैं।”

हसन: अबू दाऊद: 2607. मुसनद अहमद: 2/ 186. इब्ने खुजेमा: 2570.

الرَّحْمَنُ بْنُ حَرْمَلَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الرَّكْبُ شَيْطَانٌ، وَالرَّاكِبَانِ
شَيْطَانَانِ، وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ.

तौज़ीह: (1) अकेले सफ़र करना मना है और मना कर्दा काम को करना शैतान का काम है। इसलिए शैतान कहा गया है।

उलमा ने इसकी और तौज़ीहात की हैं। (अल्लाह बेहतर जानता है)

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। हम इसे आसिम के तरीक से ही जानते हैं और यह मुहम्मद बिन ज़ैद बिन अब्दुल्लाह बिन उमर हैं। मुहम्मद (बिन इस्माईल बुखारी) फ़रमाते हैं: यह सिक्रह और सद्क रावी हैं। जबकि आसिम बिन उमर उमरी हदीस में ज़ईफ़ है। मैं उससे कुछ भी रिवायत नहीं करता। नीज़ अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) की हदीस हसन है।

5 - जंग में झूट बोलने और धोका देने की इजाजत है.

1675 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, “जंग धोके का नाम है।”

बुखारी: 3030. मुस्लिम: 1739. अबू दाऊद: 2636.

5 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الكَذِبِ وَالخَدِيعَةِ فِي الحَرْبِ

1675 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَنَضْرُ بْنُ
عَلِيٍّ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ
يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
الحَرْبُ خُدْعَةٌ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته) फ़रमाते हैं: इस मसले में अली, ज़ैद बिन साबित, आयशा, इब्ने अब्बास, अबू हुरैरा, अस्मा बन्ते यज़ीद बिन सकन, काब बिन मालिक और अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ यह हदीस हसन सहीह है।

6 - नबी (ﷺ) के गज़वात और आप ने कितने गज़वात किए?

1676 - अबू इस्हाक (رضي الله عنه) कहते हैं: मैं सय्यदना ज़ैद बिन अर्कम (رضي الله عنه) के साथ बैठा हुआ था कि उनसे कहा गया: नबी (ﷺ) ने कितने गज़वात किए थे? उन्होंने फ़रमाया: 19 (उन्नीस) मैंने कहा: आप ने उनके साथ मिलकर कितने गज़वात किए? उन्होंने कहा सत्तरह (17) मैंने कहा: पहला कौन सा गज़वा था? उन्होंने फ़रमाया, ذَاتُ الْعُشَيْرِ या ذَاتُ الْعُشَيْرَةِ।

बुखारी: 4404. मुस्लिम: 1245.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

7 - लड़ाई के वक़्त सफ़बंदी और लश्कर की तर्तीब.

1677 - सय्यदना अब्दुरहमान बिन औफ़ (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बद्र में रात के वक़्त ही हमारी तर्तीब लगा दी थी।

ज़ईफ़

वज़ाहत: इस बारे में अबू अय्यूब (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। नोज़ यह हदीस ग़रीब है। हम इसे इसी सनद से ही जानते हैं और मैंने मुहम्मद बिन इस्माइल (बुखारी) से इस हदीस के बारे में पूछा तो वह उसे नहीं जानते थे और उन्होंने कहा: मुहम्मद बिन इस्हाक़ ने इकिमा से सुना है और मैंने जब उन्हें देखा था उस वक़्त मुहम्मद बिन हुमैद अराज़ी के बारे में अच्छी राय रखते थे फिर बाद में उन्हें ज़ईफ़ करार दिया गया।

6 بَابُ مَا جَاءَ فِي غَزَوَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَكَمْ غَزَا؟

1676 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، وَأَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: كُنْتُ إِلَى جَنْبِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، فَقِيلَ لَهُ: كَمْ غَزَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةٍ؟ قَالَ: تِسْعَ عَشْرَةَ، فَقُلْتُ: كَمْ غَزَوْتَ أَنْتَ مَعَهُ؟ قَالَ: سِتْعَ عَشْرَةَ، قُلْتُ: أَيُّهُنَّ كَانَ أَوْلَى؟ قَالَ: ذَاتُ الْعُشَيْرِ، أَوْ الْعُشَيْرَةِ.

7 بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّفِّ وَالتَّعْبِئَةِ عِنْدَ الْقِتَالِ

1677 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: عَبَّأَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْدُرَ لَيْلًا.

8 - लड़ाई के वक़्त दुआ करना.

1678 - सय्यदना इब्ने अबी औफ़ा (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैंने नबी (ﷺ) को लश्करों पर बहुआ करते सुना, आप ने कहा: "हे अल्लाह! किताब उतारने वाले, जल्द हिमाब लेने वाले, लश्करों को शिकस्त दे दे और उनमें भूचाल बरपा कर दे।"

बुखारी: 2933. मुस्लिम: 1742. अबू दाऊद: 2631. इब्ने माजा: 2796.

8 بَابُ مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ الْقِتَالِ

1678 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَعْزِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو عَلَى الْأَحْزَابِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، سَرِيعِ الْحِسَابِ، أَهْرِمِ الْأَحْزَابَ، اللَّهُمَّ أَهْرِمُهُمْ، وَزَلْزَلْهُمْ.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने मसरूद (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है और यह हदीस हसन सहीह है।

9 - लश्कर के छोटे झंडों का बयान.

1679 - सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मक्का में दाखिल हुए तो आपका झंडा⁽¹⁾ सफ़ेद था।

हसन: अबू दाऊद: 2592. इब्ने माजा: 2817. निसाई: 2866.

9 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَلْوِيَةِ

1679 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ الْكِنْدِيُّ الْكُوفِيُّ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ عَمَارٍ يَعْنِي الدُّهْنِيَّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ وَلَوْاءُهُ أبيض.

तौज़ीह: اللواء: رایة: से छोटा झंडा इसकी जमा الوية और الويات आती है। (देखिये: अल-मोजमुल वसीत: पृ. 1025)

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन शरीह है। हम इसे शरीक से बवास्ता यह्या बिन आदम ही जानते हैं। और वह कहते हैं: हमें कई रावियों ने बवास्ता शरीक अम्मार से उन्होंने जाबिर (رضي الله عنه) से रिवायत की है कि नबी (ﷺ) मक्का में दाखिल हुए तो आपके सर पर सियाह रंग की पगड़ी थी। मुहम्मद (बुखारी) फ़रमाते हैं: सहीह हदीस यह है।

इमाम तिमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: अदोहन बुज़ैला कबीले की एक शाख है और अम्मार अदोहनी अम्मार बिन मुआविया दोहोनी हैं। जिनकी कुनियत अबू मुआविया है। यह कूफा के रहने वाले हैं और मुहद्दीसीन के चज़दीक सिक़ह रावी हैं।

10 - बड़े झंडों का बयान.

1680 - मुहम्मद बिन कासिम के आज़ादकर्दा यूनुस बिन उबैद कहते हैं कि मुझे मुहम्मद बिन कासिम ने सय्यदना बराअ बिन आज़िब के पास भेजा कि मैं उनसे रसूलुल्लाह (ﷺ) के झंडे के बारे में पूछू तो उन्होंने फ़रमाया, वह लकीर दार चादर है सियाह रंग का चार कोनों वाला बना हुआ था।

अबू दाऊद: 2591. मुसनद अहमद: 4/297. बैहकी: 6/363.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: इस बारे में अली, हारिस बिन हस्सान और इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

नीज़ यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे अबू ज़ायदा के तरीक से ही जानते हैं। अहमद अबू याकूब सक्फ़ी का नाम इस्हाक़ बिन इब्राहीम है उनसे उबैदुल्लाह बिन मूसा ने भी रिवायत की है।

1681 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का बड़ा झंडा सियाह और आपका छोटा झंडा सफ़ेद था।

हसन: इब्ने माजा: 2818. बैहकी: 6/362.

10 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّايَاتِ

1680 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: بَعَثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ إِلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَسْأَلُهُ عَنْ رَايَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: كَانَتْ سُوْدَاءَ مُرْتَعَةً مِنْ نَعْمَةٍ.

1681 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ وَهُوَ السَّالِحَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ حَيَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مِجَلَزٍ لِأَحَقِّ بْنِ حُمَيْدٍ يُحَدِّثُ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتْ رَايَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُوْدَاءَ، وَلَوْأُوهُ أَيْضًا.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) की यह हदीस इस सनद से हसन ग़रीब है।

11 - शिआर⁽¹⁾ का बयान.

1682 - मुहल्लब बिन अबी सुफरा एक ऐसे शख्स से रिवायत करते हैं जिसने नबी (ﷺ) से सुना था कि आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “अगर दुश्मन रात को तुम्हारे ऊपर हमला कर दे तो कहना: “حَم لَا يَنْصُرُونَ”

सहीह: अबू दाऊद: 2597. मुसनद अहमद: 4/65.

तौज़ीह: शَعَار: अलामत, निशानी, कोड वर्ड जंग के दौरान कमांडर अपनी फ़ौज को कोई लफ़्ज़ बता देता है। जो दुश्मन से खुफ़िया होता है ताकि अगर रात के अँधेरे में कोई मशकूक शख्स नज़र आए तो उससे उसका शिआर पूछा जा सके और वाज़ेह हो जाए कि यह अपनी फ़ौज का आदमी है या दुश्मन का जासूस। इन खुफ़िया अलफ़ाज़ के जंग में सुरक्षा के हवाले से बहुत फ़ायदे हैं।

वज़ाहत: इस बारे में सलमा बिन अक्का (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है और बाज़ (कुछ) ने अबू इस्हाक से भी सौरी की रिवायत की तरह रिवायत की है और उनसे बवास्ता मुहल्लब बिन अबी सुफरा, नबी (ﷺ) से मुसल भी मर्वी है।

12 - रसूलुल्लाह (ﷺ) की तलवार कैसी थी?

1683 - इब्ने सीरीन (رضي الله عنه) कहते हैं कि मैंने अपनी तलवार सय्यदना समुरा बिन जुन्दुब (رضي الله عنه) की तलवार जैसी बनाई और समुरा (رضي الله عنه) का गुमान था कि उनकी तलवार रसूलुल्लाह (ﷺ) की तलवार के मुताबिक थी और आप की तलवार बनू हनिफ़या की बनी हुई थी।

ज़ईफ़: अश- शमाइल: 108.

11 بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّعَارِ

1682 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةَ، عَمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنْ بَيَّتَكُمْ الْعَدُوُّ، فَقُولُوا: حَم لَا يَنْصُرُونَ:

12 بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1683 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُجَاعٍ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ سَبْرِينَ، قَالَ: صَنَعْتُ سَيْفِي عَلَى سَيْفِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، وَرَعَمَ سَمُرَةَ أَنَّهُ صَنَعَ سَيْفَهُ عَلَى سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ حَقِيقًا.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे सिर्फ़ इसी तरीक़ से जानते हैं और यह्या बिन सईद अल्क़त्तान ने उस्मान बिन साद कातिब पर जरह की है और हाफ़िजे की वजह से उसे ज़ईफ़ कहा है।

13 - लड़ाई के वक़्त रोज़ा इफ़्तार करना.

1684 - सय्यदना अबू सईद खुदरी (رحمته الله) रिवायत करते हैं कि फ़तहे मक्का के साल नबी (ﷺ) जब ज़हरान जगह पहुंचे तो हमें दुश्मन के मुकाबले की ख़बर दी और हमें रोज़ा इफ़्तार करने का हुक्म दिया तो हम सब ने रोज़ा इफ़्तार कर दिया।

मुस्लिम: 1120. अबू दाऊद: 2406. मुसनद अहमद: 3/29.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और इस मसले में सय्यदना उमर (رحمته الله) से भी हदीस मर्वी है।

14 - घबराहट के वक़्त बाहर निकलना.

1685 - सय्यदना अनस बिन मालिक (رحمته الله) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ), अबू तल्हा (رحمته الله) के एक घोड़े पर सवार हुए जिसे मंदूब कहा जाता था, तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, "घबराहट की कोई चीज़ नहीं है।" (1) और हमने इसे समन्दर पाया है।"

बुखारी: 2627. मुस्लिम: 2303. अबू दाऊद: 4988. इब्ने माजा: 2772.

तौज़ीह: (1) यानी इस बात की घबराहट थी कि शायद कोई दुश्मन हमला करना चाहता है लेकिन आप (ﷺ) घोड़े पर सवार होकर हालचाल मालूम करने निकले तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी और समन्दर से मुराद है कि यह घोड़ा बहुत तेज़ दौड़ने वाला है।

13 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفِطْرِ عِنْدَ الْقِتَالِ

1684 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَطِيَّةِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: لَمَّا بَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ مَرَّ الظُّهْرَانَ، فَأَذَنَّا بِلِقَاءِ الْعَدُوِّ فَأَمَرْنَا بِالْفِطْرِ، فَأَفْطَرْنَا أَجْمَعُونَ.

14 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُرُوجِ عِنْدَ الْفَرَجِ

1685 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: رَكِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ: مَنْدُوبٌ، فَقَالَ: مَا كَانَ مِنْ فَرَجٍ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: इस बारे में इब्ने अग्र बिन आस (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है और यह हदीस हसन सहीह है।

1686 - सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मदीना में घबराहट थी तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अबू तल्हा (رضي الله عنه) से हमारा एक घोड़ा लिया जिसे मंदूब कहा जाता था, आप ने फ़रमाया, “हम ने कोई घबराहट वाली चीज़ नहीं देखी और हम ने इस घोड़े को समन्दर पाया है।”

बुखारी: 2627. मुस्लिम: 2307. अबू दाऊद: 4988. इब्ने माजा: 2772.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

1687 - सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) लोगों में सबसे ज़्यादा ख़ूबसूरत, सबसे ज़्यादा सखी और सबसे ज़्यादा बहादुर थे। कहते हैं: एक रात अहले मदीना घबरा गए और उन्होंने एक आवाज़ सुनी, कहते हैं: नबी (ﷺ) उन को आगे से अबू तल्हा के नंगी पीठ वाले घोड़े पर आते हुए मिले। आप अपनी तलवार गले में लटकाए हुए थे। आप (ﷺ) ने फ़रमाया; “मत घबराओ, मत डरो। नीज़ नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “मैंने इसे समन्दर पाया है।” यानी घोड़े को।

सहीह: बुखारी: 2627. मुस्लिम: 2307. अबू दाऊद: 4988. इब्ने माजा: 2772.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

1686 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَأَبُو دَاوُدَ قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ فَرَعٌ بِالْمَدِينَةِ فَاسْتَعَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا لَنَا، يُقَالُ لَهُ: مَنْدُوبٌ، فَقَالَ: مَا رَأَيْنَا مِنْ فَرَعٍ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا.

1687 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَجْرَأِ النَّاسِ، وَأَجْرَأِ النَّاسِ، وَأَشْجَعِ النَّاسِ. قَالَ: وَقَدْ فَرَعَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ لَيْلَةً سَمِعُوا صَوْتًا، قَالَ: فَتَلَقَّاهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ عُرِيٍّ، وَهُوَ مُتَقَلِّدٌ سَيْفَهُ، فَقَالَ: لَمْ تُرَاعُوا، لَمْ تُرَاعُوا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَجَدْتُهُ بَحْرًا يَعْنِي: الْفَرَسَ.

15 - लड़ाई के वक़्त साबित क़दम रहना.

15 بَابُ مَا جَاءَ فِي الثَّبَاتِ عِنْدَ الْقِتَالِ

1688 - सय्यदना बराअ बिन आज़िब (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि एक आदमी ने हमसे कहा: ऐ अबू उमारा! क्या तुम रसूलुल्लाह(ﷺ) को छोड़ कर भाग गए थे? उन्होंने कहा : नहीं अल्लाह की क़सम, रसूलुल्लाह(ﷺ) नहीं भागे बल्कि जल्द बाज लोग भाग गए, हवाज़िन के लोग उन्हें तीर के साथ मिले, रसूलुल्लाह(ﷺ) अपनी खच्चर पर थे और अबू सुफ़ियान बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब उस खच्चर की लगाम पकड़े हुए थे और रसूलुल्लाह(ﷺ) फ़रमा रहे थे "मैं नबी हूँ यह बात झूठ नहीं है, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा (पोता) हूँ।"

बुखारी: 2864. मुस्लिम: 1776.

1688 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ لَنَا رَجُلٌ: أَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا عَمَارَةَ؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ، مَا وَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنْ وَلَى سَرْعَانَ النَّاسِ تَلَقَّتْهُمْ هَوَازِنُ بِالْبَتَلِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْلَتِهِ، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْخَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَخَذَ بِلِجَامِهَا، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: इस बारे में अली और इब्ने उमर (رضي الله عنهم) से भी हदीस मर्वी है और यह हदीस हसन सहीह है।

1689 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मैंने हुनैन के दिन लोगों को देखा दो गिरोह पीठ फेर कर जा रहे थे और रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ सौ आदमी भी नहीं थे।

सहीह.

1689 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا يَوْمَ حُنَيْنٍ وَإِنَّ الْفَتَنَيْنِ لَمَوْلَيْتَيْنِ، وَمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةٌ رَجُلٍ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस उबैदुल्लाह के तरीक से हसन ग़रीब है। हम इसे सिर्फ़ इसी सनद से ही जानते हैं।

16 - तलवार में जेवरात का इस्तेमाल करना.

1690 - सय्यदना मज़ीदा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) फ़तहे मक्का के दिन मक्का में दाख़िल हुए तो आप की तलवार पर सोना और चांदी थी। तालिब कहते हैं: मैंने रावी से चांदी के मुताल्लिक पूछा तो उन्होंने फ़र्माया: तलवार के दस्ते के किनारे पर चांदी लगी हुई थी।⁽¹⁾

ज़ईफ़.

16 بَابُ مَا جَاءَ فِي السُّيُوفِ وَحَلِيِّهَا

1690 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صُدْرَانَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا طَالِبُ بْنُ حُجْبِرٍ، عَنْ هُودِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ جَدِّهِ مَزِيدَةَ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى سَيْفِهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ قَالَ طَالِبٌ: فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفِضَّةِ؟ فَقَالَ: كَانَتْ قَبِيْعَةَ السَّيْفِ فِضَّةً.

तौज़ीह: قَبِيْعَةُ السَّيْفِ : तलवार के दस्ते के किनारे पर चढ़ा हुआ लोहा या चांदी। (अल-मोजमुल वसीत:पृ. 857)

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: इस बारे में अनस (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है और यह हदीस हसन ग़रीब है और हूद के दादा का नाम मज़ीदा अल असरी है।

1691 - सय्यदना सईद बिन अबू हसन (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) की तलवार के दस्ते पर चांदी लगी हुई थी।

सहीह: अबू दारूद:35833. निसाई: 5374.दारमी:2461.

1691 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: كَانَتْ قَبِيْعَةَ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِضَّةٍ.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है और हम्माम अज क़तादा अज अनस इसे रिवायत की गई है। जबकि बाज़ (कुहू) ने अज क़तादा अज सईद बिन अबी हसन रिवायत की है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) की तलवार के दस्ते पर चांदी की गिरह थी।

17 - जिरह का बयान.

1692 - सय्यदना जुबैर बिन अम्बाम (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि उहुद के दिन नबी (ﷺ) के ऊपर दो जिरहें थी, आप (ﷺ) एक चट्टान पर चढ़ने लगे तो न चढ़ सके। फिर आप ने तल्हा (رضي الله عنه) को नीचे बिठाया, नबी (ﷺ) उन के ऊपर खड़े हो कर चट्टान पर चढ़े। कहते हैं: मैंने नबी (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना: "तल्हा ने अपने ऊपर जन्नत वाजिब कर ली।"

हसन: इब्ने साद: 3/218. मुसनद अहमद: 1/165.

तौज़ीह: ज़िरह, लोहे की कड़ियों को आपस में मिला कर बनाई गई कमीस जो जंग में अपनी हिफाज़त के लिए इस्तेमाल की जाती थी ताकि तलवार वगैरह का ज़ख्म न लग सके।

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: इस बारे में सफ़वान बिन उमय्या और साइब बिन यज़ीद (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। और यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे सिर्फ़ मुहम्मद बिन इस्हाक़ के तरीक से ही जानते हैं।

18 - ख़ूद (लोहे की टोपी) का बयान.

1693 - सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि फ़तहे मक्का के साल नबी (ﷺ) मक्का में दाख़िल हुए और आप (ﷺ) के सरे मुबारक पर ख़ूद था। आप से कहा गया कि इब्ने ख़तल काबा के परदे से

17 بَابُ مَا جَاءَ فِي الدِّرْعِ

1692 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجَعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ: كَانَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَانِ يَوْمَ أُحُدٍ، فَتَهَضَّ إِلَى الصُّخْرَةِ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ، فَأَقْعَدَ طَلْحَةَ تَحْتَهُ، فَصَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ حَتَّى اسْتَوَى عَلَى الصُّخْرَةِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَوْجَبَ طَلْحَةُ.

18 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمِغْفَرِ

1693 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَقِيلَ لَهُ: ابْنُ

चिमटा हुआ है। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, उसे कत्ल कर दो। ”

خَطْلٌ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: اقْتُلُوهُ.

बुखारी: 1846. मुस्लिम: 1357. अबू दाऊद: 2685.
इब्ने माजा: 2805. निसाई: 2867.

तौज़ीह: المغفر: खुद लोहे की टोपी जो जंग में बचाव के लिए इस्तेमाल की जाती है।

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है और हम मालिक के अलावा किसी बड़े रावी को नहीं जानते जिसने इसे ज़ोहरी से रिवायत किया हो।

19 - जंगी घोड़ों की फ़ज़ीलत.

1694 - सय्यदना उर्वा अल-बारिकी (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “क़यामत के दिन तक के लिए घोड़ों की पेशानियों में खैरो भलाई बाँध दी गई है। अन्न भी और ग़नीमत भी। ”

बुखारी: 1846. मुस्लिम: 1375. अबू दाऊद: 2685.
इब्ने माजा: 2805. निसाई: 2867.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: इस मसले में इब्ने उमर, अबू सईद, जरीर, अबू हुरैरा, अस्मा बिनते यज़ीद, मुग़ीरह बिन शोबा और जाबिर (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है और यह हदीस हसन सहीह है।

नीज़ उर्वा, इब्ने अबू जअद अल-बारिकी (ﷺ) हैं। उन्हें उर्वा बिन जअद भी कहा जाता है। इमाम अहमद बिन हंबल (ﷺ) फ़रमाते हैं: इस हदीस का मफ़हूम यह है कि जिहाद क़यामत के दिन तक हर इमाम के साथ मिलकर जारी रहेगा।

20 - किन घोड़ों को पसंद किया गया है.

1695 - सय्यदना इब्ने अब्बास (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “घोड़ों की बरकत सुर्ख रंग में है। ”

19 بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْخَيْلِ

1694 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّئَرُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخَيْرُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ.

20 بَابُ مَا جَاءَ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْخَيْلِ

1695 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْهَاشِمِيُّ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ:

हसन सहीह: अबू दाऊद: 2545. मुसनद अहमद: 1/272.
बेहकी: 6/330.

حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُمْنُ الْخَيْلِ فِي الشُّقْرِ.

तौज़ीह: الشُّقْرُ : से मुराद सुर्ख रंग है। अशकर वह घोड़ा होता है जिसकी दुम और अयाल (गर्दन) के बाल सुर्ख हो और अगर गर्दन और दुम के बाल सियाह हो तो वह कुमैत कहलाता है।

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे इसी सनद से बतरीक शैबान ही जानते हैं।

1696 - सय्यदना अबू क़तादा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “बेहतरीन घोड़ा वह है जो काले रंग का हो और उसकी पेशानी और ऊपर वाला होंट सफ़ेद हो, फिर वह घोड़ा जिसकी पेशानी और पाँव सफ़ेद हो नीज़ एक पाँव का रंग दूसरे पाँव से मुख्तलिफ़ हो। अगर सियाह न हो तो इसी सिफ़त पर कुमैत बेहतर है।”

सहीह: इब्ने माजा: 2789. मुसनद अहमद: 5/300.
दारमी: 2443.

1696 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِزَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُ الْخَيْلِ الْأَدْهَمُ الْأَقْرَحُ الْأَرْثَمُ، ثُمَّ الْأَقْرَحُ الْمُحَجَّلُ، طَلُقَ الْيَمِينِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَدْهَمَ فَكُمَيْتٌ عَلَى هَذِهِ الشَّيْءِ.

1697 - अबू ईसा कहते हैं: हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने वह कहते हैं हमें वहब बिन जरीर ने वह कहते हैं: हमें मेरे बाप ने बवास्ता यहया बिन अय्यूब, यज़ीद बिन अबी साबित से इसी सनद के साथ इसी मफ़हूम की हदीस बयान की है।

सहीह

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है।

1697 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ.

21 - नापसंदीदा घोड़ों का बयान.

1698 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने घोड़ों में शिकाल⁽¹⁾ को नापसंद किया है।

मुस्लिम: 1875. अबू दाऊद: 2547. इब्ने माजा: 2790. निसाई: 3566.

तौजीह: (1) शिकाल से मुराद यह है कि उसके दायें पाँव और बाएं हाथ में सफेदी हो या दायें हाथ और बाएं पाँव में सफेदी हो।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है इसे शोबा ने अब्दुल्लाह बिन यज़ीद खशअमी के बवास्ता अबू जरआ, अबू हुरैरा से और उन्होंने नबी (ﷺ) से इसी तरह रिवायत किया है और अबू जरआ, अम्र बिन जरिर के बेटे हैं। उनका नाम हरम है।

इमाम तिर्मिजी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: हमें मुहम्मद बिन हुमैद अर्राज़ी ने (वह कहते हैं) हमें जरिर ने उमारा बिन क़अक्का से वह कहते हैं कि मुझे इब्राहीम नखई ने कहा कि तुम जब मुझे हदीस बयान करो तो अबू जरआ से बयान करो। क्योंकि उन्होंने मुझे एक दफ़ा हदीस सुनाई थी। फिर कई सालों के बाद मैंने उन से पूछा तो उस से एक हर्फ़ भी कम नहीं किया।

22 - इनाम मुक़र्रर कर के घोड़ों का मुकाबला करवाना.

1699 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तज़्मीर⁽¹⁾ किए गए घोड़ों को हफिया से सनिय्यतुल वदाअ तक दौड़ाया। उनके दर्मियान छः मील का फासिला है। और जिन घोड़ों की तज़्मीर नहीं हुई थी उन्हें सनिय्यतुल वदाअ से बनू जुरैक की मस्जिद तक

21 بَابُ مَا جَاءَ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخَيْلِ

1698 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَلْمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّخَعِيُّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَرِهَ الشُّكَّالَ مِنَ الْخَيْلِ.

22 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّهَانِ وَالسَّبَقِ

1699 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَزِيرٍ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُونُسَ الْأَزْرَقِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عَمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْرَى الْمُضَمَّرَ مِنَ الْخَيْلِ مِنَ الْحَفْيَاءِ

दौड़ाया उनके दरमियान एक मील का फासिला है और मैं भी घोड़ा दौड़ाने वालों में था मेरा घोड़ा मुझे लेकर एक दीवार कूद गया था।

बुखारी: 420. मुस्लिम: 1870. अबू दाऊद: 2575. इब्ने माजा: 2877. निसाई: 3587.

तौजीह: **تضمير:** घोड़े को दौड़ की तैयारी के लिए एक अर्सा तक खड़ा करके खिलाते रहना और मैदान में हल्का फुल्का दौड़ाना अरबों के यहाँ यह चालीस दिन की मुद्त होती थी। (अलमोजमुल वसीत:पृ. 639)

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: इस मसले में अबू हुरैरा, जाबिर, अनस और आयशा (رضي الله عنهن) से भी हदीस मव्वी है और सौरी की सनद से यह हदीस हसन सहीह गरीब है।

1700- अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, "मुक्काबला सिर्फ़ तीर, क़ंट और घोड़ों में जाइज़ है।"

सहीह: अबू दाऊद: 2574. इब्ने माजा: 2878. निसाई: 3585, 3587.

23 - घोड़ों पर गधों को छोड़ना मकरुह है.

1701 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अल्लाह के हुक्म के पाबन्द थे। आप ने हमें बाकी लोगों में सिवाए तीन चीज़ों के किसी चीज़ में खालिस नहीं किया: आप ने हमें अच्छी तरह मुकम्मल वुज़ू करने का हुक्म दिया, नीज़ यह कि हम सदका न खाएं और घोड़ी पर गधा न छोड़ें।⁽¹⁾

सहीह: अबू दाऊद: 808. इब्ने माजा: 426. निसाई: 141.

إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَيَبِينُهُمَا سِتَّةُ أَمْيَالٍ، وَمَا لَمْ يُصَمَّرَ مِنَ الْخَيْلِ مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ وَيَبِينُهُمَا مَيْلٌ، وَكَانَتْ فِيْمَنْ أُجْرَى، فَوَثَبَ بِي فَرَسِي جِدَارًا.

1700- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذَيْبٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَضْلِ، أَوْ خُفٍّ، أَوْ خَافِرٍ.

23 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَّةِ أَنْ تُنْزَى

الْحُمُرُ عَلَى الْخَيْلِ

1701 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَهْضَمٍ مُوسَى بْنُ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدًا مَأْمُورًا، مَا اخْتَصَّنَا دُونَ النَّاسِ بِشَيْءٍ إِلَّا بِثَلَاثٍ: أَمَرْنَا أَنْ نُسَبِّحَ الْوُضُوءَ، وَأَنْ لَا نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ، وَأَنْ لَا نُنْزِيَ جِمَارًا عَلَى فَرَسٍ.

तौजीह: (1) घोड़ी और गधे करास (मिलन) से खच्चर पैदा होता है। आप(ﷺ) ने आले रसूल और अहले बैत को इस काम से मना किया है।

वज़ाहत: इस बारे में सय्यदना अली (ﷺ) से भी मर्वी है और यही हदीस हसन सहीह है।

सुफियान सौरी ने अबू जहज़म से इसे रिवायत करते वक़्त उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अब्बास का ज़िक्र किया है। अबू ईसा कहते हैं: मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुखारी से सुना कि सौरी की हदीस ग़ैर महफूज़ है और सहीह हदीस वह है जिसे इस्माईल बिन उलय्या और अब्दुल वारिस बिन सईद ने अबू जहज़म से बवास्ता अब्दुल्लाह बिन उबैदुल्लाह बिन अब्बास, सय्यदना इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत किया है।

24 - मुफ़िलस मुसलमानों के साथ फ़तह तलाब करना.

1702 - सय्यदना अबू दर्दा (ﷺ) रिवायत करते हैं कि मैंने नबी(ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना मुझे कमज़ोर लोगों में तलाश करो तुम्हारे कमज़ोरों की वजह से ही रिजक मिलता है और तुम्हारी मदद की जाती है।

सहीह: अबू दाऊद: 2594. निसाई: 3179.

वज़ाहत: इमाम तिमिजी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

25 - घोड़ों की गर्दनों में घंटियाँ बाँधना मना है.

1703 - सय्यदना अबू हुरैरा (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "फ़रिश्ते उस काफिले के साथ नहीं चलते

24 بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِسْتِفْتَا حِ بِصَعَالِيكِ الْمُسْلِمِينَ

1702 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ابْغُونِي ضَعْفَاءَكُمْ، فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضَعْفَائِكُمْ.

25 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْأَجْرَاسِ عَلَى الْخَيْلِ

1703 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ

जिसमें कुत्ता और घंटी हो।”

मुस्लिम: 2113. अबू दारुद: 2555.

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَصْحَبُ

الْمَلَأَيْكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ وَلَا جَرَسٌ.

वज़ाहत: इमाम तिमिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: इस मसले में उमर, आयशा, उम्मे हबीबा और उम्मे सलमा (رضي الله عنهن) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ यह हदीस हसन सहीह है।

26 - जंग में किसे अमीर बनाया जाए?

1704 - सय्यदना बराअ (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने दो लश्कर खाना किए उन में से एक का अमीर अली बिन अबी तालिब (رضي الله عنه) और दूसरे का खालिद बिन वलीद (رضي الله عنه) को बनाया और आप ने फ़रमाया: “जब लड़ाई हो तो अली (رضي الله عنه) अमीर होंगे।” रावी कहते हैं: अली (رضي الله عنه) ने किला फतह किया तो वहाँ से एक लौंडी ले ली। सय्यदना खालिद बिन वलीद ने मुझे एक देकर नबी (ﷺ) की खिदमत में भेजा जिस में अली (رضي الله عنه) की शिकायत थी, मैं नबी (ﷺ) के पास आया, आप ने खत पढ़ा तो आप का रंग बदल गया, फिर फ़रमाया तुम्हारा उस आदमी के बारे में क्या खयाल है? जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उस से मोहब्बत करते हैं?” रावी कहते हैं: मैंने कहा: मैं अल्लाह के गुस्से और उसके रसूल की नाराज़गी से घनाह माँगता हूँ मैं तो सिर्फ़ कासिद हूँ तो आप (ﷺ) खामोश हो गए।

जईफ़.

वज़ाहत: इमाम तिमिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: इस बारे में इब्ने उमर (رضي الله عنه) से भी मर्वी है और यह हदीस हसन ग़ारीब है। हम अहवस बिन जव्वाब के तरीक से जानते हैं। به سے मुराद चुगली करना है।

26 بَابُ مَا جَاءَ مَنْ يُسْتَعْمَلُ عَلَى الْحَرْبِ

1704 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، قَالَ:

حَدَّثَنَا الْأَخْوَصُ بْنُ الْجَوَابِ أَبُو الْجَوَابِ،

عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي

إِسْحَاقَ، عَنِ الرَّاءِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ جَيْشَيْنِ وَأَمَرَ عَلَى أَحَدِهِمَا

عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَعَلَى الْآخَرَ خَالِدَ بْنَ

الْوَلِيدِ، فَقَالَ: إِذَا كَانَ الْقِتَالُ فَعَلِيٌّ، قَالَ:

فَانْتَحَ عَلِيٌّ حِصْنًا فَأَخَذَ مِنْهُ جَارِيَةً، فَكَتَبَ

مَعِيَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشِي بِهِ، فَقَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَرَأَ الْكِتَابَ، فَتَغَيَّرَ

لَوْنُهُ، ثُمَّ قَالَ: مَا تَرَى فِي رَجُلٍ يُحِبُّ اللَّهَ

وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ، قَالَ: قُلْتُ:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ، وَغَضَبِ رَسُولِهِ،

وَإِنَّمَا أَنَا رَسُولٌ، فَسَكَتَ.

27 - हाकिम (इमाम) का बयान.

1705 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “ख़बरदार! तुम में से हर एक निगरान है और तुममें से हर एक से उसकी रईय्यत (निगरानी) के बारे में पूछा जाएगा। पस हाकिम लोगों पर निगहबान है और उससे निगहबानी के बारे में पूछा जाएगा, आदमी अपने घर वालों का निगहबान है और उससे उसकी निगहबानी के बारे में पूछा जाएगा, औरत अपने शौहर के घर की निगरान है और उससे उसकी निगरानी के बारे में पूछा जाएगा और गुलाम अपने मालिकों के माल में निगरान है उसे उसकी निगरानी के बारे में पूछा जाएगा। याद रखो तुममें से हर एक निगहबान है और उससे उसकी निगहबानी के बारे में सवाल किया जाएगा।

बुखारी: 893. मुस्लिम: 1829. अबू दाऊद: 2928.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: इस मसले में अबू हुरैरा, अनस और अबू मूसा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्बी है और मूसा और अनस (رضي الله عنه) की अहादीस और महफूज़ हैं जबकि इमरान बिन उमर (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

फ़रमाते हैं: इब्राहीम बिन बश्शार अर्रमादी ने इस हदीस को सुफ़ियान बिन उयय्ना से उन्होंने बुरैद बिन अब्दुल्लाह बिन अबी बुर्दा से बवास्ता अबू बुर्दा, सय्यदना अबू मूसा (رضي الله عنه) के ज़रिए नबी (ﷺ) से रिवायत किया है। मुझे यह हदीस मुहम्मद ने इब्राहीम बिन बश्शार अर्रमादी की तरफ़ से बयान की है।

मुहम्मद (अल-बुखारी) फ़रमाते हैं: कई रावियों ने सुफ़ियान से बवास्ता बुरैद बिन अबू बुर्दा के ज़रिए नबी (ﷺ) से मुर्सल रिवायत की है और यह ज़्यादा सहीह है।

इमाम बुखारी फ़रमाते हैं: इस्हाक़ बिन इब्राहीम ने मुआज़ बिन हिशाम से उनके बाप के ज़रिए बवास्ता क़तादा सय्यदना अनस (رضي الله عنه) से रिवायत की है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “बेशक अल्लाह

27 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِمَامِ

1705 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا كُلكُمْ رَاعٍ، وَكُلكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَلَا مِيرَ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلكُمْ رَاعٍ، وَكُلكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

तआला हर निगरान से उसकी रियाया के बारे में पूछेगा” वह मजीद फ़रमाते हैं: यह सनद भी ग़ैर महफूज़ है और सहीह सनद मुआज़ बिन हिशाम अन अबीह अन क़तादा अन अल-हसन अन नबी(ﷺ) मुर्सलन है।

28 - इमाम की इताअत का बयान.

1706 - सय्यदा उम्मे हुसैन अहमसिय्या बयान करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को हज्जतुल विदा में ख़ुल्बा देते हुए सुना आप पर एक चादर थी जिसे आप ने अपनी बगल के नीचे से अपने ऊपर लपेटा हुआ था, फ़रमाती हैं: मैं आप के बाजू की गोशत की तरफ़ देख रही हूँ जो फड़क रहा था आप(ﷺ) ने फ़रमाया : “ऐ लोगो अल्लाह से डरो और तुम पर आज़ा कटा हुआ हब्शी गुलाम भी अमीर बना दिया जाए तो उसकी बात को भी सुनो और इताअत करो जब तक वह तुम्हारे लिए किताबुल्लाह को कायम करे (यानी अल्लाह के हुकम के मुताबिक फैसला करे।)

मुस्लिम: 1298. इब्ने माजा: 2861. निसाई: 4192.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: इस मसले में अबू हुरैरा और इबाज़ बिन सारिया (ﷺ) से भी मर्वी है। यह हदीस हसन सहीह है और उम्मे हुसैन (ﷺ) से कई तुरूक (सनदों) से मर्वी है।

29 - ख़ालिफ़ की नाफ़रमानी करके मख़्रलूक की फर्माबर्दाशी नहीं हो सकती.

1707 - सय्यदना इब्ने उमर (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, अमीर की बात सुनना और मानना आदमी पर

28 بَابُ مَا جَاءَ فِي طَاعَةِ الْإِمَامِ

1706 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْعِزَّارِ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ الْأَحْمَسِيَّةِ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَعَلَيْهِ بَرْدٌ قَدْ التَّفَعَّ بِهِ مِنْ تَحْتِ إِطْهَاءِ، قَالَتْ: فَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى عَضَلَةِ عَضْدِهِ تَرْتَجُّ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ، وَإِنْ أَمَرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدِّعٌ فَاسْمَعُوا لَهُ، وَأَطِيعُوا مَا أَقَامَ لَكُمْ كِتَابَ اللَّهِ.

29 بَابُ مَا جَاءَ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي

مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

1707 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،

वाजिब है ख्वाह वह उसे अच्छा समझे या बुरा, जब तक उसे अल्लाह की नाफरमानी करने का हुक्म नहीं दिया जाता। अगर उसे नाफरमानी वाला काम करने का हुक्म दिया जाए तो उस अमीर की बात सुनना और मानना उस पर नहीं है।

बुखारी: 2955. मुस्लिम: 1839. अबू दाऊद: 2626. इब्ने माजा: 2864.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (रह. फ. स.) फ़रमाते हैं: इस मसले में अली, इमरान बिन हुसैन और हकम बिन अम्र अल-गिफ़ारी (रह. फ. स.) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ यह हदीस हसन सहीह है।

30 - जानवरों को लड़ाणा और उनके चेहरे पर मारना और दाग देना मना है।

1708 - सय्यदना इब्ने अब्बास (रह. फ. स.) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (रह. फ. स.) ने जानवरों की लड़ाई कराने से मना फ़रमाया है।

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 2526.

1709 - सय्यदना मुजाहिद (रह. फ. स.) ख़यान करते हैं कि नबी (रह. फ. स.) ने जानवरों के दर्मियान लड़ाई कराने से मना फ़रमाया है।

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 2526. अबू याला: 2509.

वज़ाहत: इस में इब्ने अब्बास (रह. फ. स.) का ज़िक्र नहीं है और कहा गया है कि यह कतबा की रिवायत से ज़्यादा सहीह है और शरीक ने भी इस हदीस को आमश से बवास्ता मुजाहिद इब्ने अब्बास से और उन्होंने नबी (रह. फ. स.) से ऐसे ही रिवायत की है और इस में अबू यह्या का ज़िक्र नहीं किया।

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ عَلَيْهِ وَلَا طَاعَةَ.

30 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَوَاهِيَةِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ وَالضَّرْبِ وَالْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ

1708 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ قُطَيْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ.

1709 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ.

अबू ईसा कहते हैं: हमें यह हदीस अबू कुरैब ने बवास्ता यह्या बिन आदम, शरीक से रिवायत की है और अबू मुआविया ने भी आमश से बवास्ता मुजाहिद, नबी (ﷺ) से ऐसे ही रिवायत की है।

अबू यह्या अल-क्रतात कूफ़ा के रहने वाले थे उनका नाम ज़ाज़ान था। इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: इस मसले में तल्हा, जाबिर, अबू सईद और एकराश बिन जुऐब (ﷺ) से भी हदीस मवीं है।

31. इसी से मुताल्लिक़ बयान

1710 - सय्यदना जाबिर (ﷺ) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने चेहरे को दागने और मारने से मना किया है।

सहीह: मुस्लिम: 2116. मुसनद अहमद: 3/318. इब्ने ख़ुज़ैमा: 2551.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

31- بَاب

1710 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ وَالضَّرْبِ.

31 - आदमी के बालिग़ होने की उम्र और उसका वज़ीफ़ा कब मुक़र्रर किया जाए?

1711 - सय्यदना इब्ने उमर (ﷺ) रिवायत करते हैं कि मैं 14 साल का था कि मुझे एक लश्कर के लिए रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने पेश किया गया तो आप ने मुझे कुबूल नहीं किया, फिर अगले साल जब 15 साल का था मुझे एक लश्कर के लिए आप (ﷺ) के सामने पेश किया गया तो आप ने मुझे कुबूल कर लिया।

बुख़ारी: 2664. मुस्लिम: 1868. अबू दाऊद: 2957. इब्ने माजा: 2543. निसाई: 3431.

नाफ़े कहते हैं: मैंने यह हदीस उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (ﷺ) को सुनाई तो उन्होंने फ़रमाया, बच्चे और बड़े के दर्मियान यही हद है फिर उन्होंने अपने आमिलों को लिखा कि जिसकी उम्र 15 साल हो

31 بَاب مَا جَاءَ فِي حَدِّ بُلُوغِ الرَّجُلِ وَمَتَى يُفْرَضُ لَهُ

1711 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيرِ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُونُسَ الْأَزْرَقِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: عَرَضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَيْشٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ فَلَمْ يَقْبَلْنِي.

जाए उसका वजीफा मुकर्रर कर दिया जाए।

वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें इब्ने अबी उमर ने वह कहते हैं: हमें सुफ़ियान बिन उययना ने उबैदुल्लाह से इसी मफ़हूम को बयान किया है लेकिन उन्होंने यह कहा कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने फ़रमाया, यह बच्चों को लड़ाई करने वालों के दर्मियान हद है और उन्होंने खुतूत लिख कर वजीफा मुकर्रर करने का भी ज़िक्र नहीं किया।

इमाम तिमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: इस्हाक़ बिन यूसुफ़ की बयान कर्दा हदीस बतरीक सुफ़ियान सौरी हसन सहीह ग़रीब है।

32 - जो शहीद हो जाए और उस पर कर्ज हो

1712 - सय्यदना अबू क़तादा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) सहाबा में खड़े हुए आप ने उनसे ज़िक्र किया कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना और अल्लाह पर ईमान लाना अफज़ल आमाल हैं। एक आदमी खड़ा हो कर कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! आप बताइए कि अगर मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाऊं तो क्या मेरे गुनाह मिटा दिए जायेंगे? अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया, "हाँ अगर तुम अल्लाह के रास्ते में सब्र करते हुए, सवाब का यक़ीन रखते हुए आगे बढ़ते हुए न कि पीठ फेर कर लड़ते हुए शहीद हो जाओ तो" फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: "तुमने क्या कहा था?" उसने कहा: आप बतलाइए कि मैं अगर अल्लाह के रास्ते में शहीद ही जाऊं तो क्या मेरे गुनाह मिटा दिए जायेंगे? आप (ﷺ) ने फ़रमाया: "हाँ, अगर तुम अल्लाह के रास्ते में सब्र करते हुए, सवाब का यक़ीन रखते हुए, आगे बढ़ते हुए न कि पीछे मुड़ते हुए शहीद हो जाओ

32 باب مَا جَاءَ فِيْمَنْ يُسْتَشْهَدُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ

1712 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَامَ فِيهِمْ، فَذَكَرَ لَهُمْ: أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْإِيمَانَ بِاللَّهِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، يُكْفَرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ، إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرٌ مُدْبِرٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ قُلْتَ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَيْكْفَرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

तो तुम्हारे गुनाह मिटा दिए जायेंगे। सिवाए कर्ज़ के जिब्रील ने मुझे यह बात बताई है।”

وَسَلَّمَ: نَعَمْ، وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرٌ مُدْبِرٍ؛ إِلَّا الدَّيْنَ، فَإِنَّ جِبْرِيْلَ قَالَ لِي ذَلِكَ.

सहीह: मुस्लिम: 1885. मुसनद अहमद: 5/297.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: इस मसले में अनस, मुहम्मद बिन जहश और अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है और हदीस हसन सहीह है। जबकि बाज़ (कुछ) ने यह हदीस सईद अल-मक्बुरी से बवास्ता अबू हुरैरा (رضي الله عنه) नबी (ﷺ) से रिवायत की है।

यह्या बिन सईद अंसारी और दीगर मुहद्दीसीन ने ऐसे ही सईद अल-मक्बुरी से बवास्ता अब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा उनके बाप के ज़रिए नबी (ﷺ) से रिवायत की है और यह सईद अल-मक्बुरी की अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से बयान कर्दा हदीस से ज़्यादा सहीह है।

33 - शोहदा की तदफ़ीन का बयान

1713 - सय्यदना हिशाम बिन आमिर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि उहद के दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) से सहाबा के ज़ख्मों की शिकायत की गई तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “गढ़डे खोदो, उन्हें वसीअ (बड़ा) करो, अच्छा बनाओ और तीन आदमियों को एक क़ब्र में दफ़न करो और उनमें से ज़्यादा कुरआन वाले को आगे रखो” रावी कहते हैं: मेरे वालिद भी शहीद हुए थे। उन्हें दो आदमियों के आगे रखा गया।

सहीह: अबू दाऊद: 3215. इब्ने माज़ा: 1560. निसाई: 2011.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: इस बारे में खब्बाब, जाबिर और अनस (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। और यह हदीस हसन सहीह है। जबकि सुफ़ियान सौरी और दीगर मुहद्दीसीन ने इस हदीस को अय्यूब से बवास्ता हुमैद बिन हिलाल, हिशाम बिन आमिर से रिवायत किया है और अबू दहमा का नाम किफ़ा बिन बुहैस या बह्यस है।

33 بَابُ مَا جَاءَ فِي دَفْنِ الشَّهَدَاءِ

1713 - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي الدَّهْمَاءِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ غَامِرٍ قَالَ: شُكِيَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجِرَاحَاتُ يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ: اخْفِرُوا، وَأَوْسِعُوا، وَأَحْسِنُوا، وَادْفِنُوا الْإِثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي قَبْرِ وَاحِدٍ، وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا، فَمَاتَ أَبِي، فَقَدَّمَ بَيْنَ يَدَيَّ رَجُلَيْنِ.

34 - मुशावरत का बयान.

1714 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि बद्र के दिन जब कैदियों को लाया गया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “तुम लोग इन कैदियों के बारे में क्या कहते हो?” फिर इस हदीस में एक लंबा किस्सा बयान किया।

ज़ईफ़: इब्ने अबी शैबा: 12/417. मुसनद अहमद: 1/383. अबू याला: 5178.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: इस बारे में उमर, अबू अय्यूब, अनस और अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है यह हदीस हसन है जबकि अबू उबैदा ने अपने बाप से सिमाए हदीस नहीं किया।

अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से मर्वी है वह फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से बड़ कर अपने साथियों से मशवरा लेने वाला किसी को नहीं देखा।

35 - काफ़िर की लाश का फिदया न लिया जाए.

1715 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मुशिरकीन ने इरादा किया कि मुशिरकों में से एक आदमी की लाश ख़रीद लें तो नबी (ﷺ) ने उसे उनके हाथ बेचने से इनकार क दिया।

ज़ईफ़ुल इस्नाद: मुसनद अहमद: 1/248. बैहकी: 9/133. इब्ने अबी शैबा: 12/419.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे हक़म के तरीक से ही जानते हैं। इसे हज़्जाज बिन अर्तात ने भी हक़म से इसी तरह रिवायत किया है।

अहमद बिन हसन फ़रमाते हैं कि मैंने इमाम अहमद बिन हंबल (رحمته الله) को फ़रमाते हुए सुना कि इब्ने अबी लैला की हदीस से दलील नहीं ली जा सकती।

34 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَشُورَةِ

1714 - حَدَّثَنَا هَذَا، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ وَجِيءَ بِالْأَسَارَى، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَقُولُونَ فِي هَؤُلَاءِ الْأَسَارَى فَذَكَرَ قِصَّةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ طَوِيلَةً.

35 بَابُ مَا جَاءَ لَا تُفَادَى جِيْفَةُ الْأَسِيرِ

1715 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غِيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ الْمُشْرِكِينَ أَرَادُوا أَنْ يَشْتَرُوا جَسَدَ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَأَبَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَهُمْ إِيَّاهُ.

मुहम्मद बिन इस्माईल बुखारी (रह) फ़रमाते हैं: इब्ने अबी लैला सद्क़ रावी है लेकिन उसकी सहीह और ज़ईफ़ रिवायत की पहचान नहीं है जबकि मैं उस से कोई रिवायत नहीं करता।

इब्ने अबी लैला सद्क़ और फकीह रावी है। इसे सिर्फ़ इस्नाद में वहम होता था।

अबू ईसा कहते हैं: हमें नसर बिन अली वह कहते हैं: हमें अब्दुल्लाह बिन दाऊद ने बयान किया है कि सुफ़ियान सौरी फ़रमाते हैं: हमारे फ़ुक़हा इब्ने अबी लैला और अब्दुल्लाह बिन शिबमा हैं।

36 - मैदाने जंग से भागना

1716 - सय्यदना इब्ने उमर (रह) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (रह) ने हमें एक लश्कर में खाना किया तो लोग लड़ाई से भागे, हम मदीना में आकर छिप गए और हमने कहा: हम हलाक हो गए। फिर हमने रसूलुल्लाह (रह) की खिदमत में हाज़िर होकर अज़्र की: ऐ अल्लाह के रसूल (रह)! हम, भाग कर आने वाले हैं, आप (रह) ने फ़रमाया, "बल्कि तुम पलट कर हमला करने वाले हो और मैं भी तुम्हारा गिरोह हूँ।"

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 2647. हुमैदी: 687. मुसनद अहमद: 2/ 23.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (रह) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे यज़ीद बिन अबी ज़ियाद की सनद से ही जानते हैं। **فَحَاصُّ النَّاسِ حَيْضَةً** का मतलब है कि वह लड़ाई से भागे और **بَلْ أَنْتُمْ** : अकार वह शख्स है जो अपने इमाम और गिरोह की तरफ़ भागे ताकि वह उसकी मदद करे वह जंग से भागना नहीं चाहता।

37-शहीद को मैदाने जिहाद में ही दफ़न किया जाए

1717 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रह) रिवायत करते हैं कि जब उहुद का दिन था तो मेरी फूफी मेरे बाप (के जसद (डेथ बाडी))

36 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفِرَارِ مِنَ الرَّحْفِ

1716 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ، فَحَاصَّ النَّاسُ حَيْضَةً، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَاخْتَبَأْنَا بِهَا وَقُلْنَا: هَلَكْنَا، ثُمَّ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَحْنُ الْفِرَارُونَ، قَالَ: بَلْ أَنْتُمْ الْعَكَارُونَ، وَأَنَا فِتْنَتُكُمْ.

37 بَابُ مَا جَاءَ فِي دَفْنِ الْقَتِيلِ فِي مَقْتَلِهِ

1717 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نُبَيْحًا

को लेकर आयीं ताकि उन्हें हमारे कब्रिस्तान में दफन करे तो अल्लाह के रसूल (ﷺ) के मुनादी ने ऐलान किया कि उन शोहदा को उनकी जगहों की तरफ वापस ले जाओ।

सहीह: अबू दाऊद: 3165. इब्ने माजा: 1516.
निसाई: 2004.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और नुबैह सिक़ह रावी हैं।

38 - आने वाले का इस्तिकबाल.

1718 - सय्यदना साइब बिन यज़ीद (رحمته الله عليه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब तबूक से वापस आए तो लोग आपको मिलने सनिय्यतुल विदाअ की तरफ़ निकले, साइब कहते हैं, मैं लड़कपन में था मैं भी लोगों के साथ इस्तिकबाल के लिए निकला।

बुखारी: 3083. अबू दाऊद: 2779.

39 - माले फ़ै का बयान.

1719 - सय्यदना उमर बिन खत्ताब (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं कि बनू नजीर के अमवाल (माल) वह थे जो अल्लाह ने अपने रसूल (ﷺ) को बतौर फ़ै अता किए थे जिन पर मुसलमानों ने घोड़े और ऊँट नहीं दौड़ाए थे और वह खालिस रसूलुल्लाह (ﷺ) के लिए थे और रसूलुल्लाह (ﷺ) अपने घर का सारा खर्च अलाहिदा (अलग) करते फिर जो बच जाता

العَنْزِيَّيْ يَحْدُثُ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمَ أُحُدٍ جَاءَتْ عَمَّتِي بِأَبِي لِتَدْفِنَهُ فِي مَقَابِرِنَا، فَتَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُدُّوا الْقَتْلَى إِلَى مَضَاجِعِهِمْ.

38 بَابُ مَا جَاءَ فِي تَلْقَى الْغَائِبِ إِذَا قَدِمَ

1718 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَبُوكَ خَرَجَ النَّاسُ يَتَلَقُّونَهُ إِلَى ثِيَابَةِ الْوَدَاعِ، قَالَ السَّائِبُ: فَخَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ وَأَنَا غُلَامٌ.

39 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفَيْءِ

1719 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، مِمَّا لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا

वह घोड़ों, अस्लहा की खरीदारी और अल्लाह के रास्ते में तैयारी के लिए सफ़र कर देते।

बुखारी: 2904. मुस्लिम: 1757. अबू दारूद: 2965.
निसाई: 4140.

رِكَابٍ، وَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِصًا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزِلُ نَفَقَةَ أَهْلِهِ سَنَةً، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي الْكُرَاعِ وَالسَّلَاحِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और सुफ़ियान बिन उययना ने इस हदीस को बवास्ता मामर, जोहरी से बयान किया है।

खुलासा

- माज़ूर अफ़राद जिहाद से मुस्तस्ना (अलग) हैं।
- जिहाद के लिए वालिदैन की इजाज़त ज़रूरी है।
- नबी (ﷺ) ने 19 गज़वात किए थे।
- इंडों को इस्तेमाल करना और शिआर मुकरर करना जायज़ है।
- लड़ाई के वक़्त रोज़ा इफ़तार कर देना बेहतर है ताकि जिस्म को तकवियत (मज़बूती) मिल जाए।
- दुश्मन का मुकाबला डट कर किया जाए।
- सुर्ख और सियाह रंग के घोड़े पसंद किए गए हैं।
- घोड़ों का मुकाबला कराना जायज़ है।
- जानवर के गलों में घंटियाँ न बांधी जाएँ क्योंकि उनकी वजह से रहमत के फरिशतों का नुजूल नहीं होता।
- अमीर की इताअत ज़रूरी है।
- हर बन्दा ज़िम्मेदार है और अपनी ज़िम्मेदारी के बारे में उससे पूछा भी जाएगा।
- जानवरों को लड़ाना हराम है।
- शोहदा को मक़तल (शहादत की जगह) में ही दफ़न करना मुस्तहब है।
- मशवरा में खैरो-भलाई है।
- काफ़िर अगर जहन्नम वासिल हो जाए तो उसकी लाश को बेचा न जाए।
- गाजियों का इस्तिकबाल किया जाए।

मज़मून मन्बदर 22.

كِتَابُ اللَّيْبَاسِ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 रसूलुल्लाह(ﷺ) से मर्वी लिबास के अहकामो-मसाइल

तआरुफ़

45 अबताब और 68 अहादीस पर मुशतमिल यह मज़मून इन मसाइल पर मुहीत हैं:

- लिबास में क्या चीज़ हलाल है और क्या हराम ?
- नबी करीम(ﷺ) को कैसा लिबास पसंद था ?
- तस्वीर कशी का क्या हुक्म है ?
- मसनूई बाल लगाना कैसा है ?

1 - रेशम और सोने का इस्तेमाल.

1720 - सय्यदना अबू मूसा अश्अरी (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "रेशम और सोना पहनना मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम और उनकी औरतों के लिए हलाल किया गया है।"

सहीह: निसाई: 5148. तयालिसी: 506. मुसनद अहमद: 4/394.

1 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ

1720 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأَجَلٌ لِإِنَائِهِمْ.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: इस मसले में उमर, अली, उक्रबा बिन आमिर, अनस, उम्मे हानो, हुजैफा, अब्दुल्लाह बिन अम्र, इमरान बिन हुसैन, अब्दुल्लाह बिन जुबैर, जाबिर, अबू रैहाना, इब्ने उमर, बराअ और वासिला बिन अस्क़ा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ अबू मूसा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

1721 - सय्यदना सुवैद बिन गफ़ला (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि उमर (رضي الله عنه) ने जाबिया में खुत्बा देते हुए फ़रमाया, “सूलुल्लाह(رضي الله عنه) ने रेशम का कपड़ा पहनने से मना फ़रमाया सिवाए दो, तीन या चार उँगलियों की जगह के बराबर।

बुखारी: 5828. मुस्लिम: 2069. अबू दाऊद: 4042. इब्ने माजा: 2820. निसाई: 5313.

1721 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ خَطَبَ بِالْحَابِيَةِ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَرِيرِ، إِلَّا مَوْضِعَ أَصْبُعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ.

वज़ाहत: इमाम तिरिमीज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

2 - जंग में रेशम पहनने की इजाज़त है.

1722 - सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) से रिवायत है कि अब्दुरहमान बिन औफ़ और जुबैर बिन अब्बाम (رضي الله عنه) ने एक जंग में नबी(ﷺ) को अपनी जूओं की शिकायत की तो आप(ﷺ) ने उन्हें रेशमी कमीसों की इजाज़त दे दी। रावी कहते हैं: मैंने उन पर वह कमीस देखी थी।

बुखारी: 2920. मुस्लिम: 2076. अबू दाऊद: 4056. इब्ने माजा: 3592. निसाई: 5310.

वज़ाहत: इमाम तिरिमीज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

1723 - सय्यदना वाकिद बिन अग्र बिन साद बिन मुआज़ (رضي الله عنه) से रिवायत है कि अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) हमारे इलाके में आए, मैं उनके पास गया तो उन्होंने फ़रमाया, “तुम कौन हो? मैंने कहा: वाकिद बिन अग्र बिन साद बिन

2 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّحْصَةِ فِي لُبْسِ

الْحَرِيرِ فِي الْحَرْبِ

1722 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ، شَكِيَا الْقَمَلَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ لُهُمَا، فَرُحِّصَ لَهُمَا فِي قُمْصِ الْحَرِيرِ، قَالَ: وَرَأَيْتُهُ عَلَيْهِمَا.

1723 - حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا وَاقِدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، قَالَ: قَدِمَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ: مَنْ أَنْتَ؟

मुआज़ हैं तो वह रो पड़े और कहने लगे: तुम साद जैसे हो और साद (ﷺ) लोगों में अजीम और लम्बे थे, नबी (ﷺ) को एक रेशमी जुब्बा भेजा गया जिसमें सोना बुना हुआ था तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इसे पहना, आप मिम्बर पर चढ़े आप खड़े हुए या बैठे तो लोग इसे छूने लगे और कहने लगे: हम ने आज तक ऐसा कपड़ा नहीं देखा तो आप ने फ़रमाया, "तुम इस से तअजुब करते हो? जन्नत में साद के रूमाल जिसे तुम देख रहे हो" (1) इससे भी अच्छे हैं।"

बुखारी: 2615. मुस्लिम: 2649. निसाई: 5302.

فَقُلْتُ: أَنَا وَقَدْ بُنُ عَمْرُو بْنُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، قَالَ: فَبَكَى، وَقَالَ: إِنَّكَ لَشَبِيهٌ بِسَعْدِ، وَإِنَّ سَعْدًا كَانَ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ وَأَطْوَلِهِمْ، وَإِنَّهُ بُعِثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُبَّةً مِنْ دِيبَاجٍ مَنْسُوجٍ فِيهَا الذَّهَبُ، فَلَبِسَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَقَامَ، أَوْ قَعَدَ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْمِسُونَهَا، فَقَالُوا: مَا رَأَيْنَا كَالْيَوْمِ ثَوْبًا قَطُّ، فَقَالَ: أَتَعْجَبُونَ مِنْ هَذِهِ؟ لَمَنَادِيلُ سَعْدٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا تَرَوْنَ.

तौज़ीह: :: म्नाडिल: म्नाडिल की जमा है और म्नाडिल उस कपड़े के टुकड़े को कहते हैं जिसे हाथ वगैरह साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारे यहाँ जिसे दस्ती या रूमाल कहा जाता है।

वज़ाहत: इस बारे में अस्मा बन्ते अबी बकर (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है और यह हदीस हसन सहीह है।

4 - मर्दों को सुर्ख कपड़े पहनने की इजाज़त है।

1724 - सय्यदना बराअ (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने किसी लम्बे बालों वाले को सुर्ख लिबास में रसूलुल्लाह (ﷺ) से बढ़कर खूबसूरत नहीं देखा, आप के बाल कंधों तक थे, दोनों कन्धों के दरमियान फासिला था न ज़्यादा छोटे थे और न ही ज़्यादा लम्बे थे।

बुखारी: 3551. मुस्लिम: 2337. अबू दाऊद: 4072. इब्ने माजा: 3599. निसाई: 50 60.

4. بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّحْصَةِ فِي الثَّوْبِ الْأَخْمَرِ لِلرِّجَالِ

1724 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَةٍ فِي حَلَةٍ حُمْرَاءَ أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَهُ شَعْرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ، بَعِيدٌ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ لَمْ يَكُنْ بِالْقَصِيرِ وَلَا بِالطَّوِيلِ.

तौज़ीह: **لِمَةً:** उन बालों को कहा जाता है जो कन्धों तक आते हों।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (र.ह.) फ़रमाते हैं: इस मसले में जाबिर बिन समुरा, अबू रिम्सा और अबू जुहैफा (र.ह.) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ यह हदीस हसन सहीह है।

5 - मर्दों को अस्फ़र से रंगे कपड़े पहनना मकरुह (नापसंदीदा) है।

1725 - सय्यदना अली (र.ह.) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (र.ह.) ने क़सी और मुअस्फ़र कपड़े पहनने से मना किया है।

मुस्लिम: 2078. अबू दाऊद: 4044. निसाई: 5165, 5185.

5 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْمُعْصَفِرِ لِلرِّجَالِ

1725 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْقَسِيِّ، وَالْمُعْصَفِرِ.

तौज़ीह: **القَسِيُّ:** बस्ती क़स की निस्बत से उन्हें क़सी कहा जाता है। यह ऐसा कपड़ा था जिसे बनाते वक़्त रूई के साथ रेशम मिलाया जाता। **المُعْصَفِرُ:** अस्फ़र से रंगा हुआ कपड़ा अस्फ़र एक जड़ी बूटी है जिसका फूल नाली नुमा होता है। इस से एक ज़र्द रंग निकाला जाता है जिससे कपड़े वग़ैरह को रंगा जाता है (अल-मोज़मुल वसीत: पृ. 718)

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (र.ह.) फ़रमाते हैं: इस मसले में अनस और अब्दुल्लाह बिन अम्र (र.ह.) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ अली (र.ह.) की हदीस हसन सहीह है।

6 - पोस्तीन पहनना.

1726 - सय्यदना सलमान (र.ह.) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (र.ह.) से घी, पनीर और पोस्तीन (शलवार के नीचे पहने जाने वाले पायजामे वग़ैरह) के बारे में पूछा गया तो आप (र.ह.) ने फ़रमाया, "हलाल वह है जिसे अल्लाह ने अपनी किताब में हलाल किया है

6 بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْفِرَازِ

1726 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَرَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ هَارُونَ الْبُرْجُمِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أَبِي عَثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

और हराम वह जिसे अल्लाह ने अपनी किताब में हराम किया है और जिस से उस ने खामोशी इख्तियार की है उससे तुम्हें उस ने मुआफ़ किया है।

عَنِ السَّنَنِ وَالْبَجْنِ وَالْفِرَاءِ، فَقَالَ: الْخَلَّالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ:

हसन: इब्ने माजा: 3367. हाकिम: 4/ 115. बैहक्की: 10/ 12.

वज़ाहत: इस मसले में मुगीरह (رضي الله عنه) से भी मर्वी है और यह हदीस गरीब है। हम इसे सिर्फ़ इसी सनद से मर्फूअ जानते हैं।

नीज़ सुफ़ियान कौरह ने सुलैमान अत्तैमी से बवास्ता अबू उस्मान, सलमान का कौल बयान किया है। गोया मौकूफ़ हदीस ज़्यादा सहीह है। और मैंने इमाम बुखारी से इस हदीस के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया, “मेरे खयाल में यह महफूज़ नहीं है क्योंकि सुफ़ियान ने सुलैमान अत्तैमी से बवास्ता अबू उस्मान, सलमान का कौल रिवायत किया है। बुखारी फ़रमाते हैं: सैफ बिन हारून मुकारिबुल हदीस जबकि सैफ बिन मुहम्मद जों आसिम से रिवायत करता है वह ज़ाहिबुल हदीस है।

7 - मुर्दाए की खाल को जब रंग दिया जाए.

1727 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं कि एक बकरी मर गई तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने घर वालों से फ़रमाया, “तुम ने इसकी खाल क्यों न उतार ली फिर तुम इसे रंगने के बाद इससे फ़ायदा उठा लेते।”

बुखारी: 1492. अबू दाऊद: 4120. इब्ने माजा: 3609. निसाई: 4241.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: इस मसले में सलमा बिन महबक़, मैमूना और आयशा (رضي الله عنها) से भी हदीस मर्वी है जबकि इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और बवास्ता इब्ने अब्बास कई सनदों से नबी (ﷺ) से मर्वी है।

नीज़ इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से बवास्ता सय्यदा मैमूना (رضي الله عنها) भी नबी (ﷺ) से मर्वी है। इसी तरह सय्यदा सौदा (رضي الله عنها) से भी और मैंने इमाम मुहम्मद (ﷺ) से सुना वह इब्ने अब्बास की नबी (ﷺ) से रिवायत कर्दा हदीस को सहीह कहते थे और इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) की मैमूना (رضي الله عنها) से

7 بَابُ مَا جَاءَ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ

1727 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِيحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: مَا تَشَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَهْلِهَا: أَلَا نَرَعْتُمْ جُلْدَهَا، ثُمَّ دَبِغْتُمُوهَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا.

बयान कर्दा हदीस को भी। नबी (ﷺ) से और फ़रमाते हैं: यह भी हो सकता है कि इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) ने बवास्ता मैमूना (رضی اللہ عنہ) नबी (ﷺ) से रिवायत की हो और इब्ने अब्बास ने बयान करते हुए सय्यदा मैमूना (رضی اللہ عنہ) का ज़िक्र नहीं किया हो।

इमाम तिर्मिजी (رحمۃ اللہ علیہ) फ़रमाते हैं: अक्सर उलमा का इसी पर अमल है। नीज़ सुफ़ियान सौरी, इब्ने मुबारक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمۃ اللہ علیہ) का भी यही कौल है।

1728 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “जिस खाल को रंग दिया जाए यकीनन वह पाक हो जाती है।”

मुस्लिम: 366. अबू दाऊद: 4120. इब्ने माजा: 3609. निसाई: 4241.

1728 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعَلَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيَّمَا إِهَابٍ دُبِعَ فَقَدْ طَهَّرَ.

वज़ाहत: यह हदीस हसन सहीह है और जुम्हूर उलमा इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि मुर्दार की खाल को रंग दिया जाए तो पाक हो जाती है। इमाम तिर्मिजी (رحمۃ اللہ علیہ) बयान करते हैं कि इमाम शाफ़ेई (رحمۃ اللہ علیہ) ने फ़रमाया, “जिस मुर्दार की खाल को भी रंग दिया जाए तो वह पाक हो जाती है सिवाए कुत्ते और खिंजीर की खाल के।

नीज़ नबी (ﷺ) के बाज़ (कुछ) उलमा सहाबा भी दरिन्दों की खाल को मकरूह कहते हैं अगरचे उन्हें रंगा ही हो। अब्दुल्लाह बिन मुबारक अहमद और इस्हाक़ (رحمۃ اللہ علیہ) का भी यही कौल है। यह ऐसी खालों को पहनने और उनमें नमाज़ पढ़ने से सख्ती से रोकते हैं। इस्हाक़ बिन इब्राहीम फ़रमाते हैं: कि नबी (ﷺ) के फ़रमान: “जिस खाल को रंग दिया जाए तो वह पाक हो जाती है।” इससे मुराद उन जानवरों की खाल है जिनका गोश्त खाया जाता है। नज़र बिन शुमैल ने इसकी इसी तरह तफ़सीर की है। और वह फ़रमाते हैं: कि इहाब सिर्फ़ उस जानवर की खाल को कहा जाता है जिसका गोश्त खाया जाता हो। जबकि इब्ने मुबारक, अहमद, इस्हाक़ और हुमैदी (رحمۃ اللہ علیہ) ने भी दरिन्दों की खाल पर नमाज़ पढ़ने को, मकरूह कहा है।

1729 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उकैम (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि हमारे पास रसूलुल्लाह (ﷺ) का ख़त आया कि मुर्दार से नफ़ा न लो, न खाल से और न ही पट्टों से।

सहीह: अबू दाऊद: 4127. इब्ने माजा: 3613. निसाई: 4249, 4251.

1729 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفِ الْكُوفِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، وَالشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ: أَنَا

كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ لَا تَتَّبِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ يَاهَابٍ وَلَا عَصَبٍ.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رحمته) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है और यह हदीस अब्दुल्लाह बिन उकैम (رحمته) अपने बुजुर्गों से भी बयान करते हैं, जबकि जुम्हूर उलमा के नज़दीक इस पर अमल नहीं है। नीज़ अब्दुल्लाह बिन उकैम (رحمته) से यह हदीस भी मर्वी है कि हमारे पास नबी (ﷺ) का ख़त आप की वफ़ात से दो महीना पहले आया था।

अहमद बिन हसन फ़रमाते हैं: अहमद बिन हंबल इस हदीस की तरफ़ इसलिए गए थे कि इस में यह ज़िक्र है कि आप (ﷺ) की वफ़ात से दो माह पहले ख़त गया था। वह फ़रमाया करते थे कि नबी (ﷺ) का आखिर वाला हुक्म है। फिर जब मुहद्दीसीन ने इस हदीस की सनद में इज़्तिराब बयान किया तो इमाम अहमद बिन हंबल (رحمته) ने भी इसे छोड़ दिया क्योंकि बाज़ (कुछ) इसकी इस्नाद इस तरह बयान करते हैं अब्दुल्लाह बिन उकैम (رحمته) अपने जुहैना के बुजुर्गों से बयान करते हैं।

8- तहबन्द को टखनों से नीचे लटकाना मना है

1730 - सख्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (رحمته) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “क़यामत के दिन अल्लाह उस आदमी की तरफ़ नहीं देखेगा जो तक़बुर के साथ अपनी तहबन्द को (टखनों से नीचे) लटकाता है।”

बुख़ारी: 3665. मुस्लिम: 2085. इब्ने माजा: 3569. निसाई: 5336, 5338.

8 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ جَرِّ الْإِزَارِ

1730 - حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، كُلُّهُمْ يُخْبِرُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رحمته) फ़रमाते हैं: इस मसले में हुज़ैफा, अबू सईद, अबू हुरैरा, समुरा, अबू ज़र, आयशा और हबीब बिन मुग़फ़़ल (رحمته) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ इब्ने उमर (رحمته) की हदीस हसन सहीह है।

9 - औरतों का कपड़ों के दामन को लटकाना.

1731 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "जिसने तकब्बुर के साथ अपना कपड़ा (टखनों से नीचे) लटकाया अल्लाह तआला क़यामत के दिन उसकी तरफ़ नहीं देखेगा।" तो उम्मे सलमा (رضي الله عنها) ने कहा: औरतें अपने कपड़ों के दामनों⁽¹⁾ का क्या करें? आप (ﷺ) ने फ़रमाया: "वह एक बालिशत लटका लें". कहने लगीं: इससे तो उनके पाँव नंगे होंगे। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, "फिर एक ज़िरा (लगभग 64 सेंटी मीटर) लटका लें इस से ज़्यादा न करे।"⁽²⁾

निसाई: 5336. मुसनद अहमद: 2/5. मुस्लिम: 6/146.
इब्ने माजा: 3569.

तौज़ीह: (1) **ذِيُول** इसकी वाहिद **ذِيل** आती है जिसका मानी होता है चीज़ का आखिरी हिस्सा और कपड़े के दामन को भी **ذِيل** कहते हैं। (अल-मोजमुल वसीत:पृ. 375)

(2) क्योंकि इसका मकसद सिर्फ़ क़दमों को ढांपना है अपना बनाव सिंगार दिखाना या इतराना नहीं। इस हदीस से लम्बे दामनों वाले गरारे पहनने की मुमानअत(मनाही) साबित होती है जैसा कि आज के पुर फ़ितन दौर में औरतें माडलिंग वग़ैरह में कई कई गज़ लम्बे दामन छोड़ कर चलती हैं।

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और हदीस में औरतों को कपड़ा लटकाने की रूख़सत है क्योंकि यह उनके लिए पर्दे का बाइस है।

1732 - उम्मे हसन (رضي الله عنها) बयान करती है कि सय्यदा उम्मे सलमा (رضي الله عنها) ने उन्हें बताया कि नबी (ﷺ) ने फातिमा (رضي الله عنها) के लिए उनके निताक को एक बालिशत मापा।

9 بَابُ مَا جَاءَ فِي جَزِّ ذِيُولِ النِّسَاءِ

1731 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ جَزَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذِيُولِهِنَّ؟ قَالَ: يَرَّخِينَ شِبْرًا، فَقَالَتْ: إِذَا تَنَكَّشِفُ أَقْدَامُهُنَّ، قَالَ: فَيَرَّخِيْنَهُ ذِرَاعًا، لَا يَرِدُنَّ عَلَيْهِ.

1732 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أُمِّ الْحَسَنِ، أَنَّ أُمَّ

सहीह: अस-सिलसिला अस-सहीहा: 1864. मुसनद
अहमद: 6/299.

سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُمْ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ شَبَّرَ لِفَاطِمَةَ شَبْرًا مِنْ نِطَاقِهَا.

तौज़ीह: نِطَاق: कमर पर बांधी जाने वाली पट्टी, वह पट्टा जिसे काम करने वाली औरत काम करते वक़्त चुस्ती के लिए अपनी कमर पर बांधती है। (अल-मोजमुल वसीत:पृ. 1132)

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (रज़ि) फ़रमाते हैं: बाज़ (कुछ) ने इसे हम्माद बिन सलमा से बवास्ता अली बिन ज़ैद हसन से उन्होंने अपनी वालिदा के ज़रिए सय्यदा उम्मे सलमा (रज़ि) से रिवायत किया है।

10 - ऊन का लिबास पहनना.

1733 - अबू बुर्दा (रज़ि) बयान करते हैं कि आयशा (रज़ि) ने एक मोटी चादर और एक मोटी तहबन्द निकाली (और) फ़रमाने लगीं: रसूलुल्लाह (रज़ि) की वफ़ात इन दो कपड़ों में हुई थी।

बुखारी: 3108. मुस्लिम: 2080. अबू दाऊद: 4036.
इब्ने माजा: 3551.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (रज़ि) फ़रमाते हैं: इस मसले में अली और इब्ने मसऊद (रज़ि) से भी हदीस मर्वी है और आयशा (रज़ि) की यह हदीस हसन सहीह है।

1734 - सय्यदना इब्ने मसऊद (रज़ि) से रिवायत है कि नबी (रज़ि) ने फ़रमाया, "जिस दिन मूसा (अलैहि) से उनके रब ने क़लाम किया तो उन पर ऊनी चादर, जुब्बा, ऊनी टोपी और ऊनी शलवार थी और उनके जूते मुर्दा गधे के चमड़े के थे।"

ज़ईफ़: जिद्दा: अबू याला: 4983.

10 بَابُ مَا جَاءَ فِي نَبَسِ الصُّوفِ

1733 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَبِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي بَرْدَةَ، قَالَ: أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ كِسَاءً مَلْبَدًا، وَإِزَارًا غَلِيظًا، فَقَالَتْ: قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَيْنِ.

1734 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ حُمَيْدِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانَ عَلَى مُوسَى يَوْمَ كَلَّمَهُ رَبُّهُ كِسَاءً صُوفٍ، وَجِبَّةً صُوفٍ، وَكُمَّةً صُوفٍ، وَسَرَاوِيلَ صُوفٍ، وَكَانَتْ نَعْلَاهُ مِنْ جِلْدِ جِمَارٍ مَيِّتٍ.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (रज़ि) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे हुमैद आरज के तरीक़ से जानते

हैं और हुमैद बिन अली आरज के बारे में मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुखारी से सुना कि हुमैद बिन अली आरज मुन्करूल हदीस है।

जबकि हुमैद बिन कैस आरज मक्का के रहने वाले, मुजाहिद के शागिर्द और सिक्रह रावी हैं। नीज़ क्मَّة छोटी टोपी को कहते हैं।

11 - सियाह पगड़ी का बयान.

1735 - सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) फ़तहे मक्का के दिन मक्का में दाखिल हुए तो आप (ﷺ) के सर पर सियाह पगड़ी थी।

मुस्लिम: 1358. अबू दारुद: 4076. इब्ने माजा: 2822. निसाई: 2869.

वज़ाहत: इस बारे में अली, अम्र बिन हुरैस, इब्ने अब्बास और रूकाना (رضي الله عنه) से भी हदीस मव्वी है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: जाबिर (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

12 - अमामा को दोनों कन्धों के दर्मियान लटकाना.

1736 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) जब अमामा बांधते तो अमामा का किनारा अपने कन्धों के दर्मियान छोड़ देते।

सहीह: शमाइल: 117. इब्ने साद: 1/456. इब्ने हिब्बान:6397.

11 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعِمَامَةِ السُّودَاءِ

1735 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءٌ.

12 بَابُ فِي سَدْلِ الْعِمَامَةِ بَيْنَ الْكَتِفَيْنِ

1736 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اعْتَمَ سَدَلَ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْدِلُ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: وَرَأَيْتُ الْقَاسِمَ، وَسَالَمًا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ.

नाफ़े कहते हैं: इब्ने उमर (رضي الله عنه) भी अपने अमामे के किनारे को कन्धों के दरमियान लटकाते थे, अब्दुल्लाह कहते हैं मैंने कासिम और सालिम (رضي الله عنه) को भी यही करते देखा।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है और इस बारे में अली (رضي الله عنه) से भी मर्वी है लेकिन अली (رضي الله عنه) की हदीस की सनद सहीह नहीं है।

13 - सोने की अंगूठी (मर्दों के लिए) मना है।

1737 - सय्यदना अली (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे सोने की अंगूठी, रेशमी लिबास पहनने, रुकू और सज्दों में कुरआन पढ़ने और अस्फ़र से रंगे हुए कपड़े पहनने से मना किया था।

मुस्लिम: 480. अबू दाऊद: 4044. निसाई: 1040. 1044.

13 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَوَاهِيَةِ خَاتَمِ الذَّهَبِ

1737 - حَدَّثَنَا سَلْمَةُ بْنُ شَيْبٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَعَبْدُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُثَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: نَهَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّخْتُمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنْ لِبَاسِ الْقَسِيِّ، وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَعَنْ لِبَاسِ الْمُعْصَفْرِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

1738 - सय्यदना इमरान बिन हुसैन (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सोने की अंगूठी पहनने से मना फ़रमाया है।

सहीह: निसाई: 5187. मुसनद अहमद: 4/427. तयालिसी: 843.

1738 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَمَادٍ الْمَعْنِيُّ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ حَدَّثَنَا أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّخْتُمِ بِالذَّهَبِ.

वज़ाहत: इस मसले में अली, इब्ने उमर, अबू हुरैरा और मुआविया (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: इमरान बिन हुसैन (رضي الله عنه) की हदीस हसन है और अबू तय्याह का नाम यज़ीद बिन हुमैद था।

14 - चांदी की अंगूठी.

1739 - सय्यदना अनस (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) की अंगूठी चांदी की थी और उसका नगीना हब्शा⁽¹⁾ का था।

मुस्लिम: 2094. अबू दाऊद: 4216. इब्ने माजा: 3641. निसाई: 5196.

(1) अगली हदीस में आ रहा है कि आप (ﷺ) की अंगूठी का नगीना भी चांदी का था। हो सकता है कि वह चांदी का ही हो और इसे हब्शा के नगीनों के तर्ज पर बनाया गया हो या इसे बनाने वाला हब्शा का रहने वाला हो।

वज़ाहत: इस बारे में इब्ने उमर और बुरैदा (رضی اللہ عنہ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिजी (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है।

15 - अंगूठी के लिए कैसा नगीना पसंद किया गया है.

1740 - सय्यदना अनस (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की अंगूठी चांदी की थी और उसका नगीना भी उसी चांदी से बना हुआ था।

बुखारी: 5870. अबू दाऊद: 4217. निसाई: 5198, 5200.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है।

16 - अंगूठी दायें हाथ में पहनी जाए.

1741 - सय्यदना इब्ने उमर (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने सोने की अंगूठी बनवाकर उसे अपने दायें हाथ की उंगली में

14 - بَابُ مَا جَاءَ فِي خَاتَمِ الْفِضَّةِ

1739 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهَبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ خَاتَمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَرَقٍ، وَكَانَ فِضَّةً حَبَشِيًّا.

15 - بَابُ مَا جَاءَ مَا يُسْتَحَبُّ فِي فِضِّ الْخَاتَمِ

1740 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ الطَّنَافِيسِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ خَاتَمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِضَّةٍ فِضَّةً مِنْهُ.

16 - بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْخَاتَمِ فِي الْيَمِينِ

1741 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْمُخَارِبِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ

पहना फिर मिम्बर पर बैठे तो फ़रमाया, “बेशक मैंने इस अंगूठी को दायें हाथ में पहना है।” फिर आप ने वह फ़ेंक दी और लोगों ने भी अपनी अंगूठियाँ फ़ेंक दीं

बुखारी: 5866. मुस्लिम: 2091. निसाई: 5146.

वज़ाहत: इस बारे में अली, जाबिर, अब्दुल्लाह बिन जाफ़र, इब्ने अब्बास, आयशा और अनस (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और यह हदीस बवास्ता नाफ़े इब्ने उमर (رضي الله عنه) से एक और सनद के साथ भी मर्वी है लेकिन इस में अंगूठी को दायें हाथ में पहनने का ज़िक्र नहीं किया।

1742 - सल्लत बिन अब्दुल्लाह बिन नौफल (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैंने इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) को देखा वह अपने दायें हाथ की उंगली में अंगूठी पहनते थे और मेरे ख़याल में उन्होंने यही फ़रमाया था कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा आप अपने दायें हाथ की उंगली में ही अंगूठी पहनते थे।

हसन: सहीह: अबू दारूद: 4229. शमाइल: 100.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: कि इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल बुखारी ने फ़रमाया, “मुहम्मद बिन इस्हाक़ की सल्लत बिन अब्दुल्लाह बिन नौफल से रिवायतकर्दा हदीस हसन सहीह है।

1743 - जाफ़र बिन मुहम्मद अपने बाप से रिवायत करते हैं कि हसन और हुसैन (رضي الله عنه) दोनों अपने बाएं हाथों की उँगलियों में अंगूठी पहना करते थे।

सहीह: अब्दुरज़ाक़: 1363.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَتَخَتَّمَ بِهِ فِي يَمِينِهِ، ثُمَّ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ اتَّخَذْتُ هَذَا الْخَاتَمَ فِي يَمِينِي، ثُمَّ نَبَذَهُ، وَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ.

1742 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ الصَّلْتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَوْفَلٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ وَلَا إِخَالَهُ إِلَّا قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ.

1743 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ، وَالْحُسَيْنُ يَتَخَتَّمَانِ فِي يَسَارِهِمَا.

1744 - हम्माद बिन सलमा (رضي الله عنه) कहते हैं, मैंने इब्ने अबी राफ़ेअ को (यह अब्दुल्लाह बिन अबू राफ़ेअ हैं। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इन्हें (अबू राफ़ेअ) को आज्ञाद किया था और अबू राफ़ेअ का नाम असलम था देखा वह अपने दायें हाथ की उंगली में अंगूठी पहनते थे। मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया, मैंने अब्दुल्लाह बिन जाफ़र को देखा वह भी अपने दायें हाथ में अंगूठी पहनते थे।

सहीह: इब्ने माजा: 3647. निसाई: 5204. मुसनद अहमद: 1/204. इब्ने साद: 1/477

वज़ाहत: मुहम्मद बिन इस्माईल बुखारी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: इस मसले में नबी (ﷺ) से रिवायत शुदा अहादीस में से सब से ज़्यादा सहीह हदीस यही है।

17 - अंगूठी के नक्श का बयान

1745 - सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने चांदी की अंगूठी बनवाई तो उसमें " مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ " नक्श करवाया, फिर फ़रमाया, "तुम ऐसे अल्फ़ाज़ का नक्श न बनवाना।"

बुखारी: 65. मुस्लिम: 2092.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह हसन है और तुम ऐसा नक्श न बनाना का मतलब है कि कोई आदमी अपनी अंगूठी पर " مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ " नक्श न करवाए।

1746 - सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब बैतूल खला में जाते तो अपनी अंगूठी उतार लेते थे।

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 19. इब्ने माजा: 303. निसाई: 5213.

1744 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَيْبَعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي رَافِعٍ يَتَخْتَمُ فِي يَمِينِهِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ يَتَخْتَمُ فِي يَمِينِهِ، وَقَالَ: عَبْدَ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخْتَمُ فِي يَمِينِهِ

17 بَابُ مَا جَاءَ فِي نَقْشِ الْحَاتِمِ

1745 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ خَاتَمًا مِنْ وَرَقٍ، فَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: لَا تَنْقُشُوا عَلَيْهِ.

1746 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، وَالْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ

الرُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ نَزَعَ خَاتَمَهُ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है।

1747 - सय्यदना अनस बिन मालिक (رحمته الله) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) की अंगूठी का नक्श तीन सत्रों में था: مُحَمَّدٌ एक सत्र में दूसरी सत्र में اللهُ तीसरी सत्र में।

बुखारी: 3106. शमाइल: 91. इब्ने अबी शैबा: 8/463.

1747 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَمَّدٌ سَطْرٌ، وَرَسُولُ سَطْرٌ، وَاللَّهُ سَطْرٌ.

1748 - सय्यदना अनस बिन मालिक (رحمته الله) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) की अंगूठी का नक्श तीन सत्रों में था: مُحَمَّدٌ एक सत्र में दूसरी सत्र में اللهُ तीसरी सत्र में। जबकि मुहम्मद बिन यह्य्या ने अपनी हदीस में तीन सत्रों का ज़िक्र नहीं किया।

बुखारी: 3106

1748 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ: مُحَمَّدٌ سَطْرٌ، وَرَسُولُ سَطْرٌ، وَاللَّهُ سَطْرٌ، وَلَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ: ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने उमर (رحمته الله) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: अनस बिन मालिक (رحمته الله) की हदीस हसन सहीह ग़रीब है।

18 - तसावीर का बयान.

1749 - सय्यदना जाबिर (رحمته الله) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने घर में तस्वीर लगाने से मना किया और आप ने इसे बनाने से भी मना किया है।

18 بَابُ مَا جَاءَ فِي الصُّورَةِ

1749 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ

सहीह: मुसनद अहमद: 3/335. अबू याला: 2244.

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصُّورَةِ فِي
الْبَيْتِ، وَنَهَى عَنْ أَنْ يُصْنَعَ ذَلِكَ.

वज़ाहत: इस मसले में अली, आयशा, अबू हुरैरा, और अय्यूब (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: जाबिर (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

1750 - अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उत्बा से रिवायत है कि वह अबू तल्हा अंसारी (رضي الله عنه) की इयादत के लिए गए तो वहाँ सहल बिन हुनैफ़ (رضي الله عنه) को भी पाया। रावी कहते हैं अबू तल्हा ने एक आदमी को बुलाया वह उनके नीचे से चादर निकाले तो सहल ने उन से कहा किस लिए निकालते हो? उन्होंने फ़रमाया, क्योंकि इस में तसावीर हैं और इनके बारे में नबी (ﷺ) ने जो फ़रमाया है वह आप जानते हैं। सहल ने कहा: क्या आप ने यह नहीं फ़रमाया, "सिवाए उनके जो कपड़े में निशानात की सूत में हो" उन्होंने कहा: क्यों नहीं! लेकिन मुझे यह काम अच्छा लगता है।

सहीह: निसाई: 3549. मुसनद अहमद: 3/486. इब्ने हिब्बान: 5851.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

1750 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى
الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا
مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي طَلْحَةَ
الْأَنْصَارِيِّ يَعُودُهُ، قَالَ: فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ سَهْلَ
بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ: فَدَعَا أَبُو طَلْحَةَ إِنْسَانًا يَتْرَعُ
نَهْطًا تَحْتَهُ، فَقَالَ لَهُ سَهْلٌ: لِمَ تَتْرَعُهُ؟ فَقَالَ:
لَأَنَّ فِيهِ تَصَاوِيرَ، وَقَدْ قَالَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدْ عَلِمْتُ، قَالَ سَهْلٌ:
أَوْلَمْ يَقُلْ إِلَّا مَا كَانَ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ، فَقَالَ:
بَلَى، وَلَكِنَّهُ أَطِيبُ لِنَفْسِي.

19 - तस्वीर बनाने वाले.

1751 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "जिसने कोई तस्वीर बनाई अल्लाह तआला उसे अज़ाब देगा, यहाँ तक कि वह इस में रूह फूँके, जब कि वह इस में रूह फूँक नहीं सकता और जो शख्स किसी कौम की बातों को कान

19 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُصَوِّرِينَ

1751 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ
زَيْدٍ، عَنْ أَبِي ثَوْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: مَنْ صَوَّرَ صُورَةَ عَدُوِّهِ اللَّهُ حَتَّى يَنْفَخَ

लगा कर सुनता है जब कि वह उस से भागते हों तो क़यामत के दिन उसके कानों में सीसा पिघला कर डाला जाएगा। ”

बुखारी: 2225. मुस्लिम: 2110. अबू दाऊद: 2524. निसाई: 5359, 5358.

वज़ाहत: इस बारे में अब्दुल्लाह बिन मसऊद, अबू हुरैरा, अबू जुहैफ़ा, आयशा और इब्ने उमर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिजी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

20 - बालों को रंगना.

1752 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “बुढापे के सफ़ेद बालों के रंग को बदल दो और यहूदियों से मुशाबहत न करो। ”

बुखारी: 3462. मुस्लिम: 2103. अबू दाऊद: 4203. इब्ने माजा: 3621. निसाई: 5069.

वज़ाहत: इस मसले में जुबैर, इब्ने अब्बास, जाबिर, अबू ज़र, अनस, अबू रिम्सा, जहदमा, अबू तुफ़ैल, जाबिर बिन समुरा, अबू जुहैफ़ा और इब्ने उमर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

1753 - सय्यदना अबू ज़र (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “बेहतरिन चीज़ जिस से बुढापे के सफ़ेद बालों को बदला जा सकता है वह मेहंदी और क़त्तम⁽¹⁾ है। ”

सहीह: अबू दाऊद: 4205. इब्ने माजा: 3622. निसाई: 5077.

तौज़ीह: **الكتم:** आस की तरह शादाब दरख़्त होता है, यह अफ़्रीका और मोतदिल आबो हवा वाले गर्म पहाड़ी इलाकों में उगता है। इसका फल मिर्च के मुशाबेह है इसे फिलिफ़िल अल-क़रूद भी कहते हैं। क़दीम (पुराने) ज़माने में खिज़ाब और रोशनाई के तौर पर इस्तेमाल होता था। नीज़ नील भी इसी से तैयार किया जाता था। (अल-मोज़मुल वसीत: पृ. 938)

فِيهَا، يَغْنِي الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِعٍ فِيهَا، وَمَنْ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ يَقْرُونَ مِنْهُ صَبَّ فِي أُذُنِهِ الْإِثْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

20 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخِضَابِ

1752 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَيِّرُوا الشَّيْبَ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ.

1753 - حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيذَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرَ بِهِ الشَّيْبُ الْحِنَاءُ وَالْكَتَمُ.

इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और अबू अस्वद दैली का नाम जालिम बिन अम्र बिन सुफ्रियान है।

21 - लम्बे बाल रखना.

1754 - सय्यदना अनस (رحمته الله) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) दमियानि क़द ख़ूबसूरत जिस्म वाले थे, न लम्बे न छोटे, गंदुमी रंग था, और आप के बाल ज़्यादा घुंघरियाले और न बिलकुल ही सीधे थे जब आप चलते तो पैर उठा कर चलते।

बुखारी: 5347. मुस्लिम: 2347. अबू दारुद: 4863. इब्ने माजा: 3634. निसाई: 5053.

वज़ाहत: इस बारे में आयशा, बराअ, अबू हुरैरा, इब्ने अब्बास, अबू सईद, जाबिर, वाइल बिन हुज़्र और उम्मे हानी (رضي الله عنها) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: अनस (رحمته الله) की हदीस हुमैद की इस सनद के साथ हसन सहीह ग़रीब है।

1755 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि मैं और रसूलुल्लाह (ﷺ) एक ही बर्तन से गुस्ल करते थे और आपके बाल जुम्मा से ऊपर और वफ़्रा से नीचे थे।⁽¹⁾

बुखारी: 250. मुस्लिम: 319. अबू दारुद: 77. इब्ने माजा: 376. निसाई: 231.

तौज़ीह: वह ज़म्मे वह बाल हैं जो कन्धों तक हों और वफ़रे वह बाल हैं जो कानों की लौ तक पहुँचते हों और हदीस का मतलब है वफ़रे से लम्बे और ज़म्मे से छोटे थे।

वज़ाहत: इस सनद के साथ यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है।

इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: कई सनदों से मर्वी है कि आयशा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं: मैं और रसूलुल्लाह (ﷺ) एक ही बर्तन में गुस्ल किया करते थे लेकिन इन रिवायात में यह अल्फ़ाज़ नहीं हैं कि

21 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجُمَةِ وَاتِّخَاذِ الشَّعْرِ

1754 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَعَةً لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ، حَسَنَ الْجِسْمِ، أَسَمَرَ اللَّوْنِ، وَكَانَ شَعْرُهُ لَيْسَ بِجَعْدٍ وَلَا سَبْطٍ، إِذَا مَشَى يَتَكَفَأُ

1755 - حَدَّثَنَا هَنَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَعْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَكَانَ لَهُ شَعْرٌ فَوْقَ الْجُمَةِ وَدُونَ الْوَفْرَةِ.

आप के बाल ज़मे से ऊपर और वफ़रे से नीचे थे इसे अब्दुरहमान बिन अबी जिनाद ने ही जिक्र किया है और वह सिक्रह और हाफ़िज़ हैं। मालिक बिन अनस भी उन्हें सिक्रह कहते थे और उनकी तरफ़ से रिवायात लिखने का हुक्म देते थे।

22 - रोजाना कंधी करना मना है।

1756 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़फ़ल (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कंधी करने से मना किया मगर नागे के साथ।

सहीह: अबू दाऊद: 4159. निसाई: 5055.

वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने यहया बिन सईद से बवास्ता हिशाम, हसन से इस सनद के साथ ऐसे ही रिवायत की है।

इमाम तिमिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ इस मसले में अनस (رضي الله عنه) से भी मर्वी है।

23 - सुरमा लगाना

1757 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, "इस्मिद सुर्मा लगाओ, यह नज़र को तेज़ करता और बालों को उगाता है।" और रावी ने गुमान किया नबी (ﷺ) की एक सुर्मादानी थी जिससे आप हर रात सुर्मा लगाते थे तीन सलाइयां इस आँख में और तीन सलाइयां उस आँख में।

ع ز के अलावा बाकी सहीह है. अबू दाऊद: 3878. इब्ने माजा: 3497. निसाई: 5113.

वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें अली बिन हुज़्र और मुहम्मद बिन यहया ने वह दोनों कहते हैं: यज़ीद बिन हारुन ने उबादा बिन मंसूर से ऐसे ही रिवायत की है। नीज़ इस बारे में जाबिर और अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से भी मर्वी है।

22 بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّرْجُلِ، إِلَّا غَبًّا

1756 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَامِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَغْفَلٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّرْجُلِ إِلَّا غَبًّا.

23 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِكْتِحَالِ

1757 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اكْتَحِلُوا بِالْإِسْمِثِ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ، وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَهُ مَكْحَلَةٌ يَكْتَحِلُ بِهَا كُلَّ لَيْلَةٍ ثَلَاثَةً فِي هَذِهِ، وَثَلَاثَةً فِي هَذِهِ.

इमाम तिर्मिजी (रह) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (रह) की हदीस हसन सहीह ग़रीब है। इन अल्फ़ाज़ के साथ हम इसे उबादा बिन मंसूर की हदीस से जानते हैं।

नीज़ कई सनदों से मर्वी है कि नबी (रह) ने फ़रमाया, “इस्मिद को लाजिम पकड़ो यह नज़र को तेज़ करता है और पलकों के बाल उगाता है।”

24 - इस्तिमाले सम्मा और एक कपड़े में अपने आप को लपेटना मना है।

1758 - सय्यदना अबू हुरैरा (रह) से रिवायत है कि नबी (रह) ने दो पहनाओं से मना फ़रमाया, “एक सम्मा से⁽¹⁾ और दूसरा यह कि आदमी अपने कपड़े को घुटनों के गिर्द बाँध ले और उसकी शर्मगाह पर कोई चीज़ न हो।

बुखारी: 368. इब्ने माजा: 3560.

तौज़ीह: **الصَّمَاءُ** : यह है कि कोई बड़ी चादर कन्धों पर डाल कर दायाँ कोना बायें शाने और बायाँ किनारा दायें शाने पर डाल दे। बाज़ (कुछ) ने यह भी कहा है कि दोनों किनारे एक कंधे के ऊपर फ़ेंक ले और बाकी ज़िस्म मस्तूर (पर्दा) न हो सके।

इमाम तिर्मिजी (रह) फ़रमाते हैं: इस मसले में अली, इब्ने उमर, आयशा, अबू सईद, जाबिर और अबू उमामा (रह) से भी हदीस मर्वी है और अबू हुरैरा (रह) की हदीस इस सनद से हसन सहीह ग़रीब है।

25 - मस्नूई बाल लगवाने वाली औरत।

1759 - सय्यदना इब्ने उमर (रह) से रिवायत है कि नबी (रह) ने फ़रमाया, “अल्लाह तआला ने बालों के साथ बाल मिलाने वाली, मिलाने का हुक्म देने वाली, सुर्मा गोदने वाली और गुदवाने वाली औरत पर लानत की है। नाफ़े कहते हैं: वश्म मसूड़ों में होता है।

बुखारी: 5937. मुस्लिम: 2124. अबू दाऊद: 4168. इब्ने माजा: 1987. निसाई: 5095

24 بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ اسْتِمَالِ الصَّمَاءِ، وَالِاخْتِيَاءِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

1758 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الإسْكَندَرَانِيُّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ لَيْسَتَيْنِ: الصَّمَاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ بِثَوْبِهِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

25 - بَابُ مَا جَاءَ فِي مَوَاصِلَةِ الشَّعْرِ

1759 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَأَشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ قَالَ نَافِعٌ: الْوَشْمُ فِي اللَّثَةِ.

तौज़ीह: الواشمة : चेहरे को सुई वगैरह से गोद कर उस में नील या सुर्मा वगैरह भरना ताकि चेहरा खूबसूरत लगे ऐसा करने वाली औरत को वाशिमा (الواشمة) कहते हैं।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ इस मसले में इब्ने मसऊद, आयशा, अस्मा बिनते अबी बकर, माकिल बिन यसार, इब्ने अब्बास और मुआविया (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

26 - जीन पोश का बयान.

1760 - सय्यदना बराअ बिन आज़िब (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जीन पोश से मना फ़रमाया है।

बुखारी: 5849. मुस्लिम: 2066. इब्ने माजा: 5309.
निसाई: 1939.

तौज़ीह: مَيَاثِر: मिथरा की जमा है ऊनी या ऊन वगैरह से भरी हुई गद्दी जो घोड़े या ऊँट की सवारी करने वाला अपने नीचे रखे ताकि जगह नर्म रहे। यह मुमानअत रेशम या दरिदों के चमड़ों से बनी हुई जीन पोश के साथ है।

वज़ाहत: इस मसले में अली और मुआविया (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। और बराअ (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। नीज़ शोबा ने भी अशअस बिन अबी शासा से ऐसे ही रिवायत की है। और इस हदीस में एक क्रिस्सा भी है।

27 - नबी (ﷺ) का बिस्तर.

1761 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का वह बिस्तर जिस पर आप सोते थे चमड़े का था, उसमें ख़ुजूर के पत्ते भरे हुए थे।

बुखारी: 4656. मुस्लिम: 2082. अबू दाऊद: 4146.
इब्ने माजा: 4151.

26 بَابُ مَا جَاءَ فِي رُكُوبِ الْمَيَاثِرِ

1760 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُؤَيْدِ بْنِ مِقْرَنٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ رُكُوبِ الْمَيَاثِرِ.

27 بَابُ مَا جَاءَ فِي فِرَاشِ النَّبِيِّ ﷺ

1761 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّمَا كَانَ فِرَاشُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَنَامُ عَلَيْهِ أَدَمَ، حَشْوُهُ لَيْفٌ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ इस बारे में हफ़सा और जाबिर (رحمته الله) से भी हदीस मर्वी है।

28 - कमीसों का बयान.

1762 - सय्यदा उम्मे सलमा (رحمته الله) रिवायत करती है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को सबसे ज़्यादा पसंदीदा कपड़ा कुर्ता था।

सहीह: अबू दाऊद: 4025. इब्ने माजा: 3575. अबू याला: 7014.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे सिर्फ़ अब्दुल मोमिन बिन ख़ालिद के तरीक से ही जानते हैं। यह मर्वज़ी हैं और इसे बयान करने में अकेले हैं। बाज़ (कुछ) ने इस हदीस को अबू तुमैला से बवास्ता अब्दुल मोमिन बिन ख़ालिद, अब्दुल्लाह बिन बुरैदा से उन्होंने अपनी वालिदा के ज़रिए सय्यदा उम्मे सलमा (رحمته الله) से रिवायत किया है।

मुहम्मद बिन इस्माईल बुखारी फ़रमाते हैं: इब्ने बुरैदा की अपनी वालिदा के ज़रिए उम्मे सलमा (رحمته الله) से बयान कर्दा हदीस ज़्यादा सहीह है और इस में अबू तुमैला का अपनी मां से बयान करने का ज़िक्र है।

1763 - सय्यदा उम्मे सलमा (رحمته الله) रिवायत करती है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को सब से ज़्यादा पसंद कपड़ा कुर्ता था।

सहीह.

28 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَمِيصِ

1762 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو تَمِيمَةَ، وَالْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، وَزَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيْدَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَمِيصُ.

1763 - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو تَمِيمَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيْدَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَمِيصُ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيْدَةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَصَحُّ، وَإِنَّمَا يُذَكَّرُ فِيهِ أَبُو تَمِيمَةَ عَنْ أُمِّهِ.

1764 - सय्यदा उम्मे सलमा (رضی اللہ عنہا) فرमाती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) का सब से ज्यादा पसंदीदा कपड़ा कुर्ता था।
सहीह.

1764 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيْدَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَيَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَمِيصُ.

1765 - सय्यदा अस्मा बिनते यज़ीद बिन सकन अल-अन्सारिया (رضی اللہ عنہا) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) के हाथ की आस्तीन कलाई तक थी।

1765 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ الدُّسْتَوَائِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: كَانَ كُمُّ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الرَّسْغِ.

जईफ़: अबू दाऊद:4028. शमाइल:57.

तौज़ीह: कुं: कपड़े में हाथ दाखिल करने और निकालने की जगह, आस्तीन। (अल-मोजमुल वसीत:पृ. 965)

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته اللہ علیہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है।

1766 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) जब कुर्ता पहनते तो उसके दायें जानिब से इब्तिदा (शुरू) करते।

1766 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ الْجَهْظِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَبَسَ قَمِيصًا بَدَأُ بِمِيَامِنِهِ.

सहीह: अबू दाऊद:4141. मुसनद अहमद: 2/354. इब्ने खुजेमा: 178.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته اللہ علیہ) फ़रमाते हैं: बहुत से रावियों ने इस हदीस को इसी सनद के साथ शोबा से रिवायत किया है और इसे मर्फू ज़िक्र नहीं किया, इसे सिर्फ़ अब्दुस्समद ने ही मर्फू ज़िक्र किया है।

29 - कपड़ा पहनने की दुआ.

1767 - सय्यदना अबू सईद (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब नया कपड़ा पहनते तो उसका नाम लेते पगड़ी, कुर्ता या चादर फिर कहते: ऐ अल्लाह! तेरे लिए ही सब तारीफें हैं तूने ही मुझे यह पहनाया है। मैं तुझ से उसकी भलाई और जिसके लिए बनाया गया है उसकी भलाई का सवाल करता हूँ और मैं तुझ से इसके शर और जिसके लिए बनाया गया है उसके शर से पनाह माँगता हूँ।

सहीह: अबू दाऊद: 4020. मुसनद अहमद: 3/30.
शमाइल:60.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: इस मसले में उमर और इब्ने उमर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी हैं। अबू ईसा कहते हैं: हमें हिशाम बिन यूनुस कूफी ने बवास्ता क़ासिम बिन मालिक अल-मुज़नी जरीरी से ऐसे ही रिवायत की है। और यह हदीस हसन ग़रीब है।

30 - जुब्बा और मोजे पहनना.

1768 - सय्यदना मुगीरह बिन शोबा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने रूम का बना हुआ तंग आस्तीनों वाला जुब्बा पहना था।

बुखारी: 363. मुस्लिम: 247. अबू दाऊद: 151. तिसाई: 82

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

1769 - सय्यदना मुगीरह बिन शोबा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि दिह्या कल्बी ने

29 بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا لَبَسَ ثَوْبًا جَدِيدًا

1767 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ، عِمَامَةً، أَوْ قَمِيصًا، أَوْ رِدَاءً، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ، أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ.

30 بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْجُبَّةِ وَالْخُفَّيْنِ

1768 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَيْسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَسَ جُبَّةً رُومِيَّةً صَيِّقَةً الْكُمَيْنِ.

1769 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عِيَّاشٍ، عَنْ أَبِي

रसूलुल्लाह(ﷺ) को दो मोज़े बतौर तोहफ़ा दिए तो आप(ﷺ) ने वह पहने।

सहीह: शमाइल:74.

إِسْحَاقُ هُوَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ
الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: أَهْدَى دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ لِرَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُفَّيْنِ فَلَبَسَهُمَا

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: इस्त्राईल ने बवास्ता जाबिर, आमिर से यह बयान किया है कि एक जुब्बा भी दिया, आपने उसे भी पहना, यहाँ तक कि वह दोनों फट गए, नबी(ﷺ) यह नहीं जानते थे कि यह ज़बह किए गए जानवर के हैं या ग़ैर मज्बूह जानवर की खाल के।

यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है और अबू इस्हाक़ जिन्होंने शाबी से रिवायत की है यह अबू इस्हाक़ शैबानी हैं जिनका नाम सुलैमान है और हसन बिन अब्बास, अबू बकर बिन अब्बास के भाई हैं।

31 - सोने के दांत लगवाना.

1770 - सय्यदना अफ़ज़ा बिन असद (رحمته الله) बयान करते हैं कि जाहिलिय्यत में जंगे किलाब के दिन मेरी नाक कट गई तो मैंने चांदी की नाक बनवा ली, इस से बदबू आने लगी तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुझे हुक्म दिया कि मैं सोने की नाक बनवा लूं।

हसन: अबू दाऊद: 4232. निसाई: 5161. मुसनद अहमद: 5/23.

31 بَابُ مَا جَاءَ فِي شِدِّ الْأَسْنَانِ بِالذَّهَبِ

1770 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ
بْنُ هَاشِمٍ بْنِ الْبَرِيدِ، وَأَبُو سَعْدٍ الصَّاعِقَانِيُّ، عَنْ
أَبِي الْأَشْهَبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرْفَةَ، عَنْ
عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ قَالَ: أُصِيبَ أَنْفِي يَوْمَ الْكَلَابِ
فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَاتَّخَذْتُ أَنْفًا مِنْ وَرَقٍ، فَأَتْتَن
عَلِيَّ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنْ أَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ.

वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें अली बिन हुज़्र ने वह कहते हैं: हमें रूबैअ बिन बद्र और मुहम्मद बिन यज़ीद वास्ती ने अबू अशहब से ऐसे ही रिवायत की है।

इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे बतरीक अब्दुल्लाह बिन तरफ़ा ही जानते हैं। नीज़ सुलैम बिन ज़ुरैर ने अब्दुरहमान बिन तरफ़ा से अबू अशहब की अब्दुरहमान बिन तरफ़ा से बयान की गई हदीस की तरह रिवायत की है।

कई उलमा से मर्वी है कि उन्होंने अपने दांत सोने के जड़वाये थे और इस हदीस में उनकी दलील है। अब्दुरहमान बिन महदी कहते हैं कि सुलैम बिन ज़रीर वहम है जबकि वज़ीर ज़्यादा सहीह है। नीज़ अबू साद सनआनी का नाम मुहम्मद बिन मोयस्सर है।

32 - दरिदों के चमड़ों का इस्तेमाल.

1770-अबू मलीह अपने बाप से रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने दरिदों की खाल को नीचे बिछाने से मना फ़रमाया है।

सहीह: अबू दाऊद:4132. निसाई:4253.

32 بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ جُلُودِ السَّبَاعِ

1770م- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ جُلُودِ السَّبَاعِ أَنْ تُفْتَرَشَ.

वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने, उन्हें यहया बिन सईद ने, उन्हें सईद ने क़तादा से बवास्ता अबू मलीह उनके बाप से रिवायत की है। कि नबी (ﷺ) ने दरिदों का चमड़ा इस्तेमाल करने से मना फ़रमाया है।

अबू ईसा कहते हैं: हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने वह कहते हैं हमें मुआज़ बिन हिशाम ने वह कहते हैं मुझे मेरे वालिद ने बवास्ता क़तादा अबू मलीह से हदीस बयान की है कि उन्होंने दरिदों की खाल को नापसंद किया है।

इमाम तिमिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं कि सईद बिन अबी अरूबा के अलावा हम किसी रावी को नहीं जानते जिसने अबू मलीह के ज़रिए उनके बाप से रिवायत की हो।

1771 - अबू मलीह (ﷺ) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने दरिदों की खाल को इस्तेमाल करने से मना फ़रमाया है और यह ज़्यादा सहीह रिवायत है।

सहीह: अब्दुर्रज़ाक:215. इब्ने अबी शैबा:14/250.

1771 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ الرُّشَكِ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ جُلُودِ السَّبَاعِ وَهَذَا أَصَحُّ.

33 - नबी (ﷺ) के जूते का बयान.

1772 - क़तादा (ﷺ) कहते हैं कि मैं ने सय्यदना अनस बिन मालिक (ﷺ) से पूछा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का जूता कैसा था? उन्होंने फ़रमाया, "उसके दो तस्मे⁽¹⁾ थे।

सहीह: मुसनद अहमद: 3/ 122. अबू दाऊद: 4134. इब्ने माजा: 3615

तौज़ीह: : तस्निया का तस्निया है। दो तस्मे यानी हर जूते के दो तस्मे थे और इसी तस्मे को कहा जाता है जो दर्मियानी वाली और उसके साथ वाली उंगली के दर्मियान हो। (अलमोजमुल वसीत, पृ. 858)

1773 - सय्यदना अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के दोनों जूतों में से हर एक के दो तस्मे थे।

बुखारी: 3107. अबू दाऊद: 4143. इब्ने माजा: 2615. निसाई: 3568.

वज़ाहत: इमाम तिरिज्जि (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ इस बारे में इब्ने अब्बास (ﷺ) और अबू हुरैरा (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है।

34 - एक जूते में चलने की क़राहत.

1774 - सय्यदना अबू हुरैरा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "तुम में से कोई शख्स एक जूते में न चले बल्कि दोनों पहन ले या दोनों पाँव को नंगा कर ले।"

बुखारी: 5855. मुस्लिम: 2097. अबू दाऊद: 4136. इब्ने माजा: 3617. निसाई: 5369

33 بَابُ مَا جَاءَ فِي نَعْلِ النَّبِيِّ (ﷺ)

1772 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قُلْتُ لَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: كَيْفَ كَانَ نَعْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لُهُمَا قَبَالَانِ.

1773 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ نَعْلَاهُ لُهُمَا قَبَالَانِ.

34 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْمَشْيِ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ

1774 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيُنْعِلَهُمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيُخْفِيَهُمَا جَمِيعًا.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और इस मसले में जाबिर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

35 - खड़े होकर जूता पहनने की क़राहत.

1775 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मना फ़रमाया कि आदमी खड़ा होकर जूता पहने।

सहीह: इब्ने माजा: 3618.

35 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَّةِ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ وَهُوَ قَائِمٌ

1775 - حَدَّثَنَا أَبُو زُهَيْرٍ بْنُ مَرْوَانَ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ وَهُوَ قَائِمٌ.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है और अबैदुल्लाह बिन अम्र अरकी ने इस हदीस को मामर से बवास्ता क़तादा सय्यदना अनस (رضي الله عنه) से रिवायत किया है। जबकि मुहद्दीसीन के नज़दीक दोनों हदीसों ही सहीह नहीं हैं। उनके नज़दीक हारिस बिन नवहान हाफ़िज़ नहीं है और क़तादा के ज़रिए अनस (رضي الله عنه) से मर्वी हदीस की कोई असल भी हमारे इल्म में नहीं है।

1776 - सय्यदना अनस से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मना फ़रमाया कि आदमी खड़ा होकर जूता पहने।

सहीह: अबू याला: 2936.

1776 - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ السُّمَنَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الرَّقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو الرَّقِيِّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ وَهُوَ قَائِمٌ.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। और मुहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने फ़रमाया कि यह हदीस भी सहीह नहीं है और न ही मामर की अम्मर बिन अबी अम्मर से बयान कर्दा अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस सहीह है।

36 - एक जूते में चलने की छद्मता है.

1777 - सय्यदा आयशा (رضی اللہ عنہا) बयान करती है कि नबी (ﷺ) बसा औकात एक जूते में चल लेते थे।

मुन्कर : अस-सहीहा: 1/684. शरह मुश्किलुल आसार: 1361.

1778 - कासिम (رضی اللہ عنہ) बयान करते हैं कि सय्यदा आयशा (رضی اللہ عنہا) एक जूते में चलती थीं।

सहीह: इब्ने अबी शैबा: 8/417.

वज़ाहत: यह रिवायत ज़्यादा सहीह है। इमाम तिरमिज़ी (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं: कि सुफ़ियान सौरी और दीगर मुहद्दीसीन ने अब्दुरहमान बिन कासिम से मौकूफ़ रिवायत की है और यह ज़्यादा सहीह है।

37 - जूता पहनते वक़्त किस पाँव में पहले पहने?

1779 - सय्यदना अबू हु़रैरा (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि रसूलुल ग़ाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "जब तुम में से कोई जूता पहने तो दायें से शुरू करे और जब उतारे तो बाएं से इब्तिदा करे दायें पाँव में पहले पहना जाए और आख़िर में उतारा जाए।"

बुख़ारी: 5856. मुस्लिम: 2097. अबू दाऊद: 4139. इब्ने माजा: 3616.

36 بَابُ مَا جَاءَ مِنَ الرَّخْصَةِ فِي الْمَشِيِّ

فِي التَّعْلِ الْوَاحِدَةِ

1777 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَتَّصُورِ السَّلُولِيُّ كُوفِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُرَيْرٌ بْنُ سُفْيَانَ الْبَجَلِيُّ الْكُوفِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رُبَّمَا مَشَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ.

1778 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا مَشَتْ بِنَعْلٍ وَاحِدَةٍ.

37 بَابُ مَا جَاءَ بِأَيِّ رِجْلٍ يَبْدَأُ إِذَا انْتَعَلَ

1779 - حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشَّمَالِ، فَلْتَكُنِ الْيَمْنَى أَوْلَهُمَا تَعْلًا، وَآخِرُهُمَا تَنْزَعًا.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

38 - कपड़े को पेवंद लगाना.

1780 - सय्यादा आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुझसे फ़रमाया, "अगर तुम आखिरत में मुझ से मिलना चाहती हो तो तुम्हें दुनिया से एक मुसाफिर के राशन के बराबर काफी होना चाहिए और मालदारों के साथ बैठने से अपने आप को बचाओ और जब तक कपड़े को पेवंद न लगा लो उसे पुराना न समझो।"

ज़ईफ़ जिहा: हाकिम: 4/312. इब्ने सईद: 8/76.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे सालेह बिन हस्सान के तरीक से जानते हैं, और मैंने मुहम्मद बिन इस्माइल बुखारी को फ़रमाते हुए सुना कि सालेह बिन हस्सान मुन्करूल हदीस है। और सालेह बिन अबू हस्सान जिनसे इब्ने अबी जुऐब ने रिवायत ली है वह सिक़ह हैं।

इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: कि आप(ﷺ) के फ़रमान मालदारों के साथ बैठने से बचो का मतलब ऐसे ही है जैसा कि अबू हुरैरा (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "जो शख्स ऐसे आदमी को देखे जिसे शक्को सूत और रोज़ी में फ़ज़ीलत दी गई है तो वह अपने से नीचे वाले को देखे जिस पर उसे शक्को सूत और रिज्क में फ़ज़ीलत दी गई है। यकीनन वह अल्लाह की अपने ऊपर की गई नेअ्मत को हकीर नहीं समझेगा।

नीज़ औन बिन अब्दुल्लाह से मर्वी है कि मैं मालदारों के साथ रहा तो मैंने अपने से ज़्यादा गमज़दा किसी को नहीं देखा मैं एक सवारी को भी अपनी सवारी के जानवर से बेहतर ख़याल करता था और कपड़े को भी अपने कपड़े से, और मैं फ़क़ीरों के साथ रहा तो मुझे राहत मिली।

39 - नबी(ﷺ) का मक्का में दाख़िल होना.

1781 - सय्यदा उम्मे हानी (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) मक्का में आए तो आप(ﷺ) के बालों की चार चोटियाँ थी।

38 بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْقِيعِ الثَّوْبِ

1780 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ، وَأَبُو يَحْيَى الْجَمَانِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَدْتَ اللُّحُوقَ بِي فَلْيَكْفِكَ مِنَ الدُّنْيَا كَرَادِ الرَّابِ، وَإِيَّاكَ وَمُجَالَسَةَ الْأَعْيُنَاءِ، وَلَا تَسْتَخْلِقِي ثَوْبًا حَتَّى تَرْقِيعِهِ.

39 بَابُ دُخُولِ النَّبِيِّ ﷺ مَكَّةَ

1781 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ

सहीह: अबू दाऊद: 4191. इब्ने माजा:3631.
शमाइल:28.

مُجَاهِدٍ، عَنْ أُمِّ هَانِيَةَ قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَائِرَ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। नीज़ हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने वह कहते हैं: हमें अब्दुरहमान बिन महदी ने, उन्हें इब्राहीम बिन नाफ़े मक्की ने इब्ने अबी नजीह से बवास्ता मुजाहिद सय्यदा उम्मे हानी (رضي الله عنها) से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) मक्का में आए तो आप की चार चोटियाँ थी।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। और अब्दुल्लाह बिन अबू नजीह मक्की है और अबू नजीह का नाम यसार था।

मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी फ़रमाते हैं: मुजाहिद का उम्मे हानी (رضي الله عنها) से सिमा (सुनना) मैं नहीं जानता।

40 - सहाबा (رضي الله عنهم) की टोपियाँ कैसी थीं?

1782 - अबू कब्शा अन्मारी बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) के सहाबा की टोपियाँ⁽¹⁾ चौड़ी थीं।

ज़ईफ़.

40 بَابُ كَيْفَ كَانَ كِمَامُ الصَّحَابَةِ؟

1782 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيَّ، يَقُولُ: كَانَتْ كِمَامُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُطْحًا.

तौज़ीह: अगर इसको कमा की जमा बनाए तो मानी टोपी और अगर कम की जमा बनाया जाए तो मानी कुरते की आस्तीन होगा। (अल्लाह बेहतर जानता है)

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस मुन्कर है और अब्दुल्लाह बिन बुसर बसरी मुहद्दीसीन के नज़दीक ज़ईफ़ रावी है। इसे यह्या बिन सईद और दीगर रावियों ने ज़ईफ़ कहा है। बूटूच का मानी है कसीअ (बड़ा), खुली।

41 - तहबन्द कहाँ तक हो?

1783 - सय्यदना हुजैफा (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मेरी या अपनी रान का गोश्त पकड़ कर फ़रमाया, "यह इज़ार

41 بَابُ فِي مَبْلَغِ الْإِزَارِ

1783 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ

(तहबन्द) की जगह है, अगर तुम यहाँ बाँधने का इनकार करो तो इस से नीचे कर लो अगर वह भी न करना चाहो तो टखनों से नीचे तहबन्द का कोई हक नहीं है। ”

सहीह: इब्ने माजा:3572. निसाई: 5329. मुसन्द अहमद:5/382.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और इसे सौरी और शोबा ने भी अबू इस्हाक़ से रिवायत किया है।

42 - टोपियों पर पगड़ियाँ बाँधना.

1784 - अबू जाफ़र बिन मुहम्मद बिन रूकाना से रिवायत है कि रूकाना ने नबी (ﷺ) से कुशती की तो नबी (ﷺ) ने उसे गिरा दिया। यही रूकाना (رحمته الله) कहते हैं: “मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना कि हमारे और मुस्लिमों के दर्मियान टोपियों पर पगड़ियाँ बाँधने का फ़र्क है। ”

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 4078. अबू याला: 1412. हाकिम: 3/452.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है और इसकी सनद भी मज़बूत नहीं है, अबू हसन अस्क़लानी और इब्ने रूकाना को हम नहीं जानते।

43 - लोहे की अंगूठी.

1785 - सय्यदना बुरैदा (رحمته الله) बयान करते हैं कि एक आदमी नबी (ﷺ) के पास आया उस ने लोहे की अंगूठी पहन रखी थी तो आप (ﷺ)

نَذِيرٍ، عَنْ حَدِيثِهِ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَضَلَةِ سَاقِي، أَوْ سَاقِهِ، فَقَالَ: هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ، فَإِنْ آبَيْتَ فَاسْفَلْ، فَإِنْ آبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلِإِزَارِ فِي الْكُفَّيْنِ.

42 بَابُ الْعَمَائِمِ عَلَى الْقَلَانِسِ

1784 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رِيْعَةَ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْعَسْقَلَانِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رُكَانَةَ صَارَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَرَغَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ رُكَانَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنْ فَرَّقَ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ الْعَمَائِمُ عَلَى الْقَلَانِسِ.

43 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَاتِمِ الْحَدِيدِ

1785 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، وَأَبُو ثَمِيْلَةَ يَحْيَى بْنُ وَاصِحٍ،

ने फ़रमाया, “क्या वजह है कि मैं तुम्हारे ऊपर जहन्नमियों का ज़ेवर देख रहा हूँ?” फिर वह आप के पास आया तो उसने पीतल की अंगूठी पहन रखी थी। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “क्या वजह है कि मैं तुम से बुत्तों की बू महसूस कर रहा हूँ?” फिर वह आप के पास आया सोने की अंगूठी पहन रखी थी तो आप ने फ़रमाया, “क्या वजह है मैं तुम्हारे ऊपर जन्नती लोगों का जेवर देख रहा हूँ?” उस ने कहा : मैं किस चीज़ की अंगूठी बनवाऊँ? आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “चांदी की और उसे भी पूरा मिस्काल⁽¹⁾ न करना।”

ज़ईफ़: अबू दारूद: 4223. निसाई: 5195.

तौज़ीह: مِثْقَال : डेढ़ दिरहम के बराबर एक पैमाना है इसकी जमा مِثْقَال आती है। (अल-मोजमुल वसीत:पृ. 116)

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है और इस बारे में अब्दुलाह बिन अम्र (رحمته الله) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ अब्दुल्लाह बिन मुस्लिम की कुनियत अबू तय्यबा है। और यह मर्वज़ी है।

44 - दो उँगलियों में अंगूठियाँ पहनना मना है

1786 - सय्यदना अली (رحمته الله) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे रेशम के कपड़े, सुर्ख जीन पोश और इस और इस उंगली में अंगूठी पहनने से मना किया है और अपनी शहादत वाली और दर्मियानी उंगली की तरफ़ इशारा किया।

मुस्लिम: 2095. अबू दारूद: 4225.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ بَرِيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ: مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ حَلِيَّةَ أَهْلِ النَّارِ؟، ثُمَّ جَاءَهُ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ صُفْرِ، فَقَالَ: مَا لِي أُجِدُّ مِنْكَ رِيحَ الْأَصْنَامِ؟، ثُمَّ أَتَاهُ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: أَرَمَ عَنْكَ حَلِيَّةَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟، قَالَ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ أَتَّخِذُهُ؟ قَالَ: مِنْ وَرَقٍ، وَلَا تَتِمَّمَهُ مِثْقَالًا.

44 بَابُ كَرَاهِيَةِ التَّخْتُمِ فِي أُصْبُعَيْنِ

1786 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كَلْبٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُوسَى قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقَسِيِّ، وَالْمَيْشَرَةِ الْحَمْرَاءِ، وَأَنْ أَلْبَسَ خَاتَمِي فِي هَذِهِ وَفِي هَذِهِ، وَأَشَارَ إِلَى السَّبَابَةِ وَالْوَسْطَى.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और इब्ने अबी मूसा, अबू बुर्दा बिन अबू मूसा हैं जिनका नाम आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन कैस है।

45 - रसूलुल्लाह (ﷺ) को कौन से कपड़े ज्यादा पसंद थे?

1787 - सय्यदना अनस (رحمته الله) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जो कपड़े पहनते थे उन में सब से ज़्यादा पसंद आपको धारी दार कपड़े थे।

बुखारी: 5812. मुस्लिम: 2079. अबू दाऊद: 4060. निसाई: 5315.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

45 بَابُ مَا جَاءَ فِي أَحَبِّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1787 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُهَا الْحَبْرَةَ.

खुलासा

- मर्दों के लिए सोना और रेशम पहनना हराम है।
- मुर्दा जानवर की खाल को रंग कर इस्तेमाल किया जा सकता है।
- टखनों से नीचे कपड़ा रखना हराम है।
- अमामा (पगड़ी) बाँधना मस्नून अमल है।
- अंगूठी दायें हाथ में पहनी जाए।
- हर वह लिबास पहना जा सकता है जो सत्र के तकाज़े को पूरा करता हो।
- तस्वीर बनवाना हराम है और यह काम करने वाला लानती है।
- सफ़ेद बालों का रंग तब्दील किया जा सकता है लेकिन सियाह रंग मना है।
- रोजाना कंधी न की जाए बल्कि एक दिन छोड़ कर बाल सँवारे जाएँ।
- मसनूई (बनावटी) बाल लगवाना हराम है।
- नबी (ﷺ) ने इन्तेहाई सादगी में ज़िंदगी बसर की थी।
- सोने के दांत लगवाए जा सकते हैं।
- शहादत वाली और दर्मियानी उंगली में अंगूठी न पहनी जाए।

मज़मून नम्बर 23.

أَبْوَابُ الْأَطْعِمَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

रसूलुल्लाह(ﷺ) से मर्वी खानों के अहकाम व मसाइल

तआरुफ़

73 अहादीस के साथ 48अबताब के इस उन्वान में आप पढ़ेंगे कि:

- कौन से जानवर खाना हलाल हैं और कौन से हराम?
- खाने के आदाब क्या हैं?
- हलाल अशिया (चीज़ों) में कौन सी अशिया (चीज़ें) नापसंद हैं?
- रसूलुल्लाह(ﷺ) की पसंदीदा अशिया (चीज़ें) क्या थीं?

1-नबी(ﷺ) किस चीज पर रखकर खाते थे?

1788 - सय्यदना अनस (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने दस्तरख्वान और प्लेट में खाना नहीं खाया और न ही आपके लिए बारीक रोटी पकाई गई। यूनुस कहते हैं: मैंने क़तादा से कहा? तो फिर किस पर रखकर खाते थे? उन्होंने कहा: इन्ही सुफर⁽¹⁾ के ऊपर।

बुखारी:5386. इब्ने माजा: 3292.

1 بَابُ مَا جَاءَ عَلَى مَا كَانَ يَأْكُلُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

1788 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يُونُسَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُورَانَ، وَلَا فِي سُكْرَجَةَ، وَلَا خَيْرٌ لَهُ مَرَقٌ قَالَ: فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ: فَعَلَامَ كَانُوا يَأْكُلُونَ؟ قَالَ: عَلَى هَذِهِ السُّفْرِ.

तौज़ीह: (1)खुजूर के पत्तों से गोलाई की शक़ में बना हुआ छोटा सा दस्तरख्वान। जिसे लोग सफ़र में भी अपने साथ ले जाते थे राकिम (लेखक) ने फ़रवरी 2013. में मदीना के अजाइब घर में उसे देखा था।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं:यह हदीस हसन ग़रीब है। मुहम्मद बिन बश्शार कहते हैं: यह यूनुस, यूनुस इस्काफ़ हैं, नीज़ अब्दुल वारिस बिन सईद ने भी सईद बिन अबी अरूबा से बवास्ता क़तादा सय्यदना अनस (رضي الله عنه) से ऐसे ही रिवायत की है।

2 - खरगोश खाना.

1789 - सय्यदना अनस (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मरूज़ ज़हरान में हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के सहाबा (رضي الله عنهم) एक खरगोश के पीछे भागे तो मैंने उसे पा लिया और पकड़ लिया। मैं उसे अबू तल्हा (رضي الله عنه) के पास ले कर आया तो उन्होंने उसे एक पत्थर से ज़बह किया और मुझे उसकी रान या पिछले धड़ का गोश्त देकर नबी (ﷺ) के पास भेजा तो आप (ﷺ) ने वह खाया। रावी कहते हैं: मैंने उन से पूछा: क्या आप (ﷺ) ने खाया? उन्होंने कहा: कुबूल किया।

बुखारी: 2572. मुस्लिम: 1953. अबू दाऊद: 3791. इब्ने माजा: 3243. निसाई: 4312.

वज़ाहत: इمام तिरमिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: इस मसले में जाबिर, अम्मार, मुहम्मद बिन सफ़वान से भी, जिन्हें मुहम्मद बिन सैफ़ी भी कहा जाता है अहादीस मर्वी हैं।

नीज़ यह हदीस हसन सहीह है और अक्सर उलमा इसी पर अमल करते हुए खरगोश खाने में कोई क़बाहत नहीं समझते। जबकि बाज़ (कुछ) उलमा इसे मकरूह कहते हैं कि उसे खून आता है।

3 - ज़ब (सांडा) खाने का बयान.

1790 - सय्यदना उमर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) से "सांडे" के बारे में पूछा गया तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, "न मैं उसको खाता हूँ न ही हराम कहता हूँ।"

बुखारी: 5563. मुस्लिम: 1943. इब्ने माजा: 3243. निसाई: 4314, 4315.

तौज़ीह: आम मुतर्जिमीन **الضَّبِّ** के मानी सूसमार और गोह करते हैं जो किसी तरह सहीह नहीं। "الضَّبِّ": सांडा घास खाने वाला जानवर है जबकि सूसमार या गोह मेंढक और छिपकलियाँ

2 بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الْأَرْزَبِ

1789 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: أَتَفَجَّحْنَا أَرْزَبًا بِمَرِّ الظُّهْرَانِ، فَسَعَى أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهَا، فَأَذْرَكْتَهَا فَأَخَذْتُهَا، فَاتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَرَحَهَا بِمِرْوَةٍ، فَبَعَثَ مَعِيَ بِفَخِذِهَا أَوْ بِوَرِكِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَكَلَهُ، قَالَ: قُلْتُ: أَكَلَهُ؟ قَالَ: قَبْلَهُ.

3 بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الضَّبِّ

1790 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سُئِلَ عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ؟ فَقَالَ: لَا أَكَلُهُ وَلَا أَحْرَمُهُ.

वग़ैरह खाती है। गोह के लिए अरब में जो नाम है वह "वरल" है। गोह सांडे से बड़ी होती है। उलमा-ए-हैवानात लिखते हैं कि वरल, ज़बब और वज़ग़ (छिपकली) शक़ो शबाहत में करीब होते हैं।

वज़ाहत: इस मसले में उमर, अबू सईद, इब्ने अब्बास, साबित बिन वदीआ और अब्दुरहमान बिन हसना (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिमिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

नीज़ अहले इल्म का सांडा खाने के बारे में इख़ितलाफ़ है। नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से कुछ अहले इल्म इसकी रुख़सत देते हैं। जबकि कुछ मकरूह कहते हैं और इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से मर्वी है कि सांडा नबी(ﷺ) के दस्तरख़वान पर खाया गया और रसूलुल्लाह(ﷺ) ने इसे सिर्फ़ तबई नफ़रत की वजह से छोड़ा था।

4 - लगड़बघ्या (Hayna) खाने का बयान.

1791 - इब्ने अबी अम्मार (رضي الله عنه) कहते हैं: मैंने सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) से पूछा कि क्या लगड़बघ्या⁽¹⁾ शिकार है? उन्होंने फ़रमाया, "हाँ" मैंने कहा: मैं इसे खा सकता हू? उन्होंने कहा: "हाँ, रावी कहते हैं: मैंने कहा: क्या यह बात रसूलुल्लाह(ﷺ) ने कही है? उन्होंने फ़रमाया, "हाँ"

सहीह: अबू दाऊद: 3801. इब्ने माजा:3085. निसाई:2836.

तौज़ीह: الصَّبْع: के बारे में हदीस नम्बर 851 देखें।

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और बाज़ (कुछ) उलमा इसी हदीस को इख़ितयार करते हुए लगड़बघ्या (लकड़बघ्या) खाने में कोई क़बाहत नहीं समझते। इमाम अहमद और इस्हाक़ (رضي الله عنه) का भी यही कौल है। नीज़ नबी(ﷺ) से الصَّبْع खाने की कराहत पर हदीस मर्वी है लेकिन इसकी सनद मज़बूत नहीं है।

जबकि बाज़ (कुछ) उलमा इसे नापसंद करते हैं यह कौल इब्ने मुबारक का है। यह्या बिन क़त्तान कहते हैं कि जर्रीर बिन हाजिम ने इस हदीस को अब्दुल्लाह बिन उबैद बिन उमैर से उन्होंने इब्ने

4 بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الصَّبْعِ

1791 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُيَيْدٍ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرٍ: الصَّبْعُ صَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قُلْتُ: أَكَلَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَقَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

अबी अम्मार से बवास्ता जाबिर सय्यदना उमर (رضي الله عنه) के कौल की सूत में नक़ल किया है लेकिन इब्ने जुरैज की हदीस ज़्यादा सहीह है। इब्ने अबी अम्मार मक्का के रहने वाले और अब्दुरहमान बिन अब्दुल्लाह बिन अबी अम्मार के भाई हैं।

1792 - खुजैमा बिन जज़ई (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से लगड़बध्धा खाने के बारे में सवाल किया, आप ने फ़रमाया, “क्या कोई लगड़बध्धा भी खाता है?” और मैंने आप से भेड़िया खाने के बारे में पूछा तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “क्या भेड़िये को कोई एक भी ऐसा खाता है जिसमें भलाई हो?”

ज़ईफ़: इब्ने माजा:3237. इब्ने अबी शैबा:8/251

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: इस हदीस की सनद सिर्फ़ इस्माइल बिन मुस्लिम ही अब्दुल करीम अबू उमय्या से मुत्तसिल ज़िक्र करते हैं। जबकि बाज़ (कुछ) मुहद्दिसीन ने इस्माइल और अब्दुल करीम अबू उमैया पर जरह की है और अब्दुल करीम बिन कैस, इब्ने अबी मुखारिक के भाई और अब्दुल करीम बिन मालिक अल-जज़रमी सिक़ह रावी हैं।

5 - घोड़ों का गोश्त खाना.

1793 - सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें घोड़ों का गोश्त खिलाया और हमें गधों के गोश्त खाने से मना किया।

बुखारी: 4219. मुस्लिम: 1941. अबू दाऊद: 3788. इब्ने माजा:3119. निसाई:4327, 4330.

वज़ाहत: इस मसले में अस्मा बिनते अबी बकर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और बहुत से रावियों ने इसे बवास्ता अम्र बिन दीनार, जाबिर (رضي الله عنه) से इसी तरह रिवायत किया है। जबकि हम्माद बिन ज़ैद ने इसे अम्र बिन

1792 - حَدَّثَنَا هَنَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ جِبَانَ بْنِ جَزْءٍ، عَنْ أُخِيهِ خُزَيْمَةَ بْنِ جَزْءٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الضَّبْعِ، فَقَالَ: أَوْ يَأْكُلُ الضَّبْعَ أَحَدًا؟ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الذُّبِّ؛ فَقَالَ: أَوْ يَأْكُلُ الذُّبَّ أَحَدٌ فِيهِ خَيْرٌ؟

5 بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ

1793 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُومَ الْخَيْلِ، وَتَهَانًا عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ.

दीनार से बवास्ता मुहम्मद बिन अली सय्यदना जाबिर (رضی اللہ عنہ) से रिवायत किया है लेकिन इब्ने उययना की रिवायत ज्यादा सहीह है।

नीज़ मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुखारी से सुना वह कहते थे कि सुफ़ियान बिन उययना हम्माद बिन ज़ैद (رضی اللہ عنہ) से बड़े हाफ़िज़े हदीस थे।

6 - पालतू गधों का गोश्त.

1794 - सय्यदना अली (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने खैबर के मौका पर औरतों के साथ मुत्आ करने और घरेलु (पालतू) गधों के गोश्त खाने से मना किया।

बुखारी: 4216. मुस्लिम:1407. इब्ने माजा:1961. निसाई:4334.

6 بَابُ مَا جَاءَ فِي لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ

1794 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ، ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ زَمَنَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ.

वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें सईद बिन अब्दुर्रहमान अल-मखजूमी ने वह कहते हैं: हमें सुफ़ियान ने जोहरी से उन्होंने अब्दुल्लाह और हसन से हदीस बयान की है और यह दोनों मुहम्मद बिन हनफ़िया के बेटे हैं। अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद की कुनियत अबू हाशिम थी।

जोहरी फ़रमाते हैं: इन दोनों में सब से ज्यादा पसंदीदा रावी हसन बिन मुहम्मद हैं उन्होंने भी ऐसे ही रिवायत की है। जबकि सईद बिन अब्दुर्रहमान के अलावा बाकी रावी इब्ने उययना से बयान करते हैं कि उनके नज़दीक अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बेहतर रावी हैं।

इमाम तिर्मिजी (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

1795 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि खैबर के दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हर कचुली वाले दरिन्दे, बाँध कर मारे गए

1795 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

जानवर और पालतू गधे के गोशत को हाराम करार दिया। ”

मुस्लिम: 1933. इब्ने माजा: 3233. निसाई: 4324.

عَمْرُو، عَنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ، وَالْمُجْتَمَةِ، وَالْحِمَارِ الْإِنْسِيَّ.

वज़ाहत: इस मसले में अली, जाबिर, बराअ, इब्ने अबी औफ़ा, अनस, इबाज़ बिन सारिया, अबू सअलबा, इब्ने उमर और अबू सईद (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ अब्दुल अज़ीज़ बिन मुहम्मद वग़ैरह ने इस हदीस को मुहम्मद बिन अम्र से बयान करते वक़्त सिर्फ़ एक चीज़ का ज़िक्र किया है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हर कचुली वाले दरिन्दे के गोशत से मना फ़रमाया है।

7 - कुपफ़ार के बर्तनों में खाना खाने का बयान.

1796 - सय्यदना अबू सालबा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से मजूसियों की हांडियों के बारे में पूछा गया तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “उन्हें धोकर साफ़ कर लो और उन में खाना पका लो। ”

सहीह: देखिए: हदीस: नम्बर: 1560.

नीज़ आप ने कचुली वाले दरिन्दे से मना फ़रमाया।

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: अबू सालबा की यह हदीस मशहूर है जो उन से और इस्नाद के साथ भी मर्वी है। उनका नाम जर्सूम, जुहूम या नाशिव भी कहा जाता है। नीज़ यह हदीस अबू किलाबा से बवास्ता अबू अस्मा अरज़ी भी सय्यदना अबू सालबा (رضي الله عنه) से ज़िक्र की गई है।

1797 - सय्यदना अबू सालबा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल!

7 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَكْلِ فِي آيَةِ الْكُفَّارِ

1796 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ، قَالَ: سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قُدُورِ الْمَجُوسِ، فَقَالَ: أَنْفُوها غَسَلًا، وَاطْبَخُوا فِيهَا، وَنَهَى عَنْ كُلِّ سَبْعِ ذِي نَابٍ.

1797 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى بْنِ يَزِيدَ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ

हम अहले किताब के इलाका में रहते हैं उनकी हांडियों में पकाते और उनके बर्तनों में पीते हैं? तो अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया, “अगर तुम्हें इन के अलावा और बर्तन न मिलें तो उन्हें पानी से धो लो।” फिर उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हम शिकार के इलाके में रहते हैं हम कैसे शिकार करें? आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “जब तुम अपने सधाए हुए कुत्ते को छोड़ो और अल्लाह का नाम ज़िक्र कर लो तो वह शिकार को मार भी दे तो तुम खालो और कुत्ता सधाया हुआ नहीं है तो अगर शिकार को ज़बह कर लिया जाए तो खा लो और जब तुम अपना तीर छोड़ते वक़्त अल्लाह का नाम ज़िक्र कर लो तो वह मार भी दे तो तुम उसे खा लो।”

बुखारी: 5478. मुस्लिम: 1930. 2852. इब्ने माजा: 3207

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

8 - अगर चूहा घी में गिर कर मर जाए.

1798 - सय्यदा मैमूना (رضي الله عنها) से रिवायत है कि एक चुहिया घी में गिर कर मर गई तो नबी (ﷺ) से इस के बारे में पूछा गया आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “उसे और उसके इर्द गिर्द वाले घी को निकाल दो और बाकी खा लो।”

बुखारी: 235. अबू दारूद: 3841. निसाई: 4259, 4258.

वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

العِشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، وَقَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحْبِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْحُسَيْنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا بِأَرْضِ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَتَطْبُخُ فِي قُدُورِهِمْ، وَنَشْرَبُ فِي أَنْبِيَتِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا بِأَرْضِ صَيْدٍ، فَكَيْفَ نَصْنَعُ؟ قَالَ: إِذَا أُرْسِلَتْ كَلْبُكَ الْمُكَلَّبُ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ، فَقَتَلَ فَكُلْ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُكَلَّبٍ، فَذَكَّرْ فَكُلْ، وَإِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ، فَقَتَلَ فَكُلْ.

8 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي السَّمَنِ

1798 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، وَأَبُو عَمَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمَنِ فَمَاتَتْ، فَسُئِلَ عَنْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُّوهَا.

इमाम तिर्मिजी (रह) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नोज़ यह हदीस ज़ोहरी से बवास्ता अबैदुल्लाह इब्ने अब्बास (रह) से भी मर्वी है कि नबी (रह) से पूछा गया। इस में मैमूना (रह) का ज़िक्र नहीं है और इब्ने अब्बास (रह) की मैमूना (रह) से रिवायतकर्दा हदीस ज़्यादा सहीह है। जबकि मामर ने ज़ोहरी से बवास्ता सईद बिन मुसय्यब, सय्यदना अबू हुरैरा (रह) के ज़रिए नबी (रह) से ऐसे ही रिवायत की है। लेकिन यह हदीस ग़ैर महफूज़ है।

मुहम्मद बिन इस्माईल बुखारी (रह) फ़रमाते हैं: मामर की ज़ोहरी से बवास्ता सईद बिन मुसय्यब अबू हुरैरा के ज़रिए नबी (रह) से मर्वी हदीस में ज़िक्र है कि आप से पूछा गया तो आप ने फ़रमाया, “घी जब जमा हुआ हो तो उसे निकाल दो और इर्द गिर्द का घी भी उतार लो और अगर पिघला हुआ है तो उसके करीब न जाओ।” यह खता है। इस में मामर ने गलती की है और ज़ोहरी की अबैदुल्लाह से बवास्ता इब्ने अब्बास सय्यदा मैमूना (रह) से मर्वी हदीस सहीह है।

9 - बाएं हाथ से खाने पीने की मनाही.

1799 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (रह) से रिवायत है कि नबी (रह) ने फ़रमाया, “तुम में से कोई शख्स न अपने बाएं हाथ से खाए और न ही अपने बाएं हाथ से पिए, बेशक शैतान बाएं हाथ से खाता और बाएं हाथ से ही पीता है।”

मुस्लिम: 2020. अबू दारुद: 3776.

9 بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْأَكْلِ وَالشَّرْبِ بِالشِّمَالِ

1799 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مِصْوَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ.

वज़ाहत: इस मसले में जाबिर, उमर बिन अबी सलमा, सलमा बिन अक्वा, अनस बिन मालिक और हफसा (रह) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिजी (रह) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। मालिक बिन उयय्ना ने भी ज़ोहरी से बवास्ता अबू बकर बिन अबैदुल्लाह, इब्ने उमर (रह) से इसी तरह रिवायत की है। जबकि मामर और

अकील ने जोहरी से बवास्ता सालिम इब्ने उमर (رضی اللہ عنہ) से रिवायत की है लेकिन मालिक और इब्ने उयय्ना की रिवायत ज्यादा सहीह है।

1800 - सालिम अपने बाप से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "जब तुम में से कोई श़ाख़्स खाए तो वह अपने दायें हाथ से खाए और दाएँ से ही पिए बेशक शैतान बाएँ हाथ से खाता है और बाएँ हाथ से पीता है।"

सहीह.

1800 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ (1).

10 - खाने के बाद उंगलियाँ चाटना.

1801 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "जब तुम में से कोई श़ाख़्स खाना खाए तो वह अपनी उंगलियों को चाट ले, यकीनन वह नहीं जानता कि खाने के किस हिस्से में बरकत है।"

सहीह: मुस्लिम: 2035. मुसनद अहमद: 2/341

10 بَابُ مَا جَاءَ فِي لَعْنِ الْأَصَابِعِ بَعْدَ الْأَكْلِ

1801 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّهِنَّ الْبَرَكَةُ.

वज़ाहत: इस मसले में जाबिर, काब बिन मालिक और अनस (رضی اللہ عنہ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिजी (رحمته اللہ علیہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस सुहैल की इस सनद से हसन ग़रीब है। और मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुखारी (رحمته اللہ علیہ) से इस हदीस के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया, यह अब्दुल अज़ीज़ की मुख्तलफ़ फ़ीह (जिसमें इख्तिलाफ़ किया गया हो) रिवायत में से है जो सिर्फ़ इसी की सनद से मारूफ़ है।

11 - अगर कोई लुकमा गिर जाए.

1802 - सय्यदना जाबिर (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “जब तुम में से कोई शाख्स खाना खाए और कोई लुकमा गिर जाए तो उसे चाहिए कि जो चीज़ उसको लगी है उसे साफ़ करे, फिर उसको खा ले और उसे शैतान के लिए न छोड़े।”

मुस्लिम: 2033. इब्ने माजा: 3279

वज़ाहत: इस मसले में अनस (رضی اللہ عنہ) से भी हदीस मर्वी है।

1803 - सय्यदना अनस (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) जब खाना खाते तो अपनी तीन उँगलियों को चाटते और आप ने फ़रमाया, “जब किसी आदमी का लुकमा गिर जाए तो वह उस से खाक वगैरह साफ़ करे और उसे खा ले, उसे शैतान के लिए न छोड़े” और आप ने हमें प्याला (बर्तन) साफ़ करने का हुक्म दिया और फ़रमाया, “बेशक तुम नहीं जानते कि तुम्हारे किस खाने में बरकत है।”

मुस्लिम; 2034. अबू दारुद: 3845.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह गरीब है।

1804 - उम्मे आसिम जो सिनान बिन सलमा की उम्मे वलद लौंडी थीं, बयान करती हैं कि हमारे पास नुबैशा अल-खैर (رضی اللہ عنہ) आए और हम एक प्याले में खा रहे थे तो उन्होंने हमें बताया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “जिस ने किसी प्याले में खाया फिर उसे चाट लिया तो प्याला उसके लिए बख़्शिश माँगता है।”

11 بَابُ مَا جَاءَ فِي اللَّقْمَةِ تَسْقُطُ

1802 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَسَقَطَتْ لُقْمَتُهُ فَلْيُمِطْ مَا رَابَهُ مِنْهَا، ثُمَّ لِيُطْعَمَهَا وَلَا يَدْعُهَا لِلشَّيْطَانِ.

1803 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ، وَقَالَ: إِذَا مَا وَقَعَتْ لُقْمَةٌ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدْعُهَا لِلشَّيْطَانِ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَسَلَتْ الصَّحْفَةَ، وَقَالَ: إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمْ الْبِرْكَةُ.

1804 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْمَعْلَى بْنُ رَاشِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَدَّتِي أُمُّ عَاصِمٍ، وَكَانَتْ أُمُّ وَلَدٍ لِسِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا نُبَيْشَةُ الْخَيْرِ وَنَحْنُ نَأْكُلُ فِي قِصْعَةٍ، فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

ज़ईफ़: इब्ने माजा: 3271. मुसनद अहमद: 5/76.
दारमी:2032.

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَكَلَ فِي
فَضْعَةٍ ثُمَّ لَجِسَهَا اسْتَغْفَرَتْ لَهُ الْفَضْعَةُ.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे मुअला बिन राशिद की सनद से जानते हैं इस हदीस को यज़ीद बिन हारून और दीगर अइम्म-ए- हदीस ने भी मुअला बिन राशिद से रिवायत किया है।

12 - खाने के दर्मियान से खाना मना है.

1805 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “बेशक बरकत खाने के दर्मियान में नाजिल होती है पस तुम किनारों से खाओ और उसके दर्मियान न खाओ।”

सहीह: अबू दारुद: 3772. इब्ने माजा: 3277.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। यह सिर्फ़ अता बिन साइब की सनद से ही मारूफ़ है। नीज़ शोबा और सौरी ने भी अता बिन साइब से रिवायत की है। और इस मसले में इब्ने उमर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

13 - लहसुन और प्याज़ (कच्ची हालत में) खाने की कराहत.

1806 - सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “जिस ने यह खाया, रावी कहते हैं: पहली मर्तबा लहसुन कहा। फिर लहसुन, प्याज़ और तरकारियाँ कहा। वह हमारी मस्जिदों में हमारे करीब न आए।”

बुखारी: 845. मुस्लिम: 564. अबू दारुद: 2882. निसाई: 707.

12 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَوَاهِيَةِ الْأَكْلِ مِنْ وَسْطِ الطَّعَامِ

1805 - حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَرَكََةُ تَنْزِلُ وَسْطَ الطَّعَامِ، فَكُلُوا مِنْ حَافَتَيْهِ، وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسْطِهِ.

13 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَوَاهِيَةِ أَكْلِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ

1806 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ، قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ: الثُّومُ، ثُمَّ قَالَ: الثُّومُ، وَالْبَصَلُ، وَالْكَرَاثُ، فَلَا يَفْرَتْنَا فِي مَسْجِدِنَا.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (रह) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नज़ इस मसले में उमर, अय्यूब, अबू हुरैरा, अबू सईद, जाबिर बिन समुरा, कुरा बिन इयास अल-मुज़नी और इब्ने उमर (रह) से भी हदीस मर्वी है।

1807 - सय्यदना जाबिर बिन समुरा (रह) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (रह) अबू अय्यूब के यहाँ ठहरे और आप जब खाना खा लेते तो बचा हुआ उन के पास भेज देते एक दिन उन्होंने आप (रह) को खाना भेजा आप (रह) ने उस में से कुछ भी न खाया। जब अबू अय्यूब, नबी (रह) के पास आए तो आप से ज़िक्र किया, नबी (रह) ने फ़रमाया, "इसमें लहसुन था" उन्होंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल (रह)! क्या यह हगाम है? आप (रह) ने फ़रमाया, "नहीं! मगर इसकी बू की वजह से इसे नापसंद करता हूँ।"

सहीह: तयालिसी: 589. मुसनद अहमद: 5/103. इब्ने हिब्बान: 2094.

1807 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمْرَةَ يَقُولُ: نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي أَيُّوبَ، وَكَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا بَعَثَ إِلَيْهِ بِفَضْلِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ يَوْمًا بِطَعَامٍ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أتَى أَبُو أَيُّوبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِيهِ ثَوْمٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحْرَامٌ هُوَ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ مِنْ أَجْلِ رِيحِهِ.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (रह) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

14 - लहसुन को पका कर खाना जायज़ है.

1808 - सय्यदना अली (रह) फ़रमाते हैं: कि लहसुन खाने से मना किया गया है सिवाए पके हुए के।

सहीह: अबू दाऊद: 3828. बैहक्की: 3/78.

14 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي أَكْلِ الثُّومِ مَطْبُوحًا

1808 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَدُونِهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ مَلِيحٍ، وَالِدُ وَكَيْعٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ شَرِيكَ بْنِ حَنْبَلٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: نَهِيَ عَنْ أَكْلِ الثُّومِ، إِلَّا مَطْبُوحًا.

1809 - सय्यदना अली (ؑ) फ़रमाते हैं : लहसुन खाना दुरुस्त नहीं है सिवाए पके हुए के। सहीहैन.

1809 - حَدَّثَنَا هَنَّادُ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ شَرِيكَ بْنِ حَنْبَلٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَنَّهُ كَرِهَ أَكْلَ الثُّومِ إِلَّا مَطْبُوحًا.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (ؑ) फ़रमाते हैं: इस हदीस की सनद मज़बूत नहीं है और यह सय्यदना अली (ؑ) का कौल रिवायत किया गया है। नीज़ शरीक बिन हंबल भी नबी(ﷺ) से मुर्सल रिवायत करते हैं।

मुहम्मद बिन इस्माईल बुखारी कहते हैं: जराह बिन मलीह सदूक और जराह बिन ज़हहाक मुकारिबुल हदीस है।

1810 - सय्यदा उम्मे अय्यूब (ؑ) बयान करती हैं कि नबी(ﷺ) उनके यहाँ ठहरे तो उन्होंने आप के खाने का तकल्लुफ किया जिनमें बाज़ (कुछ) सब्जियां थीं, आप(ﷺ) ने उसे खाना नापसंद किया और अपने सहाबा से कहा: तुम इसे खा लो। मैं तुम में से किसी आदमी की तरह नहीं हूँ, मैं डरता हूँ की मैं अपने साथी जिब्रइल (अलैहि०) को तकलीफ़ दूँ।

1810 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبِرَّازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُيَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أُمَّ أَيُّوبَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ عَلَيْهِمْ، فَتَكَلَّفُوا لَهُ طَعَامًا فِيهِ مِنْ بَعْضِ هَذِهِ الْبُقُولِ، فَكَرِهَ أَكْلَهُ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: كُلُّوهُ، فَإِنِّي لَسْتُ كَأَخَدِكُمْ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أُوذِيَ صَاحِبِي.

हसन: इब्ने माजा:3364. नुसन्द अहमद: 6/433. दारमी: 2060

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (ؑ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है और उम्मे अय्यूब, अबू अय्यूब अंसारी (ؑ) की बीवी हैं।

1811 - अबू आलिया (ؑ) से रिवायत है वह कहते हैं कि लहसुन हलाल रिज्क में से है। जइफ़.

1811 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ: الثُّومُ مِنْ طَيِّبَاتِ الرُّزْقِ.

वज़ाहत: अबू खल्दा का नाम ख़ालिद बिन दीनार है और यह मुहद्दिसीन के नज़दीक सिक़ह रावी हैं। इन्होंने अनस बिन मालिक (ؑ) से मुलाक़ात की और उन से हदीस भी सुनी। नीज़ अबू आलिया रफीउरियाही है। अब्दुरहमान बिन महदी कहते हैं अबू खल्दा बेहतररीन मुसलमान थे।

15 - सोने के वक्त बर्तनों को ढांपना नीज चिराग और आग को बुझा देना.

1812 - सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “दरवाजों को बंद करो, मशकीज़ों के मुंह बंद कर दो, बर्तनों को ढाँप दो या बर्तनों में कपड़ा दे दो और चिराग को बुझा दो। बेशक शयातीन बंद दरवाज़े नहीं खोलते, बंद मशकीज़े को नहीं खोलते और न ही बर्तन को गंगा करते हैं। बेशक चुहिया लोगों पर उनके घर जला देती है।”

बुखारी: 3260. मुस्लिम: 2012. अबू दाऊद: 3721.
इब्ने माजा: 3410

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास, अबू हुरैरा और इब्ने उमर (رضي الله عنهم) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और कई तुरूक से जाबिर (رضي الله عنه) से मर्वी है।

1813 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “जब तुम सोते हो तो उस वक्त अपने घरों में आग जलती हुई न छोड़ो।”

बुखारी: 6293. मुस्लिम: 2015. अबू दाऊद: 5246.
इब्ने माजा: 3769.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

15 بَابُ مَا جَاءَ فِي تَخْمِيرِ الْإِنَاءِ وَإِظْفَاءِ السِّرَاجِ. وَالنَّارِ عِنْدَ النَّوْمِ

1812 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَغْلِقُوا الْبَابَ، وَأَوْكُوا السَّقَاءَ، وَأَكْفُوا الْإِنَاءَ، أَوْ خَمُّرُوا الْإِنَاءَ، وَأَطْفِئُوا الْمِصْبَاحَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ غَلْقًا، وَلَا يَجْلُ وَكَاءً، وَلَا يَكْشِفُ آيَةً، وَإِنَّ الْفَوَاسِقَ تُضْرَمُ عَلَى النَّاسِ بَيْتَهُمْ.

1813 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَتْرَكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ.

16 - दो खुजूरें मिला कर खाना मक़रूह (नापसंदीदा) है.

1814 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दो खुजूरों को मिलाने (मिला कर खाने) से मना किया, यहाँ तक कि अपने साथी से इजाज़त ले ले।

बुखारी: 3331. मुस्लिम: 6/ 122.

वज़ाहत: इस मसले में साद मौला बिन अबी बकर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

17 - खुजूर का इस्तेहबाब.

1815 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, "जिस घर में खुजूर नहीं उसके रहने वाले भूके हैं।"

मुस्लिम: 2046. अबू दाऊद: 3831. इब्ने माजा: 3327

वज़ाहत: इस बारे में अबू राफ़ेअ (رضي الله عنه) की बीवी सलमा (رضي الله عنها) से भी मर्वी है।

इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: इस सनद के साथ यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे हिशाम बिन उर्वा से इसी सनद के साथ जानते हैं और मैंने इमाम बुखारी से इस हदीस के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया, "यह्या बिन सिनान के अलावा मैं किसी को नहीं जानता जिसने उससे रिवायत की हो।"

16 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَوَاهِيَةِ الْقُرْآنِ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ

1814 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الرُّبَيْرِيُّ، وَعَبِيدُ اللَّهِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سَحِيمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ صَاحِبَهُ.

17 بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِحْبَابِ التَّمْرِ

1815 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ بْنُ عَسْكَرِ الْبَغْدَادِيِّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ جِنَاعٌ أَهْلُهُ.

18 - खाने से फ़ारिग हो कर अल्लाह का शुक्र करना.

1816 - सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया; "बेशक अल्लाह तआला अपने बन्दों से राज़ी होता है कि वह कोई लुकमा खाए या कोई घूँट पिए तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे।" मुस्लिम: 3734. मुसनद अहमद: 3/ 100. शमाइल: 194.

वज़ाहत: इस मसले में उक्बा बिन आमिर, आयशा, अबू सईद, अबू अय्यूब और अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से भी हदीस मवी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। बहुत से रावियों ने इसे ज़कारिया बिन अबी ज़ायदा से इसी तरह रिवायत किया है। हम ज़कारिया बिन अबी ज़ायदा की सनद से ही इसे मर्फू जानते हैं।

19 - कोढ़ ज़दा शरख्स के साथ मिलकर खाना.

1817 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक कोढ़ ज़दा शरख्स का हाथ पकड़ कर उसे अपने साथ प्याले में शामिल किया फिर फ़रमाया, "अल्लाह के नाम के साथ, अल्लाह पर भरोसा और तवक्कूल कर के खाओ।" ज़ईफ़: अबू दाऊद: 2925. इब्ने माजा: 3542.

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 2925. इब्ने माजा: 3542.

18 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَمْدِ عَلَى الطَّعَامِ إِذَا فَرِغَ مِنْهُ

1816 - حَدَّثَنَا هَنَادٌ، وَمَحْمُودُ بْنُ غِيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بَرْدَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ، فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا.

19 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَكْلِ مَعَ الْمَجْدُومِ

1817 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشْقَرِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُتَكَدِّرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِ مَجْدُومٍ فَأَدْخَلَهُ مَعَهُ فِي الْقَصْعَةِ، ثُمَّ قَالَ: كُلْ بِسْمِ اللَّهِ، ثِقَةً بِاللَّهِ، وَتَوَكَّلًا عَلَيْهِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे बवास्ता यूनुस बिन मुहम्मद, मुफज़ज़ल बिन फ़ज़ाला से ही जानते हैं। यूनुस बसरह के रहने वाले बुजुर्ग थे और मुफज़ज़ल बिन फ़ज़ाला भी बसरह के ही एक और शैख़ थे और यह उनसे ज़्यादा सिक़ह और मशहूर हैं।

नीज़ शोबा ने यह हदीस हबीब बिन शहीद से उन्होंने इब्ने बुरैदा से रिवायत की है कि इब्ने उमर (رضي الله عنه) ने कोढ़ ज़दा शख्स का हाथ पकड़ा। और मेरे नज़दीक शोबा की हदीस ज़्यादा उम्दा और ज़्यादा सहीह है।

20 - मोमिन एक आंत में जबकि काफ़िर सात आंतों में खाता है।

1818 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया; “काफ़िर सात आंतों में खाता है और मोमिन एक ही आंत में खाता है।”

बुखारी: 5393. मुस्लिम: 2060. इब्ने माजा: 3257.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ इस बारे में अबू हुरैरा, अबू सईद, अबू बसरह गिफ़ारी, अबू मूसा, जहजा गिफ़ारी, मैमूना और अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

1819 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास एक काफ़िर मेहमान आया तो आप (ﷺ) ने हुक्म दिया उसके लिए एक बकरी का दूध निकाला गया। उसने पिया, फिर दूसरी बकरी का दूध निकाला गया उस ने पिया, फिर तीसरी बकरी का दूध निकाला गया उस ने पिया। यहाँ तक कि उस ने सात बकरियों का दूध पी लिया, फिर अगले दिन हुआ तो वह मुसलमान हो गया। अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने हुक्म दिया,

20 بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَاحِدٍ. وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ

1818 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِيدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ، وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَاحِدٍ.

1819 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَافَهُ ضَيْفٌ كَافِرٌ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ، فَعُلِبَتْ فَشَرِبَ، ثُمَّ أُخْرِي فَشَرِبَهُ، ثُمَّ أُخْرِي فَشَرِبَهُ، حَتَّى شَرِبَ

उसके लिए एक बकरी का दूध निकाला गया, उसने उसका दूध पिया, फिर आप ने दूसरी का हुकम दिया तो वह उसे खत्म न कर सका तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "मोमिन एक आंत में पीता है और काफ़िर सात आंतों में पीता है।"

बुखारी: 5396. मुस्लिम: 2063. इब्ने माजा: 3256.

جَلَابَ سَبْعِ شِيَاهٍ، ثُمَّ أَصْبَحَ مِنَ الْغَدِ، فَاسْلَمَ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ، فَخَلِبَتْ فَشَرِبَ جِلَابَهَا، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِأُخْرَى فَلَمْ يَسْتَمِّهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِي مَعَى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: यह हदीस सुहैल की सनद से सहीह हसन गरीब है।

21 - एक आदमी का खाना दो आदमियों को पूरा आ जाता है.

21 بَابُ مَا جَاءَ فِي طَعَامِ الْوَاحِدِ يَكْفِي الْإِثْنَيْنِ

1820 - सव्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "दो आदमियों का खाना तीन आदमियों को काफी हो जाता है और तीन आदमियों का खाना चार को काफी होता है।"

बुखारी: 5392. मुस्लिम: 2058.

1820 - حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَعَامُ الْإِثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الْأَرْبَعَةِ.

वज़ाहत: इस मसले में जाबिर और इब्ने उमर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ जाबिर और इब्ने उमर (رضي الله عنه) ने रिवायत की है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, "एक आदमी का खाना दो आदमियों को काफी होता है, दो आदमियों का खाना चार आदमियों को काफी होता है और चार आदमियों का खाना आठ आदमियों को काफी होता है।"

अबू ईसा (رحمته الله عليه) कहते हैं: हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने वह कहते हैं: हमें अब्दुरहमान बिन महदी ने सुफ़ियान से उन्होंने आमश से बवास्ता अबू सुफ़ियान जाबिर (رضي الله عنه) से नबी (ﷺ) की यह हदीस बयान की है।

22 - टिड्डी खाने का बयान.

1821 - अबू याफूर अब्दी (رضي الله عنه) से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा (رضي الله عنه) से टिड्डी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फ़रमाया, "मैंने नबी (ﷺ) के साथ मिलकर छः गज़वात किए, हम टिड्डी खाते थे।

बुखारी: 5495. मुस्लिम: 1952. अबू दारूद: 3812.
निसाई: 4356, 4357.

तौज़ीह: جرّاد : यह एक परदार (पंखवाला) कीड़ा है जो फसलों को तबाह करता है। हलाल होने की वजह से इसे ज़बह किए बगैर खाया जाता है। मारूफ़ हदीस है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "हमारे लिए मरे हुए (शेर मज़बूह) दो जानवर हलाल किए गए हैं: एक मछली दूसरा टिड्डी।"

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: सुफ़ियान बिन उययना ने इस हदीस को अबू याफूर से रिवायत करते वक़्त छः गज़ावात का ज़िक्र किया है जबकि सुफ़ियान सौरी और दीगर मुहद्दीसीन ने इस हदीस को अबू याफूर से बयान करते वक़्त सात गज़वात का ज़िक्र किया है। नीज़ इस मसले में इब्ने उमर और जाबिर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

1822 - सय्यदना इब्ने अबी औफ़ा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ मिलकर सात गज़वात किए, हम टिड्डी खाते थे।

सहीह: तख़रीज के लिए पिछली हदीस मुलाहजा फ़रमाएं.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: शोबा ने भी इस हदीस को अबू याफूर से रिवायत किया है कि इब्ने अबी औफ़ा (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ मिलकर कुछ गज़वात किए, हम टिड्डी खाते थे।

यह हदीस हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने बवास्ता मुहम्मद बिन जाफ़र शोबा से रिवायत की है।

इमाम तिर्मिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अबू याफूर का नाम वाक्रिद है। उन्हें वक्रदान भी कहा जाता है। एक अबू याफूर और भी हैं जिनका नाम अब्दुरहमान बिन उबैद बिन निस्तास है।

22 بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الْجَرَادِ

1821 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي يَعْقُوبَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجَرَادِ، فَقَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتًّا غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الْجَرَادَ.

1822 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، وَالْمَوْمِلُ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الْجَرَادَ.

23 - टिड्डियों पर बहुआ का बयान.

1823 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह और अनस बिन मालिक (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) जब टिड्डी पर बहुआ करते तो कहते: “ऐ अल्लाह! टिड्डियों को हलाक कर दे, बड़ी टिड्डियों को मार दे और छोटी को हलाक कर दे, इसके अंडे खराब कर दे, इनकी नस्ल खत्म कर दे, इसके मुंह को हमारी मईशत और हमारी रोज़ी से रोक दे। बेशक तु दुआ सुनने वाला है।” रावी कहते हैं: एक आदमी ने कहा: “ऐ अल्लाह के रसूल! आप अल्लाह के लश्करों में से एक लश्कर की नस्ल के खात्मे की बहुआ कैसे कर सकते हैं? तो आप ने फ़रमाया, “यह समंदरी मछली की छींक से पैदा हुई हैं।

मौजू

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस गरीब है। हम इसे इसी सनद से ही जानते हैं और मूसा बिन मुहम्मद बिन इब्राहीम अत्तैमी पर जरह की गई है। यह अनोखी और मुन्कर अहादीस ज़्यादा से ज़्यादा रिवायत किया करता था जबकि उसके वालिद मुहम्मद बिन इब्राहीम मदनी सिकह रावी थे।

24- नजासत खोर (गंदगी खाने वाले)

जानवरों का गोश्त और दूध

1824 - सय्यदना इब्ने उमर (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) ने नजासत खोर

23 بَاب مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ عَلَى الْجَرَادِ

1823 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلَاتَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا عَلَى الْجَرَادِ، قَالَ: اللَّهُمَّ أَهْلِكَ الْجَرَادَ، أَقْتُلْ كِبَارَهُ، وَأَهْلِكَ صِغَارَهُ، وَأَفْسِدْ بَيْضَهُ، وَأَقْطَعْ دَابِرَهُ، وَخُذْ بِأَفْوَاهِهِمْ عَنْ مَعَاشِنَا وَأَرْزَاقِنَا إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَدْعُو عَلَى جُنْدٍ مِنْ أَجْنَادِ اللَّهِ بِقَطْعِ دَابِرِهِ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهَا نَثْرَةٌ حُوتٍ فِي الْبَحْرِ.

24 بَاب مَا جَاءَ فِي أَكْلِ لُحُومِ الْجَلَالَةِ

وَأَبْنَانِهَا

1824 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ

जानवर का गोशत खाने और उसके दूध को पीने से मना फ़रमाया है।

सहीह: अबू दाऊद: 3785. इब्ने माजा: 3189.

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضی اللہ عنہ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिजी (رحمۃ اللہ علیہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है। और सौरी ने यह हदीस इब्ने अबी नजीह से बवास्ता मुजाहिद (رحمۃ اللہ علیہ) मुर्सल रिवायत की है।

1825 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं नबी (ﷺ) ने मुजस्समा (बांधकर निशानों से मारे गए जानवर, नजासत खोर जानवर) के दूध और मशकीज़े के मुंह से पानी पीने से मना फ़रमाया है।

बुखारी: 2629. अबू दाऊद: 3719. इब्ने माजा: 3421. निसाई: 4448

वज़ाहत: मुहम्मद बिन बशार कहते हैं: हमें इब्ने अबी अदी ने सईद बिन अबी अरूबा से उन्होंने कतादा से उन्होंने इकिरमा से बवास्ता इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) नबी (ﷺ) से ऐसे ही रिवायत की है।

इमाम तिर्मिजी (رحمۃ اللہ علیہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और इस मसले में अब्दुल्लाह बिन उमर (رضی اللہ عنہ) से भी हदीस मर्वी है।

25 - मुर्गी खाने का बयान.

1826 - ज़हदम जरमी (رحمۃ اللہ علیہ) रिवायत करते हैं कि मैं अबू मूसा (رضی اللہ عنہ) के पास गया वह मुर्गी का गोशत खा रहे थे तो उन्होंने फ़रमाया, "करीब हो जाओ और खाओ, पियो, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा आप इसे खा रहे थे।

बुखारी: 5517. मुस्लिम: 1649. निसाई: 4346.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمۃ اللہ علیہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है और यह हदीस दीगर इस्नाद से भी ज़हदम से मर्वी है। हम इसे ज़हदम के तरीक से ही जानते हैं। और अबू अब्बाम, इमरान अल- कत्तान ही हैं।

مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْجَلَاكَةِ وَالْبَبَانِهَا.

1825 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُجْتَمَةِ، وَلَبَنِ الْجَلَاكَةِ، وَعَنِ الشَّرْبِ مِنْ فِي السَّقَاءِ

25 بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الدَّجَاجِ

1826 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَحْزَمِ الطَّائِي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قَتَيْبَةَ، عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُهْدَمِ الْجَرْمِيِّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى وَهُوَ يَأْكُلُ دَجَاجَةً فَقَالَ: اذْنُ فَكُلْ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُهُ.

1827 - सय्यदना अबू मूसा (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को देखा आप मुर्गी का गोश्त खा रहे थे।

सहीह: गुज़िस्ता हदीस देखें।

वज़ाहत: इस हदीस में इस से ज़्यादा क़लाम भी है और यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ अय्यूब सख्तियानी ने भी इस हदीस को इसी तरह ही क़ासिम तमीमी से बवास्ता अबू किलाबा, ज़हदम अल-जरमी से रिवायत किया है।

26 - हुबारा का गोश्त खाना.

1828 - इब्राहीम बिन उमर बिन सफीना अपने बाप के ज़रिए अपने दादा (सय्यदना सफीना (رضی اللہ عنہ) से रिवायत करते हैं कि मैं ने रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ (मिलकर) "हुबारा" का गोश्त खाया।

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 3797. शमाइल: 155.
बैहक्की: 9/322

तौज़ीह: **حُبَارَى**: राख के रंग का लम्बी गर्दन वाला परिदा, जो बहुत तेज़ और दूर तक उड़ता है और बहुत सादा तबीयत का परिदा है। हुबारा, तलवर (Bustard) की एक क़िस्म से जो पाकिस्तान के सहाराओं और जज़ीरतुल अरब में मिलती है। इसे Hubara Bustard भी कहा जाता है। यह लम्बी उड़ान करने वाले हलाल परिदों में सब से वजनी होता है। अरब इसका शिकार करने पाकिस्तान जाते हैं।

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे इसी सनद से ही जानते हैं और इब्राहीम बिन उमर बिन सफीना से इब्ने अबी फुदैक रिवायत लेते हैं उन्हें बुर्या बिन सफीना भी कहा जाता है।

27 - भुनाहुआ गोश्त खाना.

1829 - सय्यदा उम्मे सलमा (رضی اللہ عنہ) बयान करती हैं कि उन्होंने (बकरी के) बाज़ू का भुना

1827 - حَدَّثَنَا هَنَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ سَفِيَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ زَهْدَمٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ لَحْمَ دَجَاجٍ.

26 بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الْحُبَارَى

1828 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الْأَعْرَجِيُّ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ إِبرَاهِيمَ بْنِ عَمَرَ بْنِ سَفِينَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: أَكَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمَ حُبَارَى.

27 بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الشَّوَاءِ

1829 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ

हुआ गोश्त रसूलुल्लाह (ﷺ) के करीब किया, आप ने इस में से खाया फिर नमाज़ के लिए खड़े हुए और वुजू नहीं किया।

सहीह: इब्ने माजा:419. निसाई: 182.

جَرِيحٌ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا قَرَّتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنْبًا مَشُورًا فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَمَا تَوَضَّأَ.

वज़ाहत: इस बारे में अब्दुल्लाह बिन हारिस, मुगीरह और अबू राफ़े (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिजी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: इस सनद के साथ यह हदीस सहीह ग़रीब है।

28 - टेक लगा कर खाने की कराहत.

1830 - सय्यदना अबू जुहैफ़ा (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "आगाह रहो मैं टेक लगा कर नहीं खाता।"

बुखारी: 5398. अबू दाऊद: 3769. इब्ने माजा: 3262.

वज़ाहत: इस मसले में अली, अब्दुल्लाह बिन उमर और अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिजी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: इस सनद के साथ यह हदीस हसन सहीह है। हम इसे अली बिन अहमर की सनद से ही जानते हैं। ज़करिया बिन अबी ज़ियादा, सुफ़ियान बिन अबी सईद और दीगर मुहद्दिसीन ने इस हदीस को अली बिन अक़मर से रिवायत किया है। जबकि शोबा ने बवास्ता सुफ़ियान सौरी, अली बिन अक़मर से यह हदीस रिवायत की है।

29 - नबी (ﷺ) को मीठी चीज़ और शहद पसंद था.

1831 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि नबी (ﷺ) मीठी चीज़ और शहद को पसंद करते थे।

बुखारी: 5268. मुस्लिम: 1474. इब्ने माजा: 3323.

28 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْأَكْلِ مَتَكِبًا

1830 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنْ أَبِي جَحِيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَمَا أَنَا فَلَا أَكُلُ مَتَكِبًا.

29 بَابُ مَا جَاءَ فِي حُبِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُلُوءَ وَالْعَسَلَ

1831 - حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَيْبٍ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورَقِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ

أبيه، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجِبُّ الْخُلُوءَ وَالْعَسَلَ.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। और इसे अली बिन मुस्हिर ने भी हिशाम बिन उर्वा से रिवायत किया है।

30 - शोरबा ज्यादा करना.

1832 - अल्क़मा बिन अब्दुल्लाह मुज़नी अपने बाप से रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, "जब तुम में से कोई शब्स गोश्त खरीदे तो वह शोरबे को ज़्यादा कर ले, चुनांचे जिसे गोश्त नहीं मिलेगा तो शोरबा मिल जाएगा यह भी एक गोश्त है।"

ज़ईफ़: हाकिम: 4/ 130.

30 بَابُ مَا جَاءَ فِي إِكْثَارِ مَاءِ الْمَرْقَةِ

1832 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِدْرِاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُرْنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ لَحْمًا فَلْيُكْثِرْ مَرَقَتَهُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَحْمًا أَصَابَ مَرَقَةً، وَهُوَ أَحَدُ اللَّحْمَيْنِ.

वज़ाहत: इस मसले में अबू ज़र (رحمته الله) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे मुहम्मद बिन फ़िज़ा के तरीक से ही जानते हैं और मुहम्मद बिन फ़िज़ा, यह मुअब्बिर ही है। सुलैमान बिन हर्ब ने इस बारे में कलाम किया है और अल्क़मा बिन अब्दुल्लाह यह बक्र बिन अब्दुल्लाह मुज़नी के भाई हैं।

1833 - सय्यदना अबू ज़र (رحمته الله) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "तुम में से कोई भी शब्स किसी भी नेकी को हकीर न समझे, अगर वह कुछ भी नहीं पाता तो अपने भाई को खंडा पेशानी से मिल ले और अगर तुम गोश्त खरीदो या हंडिया पकाओ तो उसका शोरबा ज़्यादा कर लिया करो और कुछ अपने हमसाये को भी दे दो।"

मुस्लिम: 2625. इब्ने माजा: 3326.

1833 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْأَسْوَدِ الْبَعْدَاوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْقَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ صَالِحِ بْنِ رُسْتَمِ أَبِي عَامِرِ الْخَزَّازِ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَلْقُ

أَخَاهُ بِوَجْهِ طَلْقٍ، وَإِنْ اشْتَرَيْتَ لَحْمًا أَوْ طَبَخْتَ
قَدْرًا فَأَكْتَرَّ مَرَقَتَهُ وَأَغْرَفَ لِبِجَارِكَ مِنْهُ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ शोबा ने भी अबू इमरान अल जौफ़ी से रिवायत की है।

31 - सरीद की फ़ज़ीलत.

1834 - सय्यदना अबू मूसा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “मर्दों में से बहुत कामिल हुए हैं जबकि औरतों में से मरियम बिनते इमरान और आसिया जौजा फिरोन के अलावा कामिल नहीं हुईं। नीज़ आयशा की औरतों पर ऐसे फ़ज़ीलत है जैसे सरीद को तमाम खानों पर फ़ज़ीलत है।”

बुखारी: 3411. मुस्लिम: 2431. इब्ने माजा: 3280. निसाई: 3947.

वज़ाहत: الثريد : ثرد : का मानी है तोड़ना और टुकड़े करना, रोटी के टुकड़े करके गोश्त के शोरबे में मिला कर खाने को सरीद कहा जाता है।

वज़ाहत: इस बारे में आयशा और अनस (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

32 - गोश्त को दांतों से नोच कर खाओ.

1835 - अब्दुल्लाह बिन हारिस (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मेरे बाप ने मेरी शादी की तो वलीमे में लोगों को बुलाया, उन में सय्यदना सफ़वान बिन उमय्या (رضي الله عنه) भी थे उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने

31 بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الثَّرِيدِ

1834 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،
عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْةَ، عَنْ مَرْةَ الْهَمْدَانِيَّةِ، عَنْ
أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: كَثَلُ مِنَ الرُّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ
النِّسَاءِ إِلَّا مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ، وَأَسِيَّةُ امْرَأَةَ
فِرْعَوْنَ، وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ
الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ.

32 بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ قَالَ: انْهَسُوا اللَّحْمَ نَهْسًا

1835 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: زَوَّجَنِي أَبِي فَدَعَا
أُنَاسًا فِيهِمْ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ

फ़रमाया; "गोश्त को दांतों से नोचो, बेशक यह लज्जत और हज़म का बाइस है।"

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 3739. हुमैदी: 564. मुसनद अहमद: 3/400.

वज़ाहत: इस बारे में आयशा और अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: इस हदीस को हम अब्दुल करीम की सनद से ही जानते हैं और बाज़ (कुछ) उलमा ने अब्दुल करीम मुअल्लिम के हाफ़िज़े की वजह से उस पर जरह की है जिन में अव्यूब सख्तियानी भी हैं।

33 - नबी (ﷺ) की तरफ़ से छुरी के साथ गोश्त काट कर खाने की रुख़सत भी है।

1836 - सय्यदना अम्र बिन उमय्या ज़मरी (رضي الله عنه) से रिवायत है कि उन्होंने नबी (ﷺ) को देखा आप ने बकरी के कंधे से गोश्त काटा उसे खाया फिर नमाज़ के लिए चल दिए और वुजू नहीं किया।

बुखारी: 208. मुस्लिम: 355.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और इस बारे में मुगीरह बिन शोबा (رضي الله عنه) से भी मर्वी है।

34 - रसूलुल्लाह (ﷺ) को कौन सा गोश्त ज्यादा पसंद था?

1837 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) के पास गोश्त लाया गया तो आप की तरफ़ दस्त का गोश्त बढ़ाया गया और वह आप को अच्छा लगता था। तो

33 بَابُ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي قَطْعِ اللَّحْمِ بِالسِّكِّينِ

1836 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ أُمِّةِ الصُّمْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَرَّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ مَضَى إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

34 بَابُ مَا جَاءَ فِي أَبِي اللَّحْمِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1837 - حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ جَرِيرٍ،

आप (ﷺ) ने उस से नोच कर खाया।

बुखारी: 3340. मुस्लिम: 194. इब्ने माजा: 3307.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمٍ فَدَفَعَ إِلَيْهِ الذَّرَاعُ وَكَانَ يُعْجِبُهُ فَتَهَسَّ مِنْهَا.

वज़ाहत: इस बारे में इब्ने मसऊद, आयशा, अब्दुल्लाह बिन जाफ़र और अबू उबैदा (رضي الله عنه) से भी हदीस मव्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह है और अबू हय्यान का नाम यहया बिन सर्ईद बिन हय्यान तैमी है और अबू ज़रआ बिन अम्र बिन जरीर का नाम हरम है।

1838 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि दस्त का गोश्त रसूलुल्लाह (ﷺ) को ज़्यादा पसंद नहीं था लेकिन आपको नागे के साथ मिलता था तो आप उसी की तरफ़ जल्दी करते थे क्योंकि वह जल्दी गल जाता है।

मुन्कर शमाइल: 170.

1838 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ أَبِي عَبَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ يَحْيَى، مِنْ وَلَدِ عَبْدِ أَبِي عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا كَانَ الذَّرَاعُ أَحَبَّ اللَّحْمِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنْ كَانَ لَا يَجِدُ اللَّحْمَ إِلَّا غِيًّا فَكَانَ يَعْجَلُ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ أَعْجَلُهَا نُضْجًا.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे सिर्फ़ इसी सनद से जानते हैं।

35 - सिके का बयान.

1839 - सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, "सिका बेहतरीन सालन है।"

मुस्लिम: 2052. अबू दाऊद: 3820.

35 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخَلِّ

1839 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ سَعِيدٍ هُوَ أَخُو سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ.

1840 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “सिकां बेहतरीन सालन है।”

सहीह: 2015. इब्ने माजा:3316. दास्मी:2055. शमाइल:151.

1840 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ بْنُ عَشْكِرٍ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ.

वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें अब्दुल्लाह बिन अब्दुरहमान ने बवास्ता यह्या बिन हस्सान, सुलैमान बिन बिलाल से इसी सनद के साथ ऐसे ही हदीस बयान की है लेकिन उन्होंने कहा: “बेहतरीन सालन या सालनों में बेहतरीन चीज़ सिकां है।”

इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: इस सनद के साथ यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। हिशाम बिन उर्वा से सुलैमान बिन बिलाल के तरीक से ही मर्वी है।

1841 - सय्यदा उम्मे हानी बिनते अबी तालिब (رضي الله عنه) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मेरे पास तशरीफ़ लाये तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “क्या तुम्हारे पास कुछ है?” मैंने कहा: नहीं सिवाए (रोटी के) सूखे टुकड़े और सिकें के। तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “उसे करीब करो, वह घर सालन से मोहताज नहीं होता जिस में सिकां हो।”

हसन: शमाइल: 173.

1841 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حُمْزَةَ الثَّمَالِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ هَانِيٍّ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ فَقُلْتُ: لَا، إِلَّا كِسْرٌ يَابِسَةٌ وَخَلٌّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَرِيبِهِ، فَمَا أَقْفَرُ بَيْتٌ مِنْ أَدَمٍ فِيهِ خَلٌّ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: इस सनद के साथ यह हदीस हसन ग़रीब है हम उम्मे हानी से इस हदीस को इसी सनद से ही जानते हैं।

अबू हमज़ा शिमाली का नाम साबित बिन अबी सफ़्रिय्या है और उम्मे हानी (رضي الله عنها), सय्यदना अली बिन अबी तालिब (رضي الله عنه) से काफ़ी अर्सा बाद फ़ौत हुई।

और मैंने मुहम्मद बिन इस्माइल बुखारी (رضي الله عنه) से इस हदीस के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया, मैं शाबी का उम्मे हानी (رضي الله عنها) से सिमा (सुनना) नहीं जानता। मैंने कहा: आप के नज़दीक

अबू हम्ज़ा कैसा रावी है? तो उन्होंने कहा कि अहमद बिन हंबल ने इसके बारे में कलाम किया है और मेरे नज़दीक मुकारिबुल हदीस है।

1842 - सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “सिर्का बेहतरीन सालन है।”

सहीह:

1842 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ سَعِيدٍ هُوَ أَخُو سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ.

वज़ाहत: इस बारे में आयशा और उम्मे हानी (رضي الله عنها) से भी हदीस मर्वी है। और यह हदीस मुबारक बिन सईद की रिवायत से ज़्यादा सहीह है।

36 - खरबूजा और खुजूर इकट्ठे खाना.

1843 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) खरबूजा⁽¹⁾ या तरबूज़ खुजूर के साथ खाते थे।

सहीह: अबू दाऊद: 3836. शमाइल:198. इब्ने हिब्बान:5247.

36 بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الْبِطِّيخِ بِالرُّطْبِ

1843 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ الْبِطِّيخَ بِالرُّطْبِ.

तौज़ीह: **البطيخ**: खरबूजे और तरबूज़ दोनों पर यह लफ़्ज़ बोला जाता है लेकिन इसका ज़्यादातर इस्तेमाल खरबूजे के लिए होता है। (अल-मोजमुल वसीत:पृ. 75)

वज़ाहत: इस बारे में अनस (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है और बाज़ (कुछ) ने इसे हिशाम बिन उर्वा उनके बाप के ज़रिए नबी (ﷺ) से मुर्सल रिवायत किया है। इस में सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) का ज़िक्र नहीं है। नीज़ यज़ीद बिन रूमान ने भी बवास्ता उर्वा (رضي الله عنه) सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से इस हदीस को रिवायत किया है।

37 - खजूर के साथ खीरे खाना

1844 - अब्दुल्लाह बिन जाफ़र (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) खीरों⁽¹⁾ को खजूर के साथ खाते थे।

बुखारी: 5440. मुस्लिम: 2043. अबू दाऊद: 3835. इब्ने माजा: 2325.

तौज़ीह: الفِثَاء: खीरा, ककड़ी के मुशाबेह, मिख में इसे, عجوز, और خيار कहते हैं। (अल-कामूसुल वहीद:पृ. 1277)

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته اللہ علیہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। हम इसे इब्राहीम बिन साद के तरीक से ही जानते हैं।

38 - ऊंटों का पेशाब पीना.

1845 - सय्यदना अनस (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि क़बील-ए-उरैना के कुछ लोग मदीना में आए तो उन्हें (यहाँ का वातावरण) नामुवाफ़िक़ हुआ। नबी (ﷺ) ने उन्हें सदका के ऊंटों के हमराह खाना किया और फ़रमाया, "इन ऊंटनियों का दूध और पेशाब पियो।"

सहीह: ताख़रीज हदीस नम्बर 72 में गुज़र चकी है

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته اللہ علیہ) फ़रमाते हैं: साबित के तरीक से यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। और यह कई दीगर इस्नाद के साथ भी अनस (رضی اللہ عنہ) से मर्वी है। इसे अबू किलाबा ने अनस (رضی اللہ عنہ) से रिवायत किया है। जबकि सईद बिन अबी अरूबा बवास्ता क़तादा, अनस (رضی اللہ عنہ) से रिवायत किया है।

37 بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الْقِثَاءِ بِالرُّطْبِ

1844 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الْقِثَاءَ بِالرُّطْبِ.

38 بَابُ مَا جَاءَ فِي شُرْبِ أَبْوَالِ الْإِبِلِ

1845 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، وَثَابِتٌ، وَقَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْتَةِ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا، فَبَعَثَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَقَالَ: اشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَالْبَانِهَا.

39 - खाना खाने से पहले और बाद में वुजू करना.

1846 - सय्यदना सलमान (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मैं तौरात में पढ़ता था कि खाने की बरकत उसके बाद वुजू करने में है। मैंने यह बात नबी (ﷺ) से जिक्र की और आपको वह बात बताई जो मैंने तौरात में पढ़ी थी तो अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया, "खाने की बरकत उस से पहले और उसके बाद वुजू करने में है।"

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 3761. मुसनद अहमद: 5/441.

39 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَهُ

1846 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجُرْجَانِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ الْمَعْنَى وَاحِدًا، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ يَعْنِي الرُّمَائِيَّ، عَنْ زَادَانَ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَرَأْتُ فِي التَّوْرَةِ أَنَّ بَرَكَةَ الطَّعَامِ الْوُضُوءَ بَعْدَهُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَرَأْتُ فِي التَّوْرَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ وَالْوُضُوءُ بَعْدَهُ.

वज़ाहत: इस बारे में अनस और अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: इस हदीस को हम कैस बिन रूबीअ की सनद से ही जानते हैं और कैस बिन रूबीअ हदीस में ज़ईफ़ है। नीज़ अबू हाशिम रूमानी का नाम यहया बिन दीनार है।

40 - खाने से पहले वुजू करना.

1847 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) बैतूल खला से निकले तो आपको खाना पेश किया गया, लोगों ने कहा: हम आपके पास वुजू का पानी न लायें? आप (ﷺ) ने फ़रमाया, "मुझे

40 بَابُ فِي تَرَكِ الْوُضُوءِ قَبْلَ الطَّعَامِ

1847 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

बुजू करने का हुक्म उसी वक़्त दिया गया है जब मैं नमाज़ के लिये खड़ा हूँ। ”

मुस्लिम: 376. अबू दाऊद: 3760. निसाई: 132

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ
فَقُرْبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ، فَقَالُوا: أَلَا نَأْتِيكَ
بَوْضُوءٍ؟ قَالَ: إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ
إِلَى الصَّلَاةِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। इसे अम्र बिन दीनार ने भी बवास्ता सईद बिन हुवैरिस, इब्ने अब्बास (رحمته الله) से रिवायत किया है। अली बिन मदीनी कहते हैं कि यह्या बिन सईद ने फ़रमाया कि सुफ़ियान सौरी खाने से पहले हाथ धोने को भी मकरूह समझते थे और रोटी को प्याले के नीचे रखना नापसंद करते थे।

41 - खाने के दौरान बिस्मिल्लाह कहना.

1848 - सय्यदना इक्राश बिन जुऐब (رحمته الله) बयान करते हैं कि बनू मुरा में उबैद ने मुझे अपने अमवाल की ज़कात देकर रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ भेजा, मैं आप के पास मदीना में आया तो मैंने आपको मुहाजिरीन व अंसार के दरमियान बैठा हुआ पाया। रावी कहते हैं: फिर आप ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उम्मे सलमा (رحمته الله) के घर की तरफ़ ले गए। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “क्या कुछ खाना है?” तो हमारे पास एक बड़ा सा प्याला लाया गया जिस में सरीद और गोश्त के टुकड़े थे, हम उस से खाने लगे। मैं अपना हाथ उसके किनारों में चलाने लगा और रसूलुल्लाह (ﷺ) अपने आगे से ही खा रहे थे आप (ﷺ) ने अपने बाएं हाथ से मेरा दायीं हाथ पकड़ा फिर फ़रमाया, “ऐ इक्राश एक ही जगह से खाओ, यह एक ही किस्म का खाना है।” फिर हमें एक थाल दिया गया जिस

41 بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْبِيَةِ فِي الطَّعَامِ

1848 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا
الْعَلَاءُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي
سُوَيْبَةَ أَبُو الْهَدَيْلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُيَيْدُ اللَّهِ بْنُ
عِكْرَاشٍ، عَنْ أَبِيهِ عِكْرَاشِ بْنِ ذُوَيْبٍ قَالَ:
بَعَثَنِي بَنُو مَرَّةَ بْنِ عُيَيْدٍ بِصَدَقَاتِ أَمْوَالِهِمْ إِلَيَّ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَدِمْتُ
عَلَيْهِ الْمَدِينَةَ فَوَجَدْتُهُ جَالِسًا بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ
وَالْأَنْصَارِ، قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَأَنْطَلَقَ بِي إِلَى
بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ: هَلْ مِنْ طَعَامٍ؟ فَأَتَيْنَا
بِحَفْنَةٍ كَثِيرَةٍ الشَّرِيدِ وَالْوَدْرِ، وَأَقْبَلْنَا نَأْكُلُ مِنْهَا،
فَخَبَطْتُ بِيَدِي مِنْ نَوَاحِيهَا وَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، فَقَبَضَ
بِيَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى يَدِي الْيُمْنَى ثُمَّ قَالَ: يَا

में तरह तरह की खुजूरें थीं। रावी कहते हैं: मैंने अपने आगे से खाना शुरू कीं और रसूलुल्लाह (ﷺ) का हाथ थाल में घूम रहा था आप ने फ़रमाया; “ऐ इक्राश जहां से चाहो खाओ यह एक किस्म का नहीं है।” फिर हमें पानी दिया गया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने दोनों हाथ धोये और अपनी हथेलियों की नमी से अपने चेहरे, बाजुओं और सर को साफ़ किया और फ़रमाया: “ऐ इक्राश! जिसे आग तब्दील कर दे उसके खाने से यही वुजू है।”

ज़ईफ़: इब्ने माजा:3274. इब्ने खुज़ैमा: 2282.

عِكْرَاشُ، كُلُّ مِنْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ طَعَامٌ وَاحِدٌ، ثُمَّ أُتِينَا بِطَبَقٍ فِيهِ الْوَأْنُ الثَّمَرِ، أَوْ مِنْ الْوَأْنِ الرُّطْبِ، غَبِيْدُ اللهِ شَكًّا، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَكُلُّ مِنْ بَيْنِ يَدَيْ، وَجَالَتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الطَّبَقِ وَقَالَ: يَا عِكْرَاشُ، كُلُّ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ فَإِنَّهُ غَيْرُ لَوْنٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ أُتِينَا بِمَاءٍ فَعَسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ، وَمَسَحَ بِتَلَلِ كَفَيْهِ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسَهُ وَقَالَ: يَا عِكْرَاشُ، هَذَا الْوُضُوءُ مِمَّا غَيَّرَ النَّارُ.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे अला बिन फ़ज़ल के तरीक से ही जानते हैं और अला इस हदीस को बयान करने में अकेला है।

नोज़ इस हदीस में एक किस्सा भी है और इक्राश की नबी (ﷺ) से सिर्फ़ यही एक हदीस हम जानते हैं।

42 - कढ़ू खाना.

1849 - अबू तालूत रिवायत करते हैं कि मैं अनस (رضي الله عنه) के पास गया वह कढ़ू खा रहे थे और फ़रमा रहे थे: ऐ दरख़्त मैं तुझे इस लिए पसंद करता हूँ कि अल्लाह के रसूल तुझे पसंद करते थे।

ज़ईफ़: इब्ने माजा:3302.

42 بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الدَّبَائِ

1849 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي طَالُوتَ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَهُوَ يَأْكُلُ الْقَرْعَ وَهُوَ يَقُولُ: يَا لَكَ شَجْرَةٌ مَا أَحْبَبْتُكَ إِلَّا لِحُبِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِيَّاكَ.

वज़ाहत: इस बारे में हकम बिन जाबिर की अपने बाप से भी रिवायत है। इमाम तिमिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: इस सनद के साथ यह हदीस ग़रीब है।

1850 - सय्यदना अनस बिन मालिक (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को देखा आप प्याले में कद्दू तलाश कर रहे थे। तब से मैं हमेशा उसे पसंद करता हूँ।

बुखारी: 2092. मुस्लिम: 2041. अबू दाऊद: 3782.

1850 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّبَعُ فِي الصَّحْفَةِ، يَعْنِي الدُّبَاءَ، فَلَا أَرَأَى أُجِبُهُ.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته اللہ علیہ) فرमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और यह हदीस कई सनदों के साथ सय्यदना अनस बिन मालिक (رضی اللہ عنہ) से मर्वी है। नीज़ यह भी मर्वी है कि उन्होंने नबी(ﷺ) के सामने कद्दू देखा तो आप से कहा: यह क्या है? आप ने फ़रमाया, “यह कद्दू है। इस के साथ हम अपना खाना बढ़ाते हैं।”

43 - जैतून का तेल खाना.

1851 - सय्यदना उमर बिन खत्ताब (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, “जैतून का रोगन खाओ और इसे बतौर तेल लगाओ क्योंकि यह ब्रा बरकत दरख्त है।”

सहीह: इब्ने माजा: 3319. शमाइल: 158.

43 بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الزَّيْتِ

1851 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُوا الزَّيْتِ وَادْهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ.

वज़ाहत: जैतून का तेल, दूसरी अक्साम के तेलों पर इजाफ़त के साथ बोला जाता है। जैसे जैतूल हार: अलसी का तेल, जैतूल ख़ुरू: अरंडी का तेल वग़ैरह। (अल-मोजमुल वसीत:पृ. 483)

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته اللہ علیہ) फ़रमाते हैं: इस हदीस को हम मामर से बवास्ता अब्दुरज़ाक ही जानते हैं और अब्दुरज़ाक इस हदीस की रिवायत में इज़्तिराब करते हैं। वह कभी इसे बवास्ता उमर (رضی اللہ عنہ) नबी(ﷺ) से रिवायत करते हैं और कभी शक के साथ कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि उमर (رضی اللہ عنہ) ने नबी(ﷺ) से रिवायत की है और कभी ज़ैद बिन असलम से उनके वालिद के वास्ते के साथ नबी(ﷺ) से मुर्सल रिवायात करते हैं।

अबू ईसा कहते हैं: हमें अबू दाऊद सुलैमान बिन माबद ने, वह कहते हैं: हमें अब्दुरज्जाक ने मामर से उन्होंने ज़ैद बिन असलम से उनके वालिद के वास्ते के साथ नबी (ﷺ) से ऐसे ही रिवायत किया है। इस में उमर (رضي الله عنه) का जिक्र नहीं है।

1852 - सय्यदना अबू उसैद (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “जैतून खाओ और इसका तेल लगाओ बेशक यह बाबरकत दरख्त है।”

सहीह: मुसनद अहमद: 3/497. दारमी: 2058.
हाकिम: 2/397

1852 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، وَأَبُو نَعِيمٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيْسَى، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: عَطَاءٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُوا الزَّيْتِ وَأَدْهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةِ مَبَارَكَةٍ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: इस सनद के साथ यह हदीस ग़रीब है।

हम इसे अब्दुल्लाह बिन ईसा से सुफ़ियान सौरी के तरीक से ही जानते हैं।

44 - गुलाम और अहलो अयाल के साथ मिलकर खाना.

1853 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “जब तुम में से किसी आदमी का खादिम खाना बनाने की वजह से आग की तपिश और धुआं बर्दाश्त करे तो उसका हाथ पकड़ कर उसे अपने साथ बिठा ले अगर वह इनकार करे तो एक लुकमा पकड़ कर उसे खिला दे।”

44 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَكْلِ مَعَ الْمَمْلُوكِ وَالْعِيَالِ

1853 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يُخْبِرُهُمْ بِذَلِكَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَفَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ حَرَهُ وَدُخَانَهُ فَلْيَأْخُذْ بِيَدِهِ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيَأْخُذْ لُقْمَةً فَلْيُطْعِمْهَا إِيَّاهُ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और इस्माईल के वालिद अबू खालिद का नाम सअद है।

45 - खाना खिलाने की फ़ज़ीलत.

1854 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, "सलाम को आम करो, खाना खिलाओ और काफ़िरों की खोपड़ियों पर मारो तुम जन्नतों के वारिस बना दिए जाओगे।"

ज़ईफ़.

वज़ाहत: इस बारे में अब्दुल्लाह बिन अम्र, इब्ने उमर, अनस, अब्दुल्लाह बिन सलाम, अब्दुर्रहमान बिन आइश (رضي الله عنه) और शुरैह बिन हानी की अपने बाप से भी रिवायत है।

इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: इब्ने जियाद से मर्वी अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है।

1855 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "रहमान की इबादत करो, खाना खिलाओ और सलाम को फैलाओ तुम जन्नत में सलामती से दाख़िल हो जाओगे।"

सहीह: इब्ने माजा: 4694. अदबुल मुफ़रद:981. दारमी:2087.

वज़ाहत : इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

46 - रात के खाने की फ़ज़ीलत.

1856 - सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, "रात का खाना खाया करो अगरचे नाकिस ख़ुजूरों की एक मुट्ठी ही हो, बेशक रात का

45 بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ إِطْعَامِ الطَّعَامِ

1854 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَأَصْرَبُوا الْهَامَ، تَوَرَّثُوا الْجَنَانَ.

1855 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اعْبُدُوا الرَّحْمَنَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَأَفْشُوا السَّلَامَ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ.

46 بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْعَشَاءِ

1856 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَغْلَى الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ

खाना छोड़ देना बुढ़ापे का बाइस है। ”

ज़र्रफ़: अबू याला: 4353. हुलिया:8/214.

عَلَّاقٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَشَوْا وَلَوْ بِكَفٍّ مِنْ حَشْفٍ، فَإِنَّ تَرَكَ الْعِشَاءَ مَهْرَمَةٌ.

वज़ाहत : इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस मुन्कर है हम इसे इसी सनद से ही जानते हैं। अंबसा को हदीस में ज़र्रफ़ कहा गया है। नीज़ अब्दुल मलिक बिन अल्लाक़ भी मजहूल है।

47 - खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना.

1857 - सय्यदना उमर बिन अबू सलमा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि वह रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास गए और आपके पास खाना था आप ने फ़रमाया, “ऐ बेटे! करीब हो जाओ. अल्लाह का नाम लो, अपने दायें हाथ से और अपने सामने से खाओ। ”

बुखारी:5376. मुस्लिम:2022. अबू दाऊद: 3777.

वज़ाहत : इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हिशाम बिन उर्वा से बवास्ता अबू जज़ा सअदी, मुज़ैना कबीले के एक आदमी के ज़रिए भी उमर बिन अबी सलमा (رضي الله عنه) से मर्वी है। और हिशाम के शागिर्दों का इस हदीस की रिवायत में इब्ज़ितलाफ़ है। नीज़ अबू जज़ा सअदी का नाम यज़ीद बिन उवैद है।

1858 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, “जब तुम में से कोई खाना खाने लगे तो वह ‘बिस्मिल्लाह’ कहे अगर शुरू में भूल जाए तो कहे ‘बिस्मिल्लाहि फी अवलिही व आखिरिही’ ”

सहीह: अबू दाऊद:3767. मुसनद अहमद: 6/207.

47 بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْبِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ

1857 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْهَاشِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ طَعَامٌ قَالَ: اذْنُ يَا بُنَيَّ، وَسَمَّ اللَّهُ وَكُلَّ بِيَمِينِكَ، وَكُلَّ مِمَّا بِيَدِكَ.

1858 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْعَقِيلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أُمِّ كَلْبُومَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ، فَإِنْ نَسِيَ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ

वज़ाहत: इसी सनद से यह भी मर्वी है कि सय्यदा आयशा (رضی اللہ عنہا) फ़रमाती हैं: कि नबी (ﷺ) अपने छ सहाबा के साथ खाना खा रहे थे तो एक आराबी आ गया, वह उसे दो लुकमों में खा गया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "अगर बिस्मिल्लाह पढ़ लेता तो यह खाना तुम्हें काफी था।"

इमाम तिरमिज़ी (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और उम्मे कुलसूम मुहम्मद बिन अबी बक्र सिद्दीक (رضی اللہ عنہ) की बेटी हैं।

तौज़ीह: सहीह लिगैरिही: सहीहुत्ताबीब 2107, अबू दाऊद 3767 तोहफतुल अशरफ़ 17988

48 - चिकनाई की बू हाथ में हो तो रात बसर करना मक़रूह है।

1859 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "शैतान बहुत ही हस्सास और बू सूंघने वाला है। तुम अपने आप को इस से बचाओ। जिस शख्स ने रात गुज़ारी और उसके हाथ में चिकनाई की बू हो तो अगर उसे कुछ हो जाए तो वह अपने आप को ही मलामत करे।"

मौजू: अस-सिलसिला अज़-ज़ईफ़ा: 5533.
हाकिम: 4/ 119.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस ग़रीब है। और सुहैल बिन अबी सालेह से उनके वालिद के ज़रिए अबू हुरैरा (رضی اللہ عنہ) से भी मर्वी है।

1860 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "जिस शख्स ने रात गुज़ारी और उसके हाथ में चिकनाई की बू हो तो अगर उसे कुछ हो जाए तो वह अपने आप को ही मलामत करे।"

48 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْبَيْتُوتَةِ وَفِي يَدْرِيحِ عَمْرِ

1859 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَبِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ الْوَلِيدِ الْمَدَنِيُّ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ، عَنِ الْمُقْبَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ خَسَّاسٌ لِحَاسٍ فَاحْذَرُوهُ عَلَى أَنْفُسِكُمْ، مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ رِيحٌ عَمَرَ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.

1860 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَغْدَادِيُّ الصَّاعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمَدَائِنِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ

सहीह: अबू दाऊद: 3852. इब्ने माजा:3297. मुसनद
अहमद:2/ 263.

أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ رِيحٌ غَمْرٌ
فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है आमश से हम इसी तरीक़ के ज़रिए जानते हैं।

खुलासा

- घोड़ा, लगड़बध्वा, और सांडा हलाल हैं, हमारे यहाँ नहीं खाए जाते तो और बात है।
- चूहा घी में गिर जाने से सारा घी नजिस (नापाक) नहीं होता।
- बाएं हाथ से खाना मना है. नीज़ खाने के बाद उंगलियाँ चाटना भी लाज़मी है।
- खाना अपने आगे से खाए। नीज़ कोई लुक्ममा गिर जाए तो उसे साफ़ करके खा लें।
- कच्चा लहसुन या पियाज़ खा कर मस्जिद में न जाएँ।
- आग बुझा कर और बर्तनों को ढाँप कर सोयें।
- खाने के शुरू में बिस्मिल्लाह और आखिर में अल-हम्दुलिल्लाह कहना बाइसे बरकत है।
- खरगोश और टिड्डी हलाल हैं।
- नबी(ﷺ) को मीठी चीज़ और शहद पसंद था।
- खाने के बाद अगर हाथ साफ़ कर लिए जाएँ तो बेहतर हैं।
- मिस्कीनों को खाना खिलाना जन्नत में ले जाने वाला अमल है।
- रात को हाथ धोये बगैर न सोयें।

मज़मून नम्बर 24.

أَبْوَابُ الْأَشْرِبَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

रसूलुल्लाह(ﷺ) से मर्वा मशरूबात (पीने की चीजों) के अहकाम व मसाइल

तआरुफ़

36 अहादीस के साथ 21 अबवाब के इस उन्वान में आप पढ़ेंगे कि:

- शराब किन- किन चीजों से बनती है?
- कौनसा मशरूब हARAM होता है?
- पानी पीने के आदाब क्या हैं?

1 - शराब पीने वाला.

1861 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "हर नशा करने वाली चीज़ खमीर (शराब) है, हर नशा करने वाली चीज़ हARAM है और जिस ने दुनिया में शराब पी (फिर) मरा और वह उसकी आदत रखता था तो वह आखिरत में उसे नहीं पी सकता।"

बुखारी: 5575. मुख्तसर. मुस्लिम:2003. अबू दाऊद:3679. इब्ने माजा:3373. निसाई:5671.

1 بَابُ مَا جَاءَ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ

1861 - حَدَّثَنَا أَبُو زَكْرِيَّا يَحْيَى بْنُ دُرْسْتِ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يَذْمُنُهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ.

तौज़ीह: खमर : लफ़्ज़ी मानी दांपना लेकिन यह लफ़्ज़ शराब के लिए मुस्तमल है (इस्तेमाल किया जाता है) क्योंकि शराब भी अक्ल को ढाँप देती है। यह मुज़क्कर व मुअन्नस दोनों तरह आता है।

वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरैरा, अबू सईद, अब्दुल्लाह बिन अम्र, उबादा, अबू मालिक अशअरी और इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वा है।

इमाम तिर्मिजी (रह) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर (रह) की हदीस हसन सहीह है और कई सनदों के साथ नाफ़े से बवास्ता इब्ने उमर (रह) नबी करीम (रह) से मर्वी है। जबकि मालिक बिन अनस ने इसे बवास्ता नाफ़े, इब्ने उमर (रह) से मौकूफ़ रिवायत किया है और इसको मर्फू ज़िक्र नहीं किया।

1862 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (रह) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (रह) ने फ़रमाया, "जिसने शराब पी चालीस दिन तक उसकी नमाज़ कुबूल नहीं होगी। पस अगर तौबा कर लेता है तो अल्लाह उसकी तौबा कुबूल करता है, अगर फिर पीता है तो अल्लाह तआला उसकी तौबा कुबूल करता है, अगर फिर पीता है तो अल्लाह तआला उसकी चालीस दिन की नमाज़ कुबूल नहीं करता फिर अगर तौबा कर लेता तो अल्लाह तआला उसकी तौबा कुबूल करता है, अगर फिर पीता है तो अल्लाह तआला उसकी चालीस दिन की नमाज़ कुबूल नहीं करता अगर तौबा कर लेता है तो अल्लाह उसकी तौबा कुबूल करता है अगर चौथी मर्तबा पीता है तो अल्लाह उसकी चालीस दिन की नमाज़ कुबूल नहीं करता, फिर अगर तौबा करता है तो अल्लाह तआला उसकी तौबा कुबूल नहीं करता और वह क़यामत के दिन उसे खबाल की नहर से पिलाएगा।" कहा गया: ऐ अबू अब्दुर्रहमान! खबाल की नहर क्या है? उन्होंने फ़रमाया, जहन्नमियों की पीप की नहर है।

सहीह: तयालिसी: 1901. अब्दुर्रज्जाक़: 10758.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (रह) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। नीज़ यह हदीस अब्दुल्लाह बिन अम्र और इब्ने अब्बास (रह) के ज़रिए नबी (रह) से मर्वी है।

1862 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ
بُنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُيَيْدٍ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ
أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ
شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ يَقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ
صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ
لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ
تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ
لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ
اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ
لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ لَمْ يَشِبْ
اللَّهُ عَلَيْهِ، وَسَقَاهُ مِنْ نَهْرِ الْخَبَالِ قَبْلَ: يَا
أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَمَا نَهْرُ الْخَبَالِ؟ قَالَ:
نَهْرٌ مِنْ صَدِيدِ أَهْلِ النَّارِ.

2 - हर नशा आवर (नशा लाने वाली) चीज हराम है.

1863 - सय्यदा आयशा (رضی اللہ عنہا) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) से "बितई" (1) के बारे में पूछा गया तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, "हर वह मशरूब(पीने की चीज़ें) जो नशा करे वह हराम है।"

बुखारी:242. मुस्लिम:2001.अबू दाऊद:3682. इब्ने माजा:3386. निसाई: 5590, 5594.

तौज़ीह: البَيْعُ : शहद से बनाई जाने वाली शराब को "बितई" कहा जाता है।

1864 - सय्यदना इब्ने उमर (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि मैंने नबी (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना: "हर नशा करने वाली चीज़ हराम है।"

मुस्लिम: 2003. अबू दाऊद:3679. इब्ने माजा:3378. निसाई:5582, 5586.

वज़ाहत: इस मसले में उमर, अली, इब्ने मसऊद, अनस, अबू सईद, अबू मूसा, अशज असरी, दैलम, मैमूना, आयशा, इब्ने अब्बास, कैस बिन साद, नौमान बिन बशीर, मुआविया, अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़़ल, उम्मे सलमा, बुरैदा, अबू हरैरा, वाइल बिन हुज़ और कुरा अल मुज़नी (رضی اللہ عنہ) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिजी (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। अबू सलमा से बवास्ता अबू हरैरा (رضی اللہ عنہ) भी नबी (ﷺ) से इसी तरह मर्वी है और यह दोनों हदीसें सहीह हैं। नीज़ कई रावियों ने मुहम्मद बिन अम्र से बवास्ता अबू सलमा, सय्यदना अबू हरैरा (رضی اللہ عنہ) से और उन्होंने नबी (ﷺ) से ऐसे ही रिवायत की है और अबू सलमा से बवास्ता इब्ने उमर (رضی اللہ عنہ) भी नबी (ﷺ) से मर्वी है।

2 بَابُ مَا جَاءَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

1863 - حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْبَيْعِ فَقَالَ: كُلُّ شَرَابٍ أَسْكِرَ فَهُوَ حَرَامٌ.

1864 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطٍ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ الْكُوفِيُّ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

3 - जिस चीज़ की ज्यादा मित्रदार नशा करे उसकी थोड़ी मित्रदार (मात्रा) भी हARAM है.

1865 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “जिस चीज़ की ज्यादा मित्रदार (मात्रा) नशा करे वह थोड़ी भी हARAM है।”

सहीह: अबू दाऊद: 3681. इब्ने माजा: 3393.

वज़ाहत: इस मसले में साद, आयशा, अब्दुल्लाह बिन अम्र, इब्ने उमर और ख़वात बिन जुबैर (رضی اللہ عنہ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिमिज़ी (رحمۃ اللہ علیہ) फ़रमाते हैं: जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضی اللہ عنہ) से मर्वी यह हदीस हसन ग़रीब है।

1866 - सय्यदा आयशा (رضی اللہ عنہ) रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “हर नशा करने वाली चीज़ हARAM है। जिस चीज़ का फ़रक़⁽¹⁾ नशा करे उसकी एक मुट्ठी भी हARAM है।”

सहीह: अबू दाऊद: 3687. मुसनद अहमद: 6/71

3 بَابُ مَا جَاءَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ

حَرَامٌ

1865 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ بَكْرِ بْنِ أَبِي الْفَرَاتِ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ.

1866 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مَهْدِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجَمْحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، الْمَعْنَى وَاحِدٌ، عَنْ أَبِي عُمَانَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مُسْكَرٍ حَرَامٌ، مَا أَسْكَرَ الْفَرَقُ مِنْهُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ: قَالَ أَخَذَهُمَا فِي حَدِيثِهِ: الْحَسْوَةُ مِنْهُ حَرَامٌ.

तौजीह: (1) एक फ़रक़ में तीन साअ (लगभग 9 लीटर) आते हैं लेकिन यहाँ एक फ़रक़ या मुट्टी भर से कसीर और क़लील मिक्कदार (मात्रा) मुराद है।

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رحمته) फ़रमाते हैं: उन में से एक रावी ने अपनी हदीस में कहा है कि उसका एक घूँट भी हुराम है।

यह हदीस हसन है। इसे लैस बिन सुलैम और रबीअ बिन सबीह ने भी अबू उस्मान अंसारी से महदी बिन मैमून की तरह रिवायत किया है। नीज़ अबू उस्मान अंसारी का नाम अम्र बिन सालिम है। उन्हें अम्र बिन सालिम भी कहा जाता है।

4 - घड़ों में नबीज़ बनाना.

1867 - ताऊस (رحمته) रिवायत करते हैं कि एक आदमी इब्ने उमर (رحمته) के पास आकर कहने लगा: क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) ने घड़ों में नबीज़ बनाने से मना किया है? तो उन्होंने फ़रमाया, "हाँ! ताऊस कहते हैं: अल्लाह की क़सम मैंने खुद यह उन से सुना है।

मुस्लिम: 1997. अबू दाऊद: 3690. निसाई: 5614.

वज़ाहत: इस बारे में इब्ने अबी औफ़ा, अबू सईद, सुवैद, आयशा, इब्ने जुबैर और इब्ने अब्बास (رحمته) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिमिज़ी (رحمته) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

5 - दुखा, नक़ीर और हन्तम में नबीज़ बनाना मना है.

1868 - अम्र बिन मुरा (رحمته) से रिवायत है कि मैंने ज़ाजान से सुना वह कह रहे थे: मैंने इब्ने उमर (رحمته) से पूछा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने

4 بَابُ مَا جَاءَ فِي نَبِيذِ الْجَرِّ

1867 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ، وَزَيْدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّمِيمِيُّ، عَنْ طَاوُوسٍ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ طَاوُوسٌ: وَاللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُهُ مِنْهُ.

5 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَّةِ أَنْ يُنْبَذَ فِي الدَّبَائِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ

1868 - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْةٍ، قَالَ:

किन बर्तनों⁽¹⁾ के इस्तेमाल से मना किया है? नीज़ आप हमें अपनी ज़बान में बताइए और हमारी ज़बान में उसकी तफ़्सीर कीजिये। तो उन्होंने ने फ़रमाया, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हन्तम से मना किया, और यह घड़ा होता है और आप(ﷺ) ने दुब्बा से मना किया यह खुजूर का तना जिसमें सुराख किया जाता है या उसका छिलका उतार लिया जाता है और आप ने मुज़प्फत से मना किया यह मुक़य्यज़ होता है। और आप(ﷺ) ने आम मशकीज़ों में नबीज़ बनाने का हुक्म दिया।

मुस्लिम:6/97. मुसनद अहमद: 2/56. अबू अवाना:5/289. बैहकी:8/309.

तौज़ीह: (1) इस्लाम से पहले लोग जिन बर्तनों में शराब बनाया करते थे रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उनमें नबीज़ (फलों, खुजूर, किशमिश और दीगर खुशक या तर फलों का पानी, पानी के ज़रिए बनाया गया आमेज़ा (मिलावट)) जो बतौर मशरूब इस्तेमाल होता था। बनाकर पीने से मना फ़रमाया है। इस गरज से उमूमन चार क़िस्म के बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे।

(2) **الدّبّاء** : बड़े साइज़ के कढ़ू जब खुशक हो जाए तो उनके अन्दर का गूदा वग़ैरह निकाल कर सख़्त खोल को बर्तन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। अफ़्रीका के मुल्कों में आज भी उसका रिवाज है। वहाँ ऐसे कढ़ू पाए जाते हैं जो नीचे से गोल हो जाते हैं और ऊपर की तरफ़ उनकी बहुत लम्बी गर्दन होती है। उनको भी अन्दर से खाली कर के मशरूब वग़ैरह के बर्तन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यह बिलकुल सुराही की शक़्ल का होता है। फ़ारसी शाइरी में इसी लिए कढ़ू का लफ़ज़ शराब के बर्तन या सुराही के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाहर की सतह सख़्त और नमी पुरूफ़ जबकि अन्दर की सतह इस्फ़जी होती है और अगर उसको शराब के लिए इस्तेमाल किया जाए तो धोने के बावजूद उसकी अन्दरूनी इस्फ़जी सतह में खामिरह यानी वह माद्दा जो नबीज़ के रस वग़ैरह में खुमार उठाने का सबब बन जाता है मौजूद होता है। इस लिए ऐसे बर्तन में फलों का रस तैयार करने या रखने से मना कर दिया गया है।

(3) **حَنَم** : शराब बनाने की गरज से मिट्टी के बड़े-बड़े बर्तनों को इस तरह बनाया जाता था कि उनकी मिट्टी गूंधते वक़्त इस में खून और बाल मिला दिए जाते थे इस से उन बर्तनों का रंग सियाही माइल सबज़ हो जाता था। गर्ज़ यह होती कि इसकी सतह से हवा का गुज़र बंद हो जाए और तख़मीर का अमल

سَمِعْتُ زَادَانَ، يَقُولُ: سَأَلْتُ ابْنَ عَمَرَ عَمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَوْعِيَةِ، وَأَخْبَرَنَاهُ بِلُغَتِكُمْ وَفَسَّرَهُ لَنَا بِلُغَتِنَا، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَنْتَمَةِ وَهِيَ الْجِرَّةُ، وَنَهَى عَنِ الدَّبَّاءِ وَهِيَ الْقِرْعَةُ، وَنَهَى عَنِ النَّقِيرِ وَهُوَ أَصْلُ النَّخْلِ يُنْقَرُ نَقْرًا أَوْ يُنْسَحُ نَسْحًا، وَنَهَى عَنِ الْمَرْفَتِ وَهِيَ الْمُقَيْرُ، وَأَمَرَ أَنْ يُتَبَدَّ فِي الْأَسْقِيَةِ.

तेज़ और शदीद हो जाए। (फ़तहुल बारी, किताबुल अशरिबा, बाबो तखीसिन्नबी फिल औइयति)

ऐसे बर्तनों के अन्दर हवा की बंदिश को यकीनी बनाने के लिए रोगन वगैरह भी लगा दिया जाता था। यह बर्तन अपनी साख्त में गंदे और गलीज़ होने के अलावा अन्दरूनी सतह पर शराब के खामिरो को छिपाए रखते थे जिनकी वजह से इस में भी तेज़ी से तख्मीर (नशे) का अमल शुरू हो जाता था।

(4) **مُرْفَت**: वह बर्तन जिसके अन्दर रोगन, “जफ़त” मिलाया गया हो, या तारकोल से मिलता जुलता मअदनी है। (लिसानुल अरब) “जफ़त” मिलने का मकसद भी वही था कि हवा का गुजर न हो और शराब साज़ी के लिए अमले तख्मीर जल्द और शिद्दत से शुरू हो जाए। यह भी दूसरे बर्तनों की तरह शराब के खामिरो का हामिल होता था। इस के अलावा रोगन मिलने की वजह से चिपचिपा और ना साफ़ भी होता था।

5. **مُفَيَّر**: ख़ुज़ूर के तने को अन्दर से खोखला करके बनाया जाता था और इसमें शराब बनाई जाती थी। बाज़ (कुछ) लोग तो दरख़्त के तने का ऊपर का काफी हिस्सा काट कर उसे खोखला करते लेकिन उसकी जड़ें उसी तरह ज़मीन में रहने देते। ज़ाहिर है इसका सहीह तौर पर धोना मुम्किन न था, इसकी अन्दरूनी सतह पर शराब के खामिरे और दूसरी गंदगी भी मौजूद रहती थी, इस में फलों वगैरह का नबीज़ बनाया जाता तो वह जल्द शराब में तब्दील हो जाता था। इसका इस्तेमाल भी मम्नून (गैर दुरुस्त) करार दिया गया। अरब मशरूबात और शराब के आदी थे। तो उन्हें मामूली नशे का एहसास भी न होता था। इसलिए हमते शराब की इब्तिदा में उन बर्तनों के इस्तेमाल से भी मना कर दिया गया। मगर बाद में इजाज़त दे दी गई थी।

वज़ाहत: इस मसले में उमर, इब्ने अब्बास, अबू सईद, अबू हुरैरा, अब्दुर्रहमान बिन यामर, समुरा, अनस, आयशा, इमरान बिन हुसैन, आइज़ बिन अम्र, हक़म गिफ़ारी और मैमूना (رضي الله عنها) से भी अहादीस मर्वी हैं। इमाम तिमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

6 - हर किस्म के बर्तनों में नबीज़ बनाने की फ़रमात.

1869 - सख़बदना बुरैदा (رضي الله عنها) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “मैंने तुम्हें कुछ बर्तनों से मना किया था और बेशक कोई भी बर्तन न किसी चीज़ को हलाल करता है

6 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ أَنْ يُنْبَذَ فِي الظُّرُوفِ

1869 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ

और न ही उसे हराम करता है लेकिन हर नशाआवर चीज़ हराम है।

मुस्लिम:977. अबू दारुद:3699. निसाई: 2033

مَرْتَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ، وَإِنَّ ظَرْفًا لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحْرِمُهُ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

1870 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رحمته الله) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कुछ बर्तनों के इस्तेमाल से मना किया तो अंसार ने शिक्वा किया कि हमारे पास और बर्तन नहीं हैं, तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया; “ऐसा मामला है तो तब मैं नहीं रोकता।”

बुखारी:5592. अबू दारुद:3699. निसाई:5556.

1870 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سَفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الظُّرُوفِ، فَشَكَتْ إِلَيْهِ الْأَنْصَارُ، فَقَالُوا: لَيْسَ لَنَا وَعَاءٌ، قَالَ: فَلَا إِذْنُ.

वज़ाहत: इस बारे में इब्ने मसऊद, अबू हुरैरा, अबू सईद और अब्दुल्लाह बिन अम्र (رحمته الله) से भी अहादीस मची हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

7 - मशकीजों में नबीज़ बनाना.

1871 - सय्यदा आयशा (رحمته الله) बयान करती हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के लिए एक मशकीजे में नबीज़ बनाया करती थीं जिसे ऊपर से बंद कर दिया जाता, उसके नीचे पेंदा था, हम सुबह नबीज़ बनातीं आप रात को पी लेते और रात को नबीज़ बनातीं तो आप सुबह पी लेते।

सहीह: मुस्लिम:2005. अबू दारुद:3711.इब्ने माजा:3398. तोहफतुल अशराफ़:17836.

7 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِنْتِبَازِ فِي السَّقَاءِ

1871 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا نَتَبَدَّدُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِقَاءٍ، يُوكَأُ فِي أُغْلَاءٍ، لَهُ عَزْلَاءٌ تَتَبَدَّدُ عُذْوَةً وَيَشْرَبُهُ عِشَاءً، وَتَتَبَدَّدُ عِشَاءً وَيَشْرَبُهُ عُذْوَةً.

वज़ाहत: इस बारे में जाबिर, अबू सईद और इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। यूनुस बिन उबैद से हम सिर्फ़ इसी तरीक़ (सनद) से इसे जानते हैं और यह हदीस सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से एक और सनद से भी मर्वी है।

8 - वह दाने जिन से शराब बनाई जाती थीं।

1872 - सय्यदना नौमान बिन वशीर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “बेशक गंदुम से भी शराब बनती है, जौ से भी शराब बनती है, खजूर से भी शराब बनती है, किशमिश मुनक्का से भी शराब बनती है, और शहद से भी शराब बनती है।

सहीह: अबू दाऊद:3676. इब्ने माजा:3379.

वज़ाहत: इस बारे में अबू हरैरा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है।

1873 - सय्यदना उमर (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि गंदुम से भी शराब बनती है फिर यही हदीस बयान की।

बुखारी:4619. मुस्लिम:3032. अबू दाऊद:3669. निसाई:5578

1874 - अबू ईसा कहते हैं: हमें यह ऊपर वाली हदीस अहमद बिन मनीअ ने बयान की वह कहते हैं: हमें अब्दुल्लाह बिन इदरीस ने अबू

8 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحُبُوبِ الَّتِي يُتَّخَذُ مِنْهَا الْخَمْرُ

1872 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُهَاجِرٍ، عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْرًا، وَمِنَ الشَّعِيرِ خَمْرًا، وَمِنَ الزَّيْبِ خَمْرًا، وَمِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا.

1873 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، نَحْوَهُ، وَرَوَى أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: إِنَّ مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْرًا، فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ.

1874 - حَدَّثَنَا بِدَلِكِ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ

हथ्यान अत्तैमी से उन्होंने शाबी से बवास्ता इब्ने उमर सय्यदना उमर (رضی اللہ عنہ) से रिवायत की कि गंदुम से भी शराब बनती है यही मज़कूरा हदीस।

सहीह. तखरीज के लिए पिछली हदीस मुलाहज़ा फ़रमाएं.

वज़ाहत: यह रिवायत इब्राहीम बिन मुहाज़िर की हदीस से ज़्यादा सहीह है और अली बिन मदीनी, यह्या बिन सईद का कौल नक़ल करते हैं कि इब्राहीम बिन मुहाज़िर हदीस में क़वी नहीं है। नीज़ और इस्नाद से भी यह हदीस शाबी से इसी तरह नौमान बिन बशीर (رضی اللہ عنہ) से मर्वी है।

1875 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "शराब इन दरख्तों के फलों से बनती है: ख़ुज़ूर और अंगूर"

मुस्लिम:1985. अबू दाऊद:3678. इब्ने माजा:3378. निसाई:5572.

أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، إِنَّ مِنْ الْجِنِّطَةِ خَمْرًا وَهَذَا

1875 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، وَعِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ السُّخَيْمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةِ وَالْعِنْبَةِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अबू कसीर सुहैमी अल ग़बरी ही हैं। उनका नाम यज़ीद बिन अब्दुरहमान बिन गुफ़ैला है। नीज़ शोबा ने भी इकिरमा बिन अम्मार से इस हदीस को रिवायत किया है।

9 - नीम (आधा) पुख्ता और पुख्ता ख़ुज़ूर मिला कर नबीज़ बनाना.

1876 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नीम पुख्ता और पुख्ता ख़ुज़ूर को मिला कर इकट्ठे नबीज़ बनाने से मना फ़रमाया है।

बुखारी: 5601. मुस्लिम:1986. अबू दाऊद:3703. इब्ने माजा:3395. निसाई:5556.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

9 بَابُ مَا جَاءَ فِي خَلِيطِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ

1876 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُنْبَدَ الْبُسْرُ وَالرُّطْبُ جَمِيعًا.

1877 - सय्यदना अबू सईद (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने नीम पुख्ता और पक्की खुजूर को नबीज़ में इकट्ठा करने से मना किया, किशमिश और खुजूर को मिलाने से भी और घड़ों में नबीज़ बनाने से भी मना किया।

मुस्लिम: 1987. निसाई: 5553

1877 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْبُسْرِ وَالشَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا، وَعَنِ الزَّبِيبِ وَالشَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا، وَنَهَى عَنِ الْجِرَارِ أَنْ يُبْنَدَ فِيهَا.

वज़ाहत: इस मसले में अनस, जाबिर, अबू कतादा, इब्ने अब्बास, उम्मे सलमा (رضي الله عنها) और माबद बिन काब की अपनी मां से भी रिवायत है।

इमाम तिमिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

10 - सोने और चांदी के बर्तनों में पीना मना है।

1878 - इब्ने अबी लैला बयान करते हैं कि सय्यदना हुज़ैफ़ा (رضي الله عنه) ने पानी मॉंगा तो एक आदमी ने उनके पास चांदी के बर्तन में पानी ले कर आया, उन्होंने इसे फ़ेंक दिया और फ़रमाया, मैंने उसे रोका था लेकिन यह बाज नहीं आया, बेशक रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सोने और चांदी के बर्तनों में पानी पीने और हरीरो रेशम पहनने से मना फ़रमाया है और आप (ﷺ) ने फ़रमाया, "यह इन काफ़िरो के लिए दुनिया में हैं और तुम्हारे लिए आख़िरत में होंगे।"

बुखारी: 5426. मुस्लिम: 2067.

10 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الشُّرْبِ فِي آيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

1878 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يُحَدِّثُ، أَنَّ حُذَيْفَةَ، اسْتَسْقَى، فَأَتَاهُ إِنْسَانٌ بِإِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَرَمَاهُ بِهِ وَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ قَدْ نَهَيْتُهُ فَأَبَى أَنْ يَنْتَهِيَ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي آيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ، وَلَبَسَ الْحَرِيرَ وَالذَّبْيَاجَ وَقَالَ: هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ.

वज़ाहत: इस मसले में उम्मे सलमा, बराअ और आयशा (رضي الله عنهن) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिमिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

11 - खड़े होकर पानी पीने की मुमानअत (मनाही)

1879 - सय्यदना अनस (ﷺ) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने मना किया कि आदमी खड़े होकर पानी पिए, आप से कहा गया: खाना? आप ने फ़रमाया, "वह इस से बड़ी चीज़ है।" मुस्लिम:2024. अबू दाऊद:3717. इब्ने माजा:3424.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

1880 - सय्यदना जारूद बिन अला (ﷺ) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने खड़े होकर पीने से मना फ़रमाया है।

सहीह.

वज़ाहत: इस मसले में अबू सईद, अबू हुरैरा, और अनस (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है। यह हदीस हसन गरीब है और बहुत से रावियों ने इस हदीस को सईद से बवास्ता क़तादा, अबू मुस्लिम के ज़रिए जारूद से इसी तरह रिवायत किया है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, "मुसलमान की गुमशुदा चीज़ को उठा लेना आग से जलाने का बाइस है।" जारूद बिन मुअला को जारूद बिन अला भी कहा जाता है लेकिन जारूद बिन मुअला सहीह है।

12 - खड़े होकर पीने की क़र्रख़त.

1881 - सय्यदना उमर (ﷺ) रिवायत करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में चलते हुए खा लेते थे और खड़े हो कर पी लेते थे।

सहीह: इब्ने माजा:3301.मुसनद अहमद:2/108. दारमी:2132.

11 بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا

1879 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا قَبِيلًا: الْأَكْلُ؛ قَالَ: ذَاكَ أَشَدُّ.

1880 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْخَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْجَدْمِيِّ، عَنِ الْجَارُودِ بْنِ الْمُعَلَّى، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا.

12 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الشُّرْبِ قَائِمًا

1881 - حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِبِ سَلَمٌ بْنُ جُنَادَةَ الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَمْشِي، وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامًا.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (रह. फ. ३) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन उमर की बवास्ता नाफ़े, इब्ने उमर (रह. फ. ३) से मर्वी यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है और इमरान बिन ज़रीर ने इस हदीस को अबुल बजरी के ज़रिए इब्ने उमर (रह. फ. ३) से रिवायत किया है और अबुल बजरी का नाम यज़ीद बिन अता है।

1882 - सय्यदना इब्ने अब्बास (रह. फ. ३) रिवायत करते हैं कि नबी (स. ५) ने ज़म ज़म का पानी खड़े हो कर पिया।

बुखारी:1637. मुस्लिम:2027. इब्ने माजा:3422. निसाई:2964.

1882 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ، وَمُغِيرَةُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ وَهُوَ قَائِمٌ.

वज़ाहत: इस बारे में अली, साद, अब्दुल्लाह बिन अम्र और आयशा (रह. फ. ३) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (रह. फ. ३) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

1883 - अम्र बिन शोएब अपने बाप से और वह अपने दादा सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अम्र (रह. फ. ३) से रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (स. ५) को देखा आप खड़े हो कर और बैठ कर दोनों तरह ही पी लेते थे।

हसन: मुसनद अहमद: 2/ 174. अबू दाऊद:653. इब्ने माजा:931.

1883 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلَّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (रह. फ. ३) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

13 - बर्तन में साँस लेना

1884 - सय्यदना अनस बिन मालिक (रह. फ. ३) रिवायत करते हैं कि नबी (स. ५) बर्तन में तीन साँस लेते थे और फ़रमाते: "यह खुशगवारी और सैराबी का बाइस है।"

मुस्लिम:2028. अबू दाऊद:3727.

13 بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّنَفُّسِ فِي الْإِنَاءِ

1884 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَيُوسُفُ بْنُ حَمَادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي عِصَامٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا وَيَقُولُ: هُوَ أَمْرٌ وَأَرْوَى:

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (रह. फ. ३) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। और इसे हिशाम दस्तवाई ने भी

अनस (رضی اللہ عنہ) से रिवायत किया है। नीज़ अज़रा बिन साबित से बवास्ता सुमामा, सय्यदना अनस बिन मालिक (رضی اللہ عنہ) से रिवायत की है कि नबी (ﷺ) बर्तन में पीते वक़्त तीन सांस लेते थे।

अबू ईसा कहते हैं: यह हदीस हमें बिंदार ने उन्हें अब्दुरहमान बिन महदी ने उन्हें अज़रा बिन साबित अंसारी ने बवास्ता सुमामा बिन अनस, सय्यदना अनस बिन मालिक (رضی اللہ عنہ) से रिवायत की है कि नबी (ﷺ) बर्तन में तीन सांस लेते थे। फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है।

1885 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "तुम ऊँट के पीने की तरह एक ही सांस में न पियो बल्कि दो-दो या तीन-तीन साँसों में पियो और जब तुम पीने लगो तो अल्लाह का नाम लो और जब तुम बर्तन रखो अल्लाह का शुक्र अदा करो।"

ज़ईफ़: अल-मोज़मुल कबीर लिख् तबरानी: 11378.

1885 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ سِنَانَ الْجَزْرِيِّ، عَنْ ابْنِ لِعْطَاءِ بْنِ أَبِي رَاحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَشْرَبُوا وَاحِدًا كَشْرَبِ الْبَعِيرِ، وَلَكِنْ اشْرَبُوا مَثْنَى وَثَلَاثَ، وَسَمُّوا إِذَا أَنْتُمْ شَرِبْتُمْ، وَاحْمَدُوا إِذَا أَنْتُمْ رَفَعْتُمْ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। और यज़ीद बिन सिनान अल जज़री यह अबू मरवा अर्रहावी ही हैं।

14 - दो साँसों में पीना.

1886 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) जब पीते तो दो मर्तबा सांस लेते।

ज़ईफ़: इब्ने माजा:3418. मुसनद अहमद: 1/284. शमाइल:211.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे रिश्दीन बिन कुरैब की सनद से ही जानते हैं।

कहते हैं: मैंने अबू मुहम्मद अब्दुल्लाह बिन अब्दुरहमान से रिश्दीन बिन काब के बारे में पूछा कि वह ज़्यादा क़वी हैं या मुहम्मद बिन कुरैब? तो उन्होंने फ़रमाया, "वह दोनों बहुत करीब-करीब हैं और रिश्दीन बिन कुरैब मेरे नज़दीक ज़्यादा राजेह हैं।

14 بَابُ مَا ذُكِرَ مِنَ الشَّرْبِ بِتَفْسِيرَيْنِ

1886 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ رِشْدِينَ بْنِ كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ مَرَّتَيْنِ.

कहते हैं: मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुखारी (रह) से भी इस बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया, “मुहम्मद बिन कुरैब, रिश्दीन बिन कुरैब से ज़्यादा राजेह और बड़े हैं। उन्होंने सय्यदना इब्ने अब्बास (रह) को पाया और उन्हें देखा। यह दोनों भाई हैं और दोनों के पास मुन्कर रिवायात हैं।

15- मशरूब (खाने-पीने की चीज़ों) में फूँक मारने की क़राहत (जापसंदीदगी)

1887 - सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी (रह) रिवायत करते हैं कि नबी (रह) ने मशरूब में फूँक मारने से मना फ़रमाया तो एक आदमी ने कहा: अगर मुझे बर्तन में तिनका नज़र आए तो? आप (रह) ने फ़रमाया, “उसे निकाल दो” उसने कहा: मैं एक सांस से सैर नहीं होता आप (रह) ने फ़रमाया, “अपने मुंह से प्याले को दूर कर (के सांस ले) लो।”

हसन: अबू दाऊद:3722. मुसनद अहमद: 3/ 26. दारमी: 2127.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (रह) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

1888 - सय्यदना इब्ने अब्बास (रह) रिवायत करते हैं कि नबी (रह) ने बर्तन में सांस लेने और उस में फूँक मारने से मना किया है।

सहीह: अबू दाऊद: 3727. इब्ने माजा:3288

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (रह) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

15 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّفْخِ فِي الشَّرَابِ

1887 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَيُّوبَ وَهُوَ ابْنُ حَبِيبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْمُتَنَّى الْجُهَنِيَّ يَذْكُرُ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّفْخِ فِي الشَّرْبِ فَقَالَ رَجُلٌ: الْقَذَاءُ أَرَاهَا فِي الْإِنَاءِ؟ قَالَ: أَهْرِقْهَا، قَالَ: فَإِنِّي لَا أَرَوِي مِنْ نَفْسٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ: فَإِنَّ الْقَدْحَ إِذَنْ عَنْ فَيْكٍ.

1888 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ أَوْ يُنْفَخَ فِيهِ.

16 - बर्तन में सांस लेना मना है.

1889 - सय्यदना अबू कतादा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जब तुम में से कोई शख्स पिए तो बर्तन में सांस न ले।"

बुखारी: 153. मुस्लिम: 267. अबू दाऊद: 31. निसाई: 31.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

17 - मशकीज़ों का मुंह उलट कर पानी पीना मना है.

1890 - सय्यदना अबू सईद (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि आप(ﷺ) ने मशकीज़ों के मुंह को उलटने से मना किया।

बुखारी: 5625. मुस्लिम: 2023. अबू दाऊद: 3720. इब्ने माजा: 3417.

वज़ाहत: इस बारे में जाबिर, इब्ने अब्बास और अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से भी हदीस मवरी है। इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

18 - इस चीज़ की इजाज़त

1891 - ईसा बिन अब्दुल्लाह बिन उनैस अपने बाप से रिवायत करते हैं कि मैंने नबी(ﷺ) को देखा आप एक लटकती हुई मशकीज़ा की तरफ़

16 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّنَفُّسِ فِي الْإِنَاءِ

1889 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ.

17 بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ

1890 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، رَوَايَةٌ أَنَّهُ نَهَى عَنْ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ.

18 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

1891 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ،

खड़े हुए उसके मुंह को उलटा फिर उसके मुंह से पानी पिया।

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 3721.

वज़ाहत: इस बारे में उम्मे सुलैम (رضی اللہ عنہا) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिजी (رحمۃ اللہ علیہ) فرमाते हैं: इस हदीस की सनद सहीह नहीं है और अब्दुल्लाह बिन उमर उमरी अपने हाफ़िज़े की वजह से ज़ईफ़ है। नीज़ मैं नहीं जानता कि उसने ईसा से सिमा (सुनना) किया भी है या नहीं?

1892 - सय्यदा कब्शा (رضی اللہ عنہا) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मेरे यहाँ तशरीफ़ लाये तो आप ने एक लटकती हुई मशक के मुंह से खड़े हो कर पानी पिया तो मैं उसके मुंह की तरफ़ गई और उसे काट लिया।⁽¹⁾

सहीह: इब्ने माज़ा: 3423. मुसनद अहमद: 6/434. हुमैदी:354

तौज़ीह: (1). सय्यदा कब्शा (رضی اللہ عنہا) ने यह काम इसलिए किया ताकि उस टुकड़े को बतौर बरक़त अपने पास रख लें।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمۃ اللہ علیہ) فرमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है और यज़ीद बिन यज़ीद बिन जाबिर, अब्दुर्रहमान बिन यज़ीद बिन जाबिर के भाई हैं। उनकी वफ़ात उन से पहले हुई थी।

19 - दायें जानिब वाले पहले पीने के ज्यादा हक़दार हैं.

1893 - सय्यदना अनस बिन मालिक (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास दूध लाया गया जिस में पानी शामिल किया गया था, आप के दायें जानिब एक देहाती था और

عَنْ عَيْسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُتَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ إِلَى قَرِيْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ فَخَشَّهَا ثُمَّ شَرِبَ مِنْ فِيْهَا

1892 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ جَدِّتِهِ كَبْشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَرِبَ مِنْ فِي قَرِيْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قَاتِمًا فَقُمْتُ إِلَى فِيْهَا فَقَطَعْتُهُ.

19 بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْأَيْمَنِينَ أَحَقُّ بِالشَّرْبِ

1893 - حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ

बाएं जानिब अबू बक्क (ﷺ) थे। आप (ﷺ) ने पिया फिर उस देहाती को दे दिया और फ़रमाया, "दायाँ फिर उसकी दायाँ जानिब वाला।"

बुखारी: 2352. मुस्लिम: 2029. अबू दारूद: 3726.
इब्ने माजा: 3425.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास, सहल बिन साद, इब्ने उमर और अब्दुल्लाह बिन बुस् (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ فَشَرِبَ ثُمَّ أُعْطِيَ الْأَعْرَابِيٌّ وَقَالَ: الْإِيْمَنُ فَلَا يُمَنُّ.

20 - लोगों को पिलाने वाला आखिर में पिए।

1894 - सय्यदना अबू क़तादा (ﷺ) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, "लोगों को पिलाने वाला सब से आखिर में पिए।"

मुस्लिम:681. इब्ने माजा:3434

वज़ाहत: इस बारे में इब्ने अबी औफ़ा (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

20 بَابُ مَا جَاءَ أَنْ سَاقِيَ الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا

1894 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَائِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رِيَّاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَاقِيَ الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا.

21 - रसूलुल्लाह (ﷺ) को कौनसा मशरूब (पीने की चीज) सबसे ज़्यादा पसंद था?

1895 - सय्यदा आयशा (ﷺ) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का पसंदीदा मशरूब ठंडा मीठा था।

सहीह: शमाइल:204. मुसनद अहमद: 8/38

21 بَابُ مَا جَاءَ أَيُّ الشَّرَابِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1895 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ أَحَبُّ الشَّرَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَلْوُ الْبَارِدَ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: कई रावियों ने मामर की बवास्ता ज़ोहरी, आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत की गई हदीस की तरह इसे रिवायत किया है और सहीह वह है जिसे ज़ोहरी ने नबी (ﷺ) से मुर्सल रिवायत किया है।

1896 - ज़ोहरी (رحمته الله) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) से पूछा गया: कौन सा मशरूब ज़्यादा उम्दा (लज़ीज़ और ख़ुशगवार) है? आप ने फ़रमाया, "मीठा ठंडा (मशरूब)"

सहीह: अब्दुरज़ाक़: 19583.

1896 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَثَوْسٌ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الشَّرَابِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: الْخُلُوفُ الْبَارِدُ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: अब्दुरज़ाक़ ने भी मामर से बवास्ता ज़ोहरी नबी (ﷺ) से मुर्सल रिवायत की है और यह इब्ने उययना की हदीस से ज़्यादा सहीह है।

खुलासा..

- शराब पीना कबीरा गुनाह है और एक दफ़ा शराब पीने से चालीस दिन नमाज़ कुबूल नहीं होती।
- हर नशा करने वाली चीज़ हराम है ख़वाह थोड़ी हो या ज़्यादा।
- नबीज़ पीना जायज़ है लेकिन इतनी देर तक रखा जा सकता है जब तक उसमें नशा न आए जब नशा आ जाए तो वह भी हराम होगा।
- गंदुम, जौ, शहद, किशमिश जिस चीज़ से भी शराब बनाई जाए वह हराम है।
- सोने और चांदी के बर्तनों में पीना हराम है।
- बैठ कर पानी पीना बेहतर है. ताहम खड़े होकर पीने की भी इजाज़त है। बर्तन को मुंह से हटा कर सांस लिया जाए। नीज़ पानी वगैरह तीन साँसों से कम में न पिया जाए।
- पीने वाली चीज़ में फूँक मारने से मना किया गया है।
- पानी पिलाने में दाएँ जानिब से इब्तिदा (शुरूआत) की जाए। नीज़ पिलाने वाला सबसे आखिर में पिए।
- ठंडा और मीठा मशरूब रसूलुल्लाह (ﷺ) को पसंद था।

मज़मून नम्बर 25

أَبْوَابُ الْبَيْتِ وَالصَّلَاةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

रसूलुल्लाह (ﷺ) से मर्वी नेकी और सिला रहमी के फ़वाइद व मसाइल.

तआरुफ़...

88 अबवाब और 139 अहादीस पर मुश्तमिल यह मज़मून इन मसाइल पर मुश्तमिल है:

- सिला रहमी के सबसे पहले हक़दार कौन लोग हैं?
- मुआशरे में रहने सहने के लिए किन उसूलों पर चला जाए?
- कौन- कौन से काम सदक़ा हैं?
- हुकूकुल इबाद क्या हैं? (एक इन्सान का दूसरे इन्सान के ऊपर क्या हक़ हैं)

1 - वालिदैन के साथ नेकी करना.

1897 - बहज़ बिन हकीम से रिवायत है मुझे मेरे बाप ने मेरे दादा से बयान किया कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! मैं किस से ज़्यादा नेकी करूँ? आप (ﷺ) ने फ़रमाया, अपनी मां से" कहते हैं: मैंने कहा: फिर कौन? आप (ﷺ) ने फ़रमाया, "तुम्हारी मां ही" मैंने कहा: फिर कौन? आप (ﷺ) ने फ़रमाया, "तुमारी मां ही" मैंने कहा: फिर कौन? आप (ﷺ) ने फ़रमाया, "फिर तुम्हारा बाप, फिर दर्जा बदजा करीबी लोग।"

हसन: अबू दाऊद: 5139. मुसनद अहमद: 2/5. हाकिम: 3/642.

1 بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْتِ الْوَالِدَيْنِ

1897 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا بَهْرُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَوْلَى؟ قَالَ: أُمُّكَ قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمَّكَ قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمَّكَ قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أَبَاكَ، ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَلَا قَرَبَ.

वज़ाहत: इस बारे में अबू हुरैरा, अब्दुल्लाह बिन अम्र, आयशा और अबू दर्दा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।
इमाम तिर्मिजी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: बहज़ बिन हकीम के दादा मुआविया बिन हीदा कुशैरी हैं। और यह हदीस हसन है। नीज़ शोबा ने बहज़ बिन हकीम के बारे में क़लाम किया है। लेकिन यह मुहहिसीन के नज़दीक सिक़ह हैं और उनसे मामर, सुफ़ियान सौरी, हम्माद बिन सलमा और बहुत से अइम्मा ने रिवायत ली है।

2 - उसी के मुताल्लिक

1898 - सय्यदना इब्ने मसऊद (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सवाल किया: ऐ अल्लाह के रसूल! कौन सा अमल सब से अफज़ल है? आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “नमाज़ उसके वक़्त में पढ़ना।” मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! फिर कौन सा? आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “वालिदैन से नेकी करना” मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! फिर कौन सा? आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “अल्लाह की राह में जिहाद करना।” फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) खामोश हो गए। अगर मैं और पूछता तो आप (ﷺ) और भी बताते।
 सहीह: 173. नम्बर पर तख़रीज देखें।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ शैबानी, शोबा और दीगर रावियों ने भी इसे वलीद बिन ऐजार से रिवायत किया है।

3 - वालिदैन को राजी रखने की फ़ज़ीलत.

1899 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “रख की रज़ा बाप की रज़ामंदी में है और रख का गुस्सा वालिद के गुस्से में है।”

2 بَاب مِنْهُ

1898 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعِزَّارِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ لِمِيقَاتِهَا، قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: بُرُّ الْوَالِدَيْنِ، قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ سَكَتَ عَنِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ اسْتَرْدَّتْهُ لَزَادَنِي.

3 بَابُ مَا جَاءَ مِنَ الْفَضْلِ فِي رِضَا الْوَالِدَيْنِ

1899 - حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْخَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

सहीह: इब्ने हिब्बान: 429. हाकिम: 4/ 151.

عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَضِيَ الرَّبُّ فِي رِضَى الْوَالِدِ، وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ.

वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने वह कहते हैं: हमें मुहम्मद बिन जाफ़र ने वह कहते हैं: हमें शोबा ने याला बिन अता से उन्होंने अपने बाप के ज़रिए अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से ऐसी ही रिवायत की है। लेकिन वह मफू नहीं है और यही हदीस ज़्यादा सहीह है।

इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: इसी तरह ही शोबा के शागिर्दों ने शोबा से बवास्ता याला बिन अता, उनके बाप के ज़रिए अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) से भी मौकूफ़ रिवायत की है और हम ख़ालिद बिन हारिस के अलावा किसी को नहीं जानते जिसने शोबा से मफू रिवायत की हो। और ख़ालिद बिन हारिस सिक़ह और अमीन रावी हैं।

मैंने मुहम्मद बिन मुसन्ना से सुना वह कहते थे कि मैं ने बसरा में ख़ालिद बिन हारिस जैसा और कूफ़ा में अब्दुल्लाह बिन इदरीस जैसा और कोई मोहदीस नहीं देखा। नीज़ इस बारे में अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

1900 - सय्यदना अबू दर्दा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि उनके पास एक आदमी आया कहने लगा: मेरी बीवी है और मेरी मां मुझे उसको तलाक़ देने का हुक्म देती है तो अबू दर्दा (رضي الله عنه) ने फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना: “बाप जन्नत का दर्मियानी दरवाज़ा है, चाहो तो उस दरवाज़े को ज़ाया कर लो और चाहो तो उसे महफूज़ रखो” सुफ़ियान ने कभी मां का ज़िक्र किया और कभी बाप का।

सहीह: इब्ने माज़ा: 2089. मुसनद अहमद: 5/ 196.
तयालिसी: 981. इब्ने हिब्बान: 425.

1900 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ رَجُلًا أَنَاهُ فَقَالَ: إِنَّ لِي امْرَأَةً وَإِنَّ أُمَّي تَأْمُرُنِي بِطَلَاقِهَا، قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، فَإِنْ شِئْتَ فَأَصِغْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوْ احْفَظْهُ قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: رُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ: إِنَّ أُمَّي وَرُبَّمَا قَالَ: أَبِي.

वज़ाहत: यह हदीस हसन सहीह है। और अब्दुर्रहमान सुलमी का नाम अब्दुल्लाह बिन हबीब है।

4 - वालिदैन की नाफ़रमानी.

1901 - सय्यदना अबू बक्करह (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, “क्या मैं तुम्हें सबसे बड़े गुनाह की बात न बताऊँ? लोगों ने कहा: क्यों नहीं, ऐ अल्लाह के रसूल! आप(ﷺ) ने फ़रमाया, “अल्लाह के साथ शिर्क करना और वालिदैन की नाफ़रमानी करना” रावी कहते हैं: आप बैठ गए पहले आप टेक लगाए हुए थे, फ़रमाया, “और झूठी गवाही या झूठी बात।” आप ((ﷺ)) यह कहते रहे यहाँ तक कि हमने कहा: काश आप खामोश हो जाएँ।

बुखारी: 2654. मुस्लिम: 87

वज़ाहत: इस बारे में अबू सईद (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और अबू बक्करह का नाम नुफ़ेअ बिन हारिस (رضي الله عنه) है।

1902 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अग्र (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, “आदमी का अपने मां बाप को गाली देना कबीरा गुनाहों में से है। लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या कोई आदमी अपने मां बाप को गाली भी दे सकता है? आप(ﷺ) ने फ़रमाया, “हाँ, वह किसी आदमी के बाप को गाली देता है तो वह उसके बाप को गाली देता है वह किसी की मां को गाली देता है तो वह उसकी मां को गाली देता है।”

बुखारी: 5973. मुस्लिम: 90. अबू दाऊद: 5141.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

4 بَابُ مَا جَاءَ فِي عُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ

1901 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: الْإِشْرَاقُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، قَالَ: وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَكَيِّمًا، فَقَالَ: وَشَهَادَةُ الزُّورِ، أَوْ قَوْلُ الزُّورِ، فَمَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ.

1902 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنَ الْكِبَائِرِ أَنْ يَشْتُمَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَشْتُمُ أَبَاهُ وَيَشْتُمُ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ.

5 - बाप के दोस्त का एहताराम करना.

1903 - सय्यदना इब्ने उमर (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना: "बेशक सबसे बड़ी नेकी यह है कि आदमी अपने बाप के दोस्तों से ताल्लुक़ निभाये।"

मुस्लिम: 2552. अबू दाऊद: 5142.

वज़ाहत: इस वारे में अबू उसैद (رضی اللہ عنہ) से भी रिवायत मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह है और यह हदीस इब्ने उमर (رضی اللہ عنہ) से दीगर इस्नाद से भी मर्वी है।

6 - खाला से हुस्ने मुलूक करना.

1904 - सय्यदना बराअ बिन आज़िब (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, "खाला मां की जगह है।"

बुखारी: 4251. दारमी: 251. मुसनद अहमद: 4/298.

वज़ाहत: इस हदीस में एक लंबा क़िस्सा भी है और यह हदीस सहीह है (अबू ईसा कहते हैं:)

हमें अबू कुरैब ने वह कहते हैं:) हमें अबू मुआविया ने मुहम्मद बिन सूका से बवास्ता अबू बकर बिन हफ़स, इब्ने उमर (رضی اللہ عنہ) से रिवायत की है कि एक आदमी नबी (ﷺ) के पास आकर कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है क्या मेरी तौबा कुबूल हो जाएगी? आप ने फ़रमाया,

5 بَابُ مَا جَاءَ فِي إِكْرَامِ صَدِيقِ الْوَالِدِ

1903 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ أَبْرَّ الْبِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ أَهْلَ وَدِّ أَبِيهِ.

6 بَابُ مَا جَاءَ فِي بِرِّ الْخَالَةِ

1904 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ إِسْرَائِيلَ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ وَهُوَ ابْنُ مَدُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُيَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، وَاللَّفْظُ لِحَدِيثِ عُيَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ الْبِرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ.

“क्या तुम्हारी मां जिंदा है?” उसने कहा: नहीं, आप ने फ़रमाया: “क्या तुम्हारी कोई खाला है?” उसने कहा: जी हाँ, आप ने फ़रमाया, “उससे हुस्ने सुलूक करो।”

इस बारे में सय्यदना अली (रह) से भी हदीस मर्वी है।

अबू ईसा कहते हैं: हमें इब्ने अबी उमर ने वह कहते हैं: हमें सुफ़ियान बिन उययना ने मुहम्मद बिन सूका से बवास्ता अबू बकर बिन हफ़स नबी(रह) से इसी तरह रिवायत की है लेकिन इसमें इब्ने उमर (रह) का ज़िक्र नहीं है और यह अबू मुआविया की हदीस से ज़्यादा सहीह है। अबू बकर बिन हफ़स यह उमर बिन साद बिन अबी वक्कास के पोते हैं।

7 - वालिदैन की बहुआ का बयान.

1905 - सय्यदना अबू हरैरा (रह) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(रह) ने फ़रमाया, “तीन दुआएं कुबूल की जाने वाली है। उनकी कुबूलियत में शक नहीं है। मज्लूम की दुआ, मुसाफ़िर की दुआ और वालिदैन की अपनी औलाद पर बहुआ।”

हसन: अबू दाऊद: 1536. इब्ने माजा: 3862. मुसनद अहमद: 2/258.

7 بَابُ مَا جَاءَ فِي دَعْوَةِ الْوَالِدَيْنِ

1905 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (रह) फ़रमाते हैं: हज्जाज सव्वाफ़ ने भी इस हदीस को यह्या बिन अबी कसीर से हिशाम की रिवायत की तरह रिवायत किया है।

नीज़ अबू जाफ़र जिन्होंने अबू हरैरा (रह) से रिवायत ली है उन्हें अबू जाफ़र मुअज्ज़िन भी कहा जाता है। हम उनका नाम नहीं जानते जबकि यह्या बिन अबी कसीर ने उन से कई अहादीस रिवायत की हैं।

8 - वालिदैन का हक़.

1906 - सय्यदना अबू हरैरा (रह) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(रह) ने फ़रमाया, “बेटा बाप का बदला नहीं दे सकता। सिवाए इस सूत के कि उसे गुलामी की हालत में पाए

8 بَابُ مَا جَاءَ فِي حَقِّ الْوَالِدَيْنِ

1906 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

तो उसे खरीद कर आज़ाद कर दे। ”

मुस्लिम: 1510. अबू दाऊद: 5137. इब्ने माजा: 3659.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَجْرِي وَلَدٌ وَالِدًا
إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। हम इसे सहल बिन अबी सालेह के तरीक से जानते हैं। नीज़ सुफ़ियान सौरी और दीगर मुहद्दीसीन ने भी इस हदीस को सहल बिन अबी सालेह से रिवायत किया है।

9 - रिश्तेदारी को तोड़ना.

1907 - अबू सलमा रिवायत करते हैं कि अबू रद्दाद लैसी बीमार हो गए तो अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने उनकी इयादत की, उन्होंने कहा: इन में सब से बेहतर और सब से ज़्यादा रिश्तेदारी मिलाने वाले जहां तक मैं जानता हूँ वह अबू मुहम्मद हैं। तो अब्दुर्रहमान (رحمته الله) ने फ़रमाया, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना: “अल्लाह तबारक व तआला फ़रमाता है: मैं अल्लाह हूँ, मैं रहमान हूँ मैंने ही रहम (रिश्तेदारी) को पैदा किया, चुनांचे जो शख्स इसे मिलावेगा मैं उसे मिलाउंगा और जो इसे तोड़ेगा मैं उसे काट दूंगा। ”

सहीह: अबू दाऊद: 1694. मुसनद अहमद: 1/ 194.

तौज़ीह: الرّحِم: रिश्तेदारी, क़राबत यह मुज़क़र और मुअन्नस दोनों इस्तेमाल होता है।

वज़ाहत: इस बारे में अबू सईद, इब्ने अबी औफ़ा, आमिर बिन रबीआ, अबू हुरैरा और जुबैर बिन मुतइम (رحمته الله) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: सुफ़ियान से बवास्ता ज़ोहरी रिवायतकर्दा हदीस सहीह है और मामर ने भी सुफ़ियान से इस हदीस को रिवायत किया है और वह अबू सलमा से बवास्ता रद्दाद लैसी, सय्यदना अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (رحمته الله) से रिवायत करते हैं। नीज़ मामर इस तरह कहते हैं कि मुहम्मद ने फ़रमाया और मामर की हदीस खता है।

9 بَابُ مَا جَاءَ فِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ

1907 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: اشْتَكَى أَبُو الرَّدَادِ فَعَادَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَقَالَ: خَيْرُهُمْ وَأَوْصَلُهُمْ مَا عَلِمْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ: أَنَا اللَّهُ، وَأَنَا الرَّحْمَنُ، خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنْ اسْمِي، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَّئْتُ.

10 - रिश्तेदारी को मिलाना

1908 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़रमाया, “सिला रहमी करने वाला वह नहीं है जो नेकी का बदला दे, बल्कि सिला रहमी करने वाला वह है कि जब उसका तालुक़ तोड़ा जाए तो वह उसे जोड़े।”

बुखारी: 5991. अबू दारुद: 1697.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नोज़ इस मसले में सलमान, आयशा और अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

1909 - सय्यदना जुबैर बिन मुतइम (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “रिश्तेदारी को तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा।” इब्ने अबी उमर, सुफ़ियान का कौल नक़ल करते हैं कि इस से मुराद क़त्तअ रहमी करने वाला है।

बुखारी: 5984. मुस्लिम: 2556. अबू दारुद: 1696.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

11 - बाप की अपने बेटे से मुहब्बत.

1910 - नेक खातून सय्यदा खौला बिनते हकीम (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) बाहर तशरीफ़ लाये और आप अपनी बेटी के एक बेटे को गोद में उठाए हुए थे और आप फ़रमा रहे थे: “बेशक तुम

10 بَابُ مَا جَاءَ فِي صِلَةِ الرَّجْمِ

1908 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَشِيرٌ أَبُو إِسْمَاعِيلَ، وَفَطْرُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي، وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا انْقَطَعَتْ رَحْمَةُ وَصَلَهَا.

1909 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ. قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي قَاطِعَ رَجْمٍ.

11 بَابُ مَا جَاءَ فِي حُبِّ الْوَلَدِ

1910 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي سُوَيْدٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ

(औलाद, आदमी को) बखील कर देते हो, बुजदिल बना देते हो, जाहिल कर देते हो और बेशक तुम अल्लाह के (पैदा किए हुए) फूलों में से हो। ”

ज़ईफ़: मुसनद अहमद: 6/409. हुमैदी:334.

العزیز، یقول: زَعَمَتِ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةَ خَوْلَةَ بِنْتُ حَكِيمٍ قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مُحْتَضِنٌ أَحَدَ ابْنَيْ ابْنَتِهِ وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّكُمْ لَتَبْخُلُونَ وَتُجَبُّونَ وَتُجْهَلُونَ، وَإِنَّكُمْ لَمِنْ رِجْحَانِ اللَّهِ.

वज़ाहत: इस बारे में इब्ने उमर और अशअस बिन कैस (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: इब्ने उययना की इब्राहीम बिन मैसरा से बयान कर्दा हदीस हमें सिर्फ़ इन्हीं के तरीक से मिलती है। जबकि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (رحمته الله) का खौला (رضي الله عنه) से सिमा (सुनना) भी मालूम नहीं है।

12 - औलाद पर शफ़क़त करना.

1911 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि अकरा बिन हाबिस ने नबी (ﷺ) को देखा आप हसन (رضي الله عنه) को बोसा दे रहे थे। इब्ने उमर ने हसन या हुसैन कहा है। तो उन्होंने कहा: मेरे दस बच्चे हैं मैंने कभी उनमें से किसी को बोसा नहीं दिया तो अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया, “बेशक जो रहम नहीं करता उस पर भी रहम नहीं किया जाता। ”

बुखारी: 5997. मुस्लिम: 2318. अबू दारूद: 5218.

12 بَابُ مَا جَاءَ فِي رَحْمَةِ الْوَلَدِ

1911 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَبْصَرَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُقْبَلُ الْحَسَنَ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْحَسَنَ أَوْ الْحُسَيْنَ، فَقَالَ: إِنَّ لِي مِنَ الْوَلَدِ عَشْرَةَ مَا قَبِلْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يَرْحَمُ.

वज़ाहत: इस बारे में अनस और आयशा (رضي الله عنها) से भी मर्वी है।

इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान का नाम अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ़ है और यह हदीस हसन सहीह है।

13 - बेटियों और बहनों पर प्रर्च करना

1912 - सय्यदना अबू सईद खुदरी (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "तुम में से किसी श़ाख़स की तीन बेटियाँ या तीन बहनें हो वह उन से अच्छा सुलूक करे तो वह जन्नत में दाख़िल हो जाएगा।
जईफ़: इब्ने माजा:446

वज़ाहत: इस बारे में आयशा, उक्रबा बिन आमिर, जाबिर और इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं: अबू सईद ख़ुदरी (رضی اللہ عنہ) का नाम सईद बिन मालिक बिन सिनान है और साद बिन अबी वक्कास यह साद बिन मालिक बिन वहब (رضی اللہ عنہ) हैं। नीज़ मुहहिस्सीन ने इस सनद में एक और आदमी का इज़ाफ़ा किया है।

1913 - सय्यदा आयशा (رضی اللہ عنہ) रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जो श़ाख़स इन बेटियों के साथ आजमाया गया उसने उन पर सब्र किया तो यह बेटियाँ उसके लिए जहन्नम से पर्दा बन जायेंगी।"
सहीह: मुसनद अहमद: 6/33. बेहक्की: 7/478.

सहीह: मुसनद अहमद: 6/33. बेहक्की: 7/478.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

1914 - सय्यदना अनस (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जिसने दो लड़कियों की परवरिश की मैं और वह इन दोनों उँगलियों की तरह जन्नत में होंगे।" और

13 بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّفَقُّةِ عَلَى الْبَنَاتِ وَالْأَخْوَاتِ

1912 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَكُونُ لِأَخِيكُمْ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ فَيُحْسِنُ إِلَيْهِنَّ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

1913 - حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ ابْتَلَى بِشَيْءٍ مِنَ الْبَنَاتِ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ.

1914 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَزِيرِ الْوَاسِطِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ هُوَ الطَّنَافِيسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الرَّاسِبِيُّ،

आप(ﷺ) ने अपनी दो उँगलियों से इशारा किया।

मुस्लिम: 8/ 38. हाकिम; 4/ 177. अदबुल मुफ़रद:894.

عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ دَخَلَتْ أَنَا وَهُوَ الْجَنَّةَ كَهَاتَيْنِ، وَأَشَارَ بِأَصْبُعَيْهِ.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رحمته) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। और मुहम्मद बिन उबैद ने मुहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ से इसी सनद के साथ कई अहादीस रिवायत की हैं और वह कहते हैं: अबू बकर बिन उबैदुल्लाह बिन अनस के वास्ते से हालांकि सहीह उबैदुल्लाह बिन अबी बक्र बिन अनस है।

1915 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि एक औरत आई उसके साथ उसकी दो बेटियाँ थीं उसने सवाल किया तो मेरे पास एक ख़ुज़ूर के सिवा उसे कुछ न मिला मैंने उसे वही दे दी तो उसने उसको अपनी दो बेटियों में तक्रसीम कर दिया और ख़ुद उससे कुछ न खाया फिर खड़ी हुई और चली गई और रसूलुल्लाह(ﷺ) घर में तशरीफ़ लाये तो मैंने आप(ﷺ) को बतलाया, नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "जिसे इन बेटियों के साथ आजमाया गया यह उसके लिए जहन्नम से पर्दा बन जायेंगी।"

सहीह: मुस्लिम: 2631.

1915 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بْنُ حَزْمٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَتْ امْرَأَةً مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا فَسَأَلَتْ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا، فَقَسَمْتُهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ.

1916 - सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जिस शख्स की तीन बेटियाँ या तीन बहनें या दो बेटियाँ या दो बहनें हों फिर वह उनके साथ अच्छे तरीके से रहे और उनके बारे में अल्लाह से डरे तो उसके लिए जन्नत है।"

जईफ़ इस लफ़्ज़ के साथ.

1916 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ سَعِيدِ الْأَعَشِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَوْ
ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ أَوْ ابْنَتَانِ أَوْ أُخْتَانِ فَأَحْسَنَ
صُحْبَتَهُنَّ وَأَتَقَى اللَّهَ فِيهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (रह) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

**14 - यतीम पर शफ़क़त और उसकी
किफ़ालत करना.**

**14 بَابُ مَا جَاءَ فِي رَحْمَةِ الْيَتِيمِ
وَكَفَالَتِهِ**

1917 - सय्यदना इब्ने अब्बास (रह) रिवायत करते हैं कि नबी (रह) ने फ़रमाया, "जो शख्स मुसलमानों में से किसी यतीम को अपने खाने और मशरूब की तरफ़ ले जाए अल्लाह तआला उस बन्दे को जन्नत में ज़रूर दाख़िल करेगा बशर्ते की कोई ऐसा गुनाह न किया हो जिसकी बख़्शिाश नहीं।" (यानी शिर्क)

1917 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّلَقَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَقَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ حَنْشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَبِضَ يَتِيمًا مِنْ بَيْنِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ الْبَتَّةَ إِلَّا أَنْ يَعْمَلَ ذَنْبًا لَا يَغْفِرُ لَهُ.

ज़ईफ़: अबू याला: 2457. अल-कामिल: 2/764.

वज़ाहत: इस बारे में मुर्सा फ़िहरी, अबू हुरैरा, अबू उमामा और सहल बिन साद (रह) से भी हदीस मवी है।

इमाम तिमिज़ी (रह) फ़रमाते हैं: हनश, हुसैन बिन कैस हैं जो अबू अली अररजी कहलाते हैं और सुलैमान अत्तैमी कहते हैं: हनश मुहदिसीन के नज़दीक ज़ईफ़ है।

1918 - सय्यदना सहल बिन साद (रह) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (रह) ने फ़रमाया, "मैं और यतीम की किफ़ालत करने वाला जन्नत में इन दोनों उँगलियों की तरह होंगे" और आप ने अपनी दो उँगलियों शहादत वाली और दर्मियानी से इशारा किया।

1918 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ أَبُو الْقَاسِمِ الْمَكِّيُّ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ، وَأَشَارَ بِأَصْبُعَيْهِ يَعْنِي: السَّبَابَةَ وَالْوَسْطَى.

बुखारी: 5204. अबू दाऊद: 2150.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

15 - बच्चों पर शपक़त करना.

1919 - सय्यदना अनस बिन मालिक (رحمته الله) बयान करते हैं कि एक बुरुग़ आया वह नबी (ﷺ) के पास जाना चाहता था, लोगों ने उसे जगह देने में देर कर दी तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, "वह शख़्स हम में से नहीं है जो हमारे छोटे पर रहम न करे और हमारे बड़े का एहतराम न करे।"

सहीह: अबू याला: 3476.

वज़ाहत: इस बारे में अब्दुल्लाह बिन अम्र, अबू हुरैरा, इब्ने अब्बास और अबू उमामा (رحمته الله) से भी हदीस मवी है।

इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। और ज़र्बी ने अनस बिन मालिक (رحمته الله) वग़ैरह से बहुत मुन्कर अहादीस रिवायत की हैं।

1920 - अम्र बिन शोऐब अपने बाप से वह अपने दादा (अब्दुल्लाह बिन अम्र (رحمته الله) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "वह शख़्स हम में से नहीं है जो हमारे छोटे पर शपक़त न करे और हमारे बड़े की इज़ज़त ना जाने।"

मुसनद अहमद: 2/185. अबू दाऊद:4943. अदबुल मुफ़रद:355.

वज़ाहत: अबू ईसा कहते : हमें हन्नाद ने वह कहते हैं, हमें अब्दा ने मुहम्मद बिन इस्हाक़ से ऐसे ही रिवायत की है मगर उन्होंने कहा है कि "हमारे और बड़े का हक़ न पहचाने।

15 باب ما جاء في رَحْمَةِ الصِّبْيَانِ

1919 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ زُرَيْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: جَاءَ شَيْخٌ يُرِيدُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبْطَأَ الْقَوْمُ عَنْهُ أَنْ يُوسِعُوا لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوقِرْ كَبِيرَنَا. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي أُمَامَةَ.

1920 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرَنَا.

1921 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “वह शख्स हम में से नहीं है जो हमारे छोटे पर शफ़कत, बड़े की इज़्जत व एहताराम न करे। और भलाई का हुक्म न देता हो और बुराई से न रोकता हो।

जर्इफ़: मुसनद अहमद: 1/257. इब्ने हिब्बान: 458.

1921 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيُوقِرْ كَبِيرَنَا، وَيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। और मुहम्मद बिन इस्हाक़ की अम्र बिन शोएब से रिवायतकर्दा (गुज़िश्ता) हदीस हसन सहीह है। और अब्दुरहमान बिन अम्र से और सनद से भी ऐसे ही मर्वी है।

बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं: नबी (ﷺ) के फ़रमान: “: لَيْسَ مِنَّا” का मतलब यह है कि उसका यह काम हमारे तरीक़े और हमारे अदब में से नहीं है।

अली बिन मदीनी फ़रमाते हैं कि यह्या बिन सईद कहते थे कि सुफ़ियान सौरी इस तफ़सीर का इनकार करते थे वह कहते थे: (لَيْسَ مِنَّا का मतलब हमारे जैसा नहीं है।

16 - लोगों पर नमी व शफ़कत करना.

1922 - सय्यदना जर्री बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “जो लोगों पर शफ़कत नहीं करता तो अल्लाह तआला उस पर रहम नहीं करता।”

बुखारी: 7376. मुस्लिम: 2319.

16 بَابُ مَا جَاءَ فِي رَحْمَةِ النَّاسِ

1922 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और इस मसले में अब्दुरहमान बिन औफ़, अबू सईद, इब्ने उमर, अबू हरैरा और अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

1923 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मैंने अबुल कासिम(رضي الله عنه) से सुना आप फ़रमा रहे थे: “शफ़क़त नर्मी सिर्फ़ बदबख़्त से ही छीनी जाती है।”

हसन: अबू दाऊद: 4942.अदबुल मुफ़रद:374. मुसनद अहमद:2/ 301.

1923 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: كَتَبَ بِهِ إِلَيَّ مَنْصُورٌ وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ، سَمِعَ أَبَا عُمَرَ مَوْلَى الْمُعِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تُنَزَّعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ.

वज़ाहत: अबू उस्मान जो अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत करते हैं हम उनका नाम नहीं जानते। कहा जाता है कि यह मूसा बिन उस्मान के वालिद हैं जिन से अबू ज़िनाद रिवायत लेते हैं और अबू ज़िनाद ने मूसा बिन अबू उस्मान से उनके बाप के ज़रिए अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से नबी(ﷺ) की कई अहादीस रिवायत की हैं।

इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है।

1924 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, “शफ़क़त करने वालों पर रहमान शफ़क़त करेगा। (लोगो) तुम ज़मीन वालों पर रहम, करो आसमान वाला तुम पर रहम, करेगा। रहम (रिश्तेदारी) रहमान के नाम की शाख⁽¹⁾ है। जिसने उसे मिलाया अल्लाह उसे अपनी रहमत के साथ मिलायेगा और जिसने इसे काटा अल्लाह उसे काट देगा।”

सहीह: अबू दाऊद: 4941.मुसनद अहमद: 2/ 160.

हाकिम: 4/ 159.

वज़ाहत: شَجَنَةٌ : शाख़ टहनी शोबा, हिस्सा, मतलब यह है कि अल्लाह तआला ने ये नाम लफ़्ज़े रहमान से निकाला है क्योंकि रहमान का मादा भी “रहम” ही है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

1924 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي قَابُوسَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، أَرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمَكُمُ مَنْ فِي السَّمَاءِ، الرَّحِمُ شَجَنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللَّهُ.

17 - ख़ैर ख़्वाही करना.

1925 - सय्यदना जर्री (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि मैं ने नबी अकरम (ﷺ) (के हाथ) पर नमाज़ कायम करने, ज़कात अदा करने और हर मुसलमान की ख़ैर ख़्वाही करने पर बैअत की।

बुखारी: 57. मुस्लिम: 56. निसाई: 4156.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

1926 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “दीन ख़ैर ख़्वाही है” आप ने तीन मर्तबा फ़रमाया, लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! किस लिए ख़ैर ख़्वाही? आप ने फ़रमाया, “अल्लाह के लिए, उसकी किताब, मुसलमानों के हाकिमीन और आम लोगों के लिए।”

सहीह: निसाई: 4199. मुसनद अहमद: 2/697.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और इस मसले में इब्ने उमर, तमीम दारी, हकम बिन अबी यज़ीद अज़ाबिया और सौबान (رضی اللہ عنہ) से भी रिवायात मर्वी हैं।

18 - एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर शपथ करना.

1927 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया,

17 بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّصِيحَةِ

1925 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

1926 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَيْسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الَّذِينَ النَّصِيحَةُ ثَلَاثَ مِرَارٍ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِأُمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ.

18 بَابُ مَا جَاءَ فِي شَفَقَةِ الْمُسْلِمِ عَلَى

الْمُسْلِمِ

1927 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطٍ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ هِشَامِ بْنِ

“एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, न उसकी ख़यानत करे, न उस से झूठ बोले और न ही उसकी ताईद और इमदाद छोड़े, मुसलमान की इज़्जत, उसका माल और उसका खून (दूसरे) मुसलमान पर हराम है, तब्रवा (अल्लाह का ख़ौफ़) यहाँ (दिल में होता) है। आदमी को यही शर (बुराई) काफी है कि वह अपने मुसलमान भाई को हकीर समझे।”

मुस्लिम: 2564. अबू दाऊद: 4862. इब्ने माजा: 3933.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। और इस बारे में अली और अबू अय्यूब (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

1928 - सय्यदना अबू मूसा अशअरी (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “मोमिन दूसरे मोमिन के लिए एक इमारत की तरह है जिसकी एक ईन्ट दूसरे को मज़बूत करती है।”

बुखारी: 481. मुस्लिम: 2584. निसाई: 2560.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

1929 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “यकीनन तुम में से एक आदमी अपने दूसरे मुसलमान भाई का आइना है अगर वह उसमें कोई ऐब देखे तो उसे उससे दूर करे।”

ज़ईफ़: जिदा: अस-सिलसिला अज़-ज़ईफ़ा: 1889. अबू दाऊद: 4918. तोहफतुल अशराफ़: 14121.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यहया बिन उबैदुल्लाह को शोबा ने ज़ईफ़ कहा है। और इस बारे में अनस (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَخُونُهُ وَلَا يَكْذِبُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، عَرَضُهُ وَمَالُهُ وَدَمُهُ، التَّقْوَى هَاهُنَا، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْتَقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ.

1928 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، وَغَيْرٌ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَرْدَةَ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي بَرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا.

1929 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عُثَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنْ أَحَدَكُمْ مَرَأَ أَخِيهِ، فَإِنْ رَأَى بِهِ أَدَى فَلْيَمِطْهُ عَنْهُ.

19 - मुसलमानों के ऐब छिपाना.

1930 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “जिस ने किसी मुसलमान से दुनिया की तकलीफ़ों में से एक तकलीफ़ दूर की अल्लाह तआला उसे क़यामत के दिन तकलीफ़ों में से एक तकलीफ़ दूर करेंगे, जिस ने दुनिया में किसी तंग दस्त पर आसानी की अल्लाह तआला दुनिया और आख़िरत में उस पर आसानी करेंगे, जिसने किसी मुसलमान के ऐबों पर पर्दा रखा अल्लाह तआला दुनिया और आख़िरत में उसके ऐबों पर पर्दा डालेंगे और अल्लाह तआला उस वक़्त तक अपने बन्दे की मदद में होता है जब तक बन्दा अपने मुसलमान भाई की मदद में रहता है।

सहीह: मुस्लिम: 2699. अबू दारूद: 1455. इब्ने माजा: 225. तोहफतुल अशाराफ़ 12889.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رحمۃ اللہ علیہ) फ़रमाते हैं:) इस मसले में इब्ने उमर और उक़बा बिन आमिर (رضی اللہ عنہ) से भी अहादीस मवीं हैं।

इमाम तिमिज़ी (رحمۃ اللہ علیہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नोज़ अबू अवाना और दीगर रावियों ने भी इस हदीस को आमश से बवास्ता अबू सालेह सय्यदना अबू हुरैरा (رضی اللہ عنہ) के ज़रिए नबी (ﷺ) से ऐसे ही रिवायत किया है और इस में यह ज़िक्र नहीं है कि मुझे अबू सालेह की तरफ़ से बताया गया।

20- मुसलमान की इज़ज़त का दिफ़ा करना

1931 - सय्यदना अबू दर्दा (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “जो अपने मुसलमान भाई की इज़ज़त से (वकार व मर्तबा में खलल डालने वाली चीज़ को) हटाये तो

19 بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّتْرِ عَلَى الْمُسْلِمِ

1930 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: حَدَّثْتُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَيَّ مُغْسِرٍ فِي الدُّنْيَا يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَيَّ مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

20 بَابُ مَا جَاءَ فِي الدَّبِّ عَنِ عِزِّهِ الْمُسْلِمِ

1931 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ النَّهْشَلِيِّ، عَنْ مَرْزُوقِ أَبِي بَكْرٍ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ

अल्लाह तआला क़यामत के दिन उसके चेहरे से आग हटा देगा।”

सहीह: मुसनद अहमद: 6/449. हिल्या: 8/257.

أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أُخِيهِ رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

वज़ाहत: इस बारे में अस्मा बिनते यज़ीद (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

21 - मुसलमान से बोल चाल ख़त्म करना मना है.

1932 - सय्यदना अबू अय्यूब अंसारी (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “मुसलमान के लिए हलाल नहीं है कि वह अपने मुसलमान भाई को तीन दिन से ज्यादा छोड़े कि वह दोनों मिलें तो यह इस तरफ़ मुंह फेर ले और वह उस तरफ़ मुंह फेर ले और उनमें से बेहतर वह है जो सलाम में पहल करे।”

बुख़ारी: 6077. मुस्लिम: 2560. अबू दाऊद: 4911

21 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْهَجْرِ لِلْمُسْلِمِ

1932 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ (ح) وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنِ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ، يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ.

वज़ाहत: इस बारे में अब्दुल्लाह बिन मसऊद, अनस, अबू हुरैरा, हिशाम बिन आमिर और अबू हिन्द अह्वारी (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं।

22 - मुसलमान भाई की गम ख़्तारी करना.

1933 - सय्यदना अनस (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि अब्दुरहमान बिन औफ़ जब मदीना में आए तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनके और साद बिन रबीअ के दर्मियान रिश्त- ए⁽¹⁾ - मुवाखात

22 بَابُ مَا جَاءَ فِي مَوَاسَاةِ الْأَخِ

1933 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ

(भाईचारगी का रिश्ता) कायम किया तो उन्होंने उन (इब्ने औफ़) से कहा कि आइए मैं अपने माल को आप के साथ दो हिस्सों में तक्सीम करता हूँ और मेरी दो बीवीयाँ हैं मैं उनमें से एक को तलाक़ दे देता हूँ जब उसकी इहत खत्म हो जाए तो आप उस से निकाह कर लेना, उन्होंने कहा: अल्लाह तआला आप के माल और अहल में बरकत दे मेरी बाज़ार की तरफ़ रहनुमाई कर दें लोगों ने बाज़ार का पता बता दिया तो वह उस दिन वापस आए तो उनके पास कुछ पनीर और घी था जो कि नफ़ा से हासिल हुआ था, फिर रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उस के बाद उन्हें देखा तो उन पर ज़र्दी⁽²⁾ की चमक थी, आप ने फ़रमाया, “यह क्या है?” उन्होंने अज़्र किया, मैंने अन्सारिया की एक औरत से शादी की है। आप ने फ़रमाया, “हक्के महर क्या दिया है?” अज़्र किया एक गुठली के बराबर सोना। तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, “वलीमा करो अगरचे एक बकरी का ही हो।”

सहीह: बुखारी: 2048. मुस्लिम: 1427. अबू दाऊद: 2109. इब्ने माजा: 1907. निसाई: 3351. तोहफतुल अशराफ़: 571.

(1) रिश्त-ए-मुवाखात वह भाई चारा था जो हिज़्रते मदीना के बाद नबी(ﷺ) ने अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान कायम किया था। (2) किसी भी रंगदार खुशबू का निशान यह खुशबू उमूमन दूल्हे लगाया करते थे।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। इमाम अहमद बिन हंबल फ़रमाते हैं: गुठली के बराबर सोने का वज़न तीन दिरहम और दिरहम का तीसरा हिस्सा बनता है। इस्हाक़ बिन इब्राहीम कहते हैं: मुझे अहमद बिन हंबल और इस्हाक़ (ﷺ) के यह अक़वाल इस्हाक़ बिन मंसूर ने बताए हैं।

عَوْفِ الْمَدِينَةِ أَخَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَقَالَ لَهُ: هَلَمْ أَقَاسِمَكَ مَالِي نِصْفَيْنِ، وَلِي امْرَأَتَانِ فَأُطَلِّقُ إِحْدَاهُمَا، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجُهَا، فَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، ذُلُونِي عَلَى السُّوقِ، فَذَلُّوهُ عَلَى السُّوقِ، فَمَا رَجَعَ يَوْمَئِذٍ إِلَّا وَمَعَهُ شَيْءٌ مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ قَدْ اسْتَفْضَلَهُ، فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ وَضْرٌ مِنْ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: مَهْمِيمٌ؟ قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: فَمَا أَصَدَّقْتَهَا؟ قَالَ: نَوَآءٌ، قَالَ حُمَيْدٌ أَوْ قَالَ: وَزَنَ نَوَآءٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ.

23 - गीबत का बयान.

1934 - सय्यदना अबू हरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि पूछा गया: ऐ अल्लाह के रसूल! गीबत क्या है? आप (ﷺ) ने फ़रमाया, "तुम्हारा अपने भाई की उन बातों का बयान करना जिन्हें वह नापसंद करता है।" उस पूछने वाले ने कहा: आप बतलाइए कि जो मैं कहता हूँ वह उस में मौजूद हो तो? आप (ﷺ) ने फ़रमाया? अगर वह बात उस में मौजूद है जो तुम कहते हो तो यकीनन तुमने उसकी गीबत की और अगर वह बात उस में नहीं है जो तुम कहते हो तो तुम ने उस पर बोहतान लगाया।"

मुस्लिम: 2589. अबू दाऊद: 4874.

वज़ाहत: इस बारे में अबू बज़्रा, इब्ने उमर और अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنهم) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

24 - हसद का बयान.

1935 - सय्यदना अनस (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "एक दूसरे से तालुक न तोड़ो, पीठ पीछे एक दूसरे की बुराई न करो, एक दूसरे से बुग़ज़ (नफ़रत) न रखो, और एक दूसरे से हसद न करो, और ऐ अल्लाह के बन्दों भाई भाई बन जाओ और मुसलमान के लिए हलाल नहीं है कि वह अपने भाई को तीन दिन से ज़्यादा छोड़े रखे।"

बुखारी: 6065. मुस्लिम: 2559. अबू दाऊद: 4910.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ इस बारे में अबू बकर सिदीक़, जुबैर बिन अब्बाम, इब्ने मसऊद और अबू हरैरा (رضي الله عنهم) से भी हदीस मर्वी है।

23 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغَيْبَةِ

1934 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْغَيْبَةُ؟ قَالَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَابْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهْتَهُ.

24 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَسَدِ

1935 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ الْعَطَّارُ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقَاطِعُوا وَلَا تَدَابِرُوا وَلَا تَبَاغِضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، وَلَا يَجُلُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ.

1936 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "सिर्फ़ दो आदमियों के बारे में रश्क करना जायज़ है: एक वह आदमी जिसे अल्लाह ने माल दिया वह रात और दिन के औकात में उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है और दूसरा वह आदमी जिसे अल्लाह ने कुरआन का इल्म दिया वह रात दिन के औकात में उसके हुक्क पूरे करता है।"

बुखारी: 7529. मुस्लिम: 815. इब्ने माजा: 4209.

तौज़ीह: (1) किसी को अता की गई नेअमत देख कर आरजू करना कि मुझे भी यह नेअमत मिल जाए तो मैं भी ऐसे ही करूँ इसे रश्क बोला जाता है और हसद यह है कि किसी से नेअमत छिन जाए और खुद को मिल जाने की तमन्ना करना।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ इब्ने मसऊद और अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से भी नबी(ﷺ) की ऐसी ही हदीस मर्वी है।

25 - एक दूसरे से नफ़रत करना

1937 - . सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "शैतान इस बात से तो मायूस हो गया है कि नमाज़ी उसकी इबादत करेंगे लेकिन उनके दर्मियान झगड़ा और फित्ना डालने से मायूस नहीं हुआ।"

मुस्लिम: 2812. मुसनद अहमद: 3/113. अबू याला: 2294.

वज़ाहत: इस मसले में अनस और सुलैमान बिन अम्र बिन अहवस की अपने बाप से भी रिवायत है। इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। और सुफ़ियान का नाम तल्हा बिन नाफ़े है।

1936 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آتَاءَ اللَّيْلِ وَآتَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آتَاءَ اللَّيْلِ وَآتَاءَ النَّهَارِ.

25 بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّبَاغُضِ

1937 - حَدَّثَنَا هَنَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ بَيَّسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ، وَلَكِنْ فِي التَّخْرِيشِ بَيْنَهُمْ.

26 - झगड़ों में सुलह करवाना.

1938 - सय्यदा उम्मे कुलसूम (رضی اللہ عنہا) बयान करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से सुना आप फ़रमा रहे थे: "वह शख्स झूठा नहीं है जो लोगों में सुलह करवाए तो भलाई की बात करे या भलाई को बढ़ाए।"

बुखारी: 2692. मुस्लिम: 2605. अबू दाऊद: 4920

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته اللہ علیہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है।

1939 - सय्यदा अस्मा बिनते यज़ीद (رضی اللہ عنہا) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "झूठ बोलना सिर्फ़ तीन कामों में हलाल है: आदमी अगर अपनी बीवी को खुश करने के लिए बात करे, जंग में झूठ बोलना और लोगों के दर्पियान सुलह करवाने के लिए झूठ बोलना।" महमूद ने अपनी हदीस में यह अल्फ़ाज़ कहे हैं कि "झूठ बोलना सिर्फ़ तीन कामों में दुरुस्त है।"

सहीह: ليرضيها का कौल सहीह नहीं है. मुसनद अहमद: 6/454. इब्ने अबी शैबा: 9/85.

तौज़ीह: "بين ظرف مبهم : यानी जिसका मानी मालूम न हो, और यह दो या ज़्यादा इस्मों की तरफ़ मुजाफ़ होता है जैसे 'جلسة بين محمد و علي', जैसे लफ़्ज़ की तरफ़ मुजाफ़ होता है जो दो इस्मों के क़ायम मक़ाम हो। जैसे 'عوان بين ذلك، البين' है रिश्ता, कराबत, ताल्लुक, जोड़, मोहब्बत और अदावत यानी हर वह चीज़ जो بینهم فيما जो चीज़ भी उनकी आपस में एक दूसरे के साथ है। (अल-कामूसुल वहीद:पृ. 191, अल-मोज़मुल वसीत:95)

वज़ाहत: अस्मा (رضی اللہ عنہا) की यह हदीस हमें इब्ने खुशैम के तरीक से ही मिलती है।

26 بَابُ مَا جَاءَ فِي إِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ

1938 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ حَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ أَمْ كُلثُومِ بِنْتِ عُقْبَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيْسَ بِالْكَاذِبِ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ خَيْرًا أَوْ نَمَى خَيْرًا.

1939 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الرَّبِيعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (ح) وَحَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، وَأَبُو أَحْمَدَ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ:

27 - खयालत और धोका.

1940 - सय्यदना अबू सिर्मा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, “जो शख्स किसी मुसलमान को नुकसान पहुंचाए अल्लाह उसे नुकसान पहुंचाएगा और जो शख्स किसी मुसलमान को तंगी दे अल्लाह तआला उसे तंगी देगा।”⁽¹⁾

हसन: अबू दाऊद: 3635. इब्ने माजा: 3442. मुसनद अहमद: 3/453.

तौज़ीह: (1) इसका एक मानी यह भी है कि जो शख्स मुसलमान से मुंह फेरता है अल्लाह तआला उस से मुंह फेर लेता है क्योंकि लफ़ज़ شق का मानी तरफ़ और किनारा भी होता है।

वज़ाहत: इमाम तिमिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है।

1941 - सय्यदना अबू बकर सिद्दीक (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, “उस शख्स पर लानत है जो किसी मोमिन को नुकसान पहुंचाए या उस से फ़रेब करे।”

ज़ईफ़: अस-सिलसिला अज़-ज़ईफ़ा: 1903. अबू याला: 960. अल-कामिल: 6/2053.

वज़ाहत: इमाम तिमिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है।

28 - पड़ोसी (हमसायगी) का हक़.

1942 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, “जिब्रील (عليه السلام) मुझे पड़ोसी के बारे में वसीयत करते रहते हैं यहाँ तक कि मैंने गुमान

27 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخِيَاةِ وَالْغِيْشِ

1940 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ لُؤْلُؤَةَ، عَنْ أَبِي صِرْمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ ضَارَّ ضَارًّا لِلَّهِ بِهِ، وَمَنْ شَاقَّ شَقًّا لِلَّهِ عَلَيْهِ.

1941 - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ الْعُكْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا فَرْقَدُ السَّبْعِيُّ، عَنْ مَرَّةَ بْنِ شَرَاخِيلَ الْهَمْدَانِيِّ وَهُوَ الطَّيِّبُ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ ضَارَّ مُؤْمِنًا أَوْ مَكْرَهًا بِهِ.

28 بَابُ مَا جَاءَ فِي حَقِّ الْجَوَارِ

1942 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ

किया यह अन्करीब उसे वारिस बना देंगे। ”

बुखारी: 6014. मुस्लिम: 2624. अबू दाऊद: 5151.
इब्ने माजा: 3673.

1943 - मुजाहिद (ؓ) से रिवायत है कि सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (ؓ) के घर में एक बकरी ज़बह की गई जब वह तशरीफ़ लाये तो उन्होंने फ़रमाया, क्या तुम ने हमारे यहूदी हमसाये को तोहफा भेजा है? क्या तुमने हमारे यहूदी हमसाये को हंडिया भेजा है? मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना था: “जिबरील (ؑ) मुझे पड़ोसी के बारे में वसीयत करते रहे यहाँ तक कि मैंने गुमान किया यह अन्करीब उसे वारिस बना देंगे। ”

सहीह: अबू दाऊद: 2152. मुसनद अहमद: 2/ 160.
अदबुल मुफ़रद: 105.

वज़ाहत: इस बारे में आयशा, इब्ने अब्बास, अबू हुरैरा, अनस, अब्दुल्लाह बिन अम्र, मिक्दाद बिन अस्वद, उन्नबा बिन आमिर, अबू शुरैह और अबू उमामा (ؓ) से अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिमिज़ी (ؓ) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन ग़रीब है। नीज़ यह हदीस मुजाहिद से बवास्ता आयशा और अबू हुरैरा (ؓ) भी नबी (ﷺ) से इसी तरह मर्वी है।

1944 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अम्र (ؓ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “अल्लाह के यहाँ बेहतरीन साथी वह है जो अपने साथी के लिए बेहतरीन हो, और बेहतरीन पड़ोसी अल्लाह के यहाँ वह है जो अपने पड़ोसी के लिए बेहतरीन हो। ”

सहीह: दारमी: 2442. मुसनद अहमद: 2/ 167. अदबुल मुफ़रद: 115.

عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَثُهُ.

1943 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ شَابُورَ، وَشَيْبَةَ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو دُيِّحَتْ لَهُ شَاةٌ فِي أَهْلِهِ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: أَهْدَيْتُمْ لِي جَارِنَا الْيَهُودِيَّ؟ أَهْدَيْتُمْ لِي جَارِنَا الْيَهُودِيَّ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَثُهُ.

1944 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَيَّوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ شُرْحَيْلِ بْنِ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُبَلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ، وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ.

वज़ाहत: इमाम तिमिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन ग़रीब है। और अब्दुरहमान हुबुली का नाम अब्दुल्लाह बिन यज़ीद है।

29 - ख़ादिमों के साथ एहसान का मामला करना.

1945 - सय्यदना अबू ज़र (رحمته الله) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, "तुम्हारे भाइयों को अल्लाह तआला ने तुम्हारा मातहत बनाया है। पस जिस किसी का (मुसलमान) भाई उसके मातहत हो तो वह उसे अपने खाने से खिलाये और लिबास में उनको लिबास पहनाये, और उस काम का उसे मुकल्लफ़ (जिम्मेदार) न बनाए जिससे उसके लिए मुश्किल हो जाए, अगर वह उसे ऐसे काम का मुकल्लफ़ बनाए तो फिर उसकी मदद करे।"

बुखारी: 31. मुस्लिम: 4313. अबू दाऊद: 5157.

वज़ाहत: इमाम तिमिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: इस मसले में अली, उम्मे सलमा, इब्ने उमर और अबू हुरैरा (رحمته الله) से भी अहादीस मवों हैं।

1946 - सय्यदना अबू बकर सिद्दीक (رحمته الله) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, "गुलामों के साथ बुरे तरीके से पेश आने वाला जन्नत में नहीं जाएगा।"

ज़इफ़: तयालिसी: 7. मुसनद अहमद: 1/4

वज़ाहत: इमाम तिमिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। अबू सख्तियानी और दीगर मुहद्दिसीन ने फर्कद सब्खी के हाफ़िज़े की वजह से इस पर जरह की है।

29 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِحْسَانِ إِلَى الْخَدَمِ

1945 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ فِتْيَةً تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِهِ، وَلْيَلْبَسْهُ مِنْ لِبَاسِهِ، وَلَا يَكْلِفْهُ مَا يَغْلِبُهُ، فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ.

1946 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَعْنَى، عَنْ فَرْقَدِ السَّبَخِيِّ، عَنْ مَرْءَةٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّئُ الْمَلَكَةِ.

30-ख़ादियों को मारना और गाली देना मना है

1947 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबीउत्तौबा अबुल कासिम(رضي الله عنه) ने फ़रमाया, “जिस शख्स ने अपने गुलाम पर तोहमत लगाई जो उसकी कही हुई बात से बरी था तो क़यामत के दिन अल्लाह तआला उस पर बोहतान की हद क़ायम करेगा मगर यह कि वह गुलाम ऐसे ही हो जैसे उसने कहा।”

बुख़ारी: 6856. मुस्लिम: 1660. अबू दाऊद: 5165.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और इस मसले में सुवैद बिन मुक़र्रिन और अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से भी मर्वी है। और इब्ने अबी नुअम अब्दुरहमान बिन नुअम अल बजली ही हैं जिनकी कुनियत अबू हकम थी।

1948 - सय्यदना अबू मसऊद अंसारी (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैं अपने एक गुलाम को मार रहा था तो मैंने अपने पीछे से एक कहने वाले को सुना वह कह रहा था: “ऐ अबू मसऊद जान लो! ऐ अबू मसऊद जान लो!” मैंने पीछे देखा तो रसूलुल्लाह(ﷺ) को देखा आप ने फ़रमाया, “यकीनन अल्लाह तआला तुझ पर इस से भी ज़्यादा क़ादिर है। जितना तू इस पर क़ादिर है।” अबू मसऊद फ़रमाते हैं: फिर उसके बाद मैंने अपने गुलाम को नहीं मारा।

मुस्लिम: 1659. अबू दाऊद: 5159.

30 بَابُ النَّهْيِ عَنِ ضَرْبِ الْخَدَمِ وَشَتِيهِمْ

1947 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ فَضِيلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيُّ التَّوْبَةِ: مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بَرِيئًا مِمَّا قَالَ لَهُ، أَقَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَدَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَابْنُ أَبِي نُعْمٍ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نُعْمٍ الْبَجَلِيُّ، يُكْنَى أبا الْحَكَمِ.

1948 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: كُنْتُ أَضْرِبُ مَمْلُوكًا لِي، فَسَمِعْتُ قَائِلًا مِنْ خَلْفِي يَقُولُ: اعْلَمْ أبا مَسْعُودٍ، اعْلَمْ أبا مَسْعُودٍ، فَالتَفَتُّ، فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لِلَّهِ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: فَمَا ضَرَبْتُ مَمْلُوكًا لِي بَعْدَ ذَلِكَ.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और इब्राहीम अत्तैमी इब्राहीम बिन यज़ीद बिन शरीक हैं।

31 - ख़ादिम को माफ़ करना.

1949 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (رحمته الله) रिवायत करते हैं कि एक आदमी रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आकर कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल मैं ख़ादिम को कितनी मर्तबा माफ़ करूँ? तो नबी (ﷺ) ख़ामोश हो गए, उसने फिर कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं ख़ादिम को कितनी दफ़ा माफ़ करूँ? आप (ﷺ) ने फ़रमाया, "हर दिन सत्तर दफ़ा।"

सहीह: अबू दाऊद: 5164. मुसनद अहमद: 2/90.
बैहक्की: 8/10.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। इसे अब्दुल्लाह बिन वहब ने भी अबू हानी अल खौलानी की सनद से ऐसे ही रिवायत किया है। और अब्बास जुलैद के बेटे थे जो हज़री मिस्वी हैं।

अबू ईसा कहते हैं हमें अब्दुल्लाह बिन वहब ने अबू हानी अल खौलानी से इस सनद के साथ ऐसे ही रिवायत की है और बाज़ (कुछ) ने इस हदीस को अब्दुल्लाह बिन वहब से इसी सनद के साथ ऐसे ही रिवायत किया है और अब्दुल्लाह बिन अम्र (رحمته الله) कहा है।

32 - ख़ादिम को अदब सिखाना.

1950 - सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी (رحمته الله) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "जब तुम में से कोई अपने ख़ादिम को (अदब सिखाने के लिये) मारे फिर वह अल्लाह को याद करे तो (उससे) अपने हाथ को उठ लो।" (ज़ईफ़)

31 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَفْوِ عَنِ الْخَادِمِ

1949 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي هَانِيَةَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ عَبَّاسِ الْحَجْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَمْ أَعْفُو عَنِ الْخَادِمِ؟ فَصَمَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَمْ أَعْفُو عَنِ الْخَادِمِ؟ فَقَالَ: كُلُّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً.

32 بَابُ مَا جَاءَ فِي آدَابِ الْخَادِمِ

1950 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَيْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ فَذَكَرَ اللَّهُ فَارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ.

वज़ाहत: इमाम तिमिजी (रह) फ़रमाते हैं: अबू हारून अब्दी का नाम उमारा बिन जुवैन है।

अबू बकर अल अत्तार बवास्ता अली बिन मदीनी यह्या बिन सईद का कौल नक़ल करते हैं कि शोबा ने अबू हारून अब्दी को ज़ईफ़ कहा है। यह्या फ़रमाते हैं: इब्ने औन मरते दम तक अबू हुरैरा (रह) से रिवायत करते थे।

33 - भौलाद को अदब सिखाणा.

1951 - सय्यदना जाबिर बिन समुरा (रह) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (रह) ने फ़रमाया, “आदमी अपने बेटे को अदब (की एक बात) सिखा दे यह उसके लिए एक साअ सदका करने से बेहतर है।”

ज़ईफ़: अल-कामिल. 7/2510. हाकिम: 4/263.

वज़ाहत: इमाम तिमिजी (रह) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है और नासेह बिन अला कूफी मुहद्दिसीन के नज़दीक क़वी रावी नहीं है और यह हदीस सिर्फ़ इसी तरीक से मारूफ़ है। नीज़ नासेह एक बसरी बुजुरा भी हैं वह अम्मार बिन अबू अम्मार और दीगर मुहद्दिसीन से रिवायत करते हैं वह इस से ज़्यादा पुख़्ता हैं।

1952 - अय्यूब बिन मूसा अपने बाप के ज़रिए अपने दादा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (रह) ने फ़रमाया, “किसी बाप ने अपने बेटे को कोई ऐसा तोहफा नहीं दिया जो अच्छे अदब से उम्दा हो।”

ज़ईफ़: मुसनद अहमद: 4/77. अल-कामिल: 5/1740.

वज़ाहत: इमाम तिमिजी (रह) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे आमिर बिन अबी आमिर अल खज़ाज़ के तरीक से ही जानते हैं और यह आमिर बिन अबी आमिर बिन सालेह बिन रुस्लम खज़ाज़ है। और अय्यूब बिन मूसा यह अम्र बिन सईद बिन आस के पोते हैं और मेरे नज़दीक यह हदीस मुसल है।

33 بَابُ مَا جَاءَ فِي أَدَبِ الْوَلَدِ

1951 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى، عَنْ نَاصِحٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَأَنْ يُوَدَّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ.

1952 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا غَامِرُ بْنُ أَبِي غَامِرٍ الْخَزَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا نَحَلَّ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ.

34 - तोहफा कुबूल करना और उसका बदला देना.

1953 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) तोहफा कुबूल किया करते थे और उसका बदला भी देते थे।

बुखारी: 2585. अबू दाऊद: 3536.

34 بَابُ مَا جَاءَ فِي قَبُولِ الْهَدِيَّةِ وَالْمُكَافَأَةِ عَلَيْهَا

1953 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُسَبِّحُ عَلَيْهَا.

वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरैरा, अनस, इब्ने उमर और जाबिर (رضي الله عنهم) से भी हदीस मरवी है।

इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस इस सनद से हसन सहीह ग़रीब है। हम हिशाम से बवास्ता ईसा बिन यूनुस ही इसको मफू जानते हैं।

35 - जो शख्स आप के साथ नेकी करे उसका शुक्रिया अदा करना.

1954 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "जो शख्स लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वह अल्लाह का भी शुक्र नहीं करता।"

सहीह: अबू दाऊद: 4811. मुसनद अहमद: 2/258. अदबुल मुफ़रद: 218.

35 بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّكْرِ لِمَنْ أَحْسَنَ إِلَيْكَ

1954 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيَْادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ لَا يَشْكُرُ اللَّهَ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

1955 - सय्यदना अबू सईद (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "जिसने लोगों का शुक्रिया अदा नहीं किया

1955 - حَدَّثَنَا هَنَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى (ح) وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ

उसने अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं किया।”

सहीह: गुज़िशता हदीस देखें. मुसनद अहमद: 3/32. अबू याला: 1122.

वज़ाहत: इस बारे में अबू हुरैरा, अशअस बिन कैस और नौमान बिन बशीर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

36 - नेकी के काम.

1956 - सय्यदना अबू ज़र (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “तुम्हारा अपने भाई के सामने मुस्कराना तुम्हारे लिए सदका है, तुम्हारा नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना सदका है, तुम्हारा किसी भूले हुए को रास्ता बता देना सदका है, तुम्हारा कमज़ोर नज़र वाले के लिए रास्ता दिखाना सदका है, तुम्हारा रास्ते से पत्थर, कांटे और हड्डी को हटा देना भी सदका है और अपने डोल से अपने भाई के डोल में पानी डालना भी सदका है।”

सहीह: इब्ने हिब्बान: 470. अदबुल मुफ़रद: 891.

वज़ाहत: इस बारे में इब्ने मसऊद, जाबिर, हुज़ैफ़ा, आयशा और अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है और अबू जुमैल का नाम सिमाक बिन वलीद हनफ़ी है और नज़र बिन मुहम्मद, यह अल जुरशी यमामी हैं।

وَكَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّوَّاسِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ.

36 بَابُ مَا جَاءَ فِي صَنَائِعِ الْمَعْرُوفِ

1956 - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُرَشِيُّ الْيَمَامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَبَصْرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشُّوْكَةَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِفْرَاقُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ.

37 - किसी को इस्तेमाल के लिए कोई चीज देना

1957 - सय्यदना बराअ बिन आज़िब (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना: “जिसने दूध या चांदी को इस्तेमाल के लिए दिया⁽¹⁾ या किसी को रास्ता बताया उसके लिए एक गर्दन (गुलाम) आज़ाद करने की तरह सवाब है।”

सहीह: मुसनद अहमद: 4/285. अदबुल मुफ़रद: 890.

तौज़ीह: (1) इसमें दूध से मुराद दूध वाला जानवर और चांदी से मुराद दिरहम (यानी नकदी) है। मतलब यह कि किसी को इस्तेमाल के लिए दे दे फिर कभी वापस ले ले।

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: इब्ने इस्हाक़ की तल्हा बिन मुसर्रिफ़ से बयान कर्दा यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। इसे इसी सनद से ही जानते हैं। नीज़ मंसूर बिन मोतमिर और शोबा ने भी इस हदीस को तल्हा बिन मुसर्रिफ़ से रिवायत किया है। इस बारे में नौमान बिन बशीर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

और चांदी को इस्तेमाल के लिए देने का मतलब है कि किसी को दिरहम बतौर कर्ज़ देना और रास्ता दिखाने से मुराद रास्ते की रहनुमाई करना है।

38 - रास्ते से तकलीफ़देह चीज़ को हटाना.

1958 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, “एक आदमी रास्ते में जा रहा था कि उस ने (रास्ते में) एक काँटों वाली टहनी पाई तो उसे हटा दिया, अल्लाह तआला ने इसकी क़द्र करते हुए उसे बरख़श दिया।”

बुखारी: 652. मुस्लिम: 1914. अबू दाऊद: 5245. इब्ने माज़ा: 3682

37 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمِنْحَةِ

1957 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصْرَفٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْسَجَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ مَنَعَ مَتِيحَةَ لَبَنٍ أَوْ وَرِقٍ أَوْ هَدَى زُقَاقًا كَانَ لَهُ مِثْلُ عَتَقِ رَقَبَةٍ.

38 بَابُ مَا جَاءَ فِي إِمَاطَةِ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ

1958 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي طَرِيقٍ إِذْ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ فَأَخْرَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ.

वज़ाहत: इस बारे में अबू बर्जा, इब्ने अब्बास और अबू ज़र (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

39 - मजालिस (की बातें) अमानत हैं।

1959 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, "जब कोई शख्स कोई बात करे फिर (इधर-उधर) झांके तो वह (बात) अमानत है।

सहाह: अबू दाऊद: 4868. मुसनद अहमद: 2/324. अबू याला: 2212.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और हम इसे सिर्फ़ इब्ने अबी जुएब के तरीक़ से ही जानते हैं।

40 - सख़ावत का बयान.

1960 - सय्यदा अस्मा बिनते अबी बक्र (رضي الله عنه) रिवायत करती है कि मैं ने अर्ज़ की: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे पास कोई चीज़ नहीं है सिवाए इसके जो जुबैर (رضي الله عنه) मेरे पास ले आये किया। मैं इस में से सदका दूँ? आप (ﷺ) ने फ़रमाया, "हाँ, तुम (सदका देने से अपने हाथ को) बंद न करो वरना तुम्हारे ऊपर (अल्लाह का फ़ज़ल) बंद कर दिया जाएगा।" आप (ﷺ) यह भी कह रहे थे कि तुम न शुमार करो वरना तुम्हें भी शुमार करके दिया जाएगा।

बुख़ारी: 1433. मुस्लिम: 1029. अबू दाऊद: 1699. निसाई: 2550.

वज़ाहत: इस बारे में आयशा और अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

39 بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْمَجَالِسَ أَمَانَةٌ

1959 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذَثْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الْحَدِيثَ ثُمَّ التَفَتَ فَهِيَ أَمَانَةٌ.

40 بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّخَاءِ

1960 - حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مَلِيكَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي مِنْ شَيْءٍ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الرَّبِيرُ أَفَأَعْطِي؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَا تُوكِي فَيُوكِي عَلَيْكَ يَقُولُ: لَا تُحْصِي فَيُحْصِي عَلَيْكَ.

इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और बाज़ (कुछ) ने इस हदीस को इसी सनद के साथ इब्ने अबी मुलैका से बवास्ता अब्बाद बिन अब्दुल्लाह बिन जुबैर, सय्यदा अस्मा बिनते अबी बक्र (رحمته الله) से रिवायत किया है, और कई रावियों ने इसे अय्यूब से रिवायत किया है और इसमें अब्बाद बिन अब्दुल्लाह बिन जुबैर का ज़िक्र नहीं है।

1961 - सय्यदना अबू हुरैरा (رحمته الله) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “सज़ावत करने वाला अल्लाह के करीब, जन्नत के करीब, लोगों के करीब और जहन्नम से दूर होता है, और बखील (कंजूस) अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, लोगों से दूर और जहन्नम से करीब होता है नीज़ जाहिल सखी अल्लाह तआला को बखील इबादत गुज़ार से ज़्यादा पसंद है।”

ज़ईफ़ जिद्दा.

1961 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْجَنَّةِ قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ، وَالْبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ اللَّهِ بَعِيدٌ مِنَ الْجَنَّةِ بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ قَرِيبٌ مِنَ النَّارِ، وَالْجَاهِلُ السَّخِيُّ أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ عَابِدٍ بِخِيلٍ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है हम इसे यह्या बिन सईद के वास्ते ही आरख़ से जानते हैं। वह अबू हुरैरा से रिवायत करते हैं और हमें यह चीज़ सईद बिन मुहम्मद के तरीक से ही मिलती है और सईद बिन मुहम्मद की यह्या बिन सईद से मर्वी इस रिवायत के बारे में इख़ितलाफ़ है। नीज़ यह्या बिन सईद, आयशा से कुछ मुर्सल रिवायत करते हैं।

41 - बुख़ल (कंजूसी) का बयान.

1962 - सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी (رحمته الله) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “दो आदतें मोमिन में जमा नहीं हो सकती! एक बखीली और दूसरी बुरे अख़लाक।

ज़ईफ़ जिद्दा: अदबुल मुफ़रद: 282. अबू याला: 1328. हुलिया: 2/ 258.

41 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبَخِيلِ

1962 - حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبِ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنٍ: الْبَخْلُ وَسُوءُ الْخُلُقِ.

वज़ाहत: इस बारे में अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे सदक़ा बिन मूसा के तरीक से ही जानते हैं।

1963 - सय्यदना अबू बकर सिद्दीक (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “धोकेबाज़, बखील और एहसान जताने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होंगे।”

ज़ईफ़: 1964. नम्बर हदीस देखें.

1963 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ مُوسَى، عَنْ فَرْقَدِ السَّبَخِيِّ، عَنْ مَرَّةِ الطَّيِّبِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خُبٌّ وَلَا مَتَّانٌ وَلَا بَخِيلٌ.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है।

1964 - . सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “मोमिन साफ़ गो और इज़्ज़तमन्द होता है जबकि फ़ाजिर (गुनाहगार) धोकेबाज और बाद अख्लाक होता है।”

हसन लिगैरिही: सहीहुत्तगीब :2609. अबू दाऊद:4790. तोहफतुल अशराफ़: 15362.

1964 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ بَشْرِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ غَرٌّ كَرِيمٌ، وَالْفَاجِرُ خُبٌّ لَيْثِيمٌ.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इस को इसी तरीक से ही जानते हैं।

42 - अहलो अयाल पर खर्च करना.

1965 - सय्यदना अबू मसऊद अंसारी (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “आदमी का अपनी बीवी और बच्चों पर खर्च करना भी सदक़ा है।”

बुखारी: 55. मुस्लिम: 1002. निसाई: 2545.

42 بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّفَقَةِ عَلَى الْأَهْلِ

1965 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ صَدَقَةٌ.

वज़ाहत: इस बारे में अब्दुल्लाह बिन अम्र, अम्र बिन उमर्या ज़मरी और अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

1966 - सय्यदना सौबान (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “बेहतरिन दीनार वह है जिसे आदमी अपने अहलो अयाल पर खर्च करे, और वह दीनार जिसे आदमी अल्लाह के रास्ते में जिहाद में अपनी सवारी पर खर्च करे, और वह दीनार जिसे आदमी अल्लाह के रास्ते में अपने साथियों पर खर्च करे।” अबू किल्लाबा कहते हैं: आप (ﷺ) ने अहलो अयाल की इब्तिदा की है फिर फ़रमाते हैं: “कौन सा आदमी उस आदमी से बड़े अज्र वाला हो सकता है जो अपने छोटे बच्चों पर खर्च करता है तो अल्लाह तआला उन बच्चों को (सवाल वग़ैरह से) बचाता है और उसकी वजह से अल्लाह उनको पे परवाह कर देता है।”

मुस्लिम: 994. इब्ने माजा: 2760.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

43 - मेहमान नवाजी और मेहमान नवाजी कितनी होनी चाहिए?

1967 - सय्यदना अबू शुरैह (رضي الله عنه) बयान करते हैं मेरी दोनों आँखों ने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा और मेरे कानों ने आप को सुना जब आप ने बात की आप ने फ़रमाया, “जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर इमान रखता है तो उसे चाहिए कि अपने मेहमान की तकलुफ के साथ मेहमान नवाज़ी करे।” लोगों ने कहा: “जार्ज़ते” (तकलुफ वाली मेहमान नवाजी) कितनी देर के लिए है? आप ने फ़रमाया, “एक

1966 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَفْضَلُ الدِّينَارِ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: بَدَأُ بِالْعِيَالِ، ثُمَّ قَالَ: فَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمَ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالِهِ لَهٗ صِغَارٌ يُعْفُهُمُ اللَّهُ بِهِ وَيُعْنِيهِمُ اللَّهُ بِهِ.

43 بَابُ مَا جَاءَ فِي الضِّيَافَةِ كَمْ هِيَ

1967 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شَرِيحٍ الْعَدَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ: أَبْصَرْتُ عَيْنَيَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعْتُهُ أُذَنِّي حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ قَالَ: مَنْ كَانَ يَوْمًا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَارِزَتَهُ قَالُوا: وَمَا جَارِزَتُهُ؟ قَالَ:

दिन और एक रात” मज़ीद फ़रमाया, “मेहमान नवाजी तीन दिन है। जो इसके बाद हो वह सदक़ा है और जो शख़्स अल्लाह और आख़िरत के दिन पर इम़ान रखता है उसे चाहिए कि वह भलाई की बात करे या ख़ामोश रहे।”

बुख़ारी: 6019. मुस्लिम: 48. अबू दाऊद: 3748. इब्ने माजा: 3672

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

1968 - सय्यदना अबू शुरैह काबी (رحمته الله عليه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “मेहमान नवाजी तीन दिन होती है, तक़्लुफ़ के साथ मेहमान नवाजी एक दिन और एक रात है और इसके बाद जो उस पर ख़र्च करे वह सदक़ा है। नीज़ उसके लिए हलाल नहीं है कि उसके पास (इतना अर्सा) ठहरे कि उसे तंग कर दे;”

सहीह.

वज़ाहत: उसके पास न ठहरने का मतलब है कि मेहमान इतना अर्सा न रुके कि घर वाले पर मुश्किल हो जाएँ और हर्ज तंगी को कहते हैं। उसे तंग न करने का मतलब यह है कि उस पर तंगी न करे।

इस बारे में आयशा और अबू हुरैरा (رحمته الله عليه) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ मालिक बिन अनस और लैस बिन साद ने भी सईद मक्बुरी से रिवायत की है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और अबू शुरैह अल ख़ुजाई यही काबी हैं और यही अरवी हैं इनका नाम ख़ुवैलिद बिन अम्र है।

44 - बेवाओं और यतीमों की क़िफ़ालत करना.

1969 - सय्यदना सफ़वान बिन मुलैम (رحمته الله عليه) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “बेवाओं और मिस्कीन (के अखाजात पूरे

يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُتَّقِلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ.

1968 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْكَعْبِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَمَا أَتَقَقَّ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَوَيَّعَهُ حَتَّى يُخْرِجَهُ.

44 بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّعْيِ عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْيَتِيمِ

1969 - حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ

करने) पर कोशिश करने वाला अल्लाह के रास्ते के मुजाहिद या उस शख्स की तरह है जो दिन को रोज़ा रखता है और रात को क़याम करता है। ”

बुखारी: 5353. मुस्लिम: 2982. इब्ने माजा: 2140.
निसाई: 2577.

वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें अंसारी ने वह कहते हैं: हमें मअन ने उन्हें मालिक ने सौर बिन ज़ैद देली से बवास्ता अबू गैस, सय्यदना अबू हरैरा (رضي الله عنه) से नबी (ﷺ) की ऐसी ही हदीस बयान की है। और यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है और अबू अशअस का नाम सलाम मौला अब्दुल्लाह बिन मुतीअ है। सौर बिन यज़ीद शाम के रहने वाले जबकि सौर बिन ज़ैद मदीना के रहने वाले थे।

سَلِيمٌ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمَسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ كَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ.

45 - खन्दा पेशानी और हरशाश बरशाश चेहरे से मिलना.

1970 - सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “ हर अच्छा काम सदका है और यह भी नेकी है कि तुम अपने भाई को खन्दा पेशानी से मिलो और अपने डोल से अपने भाई के डोल में पानी डाल दो। ”

सहीह: तयालिसी: 1713. मुसनद अहमद: 3/344.

वज़ाहत: इस बारे में अबू ज़र (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है।

45 بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقَةِ الْوَجْهِ وَحُسْنِ الْبِشْرِ

1970 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُتَكِدِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُتَكِدِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ، وَإِنْ مِنْ الْمَعْرُوفِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ، وَأَنْ تُفْرَغَ مِنْ دَلُوكَ فِي إِثَاءِ أَخِيكَ.

46 - सच और झूठ का बयान.

1971 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ)

46 بَابُ مَا جَاءَ فِي الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ

1971 - حَدَّثَنَا هَنَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ

ने फ़रमाया, “सच्चाई को लाजिम पकड़ो, बेशक सच्चाई नेकी की तरफ़ रहनुमाई करती है और नेकी जन्नत की तरफ़ रहनुमाई करती है, आदमी सच बोलता है और सच्चाई को तलाश करता रहता है। यहाँ तक कि अल्लाह के यहाँ बहुत सच बोलने वाला लिख दिया जाता है और अपने आप को झूठ से बचाओ, बेशक झूठ बुराईयों की राह दिखाता है और बुराईयों जहन्नम की तरफ़ रास्ता दिखाती हैं और बन्दा झूठ बोलता है और झूठ को तलाश करता रहता है यहाँ तक कि अल्लाह के यहाँ (कज़ाब) बहुत झूठ बोलने वाला लिख दिया जाता है।”

बुखारी: 6094. मुस्लिम: 2606. अबू दाऊद: 4989.
इब्ने माजा: 46.

वज़ाहत: इस बारे में अबू बकर सिदीक़, उमर, अब्दुल्लाह बिन शखीर और इब्ने उमर (رضي الله عنه) से भी हदीस मवी है।

1972 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “जब बन्दा झूठ बोलता है तो उस झूठ की वजह से आने वाली बदबू से फ़रिश्ता उससे एक मील दूर हो जाता है।”

ज़ईफ़: जिद्दा: अस-सिलसिला: अज़-ज़ईफ़ा: 1828.
अस-कामिल: 1/25. हिल्या:8/197

اللَّهُ بِنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِالصُّدْقِ فَإِنَّ الصُّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصُّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا، وَإِنَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا.

1972 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ هَارُونَ الْعَسَائِي، حَدَّثَكُمْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ تَبَاعَدَ عَنْهُ الْمَلَكُ مِيلًا مِنْ تَتْنِ مَا جَاءَ بِهِ؟

यहया कहते हैं अब्दुरहीम बिन हारून ने इस हदीस का इक्कार करते हुए कहा कि हाँ (हमें अब्दुल अज़ीज़ बिन अबी रव्वाद ने बयान की है)

इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन जय्यद ग़रीब है। हम इसे इसी सनद से ही जानते हैं इसकी सनद में अब्दुरहीम बिन हारून अकेला रावी है।

1973 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि कोई भी आदत रसूलुल्लाह(ﷺ) को झूठ से ज़्यादा बुरी नहीं लगती थी कोई आदमी रसूलुल्लाह(ﷺ) से झूठी बात करता तो आप के ज़ेहन में रहता यहाँ तक कि आप जान जाते कि उसने तौबा कर ली है।

सहीह: मुसनद अहमद: 6/ 152. इब्ने हिब्बान: 5736.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है।

47 - बेहयाई और बद कलामी का बयान.

1974 - सय्यदना अनस (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, “बेहयाई की बातें किसी में नहीं होती मगर उसे बुरा बना देती हैं और हया जिस चीज़ में होती है उसे ख़ूबसूरत बना देती है।”

सहीह: इब्ने माजा: 4185. मुसनद अहमद: 3/ 165. अदबुल मुफ़रद: 601.

वज़ाहत: इस बारे में सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से भी मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे अब्दुर्रज़ाक की सनद से ही जानते हैं।

1975 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, “तुम में से बेहतरीन वह हैं जो तुम में अच्छे अख़लाक वाले हैं” और नबी(ﷺ) न ही बदकलामी की आदत वाले थे और न ही कभी भी तकल्लुफ़ से बदकलामी करने वाले थे।

बुखारी: 3569. मुस्लिम: 2321.

1973 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ ابْنِ أَبِي مَلِيكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا كَانَ خُلُقُ أَبِغَضَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْكُذِبِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُحَدِّثُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْكَذِبَةِ فَمَا يَرَأَلُ فِي نَفْسِهِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَخَذَتْ مِنْهَا تَوْبَةً.

47 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفُحْشِ وَالتَّفَحُّشِ

1974 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنَعَانِيُّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ، وَمَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ.

1975 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الْأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا، وَلَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (रह. फ. १०००) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

48 - लानत का बयान.

1976 - सय्यदना समुरा बिन जुन्दुब (रह. फ. १०००) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (रह. फ. १०००) ने फ़रमाया, “एक दूसरे को यह न कहो कि तुम पर अल्लाह की लानत हो, अल्लाह का ग़ज़ब हो और न ही जहन्नमी होने का कहो।”

सहीह: अबू दाऊद: 4902. मुसनद अहमद: 5/15. अदबुल मुफ़रद: 320.

वज़ाहत: इस बारे में इब्ने अब्बास, अबू हुरैरा, इब्ने उमर और इमरान बिन हुसैन (रह. फ. १०००) से भी हदीस मरवी है। इमाम तिरमिज़ी (रह. फ. १०००) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

1977 - सय्यदना अब्दुल्लाह (रह. फ. १०००) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (रह. फ. १०००) ने फ़रमाया, “मोमिन बन्दा ज़्यादा तअन करने वाला, बहुत ज़्यादा लानत करने वाला, बदकलाम और बेहूदागोई करने वाला नहीं होता।”

सहीह: मुसनद अहमद: 1/404. अदबुल मुफ़रद: 332. हाकिम: 1/12.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (रह. फ. १०००) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन मारीब है। और अब्दुल्लाह (रह. फ. १०००) से एक और सनद से भी मरवी है।

1978 - सय्यदना इब्ने अब्बास (रह. फ. १०००) रिवायत करते हैं कि एक आदमी ने नबी (रह. फ. १०००) के पास हवा को लानत की तो आप (रह. फ. १०००) ने फ़रमाया, “तुम हवा को लानत न करो, यह अल्लाह के हुक्म की पाबन्द है और जिसने

48 بَابُ مَا جَاءَ فِي اللَّعْنَةِ

1976 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَلَاعَنُوا بِلَعْنَةِ اللَّهِ، وَلَا بِغَضَبِهِ، وَلَا بِالنَّارِ.

1977 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَدِيءِ.

1978 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَحْزَمٍ الطَّائِبِيُّ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عَمْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا لَعَنَ الرِّيحَ

किसी ऐसी चीज़ पर लानत की जो उस लानत के काबिल न हो तो वह लानत उसी लानत करने वाले पर वापस आ जाती है। ”

सहीह: अबू दाऊद: 4908. इब्ने हिब्बान: 5745.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। इस सनद को बिश्र बिन उमर के अलावा किसी ने मुत्तसिल नहीं किया।

عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا تَلْعَنَ الرِّيحَ فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، وَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتْ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ.

49 - नसब सीखना.

1979 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “अपने नसब को सीखो जिससे तुम अपने रिश्तों को मिलाते हो, बेशक सिला रहमी खानदान में मोहब्बत, माल में इजाफे और उग्र में इजाफे का सबब है। ”

मुसनद अहमद: 3/ 374. हाकिम: 4/ 161.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस ग़रीब है। और (مُنْسَأَةٌ فِي الْأَثَرِ) का मतलब उमर में इजाफ़ा है।

49 بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْلِيمِ النَّسَبِ

1979 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَيْسَى الثَّقَفِيِّ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى الْمُتَنَبِّئِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَعَلَّمُوا مِنْ أَسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ، فَإِنَّ صَلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ، مَثْرَأَةٌ فِي الْمَالِ، مَنْسَأَةٌ فِي الْأَثَرِ.

50 - अपने भाई की ग़ैर मौजूदगी में उसके लिए दुआ करना.

1980 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अग्र (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “कोई दुआ ग़ायब की ग़ायब के लिए की जाने वाली दुआ से जल्द कुबूल नहीं होती। ”

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 1535. अदबुल मुफ़रद: 623. इब्ने अबी शैबा: 10/ 198.

50 بَابُ مَا جَاءَ فِي دَعْوَةِ الْأَخِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ

1980 - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا دَعْوَةٌ أَسْرَعَ إِجَابَةً مِنْ
دَعْوَةِ غَائِبٍ لِغَائِبٍ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे सिर्फ़ इसी सनद से ही जानते हैं और अफ़्रीकी हदीस में ज़ईफ़ है। यह अब्दुरहमान बिन जियाद बिन अन्अम अफ़्रीकी है और अब्दुल्लाह बिन यज़ीद यह अबू अब्दुरहमान हुबुली ही हैं।

51 - गाली का बयान.

1981 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “दो गालियाँ देने वाले जो कुछ कहें उसका गुनाह इब्तिदा करने वाले पर है जब तक मजलूम ज़्यादती न करे।”

मुस्लिम: 2587. अबू दाऊद: 4894.

वज़ाहत: इस बारे में साद, इब्ने मसऊद और अब्दुल्लाह बिन मुग़ाफ़ल (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

1982 - सय्यदना मुगीरह बिन शोबा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “तुम मुदों को बुरा भला न कहो, इससे तुम ज़िन्दा लोगों को तक्लीफ़ दोगे।”

सहीह: मुसनद अहमद: 4/252. इब्ने हिब्बान: 3022.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: सुफ़ियान के शागिदों का इस हदीस की रिवायत में इब्तिलाफ़ है: बाज़ (कुछ) ने हज़रमी की तरह रिवायत की है। और बाज़ (कुछ) ने सुफ़ियान से रिवायत की है कि जियाद बिन इलाक़ा कहते हैं: मैंने अदी को सुना जो बवास्ता मुगीरह बिन शोबा (رضي الله عنه) नबी (ﷺ) से इसी तरह रिवायत कर रहा था।

51 بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّتْمِ

1981 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ
بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْتَبَانِ مَا قَالَ،
فَعَلَى الْبَادِي مِنْهُمَا مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ.

1982 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَقَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ
زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ
شُعْبَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَتُؤْذُوا الْأَحْيَاءَ.

रखे और रात को अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़े जब लोग सो रहे हो। ”

हसन: इब्ने अबी शैबा: 8/ 625. इब्ने खुजैमा: 2136.

لِمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لِمَنْ أَطَابَ
الْكَلَامَ، وَأَطَعَمَ الطَّعَامَ، وَأَدَامَ الصِّيَامَ،
وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (रह) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे अब्दुरहमान बिन इस्हाक़ के तरीक़ से ही जानते हैं और बाज़ (कुछ) मुहद्दिसीन ने अब्दुरहमान बिन इस्हाक़ के हाफ़िज़े की वजह से इसमें क़लाम किया है। यह कूफ़ा के रहने वाले थे। जबकि अब्दुरहमान बिन इस्हाक़ कुशी मदीना के रहने वाले थे और यह उससे ज़्यादा पुख़्ता थे और यह दोनों एक ही वक़्त में हुए हैं।

54 - नेक गुलाम की फ़ज़ीलत.

1985 - सय्यदना अबू हुरैरा (रह) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (रह) ने फ़रमाया, “क्या यह ख़ूब (गुलाम या लौंडी) है इनमें से किसी एक के लिए कि वह अल्लाह की इताअत करता हो और अपने आक़ा का हक़ अदा करता हो। ” उससे आप गुलाम या लौंडी मुराद ले रहे थे और काब कहते हैं: अल्लाह और उसके रसूल ने सच कहा।

सहीह: बुख़ारी: 2549. मुस्लिम: 1667. तोहफ़तुल अशराफ़: 12388.

वज़ाहत: इस बारे में मूसा और इब्ने उमर (रह) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिजी (रह) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

1986 - सय्यदना इब्ने उमर (रह) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (रह) ने फ़रमाया, “तीन आदमी क़यामत के दिन कस्तूरी के टीलों⁽¹⁾ पर होंगे: एक वह गुलाम जो अल्लाह का हक़ अदा करे और अपने मालिकों का भी हक़ अदा करे। (दूसरा) वह आदमी जो किसी

54 بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْمَمْلُوكِ الصَّالِحِ

1985 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نِعْمًا لِأَحَدِهِمْ أَنْ يُطِيعَ
رَبَّهُ وَيُؤَدِّيَ حَقَّ سَيِّدِهِ يَعْنِي الْمَمْلُوكَ وَقَالَ
كَعْبٌ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ.

1986 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا
وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانَ، عَنْ
زَادَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةٌ عَلَى كُتُبَانِ
الْمِسْكِ، أَرَاهُ قَالَ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ: عَبْدٌ أَدَّى

कौम की इमामत करे और लोग उस पर खुश हों।
और (तीसरा) वह आदमी है जो हर दिन और
रात में पाँचों नमाज़ों के लिए अज़ान देता है। ”

ज़रफ़: मुसनद अहमद: 2/ 26.

तौज़ीह: क़िथान : क़िथिब की जमा है। रेत का लंबा ढेर टीला। लेकिन इसकी इजाफ़त मुस्क के साथ है
जिसका मानी है कस्तूरी के टीले।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम सुफ़ियान सौरी के वास्ते से
ही अबू यक़जान से सिर्फ़ वकीअ की सनद से ही जानते हैं और अबू यक़जान का नाम उस्मान बिन कैस है।
इब्ने उमैर भी कहा जाता है और यह ज़्यादा मशहूर है।

55 - लोगों के साथ अच्छे तरीक़े से बर्ताव करना.

1987 - सय्यदना अबू ज़र (رحمته الله عليه) रिवायत
करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझसे
फ़रमाया, “तुम जहां भी हो अल्लाह से डरो,
बुराई के बाद नेकी करो वह (नेकी) उसे मिटा
देगी और लोगों के साथ हुस्ने अख़लाक़ से
रहो।”

हसन: मुसनद अहमद: 5/ 153. दारमी: 2794. हाकिम:
1/ 54.

वज़ाहत: इस बारे में अबू हुरैरा (رحمته الله عليه) से भी हदीस मरवी है। इमाम तिर्मिजी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: यह
हदीस हसन सहीह है।

अबू ईसा कहते हैं: हमें महमूद बिन गैलान ने बवास्ता अबू अहमद और अबू नुऐम, सुफ़ियान से इसी
सनद के साथ ऐसे ही रिवायत की है।

और महमूद कहते हैं: हमें वकीअ ने सुफ़ियान से उन्होंने हबीब बिन साबित से उन्होंने मैमून बिन अबी
शबीब से बवास्ता मुआज़ बिन जबल (رحمته الله عليه) नबी (ﷺ) से इसी तरह हदीस बयान की है।

महमूद फ़रमाते हैं: अबू ज़र (رحمته الله عليه) की हदीस ही सहीह है।

55 بَابُ مَا جَاءَ فِي مُعَاشَرَةِ النَّاسِ

1987 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ،
عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي
شَيْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ: اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتَّبِعِ السَّبِيلَةَ
الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا، وَخَالَقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ.

56 - बदगुमानी का बयान.

1988 - सय्यदना अबू हरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "अपने आप को बदगुमानी से बचाओ बेशक गुमान सब से बड़ा झूठ है।"

बुखारी: 5143. मुस्लिम: 2563. अबू दाऊद: 4917.

बज़ाहत: इमाम तिमिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और मैंने अब्द बिन हुमैद से सुना वह सुफ़ियान के किसी शागिर्द की तरफ़ से ज़िक्र कर रहे थे कि सुफ़ियान (رضي الله عنه) ने फ़रमाया, "गुमान दो किसिम का है: एक गुमान गुनाह है और दूसरा गुनाह नहीं है। जो गुमान गुनाह है वह यह है कि आदमी कोई गुमान करे और उसके बारे में (लोगों से) बात भी कर दे और जो गुमान गुनाह नहीं है वह यह है कि वह गुमान करे लेकिन इसके बारे में बात न करे।

57 - खुश तबई (मिजाज) का बयान.

1989 - सय्यदना अनस (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) हमारे साथ घुल मिल जाते थे यहाँ तक कि आप मेरे छोटे भाई से कहते: "ऐ अबू उमैर! तुम्हारी नुगैर का क्या बना?"⁽¹⁾

बुखारी: 6129. मुस्लिम: 2150. अबू दाऊद: 658. इब्ने माजा: 3720.

तौज़ीह: النّعير: चिड़िया के मुशाबेह छोटा सा परिंदा है जिसकी चोंच सुखं रंग की होती है बुलबुल को भी النّعير ही कहा जाता है।

बज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें हन्नाद ने वह कहते हैं:, हमें वकीअ ने शोबा से बवास्ता अबू शाह, सय्यदना अनस (رضي الله عنه) से ऐसे ही हदीस बयान की है।

इमाम तिमिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अबू तय्याह का नाम यज़ीद बिन हुमैद ज़िबई है।

56 بَابُ مَا جَاءَ فِي ظَنِّ السُّوءِ

1988 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ.

57 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمِرَاحِ

1989 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الوَاصِحِ الكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي الثَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُخَالِطَنَا حَتَّى إِنْ كَانَ لَيَقُولُ لِأَخِ لِي صَغِيرٍ: يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّعَيْرُ.

1990 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! आप हमारे साथ हैंसी मज़ाक भी कर लेते हैं? आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “मैं सिर्फ़ हक़ ही कहता हूँ।”

सहीह: मुसनद अहमद: 3/267. शमाइल:232. बैहकी: 10/248.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और “إنك نداعينا” से सहाबा की मुराद यह थी कि आप हमारे साथ मज़ाक भी कर लेते हैं।

1991 - सय्यदना अनस (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सवारी मांगी तो आप ने फ़रमाया, “मैं तुम्हें ऊंटनी के बच्चे पर सवार कर दूंगा।” वह कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! मैं ऊंटनी के बच्चे का क्या करूंगा? तो अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया, “ऊंटनियां क्या जवान ऊंट ही जन्म देती हैं (यानी हर ऊंट पहले बच्चा ही होता है।)”

सहीह: अबू दाऊद: 4998. मुसनद अहमद: 3/267.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है।

1992 - सय्यदना अनस (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने उनसे कहा: “ऐ दो कानों वाले” महमूद कहते हैं: अबू उसामा ने कहा है कि इससे उनकी मुराद यह है कि आप (ﷺ) ने उनसे मज़ाक किया था।

सहीह: अबू दाऊद: 5002. मुसनद अहमद: 3/117. शमाइल:235.

1990 - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ البَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا، قَالَ: إِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا.

1991 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلًا اسْتَحْمَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي حَامِلُكَ عَلَى وُلْدِ النَّاقَةِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَصْنَعُ بِوَلْدِ النَّاقَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلَ إِلَّا التَّوْقُ.

1992 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: يَا ذَا الْأُذُنَيْنِ، قَالَ مُحَمَّدٌ: قَالَ أَبُو أُسَامَةَ: يَعْنِي مَارَحَهُ.

58 - झगड़े का बयान.

1993 - सय्यदना अनस (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "जिसने झूठ छोड़ दिया और वह बातिल है (तो) उसके लिए जन्नत के किनारे⁽¹⁾ में घर बनाया जाएगा और जिसने झगड़ा छोड़ दिया हालांकि वह इसका हक़दार था उसके लिए भी जन्नत के दर्मियान में घर बनाया जाएगा और जिसने अपना अख़लाक⁽²⁾ अच्छा कर लिया उसके लिए जन्नत के बलंद हिस्से में घर बनाया जाएगा।"

ज़ईफ़: इब्ने माजा: 51.

तौज़ीह: الریض : शहर के इर्द गिर्द इलाके की इमारतों की जगह को रबज़ कहा जाता है। (अल-मोज़मुल वसीत: पृ. 382)

(2) इसको अख़लाक़ पढ़ा जाए, यानी अलिफ़ के ऊपर ज़बर (फ़तह या नसब) अक्सर लोग इसे अख़लाक़ अलिफ़ के नीचे ज़ेर (कसरह या जर) के साथ पढ़ते हैं लेकिन इसके मानी तब्दील हो जाता है। इख़लाक़ कपड़े को बोसीदा करने को कहा जाता है।

वज़ाहत: यह हदीस हसन है। हम इसे सलमा बिन वरदा के तरीक से अनस बिन मालिक (رضی اللہ عنہ) से जानते हैं।

1994 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "तुम्हें यही गुनाह काफी है कि तुम हमेशा झगड़ा करते रहो।"

ज़ईफ़: अस-सिलसिला अज़-ज़ईफ़ा: 4096.

वज़ाहत: यह हदीस ग़रीब है। हम इसी सनद से ही जानते हैं।

58 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمِرَاءِ

1993 - حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ الْعَمِيّ الْبَصْرِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَلْمَةُ بْنُ وَرْدَانَ اللَّيْثِيّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَهُوَ بَاطِلٌ بَيْنِي لَهُ فِي رِئْضِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ بَيْنِي لَهُ فِي وَسْطِهَا، وَمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ بَيْنِي لَهُ فِي أَعْلَاهَا.

1994 - حَدَّثَنَا فَضَالَةُ بْنُ الْفَضْلِ الْكُوفِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنْ ابْنِ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَفَى بِكَ إِثْمًا أَنْ لَا تَرََالَ مُخَاصِمًا.

1995 - सय्यदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “अपने भाई से मत झगड़ो, न उससे मज़ाक करो और न ही उस से वह वादा करो जिसकी तुम खिलाफ वज़ी करो। ” (यानी वादा पूरा न कर सको)

ज़ईफ़: अदबुल मुफ़रद: 394. हिल्या: 3/344.

1995 - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُخَارِبِيُّ، عَنِ اللَّيْثِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي سَلِيمٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُمَارِ أَخَاكَ، وَلَا تُمَارِحْهُ، وَلَا تَعِدْهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفْهُ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे सिर्फ़ इसी सनद से जानते हैं और अब्दुल मलिक मेरे नज़दीक इब्ने बशीर ही है।

59 - हुस्ने सुलूक से पेश आना.

1996 - आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आने की इजाज़त मांगी और मैं भी आप (ﷺ) के पास थी तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “यह अपने कबीले का बुरा बेटा बुरा भाई है।” फिर आप (ﷺ) ने उसे इजाज़त दे दी तो उस से नमी के साथ बात की। जब वह चला गया तो मैंने आप (ﷺ) से कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप ने उसके बारे में जो बात कही थी कही, फिर आप ने उस से नमी के साथ बात की? आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “ऐ आयशा! बेशक लोगों में बुरा तरीन वह शख्स है जिसे लोग उसकी बदकलामी के डर से छोड़ दे। ”

बुख़ारी: 6032. मुस्लिम: 2591. अबू दाऊद: 4791.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

59 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَدَارَاةِ

1996 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ: بِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ أَوْ أَخُو الْعَشِيرَةِ تَمَّ أَذِنَ لَهُ، فَأَلَانَ لَهُ الْقَوْلَ، فَلَمَّا خَرَجَ قُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قُلْتَ لَهُ مَا قُلْتَ، تَمَّ أَلَانَ لَهُ الْقَوْلَ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَ النَّاسُ أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ.

60 - मोहब्बत और नफ़रत में ध्याना रवी होनी चाहिए.

1997 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) मर्फू हदीस बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, "अपने दोस्त से ध्याना मोहब्बत रखो, हो सकता है कि एक दिन तुम से नफ़रत हो जाए और अपने दुश्मन से दर्मियानी नफ़रत करो हो सकता है कि वह एक दिन तुम्हारा दोस्त बन जाए।"

सहीह: अल-कामिल: 2/711. अल-मोजमुल औसत:2319.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। इस सनद के साथ सिर्फ़ हमें इसी तरीक से मिलती है।

और यह हदीस अय्यूब से एक और सनद के साथ मर्वी है। इसे हसन बिन अबू जाफ़र ने रिवायत किया है लेकिन वह हदीस ज़ईफ़ है। उसकी सनद में है कि अली (رضي الله عنه) नबी (ﷺ) से रिवायत करते हैं। लेकिन अली (رضي الله عنه) का कौल सहीह है।

61 - तकब्बुर का बयान.

1998 - सय्यदना अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "वह शख्स जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर (घमंड) हो, और वह शख्स जहन्नम में नहीं जाएगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो।"

मुस्लिम: 91. अबू दाऊद: 4094. इब्ने माजा: 4173.

60 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِقْتِصَادِ فِي الْحُبِّ وَالْبُغْضِ

1997 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْكَلْبِيُّ، عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي يُونُسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَأَاهُ رَفَعَهُ، قَالَ: أَحَبُّ حَبِيبِكَ هَوْنَا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْمًا مَا، وَأَبْغَضُ بَغِيضِكَ هَوْنَا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَا.

61 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكِبْرِ

1998 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامِ الرَّفَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبَرٍ، وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ إِيْمَانٍ.

वज़ाहत: इस बारे में अबू हुरैरा, इब्ने अब्बास, सलमा बिन अक्का और अबू सईद (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

1999 - सय्यदना अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “वह शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में एक ज़र्रा के बराबर भी तकब्बुर हो, और वह शख्स जहन्नम में नहीं जाएगा जिसके दिल में एक ज़र्रा के बराबर भी ईमान हो।” रावी कहते हैं: एक आदमी ने कहा: मुझे अच्छा लगता है कि मेरा कपड़ा अच्छा हो और मेरे जूते अच्छे हों, आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “बेशक अल्लाह तआला खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है जब कि मुतकब्बिर (घमंडी) वह शख्स है जो हक़ को रद्द कर दे और लोगों को हकीर समझे।”

मुस्लिम: 91. अबू दारूद: 4091. इब्ने माजा: 4173.

1999 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبٍ، عَنْ فَضِيلِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ، وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ، يَغْنِي، مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيْمَانٍ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّهُ يُعْجِبُنِي أَنْ يَكُونَ ثَوْبِي حَسَنًا وَتَعْلِي حَسَنَةً، قَالَ: إِنْ اللَّهُ يُحِبُّ الْجَمَالَ، وَلَكِنَّ الْكِبْرَ مَنْ بَطَرَ الْحَقَّ وَغَمَصَ النَّاسَ

वज़ाहत: उलमा इस हदीस “वह शख्स जहन्नम में नहीं जाएगा जिसके दिल में एक ज़र्रा के बराबर भी ईमान हो।” की तफ़सीर में कहते हैं: इसका मतलब यह है कि वह हमेशा जहन्नम में नहीं रहेगा और अबू सईद खुदरी (رضي الله عنه) से भी ऐसे ही मर्वी है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी ईमान हो उसे जहन्नम से निकाल लिया जाएगा।” नोज़ कई ताबेईन ने इस आयत : “ऐ हमारे रब! जिसे तूने जहन्नम में दाखिल कर दिया तो उसे तूने रुस्वा कर दिया।” (आले-इमरान:192) की तफ़सीर में कहा है कि जिसे तू हमेशा जहन्नम में रखे तो तूने उसे रुस्वा कर दिया।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है।

2000 - सय्यदना सलमा बिन अक्का (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “आदमी हमेशा अपने आप को (बड़ाई की तरफ़) ले जाता रहता है। यहाँ तक

2000 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ إِيَّاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

कि उसे जब्बारीन⁽¹⁾ (जुल्म करने वालों) में लिख दिया जाता है सो उसको भी वह अज़ाब पहुंचता है जो उन्हें पहुंचा।

ज़ईफ़: अल-कामिल: 5/1676. अल-मोज़मुल कबीर:6254.

(1) बहुत ज्यादातियां और जुल्म करने वाले जिन पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है।

2001 - सय्यदना जुबैर बिन मुतइम (رحمته الله عليه) कहते हैं कि लोग कहते हैं: मेरे अन्दर तकब्बुर है। हालांकि मैं गधे पर सवार होता हूँ, मोटी चादर ओढ़ता हूँ और बकरी का दूध दुहता हूँ और रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुझसे फ़रमाया था: "जिसने यह काम किए उसमें कुछ भी तकब्बुर नहीं है।"

सहीहुल इस्नाद: हाकिम: 4/184.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है।

62 - अच्छे अख़लाक़ का बयान.

2002 - सय्यदना अबू दर्दा (رحمته الله عليه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "क़यामत के दिन मोमिन के तराजू में कोई चीज़ अच्छे अख़लाक़ से वजनी नहीं होगी। बेशक अल्लाह तआला बदक़लाम और बेहूदा गुफ़्तगू करने वाले से नफ़रत करता है।"

सहीह: अबू दाऊद: 4799. मुसनद अहमद: 6/442. अदबुल मुफ़रद: 270.

اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَذْهَبُ بِنَفْسِهِ حَتَّى يُكْتَبَ فِي الْجَبَّارِينَ فَيُصِيبُهُ مَا أَصَابَهُمْ.

2001 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيْسَى الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: يَقُولُونَ لِي: تَكُونُونَ فِي الثِّيهِ وَقَدْ رَكِبْتُ الْحِمَارَ وَلَبِسْتُ الشَّمْلَةَ وَقَدْ حَلَبْتُ الشَّاةَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ فَعَلَ هَذَا فَلَيْسَ فِيهِ مِنَ الْكِبْرِ شَيْءٌ.

62 بَابُ مَا جَاءَ فِي حُسْنِ الْخُلُقِ

2002 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلُوكٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا شَيْءٌ أَثْقَلَ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ، وَإِنَّ اللّٰهَ لَيَبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَدِيءَ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (रह) फ़रमाते हैं: इस बारे में आयशा, अबू हुरैरा, अनस और उसामा बिन शरीक (रह) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ यह हदीस सहीह है।

2003 - सय्यदना अबू दर्दा (रह) रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (रह) को फ़रमाते हुए सुना: “मीज़ान में अच्छे अखलाक़ से वजनी कोई चीज़ नहीं रखी जायेगी और यकीनन अच्छे अखलाक़ वाला उस (अखलाक़) की वजह से रोजेदारी और नमाज़ी का दर्जा पा लेता है।”

सहीह: गुज़िशता हदीस देखें.

2003 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ اللَّيْثِ الْكُوفِيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ شَيْءٍ يُوضَعُ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلَ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ، وَإِنْ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (रह) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस ग़रीब है।

2004 - सय्यदना अबू हुरैरा (रह) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (रह) से उस चीज़ के बारे में पूछ गया जो ज़्यादातर लोगों को जन्नत में दाख़िल करवायेगी। आप (रह) ने फ़रमाया, “अल्लाह का तक़््वा और अच्छे अखलाक़।” नीज़ आप (रह) से उस चीज़ के बारे में पूछा गया जो ज़्यादातर लोगों को जहन्नम में दाख़िल करवायेगी, आप (रह) ने फ़रमाया, “मुंह और शर्मगाह।”

हसन इब्ने माजा: 4246. मुसनद अहमद: 2/291. अदबुल मुफ़रद: 289. इब्ने हिब्बान: 476.

2004 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ، فَقَالَ: تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ، وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ، فَقَالَ: الْفَمُّ وَالْفَرْجُ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (रह) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस सहीह ग़रीब है। नीज़ अब्दुल्लाह बिन इदरीस यह यज़ीद बिन अब्दुरहमान औदी के पोते हैं।

2005 - अबू वहब ख़यान करते हैं कि अब्दुल्लाह बिन मुबारक (रह) ने हुस्ने अखलाक़ की तारीफ़ करते हुए फ़रमाया कि

2005 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو وَهَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ،

खन्दा पेशानी से पेश आने से मुराद, नफ़ा बख़्श चीज़ का ख़र्च करना और तकलीफ़ों को रोक लेना है।

सहीह.

63 - एहसान व नेकी और माफ़ करना.

2006 - अबू अहवस (رضي الله عنه) अपने बाप से रिवायत करते हैं कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं एक आदमी के पास से गुज़रता हूँ वह मेरी मेहमान नवाजी नहीं करता, (अगर) वह मेरे पास से गुज़रे तो क्या मैं उसे (उस काम) का बदला दूँ? आप (ﷺ) ने फ़रमाया, "नहीं। बल्कि तुम उसकी मेहमान नवाजी करो।" रावी कहते हैं: आप (ﷺ) ने मुझे मैले कपड़ों में देखा तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया; "क्या तुम्हारे पास माल है?" मैंने कहा: जी हां! ऊँट, बकरियां हर किसम का माल अल्लाह ने मुझे अता किया है। आप (ﷺ) ने फ़रमाया: "फिर वह तुम्हारे ऊपर नज़र आना चाहिए।"

सहीह: अबू दाऊद: 4063. निसाई: 5223.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: इस बारे में आयशा, जाबिर और अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से भी हदीस मवनी है। नीज़ यह हदीस हसन सहीह है और अबू अहवस का नाम औफ़ बिन मालिक बिन नज़ला जुशामी है।

أَقْرِهِ का मानी है तुम उसकी मेहमान नवाजी करो और "القرى" जियाफत (मेहमान नवाजी) को कहा जाता है.

2007 - सय्यदना हज़ैफ़ा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "तुम इम्मआ" न बनो कि तुम कहो : अगर

أَنَّهُ وَصَفَ حُسْنَ الْخُلُقِ فَقَالَ: هُوَ بَسْطُ
الْوَجْهِ، وَتَذَلُّ الْمَعْرُوفِ، وَكَفُّ الْأَدَى.

63 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِحْسَانِ وَالْعَفْوِ

2006 - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ،
وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو
أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الرَّجُلُ أَمْرٌ بِهِ فَلَا
يَقْرِنِي وَلَا يُضَيِّفُنِي فَيَمُرُّ بِي أَفَأَجْزِيهِ؟
قَالَ: لَا، أَقْرِهِ قَالَ: وَرَأَيْتَ رَثَّ الثِّيَابِ،
فَقَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ؟ قُلْتُ: مِنْ كُلِّ
الْمَالِ قَدْ أَعْطَانِي اللَّهُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ،
قَالَ: فَلْيَرَّ عَلَيْكَ.

2007 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرَّفَاعِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ
يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ، عَنْ

लोग नेकी करेंगे तो हम भी नेकी करेंगे और अगर वह जुल्म करेंगे तो हम भी जुल्म करेंगे, बल्कि तुम अपने आप को इस बात पर आमादा करो कि लोग नेकी करेंगे तो तुम भी नेकी करोगे और अगर बुराई करेंगे तो तुम जुल्म नहीं करोगे।”

जईफ़.

तौज़ीह: اِمْعَةٌ : यह कहना कि मैं लोगों के साथ हूँ। यानी जैसे वह करेंगे वैसे ही मैं करूंगा इसकी तशरीह हदीस में ही मौजूद है।

किसी काम पर अपने आप को आमादा कर लेना। (अल-मोजमुल वसीत:पृ. 1266)

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे सिर्फ़ इसी सनद से ही जानते हैं।

64 - भाइयों से मुलाकात करना.

2008 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “जिसने मरीज़ की तीमारदारी की या अल्लाह की रजामंदी के लिए अपने भाई से मुलाकात की तो एक आवाज़ देने वाला उसे पुकारता है कि तुझे मुबारकबादी हो, तुम्हारा चलना मुबारक हुआ और तुमने जन्नत में जगह ले ली है।”

हसन: इब्ने माजा:1443. मुसनद अहमद: 2/326.
अदबुल मुफ़रद:345

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। और अबू सिनान का नाम ईसा बिन सिनान है। नीज़ हम्माद बिन सलमा ने भी साबित से बवास्ता अबू राफ़ेअ, अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से इसमें से कुछ हिस्सा नबी (ﷺ) से रिवायत किया है।

الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُمَيْعٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ خَدِيقَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَكُونُوا اِمْعَةً، تَقُولُونَ: اِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنًا، وَاِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا، وَلَكِنْ وَطَنُوا أَنْفُسَكُمْ، اِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَنْ تُحْسِنُوا، وَاِنْ أَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا.

64 بَابُ مَا جَاءَ فِي زِيَارَةِ الْإِخْوَانِ

2008 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي كَبْشَةَ الْبَصْرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ السَّدُوسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سِنَانٍ الْقَسَمَلِيُّ هُوَ الشَّامِيُّ، عَنْ عَثْمَانَ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فِي اللَّهِ نَادَاهُ مُنَادٍ أَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّاتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنَزَلًا.

65 - हया का बयान.

2009 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "हया ईमान (की शाखों में) से (एक शाख) है और ईमान का अंजाम जन्नत है जबकि बेहूदा गुप्तगू गुनाह से तालुक़ रखती है और गुनाह जहन्नम में ले जाने का सबब है।"

सहीह: इब्ने अबी शैबा: 11/23. इब्ने हिब्बान: 608.
हाकिम: 1/52.

वज़ाहत: इस बारे में इब्ने उमर, अबू बकरह, अबू उमामा और इमरान बिन हुसैन (رضی اللہ عنہ) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ यह हदीस हसन सहीह है।

66 - तहम्मूल मिजाज़ी (बुर्दबारी) और जल्दबाज़ी का बयान.

2010 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन सर्जिस मुज़नी (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "अच्छी आदत, तहम्मूल मिजाज़ी और मियाना रवी (इख्तियार करना) नबुव्वत के चौबीस हिस्सों में से एक हिस्सा है।"

हसन: अल-मोजमुल औसत: 1021.

वज़ाहत: इस बारे में इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) से भी हदीस मर्वी है। और यह हदीस हसन ग़रीब है।

अबू ईसा कहते हैं: हमें कुतैबा ने वह कहते हैं हमें नूह बिन कैस ने अब्दुल्लाह बिन इमरान से बवास्ता

65 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَيَاءِ

2009 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ، وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْبَدَأُ مِنَ الْخَفَاءِ، وَالْخَفَاءُ فِي النَّارِ.

66 بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّائِي وَالْعَجَلَةِ

2010 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَانَ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرِجَسِ الْمُرَزِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: السَّمْتُ الْحَسَنُ، وَالتُّؤَدَةُ وَالْإِقْتِصَادُ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعَةِ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ.

अब्दुल्लाह बिन सर्जिस (رضي الله عنه), नबी करीम (ﷺ) से ऐसे ही रिवायत की है इसमें आसिम का ज़िक्र नहीं है लेकिन नसर बिन अली की हदीस सहीह है।

2011 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने क़बील-ए-अब्दुल कैस के सरदार से फ़रमाया था : "तुम्हारे अन्दर दो आदतें ऐसी हैं जिन्हें अल्लाह तआला पसंद करता है: एक बुर्दबारी और दूसरी तहम्मूल (तहम्मूल मिजाज़ी) से काम लेना।"

मुस्लिम: 17. इब्ने माजा: 8188.

तौज़ीह: अशूज् अब्दुल कैस के वफ़द के सरदार मुराद हैं। उनका नाम मुन्ज़िर बिन आइज़ (رضي الله عنه) था।

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है और इस बारे में अशज असरी (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

2012 - सय्यदना सहल बिन साद साइदी (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "ताम्मूल (तहम्मूल मिजाज़ी) अल्लाह की तरफ़ से है और जल्दबाजी शैतान की तरफ़ से है।"

ज़ईफ़: अल-कामिल: 5/1982. अल-मोज़मुल औसत: 5702.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। बाज़ (कुछ) उलमा ने अब्दुल मुहैमिन बिन अब्बास बिन सुहैल पर जरह करते हुए उसके हाफ़िज़े की वजह से उसे ज़ईफ़ कहा है और अशज बिन अब्दुल कैस का नाम मुन्ज़िर बिन आइज़ था।

67 - नर्मी का बयान.

2013 - सय्यदना अबू दर्द (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, "जिसे नर्मी से उसका हिस्सा मिल गया तो उसे भलाई का

2011 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِأَشْجِ عَبْدِ الْقَيْسِ: إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ: الْحِلْمُ، وَالْإِنَاءَةُ.

2012 - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ الْمَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُهِمِّينِ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْإِنَاءَةُ مِنَ اللَّهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ.

67 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّفْعِ

2013 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ

हिस्सा मिल गया और जिसे नमी के हिस्से से महरूम कर दिया गया उसे भलाई के हिस्से से महरूम कर दिया गया। ”

सहीह: 2002. नम्बर हदीस देखें.

ابن أبي مليكة، عن يعلى بن مملك، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى حظاً من الرِّفقِ فقد أعطى حظاً من الخير، ومن حرم حظاً من الرِّفقِ فقد حرم حظاً من الخير.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: इस बारे में आयशा, जरिर बिन अब्दुल्लाह और अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है नीज़ यह हदीस हसन सहीह है।

68 - मजलूम की बहुआ का बयान.

2014 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुआज़ बिन जबल को यमन की तरफ़ रवाना किया तो आप ने फ़रमाया, “मजलूम की बहुआ से बचना क्योंकि उसके और अल्लाह तआला के दर्मियान पर्दा नहीं होता। ”

बुखारी: 1496. मुस्लिम: 19. अबू दाऊद: 1584. इब्ने माजा: 1783. निसाई: 2435.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और अबू मअबद का नाम नाफ़िज़ है। नीज़ इस बारे में अनस, अबू हुरैरा, अब्दुल्लाह बिन अम्र और अबू सईद (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

69 - नबी (ﷺ) का अख़्लाक

2015 - सय्यदना अनस (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मैंने दस साल रसूलुल्लाह (ﷺ) की खिदमत की, आप (ﷺ) ने मुझे कभी उफ़ तक नहीं कहा और जो काम मैंने किया उसके बारे में यह भी नहीं कहा कि तुमने यह क्यों किया है?

68 بَابُ مَا جَاءَ فِي دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ

2014 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ زَكْرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ.

69 بَابُ مَا جَاءَ فِي خُلُقِ النَّبِيِّ (ﷺ)

2015 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَدَمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

और जो नहीं किया उसके बारे में यह नहीं कहा कि तुमने ऐसे क्यों नहीं किया? रसूलुल्लाह(ﷺ) लोगों में सब से अच्छे अखलाक वाले थे, मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) की हथेली से ज़्यादा नर्म कोई हरीर व रेशम नहीं छुआ और न ही मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) के पसीने से उम्दा कोई कस्तूरी या खुशबू सूंधी।

बुखारी: 2768. मुस्लिम: 2309. अबू दाऊद: 4773.

عَشْرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي أَتُ قَطُّ، وَمَا قَالَ لِي شَيْءٌ صَنَعْتُهُ لَمْ صَنَعْتُهُ، وَلَا لِي شَيْءٌ تَرَكْتُهُ لَمْ تَرَكْتُهُ، "وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا، وَلَا مَسَسْتُ خَرًا قَطُّ وَلَا حَرِيرًا وَلَا شَيْئًا كَانَ أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا شَمَمْتُ مِسْكَ قَطُّ وَلَا عَطْرًا كَانَ أَطْيَبَ مِنْ عَرَقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: इस बारे में आयशा और बराअ (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है और यह हदीस हसन सहीह है।

2016 - सय्यदना अबू जदली (رحمته الله) रिवायत करते हैं कि मैंने सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से रसूलुल्लाह(ﷺ) के अखलाक के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया, "रसूलुल्लाह(ﷺ) न बदकलामी की आदत रखते थे और न ही कभी कभार बदकलामी करते थे, बाज़ारों में शोर करने वाले थे और न ही बुराई का बदला बुराई से देते थे बल्कि माफ़ कर देते और दर गुज़र करते।

सहीह: इब्ने अबी शैबा:8/518. मुसनद अहमद: 6/174. शमाइल:347

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अबू अब्दुल्लाह जदली का नाम अब्द बिन अब्द था जिन्हें अब्दुरहमान बिन अब्द भी कहा जाता था।

2016 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيَّ يَقُولُ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا وَلَا صَخَابًا فِي الْأَسْوَاقِ، وَلَا يَجْزِي بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ، وَلَكِنْ يَغْفُو وَيَصْفَحُ.

70 - किसी के साथ अच्छा वक्त गुजरना.

2017 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) बयान करती हैं मुझे नबी (ﷺ) की किसी बीवी पर इतना रश्क नहीं आया जितना मुझे खदीजा (رضي الله عنها) पर आया और अगर मैं उनके ज़माने को पाती तो मेरा क्या हाल होता, उसकी वजह यह थी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) उन्हें बहुत याद करते थे और अगर आप कोई बकरी ज़बह करते तो खदीजा (رضي الله عنها) की सहेलियों को तलाश कर के उन्हें तोहफ़ा भेजते।

खुबारी: 3816. मुस्लिम: 4235. इब्ने माजा: 1997.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है।

71 - आला अख़्लाक़ का बयान.

2018 - सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “बेशक तुममें से मुझे सब से ज़्यादा प्यारे और क़यामत के दिन मेरे करीब बैठने वाले वह हैं जो तुममें से अच्छे अख़्लाक़ वाले हैं और तुममें से मुझे सब से ज़्यादा नफ़रत वाले और क़यामत के दिन मुझ से दूर बैठने वाले लोग, बहुत बोलने वाले, लोगों पर बदज़बानी करने वाले और तकब्बुर करने वाले हैं।” लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! थरथारिन और मत्शद़ीन को तो हम जानते हैं मत्फ़ीहूँ कौन हं? आप ने फ़रमाया, “तकब्बुर करने वाले।”

70 بَابُ مَا جَاءَ فِي حُسْنِ الْعَهْدِ

2017 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامِ الرَّفَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا غُرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا غُرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ، وَمَا بِي أَنْ أَكُونَ أَدْرَكْتُهَا وَمَا ذَلِكَ إِلَّا لِكَثْرَةِ ذِكْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا، وَإِنْ كَانَ لِيَذِيحُ الشَّاةَ فَيَسْتَعِجُ بِهَا صَدَائِقَ خَدِيجَةَ فَيَهْدِيهَا لَهَا.

71 بَابُ مَا جَاءَ فِي مَعَالِي الْأَخْلَاقِ

2018 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُكَدِّرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا، وَإِنْ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْغَضَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرَثَارُونَ وَالْمَتَشَدِّقُونَ وَالْمَتَفِيهُونَ.

सहीह लिगैरिही: सहीहुत्तर्गोब: 2897. तोहफतुल अशराफ:3054.

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ عَلِمْنَا الثَّرَاوُونَ
وَالْمُتَشَدِّقُونَ فَمَا الْمُتَفَيِّهُونَ؟ قَالَ: الْمُتَكَبِّرُونَ

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: इस बारे में अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है और यह हदीस इस सनद के साथ हसन गरीब है।

الشرار : बहुत कलाम करने वाला और مُتَشَدِّقُ वह होता है जो लोगों पर बहुत बातें करे और उन पर बदज़बानी करे। नीज़ बाज़ (कुछ) ने इस हदीस को मुबारक बिन फज़ाला से बवास्ता मुन्कदिर सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) के ज़रिए नबी (ﷺ) से रिवायत किया है। इसमें अब्दु रब्बिही बिन सईद का ज़िक्र नहीं किया और यह ज़्यादा सहीह है।

72 - लअन तअन करना.

2019 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “मोमिन बहुत ज़्यादा लअन- तअन करने वाला नहीं होता।”
सहीह: अदबुल मुफ़रद: 309. अबू याला: 5562.
हाकिम: 1/47.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: इस बारे में अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) से भी मर्वी है और यह हदीस हसन गरीब है। नीज़ बाज़ (कुछ) ने इसी सनद से रिवायत की है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “यह बात मोमिन के शायाने शान नहीं है कि वह लानत करने वाला हो” और यह हदीस मुफ़स्सिर (वाजेह करने वाली) है।

73 - ज़्यादा गुस्से का बयान.

2020 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि एक आदमी नबी (ﷺ) की खिदमत में हाज़िर होकर कहने लगा: आप (ﷺ) मुझे कोई चीज़ सिखलाइए और बहुत ज़्यादा न सिखाना ताकि मैं उसे याद रख

72 بَابُ مَا جَاءَ فِي اللَّعْنِ وَالطَّعْنِ

2019 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ لَعَانًا.

73 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَثْرَةِ الْغَضَبِ

2020 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ:

सकूं, आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “तुम गुस्सा मत करो।” उस ने कई मर्तबा यह बात की आप (ﷺ) हर दफ़ा फ़रमाते “गुस्सा मत करो।

सहीह: बुखारी: 6116. मुसनद अहमद: 466. बैहकी: 10/105

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته) फ़रमाते हैं: इस बारे में अबू सईद और सुलैमान बिन सुर्द (رضي الله عنه) से भी हदीस मवी है और यह हदीस इस तरीक से हसन सहीह ग़रीब है। नौज़ अबू हुसैन का नाम उस्मान बिन आसिम असदी है।”

74 - गुस्से को ज़ब्त करना.

2021 - सहल बिन मुआज़ बिन अनस जुहनी अपने बाप से रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “जिसने अपने गुस्से पर काबू पा लिया हालांकि वह इसे जारी करने की ताक़त रखता था तो क़यामत के दिन अल्लाह तआला उसे तमाम लोगों के सामने बुलाएगा यहाँ तक कि उसे इख़्तियार देगा कि जिस हूर को चाहे पसंद कर ले।”

सहीह: अबू दाऊद: 4777. इब्ने माजा: 4186.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

75 - बड़ों की इज़्ज़त करना.

2022 - अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “कोई नौजवान किसी बुजुर्ग की उसकी उम्र की वजह से इज़्ज़त करता है तो अल्लाह तआला

عَلَّمَنِي شَيْئًا وَلَا تُكْثِرْ عَلَيَّ لَعَلِّي أَعِيَهُ، قَالَ: لَا تَغْضَبْ، فَرَدَّدَ ذَلِكَ مِرَارًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ: لَا تَغْضَبْ.

74 بَابُ فِي كَظْمِ الْغَيْظِ

2021 - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الدُّورِيُّ، وَعَبْدُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مَرْحُومٍ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مَعَاذِ بْنِ أَنَسِ الْجَهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُفْقِدَهُ دَعَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ حَتَّى يُخَيَّرَهُ فِي أَيِّ الْحُورِ شَاءَ.

75 بَابُ مَا جَاءَ فِي إِجْلَالِ الْكَبِيرِ

2022 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ بَيَانَ الْعَقِيلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّحَالِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:

उसके लिए ऐसे आदमी को मामूर कर देते हैं जो उसके बुढ़ापे के वक़्त उसकी इज़्ज़त करेगा।”

ज़ईफ़: अल-मोज़मुल औसत: 5899. अल-कामिल: 3/898.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे सिर्फ़ इसी शैख़ यज़ीद बिन बयान की सनद से ही जानते हैं। अबू रहहाल अंसारी एक और रावी है।

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَكْرَمَ شَابٌ شَيْخًا لِسِنِّهِ إِلَّا قَيْضَ اللَّهِ لَهُ مَنْ يُكْرِمُهُ عِنْدَ سِنِّهِ.

76-एक दूसरे से मुलाक़ात करने वाले दो आदमी

2023 - सख्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, “सोमवार और जुमेरात के दिन जन्नत के दरवाज़े खोले जाते हैं, फिर उन दोनों दिनों में अल्लाह के साथ कुछ भी शिर्क न करने वालों को बख़्शा जाता है। सिवाए एक दूसरे से तरके मुलाक़ात करने वाले दो आदमियों के, अल्लाह तआला फ़रमाते हैं: उन्हें वापस लौटा दो यहाँ तक कि आपस में सुलह कर लें।”

मुस्लिम: 2565. अबू दाऊद: 4916.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और एक हदीस में यह भी है कि उन दोनों को छोड़ दो यहाँ तक कि आपस में सुलह कर लें। और मुहताज़िरैन से मुराद एक दूसरे की मुलाक़ात ख़त्म करने वाले हैं और यह ऐसे ही हैं जैसा कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, “किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं है कि वह अपने मुसलमान भाई को तीन दिन से ज़्यादा छोड़े।”

76 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُهْتَجِرِينَ

2023 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَيُعْفَرُ فِيهِمَا لِمَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا الْمُهْتَجِرِينَ، يُقَالُ: رُدُّوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا.

77 - सब्र का बयान.

2024 - सख्यदना अबू सईद (رضي الله عنه) से रिवायत है अंसार के कुछ लोगों ने नबी(ﷺ) से माँगा तो आप(ﷺ) ने उनको माल दिया,

77 بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّبْرِ

2024 - حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ نَاسًا مِنْ

उन्होंने फिर सवाल किया तो आप (ﷺ) ने उनको दिया, फिर आप (ﷺ) ने फ़रमाया, “मेरे पास जो माल भी हो मैं तुमसे छिपा कर उसे हरगिज़ ज़खीरा नहीं करूंगा। जो बे परवाह होना चाहता है अल्लाह उसे बे परवाह कर देता है। जो शाइस सब्र की आदत डाले अल्लाह उसे सब्र की तौफ़ीक़ देता है और किसी को सब्र से बेहतर और वसीअ (बड़ा) कोई चीज़ नहीं अता की गई।”

बुखारी: 1469. मुस्लिम: 1053. अबू दाऊद: 1644. निसाई: 2588.

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: इस बारे में अनस (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। और यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ यह हदीस इमाम मालिक से **فلم أذخره عنكم** और **فلن أذخره عنكم** दोनों तरह से मर्वी है लेकिन दोनों का मानी एक ही है कि मैं उसे हरगिज़ तुम से रोकूंगा नहीं।

78 - दोग़ला आदमी.

2025 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ सब से बुरा आदमी दो चेहरों⁽¹⁾ वाला होगा।”

बुखारी: 6058. मुस्लिम: 2526. अबू दाऊद: 4872

तौज़ीह: (1) यानी एक कौम के पास उनकी तरफ़दारी और दूसरे लोगों के पास उनका तरफ़दार, बिलकुल मुनाफ़िक़ की तरह।

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: इस बारे में अम्मार और अनस (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ यह हदीस हसन सहीह है।

الْأَنْصَارِ سَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ قَالَ: مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أذخره عنكم، وَمَنْ يَسْتَعْنِ يَغْنِهِ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعْفِهِ اللَّهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ شَيْئًا هُوَ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ.

78 بَابُ مَا جَاءَ فِي ذِي الْوَجْهَيْنِ

2025 - حَدَّثَنَا هَنَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَا الْوَجْهَيْنِ.

79 - चुगल ख़ोरी का बयान.

2026 - हम्माम बिन हारिस से रिवायत है कि एक आदमी सय्यदना हुज़ैफ़ा बिन यमान (رضي الله عنه) के पास से गुज़रा तो उनसे कहा गया कि यह शख्स लोगों की बातें हाकिमों तक पहुंचाता है। तो हुज़ैफ़ा (رضي الله عنه) ने फ़रमाया, “मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना “जन्नत में क़त्तात दाख़िल नहीं होगा” सुफ़ियान कहते हैं : क़त्तात से मुराद चुगल ख़ोर है।

बुखारी: 6056. मुस्लिम: 105. अबू दारूद: 4871.

79 بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّمَامِ

2026 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ هَذَا يُبْلَغُ الْأَمْرَاءَ الْحَدِيثَ عَنِ النَّاسِ، فَقَالَ حُدَيْفَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ. قَالَ سُفْيَانُ: وَالْقَتَاتُ النَّمَامُ ..

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

80 - सौच समझ कर बात करना.

2027 - सय्यदना अबू उमामा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “हया और कम बोलना इमान की दो शाखें हैं (जबकि) बेहूदा गुफ्तगू और ज़्यादा बातें करना निफ़ाक़ की दो शाखें हैं।”

सहीह: इब्ने अबी शैबा: 11/44. मुसनद अहमद: 5/269.

80 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعِي

2027 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ أَبِي غَسَّانَ مُحَمَّدِ بْنِ مُطْرَفٍ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحَيَاءُ وَالْعِيُّ شُعْبَتَانِ مِنَ الْإِيمَانِ، وَالْبَدَاءُ وَالْبَيَانُ شُعْبَتَانِ مِنَ النِّفَاقِ.

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे अबू गस्सान मुहम्मद बिन मुतरिफ़ की सनद से ही जानते हैं। नीज़ एल-इमि कमगोई (किल्लते क़लाम, कम बालने) को कहते हैं, बद्दा बेहूदा क़लाम और बियान ज़्यादा बातें करने को कहा जाता है जिस तरह यह खुल्बा देने वाले हैं जो खुल्बा देते हुए क़लाम को वसीअ (बड़ा) करते हैं और लोगों की खूब तारीफ़ करते हैं जिस से अल्लाह राजी नहीं होता।

81 - कुछ बयान जादू होते हैं.

2028 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) के ज़माना में दो आदमी आए, उन्होंने खुल्बा दिया तो लोगों ने उनके कलाम पर तअजुब किया, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हमारी तरफ़ देख कर फ़रमाया, “बेशक कुछ बयान जादू (की तरह तासीर रखते) हैं या फ़रमाया, “बाज़ (कुछ) बयान जादू की तरह जादू होते हैं।”

बुखारी: 5767. अबू दारूद: 5007.

वज़ाहत: इमाम तिमिजी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: इस बारे में अम्मार, इब्ने मसऊद और अब्दुल्लाह बिन शखीर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। नोज़ यह हदीस हसन सहीह है।

82 - आजिजी का बयान.

2029 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, “सदका माल को कम नहीं करता, अल्लाह तआला किसी आदमी को माफ़ कर देने की वजह से इज्ज़त में इजाफ़ा कर देता है और जो अल्लाह के लिए आजिजी इख़्तियार करता है अल्लाह उसे बलंद कर देते हैं।”

मुस्लिम: 2588. दारमी: 1683. मुसनद अहमद: 2/235.

वज़ाहत: इमाम तिमिजी (رحمته الله عليه) फ़रमाते हैं: इस बारे में अब्दुरहमान बिन औफ़, इब्ने अब्बास, अबू कब्शा अन्मारी (رضي الله عنه) जिनका नाम उमर बिन साद है, से भी अहादीस मर्वी हैं और यह हदीस हसन सहीह है।

81 بَاب مَا جَاءَ فِي إِنْ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا

2028 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلَيْنِ قَدِمَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَا، فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِهِمَا، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنْ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا أَوْ إِنْ بَعْضُ الْبَيَانِ سِحْرٌ.

82 بَاب مَا جَاءَ فِي التَّوَاضُعِ

2029 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ رَجُلًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ.

83 - जुल्म का बयान.

2030 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, “जुल्म क़यामत के दिन अँधेरा होगा।”

बुखारी: 2447. मुस्लिम: 2579.

वज़ाहत: इमाम तिमिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: इस बारे में अब्दुल्लाह बिन अम्र, आयशा, अबू मूसा, अबू हुरैरा और जाबिर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है और यह हदीस इब्ने उमर (رضي الله عنه) के तरीक से हसन ग़रीब सहीह है।

84 - नेअमत में ऐब न निकाला जाए.

2031 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कभी खाने में ऐब नहीं निकाला। अगर आप उसे पसंद करते तो खा लेते वर्ना छोड़ देते।

बुखारी: 2563. मुस्लिम: 2063.

वज़ाहत: इमाम तिमिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अबू हाज़िम अश्जई कूफ़ा के रहने वाले थे। उनका नाम सलमान था और अज़्ज़ा अश्जइया के आज़ादकर्दा थे।

85 - मोमिन की ताजीम करना

2032 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मिम्बर पर चढ़े फिर आप ने बलंद आवाज़ से फ़रमाया, “ऐवह लोगो! जो अपनी ज़बान से इमामान ला चुके हो

83 بَابُ مَا جَاءَ فِي الظُّلْمِ

2030 - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

84 بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الْعَيْبِ لِلتَّعَمَّةِ

2031 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَارِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا غَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ كَانَ إِذَا اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِلَّا تَرَكَهُ.

85 بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْظِيمِ الْمُؤْمِنِ

2032 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَكْثَمٍ، وَالْجَارُودُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَا: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ أَوْفَى بْنِ

और ईमान उनके दिल तक नहीं पहुंचा, तुम मुसलमानों को तकलीफ़ न दो, उन्हें आर मत् दिलाओ, और न ही उनके ऐब तलाश करो। क्योंकि जो शख्स अपने मुसलमान भाई के ऐब ढूंढता है अल्लाह तआला उसके ऐब तलाश करेंगे और अल्लाह तआला जिसके ऐब तलाश करे उसे रुस्वा कर देगा। ख़्वाह वह अपने मकान के अन्दर ही हो। ” रावी कहते हैं: इब्ने उमर (رضي الله عنه) ने एक दिन बैतुल्लाह या काबा की तरफ़ देखा तो कहने लगे: तू किस क़दर अज़मत वाला है और तेरी हुर्मत किस क़दर अजीम है! लेकिन मोमिन अल्लाह के यहाँ तुझ से भी बड़ी हुर्मत वाला है।

हसन: इब्ने हिब्बान: 5763

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे हुसैन बिन वाकिद की सनद से ही जानते हैं।

इस्हाक़ बिन इब्राहीम समरकंदी ने भी हसन बिन वाकिद से ऐसे ही रिवायत की है। नीज़ अबू बज़्रा अल अस्लमी (رضي الله عنه) भी नबी (ﷺ) से ऐसे ही रिवायत करते हैं।

86 - तजर्बा का बयान.

2033 - सय्यदना अबू सईद (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, “बुर्दबार नहीं होता मगर लज़्ज़िश⁽¹⁾ खाने वाला हो और दाना नहीं होता मगर तजर्बा वाला।”

ज़ईफ़: मुसनद अहमद: 3/8. इब्ने हिब्बान: 193.
हाकिम: 293.

तौज़ीह: (1) लज़्ज़िश: लड़खड़ाना, यह लफ़्ज़ से एश्र से निकला है जिसका मानी है ठोकर खाकर

ذَلَّهُمْ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ فَنَادَى بِصَوْتٍ رَفِيعٍ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفِضِ الْإِيمَانَ إِلَى قَلْبِهِ، لَا تُؤَدُّوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تُغَيِّرُوهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ تَتَّبَعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَّبَعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ تَتَّبَعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ قَالَ: وَنَظَرَ ابْنُ عُمَرَ يَوْمًا إِلَى الْبَيْتِ أَوْ إِلَى الْكَعْبَةِ فَقَالَ: مَا أَعْظَمَكَ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكَ، وَالْمُؤْمِنُ أَعْظَمَ حُرْمَةً عِنْدَ اللَّهِ مِنْكَ.

86 بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّجَارِبِ

2033 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا حَلِيمَ إِلَّا ذُو عَثْرَةٍ، وَلَا حَكِيمَ إِلَّا ذُو تَجْرِبَةٍ.

फिसलना, ज़रबुल मसल है। العثار من سلك الجدد أ من العثار , हमवार जगह चलता है वह ठोकर से महफूज़ रहता है। (अल-मोजमुल वसीत:पृ. 690)

वज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे सिर्फ़ इसी सनद से जानते हैं।

87 - जो चीज़ मिली न हो उसका इज़हार करना.

2034 - सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, जिसे कोई चीज़ (बतौर तोहफ़ा) दी जाए फिर वह (वसाइल) पा ले तो उसका बदला दे दे और जिसे मोयस्सर न हो वह उसकी तारीफ़ करे। जिसने तारीफ़ की यकीनन उसने शुक्रिया अदा कर दिया। जिसने उसे छिपा लिया उसने नाशुक्रा की और जिसने अपने आपको उस चीज़ से आरास्ता किया जो उसे मिली नहीं तो वह झूठ के दो कपड़े पहनने वाले की तरह है। ”

हसन: अदबुल मुफ़रद: 215. बैहकी: 6/182. इब्ने हिब्बान: 2415

वज़ाहत: इस बारे में अस्मा बिनते अबी बक्र और आयशा (رضي الله عنهما) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिरमिज़ी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। और आपके फ़रमान (وَمَنْ كَفَرَ فَقَدْ كَفَرَ) से मुराद है कि उस ने नेमत का कुफ़्र (ना शुक्रा) की।

88 - नेकी पर दुआ देना.

2035 - सय्यदना उसामा बिन ज़ैद (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, जिसके साथ कोई अच्छाई की जाए तो वह करने वाले को यह कह दे कि “अल्लाह

87 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَتَشَبِّعِ بِمَا لَمْ يُعْطَهُ

2034 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أُعْطِيَ عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ، فَإِنَّ مَنْ أَتَى فَقَدْ شَكَرَ، وَمَنْ كَفَرَ فَقَدْ كَفَرَ، وَمَنْ تَحَلَّى بِمَا لَمْ يُعْطَهُ كَانَ كَلَّاسٍ ثَوْبِي زُورٍ.

88 بَابُ مَا جَاءَ فِي الثَّنَاءِ بِالْمَعْرُوفِ

2035 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ بِمَكَّةَ، وَالْبَرَاهِمُ بْنُ سَعِيدِ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَخْوَصُ بْنُ جَوَّابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

तुम्हें बेहतर जज़ा दे" तो यकीनन उसने बहुत अच्छी सना वाली दुआ दे दी।"

सहीह: عمل اليوم والليلة 180. इब्ने हिब्बान: 3413.

الْخَمْسِ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أَبِي عَثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الشَّأْنِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (رحمته الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन जय्यद ग़रीब है। उसामा बिन ज़ैद (رحمته الله) से हम इसे सिर्फ़ इसी सनद से जानते हैं। और अबू हुरैरा (رحمته الله) से भी नबी (ﷺ) की ऐसी ही हदीस मर्वी है। मैंने मुहम्मद (बिन इस्माईल बुखारी) से पूछा तो वह इसे नहीं जानते थे।

अबू ईसा कहते हैं, मुझे अब्दुरहीम बिन हाज़िम बलखी ने बताया कि मैंने मक्की बिन इब्राहीम को फ़रमाते हुए सुना कि हम इब्ने जुरैज मक्की के पास थे, उनके पास एक साइल ने आकर सवाल किया तो इब्ने जुरैज ने अपने खाज़िन से कहा: इसे एक दीनार दे दो। उस ने कहा: मेरे पास एक ही दीनार है अगर उसे दे दिया तो मैं भी भूका रहूंगा और आप के अहलो अयाल भी। रावी कहते हैं: उन्हें गुस्सा आ गया। कहने लगे: उसे दे दो। मक्की (बिन इब्राहीम) कहते हैं: (एक दफ़ा फिर) हम इब्ने जुरैज के पास थे कि उनके पास एक आदमी ख़त और थैली लेकर आया जो उन्हें उनके किसी भाई (या दोस्त) ने भेजा था उस ख़त में लिखा था कि मैंने पच्चास दीनार भेजे हैं। रावी कहते हैं: इब्ने जुरैज ने उस थैली को खोल कर गिने तो वह इक्यावन दीनार थे उन्होंने अपने खाज़िन से कहा: तुमने एक दीनार दिया था अल्लाह तआला ने तुझे वह भी वापस कर दिया और पच्चास दीनार मजीद अता कर दिए।

खुलासा..

- वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक के साथ पेश आना फ़र्ज़ है जबकि उनकी नाफ़रमानी करना कबीरा गुनाह है।
- वालिद के दोस्तों, वालिदा की सहेलियों और उसकी बहनों का एहतराम किया जाए।
- क़तअ रहमी करना (ताल्लुक तोड़ना) कबीरा गुनाह है जबकि सिला रहमी रोज़ी और उम्र में बरकत का बाइस है।
- वालिदैन को अपनी औलाद पर शफ़क़त करना ज़रूरी है।

- बेटियों और बहनों की अच्छे तरीके से परवरिश और इस्लामी तरबियत करने वाले के लिए जन्नत की बशारत है।
- यतीम की क़िफ़ालत करना जन्नत में नबी (ﷺ) की रिफ़ाक़त का सबब है।
- इस्लाम हर किसी के लिए ख़ैर ख़्वाही का ज़रूबा रखने का दर्स देता है।
- तीन दिन से ज़्यादा क़तअ कलामी जायज़ नहीं है।
- एक हमसाये के दूसरे पर बहुत हुकूफ़ हैं, लिहाज़ा उनका ख़याल रखना ज़रूरी है।
- किसी के एहसान पर उसका शुक्रिया अदा किया जाए।
- रास्ते से तकलीफ़ देह चीज़, ईट, पत्थर, काटे वग़ैरह को हटा देना भी सदक़ा है।
- सख़ी अल्लाह के करीब जबकि कंजूस उसकी रहमत से दूर होता है।
- मेहमान की मेहमान नवाज़ी अपनी ताक़त और इस्तिताअत के मुताबिक़ की जाए। सच्चाई जन्नत में और झूठ जहन्नम में ले जाने का सबब है।
- बदक़लामी, बेहूदा गुफ़्तगू बेहयाई और लअन तअन करना मोमिन के शायाने शान नहीं है।
- बद गुमानी रखना मना है।
- किसी-किसी मौक़ा पर हस्बे मजलिस मज़ाक (खुश तबई) की जा सकती है।
- तहम्मूल मिजाज़ी से काम लें। यह सिफ़त अल्लाह को बहुत पसंद है।
- गुस्से को पी जाना दानाई है।
- चुगल ख़ोर जन्नत में नहीं जाएगा।
- कोई आप से अच्छा सुलूक करे तो उसे दुआ दें।